

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

| BORROWER'S No | DUE DATE | SIGNATURE |
|------------------|----------|-----------|
| | | |

अर्थशास्त्र की रूम-रेखा

[भारतवर्षीय हिन्दी-अर्थशास्त्र-परिषद् द्वारा स्वीकृत]

लेखक—

(दयाशंकर दुवे, एम० ए०, एल-एल० बी०

अर्थशास्त्र अध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय

भूमिका लेखक—

पंडित अमरनाथ झा, एम० ए०, एफ० आर० एस्०

नाइस चैन्सलर, प्रयाग विश्वविद्यालय

प्रकाशक—

साहित्य-निकेतन

दारागज, प्रयाग

१९४०

प्रथमावृत्ति

मूल्य ६)

प्रकाशिका—
रामकली देवी
, व्यवस्थापिका
साहित्य निकेतन,
दारागञ्ज, प्रयाग ।



मुद्रक—
नारायणप्रसाद,
नारायण प्रेस,
नारायण बिल्डिङ्ग, प्रयाग ।

भूमिका

अर्थ-शास्त्र का अध्ययन आधुनिक समाज में परम आवश्यक हो गया है। प्राचीन समय में, जब कि साधारण व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताएँ सीमित थी, जब अध्यापक अपनी आश्रम में, उच्चलिखित पुस्तकों अथवा बंस्थ ग्रन्थों की सहायता से समस्त शास्त्रों में शिक्षा दे सकते थे, जब लिखित पुस्तकों की सहायता कम थी और उनके शारीरिक सुख और स्वास्थ्य के लिये बहुत कम सागरी की आवश्यकता थी, जब उपा से जो कुछ राजा को मिलता था वही उसके लिये पर्याप्त था, और जो राजा से कर्मचारियों को प्राप्त होता था उसी के लिये प्रसन्न रहते थे, जब "दिससखाहने भीम शाक परतियो गृहे" वही आनन्द की पराकाष्ठा थी, तब अर्थशास्त्र के पठितों से साधारण जनता का कोई विशेष सम्पर्क नहीं था। परन्तु अब तो समाज इतना विस्तृत हो गया है और विश्व के जीवन में इतनी गुच्छिया उपस्थित हो गई है कि इन महापठितों की सहायता बिना अगि बढ़ना असम्भव है। प्रत्येक एक एक अर्थशास्त्र के तत्वों का अनुसन्धान करना पड़ता है। चाही का, अन्न का, वस्त्र का, - विद्वान्त आवश्यक वस्तुओं का - सम्बन्धन परिकल्पना की, परन्तु समस्त सत्कार की आर्थिक स्थिति से है। अमेरिका, जापान, इंग्लैंड की स्थिति का गहरा प्रभाव हमारे देश की स्थिति पर पड़ता है। कुछ देशों का मत तो यह है कि केवल एक देश का समस्त विश्व का, विशेष आर्थिक उत्तमकर से निश्चित हुआ करता है। फ्रान्स और जर्मनी के बीच से प्रभावित होकर, आर्थिक लाभ की आशा से, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को

रहित बना-बना है और वैयक्तिक जीवन में भी इसी भाकाशाओं से प्रेरित होकर मुख्य अपने आचरणों को नियंत्रित करता है। यह शोक का विषय है। लक्ष्मी की आराधना अनेक नहीं है, परन्तु साभ ही और देवियों के प्रति ब्रह्म रखना श्रेयस्कर है। इस युग में तो केवल लक्ष्मी ही एक आराध्य भगवती हो रही है।

अस्तु। ऐसी युग की गति है वैसी ही शिक्षा की प्रणाली भी होती जा रही है। अर्थशास्त्र का अध्ययन तो अब मात्र छात्रों और देशरक्षा के लिये अनिवार्य हो गया है। पश्चिम के देशों में इस शास्त्र की बड़ी उन्नति हुई है और हो रही है। हमारे विचार से इसका प्राधान्य भंगाना है, परन्तु हमारी सैन्य सुवेगा २ काव की प्रगति छत्र नहीं रोक सके।

पंडित दयाशंकर शूने मोहि मीस नरस से हिन्दी में अर्थशास्त्र के विविध विषयों पर लेख और पुस्तिकाएँ लिख रहे हैं। आपने हिन्दी साहित्य के एक अंग की वृद्धि में बड़ी सहायनीय सेवा की है। ऐसे जटिल विषयों का सरल भाषा में वर्णन करना आप ही का काम है। अब आपने यह विशाल काम पुस्तक लिख कर हिन्दी पढ़ने वालों का ऐसा उपहार किया है कि नहुव दिनों तक इस पुस्तक का अध्ययन अर्थशास्त्र में पाठिका प्राप्त करने के लिये पर्याप्त होगा। इसकी लेखन-शैली विलक्षण है, विषय में उच्च उत्पन्न करने की शक्ति इसमें है, सिद्धांतों को दृश्यरूप कल्पने की इसमें योग्यता है। स्वार्थ का रूप देकर लेखक ने इसकी परिपक्वता बना ली है। हिन्दी साहित्य में इस पुस्तक का सम्मान होगा और विश्वार्थियों का इससे उपकार होगा —
शेखर मेधा प्रकाश है।

अनुराधा

सामाज्य अरथोदीयो प्रथम अर्ष कला ' C

निवेदन



इस अर्थप्रधान युग में अर्थ या धन का महत्व समझने की आवश्यकता नहीं है । छोटा बच्चा भी पैसों का महत्व समझता है और मचलपर अथवा रोकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है । वह भी इतना जानता है कि पैसा ही ऐसी वस्तु है जिससे वह अपनी इच्छित वस्तुएँ ले सकता है । नवयुवक और बूढ़े आदमी तो दिन रात उसी की चिन्ता में परेशान रहते हैं ।

परन्तु बहुत कम व्यक्ति उस शास्त्र का अध्ययन करते हैं जो यह बतलाता है कि व्यक्ति, देश और समाज गरीब या धनवान कैसे होते हैं और गरीब देश या व्यक्ति के धनवान होने के प्रधान साधन क्या हैं । भारत बहुत गरीब देश है । यहाँ की अधिकांश जनता को कठिन परिश्रम करने पर भी रूखा प्ला भापेट भोजन नहीं मिल पाता । देशवासियों में अर्थशास्त्र के ज्ञान के प्रचार करने की आवश्यकता स्वयंसिद्ध है । इस प्रचार में सब से बड़ी कठिनाई

हिन्दी में अर्थशास्त्र सम्बन्धी पुस्तकों की कमी है। इसी कमी को कुछ अर्थ में दूर करने के लिए मैंने इस पुस्तक को लिखने का साहस किया है।

एक युग था, जब अर्थ का केवल बाह्य जीवन से ही सम्बन्ध माना जाता था। हमारे देश का आदर्श तो यहाँ तक ऊँचा था कि योगी यती ही नहीं, सद्गृहस्थ लोग भी अर्थ सचय के सम्बन्ध में उदासीन रहा करते थे। पर आज अब यह स्थिति नहीं है। आज तो अर्थ हमारे रात दिन के चिन्तन का विषय बन गया है। जीवन-निर्वाह के लिए ही नहीं, आज तो विवाह, पुत्र जन्म, अन्य सस्कार, प्रेम, प्रतिदान और उपहार से लेकर जीवन के अन्तिम क्षण तक के लिए अर्थ एक प्रधान, उल्लिखित सर्व प्रधान, समस्या है। आज तो पिता माता पुत्र के प्रति, भाई भाई के प्रति, इष्ट मित्र, कुटुम्बी और व्यवहारी अपने साथी, पड़ोसी और सहयोगी के प्रति अपने आत्मीय प्रेम, आर्पण और प्रतिदान के लिए एक मात्र अर्थ पर ही निर्भर रहते हैं। आज तो एक मात्र आर्थिक समस्या ही जीवन की प्रमुख समस्या है। अतएव कितने आश्चर्य किन्तु परिताप का विषय है कि जीवन के क्षण क्षण से सम्बन्ध रखने वाले ऐसे अनिवार्य उपयोगी विषय (अर्थशास्त्र) के प्रति हमारे देश की शिक्षित जनता अनुराग का भाव न रखकर उसे एक शुष्क विषय मानती है। जब कभी मैं इस तरह की बात सुनता हूँ, तो मुझे बड़ा क्लेश होता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे नवयुवक अर्थशास्त्र में स्थायी और व्यावहारिक महत्त्व को स्वीकार करें और इस विचार को सदा के लिए भूल जायें कि यह कोई शुष्क विषय है। मेरी तो यह पक्की धारणा है कि यही एक ऐसा विषय है

जो जीवन को सरस, सफल और प्रिय बनाने में सब से अधिक सहायक है। मैं आशा करता हूँ कि इस पुस्तक को पढ़ जाने के अनन्तर पाठक मेरे इस मत से पूर्णतया सहमत होंगे।

मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो यह विश्वास करते हैं कि अर्थशास्त्र इतना सरल विषय है कि उसका ज्ञान साधारण जनता से लेकर प्रारम्भिक कक्षाओं तक के विद्यार्थियों को आसानी से कराया जा सकता है। इसी उद्देश्य से मैंने बालरोध रीडरों में कुछ पाठ अर्थशास्त्र-सम्बन्धी विषयों पर दिये। ये रीडर युक्तप्रति की सरकार द्वारा स्वीकृत हुईं और इंडियन प्रेस द्वारा प्रकाशित की गईं। इनका प्रचार पाँच वर्षों तक युक्तप्रति में हुआ। मुझे यह सूचित करते हुए होता है कि अर्थशास्त्र-सम्बन्धी पाठों को प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने बहुत पसन्द किया। इस सफलता से प्रोत्साहित होकर मैंने एक ऐसी पुस्तक लिखने का विचार किया, जिसमें अर्थशास्त्र-सम्बन्धी प्रायः सब बातें कहानियों या संवाद के रूप में इस प्रकार से दी जायँ कि साधारण जनता उसे आसानी से समझ सके और उसकी कबि भी इस शास्त्र के पढ़ने के सम्बन्ध में पैदा हो।

कई व्यक्तिगत भ्रमणों के कारण मे अपना विचार शीघ्र कार्यरूप में परिणत नहीं कर सका। तो भी मैं प्रयत्न करता ही गया। इसी प्रयत्न का परिणाम यह पुस्तक है। इसे हिन्दी सभार को भेंट करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह मेरे २० वर्षों के अर्थशास्त्र के अध्ययन और अध्यापन के अनुभव के आधार पर लिखी गई है। इस पुस्तक में भारतीय दृष्टिकोण

को प्रधानता दी गई है और धर्म तथा अर्थ का सम्बन्ध भी इसी दृष्टिकोण से समझाया गया है। आजकल ससार में प्रायः सर्वत्र भौतिकवाद और स्वार्थ सिद्धि का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। ससार भर में अशांति की लहर फैली हुई है। जो गरीब हैं वे तो दुःखी हैं ही, परन्तु धनवान भी सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं। अपने थोड़े-से निजी स्वार्थ के लिए दूसरों का या समाज का भारी अहित करना धनवान व्यक्ति भी बहुत जल्द अगोकार कर लेते हैं। इस सम्बन्ध में वे धर्म का तो कुछ ख्याल ही नहीं रखते। पर मेरा दृढ विश्वास है कि ससार में सुख और शान्ति का साम्राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब अर्थ-सम्बन्धी प्रत्येक कार्य में धार्मिक* भावना की प्रधानता रहे। यही हिन्दू आदर्श है। त्रिभुक्तिका स्थायी शान्ति के लिए भारत का यही एकमात्र सन्देश है। इसका विशेष रूप से विवेचन इस पुस्तक में किया गया है।

इस पुस्तक का विषय अर्थशास्त्र है, कहानी नहीं। तो भी इसके विषय प्रतिपादन में कहानीपन लाने की चेष्टा अवश्य की गई है। कहानी का लक्ष्य है, आनन्द का उद्रेक और चमत्कार की सृष्टि। इसने अनेक अध्यायों में यह बात भा पाठकों को मिलेगा। अन्तर केवल इतना है कि मैंने जो घटनाएँ चुनी हैं, वे एक तो कोरी कल्पना-प्रसूत नहीं हैं, हमारे आज के जीवन में चारों ओर व्याप्त हैं और सत्य ही हैं। केवल पात्रों के नाम बदल दिये गये हैं। दूसरे इसकी कहानियों का उद्देश्य कला की सृष्टि नहीं है, बरन् अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों, अर्थों और समस्यात्मक उलझनों का

* यहाँ धर्म का अर्थ सुदृष्टि रूप में नहीं लिया गया है।

समाधान है। इसलिए हम यह स्वीकार करते हैं कि इसकी कुछ कथाओं से पाठकों को वह आनन्द तो नहीं मिलेगा, जो किसी श्रेष्ठ कला पूर्ण कहानी में मिलता है। बात यह है कि उद्देश्य हमारा यही रहा है कि अर्थशास्त्र को ऐसे ढंग से उपस्थित किया जाय, जिससे वह सरल से-सरल और रोचक जान पड़े। अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों को इस रूप में उपस्थित करने का हिन्दी में यह पहला ही प्रयत्न है। अंग्रेजी में भी शायद ऐसा प्रयत्न नहीं किया गया। मैं इस प्रयत्न में कहीं तक सफल हुआ हूँ इसका निर्णय मे अपने पाठकों पर छोड़ता हूँ।

किसी भी शास्त्र का पूरा विवेचन करना बहुत कठिन कार्य है। मैंने तो इसमें अर्थशास्त्र को रूप रेखा ही बतलाने का प्रयत्न किया है। इस पुस्तक को दो भागों में प्रकाशित कराने का मेरा विचार है। इस भाग में उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय और वितरण के सम्बन्ध में मैंने अपने विचार प्रकट किये हैं। यदि हिन्दी सतार ने इस पुस्तक को पसंद किया, तो दूसरे भाग में रुपया-पैसा, करेंसी, बैंक, देशी और विदेशी व्यापार, राजस्व तथा साम्यवाद आदि विषयों पर मैं अपने विचार उपस्थित करूँगा।

इस पुस्तक के लिखने में मुझे श्री मदेशचन्द्र अग्रवाल, एम० ए०, बी० एस् सी० 'विशारद' और श्रीयुत धीधर मिश्र बी० काम० से सहायता मिली है। भारत विख्यात, हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कहानी-लेखक प० भगवतीप्रसादजी वाजपेयी ने मेरे विचारों को कहानी अथवा कथोपकथन का रूप देने में सहायता दी है। इस कृपा के लिए मैं उपर्युक्त तीनों सज्जनों का आभारी हूँ।

प्रयाग विश्व विद्यालय के वाइस चैंसलर पंडित अमरनाथजी भा एम० ए०,
एफ० आर० एस् ने इस पुस्तक की भूमिका लिखकर मुझे प्रोत्साहित किया
है। इस असीम कृपा के लिए मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ।

नारायण प्रेस के अध्यक्ष श्रीयुत गयाप्रसादजी तिवारी बी० काम० ने इस
पुस्तक को शीघ्र छाप देने में जो तत्परता दिखलाई है उसके लिए मैं उनको
धन्यवाद देता हूँ।

यदि इस पुस्तक के द्वारा मैं भारत की साधारण जनता को—और विशेषकर
विद्यार्थियों को—अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों को समझाने में कुछ भी सहायक हो
सका तो मैं अपने प्रयत्नों को सफल समझूँगा।

श्री दुवे निवास, दारागज, प्रयाग
१७ अगस्त, १९४०
आवण शुद्ध पौर्णिमा, सवत् १९९७

दयाशंकर दुवे

अर्थशास्त्र अध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय



विषय-सूची

~*~*~*~

पहला खण्ड—प्रारंभिक

| | पृष्ठ संख्या |
|---|--------------|
| पहला अध्याय—अर्थशास्त्र क्या है ? ✓ ... | १ |
| दूसरा अध्याय—अर्थ या धन क्या है ? ✓ ... | ११ |
| तीसरा अध्याय—अर्थशास्त्र के विभाग और उनका पारस्परिक सम्बन्ध | १९ |
| चौथा अध्याय—अर्थशास्त्र का महत्त्व ✓ .. | २९ |
| पाँचवाँ अध्याय—अर्थशास्त्र का अन्य विद्याओं से सम्बन्ध ✓... | ३८ |

दूसरा खण्ड—उपभोग

| | |
|--|-----|
| छठवाँ अध्याय—आर्थिक इच्छाएँ ✓ ... | ४८ |
| सातवाँ अध्याय—उपभोग और छतोप ✓ ... | ५४ |
| आठवाँ अध्याय—सीमान्त-उपयोगिता-हास-नियम ✓ | ६० |
| नववाँ अध्याय—सम-सीमात-उपयोगिता नियम . ✓ | ६६ |
| दसवाँ अध्याय—मार्ग का नियम ... | ७२ |
| ग्यारहवाँ अध्याय—उपभोक्ता की वचत ... | ८० |
| बारहवाँ अध्याय—उपभोग की वस्तुओं का विभाग ... | ८५ |
| तेरहवाँ अध्याय—मार्ग की लोच ... | ९० |
| चौदहवाँ अध्याय—फिजूलपत्तियाँ ... | ९६ |
| पन्द्रहवाँ अध्याय—मादक वस्तुओं का निषेध ... | १०३ |

| | | |
|--|-----|-----|
| सोलहवाँ अध्याय—उपभोग में सरकार के अन्य हस्तक्षेप | ... | १०८ |
| सत्रहवाँ अध्याय—बरखादी | ... | ११४ |
| अठारहवाँ अध्याय—भविष्य का उपभोग और बचत | ... | ११६ |
| उन्नीसवाँ अध्याय—दान-धर्म | .. | १२६ |
| बीसवाँ अध्याय—उपभोग का आदर्श | ... | १२९ |

तीसरा खण्ड—उत्पत्ति

| | | |
|---------------------------------------|-----|-----|
| इक्कीसवाँ अध्याय—उत्पत्ति के भेद | ... | १३८ |
| बाइसवाँ अध्याय—उत्पत्ति के साधन ✓ | ... | १४५ |
| तेइसवाँ अध्याय—भूमि और उसने लक्षण | ... | १५१ |
| चौबीसवाँ अध्याय—सेतों की चकबन्दी | ... | १६० |
| पन्नीसवाँ अध्याय—श्रम के भेद और गुण ✓ | ... | १६४ |
| छत्तीसवाँ अध्याय—जन-संख्या वृद्धि | .. | १७१ |
| सत्ताइसवाँ अध्याय—श्रम की कुशलता | .. | १८१ |
| अट्ठाइसवाँ अध्याय—श्रम विभाग | ... | १८९ |
| उन्तीसवाँ अध्याय—पूँजी के भेद | ... | १९८ |
| तीसवाँ अध्याय—पूँजी की वृद्धि | ... | २०६ |
| इकतीसवाँ अध्याय—प्रबन्ध | ... | २१४ |
| बत्तीसवाँ अध्याय—साहस | ... | २२२ |
| तेँतीसवाँ अध्याय—उत्पत्ति के नियम | ... | २३० |
| चौतीसवाँ अध्याय—घनोत्पत्ति के क्रम | ... | २३८ |
| पँतीसवाँ अध्याय—व्यवस्था के भेद | .. | २४७ |
| छत्तीसवाँ अध्याय—सरकार और उत्पत्ति | ... | २५७ |
| सैंतीसवाँ अध्याय—उत्पत्ति का आदर्श | ... | २६८ |

चौथा खण्ड—विनिमय

| | | | |
|--|-----|-----|-----|
| अढ़तीसवाँ अध्याय—वस्तु-परिवर्तन | ... | ... | २७६ |
| अन्तालीसवाँ अध्याय—क्रय-विक्रय | ... | ... | २८५ |
| चालीसवाँ अध्याय—बाज़ार | ... | .. | २९५ |
| इकतालीसवाँ अध्याय—वस्तुओं की कीमत—अल्पकालीन बाज़ार में | | | ३०३ |
| दयालीसवाँ अध्याय—वस्तुओं की कीमत—दीर्घ काल में | .. | | ३१० |
| तेँतालीसवाँ अध्याय—वस्तुओं की कीमत—अति दीर्घकाल में | | | ३१९ |
| चौवालीसवाँ अध्याय—भोक और फुटकर बिक्री | ... | | ३२६ |
| पँतालीसवाँ अध्याय—वस्तुओं की कीमतों का पारस्परिक सम्बन्ध | | | ३३३ |
| छियालीसवाँ अध्याय—वस्तुओं की कीमत—एकाधिमार में | | | ३४३ |
| सैतालीसवाँ अध्याय—एकाधिमार में प्रतिस्पर्धा | ... | | ३५४ |
| अढ़तालीसवाँ अध्याय—दूकानदारी | .. | ... | ३६० |
| अन्चासवाँ अध्याय—जुआ और सट्टेबाजी | ... | ... | ३६६ |
| पचासवाँ अध्याय—क्रय-विक्रय का आदर्श | ... | ... | ३७३ |

पाँचवाँ खण्ड—वितरण

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| इक्कावनवाँ अध्याय—वितरण की समस्या | ... | ... | ३८२ |
| बावनवाँ अध्याय—आर्थिक लगान | . | .. | ३८९ |
| तिरपनवाँ अध्याय—जमींदारी प्रथा | ... | .. | ३९८ |
| चौवनवाँ अध्याय—किसानों का सहायक जमींदार | ... | | ४०५ |
| पचपनवाँ अध्याय—सूद का सिद्धांत | ... | ... | ४१२ |
| छप्पनवाँ अध्याय—जनसाधारण का ऋण | ... | ... | ४१९ |
| सत्तावनवाँ अध्याय—दुष्ट महाजन | ... | .. | ४२४ |
| अट्ठावनवाँ अध्याय—मज़दूरी | ... | .. | ४३० |

| | | | |
|--|-----|-----|---------|
| उनसठवाँ अध्याय—न्यूनतम मज़दूरी | ... | ... | ४३८ |
| साठवाँ अध्याय—इड़ताल और मज़दूर-सभा | ... | ... | ४४४ |
| इकसठवाँ अध्याय—लाभ | ... | ... | ४५० |
| बासठवाँ अध्याय—अत्यधिक लाभ | ... | ... | ४५७ |
| तिरसठवाँ अध्याय—आधिक असमानता | ... | ... | ४६१ |
| चौसठवाँ अध्याय—असमानता दूर करने के तरीके | .. | .. | ४६७ |
| पैंसठवाँ अध्याय—वितरण का आदर्श | ... | .. | ४७३ |
| पारिभाषिक शब्दों की सूची | ... | ... | ४७९ |
| शब्दानुक्रमणिका | ... | ... | अंत में |



पहला अध्याय

अर्थशास्त्र क्या है ?



मोहन रहता तो उच्चाव मे है, पर उसके चाचा प्रयाग मे नौकर हैं, इस-लिए माघ के महीने में वह अपनी मा के साथ चाचा के यहा आया हुआ है। उसकी मा माघ भर त्रिवेणी एगम मे प्रतिदिन स्नान करेगी। गत रविवार को मोहन भी अपने चाचा के साथ त्रिवेणी स्नान करने तथा वहा लगे हुए माघ मेला को देखने के लिए गया था।

मेले के पास पहुँचने पर पहले मोहन को कृपि प्रदर्शिनी दिखाई पड़ी। उसने चाचा से कहा कि यह भी इसे देखेगा।

प्रदर्शिनी के पण्डाल मे जाने पर मोहन ने तरह-तरह की मशीनें देखीं। चाचा ने उसे बताया कि ये सत्र खेती करने के काम आती हैं। मोहन को कुछ से पानी खींचनेवाली मशीन अधिक पसन्द आई। वहा की अन्य वस्तुए भी वह देखना चाहता था, पर चाचा ने कहा कि चलो, पहले गंगा जी नहा आवें, फिर लौटते समय इन सब चीजों को अच्छी तरह देखना।

बांध पर पहुँचते ही मोहन ने कई हलवाईयों की दूकानें देखीं। सुबह का समय था। ताड़ी ताड़ी जलेबी बनाई जा रही थी। कुछ लोग दूकान के पास जलेबी खा रहे थे।

माघ का शुरु था। इसलिये अभी कुछ दूकानों पर माल नहीं आया था। वे खाली पड़ी थीं। कुछ मज़दूर इधर उधर ज़मीन खोद रहे थे। मोहन

ने कहा—चाचा, यहा तो बडा मजा है। क्या यह सत्र यहा पर हर साल होता है ?

चाचा—हाँ, हर साल इसी तरह मजदूर टीन और लकड़ी को दूकाने बनाते और उजाड़ते हैं।

मोहन—तब तो बहुत लकड़ी और टीन खर्च होता होगा।

चाचा—खर्च तो होता है। पर बड़े बड़े ठेकेदार इन चीजों को मेला खतम होने पर मोल ले लेते हैं। फिर साल भर बाद वे इनकी बेचते हैं।

इसी समय एक ओर हल्ला सुनकर मोहन का ध्यान उधर चला गया। दो एक साधू कह रहे थे—चलो, चलो, आज एक भाग्यवान् ने मुग्रह ही भडारा किया है।

मोहन—चाचा, यह भडारा क्या होता है ?

चाचा—जब कोई आदमी बहुत से साधुओं को भोजन कराता है तो उनके खाने के लिए बडा प्रबन्ध करना पड़ता है। इसी उड़ी दावत को भडारा कहते हैं। यहा पर ऐसे भडारे रोज ही हुआ करते हैं।

गते करते करते दोनों सड़क से दूर एकांत स्थान में पहुँच गये।

इतने में मोहन चिल्ला उठा—अरे चाचा ! यह देखो ! कुछ साधू ध्यान लगाये आप मूढ़े बैठे हैं।

चाचा—यहा एकांत में ये लोग भगवान का ध्यान कर रहे हैं। हम लोग सड़क से दूर निकल आये हैं। सड़क से चलना ठीक होगा।

थोड़ी देर में दोनों सड़क पर पहुँच गये। वहा पर एक साधू को देखकर मोहन ने कहा—अरे, यह साधू तो उलटा लटका हुआ है ! नीचे आग जल रही है। क्यों चाचा, ये जलते नहीं होंगे ? थोड़ी देर में तो भुन जायेंगे ! पर चाचा, यह क्या बात है कि क्याना दूर रहा, लोग तमाशा देख रहे हैं !

चाचा—यह सत्र पैसा नमाने का ढंग है। तुम देखते हो न, साधू इधर से उधर भूल रहा है। इस कारण उसे अग्नि की झुलस नहीं लगती। हाँ, थोड़ी गरमी जरूर लगती होगी। परन्तु आनन्द तो ठंड में यह अधिक खलती न होगी। फिर उसने इसका अभ्यास भी तो कर रक्ता है।

मोहन—इससे तो अच्छा हो कि वह यों ही भागकर जैसे इकट्ठे कर ले । पर वह पैसों का करेगा क्या ?

चाचा—वह पैसों से भोजन वस्त्र आदि मोल लेगा । तुम जानते ही हो कि दुनियाँ में सब काम इसीलिए किये जाते हैं कि सुख प्राप्त हो । जीवन के सारे सुख आज जैसे पर ही निर्भर हैं ।

मोहन—अरे चाचा ! थो चाचा ॥ देखो, यह साधू तो कीलों पर बैठा है । इसके बदन में तो तमाम रून निकल आता होगा । इसे तो सिवाय तकलीफ के और क्या आराम मिलता होगा ?

चाचा—यह पैसा कमाने के लिए ही ऐसा कर रहा है । जैसे से वह उन वस्तुओं को इरीदेगा जिनकी उसे आवश्यकता है । उन वस्तुओं के उपयोग से उसे सुख मिलेगा । यदि अत में उसे सुख न मिले, तो बैठने की कौन कहे वह कीलों के पास भी न जाय ।

मोहन ने चाचा की बातों पर ध्यान नहीं दिया । उसका ध्यान उस दूकान की वस्तुओं पर था जिसके बगल में वह और उसका चाचा गुजर रहे थे । दूकान में तरह-तरह के छुपे बेल बूटेदार षपडे रले थे । यकायक मोहन की नजर एक मोर छाप अँगोछे पर रुक गई । उसने चाचा से कहा कि वह उसे मोल ले दें । इस पर चाचा ने दूकानदार से उस अँगोछे का दाम पूछा ।

दूकानदार—एक दाम बता दे या मोल भाव करोगे ?

चाचा—एक दाम बताइये ।

दूकानदार ने अँगोछे को उतारकर खोला और मोहन के चाचा को दिखाते हुए कहा—

देखिए, बड़ा मोटा है, सालों नहीं पटेगा । है तो अधिक दाम का, पर तुमसे चार आने जैसे ले लेंगे ।

चाचा—चार आने तो बहुत हैं, तीन आने में दो ।

इतने में मोहन बोल उठा—और क्या, चार छु जैसे का माल है ।

दूकानदार—अरे बाधा, छोटे तीन आने की इरीद है । मधुरा से यहा आये । दूकान का किराया, कुछ मुनाफा-मजदूरी भी तो चाहिये । मैंने आप से कोई प्यादा नहीं कहा । फिर सुबह-सुबह बोहनी के वक्त.. !

चाचा—अच्छा लो, साढे तीन आने ले लेना । खरीदा तो तुमने दो आने में होगा ।

दुकानदार—अरे यानू साहन, भाव के भाव पर दे रहा हूँ । चलो, तुम पन्द्रह पैसे ही दे देना ।

चाचा—पन्द्रह बन्द्रह नहीं, देना हो तो चौदह पैसे में दे दीजिये । मुझ-मुझ खटरसट अच्छी नहीं होती ।

दुकानदार—क्या बतारू ! अच्छा लाओ ।

चाचा ने जेब से एक रुपया निकालकर दुकानदार के पास फेंका । दुकानदार ने रुपये को उठाकर उगलियों पर गजाया । फिर वह कुछ सोचते हुए बोला—

पैसे तो नहीं हैं । सवेरे सवेरे आप के पास चौदह पैसे नहीं हैं ?

चाचा के इनकार करने पर दुकानदार ने अपने खन्दरू में पैसे दूढ़े । जब साढे बारह आने नहीं निकले, तो हारकर दुकान के सामने बैठे भाजवाले से उस रुपये का भाज मागा । उसने एक पाई रुपये की भजाई ले ली । दुकानदार पाई कम साढे बारह आने पैसे मोहन के चाचा को लौटाने लगा ।

चाचा—पूरे साढे बारह आने दीजिए ।

दुकानदार—पाई तो भाज में चली गई ।

चाचा—तो मैं क्या करूँ ? आप ही ने तो भुनाया ।

आखिर दुकानदार ने यह कहते हुए कि 'बाह साहन, अच्छी चपत लगी । मुनाफा तो कुछ मिला नहीं, पाई गाँठ से देनी पड़ी ।' पूरे साढे बारह आने पैसे दे दिये । मोहन खडा-खडा यह सब देख रहा था । जब चला तब पहले तो उसने अपने उस नये अँगोछे की कन्धे पर रख लिया । फिर चाचा से कहने लगा—दुकानदार इस तरह बात करता है जैसे इस अँगोछे के बेचने में उसे नुकसान ही हुआ हो ।

चाचा—भला नुकसान उठाने के लिए कहीं कोई दुकान करता है । यह तो सब कहने की बातें हैं ।

अभी मोहन के चाचा पैसे जेब में डाल ही रहे थे कि एक पैसा चमक उठा । मोहन ने कहा—देखें, जान पड़ता है, नया पैसा है । चाचा ने

पैसा दे दिया। तब मोहन ने पूछा—क्यों चाचा, इस पैसे पर किसकी तस्वीर बनी है ?

चाचा—यह तस्वीर हिन्दोस्तान के नये बादशाह छठे जार्ज की है। बादशाह का कारखाना ही इन पैसों को बनाता है। रेल, पुल सड़क आदि का सारा इतजाम भी सरकार ही करती है। इतजाम करने में जो इर्च होता है वह सरकार जनता से कर (टैक्स) के रूप में वसूल करती है।

चाचा ने पूछा—अच्छा मोहन, बताओ तो अब तक इतने लोगों को काम करते देखकर तुम क्या समझे ? क्या तुम जता सकते हो कि वे क्यों काम करते हैं ?

मोहन—आप ही ने ही बताया कि सब कोईं सुख प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। दूकानदार कमा कमाकर जो जमा करेगा उससे वह श्रीर उसके लडके सूख खेलेंगे, कुदेंगे और मौज उठावेंगे। पर चाचा, मेरी समझ में यह नहीं आया कि उन साधू महात्माओं को आँख मूँदकर बैठे रहने से क्या सुख मिलता है। वह जो आग के ऊपर उलटे भूल रहे थे, उनका तो हाल ठीक है। इस तरह कुछ देर तकलीफ उठाने के बाद उनसे पास पैसे इकट्ठे हो जावेंगे और तब वे उतरकर मजे से उन पैसों का भोजन इररीद लेंगे। पर आँख मूँदकर ध्यान लगानेवाले साधुओं के आगे तो कोईं पैसे भी नहीं डाल रहा था।

चाचा—यह तो ठीक है। लेकिन सुख केवल पैसों से ही नहीं मिलता। बिना पैसा इर्च किये भी आनन्द आ सकता है। जैसे तुम जब हँस हँस कर अपने दोस्त मुन्नू से बातें करते हो, तो तुम्हें खुशी होती है। या जैसे तुम्हारी माँ रोज यहाँ गंगा जी में स्नान करती हैं। इर्च तो वे एक पैसा भी नहीं करतीं, पर इससे क्या। इसी तरह उन साधू महात्माओं को आँख मूँदकर भगवान का ध्यान करने से कुछ सुख का अनुभव अवश्य होता होगा। जब तक तुम्हें भविष्य में सुख मिलने का आशा न होगी तब तक तुम कोईं सुख उठाने के लिये तैयार न होगे। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का हर एक प्रयत्न सुख प्राप्ति के लिए ही होता है।

मोहन—तब मुख प्राप्ति के दो तरीके हुए । एक तो पैसों द्वारा और दूसरा बिना पैसों द्वारा ।

चाचा - ठीक, पर पैसे स्वयं तुम्हें मुख नहीं देते । पैसों द्वारा तुम केवल-उन वस्तुओं को खरीदते हो, जो तुम्हें मुख पहुँचाती हैं । अतः, मुख के लिए हम अपने प्रयत्नों द्वारा या तो उन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं-जो खरीदी जा सकती है अर्थात् जो विनिमय-साध्य है और धन या संपत्ति कहलाती है, या ऐसा कार्य करते हैं जिनसे हमें मुख प्राप्त होता है ।

मोहन—तब फिर साधुओं का अर्थ मूँदकर ध्यान लगाना, माँ का गंगा नहाना, भगवान की पूजा करना आदि ऐसे कार्य हैं जिनसे ऐसी कोई वस्तु नहीं प्राप्त होनी जो विनिमय-साध्य हो, परन्तु उनसे मुख की प्राप्ति अवश्य होनी है ।

चाचा—हाँ ।

घाट किनारे पहुँच जाने के कारण मोहन व उसके चाचा नहाने के लिए उपयुक्त जगह ढूँढने लगे । एक घाटिया के पास अपने कपड़े उतारकर रख दिये और दोनों ने त्रिवेणी में स्नान किया । स्नान ध्यान करने के पश्चात् दोनों ने चन्दन लगाया । चाचा ने घाटिया को दो पैसे दिये । फिर जब ये लोग लौट पड़े तो कुछ दूर आगे बढ़कर मोहन थोला उठा—

यह भी पैसा कमाने की रीति है । त्रैटै-त्रैटै जरा सा चन्दन दे दिया । इनकी बीनी पर कपड़ा रख दिया । वस, कई पैसे मिल गये । क्यों चाचा, पटा जी तो इस तरह दिन भर में कई रुपये पैदा कर लेते होंगे ।

अरे चाचा ! यह देखो यह भिखमगा आ पहुँचा । यह तो विलकुल मुक्त खोर है ।

जब दोनों (चाचा भतीजे) कुछ दूर चले आये, तब चाचा ने कहा -

अच्छा मोहन, तुमने मुझ से तरह तरह के काम देखे और यह समझा कि हम सब अपने मुख के लिए विनिमय-साध्य वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं या ऐसे कार्य करते हैं, जिनसे मुख प्राप्त होता है । अब मैं तुम्हें उस शास्त्र का नाम बताता हूँ जिसमें विनिमय-साध्य वस्तुओं का विवेचन किया जाता है ।

मोहन—पर यह तो बताइए कि अर्थशास्त्र का अध्ययन किस तरह किया जाता है। मेरा मतलब • • ।

चाचा—तुम्हारा मतलब शायद अर्थशास्त्र के विभागों से है। मुनो, तुमने कृषि प्रदर्शनी में तरह-तरह की खेती करने की मशीनें देखी थी। वे सब अनाज की उत्पत्ति में मदद करती हैं। अर्थशास्त्र के एक विभाग में वस्तुओं की उत्पत्ति पर विचार किया जाता है। इसके अन्तर्गत हलवाई का जलेबिया बनाना, मजदूरों का दूकान तैयार करना आदि, सभी कार्य, आ जाते हैं। अर्थशास्त्र के उपभोग विभाग में मनुष्य के खान पान, रहन सहन, आदि बातों पर विचार किया जाता है। तुमने जलेबिया खाई थी। नहा कर जब हम लौट रहे थे तो तुमने देखा था कि हलवाई की दूकान पर बैठे हुए कई लोग कचौड़ी और पूरी खा रहे थे। यह सब उपभोग के कार्य हैं। इन कार्यों का ही विवेचन उपभोग विभाग में किया जाता है।

पर जलेबी खाने के पहले पैसे देकर लोगो ने उन्हें मोल लिया होगा। मैंने उस कपडेवाले की दूकान से भाव ताव करके साठे तीन आने में अँगोछा मोल लिया था। और देखो, दोनों ओर दूकानों पर माघ मेला में यात्री तरह तरह की वस्तुएँ मोल ले रहे हैं। अर्थात् अपने रुपये पैसे का भिन्न भिन्न वस्तुओं से विनिमय कर रहे हैं। अतः अर्थशास्त्र का तीसरा विभाग विनिमय के नाम से पुकारा जाता है।

मोहन—मजदूर भी तो अपनी महनत का विनिमय मजदूरी से करता है।

चाचा—हाँ, है तो यह भी एक प्रकार का विनिमय ही। परन्तु मजदूरी पर विचार करना वितरण विभाग का काम है।

इकों का अड़्डा पौस आजाने के कारण मोहन के चाचा ने शहर जाने के लिए एक इक्का किया। फिर इक्के पर से दाँए हाथ के खेत मोहन को दिखाते हुए उन्होंने कहा—

देखो मोहन, ये दूरे भरे खेत हैं। इनको जोतने बानेवाला लगान देता है। गाँव में यह लगान जमींदार को दिया जाता है। लगान भी वितरण का एक अंग है। और तुम्हें याद है कि दूकानदार ने कहा था कि मुनाफे की कौड़ी नहीं आई। वह मुनाफा इसीलिए माँगता था कि वह मथुरा जैसी

जगह से उस अँगोछे को खरीदकर लाया था। इसके अलावा दूकान के प्रबन्ध में उसके जो पैसे खर्च होते हैं वे भी तो निकलने चाहिए। इस मुनाफे और प्रबन्ध के व्यय पर भी वितरण में ही विचार किया जाता है।

इसी समय सड़क ताली होने की वजह से पीछेवाला इक्का मोहन के इक्के की धरायरी करने के इरादे से आगे बढ़ आया। दोनों इक्के साथ-साथ दौड़ने लगे। दूसरे इक्के में बैठे एक सज्जन से मोहन के चाचा ने 'जैराम' कहा। तब उस सज्जन ने मोहन के चाचा से पूछा—कहिए, फिर आपके मित्र ने वहाँ से कर्ज लिया ?

चाचा—बानू कैलाशचन्द्र जी के वहाँ से दिला दिया था। उन्होंने आठ आने सैकड़ा सूद तै किया है।

तेज़ होने के कारण दूसरा इक्का मोहन के इक्के से आगे निकल गया। तब चाचा ने कहा—तुम्हें मालूम नहीं है कि जब कोई कर्ज लेता है तो कर्ज पर महाजन हर महीने जो रकम लेने का निश्चय करता है उसे सूद कहते हैं। उस दिन एक साहब ने कुछ रुपये उधार लिये हैं और यह तय किया है कि सौ रुपये पीछे आठ आने महीना सूद लिया जायगा। अतः सूद पूजी के ऊपर लिया जाता है। यह भी वितरण में आता है।

मोहन—तो वितरण में लगान, मजदूरी, सूद, मुनाफ़ा सभी पर विचार किया जाता है ?

चाचा—हाँ, वितरण के अलावा अर्थशास्त्र का एक और विभाग है जिसे राजस्व के नाम से पुकारते हैं। इसमें बताया जाता है कि सरकार किस प्रकार देश का खर्च चलाती और किस तरह अपनी आमदनी प्राप्त करती है। राजस्व को लेकर इस प्रकार अर्थशास्त्र के पाँच विभाग हो जाते हैं। अर्थात् उत्पात्ति, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व।

शहर पहुँचकर इक्का रुक गया। उसके पैसे चुकाकर चाचा-भतीजे घर चले। रास्ते में चाचा ने कहा—देखो, आज मैंने तुम्हें बातों ही-बातों में अर्थशास्त्र के बारे में इतना बता दिया। अब यदि तुम चाहोगे तो किसी अन्य मौके पर तुम्हें अर्थ या धन का मतलब तथा अर्थशास्त्र के विभागों के पारस्परिक सम्बन्धों को समझाऊँगा।

दूसरा अध्याय

'अर्थ' या धन क्या है ?

घर में माघ-मेले की बात हो रही थी। बात करनेवाले थे मोहन, उसकी माँ और चाची। चाची का कहना था कि इस बार माघ-मेला अच्छा नहीं है। मोहन कहता था—बाह चाची, इतना बड़ा मेला लगा हुआ है। तुमायश, तमारा, कपड़े और सिलौने की दूकानें, साधू-महात्मा सभी तो हैं। और क्या चाहिए ?

मोहन की मा चुन थी; क्योंकि वह कई साल बाद इस बार माघ नहाने आयी थी। चाची मोहन को समझाती हुई बोली—तू पारसाल तो आया नहीं था। नहीं तो तू भी कहता कि इस बार मेला आठ आने भर भी नहीं है।

इतने में मोहन के चाचा घर में आये। मोहन को चाची के उत्तर से सन्तोष नहीं हुआ था। उसने अपने चाचा से उस बात की पुष्टि कराने की सोची। पर बात ही-बात में उसे अर्थशास्त्र की याद आ गयी। तब उसने कहा—चाचा जी, उस दिन आपने अर्थशास्त्र के बारे में कुछ और बताने को कहा था।

चाचा—हाँ, हाँ। अच्छा बताओ उस दिन तुम 'अर्थ' के बारे में क्या समझे थे।

मोहन—अर्थ के मतलब आपने शायद धन के बताये थे। तब तो पर, गाड़ी, घोड़ा, सोना, चाँदी आदि सज्जी गयना धन के अन्तर्गत की जा सकती है।

चाचा—ठीक, हम लोग आमतौर पर धन से यही समझते हैं। अब हम

दो मनुष्यों की अमीरी का पता लगाना चाहते हैं तो इसी प्रकार की वस्तुओं की तुलना करके फैसला करते हैं। यह तुलना रूपों के लिए होती है और अन्त में हम कहते हैं कि अमुक मनुष्य लम्बन्ती या करोड़पति है। पर क्या तुम बता सकते हो कि इन वस्तुओं की गणना धन या सम्पत्ति में क्यों करते हैं ?

मोहन—शायद आपका मतलब यह है कि चूँकि हम इन वस्तुओं को अपने पास रखते हैं, इसलिए आखिरकार इनकी गिनती सम्पत्ति में होती है।

चाचा—ऐसा कहा तो जा सकता है। पर दर-असल सम्पत्ति के दो मुख्य गुण माने गये हैं। प्रथम यह कि सम्पत्ति द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। द्वितीय सम्पत्ति बहलानेवाली वस्तु विनिमय-साध्य होती है, अर्थात् उसने उदले में अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त हो सकती हैं।

मोहन—सब तो ईश्वरीय देन की वस्तुएँ—जैसे हवा, पानी, लोहा, कोयला आदि सम्पत्ति नहीं कही जा सकतीं। और चाचा जो आपने कहा कि सम्पत्ति आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। पर आवश्यकता पूर्ति करनेवाली वस्तुओं को हम उपयोगी तथा मुलदायी भी कहते हैं। मेरा मतलब यह है कि मुलदायी वस्तु उसी पदार्थ को कहते हैं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। चूँकि मित्रता, प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य आदि भी मुलदायी होते हैं। इस लिए ये भी सम्पत्ति हैं।

चाचा—तुम्हारा यह समझना ठीक नहीं है। पर इस बात को पूरी तौर पर समझाने के लिए मैं तुम्हें पहले वस्तुओं के बारे में ज्ञान कराऊँगा। बात यह है कि अर्थशास्त्री आवश्यकता पूर्ति करने के साधन को वस्तु के नाम से पुकारता है। इन वस्तुओं का कई प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है।

उदाहरणार्थ हम वस्तुओं को भौतिक तथा अभौतिक इन दो समूहों में विभाजित कर सकते हैं। भौतिक वस्तुएँ वे हैं जिनको हम देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं या जिनको तौलने पर वजन निकलता है—जैसे पानी, हवा, मिट्टी, गेहूँ, कपड़ा, गाय, बैल, रुपया-पैसा इत्यादि। अभौतिक वस्तुएँ वे हैं जिनको हम देख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, या जिनका वजन

नहीं होता। जैसे—स्वास्थ्य, प्रेम, ईमानदारी, किसी दूकान की प्रसिद्धि, पंडों की यजमानी इत्यादि।

हम वस्तुओं को बाह्य तथा आन्तरिक समूहों में भी बाँट सकते हैं। बाह्य वस्तुओं में उन पदार्थों की गणना की जाती है जो मनुष्य के भीतर नहीं हैं। उनका सम्बन्ध मनुष्य की भीतरी बातों से नहीं रहता। अतः लनिज-पदार्थ, वायु, प्रकाश, नदी, नाले, खेत, कारगाने, रेल, तार, भोजन, वस्त्र, पेटेन्ट दवाइयाँ, कापीराइट, डाक्टर, पुलिस आदि की सेवाएँ, दूकानों तथा कारखानों की 'प्रसिद्धि'—ये सब बाह्य वस्तुएँ कही जायेंगी।

मोहन—और आन्तरिक वस्तुएँ वे हैं जिनका मनुष्य की भीतरी बातों से सम्बन्ध है।

चाचा—हाँ, स्वास्थ्य, कला, ज्ञान, दया, आनन्द प्राप्त करने की शक्ति, किसी पेशे में प्रवीणता; इन सबको हम आन्तरिक वस्तु कहते हैं। अन्धा मोहन, तुमने वस्तुओं का दो प्रकार का वर्गीकरण जान लिया। एक तो भौतिक और अभौतिक, दूसरा बाह्य और आन्तरिक। अब इन दोनों को मिलाकर हम चार भागों में बाँट सकते हैं। क्या तुम बना सकते हो कि ये चार विभाग कौन कौन से हैं ?

मोहन—ठीक तो है। पहले वस्तुओं को भौतिक व अभौतिक समूह में बाँटा। फिर प्रत्येक को बाह्य और आन्तरिक समूह में बाँट दिया। इस तरह चार विभाग हो गये।

चाचा—पर क्या तुम भौतिक-आन्तरिक वस्तु का उदाहरण दे सकते हो ?

मोहन—हा-हा, जैसे प्रसिद्धि।

चाचा—ग़लत। प्रसिद्धि तो अभौतिक बाह्य वस्तु है। किसी दूकान की प्रसिद्धि से तुम्हारा मतलब दूकान के उस 'नाम' से रहता है जिसके कारण उस के मालिकों के न रहने पर भी तुम उसी दूकान से माला प्ररीदते हो। इस प्रसिद्धि को मनुष्य स्वयं उत्पन्न करता है। इसको तुम छू नहीं सकते और न इसका कुछ बचन ही हो सकता है। इसलिए यह अभौतिक है। फिर इसका सम्बन्ध मनुष्य की भीतरी बातों से तो रहता नहीं, वरन् यह तो

अच्छे प्रबन्ध, उत्तम माल के कारण, अन्य मनुष्यों की सहायता का फल है। अतः यह वाह्य कहलाएगी।

मोहन—तब प्रसिद्धि अमौक्तिक-वाह्य वस्तु है। पर भौतिक-आन्तरिक वस्तु का उदाहरण क्या होगा ?

चाचा—तुम मनुष्य के शरीर या मस्तिष्क को शायद भौतिक आन्तरिक वस्तु कह सकते हो। अन्यथा सभी भौतिक वस्तुएँ वाह्य होती हैं।

मोहन—क्यों चाचा, इन विभागों के अलावा भी और किसी रीति से वस्तुओं का विभाजन किया जाता है।

चाचा—एक और वर्गीकरण है जिसे जानना आवश्यक है। वस्तुओं को विनिमय साध्य और अविनिमय साध्य करके भी बाटा जा सकता है। वे वस्तुएँ विनिमय साध्य कही जाती हैं जो दूसरे को दी जा सकती हैं। नदी, नाले, सड़क, रेल, भोजन, वस्त्र, पेटेंट दवाइयाँ, कम्पनी के हिस्से, नौकरों तथा श्रमजीवियों की सेवाएँ सभी विनिमय-साध्य हैं। अर्थात् सभी दूसरों को दी जा सकती हैं। पर माघ मेले में तुम्हें जो ज्ञानन्द आया या वह अविनिमय-साध्य था। उसे तुम किसी दूसरे को नहीं दे सकते।

मोहन—तब किसी मनुष्य का स्वास्थ्य, किसी दूकान की प्रसिद्धि, किसी स्थान की जलवायु—ये भी अविनिमय साध्य होंगी।

चाचा—मनुष्य का स्वास्थ्य और जलवायु तो विनिमय साध्य नहीं हैं, परन्तु दूकान की प्रसिद्धि विनिमय-साध्य है। उसे दूकानदार किसी दूसरे आदमी को बेच सकता है। अथवा वताओ, वस्तुएँ कितने विभागों में बाँट सकती हैं।

मोहन—चार विभाग तो आपने अभी अभी बताये ही हैं। एक तो भौतिक-वाह्य, दूसरा भौतिक आन्तरिक, तीसरा अमौक्तिक-वाह्य और चौथा अमौक्तिक आन्तरिक। हर एक को विनिमय साध्य व अविनिमय साध्य भागों में बाँट दिया तो आठ भाग हो गये।

चाचा—ठीक है, परन्तु तुम्हें इस वर्गीकरण में एक बात का ध्यान रखना चाहिये। जो वस्तु आन्तरिक है वह चाहे भौतिक हो, चाहे अमौक्तिक, वह विनिमय साध्य नहीं हो सकती। आन्तरिक होने के कारण उसके बदले

में दूसरी वस्तु नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए संसार में भौतिक-आन्तरिक, विनिमय-साध्य और अभौतिक आन्तरिक-विनिमय साध्य वस्तुएँ ही नहीं सकतीं। ऊपर बताये हुए वर्गीकरण में केवल दो भाग ही ऐसे रह जाते हैं जो विनिमय साध्य हैं और जिनका विचार हमको करना चाहिये। अब मोहन, ज़रा यह बतलाओ कि वे दो वर्ग कौन से हैं ?

मोहन—मेरी समझ में वे वर्ग हैं भौतिक बाह्य-विनिमय साध्य तथा अभौतिक-बाह्य-विनिमय-साध्य।

चाचा—अच्छा, अब ज़रा अभौतिक बाह्य विनिमय साध्य वस्तुओं के उदाहरण दो।

मोहन—दूकान की प्रसिद्धि, यजमानी, कारीगरी।

चाचा—दो उदाहरण तो तुमने ठीक दिये। परन्तु कारीगरी का उदाहरण ग़लत दिया। कारीगरी तो बदले में दी ही नहीं जा सकती। हाँ, उस की सहायता से जो काम किया जाता है उसके बदले में पैसा अवश्य मिलता है। इसलिए सेवा विनिमय-साध्य वस्तु है न कि कारीगरी। दूसरी बात यह है कि कारीगरी अभौतिक अवश्य है, परन्तु वह आन्तरिक है, बाह्य नहीं। अब भौतिक-बाह्य विनिमय-साध्य वस्तुओं के उदाहरण दो।

मोहन—हवा, पानी, बरसात, नदी इत्यादि। ये वस्तुएँ प्रायः ऐसी हैं जो हमको प्रकृति से प्रचुर परिमाण में प्राप्त होती हैं, इसलिए ये उपयोगी होने पर भी विनिमय साध्य नहीं हैं।

चाचा—तुम्हारा कहना बिलकुल ठीक है। परन्तु कभी कभी ये अविनिमय-साध्य वस्तुएँ भी विशेष दशाओं में विनिमय साध्य हो जाती हैं। साधारणतः हवा और पानी इतनी अपरिमित मात्रा में पाये जाते हैं कि उनका विनिमय नहीं होता। पर रेगिस्तानों में पानी चिकता है। इसी प्रकार कोयले आदि की खानों में हवा परिमित परिमाण में रहती है। और तब इसको प्राप्त करने के लिए रुपया खर्च करना पड़ता है। उस दशा में वह विनिमय साध्य होती है। विनिमय साध्य वस्तुओं को ही, चाहे वे भौतिक हों या अभौतिक, हम धन या अर्थ कहते हैं। इसलिए इस विशेष दशा में हवा और पानी भी धन माना जा सकता है।

मोहन—क्या धन हमेशा मेहनत से ही प्राप्त होता है ?

चाचा—हां, बिना श्रम के धन प्राप्त नहीं हो सकता। किसी वस्तु का विनिमय-साध्य होने के लिए यह आवश्यक है कि उसको प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति ने श्रम अवश्य किया हो। हा, यह हो सकता है कि जिस मनुष्य के अधिकार में वह वस्तु हो, उसने स्वयं उसे प्राप्त करने के लिए श्रम न किया हो।

मोहन—क्यों चाचा, माघ-मेला जिस जगह लगा था वह जगह सरकारी धन या सम्पत्ति कही जाती है न ?

चाचा—हां, वह जगह सरकारी कही जाती है। दर-असल धन या सम्पत्ति को हम वैयक्तिक, सामाजिक व राष्ट्रीय भागों में भी बाँट सकते हैं।

वैयक्तिक सम्पत्ति में आनेवाली वस्तुएँ बाह्य होती हैं। कोई भी आदमी अपने धन का हिसाब लगाते समय आन्तरिक वस्तुओं को, जैसे—स्वास्थ्य, हुनर, आदि को, नहीं गिनता। और यह ठीक भा है। केवल बाह्य वस्तुएँ ही वैयक्तिक सम्पत्ति में आ सकती हैं।

मोहन—तब हुनर की गिनती कहाँ की जायगी ?

चाचा—इसकी गणना सामाजिक सम्पत्ति में की जायगी। तमाम वैयक्तिक सम्पत्ति भी सामाजिक सम्पत्ति के अंतर्गत आ जाती है। इसके अलावा नाना प्रकार के ऐसे मकान धाम-बगीचे जो किसी व्यक्ति के अधिकार में नहीं हैं, सामाजिक सम्पत्ति में आ सकते हैं।

पर सामाजिक सम्पत्ति इतना महत्व नहीं रखती, जितना राष्ट्रीय सम्पत्ति। तुम देखते हो कि सरकार ने एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए सड़कें बनवा दी हैं। जगह-जगह नदियों पर पुल बने हुए हैं। इन सब के बनाने में करोड़ों रुपये खर्च हो गये हैं। इन्हें तुम तो सम्पत्ति मानते हो, पर कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि यह मेरी सम्पत्ति है। केवल सरकार या राष्ट्र ही उसे अपनी बता सकता है। इसी प्रकार सार्वजनिक स्कूल, अस्पताल, अजायबघर, डाक, तार, रेल, नदी, नहर आदि सभी राष्ट्रीय सम्पत्ति कहलाते हैं।

मोहन—कोई मनुष्य अपनी सम्पत्ति का व्यौरा तो आतानी से बना लेता है, पर राष्ट्र की सम्पत्ति का व्यौरा बनाना बड़ा कठिन होता होगा।

चाचा—हां, मान लो, तुम्हें अपने भारत की राष्ट्रीय सम्पत्ति निकालना है। ऐसी दशा में पहले तुम वैयक्तिक तथा सामाजिक सम्पत्ति की गणना करोगे। उसके बाद भारत सरकार की सम्पत्ति की, प्रान्तीय सरकारों की, डिस्ट्रिक्ट तथा म्युनिसिपल बोर्डों की। यहाँ तक कि ग्राम पंचायतों की सम्पत्ति की भी गणना करनी होगी। प्रान्तीय सरकार की सम्पत्ति में सड़कें और नदियों के पुल आदि आ जायेंगे, इनमें प्रान्तीय सरकार की इमारतों की गणना आदि भी हो जायगी। म्युनिसिपैलिटियों की सम्पत्ति में उनके लैम्प, नाले, पाइप, आदि की गिनती हो जायगी। लोकल व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल तथा दवाखाने आदि भी नहीं छूटेंगे। ग्राम पंचायतों के कुएँ, तालाब आदि के अलावा अन्य सस्थाओं—जैसे औपधालय मन्दिर, मसजिद, सर्वसाधारण के स्कूल आदि की सम्पत्ति भी गिनी जायगी।

मोहन—सब शामिल ही-शामिल करना है या कुछ निकालना भी ?

चाचा—नहीं, इसमें से वह रकम घटा देनी पड़ेगी जो, भारतवर्ष में, अन्य देशों की लगी हुई है। अर्थात् जो दूसरों को देनी है।

मोहन—दूसरे देशों की सम्पत्ति यहाँ कैसे आयी ?

चाचा—दूसरे देश के बड़े बड़े पूँजीपतियों ने आकर अपने धन से यहाँ कारखाने पैदा रखा है। फिर विदेशियों ने तुम्हारे यहाँ चलनेवाली कम्पनियों के हिस्से मरीद रखे हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों की सम्पत्ति यहाँ आ गयी है।

मोहन—तब यहाँ की भी सम्पत्ति दूसरे देशों में लगी होगी। उसे भी जोड़ना पड़ेगा।

चाचा—और क्या।

मोहन—पर इसी प्रकार क्या अन्तर्राष्ट्रीय सम्पत्ति नहीं हो सकती ? मेरी उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि मैं सक्षम होकर, जिस पर कोई राष्ट्र अपना अधिकार नहीं बतला सकता। इन्हें यदि अन्तर्राष्ट्रीय कहा जाय तो क्या बुराई है ?

चाचा—बुराई तो कोई नहीं है, पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्पत्ति में क्या चीज नहीं आ जायगी ? इस पृथ्वी तथा इसके सब विनिमय साध्य पदार्थों की गणना

अन्तर्राष्ट्रीय सम्पत्ति में करनी पड़ेगी। अच्छा, अब यह तो बताओ कि सम्पत्ति के बारे में तुम क्या जान गये ?

मोहन— सम्पत्ति में वे वस्तुएँ गिनी जाती हैं जो मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और जो विनिमय साध्य होती हैं। सम्पत्ति वैयक्तिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय—तीन प्रकार की होती है। वैयक्तिक सम्पत्ति में आन्तरिक पदार्थों की गिनती नहीं की जाती है।

चाचा— ठीक है। तुम यह तो समझ गये कि धन या सम्पत्ति किसे कहते हैं। अब मैं तुम्हें अर्थशास्त्र के भागों का पारस्परिक सम्बन्ध फिर कभी बतलाऊँगा।

तब मोहन कहने लगा—लेकिन मैं कहाँ था और कहाँ आ पहुँचा। मूल बात तो रह ही गयी। चाची का कहना है कि इस बार माघ मेला अच्छा नहीं है। पर मैं तो कोई खास कमी नहीं पाता। क्या पारसाल इससे भी बड़ा मला लगा था ?

चाचा ने कहा—उसका कहना ठीक है। पारसाल का मेला कुम्भ का था। उसका माहात्म्य साधारण मेलों से बहुत अधिक है। इसीलिए वह बारह वर्ष में पन्ता है। एक बार जो लोग यहाँ मिल जाते हैं, वे प्रायः बात करते हुए कहा करते हैं कि बड़े भाग्य होंगे, अगर हम लोग, अगले कुम्भ के मेले में भी, इसी तरह यहाँ इकट्ठे होकर स्नान करने का पुण्य लूँगे।

तब मोहन मन ही-मन सोचने लगा—ये लोग ठीक ही कहते हैं। बारह वर्षों में दुनियाँ कितनी बदल जाती होगी !



तीसरा अध्याय

अर्थशास्त्र के विभाग और उनका पारस्परिक सम्बन्ध

“चाची, भूख लगी है। अभी तक तुमने खाना नहीं तैयार किया।” घर में घुसते ही मोहन ने अपनी चाची से कहा।

“भूख लगी है ? भोजन करेगा ? अभी ले” कहकर चाची ने तेजी से बटलौई चूल्हे पर रक्खी। इसी समय मोहन के चाचा ने भी प्रवेश किया। मोहन का मुख, चौके की हालत तथा समय ने तुरन्त बता दिया कि इस समय लडके को भूख सता रही है। कुछ सोचकर वे बोले—क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी भूख की वृष्टि के लिए किसी किसान ने खेती की होगी ?

मोहन—मेरी भूख के लिए किसान ने खेती की होगी ? क्यों ? किसान खेती करता है, क्योंकि उसे अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है।

चाचा—पर वह सारी उपज स्वयं नहीं रख लेता। उसमें से कुछ भाग तो उसे कुम्हार धोत्री, मजदूर आदि को दे देना पड़ता है, जिन्होंने उते तरह तरह से मदद की थी। शेष उपज से थोड़ा सा घर के इर्च के लिए रख लिया जाता है। बाँकी भाग को व्यापारी के हाथ बेच देते हैं।

मोहन—बेचें न तो चर्मादार का लगान चुकाने के लिए क्या कहाँ से आये।

चाचा—महाजून का सूद भी तो देना रहता है। फिर उसे पास के शहर से या पास में लगनेवाले मेले से क्या बगैरह इरीदना रहता है।

मोहन—पर किसान अपनी उत्पत्ति करता है अपने उपभोग के लिये ही।

यह दूसरी बात है कि वह उपज का कुछ हिस्सा वितरण कर देता है और कुछ को बँच देता है, ताकि वह कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएँ भी खरीद सके और लगान तथा सूद आदि दे सके ।

चाचा—और मुनो, अर्थशास्त्र के ऐसे ही मामूली पाँच भाग किये गये हैं ।

मोहन—कौन से ?

चाचा—उपभोग, उत्पात्ति, विनिमय, वितरण और राजस्व ।

मोहन ने एक बार स्वयं भी पाँचों भागों के नाम दोहराये । फिर वह बोला कि और तो सब मेरी समझ में आते हैं, पर राजस्व क्या बला है यह मैं नहीं समझ सका ।

चाचा—अभी बताता हूँ । पर पहले मैं यह तो जान लूँ कि राक़ी चार से तुम क्या समझे । अच्छा बोला, उपभोग कब होता है ?

मोहन—जब हम कोई वस्तु खाते या खर्च करते हैं तब उस वस्तु का उपभोग करते हैं । देखिए, चूल्हे में लकड़ी जल रही है । उसका उपभोग ही तो हो रहा है । और मैं अभी खाना खाऊँगा ।

चाचा—तुम्हारा मतलब यह है कि किसी प्रकार किसी वस्तु के रूप में रहो-रदल हो या कोई वस्तु नष्ट हो, तो उसे उपभोग कहेंगे ।

मोहन—मैं तो यही समझता हूँ ।

चाचा—तब तुम आजकल के कुछ अफ़लानूनों से क्रम नहीं होंगे । तुम्हारी चाचा पूरी का चाहे सेककर तुम्हें खिला दे और चाहे उसे चूल्हे में भोंक दे, तुम्हारे विचारों को मान लेने से दोनों कार्य उपभोग ही कहे जायेंगे ।

मोहन—और क्या, दोनों दशाओं में पूरी खर्च हो जायगी । फिर उससे मोड़ भी नाम हम नहीं उठा सकते । अब इससे क्या कि वह चूल्हे के पेट में गई या मेरे । (चाची से) ओ चाची ! जरा जल्दी कर, तू तो बहुत धीरे-धीरे काम कर रही है ।

चाची—अभी तैयार कर रही हूँ वेटा । अभी तैयार की ।

चाचा—पर अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं सोचा जाता । उपभोग के लिए एक शर्त लगा दी गई है । यह यह कि उपभोग की हुई वस्तु से किसी व्यक्ति को

तृप्ति या सन्तुष्टि प्राप्त होनी चाहिए । जब तुम पूरी खाते हो, तब तुम्हारी भूख मिटती है और तुम्हें तृप्ति होती है । पर उसे आग में जला देने से तो ऐसा नही होता ।

अब तक चाची ने अग्नि के लिए टिकिया तैयार कर ली थी । वह उसके टुकड़े करके अग्नि में डाल रही थी । उसी समय उसने पुकारा—चलो मोहन ।

मोहन ने ज्यों ही उसे अग्नि में पूरी के टुकड़े डालते देखा, त्यों ही उसने चाचा से कहा —

देरिये, देरिये । अब इस तरह पूरी जलाने से चाची को सन्तोष होता है कि नहीं ? अगर नहीं होता है तो उसे वह चूल्हे में क्यों जला रही है ?

चाचा—वह तो पूजा कर रही है । और फिर मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि अर्थशास्त्री उपभोग का क्या अर्थ लगाने हैं । उनसे अनुसार तुम्हारी टिकिया का वह चूल्हे को लकड़ी का जलना ये सब उपभोग के नाम से नही पुकारे जा सकते ।

कारखानों में इतना कोयला पानी खच जाता है । मशीन धीरे-धीरे घिस जाती हैं । तुम इसको भी उपभोग कह दोगे । पर अर्थशास्त्र में इसे उपभोग नहीं कहते । इससे वस्तु तैयार होती है । उनसे अतः मनुष्यों की तृप्ति अवश्य होगी । पर कोयले के जलने और मशीनों के घिसने से किसी व्यक्ति को तुरन्त सन्तुष्टि नहीं होती । यह तो उत्पत्ति का कार्य है ।

मोहन—अच्छा चाचा जी, मैं ही गलत होऊँगा । अब मुझे यह बतलाइये कि उपभोग विभाग में किन बातों पर विचार किया जाता है । यही न कि हम कैसे खाते पीते हैं ?

चाचा—हाँ, यह बताया जाता है कि किस प्रकार अथवा क्यों, मनुष्य किसी पदार्थ की कोई मात्रा खाता है ? उसका विभिन्न पदार्थों के उपभोग से उसे व उसने देश को हानि पहुँचती है या लाभ ? जैसे तुम जानते हो कि तुम्हारे गाँव में ताड़ी अधिक पी जाती है । इससे पीनेवाले का स्वास्थ्य तो बुराव होता ही है, पर देश को भी तो हानि पहुँचती है ।

इसने साथ ही इस बात पर भी विचार किया जाता है कि पारिवारिक आय-व्यय कैसे होता है और कैसे खाना चाहिए, और यह कि किस प्रकार

हम अपने रहन सहन का दर्जा ऊँचा कर सकते हैं—कहाँ तक इसे ऊँचा नीचा होना चाहिए, इत्यादि ।

इतने में चाँके से चाची फिर बोली—अभी तो भूख सता रही थी । अब वह भाग गई क्या ?

मोहन—आया चाची । राजस्व के बारे में और जान लूँ ।

चाचा—जाओ, खाना खाओ, फिर तुम मुझसे यह बताओ कि उत्पत्ति विनिमय व वितरण से तुम क्या समझत हो । तब मैं तुम्हें राजस्व के बारे में बताऊँगा ।

खाना खाकर मोहन ने चाचा को जा घेरा ।

मोहन—बताऊँ चाचा, उत्पत्ति के क्या मतलब होत हैं ?

चाचा—हाँ, बताओ ।

मोहन—किसी वस्तु को उगाने, बनाने, तैयार करने या अधिक उपयोगी करने को ही उत्पत्ति कहत हैं ।

चाचा—पर क्या सचमुच तुम किसी वस्तु को उत्पन्न करत हो ? प्रत्येक वस्तु तो स्वयं ही हानर रहती है । माच-भेले में हलवाई व पास आटा, घी, कडाही, बेलन, लकड़ी सब तो थी । उसने बनाई तो कोई चीज नहीं । उसने कचौड़ी तैयार करने व लिए इनमें से कुछ की सहायता ली और कुछ को स्वर्च किया । वस, कचौड़ियाँ तैयार हो गईं । भला आज तक क्या किसी ने सचधा नया पदार्थ बनाया है ? न तो पदार्थ ही बनाया जा सकता है और न किसी पदार्थ का नाश ही किया जा सकता है । चूल्हे में जो लकड़ी जलती है क्या वह नाश होती है ?

मोहन—क्यों नहीं, केवल यह बात है कि उसके जल जाने पर थोड़ी सी राख रह जाती है । नाश नहीं होती तो क्या होती है ? कहाँ पसेरी भर की लकड़ी और कहाँ एक मुट्ठी राख, जो मुश्किल स पाव भर होगा । आपही बताइये कि बाक्री पौने पाँच सेर का वजन कहाँ चला जाता है ?

चाचा—गैस बन कर हवा में मल जाता है ।

इतने में बाहर से किसी ने पुकारा ।

“बाबू जी, बाबू जी ।”

मोहन बाहर गया। थोड़ी देर में वह हाथ में एक छोटा सा कोट लेकर अन्दर आया। इस कोट को चाची ने मोहन के डेढ साल के भाई के लिए बनवाया था। कोट को देखकर मोहन के चाचा कहने लगे—देखो हम कहते हैं कि इस कोट को दत्ता ने बनाया। पर दत्ता ने कोई नयी चीज नहीं पैदा की। उसे जो कपड़ा दिया गया था उसी को काट छांट कर, इधर उधर जोड़कर उसने उसे कोट का रूप दे दिया। इसी प्रकार जिस मशीन में यह कपड़ा बुना गया था वहाँ भी सूत पहले से ही तैयार था। सूत रुई से काता गया रुई कपास को ओटने से मिली।

मोहन—पर कपास तो किसान ने पैदा की। यह तो नयी चीज यनी।

चाचा—नहीं नहीं। किसान ने भी विनौले, ताद पानी का उपयोग किया और वायु, उसके भ्रम आदि की सहायता से विनौलों ने कपास का रूप धारण किया।

मोहन—तब फिर कोई व्यक्ति उत्पत्ति नहीं कर सकता। फिर अर्थशास्त्र में उत्पत्ति के अध्ययन की क्या आवश्यकता है ?

चाचा—अर्थशास्त्र में उत्पत्ति का यह मतलब तो नहीं लगाया जाता। वहाँ उत्पत्ति की परिभाषा कुछ और ही है। मैंने इस कोट के बारे में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति ने कोई वस्तु उठाई और उसमें रूप को बदल दिया। उनके उन कामों के कारण धीरे धीरे कपास और काम की होती गयी। यहाँ तक कि अब इस कोट को तुम्हारा भाई पहन सकता है। यदि इसकी जगह इतनी ही कपास रख दी जाय तो वह तुम्हारे भाई तथा दत्ता किसी के काम की वस्तु न होगी। कहने का मतलब यह कि प्रत्येक व्यक्ति ने कपास को क्रमशः अधिक उपयोगी बनाया। किसान ने विनौलों को, कपास ओटनेवाले ने कपास को, कातनेवाली मशीन ने रुई को, धुनाई ने सूत को और दत्ता ने कपड़े को अधिक उपयोगिता दे दी। आर्थिक दृष्टि से कपास, रुई, सूत तथा कपड़े का मूल्य बढ़ता गया। यही उपयोगिता या मूल्य-वृद्धि अर्थशास्त्र में 'धनोत्पत्ति' के नाम से पुकारी जाती है।

मोहन—समझ गया। पर यह तो बताइए कि यह उपयोगिता वृद्धि कैसे और किन लोगों की मदद से की जाती है।

चाचा—यह तो मैं फिर तुम्हें कभी बताऊँगा। हा, यह समझने में कोई हर्ज नहीं है कि उत्पत्ति में पाँच साधनों से सहायता लेनी पड़ती है—भूमि, श्रम, पूँजी, व्यवस्था और साहस। मोटे तौर पर इस कोट के तैयार करने में किसान को भूमि का उपयोग करना पना होगा। उसने तथा अन्य सभी लोगों ने परिश्रम भी किया था। कोट के तैयार करने और खासकर मिल में कपड़े तैयार करने के लिए मिल मालिक को पूँजी लगानी पनी होगी। फिर पड़े लिखे मैनेजरों ने मिल की व्यवस्था की होगी। और मिल-मालिक, श्रोत्रनेवाला व किसान सभी ने साहस से काम लिया होगा। किसान ने सोचा होगा कि कपास पैदा होने व श्रोत्र लिए जाने पर मिल मालिक उसे मोल लेगा। मान लो, मिल मालिक उसकी कपास मोल न लेता। तब किसान का सारा श्रम बेकार जाता न? अतः किसान ने साहस किया। मिलवाले ने भी साहस करके यह सोचा कि बानार में कपड़ा अवश्य विक्रि जायगा।

मोहन—पर क्या भूमि के अन्तर्गत खेत ही लिए जाते हैं ?

चाचा—नहीं भूमि में यह विचार किया जाता है कि देश की प्राकृतिक शक्ति कितनी है। जलवायु, वर्षा, पहाड़, जंगल, नदी-नाले और खान, सभी भूमि हैं। और अर्थशास्त्री इस बात का विवेचन करता है कि ये उत्पत्ति में काम में कहीं तक लाये जा सकते अथवा लाये जा रहे हैं।

✓ इसी प्रकार श्रम के सम्यन्ध में देश की जन-संख्या, उसके काम करने की शक्ति अर्थात् कार्यक्षमता, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कुशलता के ऊपर देश की धार्मिक सामाजिक, राजनीतिक आदि स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी बातों पर विचार किया जाता है। पूँजी में रुपया पैसा मशीन, औजार, मिल की इमारत, हल तथा बैल सभी शामिल रहते हैं और अर्थशास्त्री बताता है कि किस प्रकार पूँजी की वृद्धि की जाय।

मोहन—साहस तो आपने बताया ही है। व्यवस्था में मैनेजर यह बताते होंगे कि किस प्रकार काम किया जाय। मशीन से काम लें या मजदूरों से।

चाचा—ठीक, व्यवस्थापक बताता है कि किस प्रकार भूमि, श्रम व पूँजी

की कार्य-क्षमता बढ़ाई जा सकती है। अच्छा अब तुम बताओ कि विनिमय से तुम क्या समझने थे ?

मोहन—चीन्नों की इरीद-फरोख्त को ही विनिमय कहा जाता है। बहुत होता होगा, विनिमय में इस बात पर विचार किया जाता होगा कि लोग किस प्रकार इरीद-फरोख्त करते हैं अथवा वस्तुओं का मूल्य किस प्रकार तै होता है।

चाचा—सुम्हारा सोचना बहुत कुछ ठीक है। पर विनिमय के असली माने हैं किसी वस्तु को देकर दूसरी वस्तु ले लेना। पहले जमाने में रुपया-पैसा कम था। तब लोग ऐसा ही करते थे।

मोहन—ऐसा विनिमय तो अब भी मेरे गाँव में होता है। धोबी को अनाज देकर कपड़े धुलाते हैं। किसान अक्सर गेहूँ चना देकर बड़ई से हल बनवा लेते हैं। मजदूरों को भी अधिकतर अनाज के रूप में ही मजदूरी दी जाती है।

चाचा—पर ऐसे विनिमय में सुभीता नहीं होता। मान लो, तुम्हें अपना बैल निकालकर बकरियाँ मोल लेनी हैं। अब यह तभी हो सकता है कि कोई बकरी बेचनेवाला बैल को लेने को तैयार हो। इसीलिए आजकल रुपया-पैसा चल गया है। रुपये पैसे को अर्थशास्त्र में मुद्रा कहते हैं। मुद्रा सरकार द्वारा बनाई जाती है। बैंक मुद्रा का कारोबार करती हैं। मुद्रा के सम्बन्ध में अर्थशास्त्री यह विचार करता है कि यह कैसी और नितनी होनी चाहिए; किसी देश की मुद्रा का विदेश की मुद्राओं से किस प्रकार अदल बदल होना चाहिये; कागज़ी नोट चलाने चाहिए या नहीं और यह कि उनके चलाने में क्या-क्या होशियारी रखनी चाहिए। साथ ही साथ विनिमय में यह भी बताया जाता है कि किस तरह किसी वस्तु का मूल्य उसकी माँग और पूर्ति पर निर्भर रहता है। विनिमय में ही देशी व विदेशी व्यापारों पर भी यह विचार किया जाता है कि किन वस्तुओं का कितना व्यापार होता है, उसमें क्या-क्या बाधाएँ आ सकती हैं, उनको किस प्रकार दूर किया जाय। ये सभी बातें व्यापार में आ जाती हैं। अच्छा, अब बचा वितरण। बताओ इसमें क्या होता है ?

मोहन—इसे आपही बताएँ। मैं इसे भी ठीक नहीं समझता।

चाचा—तुमने तो केवल राजस्व के धारे में मुझसे कहा था। बहुत नहीं

कुछ तो वितरण के बारे में बताओ ।

मोहन—मेरी समझ में जिस प्रकार किसान अपनी उपज का बहुत-सा भाग धर्मीदार, महाजन, घोरी, तथा मजदूर आदि को दे देता है उसी के सम्बन्ध में कुछ विचार करना वितरण का अध्ययन करना कहलाता होगा ।

चाचा—ठीक तो है । मैंने तुम्हें बताया है कि उत्पत्ति कार्य में पाँच साधनों का उपयोग किया जाता है ।

मोहन—जी हाँ, भूमि, श्रम, पूँजी, व्यवस्था और साहस ।

चाचा—तो इन पाँचों के मालिकों को अपने काम के लिए कुछ मिलना चाहिए । भूमि के मालिक को जो हिस्सा मिलता है उसे लगान कहते हैं । मजदूर मजदूरी लेता है, पूँजीपतियों को छूट मिलता है और व्यवस्थापक को प्रबन्ध की तनफ़्ताह । साहस का प्रतिफल मुनाफ़ा कहलाता है ।

मोहन—तब खेती करनेवाला किसान मजदूरी पाता है ।

चाचा—किसान को मजदूरी, व्यवस्था की तनफ़्ताह, साहस का प्रतिफल मुनाफ़ा सभी कुछ मिलता है । तब यह है कि यह जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को एक ही साधन का प्रतिफल मिले । हो सकता है कि वह कई साधनों का मालिक हो । गाँव का बड़ाई अपने ही औजारों से लकड़ी छील व गढ़कर जो वस्तुएँ बनाता है उसमें वही श्रम, व्यवस्था, पूँजी व साहस का मालिक है । अतएव मजदूरी, छूट तथा मुनाफ़ा सब उसी को मिल जाता है ।

मोहन—पर क्या यह नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति को एक साधन का पूरा प्रतिफल न मिले ?

चाचा—हा हा, हो सकता है कि पूरा प्रतिफल कई व्यक्तियों को मिले । देखो न, मिलों में एक मजदूर तो काम करता नहीं । बहुत से मजदूरों को मिलाकर श्रम का प्रतिफल मिलता है ।

मोहन—तो मिलों में जितना माल तैयार होकर बिकता है उससे आने वाली सारी रकम इन्हीं पाँच साधनों में बंट जाती है ।

चाचा—यदि ऐसा होने लगे, तो कुछ दिनों में मिल-मालिक को पाटा हो जाय । देखो, मिलों में अनेक प्रकार की मशीनें रहती हैं । चलने से वे पिस्तती हैं । बीस-भचीस साल में इन्हें निकालकर नई मशीनें लगानी पड़ती

है। इन नई मशीनों का दाम कहाँ से आवे ? मान लो, तुम कोई मशीन किसी पूँजीपति से भाँग ले आवे। तुम पूँजीपति को इतने बदले दूँ दोगे। पर इसके यह मतलब नहीं कि तुम मशीन को तोड़ फोड़ सकते हो। यदि तुम ऐसा करोगे तो पूँजीपति तुम से मशीन का दाम भी वसूल करेगा। इसी तरह मिल की मशीनों व इमारतों में साल दर साल घिसावट व मरम्मत के कारण जो हानि होती है वह विक्री द्वारा आई रकम में से ही निकाली जाती है। इसके बाद जो रकम बच जाती है उसका पाँचों साधनों में बटवारा कर दिया जाता है।

मोहन—समझ गया, वितरण में यह विचार किया जाता होगा कि इन साधनों में से प्रत्येक को कितना मिले। कहीं किसी साधन के मालिक को अधिक भाग तो नहीं मिल रहा है।

चाचा—ठीक। साथ ही यह भी ख्याल रखना पड़ता है कि देश के अन्दर धन का विषम वितरण न होने पाये, वरना जिन्हें कम हिस्सा मिलेगा उनकी हालत बिगड़ने का डर रहेगा। हो सकता है कि वे भगडा पसाद आरम्भ कर दें। इससे देश को हानि ही पहुँचेगी।

अच्छा, अब मैं तुम्हें राज्य के बारे में बताता हूँ। अब तक मैंने तुम्हें उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय, वितरण आदि के सम्बन्ध में बताया है। पर यह सब कार्य तभी चल सकते हैं जब देश में शान्ति हो। यह काम सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। पर सरकार को अपना काम चलाने के लिए द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है। इसे जनता से ही लिया जाता है।

मोहन—पर द्रव्य तो सरकार जितना चाहे उतना बना सकती है। जनता से लेने की क्या जरूरत ?

चाचा—द्रव्य बनाने में भी इर्ष्य पड़ता है। द्रव्य कौन बनावे ? भारत सरकार का काम अधिकतर भारतीय ही तो करते हैं। इन काम करने वालों को क्या पड़ी है कि वे खानों को तोड़ खोदकर धातु निकालें और उससे मुद्रा की दलाई करें। फिर सरकार से सभी को अपने अपने कामों में सहायता मिलती है। अतएव सभी को सरकारी काम में कुछ-न-कुछ हिस्सा बँटाना चाहिए। हिस्सा बँटाने का सबसे सरल टग यही है कि प्रजा से

टैक्स के रूप में आयका कुछ भाग ले लिया जाय। सरकार के आय और खर्च का विवेचन राजस्व के अन्तर्गत किया जाता है। अर्थशास्त्री यह विचार करते हैं कि केन्द्रीय या सूबे की सरकारों अथवा म्युनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड वगैरह किस किस तरह के टैक्सों द्वारा आय प्राप्त करते हैं तथा वह आय कैसे खर्च की जाती है। यह भी विचार किया जाता है कि इनसे जनता की भलाई होती है या नहीं और होती है तो कितनी।

पर यह तो बताओ मोहन, क्या तुम इन पाचों भागों को एक दूसरे से स्वतन्त्र समझते हो ?

मोहन—स्वतन्त्र तो नहीं समझता। जैसे उपभोग के लिए ही उत्पत्ति की जाती है। उपभोग में आसानी हो, इसीलिए लोग वस्तुओं की खरीद प्रोत्त करते हैं। विनिमय के कारण ही मुद्रा के माध्यम का लाभ उठाकर वितरण भली भाँति हो जाता है। नहीं तो बड़ी मुश्किल पड़े। यदि कहीं किसी खान से कोयला निकाला जाता हो तो साधनों के प्रत्येक मालिक को मुद्रा के अभाव में कोयला ही मिले। और यदि सरकार न हो तो ये सब काम बन्द हो जाँय। अतः राजस्व विभाग अनिवार्य है।

चाचा—शाबाश ! मोहन तुम बड़े होशियार लड़के हो। पर तुमने यह नहीं बताया कि राजस्व भी उत्पत्ति आदि कार्यों पर निर्भर है या नहीं।

मोहन—क्यों नहीं, यदि उत्पत्ति न हो तो सरकार क्या लेगी। इसी प्रकार मुद्रा के अभाव में वितरण के भागी अगर कोयला पायेंगे तो सरकार को टैक्स में कोयला ही दे देंगे। इससे सरकार के कार्य में बड़ी बाधा पड़ जायगी।

चाचा—इसी तरह तुम कह सकते हो कि उत्पत्ति नहीं तो वितरण या विनिमय और वितरण के अभाव में उपभोग में भी बड़ी अड़चन पड़े। इसी तरह पाचों विभागों में पारस्परिक सम्बन्ध बताया जा सकता है।

मोहन—जी, हाँ।

चाचा—आज मैंने तुम्हें अर्थशास्त्र के विभागों तथा उनके पारस्परिक सम्बन्ध का ज्ञान करा दिया। अब किसी दिन मैं तुम्हें अर्थशास्त्र का अन्य विद्याओं से सम्बन्ध या उसके महत्त्व के बारे में कुछ बातें बताऊँगा।



चौथा अध्याय

अर्थशास्त्र का महत्व

“चलो माई, कौन-कौन पैसा लेगा ?” मोहन के चाचा पूरा कह भी नहीं पाये थे कि श्याम, सोहन तथा ललिता तीनों उनकी ओर दौड़ पड़े।

“पहले हम, पहले हम” श्याम दौड़ता हुआ चिल्लाया।

“नहीं चाचा, पहले हमकी” सोहन बोला। ललिता भी बोल उठी।

“बाबू, मेरी गुड़िया भूखी है। हमें पहले पैसा दो।”

“नहीं, पहले सोहन को पैसा देना चाहिए, वह इतनी दूर से माघ नहाने आया है”—कहते हुए मोहन के चाचा ने सोहन को एक पैसा दिया। इसके बाद अपने दोनों बच्चों को भी एक एक पैसा दिया। इतने में ललिता का पैसा गिर पड़ा। उसे सोहन ने दौड़कर उठा लिया।

“एँ, हमारा पैसा, हमारा पैसा।”

“तुम्हारा कहाँ से आया ? हमने तो ज़मीन में पड़ा पाया।” सोहन ने इतराकर जवाब दिया।

“हाँ, अभी बाबू ने मुझे दिया था।” कहकर ललिता सोहन से पैसा छीनने लगी। जब सफल न हुई तो रोने लगी। तब मोहन के चाचा ने कहा—रोती क्यों है ? मिल जाता है पैसा। सोहन तो हँसी कर रहा है। दे दो बेटा इसका पैसा। यह हमेशा ही रोती है। अभी घर को सिर पर उठा लेगी।

“सो अपना पैसा” कहते हुए सोहन ने पैसे को ज़मीन पर फेंक दिया और फिर “रोनी है, रोनी है” कहकर हँसता कूदता घर के बाहर निकल गया।

जाते-जाते उसने अपने भाई मोहन की आवाज सुनी। वह कह रहा था—
क्यों सोहन ? तुम दिन पर दिन ऊधमी होते जाते हो।

मोहन ने सीढी से उतरते हुए यह कहा था।

इसपर उसके चाचा बोले—सभी बच्चे ऐसे होते हैं। तू भी जब छोटा था तो ऐसा ही करता था। यह सब पैसे की माया है। पैसे को लडके भी पहचानते हैं। पैसे के लिए सब मरते हैं। जरा बाजार में जाकर चार पैसे हवा में छुटा दो। फिर देखो कितने लोग उसे लूटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। धकम धका, मारपीट, गाली-गलौज सब हो जायगा।

मोहन—जी हाँ, धन न हो तो सब सक्कट मिट जाय। धन के लिए ही बड़ी-बड़ी लडाइयाँ होती हैं। देखिये न, दारा, सिक्न्दर, शकों और तुकों ने हजारों मील चलकर भारत पर चढाई की, तो धन के लिए। महमूद ने अठारह बार आक्रमण किये तो धन के लिए, अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में योरोप में सग्राम हुए तो धन के लिए। इंग्लैंड और जर्मनी में जो आजकल खटपट है वह भी धन के लिए। भारत को अंग्रजों ने दना रक्खा है तो धन के लिए। पिता पुत्र, राजा-मन्त्री, बन्धु और सम्बन्धी एक दूसरे से लड़ते, झगड़ते, मिलते और अलग होते हैं तो धन के लिए। सचमुच यदि धन न हो तो दुनियाँ से दुःख, लडाइ तथा पराधीनता सब दूर हो जाय।

चाचा—पर धन तो तभी दूर होगा जिस दिन प्रलय होगी। धन इतनी हानि नहीं पहुँचाता जितनी धन पाने की लालसा। धन या अर्थ का महत्व सब लोग समझते हैं। देखो न, बच्चे भी पैसे के लिए दौड़ पड़े और आपस में लड़ने लगे।

मोहन—ठीक, याद लोग पैसे की इच्छा दूर कर दें तो सुख और शान्ति स्थापित हो जाय।

चाचा—नहीं, यह भी कहना ठीक नहीं। धन की इच्छा करना बुरा नहीं है। अर्थ की आवश्यकता सब को रखनी चाहिए और रखते ही हैं। पर वे उसके शास्त्र को नहीं जानते। अर्थ का महत्व सब पहचानते हैं, पर अर्थ शास्त्र का महत्व बहुत कम लोग जानते हैं। महत्व से अनभिज्ञ होने के कारण वे उसका ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते। और अर्थशास्त्र के ज्ञान

बिना देश धनवान नहीं हो सकता ।

मोहन—मैंने सुना है, थोड़े वषों से ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है ।
उसके पहले लोगों को पैसा कहाँ से मिलता था ?

चाचा—क्या कहा ? थोड़े वषों से ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है ?
यह तुम्हें कैसे मालूम ? अभी कुछ दिनों से तो मैंने तुम्हें इसके बारे में मामूली
बातें बताई हैं । यह तो मैंने अभी तुम्हें बताया ही नहीं कि अर्थशास्त्र की
बिधा कितनी पुरानी है ।

मोहन—क्या बहुत पुरानी है ?

चाचा—हाँ, बहुत पुरानी । तुमने इतिहास में चन्द्रगुप्त मौर्य और
चाणक्य का नाम पढ़ा है न ?

मोहन—हाँ-हाँ, चाणक्य ने जटा खोलाकर नन्द राजाओं को नष्ट करने
की प्रतिशा की थी । फिर उसने सबको मारकर चन्द्रगुप्त को राजा
बनाया था ।

चाचा—ठीक, पर अर्थशास्त्र उससे भी पुराना है । पहले यह धार्मिक
ग्रन्थों का एक अंग रहता था । अपने यहाँ जो चार उपवेद हैं, उनमें से अथर्ववेद
में अर्थ-सम्बन्धी बातों का ही विचार किया जाता है । भारत में प्राचीन आर्य
इस शास्त्र की यह परिभाषा देते हैं कि भूमि, धन आदि के विषय में ज्ञान
करानेवाला शास्त्र अर्थ-शास्त्र है । विष्णु पुराण में सर्वशिक्षित समाज के
लिए जिन अठारह विद्याओं का नाम दिया गया है उनमें अर्थशास्त्र भी है ।

मोहन—पर यह तो बताइये कि चाणक्य ने क्या किया ?

चाचा—चाणक्य दरअसल नीतिशास्त्री था । पर उसके नीतिशास्त्र में
अर्थशास्त्र भी सम्मिलित था । चाणक्य का असली नाम कौटिल्य था ।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रसिद्ध है । उसमें उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय, वितरण
तथा राजस्व सभी बातों का विवेचन किया गया है । साथ ही वह ग्रन्थ राजनीति
से भी भरा हुआ है ।

मोहन—क्या चाणक्य ही ऐसा हुआ है जिसने नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र
को एक साथ रखा है ?

चाचा—नहीं, शुक-नीति में भी अर्थशास्त्र की बातों की व्याख्या है ।

मोहन—तब तो सचमुच अर्थशास्त्र बड़ा पुराना शास्त्र है। मैं तो समझता था कि यह केवल सौ दो सौ वर्ष पुराना है।

चाचा—तभी तो मैं कहता हूँ कि प्राचीन समय में अर्थशास्त्र का महत्व सब को मालूम था। पर आज दिन तो हम अर्थशास्त्र का महत्व समझते नहीं। केवल अर्थ का महत्व जानते हैं। और जब शास्त्र का ज्ञान न होगा तो अर्थ कैसे प्राप्त हो सकता है? इस शास्त्र के ज्ञान का अभाव ही भारतवाकियों की गरीबी का एक प्रधान कारण है।

मोहन—अच्छा बताइए तो अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने से ब्राह्मणों का क्या लाभ होगा?

चाचा—वाह! आजकल के ब्राह्मण यही तो भूल गये हैं। वे तो अब पैसे के पुजारी हो गये हैं। पहले के ब्राह्मण अपने कर्तव्य को खूब समझते थे। उनके जीवन निर्वाह के लिए यह अनिवार्य था कि उनके यजमान समृद्धि शाली तथा सुखी बने रहें। अतः यह आवश्यक था कि वे उन्हें पूजन-कार्य के अलावा उपदेश देते रहें कि किस प्रकार का रहन सहन शास्त्रोचित है, प्रिञ्जलध्वर्ची से क्या क्या हानि होती है।

मोहन—उस दिन जो पंडितजी सत्यनारायण की क्या कहने आये थे वे अवश्य आठ-दस आने पैसे बांध ले गये होंगे।

चाचा—यही तो। अब पंडित अर्थ के महत्व के पीछे दौड़ते हैं। तुमने तो स्वयं देखा था कि किस प्रकार मिनट मिनट पर दक्षिणा शब्द कहा जाता था। इसी प्रकार जब कहीं दर्शन करने को जाओ और वहाँ पैसा न चढाओ तो वहाँ पर उपस्थित पडे या ब्राह्मण (मँगते) को अक्सर यह कहते सुनोगे कि भगवान को पैसा घेला चढाते ही नहीं। दर्शन करने चले हैं। ऐसे दर्शन से भला भगवान प्रसन्न हो सकते हैं।

मोहन—पर चाचा, वे क्या करें? आजकल देखिए न, कितने लोग बेकार घूमते रहते हैं! पेट भरने के लिए किसी प्रकार पैसा कमाने की अत्यन्त आवश्यकता है। जब लोग यों सीधे तौर पर पैसा नहीं देते, तो धोखा देकर ही उनसे पैसा वसूल किया जाय। मरता क्या न करता!

चाचा—यह तो ठीक है कि आजकल बेकारों की संख्या बढ़ रही है।

पर यह भी सच है कि लोग यह भूल गये हैं कि किस प्रकार रुपया प्राप्त करना या खर्च करना चाहिए। जब से हरामखोरी तथा विलापिता की बू हमारे अन्दर घुसी, तभी से हमारी हालत शोचनीय होने लगी। यहाँ तक कि अब लोग बेकार घूमते हैं और लूट-मार, धोरा धड़ी आदि किसी भी बुरे कर्म को करने में नहीं चूकते। ब्राह्मण समुदाय भी इस बुराई से परे नहीं है। मठाधीश, पंडे आदि जो फिजूलखर्ची करते हैं या जिस निम्न प्रकार के रहन-सहन को अपनाते हैं उसे देखते हुए इनकी वर्तमान हालत ठीक ही है।

मोहन—फिजूलखर्ची से क्या आपका यह मतलब है कि एक पैसे के माल के दो पैसे देने हैं ?

चाचा—केवल यही नहीं। बेमतलब तथा हानिकारक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो खर्च किया जाता है उसे भी फिजूलखर्च ही कहना चाहिए। मितव्ययिता का आदर्श यह है कि दरअसल अच्छी तथा सुलभ देनेवाली आवश्यकताओं की पूर्ति में आर्थिक दृष्टि से रुपया पैसा व्यय किया जाय। लुधा-शान्ति के लिए जबरदस्ती प्रतिदिन पूरी ऋचौडी ओर मिठाई खाना भी ठीक नहीं। मैं इसे फिजूलखर्च ही कहूँगा, क्योंकि इससे शरीर को उतना आराम व सुख नहीं मिलता, जितना अन्य वस्तुओं—जैसे फल, दूध आदि—के सेवन से मिल सकता है। फिर यदि मिठाई चानार में आठ आने सेर बिकती हो और कोई उसे दस बारह आने सेर लाये तो यह दूसरी फिजूलखर्ची हुई।

मोहन—अच्छा, मैं समझता हूँ कि राजस्व को छोड़कर अर्थशास्त्र का अन्य कोई भाग सरकार के मतलब का नहीं है, क्योंकि सरकार को तो केवल टैक्स उगाहने के समय अर्थशास्त्र के राजस्व भाग के ज्ञान की आवश्यकता होती है।

चाचा—नहीं, नहीं। प्रथम तो तुम यह भूलते हो कि राजस्व में रहता क्या है। मैंने तुम्हें बताया था कि इस भाग के अन्तर्गत यह भी विचार किया जाता है कि टैक्सों द्वारा सरकार की जो आय होती है उसे खर्च किस प्रकार किया जाय। दूसरे यह कि इस प्रकार एक विभाग का अन्य विभागों से सम्बन्ध क्या है।

मोहन—अर्थशास्त्र के अन्तर्गत राज्य सम्बन्धी कौन सी बातें आ जाती हैं ?

चाचा—देखो, देश में सरकार क्यों स्थापित की जाती है ? इसीलिए कि देश में सुख तथा शान्ति विराजमान रहे। सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह इस प्रकार प्रबन्ध करे, जिसमें देश की प्रजा उत्तरोत्तर उन्नति करती चली जाय। देश की उन्नति के लिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जरा क्रागुज पर लिखो तो। मैं तुम्हें कुछ बातें लिखाए देता हूँ।

मोहन ने क्रागुज पर नीचे लिखीं बातें लिखा —

१—राज्यको व्यापार में किस प्रकार का हस्तक्षेप करना चाहिए और कैसे।
२—विदेशी व्यापार में संरक्षण-नीति (देशी उद्योग धन्धों को सहायता देने की नीति) का कब उपयोग होना चाहिए तथा उसका प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

३—सरकार को कब स्वयं एकाधिकार द्वारा पदार्थों की उत्पादन करना चाहिए।

४—विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करने के लिए किस प्रकार के उपाय किये जाने चाहिए।

५—प्रजा के रहन-सहन का दर्जा ऊपर उठाने के लिए राज्य किस प्रकार राजस्व द्वारा सफल प्रयत्न कर सकता है।

६—मुद्रा-टलाई तथा नोट जारी करने आदि का काम किस ढंग से किया जाय।

७—देश के व्यापार में बैंकों से बहुत सहायता पहुँचती है। इन बैंकों की सुव्यवस्था के लिए किस प्रकार के नियम बनाये जायें।

८—खेतों की हालत सुधारने, खेती के ढंग में उन्नति करने तथा लगान आदि समस्याओं को हल करने के हेतु क्या किया जाय।

इस प्रकार मैं तुम्हें लिखाता चला जाऊ तो न मालूम कितने पृष्ठ भर जायें। इन सब समस्याओं को हल करने के लिए अर्थशास्त्र के पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है। यदि न्यायाधीश तथा नियम बनानेवाले सरकारी कर्मचारी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी न हों तो उनके सन यत्न निष्फल हो जावें। आनन्द

उनको बहुत सा समय आर्थिक विषयों पर विचार करने में ही बीतता है।

मोहन—इसी प्रकार व्यापारियों के लिए शायद आप कहेंगे कि वे किस प्रकार व्यापार करे यह बात अर्थशास्त्र से ही मालूम होती है।

चाचा—व्यापार के क्षेत्र में बहुत सी बातें हैं। यहाँ पर उत्पत्ति-विभाग तो पूर्ण रूप से ध्यान में रखना चाहिए। बड़ी तथा छोटी मात्रा की उत्पत्ति के क्या हानि तथा लाभ हैं, उत्पत्ति करते समय किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, मिलों में काम करनेवाले मजदूरों की कार्य-क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जाय, एकाधिकार में किस प्रकार पदार्थों का मूल्य निश्चित होता है, ये सब बातें व्यापारी के लिए महान् महत्वपूर्ण हैं। मजदूरों की कार्य-क्षमता बढ़ाने के लिए उनके रहन-सहन के ढंग पर विचार करना पड़ता है। वे किस प्रकार अपनी मजदूरी को व्यय करते हैं, किस प्रकार के घरों में रहते हैं, कैसा भोजन करते हैं तथा इन बातों में क्या परिवर्तन किये जाने चाहिए, इन सब बातों का ज्ञान आवश्यक है। और इसी हेतु अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है।

मोहन—पर आपने व्यापारियों के लाभ के बारे में कुछ नहीं बताया।

चाचा—हाँ, अर्थशास्त्र बताता है कि किस प्रकार व्यापार-वृद्धि की जा सकती है। और जब व्यापार में वृद्धि होगी, तब अवश्य लाभ अधिक होने की सम्भावना रहेगी। फिर जितने ही भले प्रकार तथा कम मुँह से अधिक से-अधिक उत्पत्ति की जायगी उतना ही लाभ भी अधिक होगा। पर इसके यह मतलब नहीं कि मजदूरों की मजदूरी कम कर दी जाय। यदि ऐसा किया जायगा तो उनकी कार्य-क्षमता कम हो जायगी। फल स्वरूप काम कम तथा निम्न दर्जे का होगा।

व्यापार-वृद्धि के लिए यह भी सोचना पड़ता है कि सरकार से कितनी मदद मिलती या मिल सकती है तथा सरकार को किस प्रकार के टैक्स लगाने चाहिए। यदि कोई कम्पनी बहुत अधिक मुनाफ़ा उठा रही है तो उस मुनाफ़े का देश की प्रजा को भी हिस्सा मिलना चाहिए; क्योंकि उसी की वजह से उस कम्पनी को इतना अधिक मुनाफ़ा होता है। ऐसी हालत में सरकार इस अधिक मुनाफ़े पर टैक्स लगा सकती है। व्यापारियों को मुद्रा-नीति

तथा बैंक, देशाटन के साधन आदि की मुविधाओं पर भी ध्यान देना पड़ता है। इस हेतु मुद्रा, बैंक, व्यापार के साधनों के सम्बन्ध में भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।

मोहन—लेकिन

चाचा - तुम शायद पूछना चाहते हो कि शूद्र और मजदूरों को अर्थशास्त्र के अध्ययन से क्या मतलब ? पर यह तो अब तुम्हें स्वयं ही मालूम हो गया होगा कि यदि वे अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकें तो वे मालिक से अधिक मजदूरी माँग सकते हैं। और जब उनकी आय बढ़ जायगी तो वे ऊँचे दर्जे का रहन-सहन अपना सकेंगे। पर आजकल के मजदूर तो हड़ताल के फेर में अधिक रहते हैं। हड़तालों का मुख्य कारण, मिलनेवाली मजदूरी से असन्तोष ही होता है। पर जब तक मजदूरों को अर्थशास्त्र का ज्ञान न होगा तब तक वे कैसे कह सकते हैं कि उन्हें कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए। उन्हें हड़ताल के हानि-लाभ का ज्ञान अर्थशास्त्र से ही ही सन्तान है। उच्च रहन सहन के लिए भी यह जानना जरूरी है कि मजदूरी को किस प्रकार खर्च किया जाय।

मोहन—हाँ, मैं अब समझ गया कि अर्थशास्त्र का ज्ञान हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में अनिवार्य है। सचमुच सुरत पूर्वक जीवन व्यतीत करना, समय पर उचित भोजन, वस्त्र तथा विश्राम प्राप्त करना, रहने के लिए मकान आदि की व्यवस्था करना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के यथेष्ट साधन होना—ये सब बातें हमारी आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर हैं। यदि पैसा नहीं है तो हम शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। पुस्तक, कापी, पेन्सिल, प्रीस सभी में तो पैसा लगता है। अगर हम बीमार हो जायँ तो दवा करने के लिए वैद्य, हकीम, डाक्टर पैसा माँगते हैं। निर्धनी होने के कारण हम गँवार बने रहते हैं। हमारा स्वास्थ्य गिरा रहता है। अतः पेट भरने के लिए हम उचित आय नहीं पैदा कर सकते। तभी हम बेईमानी तथा बुरे कर्मों पर उतारू हो जाते हैं। इन बुराइयों के कारण हमी हैं। और वह यह है कि हमें अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का समुचित ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो और यदि हम उसके द्वारा निश्चित नियमों का पालन करें तो कोई शक्ति हमें,

हमारे समाज तथा देश को धनवान तथा सुखी बनने से नहीं रोक सकती।

चाचा—ठीक, अब तुम अर्थशास्त्र के महत्व को भली प्रकार समझ गए।

मोहन—पर चाचा, आपने जो अर्थशास्त्र के धर्म, नीति आदि के संबंध में बताया वह अभी स्पष्ट नहीं है।

चाचा—यह मैंने तुम्हें अभी कहाँ बताया है। मैंने तो धर्म और नीति की चर्चा अर्थशास्त्र की प्राचीनता के सम्बन्ध में की थी। वह भी इस दृष्टि से कि तुम्हें मालूम पड़ जाय कि अर्थशास्त्र हजारों वर्ष पहले भी महत्व रखता था और उस महत्व का तब के निवासियों को ज्ञान था। अर्थशास्त्र का धर्म नीति अथवा अन्य विद्याओं से क्या सम्बन्ध है यह तो फिर कभी बताऊँगा। अब तो मेरे दस्तूर जाने का समय हो रहा है।



.पाँचवाँ अध्याय

अर्थशास्त्र का अन्य विद्याओं से सम्बन्ध

“मोहन, क्या हो रहा है ?”

“कुछ नहीं चाचा जी, अभी मुँह घोकर आ रहा हूँ ।” मोहन ने ऊपर से जवाब दिया ।

चाचा हाथ में घूमने की छड़ी लिये नीचे उड़े थे । बोले—मुँह घो चुके ? अच्छा, आओ तुम्हें घुमा लावें ।

“बहुत अच्छा चाचा ।”

कुछ मिनटों के बाद चाचा भतीजे एल्फ्रेड पार्क की ओर जा रहे थे । इपर-उपर की बातें हो रही थीं । इतने में मोहन के चाचा ने पूछा—क्यों मोहन, तुम चल रहे हो । तुम्हारा घूमना अर्थशास्त्र के अन्तर्गत आयेगा या नहीं ।

मोहन—जी हाँ, अवश्य । हमारी इच्छा घूमने की है । उसी को पूरा करने के लिए घूम रहे हैं । पर मैं घूमने की गरज से थोड़े ही आया हूँ ।

चाचा—तब !

मोहन—मैंने सोचा था कि शायद आपसे मैं घूमते घूमते अर्थशास्त्र का अन्य विद्याओं से जो सम्बन्ध है उससे बारे में पूरा हाल जान सकूँ ।

चाचा—अच्छा, देखो तुम्हें याद है न कि अर्थशास्त्र क्या है तथा वह किस समूह के मनुष्यों के धर्मों का विचार करता है ?

मोहन—जी हाँ, बखूबी । आपने माघमेलेवाले दिन बताया था कि इसमें मनुष्यों की आवश्यकताओं तथा उनको पूरा करने हेतु किये जानेवाले प्रयत्नों पर विचार किया जाता है । वह भी इस दृष्टि से कि किस प्रकार कम

से कम स्वर्च के साथ आवश्यकताएं पूरी हो जायें। आपने यह भी बताया था कि इस शास्त्र के नियम समाज में रहनेवाले मनुष्यों का विचार करके ही बनाये जाते हैं। पर वे अधिकतर साधु और संन्यासियों पर भी लागू हैं।

चाचा—ठीक, इसी कारण अर्थशास्त्र सामाजिक विद्या कहलाता है। पर समाज में रहनेवाले मनुष्यों के बारे में अन्य विद्याएँ भी हैं। और चूँकि ये सब विद्याएँ मनुष्यों के बारे में कुछ-न-कुछ विचार करती हैं अतएव इनमें पारस्परिक सम्बन्ध होना अनिवार्य-वा मालूम पड़ता है।

मोहन—अन्य सामाजिक विद्याएँ कौन कौन हैं ?

चाचा—जैसे समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजनीति, कानून तथा धर्म।

मोहन—जी हाँ, उस दिन अर्थशास्त्र का महत्त्व बताते समय आपने कहा था कि पहले अर्थशास्त्र धर्म का एक अंग था।

चाचा—हाँ, धर्म का मुख्य ध्येय होता है—“कल्याण प्राप्ति” और अर्थशास्त्र का भी यही ध्येय माना जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि धर्म में धन को इतना महत्त्व नहीं दिया जाता जितना अर्थशास्त्र में। धर्म में ईश्वारा-राधन, सद्भाव, सच्चरित्रता पर जोर डाला जाता है। पर यदि देखा जाय तो अर्थशास्त्र में भी इन पर विचार करना अनिवार्य हो जाता है। खासकर जब इस बात का विचार किया जाता है कि आय का किस प्रकार स्वर्च किया जाय, कैसे पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। ध्येय करते समय ‘सादा जीवन, उच्च विचार’ का आदेश अपने सम्मुख रखा जाय तब धार्मिक दृष्टि-कोण ही रस्तना पड़ता है। वस्तुओं की उत्पत्ति करते और उनको बेचते समय भी यदि व्यक्ति धर्म का ध्यान रखे तो संसार में सुख और शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाय। परन्तु संसार के अधिकारों व्यक्ति धन प्राप्त करने की चिन्ता में धर्म को विलकुल भूल जाते हैं। ये इस बात का विचार नहीं करते कि उनके कार्यों से दूसरों को, समाज को या देश को क्या हानि-लाभ हो रहा है। जब एक महाजन किसी गरीब व्यक्ति से अत्यधिक सुदस्तेकर उसका स्तन चूसता है या एक जमींदार अपने किसी किसान से अत्यधिक लगान वसूलकर उसे बरबाद करता है या एक पूँजीपति गरीब मजदूर को कठिन परिश्रम करने पर इतनी मजदूरी नहीं देता जिससे उसको

रुखा सुखा भरपेट भोजन मिल सके तो ये सन देश और समाज को बहुत हानि पहुँचाते हैं। ये सन कार्य धर्म के अनुसार नहीं है और अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी ये उचित नहीं हैं। इसी प्रकार जब एक दूकानदार भी या किसी खाद्यपदार्थ में कोई अशुद्ध चीज मिला कर बेचना है, तब वह यह नहीं विचार करता कि उस खाद्य पदार्थ के उपयोग से दूरीदारों के स्वास्थ्य पर कैसा बुरा असर पड़ेगा। उसका यह कार्य धर्म के अनुसार नहीं है। अधिकांश दूकानदार तो यह समझते हैं कि व्यापार-व्यवसाय में धर्म का कोई स्थान ही नहीं है। यह उनकी भारी भूल है। अर्थम से प्राप्त किया धन प्रायः बुद्धि कामों में ही नष्ट होता है और वह मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। उससे सुख और शान्ति नहीं मिल सकती। हिंदू धर्मशास्त्र की यह स्पष्ट आज्ञा है कि जिस कार्य में धर्म और अर्थ का विरोध हो, जिस कार्य के करने में धन तो प्राप्त होता हो, परन्तु वह धर्म के अनुसार न हो, जिस कार्य से व्यक्ति का तो लाभ होता हो, परन्तु समाज या देश की हानि होती हो तो उसे कदापि न करना चाहिए। अर्थशास्त्र के अनुसार भी उपर्युक्त नियम का प्रत्येक व्यक्ति के लिए पालन करना आवश्यक है। सत्कार के सम्य कहे जाने वाले अधिकांश देश इस नियम का पालन न करने से धनवान होने पर भी सुखी नहीं है और दिन-रात अशान्ति का अनुभव करते हैं। मोहन, अब तुम धर्म और अर्थ का सम्बन्ध अच्छी तरह समझ गये होगे। विना अर्थ को धर्म के अधीन किये सुख और शान्ति नहीं मिल सकती।

मोहन—चाचा, आप कहते हैं कि धर्म का पालन करने से सुख और शान्ति मिलती है। परन्तु मैंने तो पढ़ा है कि मृतकाल में धर्म के नाम पर सैकड़ों लडाइयाँ हुई हैं और उनमें लाखों व्यक्तियों का बलिदान हुआ है। आजकल भी भारत में धर्म के नाम पर हिंदू-मुसलमानों में कई जगह झगड़े हो जाते हैं।

चाचा—तुम धर्म का मतलब अच्छी तरह से नहीं समझ पाये हो। धर्म से मेरा मतलब कट्टरपरियों के सक्चित्त नियमों से नहीं है।

धर्म संस्कृत शब्द है। उसका अर्थ धारण करना अथवा पालन करना है। जिस कार्य से व्यक्ति, समाज, देश और विश्व का कल्याण हो, वही कार्य धार्मिक समझा जाता है। जिस कार्य से व्यक्तिगत लाभ के साथ ही साथ देश

और समाज का कल्याण हो वह कार्य धर्म के अनुसार ही सम्पन्न हो चाहिए। किन्तु जिस कार्य से व्यक्तिगत लाभ हो, परन्तु देश और समाज का अहित हो वह कदापि धर्म के अनुसार नहीं हो सकता। धर्म के नाम पर लोग जो आरस में भगड़ते हैं उससे समाज और देश को हानि पहुँचती है। इसलिए उनके ये कार्य धर्म के अनुसार नहीं हो सकते। अब मैं तुमको अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र का सम्बन्ध बतलाता हूँ।

मोहन—नीतिशास्त्र किसे कहते हैं ?

चाचा—नीतिशास्त्र में अच्छे और बुरे पर विचार किया जाता है। अर्थात् कौन-सा कार्य अच्छा है कौन सा बुरा है, आदमी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

मोहन—पर अर्थशास्त्र को इससे क्या मतलब। वहाँ पर तो इतनी बात का विवेचन किया जाता है कि किस वस्तु को उत्पत्ति किस प्रकार की जाय, उसका मूल्य किस प्रकार आँका जाता है तथा सरकार किस प्रकार टैक्स बसूल करे, इत्यादि।

चाचा—ठहरो। उत्पत्ति की ही बात ले लो। उत्पत्ति कार्य के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है।

मोहन—जी हाँ, मजदूर, पूँजी, भूमि सभी की।

चाचा—मजदूरों को मजदूरी चाहिए, पूँजीपति को सूद। भूमि का मालिक लगान भोगेगा। प्रश्न उठता है कि प्रत्येक को क्या दिया जाय। क्या मजदूरों को केवल इतनी मजदूरी मिले कि वे कियो तरह जिन्दा बने रहें और निर्जीव पुतलों की भाँति काम करते जाय ? पहले लोगों का यही क़वाल था। परन्तु जैसे-जैसे नीति की सहायता से विचार किया गया वैसे-वैसे यह प्रकट होता गया कि मजदूरी काम के मुताबिक देना चाहिए। यह न होना चाहिए कि दिन भर में मजदूर बेचारा एक रुपये का काम कर वाले पर उसे दी जाय वही चबती। इसी प्रकार वस्तुओं के मूल्य के बारे में कहा जा सकता है। आकलन युद्ध का जमाना है। इसके यह मतलब नहीं कि दूकानदार दुग्ने-तिग्ने दाम पर वस्तुएँ बेचकर अनुचित मुनाशा उठावें। इन प्रश्नों का उत्तर देने में नीति का ही प्रयोग किया जाता है। नैतिक दृष्टि से विचार करने की

प्रवृत्ति तो आजकल बढ़ती ही जा रही है।

मोहन—क्या सरकारी टैक्सों का भी नीति से सम्बन्ध है ?

चाचा—क्यों नहीं ? यदि सरकार टैक्सों की आय से सब को शराब पिलाना शुरू कर दे तो क्या तुम नहीं कहोगे कि यह काम बुरा है ? हाँ, यदि इसकी जगह दूध पिलाया जाय तो अवश्य सब लोग सरकार की तारीफ़ करेंगे।

एक बात और। किसी देश की आर्थिक स्थिति तथा वहाँ के नैतिक जीवन में भी सम्बन्ध रहता है। यदि किसी देश में धन की काफ़ी उत्पत्ति होती है तथा धन के वितरण में असमानता नहीं है, तो अवश्य ही वहाँ के निवासी सन्तुष्ट होंगे तथा वे उच्च नैतिक जीवन व्यतीत करते होंगे। पर यदि कहीं पर भारत की भाँति गरीबी का राज्य हो, धन का विषम वितरण हो तथा उत्पत्ति कार्य कम हो, तो अवश्य ही देशवासी बहुत असन्तुष्ट तथा कष्ट पीड़ित होंगे। फलतः उनका जीवन आदर्शगम्य नहीं हो सकता। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वे लोग लूटमार करने, झूठ बोलने तथा धोखा देने से बाज न आयेंगे।

मोहन—सबमुच हमारे हिन्दोस्तान में यही तो हो रहा है।

चाचा—हाँ, जिस प्रकार अर्थशास्त्र का उद्देश्य समाज का हित करना है उसी प्रकार नीतिशास्त्र का भी। तब फिर दोनों में कुछ-न कुछ सम्बन्ध अवश्य रहेगा। दोनों एक दूसरे से सर्वथा एक नहीं किये जा सकते। इसी प्रकार राजनीति को ले लो। ये दोनों एक दूसरे के लिए अनिवार्य प्रतीत होते हैं।

मोहन—राजनीति में तो राज्य के प्रबन्ध की बातें बतायी जाती हैं न ?

चाचा—हाँ, राजनीति में राज्य के प्रबन्ध के नियमों का विवेचन किया जाता है। पर सरकार के प्रत्येक कार्य में रुपये पैसे की आवश्यकता होती है। यह धन किस प्रकार एकत्र तथा व्यय किया जाय इसका विचार अर्थशास्त्री ही करते हैं। सरकारी नीति के द्वारा देशी व विदेशी व्यापार को हात-मुँह या विगड़ सकता है।

मोहन—अपने चाचा, यह कहाँ तक ठीक है कि इसारी सरकार के कारण हमारे देशी व्यापार में उन्नति नहीं हो पाती ?

चाचा—बात यह है कि विदेशी होने के कारण स्वभावतः सरकार को ब्रिटिश लोगों की उन्नति की अधिक चिन्ता लगी रहती है। अतः वह देश में

व्यापार की उन्नति के लिए पूर्ण सहायता नहीं देती। फिर विदेशी व्यापार में भी अपनी मुद्रानीति द्वारा वह इंग्लैंड में बने माल को भारत में सस्ता होने में मदद देती है।

मोहन—मुद्रानीति को मैंने नहीं समझा।

चाचा—अभी तुम इस बात को नहीं समझोगे। जब मैं तुम्हें इसी तरह किसी दिन राजस्व के बारे में भली प्रकार बताऊँगा तब इसे भी समझाऊँगा। अभी तो यही समझ लो कि सरकार अपनी अर्थ-सम्बन्धी नीति द्वारा देशों व विदेशी व्यापार के रूप को बदल सकती है। हाँ तो इस तरह के परिवर्तनों के कारण उत्पत्ति तथा व्यवस्था में रहोबदल हो जाता है। धन के वितरण पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसके कारण मनुष्यों की आर्थिक स्थिति बदल जाती है, जिसका प्रभाव सरकारी प्रबन्ध तथा राज्य के ढँग पर बहुत कुछ पड़ता है।

मोहन—यह बात तो मेरी समझ में नहीं आई।

चाचा—देखो, अगर सरकार के कारण देश में कुछ लोग पूँजीपति हो गये और बाक़ी ग़रीब; तो सरकारी प्रबन्ध पूँजीपतियों के हाथ में चला जाता है। पूँजी के बल पर उनका बोलबाला हो जाता है। पर यदि ग़रीबों में प्रतिहिंसा तथा स्वयं भी अमीर बनने की आग लग गई तो फिर पूँजीपति-प्रचाली का नाश होकर प्रजातन्त्र या समाजवादी सरकार की नींव पड़ सकती है।

मोहन—समझ गया, इस प्रकार अर्थशास्त्र तथा राजनीति दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। राजनीति के कारण हमारी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो सकता है और अर्थशास्त्र की बजह से राज्य-प्रबन्ध में रहोबदल हो सकता है।

चाचा—इसी प्रकार क़ानून को ले लो। तुम जानते होगे कि सरकार क़ानून इसीलिए बनाती है जिससे देश सुखी हो। यह तो होता ही है। हमके अलावा सरकार देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उसकी उन्नति के कतिपय नियम बनाती है। देखो यू० पी० तथा अन्य सरकारें जो लगान-सम्बन्धी नये क़ानून बना रही हैं वह इसलिए कि किसानों पर होनेवाले ज़ोरो-शुल्म में कमी हो जाय, जिसमें वे अपने खेतों को एक षक में कर सकें

जिसमें उन्हें अधिक टैक्स न देना पड़े। माना कि इससे ज़मींदारों को काफ़ी हानि होती दिखाई पड़ती है पर वह हानि क्षणिक है। आज ज़मींदार को किसान से लगान वसूल करने में बहुत कठिनाता होती है। यदि किसानों की हालत सुधर जायगी तो इन्हीं ज़मींदारों को आसानी से लगान मिल जायगा।

इसी प्रकार व्यापार तथा अन्य उद्योग-धन्धों के लिए कानून बनाये जाते हैं। कारख़ानों के कानून, मिल हड़तालों के कानून, निम्नतम मजदूरी का कानून, इन सब के बनाने में आर्थिक अवस्था का प्रभाव पड़ता है। और ऐसे कानूनों के कारण देश में अधिक उन्नति हो सकती है।

मोहन—और अवनति भा ?

चाचा—क्यों नहीं। यदि कल देश की बागडोर स्वार्थान्ध पुरुषों के हाथ में चली जाय, तो शायद वे अपनी भलाई के लिए ऐसे कानून बनायें जिनसे देश को हानि पहुँचे और उनको लाभ हो—चाहे वह रुपये में हो और चाहे आन्तरिक सन्तोष के रूप में। पर ऐसा कम होता है। अधिकतर आर्थिक स्थिति का ही प्रभाव कानूनों पर पड़ता है। जैसे-जैसे देश की आर्थिक स्थिति बदलती है वैसे ही-वैसे पुराने कानूनों में उलट फेर तथा नये नये कानूनों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान युद्ध के कारण सरकार को अधिक रुपये की आवश्यकता हुई तो उसने 'अधिक मुनाफ़ा' पर टैक्स लगाने की सोच ली।

मोहन—अर्थशास्त्र का इतिहास तथा भूगोल से भी क्या कुछ सम्बन्ध है ?

चाचा—हा, हा ! इतिहास से आम तौर पर पुरानी घटनाओं, पुराने राज्य प्रबन्ध आदि के बारे में मालूम पड़ता है। उससे हमें वर्तमान शासन प्रणाली आदि के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। इसी प्रकार आर्थिक घटनाओं का इतिहास होता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

इतिहास के कारण हमको मालूम हो जाता है कि भूतकाल में किसी आपत्ति विशेष के आने पर उस समय सरकार ने क्या-क्या आर्थिक उपाय किये थे, जैसे, उधार, उर, मन्त्र, रिजे, गये थे, उन्हीं का उपयोग यदि उसी तरह की आपत्ति आने पर अब भी किया जाय तो आसानी से आपत्ति दूर हो सकती है।

इतिहास के कारण व्यापार की पुरानी दशा, उस समय की सरकार की

ध्यानारिक नीति आदि के बारे में पूरा पूरा पता चल जाता है। इससे भूतकाल में हुई गलतियाँ मालूम हो जाती हैं। फिर हम वैसी गलती फिर कभी न करेंगे। उदाहरणार्थ यदि इषीसवीं शताब्दी के लोग यह जान जायें कि ब्रिटिश माल पर कम चुगी लगाने के कारण भारत के उद्योग-धन्धे सफल नहीं हो सके थे, तो वे कदापि ब्रिटिश माल के साथ आजकल की सी रियायत नहीं करेंगे।

मोहन—ठीक है। प्राचीन आर्थिक इतिहास के कारण तीन लाभ होते हैं। प्रथम, पुराने ज्ञानाने में जब कोई आपात्त आयी तो उसे दूर करने के उपाय अब भी उस तरह की आपात्त के आ पडने पर काम आ सकते हैं। द्वितीय, इतिहास का ज्ञान होने के कारण घटनाओं के आधार पर हम पुरानी आर्थिक नीतियों की आलोचना करके उससे लाभ उठा सकते हैं। तीसरे, आजकल हमारे सामने जो समस्याएँ उपस्थित हैं वे अधिकतर भूतकाल में ही उठ खड़ी हुई थीं। उनको भली प्रकार समझने के लिए यह जरूरी है कि हमें उसका आर्थिक इतिहास मालूम हो।

चाचा—रहा भूगोल। सो मैंने तुम्हें बताया है कि उत्पत्ति के पांच साधन होते हैं जिनमें भूमि मुख्य है। उत्पत्ति के इन साधनों में देश की जल वायु, भू गर्भ स्थित धन, जंगल, पहाड़, नदी सभी शामिल किये जाते हैं। और तुम जानते ही हो कि उन्हें नक़रो में ढूँढ ढूँढकर समझना चाहिए। बिना इन बातों को जाने हम मनुष्यों की आवश्यकता पूर्ति के हेतु भली प्रकार की जाने वाली उत्पत्ति का पूर्ण रूप से विवेचन नहीं कर सकते।

मोहन—यह तो स्पष्ट नहीं हुआ।

चाचा—देखो, व्यापार वृद्धि के लिए नदियों, समुद्रों तथा उनके किनारे स्थित शहरों तथा बन्दरगाहों का ज्ञान होना आवश्यक है। देश की औद्योगिक उन्नति तभी हो सकती है जब या तो विदेशी राज्यों से आनेवाली वस्तुएं कम हो जायें अथवा देश के भू गर्भ में छिपे कच्चे माल का पूरा ढाल मालूम होवे। इसी तरह जंगलों से मिलनेवाले पदार्थों का वितरण तथा उनकी मात्रा का जानना आवश्यक होता है। इस प्रकार कम-से-कम उत्पत्ति-कार्य में भूगोल महत्व पूर्ण स्थान रखता है।

मोहन—चाचा जी, सामाजिक विद्याएँ बताते समय आपने समाज-शास्त्र का नाम लिया था। इसके विद्यार्थी तो शायद बोलतों की दवाइयों को एक में मिलाकर कुछ जाँच-पड़ताल किया करते हैं।

चाचा—वाह जनाब ! यही आप जानते हैं ! वह तो रसायन-शास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र में तो यह बतलाया जाता है कि मनुष्य आपस में कैसा बर्ताव करते हैं, कैसी सस्थाओं का निर्माण किया जाता है तथा किस प्रकार का सामाजिक जीवन व्यतीत किया जाता है, इत्यादि। समाजशास्त्र एक मुख्य विज्ञान माना जाता है। अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून ये सब सामाजिक विद्याएँ कहलाती हैं। इनमें से प्रत्येक समाजशास्त्र का एक अंग कहलाता है। मैं तुम्हें अर्थशास्त्र और नीति, राजनीति तथा कानून आदि के मध्य जो सम्बन्ध है उसके विषय में बता चुका हूँ। उसी से तुम समझ सकने हो कि अर्थशास्त्र का समाज शास्त्र से क्या सम्बन्ध है।

मोहन—क्या रसायनशास्त्र और अर्थशास्त्र में कोई सम्बन्ध नहीं है ?

चाचा—क्यों नहीं ? अर्थशास्त्र का रसायनशास्त्र से भी सम्बन्ध है और भौतिकशास्त्र से भी। इन्हीं दोनों के द्वारा उन्नीसवीं शताब्दी में भिन्न-भिन्न प्रकार की कलौ तथा मशीनों के आविष्कार के कारण औद्योगिक क्रान्ति का आरम्भ हुआ। उसका आजकल के आर्थिक विकास पर क्या असर हुआ यह सब को विदित है। इसका सबसे बड़ा फल यह हुआ कि मिल मज़दूरों का मालिकों से लड़ना तथा हड़ताल आदि उपायों का प्रयोग करना। आज दिन प्रत्येक देश के कानूनों में कारखाने के कानून एक ज़ास स्थान रखते हैं।

पर अर्थशास्त्र का गणित से अधिक सम्बन्ध है। गणित के बिना तो अर्थशास्त्री की गाड़ी धड़ से रुक जायगी।

मोहन—आपका मतलब यह है कि बिना गणित जाने कोई अर्थशास्त्र नहीं पढ़ सकता ?

चाचा—नहीं सी बात नहीं। अर्थशास्त्र की मोटी-मोटी बातें तो ज़बानों बताई जा सकती हैं। मैं तुम्हें मोटी-ही-मोटी बातें तो बताता हूँ। आजकल के पश्चिमी अर्थशास्त्री दिन-पर-दिन अपनी गवेषणा में तथा विचार करते समय गणित का प्रयोग करते हैं। यद्यपि हम मनुष्य की आवश्यकताओं की

माँग, उत्पत्ति आदि को ठीक-ठीक नहीं समझा सकते तथापि तालिका, रेखा-चित्रों के प्रयोग द्वारा वे सब बातें आसानी से समझ में आ जाती हैं ।

मोहन—तो अर्थशास्त्र का गणित से भी अधिक सम्बन्ध है । तब तो शायद इस अर्थशास्त्र का प्रत्येक विद्या से कुछ-न-कुछ सम्बन्ध दिखाया जा सकता है ।

चाचा—हाँ, मैंने तो तुम्हें केशल कुछ टास टास विद्याओं के सम्बन्ध में ज्ञान कराया है । अब मैं अर्थशास्त्र के प्रथम भाग उपभोग पर विस्तार से विचार करना आरम्भ करूँगा और किसी दिन तुमको आर्थिक इच्छाओं के सम्बन्ध में बताऊँगा ।



छठवाँ अध्याय

आर्थिक इच्छाएँ

आज भी जब मोहन स्नान करके घर लौटने लगा, तो पहले की भाँति वह दुकानों की सजावट देख रहा था। एक दुकान पर, अनेक प्रकार के रंगीन चित्र टँगे देखकर, वह यकायक खन्ग हो गया। माँ और चाचा आगे आगे चल रहे थे। इस कारण उन्हें शोध न हो सका कि मोहन पीछे छूट गया है। परन्तु दो-तीन दुकान आगे बढ़कर उसके चाचा ने ज़र अतुभव किया कि मोहन साथ में नहीं है, तो वे लौट पड़े। मोहन की माँ भी पीछे हो ली। लौटकर उन्होंने देखा कि मोहन खड़ा हुआ चित्र देख रहा है।

वे गोलें—चलो मोहन, नहीं तो मुझे दफ़्तर जाने को देर हो जायगी।

मोहन ने कहा—चाचा, यह चित्र मुझे बहुत पसन्द है। ऐसा जान पड़ता है, मानो मेरा ही मटर का खेत हो। देखो न, पानी भरा है और सारस की जोड़ी खड़ी है।

चाचा—हाँ, चित्र अच्छा है। लेकिन अभी तुम विद्यार्थी हो। तुमको अभी तुरन्त ऐसी वस्तुओं की खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आओ, चलो।

मोहन चाचा के साथ हो लिया। सब लोग घर की ओर लौट रहे थे। चाचा ने देखा, चित्रों की दुकान से लौटकर मोहन कुछ उदास हो रहा है। अतएव उन्होंने कहा—देखो मोहन, मैं जानता हूँ कि वह चित्र न खरीद सकने के कारण तुम्हारे मन को चोट पहुँची है। परन्तु तुमको यह भी तो जानना चाहिए कि अभी तुम्हें उस चित्र की आवश्यकता नहीं है।

मोहन यह बात स्वीकार नहीं करना चाहता कि उसे उस चित्र की आवश्यकता नहीं है। वह चित्र उसे बहुत पसन्द है। यह उसको लेकर जब घर जाता और अपने साथियों को दिखलाता तो उसे कितनी प्रसन्नता होती! रमेश तो उसे देखकर उछल पड़ता और सम्भवतः यह भी कह बैठता कि इसे मुझे दे दो और जितना दाम चाहो, ले लो। अस्तु। उसने कहा—चाचा जी, अगर मैं ऐसा जानता कि यहाँ आने पर मेरे जमा किये हुए सब रुपये रूच हो जायेंगे और फिर भी पूरा न पड़ेगी, तो मैं बाबू जी से कुछ और अधिक रुपये लेकर चलता। मुझे वह चित्र बहुत अधिक पसन्द आया। मैं कैसे मान लूँ कि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है ?

चाचा बोले—तुम ग़लत सोच रहे हो मोहन। रुपये मैं तुम्हें अभी दे सकता हूँ। जितने चाहो, घर पर चलकर मुझसे ले लो। लेकिन तुम्हारा अगर यह विचार हो कि बाबू जी से कुछ और अधिक रुपये ले आने अथवा अब मुझसे ही इच्छानुसार रुपये ले लेने पर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जायगी, तो यह तुम्हारा भ्रम है। बाज़ार या मेले में अच्छी तरह घूमना देखो, इसी तरह दर्जनों चीज़ें अभी और निकल आयेंगी, जिन्हें तुम प्ररीदना चाहोगे। उन चीज़ों को देख देखकर तुम सोचने लगोगे कि तुम्हें उनको प्ररीदने की आवश्यकता है। लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से तो हम इसे आवश्यकता नहीं कह सकेंगे।

मोहन बोला—क्यों नहीं कह सकेंगे ?

चाचा ने कहा—अर्थशास्त्र की दृष्टि में आवश्यकता मनुष्य की उस इच्छा का नाम है, जिसकी पूर्ति के लिए उसने पास साधन हो तथा वह परिश्रम करने को तैयार हो। यों तो इच्छाओं की सीमा नहीं है। किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएँ कभी पूरी नहीं हो सकती, चाहे वह कितना ही बड़ा धनी मानी क्यों न हो। हाँ, किसी भी व्यक्ति को कोई एक इच्छा की पूर्ति हो सकती है। जीवन-भर मनुष्य के आगे इच्छाओं का ऐसा तार बंधा रहता है कि कभी टूटने का नाम नहीं लेता। जहाँ एक इच्छा पूर्ण हुई कि भद्र दूसरी, उसके स्थान पर, आकर सामने खड़ी हो जाती है।

मोहन—तब तो मनुष्य के आगे इच्छाओं का यह नित्य बढ़ता हुआ रूप,

कहना चाहिए कि, कोई अच्छी बात नहीं है।

चाचा—इच्छाओं का बढ़ना तो स्वाभाविक है और इच्छाओं के बढ़ने से आवश्यकताओं में वृद्धि भी होती है। यह वृद्धि कुछ सीमा तक उचित ही है। सच पूछो तो आवश्यकताओं की वृद्धि से ही वर्तमान सभ्यता का इतना विकास हो पाया है। नयी आवश्यकताओं की पूर्ति ने उन्हें ज़रूर कुछ काल के पश्चात् पुराना बना दिया, तब नयी नयी आवश्यकताएँ उनके स्थान पर आती गयीं। नयी आवश्यकताओं ने ही तो आविष्कारों को जन्म दिया है। नयी आवश्यकताओं की वृद्धि से ही मनुष्य ने उद्योग करना सीखा है। ज्यों ज्यों उसकी आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं, त्यों त्यों वह उनकी पूर्ति के लिए अधिक से अधिक उद्योग करता है। आगे चलकर फिर उद्योग से भी नयी आवश्यकताएँ उत्पन्न होने लगती हैं। आविष्कारों ने भी नयी-नयी वस्तुओं का प्रसार करके आवश्यकताओं की बहुत वृद्धि की है। और सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ अब तो मनुष्य की आवश्यकताएँ इतनी अधिक बढ़ गयी हैं कि उनकी संख्या अपरिमित हो गयी है।

मोहन—लेकिन चाचा, अब भी मैं यह नहीं समझ सका कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से आप यह किस तरह कहते हैं कि मुझे उस चित्र की आवश्यकता नहीं है।

चाचा—मैंने अभी आपको यह बतलाया है कि घूमने पर बाजार या मेले में ऐसी बहुत सी चीजें निकलेंगी, जिन्हें तुम लेना चाहोगे। केवल उनको देखकर ही तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि मुझे उनकी आवश्यकता है। यद्यपि उससे पहले तुम्हें उसकी आवश्यकता का गुमान भी नहीं था। इसलिए वे वस्तुएँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं हो सकतीं। उस चित्र को खरीदे बिना अभी तुम्हारा कौन सा काम रुका जा रहा है ?

मोहन—पर अभी आपने बतलाया है कि नयी नयी वस्तुओं के आविष्कारों ने सभ्यता की वृद्धि में बहुत सहायता पहुँचाई है। और इस प्रकार नयी वस्तुओं को पसन्द करने पर भी अगर सब लोग यही सोचने लगें कि उनकी खरीदे बिना भी हमारा काम चल जायगा, तो उन वस्तुओं का प्रचार कैसे हो सकता है ? इस विचार के अनुसार चलने पर तो सभ्यता की वृद्धि में एक

बकावट ही पड़ेगी।

चाचा—हाँ, यह बात तुमने ठीक कही। पर इच्छाएँ भी अनेक प्रकार की होती हैं। कुछ तो उनमें से ऐसी हैं, जिनकी पूर्ति धन से हो ही नहीं सकती, जैसे प्रेम, स्वास्थ्य (जिनकी पूर्ति धन से हो सकती है उनको हम आर्थिक इच्छाएँ कहते हैं, उनमें से भी कुछ ऐसी हैं जिनका पूरी तरह में पूर्ति कभी नहीं हो सकती जैसे धन, अधिकार और बड़प्पन की इच्छाएँ। तुम्हारी यह इच्छा बड़प्पन की कोटि में आती है। तुम इस चिन्तन को ले जाकर अपने साथियों को दिखलाओगे। वे इसको देखकर प्रसन्न होंगे और यह अनुभव करेंगे कि मोहन बड़े आदमी का लड़का है और वह इतना समर्थ है कि ऐसे चिन्तन करने पड़ने के कमरे में रख सकता है। इस चिन्तन के द्वारा एक और वे तुम्हारे बड़प्पन का अनुभव करेंगे और दूसरी ओर इससे यह भी विदित होगा कि उनकी अपेक्षा तुम्हारे पिता धनी-मानी भी अधिक हैं। धन प्राप्त करने की इच्छा ऊपर से एक जान पड़ती है। पर उससे प्राप्त होने वाली अनेक वास्तुओं की इच्छा उसमें छिपी हुई है। बड़प्पन को प्राप्त करने में भी धन ही विरोध रूप से सहायक होता है। इसीलिए इस प्रकार की इच्छाएँ मिश्रित कहलाती हैं। मनुष्य को पहले इस प्रकार की इच्छाओं पर नियन्त्रण रखना ही पड़ता है। विद्यार्थियों के लिए तो इसकी और भी अधिक आवश्यकता है।

मोहन—लेकिन रमेश जब अपने बाबू के साथ कलकत्ता गया था, तो उन्होंने उसके लिए मोटर-साइकिल खरीदी ही थी। और मैं जानता हूँ, उसके बिना भी उसका काम चलता ही था, उसके घर में तांगा है ही। उस तांगे पर ही वह प्रायः स्कूल जाता भी था।

चाचा—अर्थात्तम की दृष्टि से तो मैं इसे अपव्यय ही कहूँगा। जिस रुपये से उसके लिए मोटर-साइकिल खरीदी गयी थी, उसी रुपये से तादी तैयार कराने का एक छोटा-सा कारखाना खोला जा सकता था। कितने आदमियों का पेट उससे पलता! रमेश को स्कूल पहुँचने के लिए समय की ऐसी कमी तो रहती नहीं है, जो मोटरसाइकिल के बिना उसका काम न चलता। उसने शौक के लिए ही मोटर साइकिल उसके बाबू ने खरीदी है। लेकिन तुमने

यह नहीं सोचा कि रमेश के बाबू कितने बड़े धनवान् हैं। लडका भी उनका वही अकेला है। उसका शौक उनसे लिए एक तरह का सुख है। आज अभी तुमको चित्र अच्छा लगा है। शाम को अगर तुम मेरे साथ रायसाहन के यहाँ चलो, तो वहाँ रेडियो में गाना, गीतचौत और समाचार सुनकर तुम्हारी इच्छा हो सकती है कि रेडियो खरीदा जाय। पर अभी हम लोग उस स्थिति को वहाँ पहुँच सके हैं कि अपनी इच्छाओं को इतना बड़ा करें।

मोहन अब चुप हो गया। घूमते हुए अब वे लोग बाँध पर आ गये थे। सामने और इधर-उधर अनेक लोग आ जा रहे थे जिनमें एक महाशय सिगरेट पी रहे थे। तब मोहन के चाचा ने कहा—कुछ इच्छाएँ पहले बहुत छोटी होती हैं, पर धीरे धीरे वही आवश्यकता का रूप धारण कर लेती हैं। देखो वह आदमी जो अभी सिगरेट पी रहा था, उसने पैन्ट से सिगरेट निकाली थी। इसका मतलब यह है कि वह सिगरेट पीनेवाला आदमी है। कहीं अगर उसको सिगरेट नहीं मिलेगी, तो उसे तड़लीफ़ ही जान पड़ेगी। अब उसके लिए वह एक आवश्यकता बन गयी है। परन्तु कभी उससे लिए यही सिगरेट बिल्कुल अनावश्यक भी रही होगी। एन-दो बार पिलाकर किसी ने उसे सिगरेट पीने का शौक डाल दिया होगा। इसी तरह लोग पहले जरा सी शराब पीते हैं, पर फिर वही शराब उसके लिए आवश्यकता के रूप में व्यसन बन जाती है। सुन्दर वस्तुओं के संग्रह का भी एक व्यसन होता है। आज तुमको एक चित्र पसन्द आया है। कल दूसरी दुकान पर दूसरा चित्र इससे भी अधिक पसन्द आ सकता है। इस तरह एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देती है। कुछ इच्छाएँ एक दूसरे की पूरक होती हैं जैसे ताँगे के लिए घोड़े की आवश्यकता और मोटर के लिए ड्राइवर की। कुछ आवश्यकताओं में प्रति योगिता होती है जैसे धूम्रपान के लिए सिगरेट, बीड़ी, सिगार, हुक्का, पाइप आदि। इस प्रकार की एक चीज दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेती है। इसलिए ऐसी चीजों में प्रतियोगिता चलती है। चित्र भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुमने जो चित्र देखा था, वह कागज़ पर था। परन्तु जो चित्र कपड़े पर बनाये जाते हैं, वे अधिक टिकाऊ होते हैं। उन्हें तैल चित्र कहते हैं। दीवारों पर भी चित्र बनाये जाते हैं। यह कला का क्षेत्र है। जितना ही इसका चाव

बड़ेगा, उतना ही अधिक व्यय भी बड़ेगा, जिस व्यक्ति को ऐसी चीजों के सग्रह करने का व्यसन हो जायगा, उसका व्यय भार वहन करना गणधारण श्रेणी के गृहस्थ के लिए अत्यन्त कठिन हो जायगा ।

अब ये लोग घर पहुँच गये थे । चाचा बोले—आवश्यकताओं के घटने । बढ़ने पर ही समाज में रहन सहन का दर्जा भी ऊँचा उठता और नीचे गिरता है । रहन सहन का दर्जा बढ़ना आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है । परन्तु यदि साथ ही साथ मनुष्य की आमदनी भी उतनी नहीं बढ़ती तो बड़े हुए रहन सहन के दर्जे को बनाए रखने में उसको बड़ी कठिनता होती है और फिर धन प्राप्त करने के लिए उसे ऐसे नाजायज या धर्म विरुद्ध साधनों का सहारा लेना पड़ता है जिनसे देश और समाज की हानि होती है । इससे स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि आर्थिक आवश्यकताओं का नियंत्रण कुछ दशाओं में बहुत जरूरी है । इसके सबंध में मैं तुमको फिर कभी बतलाऊँगा । आज तो अब दफ्तर जाने को देरी हो रही है ।



सातवाँ अध्याय

उपभोग और सन्तोष

उस दिन मोहन के चाचा विहारी ने उसे बतलाया था कि आर्थिक आवश्यकताओं को बहुत बढ़ने देना ठीक नहीं है। निरप बढती हुई अनन्त आवश्यकताओं की पूर्ति जीवन में सम्भव नहीं है। इस बात को तो मोहन ने समझ लिया था। पर उसे अब भी यह शिफायत बनी ही हुई थी कि अगर एक चित्र के मुझे प्ररीद ही देते, तो ऐसी कोई विशेष हानि न हो जाती।

कई दिन बीत चुके थे। माघ मेलों का मुख्य पर्व जो थमावस का दिन माना जाता है, वह भी बीत चुका था। अब मोहन की माँ सोच रही थी कि पर लौट चलना चाहिए। अतएव उन्होंने विहारी से कहा कि अब मैं आज ही उस्ताव वापस जाना चाहती हूँ।

विहारी ने जवाब दिया—अच्छी बात है। तब फिर आज हम लोग लौटते समय कुछ चीजें प्ररीदेंगे। बोलो, तुमको कौन सी चीज की जरूरत है ?

मोहन की मा ने कहा—मुझे तो पत्थर की बगोरियाँ और पीतल का पानदान लेना है।

विहारी ने पूछा—और तुमको मोहन ?

मोहन ने गम्भीर होकर जवाब दिया—मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है।

विहारी अब समझ गया कि मोहन को जो उस दिन वह चित्र उसने नहीं

ले दिया, इसीलिए वह ऐसा रूखा उत्तर दे रहा है। भीतर से वह सम्भवतः असन्तोष है। अतएव उसने कहा—

मनुष्य का चरम लक्ष्य सुख और सन्तोष प्राप्त करना है। सुख की वृद्धि से संतोष मिलता है। पर सुख की वृद्धि तभी सम्भव है, जब आवश्यकताओं की पूर्ति के सभी साधन सुलभ हों। मनुष्य की यह प्रकृति है कि वह ऐसे अवसरों से सदा बचता रहता है, जिसमें उसे दुःख पहुँचे। तभी दुःख होने की परिस्थितियों को वह शक्तिभर उत्पन्न नहीं होने देता। वह बराबर उन्हें दालता रहता है। और जहाँ उसकी स्थिति उसके शश के बाहर हो जाती है वहाँ वह दुःख कम करने के लिए उद्योग करता है। पर ससार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, जिसे दुःख कभी पहुँचा न हो। प्रायः देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति की किसी आवश्यकता की पूर्ति तत्काल नहीं होती, तो वह दुःखी हो उठता है। उस समय निराश होकर वह जो चाहे सो कह और सोच सकता है। पर कोई व्यक्ति यह कभी नहीं कह सकता कि अब मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जीवन रहते आवश्यकताएँ कभी मिट नहीं सकती। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग करते रहने का नाम ही जीवन है। इसके सिवा एक बात और है। और यह यह कि अगर किसी व्यक्ति की कोई एक आवश्यकता ऐसी है जिसकी पूर्ति तत्काल हो सकती है, तो उससे यह कभी नहीं समझा जा सकता कि उसकी तृप्ति हो गयी। कुछ न कुछ अन्य आवश्यकताएँ उसकी ऐसी अवश्य बनी रहेंगी, जिनकी पूर्ति का अभाव उसी क्षण भड़क उठेगा, जिस समय उसकी एक आवश्यकता की पूर्ति हुई है। इसके सिवा मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह सदा एक ही प्रकार के सुख से तृप्त नहीं रहता। प्रत्येक क्षण पैदा होने और जगनेवाली आवश्यकताओं की तत्काल पूर्ति तो सम्भव नहीं है। इसलिए असन्तोष तो उसका सदा बना ही रहता है।

इसी समय मोहन बोल उठा—जब असन्तोष मनुष्य का कभी मिट नहीं सकता, तो किनी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करना भी व्यर्थ है। तब तो सब से अच्छा यह है कि मनुष्य ससार में विरक्त होकर साधु सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे।

बिहारी तो जानता ही था कि मोहन अब ऐसी ही बात कहेगा। अतएव उसने उत्तर दिया—साधू सन्यासी हो जाने पर भी मनुष्य के मन का असतोप तो वहीं चला न जायगा। किसी-न किसी अश में यह बना तब भी रहेगा। बल्कि सम्भव है, कालान्तर में वह अधिक वेग के साथ मटक भी उठे। इसके सिवा ससार के कल्याण, विश्व की उन्नति और सभ्यता के विकास में उससे सहायता क्या मिलेगी ?

मोहन खुश हो गया था तब बिहारी ने पुन कहा—मुनो, अर्थशास्त्र में इसके लिए एक विधान है। वह कहता है कि आधिक आवश्यकताओं को मर्यादित करके चलने में मनुष्य का कल्याण अधिक सम्भव है। असन्तोष कोई बुरी चीज नहीं है। मनुष्य में अगर असन्तोष है, तो उसका अर्थ यह हुआ कि अपनी वर्तमान अवस्था में पड़े पड़ सड़ना उसे स्वीकार नहीं है। वह अपनी अवस्था सुधारना चाहता है। और स्थिति को शनै शनै सुधारे रहने की सतत चेष्टा ही उन्नति का मूल मन्त्र है। पर असन्तोष रहने का यह मतलब नहीं है कि मनुष्य असन्तोष को दूर करने का यत्न तो न करे, बल्कि रात दिन हाथ-हाथ करता रहे, अपना दुख हर आदमी के सामने रोंटा रहे और इस प्रकार अपने जावन रो भार बना डाले, उसे चाहिये कि जहाँ तक सम्भव हो, वह अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को मर्यादित करे। आर्थिक आवश्यकताओं को मर्यादित कर लेने पर अपने आप मनुष्य का असतोप बहुत अशों में दूर हो जाता है।

मोहन कहने लगा—लोकन आधिक आवश्यकताओं को मर्यादित करने का कोई उपाय भी तो होना चाहिए।

बिहारी बोल उठा—वेशक। आधिक आवश्यकताओं को मर्यादित करने का सबसे अधिक सुगम माग है मनानिग्रह। अर्थात् अपने मन और इन्द्रियों को बश में रखना। जब मनुष्य अपने आपको तृप्या और वासना की धारा में बेलगाम छोड़ देता है, तभी तो असन्तोष भङ्गता है।

मोहन तब पूछने लगा—अच्छा तो, इस बात का निश्चय कैसे होगा कि मनुष्य का असतोप कहाँ उचित है और कहाँ अनुचित ?

बिहारी ने कहा—यह तो बिल्कुल सीधा सी बात है। मान लो, कोई एक

गरीब किसान है। उसका परिवार भी इतना बड़ा है कि वह अत्यधिक परिश्रम करने पर भी इतना अनाज नहीं पैदा कर पाता, जिससे उसका भरण-पोषण हो सके। अब वही किसान अगर किसी दिन किसी अमीर को मोटर में सैर करता हुआ देखकर यह इच्छा करे कि ऐसी ही मोटर मुझे भी मिल जाय, तो उसकी यह तृष्णा प्रमाद ही सम्भली जायगी। ऐसी स्थिति में उसे सोचना चाहिए कि मोटर पाने की इच्छा करना उसके लिए उचित नहीं है। कारण, यह ऐसी इच्छा है, जिसकी पूर्ति उसकी स्थिति, मर्यादा और सामर्थ्य से बाहर है। उसके लिए उन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयत्न करना उचित और कल्याणकारक है, जो उसकी मर्यादा के सर्वथा अनुकूल है। इस प्रकार सोचकर अपनी आकांक्षा को सयत् करने में उसे जिस सुख और संतोष की प्राप्ति होगी, वह दूसरी तरह सम्भव हो नहीं सकती।

मोहन को अब मौक़ा मिल गया था। वह सोच रहा था कि मेरी इच्छा तो ऐसी कुछ अधिक ऊँची थी नहीं। फिर इन्होंने उसका विरोध क्यों किया? उपर बिहारी अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि उसे फ़वाल आ गया कि नयी अमर्यादित इच्छाओं का दमन ही मनोनिग्रह नहीं है, वरन् सुरी और असामयिक, व्यर्थ और हानिकारक इच्छाओं का दमन भी मनोनिग्रह है। तब उसने कहा—उस दिन मैंने बतलाया कि कुछ इच्छाएँ ऐसी होती हैं जो पहले अकेली जान पड़ती हैं, पर उनके पीछे अनेक इच्छाओं का ताता बँधा रहता है। कैशन, श्टंगार और बड़प्पन—प्रदर्शित करनेवाली वस्तुएँ ऐसी ही होती हैं। आवश्यकता न रहने पर भी वे प्यारी लगती हैं। उपयोगी न होने पर भी ऐसा जान पड़ता है, जैसे उनकी आवश्यकता है। शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए ऐसी असामयिक और व्यर्थ की इच्छाओं का भी दमन करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए।

मोहन की माँ की तबीयत ऊब रही थी। वह धोली—अब बहस ही करते रहोगे, या चलोगे ?

बिहारी बोला—हाँ, चलो।

सब लोग मकान से निकलकर सड़क पर आ गये थे। बिहारी ने देखा, रामप्रसाद जा रहे हैं। तब मोहन की ओर देखकर उन्होंने कहा—देखो

मोहन, जो सहर के कपड़े पहने और गांधी टोपी दिये हुए, नयी उमर का आदमी जा रहा है, जानते हो, कौन है ?

मोहन ने कहा—भे क्या जानूँ ?

तब सिहारी ने बलते-बलते बतलाया—ये हमारे नगर के एक प्रतिष्ठित रईस के पुत्र हैं। देखो, कौसी शादी पोशाक है ! सुच पूछो तो यही हमारा आदर्श होना चाहिए। सादा जीवन और उच्च विचार। हमारे पूर्वज ऐसी आदर्श क अनुयायी थे। वे अपनी आवश्यकताओं को सदा अपने राश में रखते थे। तभी वे सच्चा सुख सन्तोष लाभ करके जीवन को सफल बनाने में कृतकार्य होते थे। आज जो अशान्ति, असन्तोष, सभ्रं और अनैम्य की लहर विश्व भर में देग पड़नी है, उसका मुख्य कारण यह है कि हमने अपनी आर्थिक इच्छाओं पर नियन्त्रण रखना छोड़ दिया है। हम यह भूल रहे हैं कि आर्थिक आवश्यकताओं का नियमन ही जीवन में सच्चे सुख-सन्तोष की वृद्धि कर सता है। जो बेचारे गरीब हैं वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण दुःख और अशांति का अनुभव करते हैं। परंतु धनवान मनुष्य भी, अपनी इच्छाओं पर नियन्त्रण न कर सन्ने के कारण सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाते। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, बिना मनोनिग्रह के, बिना मन को बश में किये शांति और सन्तोष नहीं प्राप्त हो सकता। मन को बश में करना आसान काम नहीं है। परंतु अभ्यास और सतस्य से वह सुलभ हो जाता है। अपनी इच्छाओं पर नियन्त्रण करना मन की बश में करने का प्रधान साधन है। बिना आर्थिक इच्छाओं पर नियन्त्रण किये सादा जीवन व्यतीत करना सभ्य नहीं है। सादा जीवन व्यतीत करने से धन की हाय-हाय मिट जायगी और वे सर प्रयत्न बढ़ हो जायेंगे जिन के कारण दूसरों को, देश या समाज को हानि पहुँचती है। यह सच है कि इच्छाएँ अवरिमित हैं और सभ इच्छाओं की पूर्ति असंभव है। परंतु आर्थिक इच्छाओं को कमी कर देने पर ऐसी इच्छाओं को प्रोत्साहन मिलेगा जिनके द्वारा देश और समाज का कल्याण हो। यह तभी हो सकेगा जब सादे जीवन के साथ उच्च विचार हों। उस व्यक्ति के विचार

उच्च हो सकते हैं जो अपने प्रत्येक कार्य में दूसरों की भलाई का ध्यान रखता है। यदि सत्कार के अधिकांश व्यक्ति सदा जीवन और उच्च विचार के आदर्श के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगें, तो धन प्राप्त करने के लिए जो वे ईमानियाँ सत्कार में सर्वत्र दिखाई देती हैं वे बन्द हो जायँ, सत्कार में सतोष और शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाय और गरीब तथा अमीर सभी को ऐसा सुख प्राप्त हो, जिसके लिए वे आजकल तरस रहे हैं। आज मल मलदूरी और मालिकों, किसान और जमींदारों, काले और गोरों इत्यादि में जो भलाइ चल रहे हैं वे भी बन्द हो जायँ। युद्ध की भी कोई आवश्यकता न रह जाय और जो प्रयत्न आजकल दूसरों को हानि पहुँचाने और नीचा दिखाने के लिए किये जाते हैं वे दूसरों को लाभ पहुँचाने के लिए किये जाने लगें। सदा जीवन और उच्च-विचार के आदर्श के अनुसार चलने पर विलासिता की वस्तुओं और मादक द्रव्यों का प्रचार भी बन्द हो जायगा और करोड़ों रुपये जो आजकल इन वस्तुओं के लिए व्यर्थ में फूँक दिये जाते हैं वे अच्छे कामों में लगाये जाने लगेंगे, जिससे देश और समाज का कल्याण होगा।

मोहन बोला—मैं आपकी बातों को अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मैं अब सदा जीवन और उच्च विचार के आदर्श के अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करूँगा।

इस प्रकार बात करते सब लोग माघ मेला में पहुँचे और आवश्यक वस्तुएँ खरीदकर घर वापस आ गये। मोहन अपनी माता के साथ अपने घर पर उभाव चला गया।



आठवाँ अध्याय

सीमांत-उपयोगिता-हास नियम

—०८७०—

आज श्यामलाल के यहाँ दावत है। उसने कुछ ब्राह्मणों को निमन्त्रण दिया है। मोहन के चाचा विशारी को भी निमन्त्रण मिला है। वे अपने एक रिश्तेदार राजाराम के साथ ठीक समय पर श्यामलाल के मकान पर पहुँच गये। सात बजे सायंकाल दावत आरम्भ हुई। श्यामलाल ने परोसने का ऐसा अच्छा प्रबंध किया था कि सबको अपनी इच्छानुसार मूँच बढ़िया माल खाने को मिला। उस दावत में एक चौबेनी भी भाजन कर रहे थे। श्यामलाल ने चौबेनी के सामने एक लड्डू और परोस दिया। उसके विशेष आग्रह करने पर चौबेनी ने उस लड्डू को खा लिया। अब चौबेनी इतना खा चुके थे कि उनको अधिक लड्डू खाने की विलकुल इच्छा नहीं थी। इतने में श्यामलाल ने कहा—चौबेनी, यदि आप एक लड्डू ले, तो मैं आपको एक आना पैसा देने को तैयार हूँ। चौबेनी ने एक लड्डू माँगा और उसे शीघ्र पेट के हडाले किया। तब दूसरे लड्डू के लिए श्यामलाल ने दो आना देना स्वीकार किया और चौबेनी उसे भी खा गये। अब तीसरे लड्डू के लिए श्यामलाल जब चार आना देने को तैयार हुआ तो चौबेनी ने कहा—अब मैं एक भी लड्डू नहीं लूँगा, चाहे आप उसके लिए एक रुपया देने को भी तैयार हो जायँ। मेरी तो लड्डूओं से वृत्ति पहले ही हो चुकी थी। यद्यपि उसकी उपयोगिता मुझे कुछ भी नहीं थी, आपके आग्रह करने पर मैंने एक लड्डू ले लिया था। उसके बाद लड्डू खाने से मुझे तकलीफ

मालूम होने लगी। परन्तु उसके बदले में आने एक आना और दो आने का लालच दिया, इसलिए मैं दो लड्डू और खा गया। परन्तु अब तो उससे इतनी हानि होने की संभावना है कि मैं एक लड्डू एक रुपया के भी बदले खाने की तैयार नहीं हूँ।

मोहन का चान्चा विहारी चौबेजी की ये सब बातें ध्यान से सुन रहा था। उसने अपने रिश्तेदार राजाराम से कहा देखो राजाराम! चौबेजी जो बात कह रहे हैं वे बड़े महत्व की हैं। उनकी बातों में अर्थशास्त्र का एक नियम छिपा हुआ है। जब हम आज भोजन करने बैठे, तो पहले लड्डू की उपयोगिता हम लोगों को सबसे अधिक मालूम हुई। दूसरे लड्डू की उपयोगिता उससे कम। इस प्रकार लड्डूओं की उपयोगिता क्रमशः कम होती गई और जब हमारा पेट भर गया तब उसकी उपयोगिता शून्य के बराबर होगई। चौबेजी का भी वही हाल हुआ। जब उनका लड्डू की उपयोगिता शून्य के बराबर होगई, तब श्यामलाल के विरोध आग्रह करने पर उसने, एक लड्डू खा लिया। परन्तु उसके बाद लड्डू से उसे हानि होने की संभावना मालूम हुई और जब तक उसे प्रथम लड्डू के लिए एक आना और दूसरे लड्डू के लिए दो आना न मिल गया, उसने उन्हें नहीं खाया। उसके बाद तीसरा लड्डू तो उसने चार आना देने पर भी नहीं खाया। इससे हमको यह स्पष्ट रूप से विदित होता है कि जब हम किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो प्रथम वस्तु की उपयोगिता हमको सबसे अधिक मालूम होती है। उसके बाद क्रमशः उसकी उपयोगिता कम होने लगती है और उस वस्तु से उसी समय पूर्णरूप से वृत्ति हो जाने पर उसकी उपयोगिता शून्य के बराबर हो जाती है। उसके बाद फिर अनुपयोगिता आरम्भ होती है। अर्थशास्त्र में इसको सीमांत-उपयोगिता-हास नियम कहते हैं।

राजाराम—सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं ?

विहारी—मैं उदाहरण देकर तुमको समझावा हूँ। आज हमने सात लड्डू खाये। सात लड्डूओं की सीमांत उपयोगिता सातवें लड्डू की उपयोगिता के बराबर है। जब सात लड्डू खाकर हमारी वृत्ति होगई तो सातवें लड्डू की उपयोगिता शून्य के बराबर होगई। इसलिये हम कह सकते हैं कि सात

लड्डूओं की सीमान्त उपयोगिता शून्य के बराबर है। यदि हम पहले लड्डू की उपयोगिता बीस के बराबर मान लें, तो दूसरे लड्डू की उपयोगिता बीस से कम अर्थात् अठारह के बराबर होगी। पहले लड्डू की उपयोगिता २० और सीमान्त-उपयोगिता भी २० ही होगी। दूसरे लड्डू की उपयोगिता १८ और दूसरे लड्डू की सीमान्त उपयोगिता १८ होगी, परन्तु दोनों लड्डूओं की कुल उपयोगिता $२० + १८ = ३८$ हागी। इसी प्रकार जैसे-जैसे हम लड्डूओं की संख्या बढ़ाते जायेंगे, उनकी सीमान्त उपयोगिता क्रमशः कम होती जायगी और कुल उपयोगिता बढ़ती जायगी। जब हम उतने लड्डू खा लेंगे जिनसे हमारी वृत्ति हा जायगी तो सीमांत-उपयोगिता शून्य हो जायगी और कुल उपयोगिता सबसे अधिक हो जायगी। उसके बाद सीमान्त-उपयोगिता अनुपयोगिता में परिणत हो जायगी और कुल उपयोगिता कम होने लगेगी। यह हाल लड्डूओं के खाने में ही नहीं होता, वरन् प्रत्येक वस्तु के उपयोग में ऐसा ही होता है। किसी भी वस्तु का परिमाण लीजिए, पहली वस्तु की उपयोगिता उस से अधिक होती है और उसके बाद सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है।

राजाराम—आपकी बातें आसानी से समझ में नहीं आ रही हैं। आप कहते हैं कि लड्डू की उपयोगिता शून्य के बराबर हो जाती है। इस समय तो मेरा पेट भरा हुआ है। यदि मैं लड्डू का अभी न खाने कल खाऊँ, तो क्या उस समय भी उसकी उपयोगिता शून्य के बराबर रहेगी।

विहारी—कदापि नहीं। मैंने जो नियम बतलाया है वह एक समय के ही लिये है। समय के बदल जाने से उपयोगिता भी बदल जायगी। इस समय पेट भर जाने पर जो लड्डू तुम लोगे वह तुम्हारा आठवाँ लड्डू होगा। इसलिए उसकी उपयोगिता शून्य के बराबर होगी। परन्तु वही लड्डू जब तुम कल खाने लगोगे उस समय तुम्हारा पहला लड्डू होगा और उससे तुमको उतनी ही उपयोगिता मिलेगी जितनी तुमको आज पहले लड्डू खाने से मिली थी। वस्तु की उपयोगिता मनुष्य की परिस्थिति पर निर्भर रहती है। प्यासे मनुष्य को पानी की

उपयोगिता बहुत अधिक मालूम होती है, परन्तु जब वही मनुष्य पानी पी लेता है तब उसको पानी की कुल्य भी उपयोगिता नहीं रहती । पर मैंने यह जो नियम तुमको बतलाया है यह किसी एक ही समय के लिए है । समय बदल जाने से उपयोगिता भी अवश्य बदल जाती है ।

तब राजाराम ने कहा —लेकिन आपके इस नियम में मुझे कुछ भूल जान पड़ती है । क्योंकि अक्सर यह होता है कि अगर हम किसी दूकान पर जाकर एक मिठाई खाते हैं और वह हमको बहुत स्वादिष्ट जान पड़ती है, तो वही मिठाई उसी समय और खाने के लिए हम इतने अधीर हो जाते हैं कि पहले से अधिक दाम देकर भी हम उसे खाने को विवश हो जाते हैं ।

बिहारी बोल उठा—तुम्हारा कहना विलकुल ठीक है । यह इस नियम का अन्वय है । तुमने अभी बतलाया है कि एक बार एक मिठाई अच्छी लगने पर वही और ज्यादा खाने के लिए हम अधिक दाम तक देना स्वीकार कर लेते हैं । परन्तु आखिरकार सीमान्त-उपयोगिता की इस वृद्धि की भी एक सीमा होती है । मान लो कि वह मिठाई रसगुल्ला है और एक दूकान में तुमने केवल एक ले लिया । और उसी को और अधिक खाने की इच्छा हुई । इससे यह संभव है कि दूसरे की उपयोगिता तुमको पहले से अधिक मालूम दे, परन्तु तीसरे की उपयोगिता, दूसरे से अवश्य कम मालूम होने लगेगी । इसी प्रकार अगर वही रसगुल्ला एक एक करके सवेरे, दोपहर और शाम को खाया जायगा, तो उसकी सीमान्त-उपयोगिता में कोई अन्तर न आयेगा । बात यह है कि 'सीमान्त-उपयोगिता का हास नियम' तो मनुष्य की स्वाभाविक रुचि, किसी एक विशेष समय और स्थिति के लिए लागू होता है ।

राजाराम चुप हो गया था । वह सोच रहा था कि यह सीमान्त-उपयोगिता का हास नियम भी एक अच्छी ब नियम है । हम लोग इसे यद्यपि इस रूप में नहीं जानते, तो भी इसकी बातें सभी सही जान पड़ती हैं ।

बिहारी इसी समय कहने लगा—इसके सिवा अक्सर देखा जाता है कि बहपन और गौरव की वृद्धि के लिए जब हम किसी विशेष वस्तु को खरीदने पर दुरल जाते हैं, तब भी सीमान्त-उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है । मान लो

हमारे जिले भर में एक एक हाथी रखनेवाले पचीस जमींदार हैं। ऐसी दशा में अगर हमारे मन में कभी यह विचार पैदा होगा कि दो हाथी रखने पर हमारा बड़प्पन और गौरव बढ़ जायगा, तो दूसरे हाथी की उपयोगिता पहले से अधिक मानी जायगी।

कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वस्तुएँ कठिनता से मिलनेवाली होती हैं। महात्वाकांक्षी होने के कारण हम उनको सभ्रह करने में विशेष तृप्ति वा अनुभव करते हैं। उस दशा में उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि तुम्हारे पास एक बड़ा हीरा है। अब अगर तुमको मालूम हो जाय कि ऐसा ही एक हीरा, लाला रामदास के पास है, तो तुम्हारी इच्छा यह होगी कि अगर हम उसे भी खरीद लें तो कितना अच्छा हो! ऐसी दशा में उसे खरीदने में अगर तुमको कुछ अधिक दाम भी देना पड़ेगा, तो तुम उसे खरीद लोग। उस दूसरे हारे को खरीदने में तुम्हें विशेष तृप्ति वा अनुभव हागा।

राजाराम ने कहा—ये सब बातें तो मेरी समझ में आ गयीं, पर एक बात आपने नहीं बतलाया। और वह यह कि पैसे का मूल्य तो दुनिया में बराबर आँका जाता है, पर एक अमीर आदमी के लिए दस रुपया कोई चीज नहीं होती, और गरीब के लिए यही बहुत बड़ी चीज होती है। यहाँ तक कि संभव है, आवश्यकता के समय दस रुपये की क़ीमत उसके लिए एक किन्दगी की तरह महत्त्व की हो।

बिहारी बोला—तुम ठीक कहते हो। बात यह है कि द्रव्य के विषय में भी सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम लागू होता है। ज्यों-ज्यों कोई व्यक्ति धनवान होना जाता है, त्यों-त्यों उसके द्रव्य की उपयोगिता कम होती जाती है। मान लो, कोई व्यक्ति ५०) महीना वेतन पाता है और उसके घर तीन सेर धी प्रति मास खर्च होता है। अब अगर उसका वेतन १००) माहवार हो जायगा, तो द्रव्य की सीमांत-उपयोगिता कम हो जायगी और वह पहले से अधिक परिणाम में धी प्रतिमास खरीदने लगेगा।

तुमने देखा होगा कि वेतन मिलने पर लोग अधिकांश रुपया पहले

हकी में ही इर्च कर डालते हैं। फिर धीरे धीरे इर्च कम कर देते हैं। यहाँ तक कि महीने के अन्तिम सप्ताह में झाली हाथ होकर बहुत ही अधिक मितव्ययी हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ज्यों-ज्यों रुपया कम होता जाता है, त्यों-त्यों शेष रुपयों की सीमात उपयोगिता बढ़ती जाती है। अन्तिम रुपयों की उपयोगिता इतनी अधिक उठ जाती है कि लोग बहुत सोच विचारकर इर्च करते हैं। परन्तु एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि द्रव्य की सीमात-उपयोगिता बहुत धीरे धीरे घटती गटती है। वस्तुओं का परिमाण बढ़ने से उठती सीमात उपयोगिता में कमी होती है। द्रव्य के बढ़ने से सीमात उपयोगिता में कमी तो अवश्य होती है, पर बहुत कम।

राजाराम ने कहा—मैं अब इस नियम को अच्छी तरह समझ गया हू। बहुत देर हो गई है। अब हम लोगों को घर चलना चाहिए।

श्यामलाल को घन्यवाद देकर सब लोग अपने अपने घर चले गये।



नवाँ अध्याय

Law of Equimarginal Utility

सम-सीमान्त-उपयोगिता-नियम

राजाराम ने खेरे उठते ही बिहारी से कहा—जीजा जी, आज आपकी छुट्टी का दिन है और मुझे कुछ चीजें खरीदनी हैं। अगर साथ में आप भी चलें, तो अच्छा हो। तुम्हारे साथ रहने से एक तो मैं ढगाऊंगा नहीं, दूसरे बातचीत में रास्ता चलना भी नहीं पड़ेगा।

बिहारी बोला—अच्छी बात है। मैं भी चलूंगा।

दोनों बाजार जाने के लिए तैयार हो गये।

थोड़ी दूर जाते ही बिहारी ने पूछा—क्या क्या खरीदना है तुमको ?
राजाराम ने कहा—क्या बतलाऊँ जीजा, चीजें तो बहुत सी खरीदनी हैं, पर उन सब के लिए रुपये पूरे होंगे, इसमें सन्देह है।

मुसकराते हुए बिहारी ने कहा—यह और अच्छी बात है।

राजाराम बोला—आप मज़ाक समझते हैं, लेकिन मैं सच बात कह रहा हूँ। स्थिति ही ऐसी हो रही है। किया क्या जाय ?

बिहारी—मज़ाक नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ही ठीक कह रहा हूँ। मैं और तुम ही अकेले नहीं, सभार में प्रत्येक मनुष्य सदा यही चाहता है कि जो कुछ भी द्रव्य वह खर्च करे, उससे उसको अधिक-से-अधिक उपयोगिता प्राप्त हो। यह तै करना आसान नहीं है कि किस समय, कौन कौन सी वस्तुएँ किस परिमाण में खरीदी जायँ। जब कभी कई चीजें खरीदनी होती हैं, तब सदा यही समस्या सामने आ जाती है कि उन वस्तुओं में किसकी उपयोगिता सबसे अधिक है। प्रायः हमको अनेक प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है

और उनमें से कुछ वस्तुएँ तो विविध सख्या में लेनी पड़ती हैं। और सीमान्त उपयोगिता हास-नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु को अधिक परिमाण में इरीदने से उसकी सीमान्त-उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जाती है। अतएव हमको यह निश्चय करने में प्रायः बहुत कठिनाई होती है कि इन अनेक वस्तुओं में से कौन कौन सी वस्तुएँ और कितनी-कितनी—कित-कितने परिमाण में—इरीदी जायँ, ताकि हमें अपने द्रव्य से अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो। अर्थशास्त्र में इस बात का विवेचन बहुत विस्तार से किया गया है। इसे सम सीमान्त उपयोगिता नियम कहते हैं।

आश्चर्य से राजाराम ने कहा—अच्छा ! तो अर्थशास्त्र में हमारे दैनिक जीवन की इन छोटी छोटी समस्याओं पर विचार किया गया है।

विहारी ने कहा—हाँ, दैनिक जीवन में जिस किसी बात का सम्बन्ध मनुष्य के भ्रम, उपार्जन और उपभोग से है, फिर चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, अर्थशास्त्र में उसका विवेचन अपना एक निश्चित स्थान रखता है।

राजाराम ने पूछा—अच्छा तो आपने अभी वह जो एक नया नियम बतलाया उसका अन्विष्टा क्या है ?

विहारी बोल उठा—उस सम-सीमान्त-उपयोगिता नियम का अर्थ यह है कि प्रत्येक उपभोग करनेवाला व्यक्ति अपनी आय के द्रव्य का विभाजन, उपभोग की वस्तुओं पर, इस भाँति करे कि उसको प्रत्येक वस्तु पर इतना खर्च किये गये अन्तिम रुपये से करीब-करीब बराबर उपयोगिता प्राप्त हो। इस तरह उसको अधिक-से-अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। और ऐसा तभी हो सकता है जब प्रत्येक वस्तु पर इतना खर्च होनेवाले अन्तिम सिक्के से समान सीमान्त उपयोगिता की प्राप्ति हो।

दोनों रास्ता चलते जाते हैं। राजाराम जो बात नहीं समझ पाता है, उसकी बात तो दूर रही, जिसको एक बार समझ भी लेता है, विहारी के आगे बोलते रहने पर, वह उसे भी भूल जाता है। अतएव उसने कहा—अभी ठीक तरह से यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। अब इसे ऐसे ढँग से बतलाइये कि एकदम पूरी तरह से समझ में आ जाय। पढ़ा ज़रूर थोड़ा बहुत है, लेकिन है तो आदिपकार किमान ही। सपेट की बात ज़रा देर से

समझ पाता हूँ ।

तब मिहारी ने कहा—अच्छा लो, उदाहरण देकर समझाता हूँ । मान लो, किसी व्यक्ति के पास आठ रुपये राख करने के लिए हैं और उस को गेहूँ, चावल, कपड़ा और चीनी खरीदनी है । अब उसके लिए विचारणीय यह है कि वह प्रत्येक रुपये का किस प्रकार खर्च करे, जिससे उसको सब से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो । एसी दशा में उसे देखना यह होगा कि किस वस्तु को पहले खरीदने से उसे उपयोगिता की अधिक से अधिक प्राप्ति होगी । मान लो, पहला रुपय खर्च करने पर जो गेहूँ प्राप्त हो, उसकी उपयोगिता १००, इसी प्रकार चावल से ८०, कपड़े से ९० और चीनी से ६० है । अतएव वह व्यक्ति पहला रुपया गेहूँ पर खर्च करके १०० उपयोगिता प्राप्त करेगा, पर दूसरा रुपया भी अगर वह गेहूँ पर खर्च करेगा, तो उस दूसरे रुपये से उसे ८० उपयोगिता ही मिलेगी, जब कि उसी दूसरे रुपये को वह अगर कपड़े पर खर्च करता, तो उसे ९० उपयोगिता मिलती । यदि वह उस दूसरे रुपये को चावल खरीदने में खर्च करे, तो भी उसे चावल पर ८० उपयोगिता ही मिलेगा । इसी प्रकार चीनी पर ६० । अतएव वह सोच समझकर दूसरे रुपये को कपड़ा खरीदने में ही खर्च करना अधिक पसन्द करेगा, क्योंकि उस दशा में उस को ९० उपयोगिता मिलेगी । इसके बाद उसे तीसरा रुपया खर्च करना है । अब ध्यान देने योग्य बात यह है यह तीसरा रुपया गेहूँ के लिए दूसरा, चावल और चीनी के लिए पहला होगा । और गेहूँ की सीमात उपयोगिता दूसरे रुपये के लिए ८० है, चावल और चीनी की क्रमशः ८० और ६० । कपड़े के लिए यह दूसरा रुपया होगा और उसमें उसे अब की बार ७० उपयोगिता मिलेगी । अतएव वह तीसरे और चौथे रुपये को गेहूँ और चावल खरीदने में खर्च करके क्रमशः ८० ८० उपयोगिता प्राप्त करेगा । दोनों में उसे समान उपयोगिता प्राप्त होगी ।

राजाराम अब चुप था, जिसका अर्थ मिहारी ने ठीक ही समझा कि बात उसके समझ में आ रही है । अतएव वह उसी क्रम से कहता चला गया—

अब पाँचवें रुपए का नम्बर आता है। अब वह सोचेगा कि गेहूँ के लिए इस पाँचवें रुपये की उपयोगिता वास्तव में तीसरे रुपये के समान है और उसे उसको अबकी बार ६० उपयोगिता मिलेगी, इसी प्रकार चावल के लिए वह दूसरे रुपये के समान है और उसको ६० उपयोगिता मिलेगी। चीनी के लिए यद्यपि वह पहला ही है, तो भी उसे ६० उपयोगिता ही मिल सकती है। अब केवल कपड़ा ही एक ऐसी वस्तु शेष रह जाती है जिस पर उसे ७० उपयोगिता मिल सकती है, क्योंकि उस पर वह दूसरे रुपये के समान है। अतएव सोच समझकर वह पाँचवें रुपये को कपड़े पर खर्च करके ७० उपयोगिता प्राप्त करना अधिक पसन्द करेगा।

यहाँ राजाराम बोल उठा—लेकिन पाँच रुपये उसके खर्च हो गये और चीनी उसने अब भी नहीं ली। जब कि चीनी लेना भी उसके लिए आवश्यक है।

बिहारी ने तुरन्त उत्तर दिया—बबडाओ नहीं, मैं उसे भूला नहीं हूँ। हाँ तो छूठे और सातवें रुपये को वह क्रमशः गेहूँ और चावल पर खर्च करके प्रत्येक पर ६०-६० उपयोगिता प्राप्त करते हुए अंत में आठवें रुपये की चीनी लेकर ६० उपयोगिता प्राप्त करने का लाम उठायेगा। इस प्रकार प्रत्येक रुपये पर वह अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त कर सकेगा। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपने आठ रुपए का विभाजन, आवश्यक वस्तुओं की खरीद में, उसने इस प्रकार किया—

- १ रुपये गेहूँ खरीदने में
- २ रुपये चावल खरीदने में
- २ रुपये कपड़ा खरीदने में
- १ रुपया चीनी खरीदने में

गेहूँ खरीदने में उसे क्रमशः १००, ८०, ६० उपयोगिता मिली, चावल खरीदने में ८०, ६०; कपड़ा खरीदने में ९०, ७० और चीनी में ६०। अब जरा यह देखो कि जो वस्तुएँ खरीदी गई हैं उनकी सीमान्त उपयोगिता क्या है। गेहूँ की ६०, चावल की ६०, कपड़े की ७० और

दसवाँ अध्याय

माँग का नियम

राजाराम बिहारी के साथ बानार आया हुआ है। वह एक फलवाले की दुकान के पास से जा रहा है। दुकान पर छोटी छोटी ढलियों में, रंग रिरंगे कागजों में, सजावट के साथ, तरह-तरह के फल रखे हुए हैं। चलते रहने के कारण, उसकी आँखें, आगे बढ़ती हुईं देख रही हैं कि यह सेय हैं, ये केले और ये सतरे। बार-बार उसके मन में आया है कि क्या चीज ली जाय। लेकिन वह बिहारी के साथ साथ चलता ही जा रहा था। अन्त में वह जब फलों की दुकानों के आगे बढने लगा, तो उमसे रहा नहीं गया और उसने कहा—जीजा, सतरे न लीजियेगा !

बिहारी बोले—ले लो। लेकिन ये सतरे तो . . . ।

मत अधूरी रह गयी और बिहारी ने आगे बढ़कर दुकानदार से पूछा—क्या भाव दिये ये बड़े सतरे ?

दुकानदार ने जवाब दिया—कितने लीजियेगा !

बिहारी बोले—अनीब किरम का जवान देते हो। मैं पूछ रहा हूँ, किस भाव दिये हैं और तुम जवाब देते हो, कितने लीजियेगा ?

दुकानदार बोला—हुजूर नाराज न हों। इस ढेरी में बीस हैं। सबके सब लीजिये, तो एक रुपये में दे दूँगा। यो चार-चार पैसे लगाये है।

बिहारी बोले—सब लेकर क्या करूँगा ? मुझे तो सिर्फ चार चाहिए।

दुकानदार ने कहा—तब तो सरकार चार आने लगेंगे।

बिहारी बोले—तेज बहुत है । और ये छोटे किस भाव दिये ?

“ले लीजिये, बहुत सस्ते दे दूँगा ।” कहता हुआ दूकानदार दोनों हाथों से सनरे उठा उठाकर मोहन के चाचा को देने लगा ।

बिहारी बोले—रक्खो रक्खो, अभी लेता हूँ । पहले भाव तो ठहरा लो ।

दूकानदार बोला—एक रुपये के पच्चीस लगाये हैं ।

बिहारी ने कहा—पच्चीस नहीं, देना हो, तो एक रुपये के बत्तिस के दिसाब से दो । हम आठ ले लेंगे ।

दूकानदार जब सतरे बिहारी को देने लगा, तो बिहारी ने राजाराम से कहा—अच्छे से आठ निकाल लो ।

राजाराम सतरे चुनने लगा और उसने जीजा ने जेब से चार आने पैसे निकालकर दूकानदार को दे दिये । राजाराम भी सतरे छुटकर केले म भर दिये और दोनों फिर बाजार घूमते हुए एक ओर को चल दिये ।

थोड़ी दूर चलने पर उसके जीजा एक शराफे की दूकान पर बैठ गये । राजाराम भी वहीं बैठ गया । पर बैठते ही यह बोला—मुझे इस सौदे के पट जाने में शक हो रहा था । जब आपने कहा तेज बहुत है, तब मैं एक तरह से निराश हो गया था । बल्कि मेरे मन में तो यह भाव भी आया था कि आज इन सतरो के ज़रीदने की आपकी इच्छा ही नहीं है ।

तब तो बिहारी मुसकराते हुए बोल उठे—इच्छा शब्द बहुत व्यापक है । आवश्यकता न होने पर भी बहुतेरी वस्तुएँ देखकर ज़रीदने का भाव मन में पैदा होता है । उसे हम इच्छा कह सकते हैं । पर एक इच्छा वह होती है, जिसके उत्पन्न होने पर हम उसकी पूर्ति के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं । जब वह वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है, तो हमें एक प्रकार की वृत्ति का अनुभव होता है । अर्थशास्त्र ऐसी इच्छा को आवश्यकता मानता है । इसके अनुसार मनुष्य अपनी इच्छा-पूर्ति के लिए उद्योग करता है । जैसे अगर हम उस सतरे वाले के यहाँ केवल यह कहकर चल देते कि बड़े मँहगे हैं, तो यह मानना पड़ता कि हमें सतरो की आवश्यकता नहीं है । पर हमने ऐसा न करके उस से कुछ छोटे सतरो का भाव ताव किया और अन्त में हमें सफलता मिली । और इससे यह प्रमाणित हो गया कि मुझे इनकी आवश्यकता थी ।

इतना कहकर विहारी ने एक सतरा छीलकर उस सराफ़े के दूकानदार को देते हुए कहा—लीजिए सेठ जी, यतय ग्राह्य ।

सराफ़ ने कहा—आप रगड़िए मास्टर साहब ! मैं तो इस वक्त काम में लगा हूँ । तब राजाराम और विहारी दानों सतरे गाने लगे ।

विहारी ने सतरे की काँक छीलते हुए कहा—इच्छा, आवश्यकता और माँग इन तीनों शब्दों का प्रयोग अर्थशास्त्र में अपना अपना अलग अलग महत्त्व रखता है । हमारे लिए सतरो का गरीद पहले इच्छा थी, फिर यह आवश्यकता बन गई । और अंत में उसने माँग का रूप धारण कर लिया । माँग शब्द से इच्छित वस्तु की उस मात्रा का बोध होता है जिसे कोई व्यक्ति, किसी विशेष समय में, किसी निश्चित दाम पर गरीदता है । जैसे हमने आठ सतरे गरीदे हैं । इन के दाम हम चार आने देने पड़े हैं । अब हम इसी को इस तरह से कह सकते हैं कि सतरेवाले दूकानदार के यहाँ हमारी माँग चार आने पैसे पर ८ सतरे की हुई है ।

राजाराम इसी समय बोल उठा—माँग तो असल में ८ सतरे की कहलायेगी । पर आप तो माँग के साथ उसकी दर भी जोड़ते हैं ।

तब विहारी ने कहा—माँग और दाम का बहुत निवट सम्बन्ध है । बिना दाम निर्धारित हुए किसी वस्तु को हम कैसे गरीद सकते हैं ? इसलिए माँग के साथ वस्तु की दर जुड़ी रहती है । अर्थशास्त्र के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि हमको १०० सतरो की माँग है, जब तक कि उसकी दर न यतला दें । इसीलिए हमें यह कहना पड़ेगा कि आठ सतरे लेने पर रुपये के बत्तिस सतरे का भाव रहा है । पर अगर हमें १०० सतरे लेने होंगे, तो यही भाव बदल जा सकता है । तब सम्भव है, हमें दस रुपये के ही सौ सतरे मिल जायँ, जब कि इस भाव से १०० सतरो के दाम ३=) होते हैं ।

मोहन इसी समय बोल उठा—तो आपका मतलब यह है कि कोई वस्तु अधिक परिणाम में खरीदने पर वह कुछ सस्ते दाम पर मिल जाती है ।

विहारी ने तत्काल कह दिया—बेशक । वस्तु की माँग को घटती बढ़ती पर प्रायः उसकी कीमत का घटना बढ़ना निर्भर रहता है । तुमने तो देखा या

कि वह संतरेवाला अपने मन से ही वे बड़े बीस सतरे एक रुपये पर देने को तैयार था। तुमने यह भी देखा होगा कि जब हमने भाव पूछा था, तब उसने सबसे पहले यही सवाल किया था कि लीजियेगा कितने सतरे? मैंने देखा कि वे संतरे बड़े होने के कारण मँहगे हैं। पर अगर मैं बीसों संतरे लेना स्वीकार करता, तो यह भी सम्भव था कि वह एक रुपये के बजाय बारह आने में ही उन्हें दे देता। और तब दस सतरों की अपेक्षा वे कुछ मँहगे पड़ते। ये हमको चार आने के आठ पड़े हैं, अर्थात् अगर मैं दस लेता तो पाँच आने के पड़ते। और वे संतरे कुछ बड़े होने के कारण दस केवल छे आने के पड़ते।

राजाराम इसी क्षण बोल उठा—तो इस तरह से इस छोटे संतरों को लेकर आप ठगा गये।

बिहारी हँस पड़े और बोले—लेकिन तुम नहीं जानते कि इसके अन्दर भी अप्रशंसा का एक सिद्धान्त छिपा हुआ है। और वह है—माँग का नियम। यह हम सीमान्त-उपयोगिता तथा सीमान्त-उपयोगिता-हास-नियम से निकलता है। जब हम किसी वस्तु को अधिक परिमाण में इरीदते हैं, तो सीमान्त उपयोगिता हास नियम के अनुसार, क्रमशः उस वस्तु की उपयोगिता कम हो जाती है। तुम्हें पहले मालूम हो चुका है कि पहले सतरे से दूसरे सतरे की उपयोगिता कम होगी, फिर दूसरे से तीसरे की कम होगी। एक संतरा लेने के लिए तो हम शायद चार पैसे भी इर्च करने को तैयार हो जायें, पर दसवाँ संतरा हम इस भाव से कभी नहीं लेंगे। वही दूकानदार अभी चार आने में आठ संतरे दे चुका है, पर अगर एक संतरा हम उससे दो पैसे में लेना चाहते, तो कभी न देता। जब उसने दो पैसे का एक सतरा दिया है, तब हमने आठ लिये हैं, किन्तु यही सतरे यदि वह तीन पैसे के दिसान से देता, तो हम ६ से अधिक नहीं ले सकते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं जब संतरों का भाव दो पैसा ही संतरा है, तब हमारी माँग आठ सतरे की है, किन्तु यदि उन्हीं संतरों का भाव एक पैसा ही संतरा हो, तो हमारी माँग सोलह या बीस सतरों की हो जायगी।

राजाराम का सन्देह अब भी दूर नहीं हो रहा था। अतएव उसने पूछा—

लेकिन अब भी मैं यह नहीं समझा कि बारह आने में वे बीस सतरे न खरीदकर आपने चार आने में छूटे आठ क्यों लिये ?

तब विहारी ने जवाब दिया—तुम यहाँ पर सम-सीमान्त-उपयोगिता-नियम की ओर ध्यान नहीं दे रहे हो। जब हम प्राउन्टेनपेन लेने के बदले में एक किताब लेते हैं, तो हमारे लिए किताब की उपयोगिता प्राउन्टेनपेन से अधिक अथवा कम-से-कम बराबर तो अवश्य होती है। इसी प्रकार जब हम एक आने का एक सतरा लेते हैं, तो हमारे लिए उस सतरे की उपयोगिता उस एक आने की उपयोगिता के बराबर तो अवश्य होनी चाहिए। पर अगर हमारे एक आने की उपयोगिता उस एक सतरे से अधिक होगी, तो हम वह सतरा खरीदना कभी पसन्द न करेंगे। किन्तु यदि सतरे की उपयोगिता एक आने से अधिक होगी, तो हम तभी सतरा खरीदना स्वीकार करेंगे, जब हमारे पास उसके खरीदने को पैसे होंगे और सतरे उस परिमाण में खरीदेंगे जब अंतिम सतरे की उपयोगिता (उपयोगिता हास नियम के अनुसार घटकर) एक आने की उपयोगिता के समान हो जायगी।

अब हम इसी बात को उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लो, सतरे का दाम एक आना प्रती सतरा है। इस दशा में पहले सतरे की उपयोगिता १००, दूसरे की ९० और तीसरे की ८० होगी। पर यदि सतरे का भाव गिरकर प्रती सतरा १/२ हो जाय, तो एक आने के दो सतरे मिलेंगे। इसलिए एक आना खर्च करने पर दो सतरों से जो उपयोगिता हमें मिलेगी वह होगी $१०० + ९० = १९०$ । इसी प्रकार दूसरे आने से $८० + ७० = १५०$ होगी। पर यदि सतरे पैसे पैसे विकने लगें, तो एक आने में वे चार आयेंगे। और तब उनकी उपयोगिता होगी $१०० + ६० + ८० + ७० = ३४०$ ।

अपने सन्देह में तुमने केवल सतरों की सीमान्त-उपयोगिता का ध्यान रक्खा, किन्तु द्रव्य की भी तो एक सीमान्त-उपयोगिता होती है। मान लो कि एक आने का सतरा हमने लिया है। उस पर हमें १०० उपयोगिता मिलेगी। पर दूसरे सतरे से जो उपयोगिता हमें मिलेगी वह तो ९० ही होगी। पर एक आने में जो उपयोगिता हमें देनी पड़ेगी, वह १०० होगी। इससे दूसरे सतरे को इस भाव पर लेना हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं।

जब सतरों की क्रीमत दो पैसा भी सतरा होगी, तब हम आठ ले लेंगे, पर यदि उसकी क्रीमत घटकर भी पैसा एक सतरा हो जायगी, तो हम अधिक से अधिक सोलह ही लेंगे। इससे सिद्ध होता है कि क्रीमत घटने से माँग बढ़ती और क्रीमत बढ़ने से माँग घट जाती है। यही माँग का नियम है।

वार्तालाप चल रहा था। बिहारी और राजाराम दोनों सतरे छील छील कर ला रहे थे। बीच बीच में बातें भी होती जाती थीं। बिहारी की उपर्युक्त बात के समाप्त होते होते राजाराम चुप हो रहा। बिहारी ने समझ लिया कि बात उसकी समझ में आ गई। तब उसने कहा—किन्तु ये नियम भी एक निश्चित समय और परिस्थिति के लिए है। गमियों में सतरों की आवश्यकता जाड़ों से अधिक पड़ती है। इसलिए गमियों में सतरे हम एक आना भी सतरे के भाव से तीन तरु झरीद ले सकते हैं। पर जाड़ों में हम शायद इस भाव पर एक भी झरीदना स्वीकार न करेंगे। इसी प्रकार आमदनी जब अधिक बढ़ जाती है, तो द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता घट जाती है। उस दशा में जो आमदनी पहले दो पैसे भी सतरा के हिसाब से चार सतरे भी नहीं झरीद सन्ता था, सम्भव है, आमदनी बढ़ जाने से वह एक आना भी सतरे के हिसाब से ५, दो पैसे भी सतरे के हिसाब से १६ और एक पैसे भी सतरे के हिसाब से २५ सतरे तक झरीद ले।

सतरे के छिलके को अलग पेंकते हुए अब राजाराम ने कहा—माँग बढ़ जाने से चीजों के परिमाण में यथायक कमी भी आ जाती है। तब लोग उस चीज को भाव बढ़ाकर बेचने लगते हैं।

बिहारी ने उत्तर दिया—साधारण रूप से तुम्हारा कहना ठीक है। पर चीज की माँग बढ़ जाने का प्रभाव उसकी उत्पत्ति पर भी हो पड़ता है। जिस चीज की माँग बढ़ जाती है, लोग उसे अधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं। जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम या तो पहली क्रीमत पर पहले की अपेक्षा अधिक परिमाण में उस वस्तु को झरीदते हैं, या उससे अधिक क्रीमत पर या उतनी ही या अधिक परिमाणों में। तब उस वस्तु की माँग बहुत बढ़ जाती है। और इस प्रकार से माँग बढ़ने को अर्थ-

शास्त्र में 'माँग की प्रचलता' कहते हैं।

राजाराम ने पूछा—और जब कीमत कम हो जाने से माँग बढ़ जाती है, तब

बिहारी—तब उसे माँग का प्रसार कहते हैं।

राजाराम ने कहा—लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कीमत कम हो जाने से ही वस्तु की माँग बढ़े, यह भी जरूरी नहीं है कि श्रुत परिवर्तन से ही किसी वस्तु की माँग बढ़ जाय। किसी वस्तु का महत्त्व कभी-कभी पैशन में आ जाने के कारण भी बढ़ जाता है। और कभी-कभी तो अनुप्य मी-रुचि में भी परिवर्तन उपस्थित हो जाता है। उस समय भी किसी वस्तु की माँग बढ़ जाती है। और आमदनी बढ़ जाने से तो वस्तु की माँग का परिमाण, उसी कीमत पर अफसर बढ़ जाता है।

बिहारी—हाँ, इसको भी माँग की प्रचलता कहते हैं। माँग की प्रचलता उस वस्तु की कीमत बढ़ने का एक कारण होता है। परन्तु वस्तु की कीमत कम हो जाने का फल है माँग का प्रसार।

किन्तु यह सब तो माँग की वृद्धि के बातें हैं। इसके विपरीत बातें भी बहुत हैं। यदि वस्तु जब पैशन के बाहर हो जाती है, अथवा किसी वस्तु के अत्यधिक व्यवहार करने से जब उसकी तनियत भर जाती है, रुचि घटल जाती है या आमदनी घट जाती है, तब वह वस्तु उसी कीमत पर पहले की अपेक्षा कम इररीदता है, यहाँ तक कि कीमत घट जाने पर भी उतनी ही या उससे कम परिमाण में इररीदता है।

राजाराम बोला—तब उसे अर्थशास्त्र में माँग की घटी कहते होंगे।

बिहारी—नहीं, माँग की घटी तो कीमत बढ़ने से होती है। यह तो माँग की शिथिलता है। ऐसी परिस्थिति में भी वस्तु की कीमत घट जाती है। इसी लिए इसे अर्थशास्त्र में माँग की शिथिलता कहा जाता है। पर माँग की प्रचलता हो, चाहे शिथिलता, प्रत्येक स्थिति का प्रभाव वस्तु की उत्पत्ति के परिमाण पर पड़ता है।

बातें समाप्त हो ही रही थीं कि राजाराम ने देखा एक आदमी तार लेकर

आ पहुँचा । सेठ जी ने भट खोलकर देखा । देखते देखते उनका चेहरा खिल उठा । उन्होंने कहा—चाँदी का भाव पचास से बढ़कर अठ्ठावन रुपए पर पहुँच गया !

बिहारी ने इसी समय कहा—देखो, माँग की प्रचलता का ही यह फल है कि इसी क्षण सेठ जी को सेकड़ों रुपये का फायदा प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने देख पट रहा है ।



ग्यारहवाँ अध्याय

उपभोक्ता की वचत

बिहारी भोजन करने के बाद अपने कमरे में आराम कर रहा था। दिल-बहलाव के लिए वह एक उपन्यास पढ़ने लगा। इतने में राजाराम आ गया। बिहारी ने पुस्तक का पढ़ना बन्द कर दिया। और वह राजाराम से इधर-उधर की बातें करने लगा। राजाराम ने बतलाया कि सरकार ने पोस्टकार्ड की दर दो पैसे से बढ़ाकर तीन पैसा कर दिया है। उसे अपने लड़के के पाठ एक कार्ड भेजना था। जब वह टाकपर गया तो उसे एक पोस्टकार्ड के लिए तीन पैसे देने पड़े थे। इस दर के बढ जाने से तो गरीबों को बहुत नुकसान होगा।

बिहारी बोला—तुम्हारी यह समझ ठीक नहीं है। नुकसान तो किसी को नहीं होगा। हा, गरीब लोग पोस्टकार्ड खरीदना कम कर देंगे और उनको जो पोस्टकार्ड से लाभ होता था उसमें कमी अवश्य हो जायगी। बरा सोचो तो सही जब तुमने तीन पैसे देकर एक पोस्टकार्ड खरीदा तब क्या तुमको कुछ नुकसान हुआ ?

राजाराम ने तुरन्त उत्तर दिया—बेशक ! एक पैसे का नुकसान हुआ। वही पोस्टकार्ड मुझे पहले दो पैसे में मिलता था, अब उसी के लिए मुझे तीन पैसे देने पड़े। इस प्रकार मुझे एक पैसा अधिक तो देना पड़ा।

बिहारी ने कहा—यह ठीक है कि तुमको पोस्टकार्ड के लिए एक पैसा अधिक देना पड़ा। परन्तु इससे तुमको नुकसान नहीं हुआ। यदि नुकसान

होता तो तुम उसको कदापि न खरीदते। यह बात तो यह है कि तीन पैसे में पोस्टकार्ड खरीदने पर भी हमें अभी लाभ हो रहा है। यदि सरकार द्वारा डाक का प्रन्व न होता तो अपने लडके के पास समाचार भेजने के लिए तुमको एक आदमी भेजना पड़ता और उसके लिए तुमको कम से कम चार आने पैसे खर्च करने पड़ते। अब यही काम तुम्हारा तीन पैसे में हो गया, इसलिए तुमको सवा तीन आने की बचत हो गई। हाँ, यह ठीक है कि जब पोस्टकार्ड दो पैसे में मिलता था तब तुम्हारी बचत साठे तीन आने की होती थी। पोस्टकार्ड की कीमत बढ़ने से अब उस बचत में एक पैसे की कमी अवश्य हो गई है, परन्तु तुमको प्रत्यक्ष रूपसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। चैवल पोस्टकार्ड में ही नहीं, यरन् ससार की सब वस्तुओं के खरीदने में हमको इसी प्रकार से बचत होती है और उसको हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। तुम यह जानते ही हो कि सब से पहली वस्तु की उपयोगिता हमको सब से अधिक होती है और फिर क्रमागत हास नियम के अनुसार उसकी सीमान्त उपयोगिता कम होने लगती है। सम सीमांत-उपयोगिता नियम के अनुसार अंतिम बात की उपयोगिता उस पर खर्च किये हुए द्रव्य अर्थात् उसकी कीमत की उपयोगिता के बराबर होती है। कल हमने चार आने के आठ सतरे खरीदे थे। आठवें सतरे की उपयोगिता कम से कम दो पैसे की उपयोगिता के बराबर अवश्य थी। अगर उसके बराबर न होती तो हम आठवाँ सतरा कदापि न खरीदते। अब सातवें सतरे की उपयोगिता आठवें से अधिक है परन्तु उसके लिये भी दो ही पैसे दिये हैं। इसी प्रकार सातवें सतरे से हमें कुछ उपयोगिता की बचत हुई। छठवें सतरे से बचत उससे भी अधिक हुई। इसी प्रकार पाँचवें, चौथे, तीसरे इत्यादि से क्रमशः बचत बढ़ती गई और आठों सतरे के खरीदने से जो हमको कुल उपयोगिता मिली यह उस पर खर्च किये चार आने की उपयोगिता से बहुत अधिक थी। तभी तो हमने सतरे खरीद लिये। इसी प्रकार सब वस्तुओं के खरीद या उपभोग करने में बचत होती है।

राजाराम ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा—आपकी बात मुझे समझ

में नहीं आ रही है । एक और उदाहरण लेकर जरा उसे फिर से समझाइये ।

विहारी—अच्छा, लो, १ मुनी जब घी का भाव ५) सेर होता है, तब कोई व्यक्ति महीने भर में एक सेर घी गरीदता है । किन्तु अगर घी का भाव ४) सेर हो जायगा, तो वही आदमी दो सेर घी खरीदेगा । इसी प्रकार ३) सेर का भाव हो जाने पर तीन सेर, २) सेर का भाव हो जाने पर चार सेर और १) सेर हो जाने पर पाँच सेर खरीदने लगेगा । अब ध्यान देने की बात यह है कि जो व्यक्ति एक सेर घी लेकर पाँच रुपये खर्च करता था, वह उस एक सेर घी से उतनी वृत्ति तो कम से कम प्राप्त ही करता था, जितनी उसे पाँच रुपये खर्च करने पर किसी दूसरी वस्तु से प्राप्त होती । किन्तु घी का भाव जब ४) सेर हो जाता है, तब वही आदमी दो सेर घी लेने लगता है । इस प्रकार पहले सेर घी में ४) रुपये खर्च करने पर उसको यही वृत्ति प्राप्त हो जाती है, जिसके लिए वह पाँच रुपये खर्च करने को तैयार रहता था । फिर दूसरे सेर घी के लिए वह जो चार रुपये देता है, उससे उसको उतनी उपयोगिता तो अवश्य ही प्राप्त होगी, जितनी उसे ४) रुपये खर्च करने पर किसी दूसरी वस्तु से प्राप्त होती । अब इस प्रकार उसको वृत्ति मिलती है पहले सेर में ५) की, और दूसरे सेर में ४) की । अर्थात् कुल ९) की । किन्तु दो सेर घी लेने पर खर्च करने पड़ते हैं, उसे केवल ८) । इस प्रकार उसकी असली बचत १) होगी ।

इसी प्रकार जब घी का भाव ३) सेर होगा, तब वह ५) + ४) + ३) कुल १२) भर की उपयोगिता प्राप्त करेगा, जब कि उसे ३ सेर के लिए ३) सेर के भाव से केवल ९) खर्च करने पड़ेंगे । उस दशा में उसकी बचत ३) के बराबर होगी ।

राजाराम अब चुप था । इसका अर्थ विहारी ने यह समझा कि बात उसके समझ में आ रही है । तब उसने कहा—परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपभोक्ता की बचत वृत्ति की मात्रा की अधिकता का ही बोध कराती है । ज्यों-ज्यों बचत बढ़ती जाती है, त्यों त्यों उपभोक्ता की वृत्ति बढ़ती जाती है । हम किसी वस्तु को किसी विशेष माना में प्राप्त करने के लिए

जितना द्रव्य दे देने को तैयार हो सकते हैं, वस्तुतः उतना देते नहीं हैं। जो वास्तव में देते हैं, वह उससे कम ही होता है। इसी अन्तर को अर्थशास्त्र में उपभोक्ता की बचत कहते हैं। नित्य कुछ वस्तुएँ ऐसी हमारे सामने आती हैं, जिनके लिए द्रव्य हमें कम खर्च करना पड़ता है, किन्तु जिनसे हमें तृप्ति अधिक मिलती है। जैसे पोस्ट-कार्ड, समाचार पत्र, नमक इत्यादि। ये वस्तुएँ अधिक दामों पर भी हम जो सदा लेने को तैयार रहते हैं, उसका एक मात्र कारण यह है कि जितना द्रव्य इन पर खर्च करना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तृप्ति हमें मिल जाती है। इसीलिए उपभोक्ता की बचत का परिमाण अधिकतर राजनैतिक तथा समाज की आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। तभी तो समुन्नत देशों में समाचार पत्र, पोस्टेज स्टैम्प, तार तथा रेलभाड़ा की दर इतनी कम रखी जाती हैं कि साधारण जन भी 'उपभोक्ता की बचत' का पूर्ण रूप में लाभ उठा लेते हैं। गुलाम और असभ्य देश की जनता को यह लाभ बहुत कम प्राप्त होता है।

बिहारी की बात समाप्त होने पर राजाराम ने कहा—

आप कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु खरीदने या उपयोग करने में बचत होती है। तब तो मादक वस्तुओं में भी उपभोक्ता की बचत होती है। और इस नियम के अनुसार तो मादक वस्तुओं का अधिक परिमाण में खरीदना या उपयोग करना लाभदायक है।

बिहारी ने तुरन्त उत्तर दिया—हाँ, यह ठीक है कि जिस समय कोई व्यक्ति किसी मादक वस्तु—जैसे भाग, अफीम इत्यादि—की खरीदता है तो उसको यही मालूम होता है कि उस मादक वस्तु की कुल उपयोगिता उसकी खरीदने में जो द्रव्य खर्च होता है उसकी उपयोगिता से अधिक है। परन्तु उस समय वह यह नहीं सोचता कि मादक वस्तु के उपयोग करने से अत में उसके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा और उसको क्या हानि होगी। यदि मादक वस्तु खरीदते समय कोई व्यक्ति उसके उपयोग करने के परिणामों पर भी विचार कर ले, तो वह कदापि मादक-वस्तु को खरीदे। परन्तु सच बात तो यह है कि किसी वस्तु के खरीदते समय हम उससे मिलनेवाले अंतिम

हानि-लाभ का विचार बिलकुल नहीं करते । यदि हम इस बात का भी विचार करने लगे तो हम अपनी निश्चित आमदनी से अधिक से अधिक लाभ उठा कर अपने को अधिक मुसीबत बना सकते हैं ।

इतने में रिहारी का एक मित्र था गया और दोनों किसी आवश्यक कार्य से बाहर चले गये ।



वारहवाँ अध्याय

उपभोग की वस्तुओं का विभाग



देखो राजाराम, आजकल जिस कुएँ का पानी तुम पीते हो, उसमें मुझे कीड़े देख पड़ते हैं। जान पड़ता है, इसमें बहुत दिनों से लाभदायक पोटेशियम-परमेगनेट नहीं लुड्वाई गई है। अब यह पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया है। जल हमारे लिए एक इतनी आवश्यक वस्तु है, जिसके बिना हम जीवन को न तो आगे बढ़ा सकते हैं, न उसकी रक्षा ही कर सकते हैं। इसीलिए अर्थशास्त्र में जल को जीवन-रक्षक पदार्थ माना गया है।

बिहारी इतना कहकर चुप होने ही वाला था कि राजाराम ने हँसकर कह दिया—खूब ! जल को मैं एक साधारण पदार्थ मानता हूँ। यद्यपि इसकी आवश्यकता हमारे लिए अनिवार्य है। किन्तु इस बात की तो मैं कभी चल्पना भी नहीं कर सकता था कि जल जैसी चीज़ में भी आप अर्थशास्त्र के सिद्धान्त की बात खोज निकालेंगे।

बिहारी बोल उठा—एक जल ही नहीं, अन्न, वस्त्र, मजान, धी, दूध, फल, व्यायामशाला, पुस्तकालय, साइकिल, घड़ी, तम्बाकू, उत्सव, विवाह, बिजली, पत्ते, जहाज़—यहाँ तक कि पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश तक में जो यस्तुएँ मनुष्य-जीवन में किसी-न-किसी प्रकार, किसी-न-किसी समय, काम आती हैं, अर्थशास्त्र में उन सबका विचार और विभाग किया जाता है।

राजाराम ने विनोद के भाव से पूछ लिया—मेरा यह फटा चदरा भी अर्थशास्त्र के किसी विभाग में आता है ?

रिहारी बाला—तुम चाहे मन्नाऊ ही समझो, पर मैं तो कहूँगा कि अर्थशास्त्र में रेशमी चदर वा जितना महत्त्व है, उससे कम तुम्हारे इन फटे चदरे का नहीं है। फटा होने पर भी अर्थशास्त्र में चदरा जीवन-रक्षक-पदार्थ ही कहलायेगा।

राजाराम अन्न गम्भीर हो गया। बोला—तो अर्थशास्त्र में वस्तुओं के ऐसे बहुत से विभाग किये गये होंगे।

मिहारी—क्यों नहीं? बात यह है कि सगर में सबसे पहले हमको अपना शरीर स्वस्थ और कार्य-शील रखने की जरूरत पड़ती है। चाहे कोई व्यक्ति कोठी, अन्धा भोर अनादिज हो क्यों न हो, चाहे वह इतना बुद्धा हो गया हो कि उससे दस ब्रह्म चला भी न जाता हो, चाहे वह इतना शिथिल और जर्जर हो गया हो कि उसका धदन हड्डियों का टाँचा मात्र ही रह गया हो, किन्तु वह अपने को सगर में रखना चाहता है। नाथ होना उसे स्वीकार नहीं होता। इसलिए अर्थशास्त्र में उपभोग की वस्तुओं में सबसे अधिक महत्त्व उनको दिया जाता है जो शरीर और प्राण को—सजीव और सचेत रखने के लिए आवश्यक होती हैं। इन वस्तुओं को जीवन-रक्षक पदार्थ कहते हैं। जैसे—जल, अन्न, वायु तथा मकान इत्यादि। दूसरे प्रकार की वस्तुएँ वे होती हैं, जिनसे उपभोग से मनुष्य की कार्य-कारिणा शक्ति बढ़ती है। जो जीवन-रक्षक पदार्थ उच्च कोटि के होते हैं और जिनमें हमारे शरीर और मन को स्फूर्ति, बल और स्वास्थ्य मिलता है, वे निपुणतादायक कहलाते हैं। साधारण अन्न खाने, पेय और मैला कपड़ा पहनने तथा टूटे-भूटे जीण मकान में रहने से हम जीवित तो रह सकते हैं, किन्तु न तो अधिक स्वस्थ रह सकते हैं, न शक्तिशाली। यहाँ तक कि मन भी हमारा गिरा गिर सा रहेगा। दीर्घजीवन भी हम शायद न प्राप्त कर सकें। पर अगर हमें खाने को रुचिकारक, ताज़ा और पुष्टिकारक भोजन, फल, घी-दूध मिले, पहनने की वस्त्रें साफ़ कपड़े और रहने की हवादार साफ़ सुथरा मकान मिले, व्यायाम करने, खेलने और पढ़ने के लिए व्यायामशाला, मैदान और पुस्तकालय का हमारे लिए प्रबन्ध हो, तो हम अधिक स्वस्थ-चित्त, अधिक बुद्धिमान, अधिक धीर और सम्य रहकर

सम्भवतः अधिक दीर्घजीवन लाभ करते हैं। इसीलिए इन निपुणतादायक पदार्थों में जितना द्रव्य रसर्च किया जाता है, उसका फल उससे कहीं अधिक मिलता है।

राजाराम ने पूछा—श्रद्धा, हमको घरुराल में वह जो एक दुशाला मिला था, उसकी गणना किस श्रेणी में होगी ?

विहारी ने कहा—अब उसी विभाग की बात बतलाता हूँ। इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरा विभाग है, जिसमें आराम देनेवाली वस्तुओं की गणना की जाती है। इन पदार्थों के उपयोग से शरीर को सुप्त और आराम भले मिले, निपुणता की वृद्धि भी चाहे हो ही जाय, किन्तु जितना इन पर रसर्च किया जाता है, उतनी कार्य कुशलता उससे हमें नहीं मिलती। जैसे एक साधारण व्यक्ति के लिए मामूली मोटी धोती, सादी का कुरता और देहाती जूता, निपुणता दायक पदार्थ होने के दृष्टि से, बघेष्ट उपयोगी है, किन्तु यदि वह बढिया कर्मीन, कोट और टोपी दे, या रेशमी साफा बाँधे और नये पैशन का जूता पहने, तो उसके लिए ये पदार्थ आराम के समझे जायेंगे। उसके लिए चाइकिला, पडी तथा पक्का मकान भी आराम देनेवाले पदार्थ ही माने जायेंगे।

राजाराम बोल उठा—अब तो मेरा ब्याल है कि सभी वस्तुओं का विभाग आपने कर डाला।

विहारी ने कहा—नहीं, अभी दो विभाग शेष रह गये हैं। एक तो है, विलासिता के पदार्थ, दूसरे कृत्रिम आवश्यकताओं के। विलासिता की वस्तुओं पर किये गये रसर्च से न तो निपुणता ही अधिक प्राप्त होती है, न कार्यशक्ति। बरन् कमी कमी तो उनके उपयोग से कार्य शक्ति की शिथिलता अथवा उसके हास की ही अधिक सम्भावना रहती है। जैसे—रूब बढिया आलीशान इमारत, भडकीले कीमत वस्त्र तथा मादक द्रव्य। आलीशान इमारत में रहने से सब काम नौकरों पर छोड़ देना पडता है और हम आलसी हो जाते हैं। भडकीले वस्त्र पहनने से एक तो रसर्च बढता है, दूसरे उनकी पद मर्यादा हमें साधारण काम को अपने हाथ से करने से

रोकती है। इस प्रकार हमारी आदत ग़रान होती है। और मादक द्रव्यों के सेवन से तो शरीर की कार्य शीलता एकदम से क्षीय पड़ जाती है।

अब रह गये वे पदार्थ, जो कृत्रिम आवश्यकताओं से उत्पन्न रहते हैं। इन पदार्थों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे जीवन रक्षा, निपुणता, आराम अथवा विलासिता की दृष्टि में सहायक ही हों। ये तो समाज के दबाव, लोक निन्दा, भय, समान के आचार नीति-व्यवहार तथा सत्कारों पर निर्भर रहते हैं। जैसे—पुत्र जन्म, उपनयन, विवाह के अन्तर पर होनेवाले उत्सवों के प्रचलन तथा ऐसी मादक वस्तुओं पर रस, जिनकी आदत पड़ गई है। जैसे—भाँग, तम्बाकू, सिगरेट तथा शराब इत्यादि। इस प्रकार के पदार्थों में सब से बड़ा दोष यह होता है कि इनका मूल्य घट जाने अथवा बढ जाने का तत्पश्चात् पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता। इनकी कीमत घट भी जाती है, तो भी ये प्रायः उसी परिमाण से खरीदे जाते हैं। अतएव इन पर हानेराला प्रचलन भी बढ जाता है।

राजाराम सुन था। अतएव निहारी इसी सिलसिले में कहता चला गया कि उपभोग की वस्तुओं के ये विभाग वास्तव में परस्पर बहुत निकट हैं। इनका वर्गीकरण तो उपभोग की परिस्थिति के अनुसार होता है। निरिक्त रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक अमुक वस्तुएँ सब के लिए जीवन-रक्षक, निपुणता, आराम अथवा विलासिता देनेवाली हैं। कोई भी वस्तु स्वतः किसी भंग्य में सम्मिलित नहीं है। किसी वस्तु को किस वर्ग में रक्खा जाना चाहिए, इसके लिए यह ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है कि उस समाज के व्यक्तियों की आर्थिक पद-मर्यादा क्या है, कैसी उनकी संस्कृति है और कैसा जलवायु उनके लिए हितकर है, कैसी उनकी प्रकृति है और उनकी रुचि क्रैशन के सम्बन्ध में कैसी है। कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जो ऊपर से विलासिता की मालूम होती हैं, किन्तु जब उनकी आदत पड़ जाती है, तब बड़ी कृत्रिम आवश्यकता को हो जाती है। उदाहरण के लिए जिन लोगों को तम्बाकू, भाँग, अफीम तथा शराब पीने खाने की आदत पड़ जाती है, अगर उनसे उन वस्तुओं के महत्व के सम्बन्ध में कभी पूछा जाय, तो वे सम्भवतः यही उत्तर देंगे कि उन वस्तुओं का सेवन किये बिना वे जी नहीं सकते।

भोजन चाहे कम मिले, चाहे समय के बजाय असमय पर ही मिले, पर ये व्यसनवाले पदार्थ उन्हें गयेष्ट और समयानुसार मिलने ही चाहिए। और कुछ लोगों की तो शारीरिक दशा भी ऐसी होती है कि कोई एक वस्तु, जो अन्य लोगों के लिए अतीव हानिकारक हो सकती है, वही उसके लिए लाभदायक ही नहीं, एक तरह से जीवन-दायक भी होती है। एक किसान के लिए मोटरकार की कोई आवश्यकता नहीं है, किन्तु एक डाक्टर के लिए वह परम आवश्यक है। उसकी सहायता से वह जनता की सेवा भी अधिक कर सकता है और आय भी बढ़ा सकता है। एक किसान के लिए आलीशान महल, बिजली का पंखा, बिजली का लैम्प विलासिता की वस्तुएँ हैं, किन्तु वही अमीर के लिए आराम की और निपुणतादायक होती हैं। समय, फ़ैशन और रहन-सहन के दर्जे के परिवर्तन से कोई भी वस्तु एक समय विलासिता की, दूसरे समय आरामकी और किसी अन्य समय जीवन-रक्षक हो सकती है। वस्तु का मूल्य भी उसके वर्गीकरण को बदल देता है। जैसे—यदि कोई कपड़ा ५) गज की दर से विकता है, तो वह किसी व्यक्ति के लिए विलासिता-वृद्धि कारक होगा, किन्तु यदि वही २) गज हो जाय तो आराम देनेवाला और १) गज होने पर निपुणतादायक माना जायगा। किन्तु यदि आगे चलकर वह ॥) गज विकने लगे, तो वही जीवन-रक्षक की श्रेणी में चला जायगा।

तब तो राजाराम हँसते हुए कहने लगा—यह आपने अच्छा धतला दिया। सचमुच इस दृष्टिकोण से साधारण से साधारण वस्तु का भी मूल्य, परिस्थिति बदल जाने से, बहुत अधिक हो सकता है। ऐसी दशा में ग़रीब आदमी अगर अपने को बहुत हीन समझता है, तो उसकी यह एक भूल है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से वह किसी से बहुत हीन नहीं है।



तेरहवाँ अध्याय

माँग की लोच

वन शुक्लजी गजार में देख पड़े थे। शुक्लजी को थाप जानते हैं न ? हाँ हाँ बही, जो माणिकपुर में रहते हैं और हमारे इस गाँव में एक तिहाई के हिस्सेदार हैं। हा, तो वे गद्दादीन की दुकान के सामने खड़े हुए चीनी तुलवा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही मैंने नमस्कार किया, तो बोले—कहो भाई राजाराम, अच्छी तरह से तो रहे।

मैंने कह दिया—भगवान की कृपा और आपके इज्जत से . . . !

पान से मुँह भरा हुआ था। हँसने लगे। फिर बोले—तुम्हारी बात-चीत मुझे बहुत पसन्द आती है। अच्छा लो, इसी बात पर पान खा लो। और पनडब्या उठोने मेरे सामने कर दिया।

पान खाकर मैं जरा देर ठहर गया। देखा, एक बड़ा धैला है, जिसमें चीनी भरी जा रही है। इस पर वे बोले—देखते क्या हो राजाराम, चीनी इतनी तेज हो गई है कि दस सेर लेने के बजाय इस महीने में सात सेर ही ले रहा हूँ। अभी गये महीने में दो रुपये साठे नौ आने में दस सेर ले गया था। इस बार दा रुपये दस आने में सात सेर ही लिये जा रहा हूँ। क्या करूँ, घर में कुल मिलाकर छोटे बड़े दस आदमी ठहरे। इसने सिवा दिन-रात में चार चार चाय तो मैं झुद पीता हूँ। अब तीन बार ही विऊँगा। अपने पर ही निर्यंत्रण कर सकता हूँ। घरवालों से तो कह नहीं सकता कि चीनी ज्यादा

महँगी हो गई है, थोड़ी थोड़ी खर्च करो।

बिहारी राजाराम की इस बात को सुनकर नित्य की भाँति मुसकराने लगा।

तब राजाराम ने कहा—मैं समझ गया। कहो तो बतला दूँ।

“अच्छा बताओ” बिहारी ने पूछा।

तब राजाराम ने कहा—आप इस बात में अर्थशास्त्र के किसी सिद्धांत को देख रहे हैं।

बिहारी चुप रह गया।

तब राजाराम ने कहा—बतलाइये, बतलाइये। चुप क्यों हो रहे? जानने के अभिप्राय: से ही मैंने इस बात की चर्चा की है।

तब बिहारी ने कहा—नुम्हारा अनुमान ठीक है। साधारणतः जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तब उसकी माँग घट जाती है। इसी प्रकार जब उसकी कीमत घट जाती है, तब उसकी माँग बढ़ जाती है। वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने से माँग के परिमाण में प्रायः परिवर्तन होता ही है। माँग का यह एक लक्षण है। अर्थशास्त्र में इसे “माँग की लोच” कहते हैं। जैसे चीनी का भाव चढ गया है और इस कारण उसकी माँग कम हो गयी है। वैसे ही अगर इसका भाव गिर जाता, तो इसकी माँग बढ़ जाती। अतएव कहना पड़ेगा कि चीनी की माँग लोचदार है। जब किसी वस्तु की थोड़ी कीमत बढ़ने पर माँग अधिक कम होती है तो माँग बहुत लोचदार, जब माँग थोड़ी कम होती है तो साधारण लोचदार और जब माँग विलकुल कम नहीं होती तो उसे बेलोचदार माँग कहते हैं।

राजाराम ने कहा—लेकिन मुझे कुछ ऐसा खयाल आ रहा है कि आपने एक दिन बतलाया था कि कोई वस्तु अधिक तादाद में हमारे पास संग्रह हो जाती है, तब उस वस्तु की चाह कम हो जाती है। ऐसी दशा में अगर चीनी का भाव कुछ घट भी जाता, तो भी उसकी माँग में कुछ ऐसी अधिक वृद्धि तो होनी नहीं चाहिए थी। इसी प्रकार अगर

चीनी का भाव घट गया है, तो माँग में इतना अन्तर क्यों उपस्थित हो गया ?

बिहारी बोला—सिद्धान्त रूप से तुम्हारा बात—बात नहीं, बल्कि उसे हम निष्कर्ष कहेंगे, विलकुल ठाक है। पर यह नियम उन्हीं वस्तुओं के लिए लागू होता है, जिनकी की माँग में लोचकम है। चीनी ऐसी चीज नहीं है। चीनी की माँग तो सदा ही लोचदार रहती है। अगर किसी वस्तु की आवश्यकता हमारे लिए बहुत धारे धारे कम होती जा रही है, तो भाव उसका थोड़ा सा भी घट जाने पर, माँग बहुत अधिक बढ़ जायगी इसी प्रकार भाव घट जाने पर माँग बहुत घट जायगी। तब हम कहेंगे कि इस वस्तु की माँग में लोच अधिक है।

राजाराम बोला—तो शायद आप यह कहना चाहते हैं कि जिन वस्तुओं की माँग घटती घटती बहुत कम है, वे सब वस्तुएँ उसी भेरी की होती हैं, जिनके सम्बन्ध में हम कह सकते हैं कि उनकी माँग कम लोचदार है।

बिहारी बोला—हाँ, साधारण रूप से तुम्हारा यह अनुमान ठीक है। शुक्ल जी के यहाँ, मान लो, महीने में दो सेर नमक खर्च होता है, जब कि उसका भाव दो आने सेर है। पर यदि नमक का भाव दो आने से बढ़कर तीन आने सेर भी हो जाय, तो भी नमक की माँग में कोई विशेष अन्तर न पड़ेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि नमक की माँग में लोच बहुत कम है। परन्तु साधारण रूप से किसी एक भेरी में व्यक्ति के लिए किसी पदार्थ की माँग की लोच ऊँची कीमत पर अधिक और मध्यम कीमत पर उससे कुछ कम होती है। कीमत की कमी से वृद्धि की वृद्धि होती है और माँग की लोच कम होता जाती है। अन्त में यद्यत्क स्थिति जा पहुँचती है कि माँग में लोच विलकुल रह ही नहीं जाती। इसके सिवा एव बात और है। वह यह कि प्रत्येक भेरी के व्यक्ति के लिए उच्च, मध्यम और निम्न कीमतें पृथक्-पृथक् होती हैं। दो रुपये सेर की धनी व्यक्ति के लिए कम दाम का, मध्यम भेरी के व्यक्ति के लिए मध्यम दाम का है, किन्तु वही एक गरीब व्यक्ति के लिए ऊँची कीमत का हो जाता है।

मान लो, एक अच्छी साइकिल पचास रुपये में मिलती है। अब यदि उसका दाम घटकर ४०) रह जाय, तो बहुतेरे मध्यम श्रेणी के बाबू लोगों में साइकिल की माँग बढ़ जायगी। अतएव साइकिल ऐसी वस्तु सिद्ध हुई जिसकी माँग मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के लिए लोचदार हुई। किन्तु निम्नश्रेणी के व्यक्तियों के लिए साइकिल की माँग तब भी बिना लोच की मानी जायगी। बात यह है कि साइकिल का दाम एक तिहाई घट जाने पर उनके लिए यह दाम भी इतना ऊँचा है कि वे साइकिल खरीद नहीं सकते।

इसी प्रकार घड़ी है। एक मामूली अच्छी घड़ी इस समय २०) में मिलती है। अगर उसका दाम घटकर १५) रह जाय, तो बाबू क्लास के लोगों में उस घड़ी की माँग बढ़ जायगी। अतएव उस वर्ग के लिए घड़ी की माँग लोचदार होगी। किन्तु अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए वह घड़ी तब भी माँग की लोच पैदा करने वाली न होगी। बात यह है कि वे तो उसे उससे भी पहले खरीदकर तृप्ति लाभ कर चुके होंगे, जब उसका दाम सम्भव है, २०) से भी अधिक रहा हो। और एक किसान के लिए भी यही बात होगी। पन्द्रह के बजाय यदि वह अब दस रुपये में भी मिले, तो भी वह उसे खरीद न सकेगा।

राजाराम अब बोल उठा—तो आपका मतलब यह है कि वस्तुओं की कीमत में कमी होने से उनकी माँग की लोच समाज के उच्च वर्ग के लिए नहीं के बराबर, मध्यम श्रेणी के लिए कुछ थोड़ी और निम्न श्रेणी के लिए अधिक होती है।

विहारी ने कहा—हाँ, ठीक यही बात है। किन्तु साधारण रूप से ऐसा जान पड़ता है कि जो वस्तुएँ जीवन रक्षक होती हैं, उनकी माँग की लोच विलासिता की वस्तुओं की अपेक्षा बहुत कम होती है। किन्तु सच पूछो तो जीवन-रक्षक वस्तुओं की माँग की लोच भी लोगों की आर्थिक स्थिति की उच्चता पर निर्भर करती है। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस आदि उन्नत और सम्यक देशों में गरीब जनता को भी जीवन रक्षक पदार्थ यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। अतएव वहाँ उन वस्तुओं के मूल्य में यदि कुछ कमी भी हो जाती है, तो साधारण गरीब जनता भी, उन वस्तुओं का उपभोग, पहले की अपेक्षा

बहुत अधिक मात्रा में नहीं करती। अतएव जीवन-रक्षक पदार्थों की लोच वहाँ बहुत कम दृष्टिगत होती है। किन्तु हमारा देश तो इतना दरिद्र है कि वहाँ की गरीब जनता एक वस्तु का पूरा भोजन भी नहीं प्राप्त कर पाती। अतएव वहाँ जीवन-रक्षक पदार्थों में माँग की कुछ लोच होना आवश्यकता-की है।

राजाराम ने पूछा—तब यह कहना पड़ेगा कि जो वस्तुएँ जीवन-रक्षा के लिए बहुत आवश्यक नहीं हैं, जिनसे आराम मिलता अथवा रिलासिता जान पड़ती है, उन्हीं की माँग साधारणतः अधिक लोचदार होती है।

विहारी—हाँ, विलजुल यही बात है। इसके सिवा यह भी देखा जाता है कि जँर किसी व्यक्ति को किसी विशेष वस्तु के नित्य सेवन का अभ्यास पड़ जाता है, तो उस वस्तु की माँग की लोच अन्य वस्तुओं की माँग की लोच की अपेक्षा कम हो जाती है। बात यह है कि वह तो उसके लिए एक आवश्यक वस्तु हो जाती है। और जीवन-रक्षण तथा अन्य आवश्यक पदार्थों की माँग की लोच अन्य वस्तुओं की लोच से प्रायः कम हुआ करती है। जैसे जो लोग सोने से पहले दूध पीने के अभ्यास होते हैं, उनके लिए वह आष सेर दूध एक आवश्यक पदार्थ है। अगर उस दूध के लिए उन्हें पाँच पैसे के स्थान पर साढ़े छँ पैसे भी देने पड़ें, तो भी वे दूध पीना कभी कम नहीं करेंगे।

इधर ये बातें ही रही थीं। उधर राजाराम ने देखा, रामाधीन चले आ रहे हैं। उनको मकान के पास गुजरते देखकर राजाराम ने कहा—कहाँ रामाधीन भाई, चादी क्या भाव मिली ?

रामाधीन बोले—अरे भाई, अम तो ६०) ४० भरी का भाव हो गया है। बहुत सोचा, इतनी तेज़ लेना ठीक नहीं है। परन्तु करता क्या, कमला का गौना तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए लेनी पड़ी।

राजाराम कहने लगा—हाँ, फिर ज़रूरत पड़ने पर तो ऐसा करना ही पड़ता है। अच्छा, एक बात बतलाओ कि इस भाव पर चाँदी के खरीदार तुमको पहले की अपेक्षा कम तो नहीं देस पड़े।

रामाधीन बोल उठा—राम कहो भाई, आजकल विवाह की लगन इतनी

ज्यादा ज़ोरों पर हैं कि चाँदी का यह चढ़ता भाव भी माँग में जैसे कुछ कमी ही नहीं रखता है। मेरा तो ख्याल है कि दस दिन पहले की अपेक्षा इस समय बिक्री कुछ ज्यादा ही है। जब कि भाव इन्हीं दिनों चढा है।

राजाराम रामाधीन की ओर देखा हुआ चकित होकर रह गया।

और विहारी घोल उठा—अब कहो। अब भी यदि कुछ सन्देह रह गया हो, तो उसे भी साफ़ कर लो।



चौदहवाँ अध्याय

फ़िज़ूल-खर्ची



“राजा विजयरहादुरसिंह के कुँवरजी के विवाह की याद तो तुमको होगी नहीं राजाराम !”

“क्यों ? याद तो है मुझे । यद्यपि मैं उस समय दस-न्यारह वर्ष का ही रहा हूँगा, पर मुझे एक एक बात याद है । खेल-तमाशे, रोशनी, आतिशबाजी, रासलीला, नाच, स्वागत सन्कार और हर तरह से बारातियों को आराम देने का प्रयत्न—क्या-क्या गिनारों, सभी कुछ याद है ।”

राजाराम की बात सुनकर निहारी मुसकराने लगा । बोला—और उरने याद जो हुआ, वह भी याद है ?

राजाराम ने कहा—याद में क्या हुआ, सो मैं नहीं जानता । बतलाइये, बतलाइये, हँसिये नहीं ।

निहारी ने कहा—रियासत पर इतना कुर्ब हो गया कि राजासाहब अथवा प्रयत्न करने पर भी बीस वर्ष तक उसे थदा नहीं कर पाये । और अन्त में उन्हें अपने बड़े बड़े पाँच गाँव बेच देने पड़े । पर इतना ही होगा, तो भी कोई बात नहीं । वे ऐसे प्रतापी थे कि अगर दस पाँच वर्ष और अपने को सम्हालने का अवसर पाते, तो सम्भव था कि सारा श्रेष्ठ भी लुका देते और गाँव भी बच जाते । पर इतने गाँव बेच डालने का रज, बाद में उन्हें इतना अधिक हुआ कि वे अपने स्वास्थ्य की रक्षा न कर सकने के कारण, उसी वर्ष के अन्दर, परलोकवासी हुए ।

राजाराम ने कहा—यह सब भी सुन चुका हूँ। लेकिन इस तरह से नहीं। बहुत बड़ी प्रशंसा के साथ। नाम लेते ही लोग उनकी प्रशंसा के पुल बांध देते हैं। कहते हैं, ऐसा उदार पुरुष देखने में नहीं आता।

विहारी—तुम्हारा कहना ठीक है। लेकिन प्रश्न तो यह है कि कुँवरजी के विवाह में उन्होंने जो इतनी अधिभ्र फिजूलखर्ची की, वह कहीं तक उचित थी। प्रशंसा करनेवाले लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि अगर वे ऐसी फिजूल खर्ची न करते, तो सम्भव था कि अभी वे कुछ दिनों तक श्रीर इस धरती पर चलते।

राजाराम—लेकिन उन्होंने जो खर्चा किया, वह अपना हौसला पूरा करने के लिए किया। और इसमें शक नहीं कि उनका नाम हो गया। और फिजूलखर्ची उसे हम कैसे कहें! क्या आतिथवाजी हूडयाना आप फिजूल खर्ची में शुमार करेंगे?

विहारी—क्यों नहीं? क्षणिक आनन्द के लिए इतना रुपया बर्बाद करना फिजूलखर्ची नहीं तो और क्या है? इस आनन्द से उपमोक्षा को न तो कोई आराम मिलता है, न उससे उसकी कार्य कुशलताही बढ़ती है। हम पहले तुम्हें बतला चुके हैं कि जीवन-रक्षक और निपुणतादायक पदार्थों पर किया गया खर्च ही सदा न्याय-सगत होता है। और जिन पदार्थों से आराम मिले, हम उन्हें भी किसी तरह न्याय-सगत मान सकते हैं। लेकिन आतिथवाजी से तो हानि के सिवा लाभ विलुप्त सम्भव नहीं है।

राजाराम—पर आपने तो वनलाया था कि आवश्यकताओं का बढ़ना सभ्यता का चिह्न है। अगर प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके ही लोग सतोष कर लिया करें, तो न तो उद्योग-धन्धों की वृद्धि हो, न सभ्यता के विकास में ही कोई सहायता मिले। ज्यों-ज्यों आवश्यकताएँ बढ़ती हैं, मनुष्य अधिकाधिक परिश्रम करता है। परिश्रम से नवीन आवश्यकताएँ जन्म लेती हैं। फिर उससे परिश्रम के नये स्वरूपों और उद्योगों की सृष्टि होती है और इस तरह हम सभ्यता की वृद्धि में सहायक होते हैं।

विहारी—सिद्धान्त रूप से तुम्हारा यह कथन ठीक जान पड़ता है। परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं, जिनके सम्वन्ध में हमें पहले राष्ट्रीय दृष्टि

देखना पड़ेगा । भारतवर्ष गरीब देश है । यहाँ की साधारण जनता के उतना भी भोजन प्राप्त नहीं होता, जितना जीवन रक्षा के हेतु मनुष्य के लिए आवश्यक होता है । ऐसी दशा में विलासिता की वृद्धि करने वाली वस्तुओं का अधिक उपयोग हमारे देश के हित की दृष्टि से कदापि उचित नहीं है । जिस देश की साधारण जनता जीवन-रक्षक पदार्थ भी यथेष्ट मात्रा में न पाती हो, उस देश के धनी-मानी व्यक्ति विलासिता में सम्पत्ति का ऐसा नाश करें, यह किन्तुलपत्नी की हद है । हाँ अगर हमारा देश समृद्धिशाली होता, अगर हमारी साधारण जनता में इतनी भी समर्थ होती कि उसे पाने-पीने, पहनने और रहने के लिए उपयुक्त वास स्थानों की यथेष्ट सुविधा प्राप्य होती, तो विलासिता की वस्तुओं का उपयोग भी हम न्याय-मगत समझ सकते थे ।

राजाराम—पर विलासिता की वस्तुओं की माँग की वृद्धि से लोग उद्योग धन्धों में लगते हैं, उन्हें रोजी मिलती है और इस प्रकार देश की बेकारी दूर होने में मदद भी तो मिलती है ।

विहारी—किन्तु प्रश्न यह है कि आतिशयानी जैसी वस्तु के उत्पादन से कितने आदमियों को रोजी मिलती है ? फिर हानि उससे कितनी होती है । तुमने देखा न हो, तो मुना चरुर होगा कि कई हजार रुपये की हानि तो कुँवरजी के विवाह में आतिशयानी से टेंटों में आग लग जाने के कारण ही हुई थी । इसने सिवा आतिशयानी की वस्तुओं के उत्पादन में हमारे देश का कितना द्रव्य, मजदूरों की कितनी मेहनत, लगती है और फिर वह क्षण भर में नाश हो जाती है ! वही अगर अन्य वस्तुओं के उत्पादन में लगे, तो देश का कितना बड़ा हित हो ! एक ओर से आपने उन उपयोगी उद्योग धन्धों में लगनेवाले द्रव्य का उसके कोप से लेकर उसे कमजोर बनाया, उसकी पूँजी कम करके उसके क्षेत्र के मजदूर लेकर, उन उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन के काम को भंग किया, उसे हानि पहुँचायी और दूसरी ओर उसे क्षण भर के प्रदर्शन के लोभ पर नष्ट कर दिया ! एक तो हमने अन्य उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन को कम किया, दूसरी ओर उससे मूल्य में वृद्धि करके

साधारण जनता की हानि की। वही पूँजी अन्य पदार्थों के उत्पादन में लगती, तो एक ओर गरीब जनता का उदर-भ्रंश होता, दूसरी ओर उत्पादन की वृद्धि करके हम साधारण जनता को लाभ पहुँचाते। इसीलिए हमें कहना पड़ता है कि आतिशयाची विलासिता की वृद्धि करनेवाली वस्तुओं में सत्र से अधिक निरूप्य श्रेणी की और सत्र से अधिक हानिकर है। इसी प्रकार नाच, खेल तमाशे, भोज आदि भी फिज़ूल-इर्चा ही है।

राजाराम—लेकिन आप तो समाज के लाभ को ध्यान में रखकर व्यक्ति के अधिकारों को कोई महत्त्व ही नहीं देना चाहते। राजा साहब की एक महत्वाकांक्षा थी कि वे अपने पुत्र का विवाह इतने धूम-धाम के साथ करें कि उनका नाम अमर हो जाय। उन्हें ऐसा करने का अधिकार था। वे अगर यह सोचते थे कि रियासत उनकी है, रूपया उनका है, वे उसे जैसे चाहे खर्च कर सकते हैं, इसमें किसी का क्या बन्ता-बिगड़ता है, तो इसमें हमको शिकायत क्यों होनी चाहिए ?

निहारी—व्यक्तिगत रूप से उनका सोचना ठीक हो सकता है। पर व्यक्तियों से ही समाज जनता है, इसलिए समाज के हित को हमें पहले देखना पड़ेगा। समाज में धनी को स्थान है, तो निर्धन को भी तो है। समाज के किसी भी एक अंग को अगर कष्ट पहुँचेगा, तो उसका प्रभाव उसके अन्य अंगों पर भी तो पड़ेगा। अगर सभी धनीमानी व्यक्ति मनमाने ढंग से ऐशो-आराम में लग जायँ और विलासिता की वृद्धि करनेवाले पदार्थों को ही इरीदते रहें और उसी सम्बन्ध के व्यवसाय को उत्साह और बिनाश मिलता रहे, तो इसका फल यह होगा कि जीवन-रक्षक और निपुणता-दायक पदार्थों का उत्पादन कम हो जायगा। इसका फल यह होगा कि उन पदार्थों का मूल्य बढ़ जायगा और गरीब और मध्यम श्रेणी की जनता उन पदार्थों की प्राप्ति उपयुक्त मात्रा में न कर पायेगी। और ऐसा होने से उनका स्वास्थ्य, उत्साह, उनकी शक्ति और स्फूर्ति घट जायगी, उनकी कार्य-कारिणी शक्ति में शैथिल्य आ जायगा। फिर इसका प्रभाव पड़ेगा उत्पादन पर। और इस प्रकार सारे समाज का अहित होगा।

राजाराम—और गरीब लोग भी तो प्रिन्सिपल प्रार्थना करते हैं ।

विहारी—यह और भी बुरा है । सम्पन्न लोग तो अपने जीवन-रक्षक और निपुणता-दायक पदार्थों का प्राप्त करके भी विलासिता की वृद्धि करनेवाले पदार्थ ग्रहीत करने में समर्थ होते हैं । किन्तु जब गरीब लोग विलासिता की वृद्धि करनेवाले पदार्थ ग्रहीत करते हैं, तो प्रायः उन्हें जीवन-रक्षक तथा निपुणता-दायक पदार्थों के लिए सचित पूँजी से ही विलासिता उत्पन्न करनेवाले पदार्थों का ग्रहीतना पड़ता है । उस ओर की कमी से वे श्रम की पूर्ति कर पाते हैं । इससे शिवा कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति में उनकी आमदनी का अधिकांश भाग पहले ही चला जाता है । इसका फल यह होता है कि उनकी कार्य-कुशलता की हानि अवश्यम्भावी हो जाती है । फिर कार्य-कुशलता की शिथिलता का प्रभाव पड़ता है उनकी आमदनी पर । वह घटने लगती है । यहाँ तक कि वे अपने परिवार का भरण-पोषण तक नहीं कर पाते । अन्त में इस बेकारी का फल धारा समाज भोगता है । सही बात तो यह है कि प्रिन्सिपल प्रार्थना एक प्रकार का रिप है । समाज को उससे बचना हमारा धर्म से बन्ना कर्त्तव्य होना चाहिए ।

राजाराम—यह जो आपने कहा, यह वास्तव में प्रिन्सिपल उचित है । किन्तु अब प्रश्न यहाँ यह उठ खड़ा होता है कि तो फिर द्रव्य का प्रार्थना करने का उत्तम मार्ग क्या है ।

विहारी—असल में द्रव्य को प्रार्थना करने का प्रधान लक्ष्य यह होना चाहिए कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन-रक्षक और निपुणता-दायक पदार्थों की यथेष्ट प्राप्ति हो । पर ऐसा तभी सम्भव हो सकता है जब हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे देश की जैसी अवस्था है उसको देखते हुए आराम और विलासिता की वृद्धि करनेवाली वस्तुओं का उपभोग हम प्रिन्सिपल प्रार्थना समझें और समाज को नाश की ओर ले जाने वाली इस विपाक वृत्ति से बचावें । जीवन-रक्षक और निपुणता-दायक पदार्थों को पर्याप्त परिणाम में जनता के लिए मुलाम कर लेने के बाद भले ही हमारा ध्यान आराम और विलासिता की वृद्धि करनेवाली वस्तुओं की ग्रहीत की ओर चला जाय, किन्तु उसके पूर्व तो वह अहितकर ही ठहरेगा । परन्तु आराम और विलासिता की

वृद्धि करनेवाली वस्तुओं को खरीदते समय भी हमें यह न भूलना चाहिए कि कोई भी ऐसी वस्तु जहाँ तक सम्भव हो, न खरीदे, जिससे प्राप्त होने वाली वृत्ति क्षणिक हो अथवा जो सामूहिक रूप से समाज के लिए हानिकारक हो। यदि कोई धनिक व्यक्ति अपनी पूँजी को दुर्घटनाओं में लुटाता है तो वह समाज का सबसे बड़ा शत्रु है। परन्तु यदि वह उसे जायदाद खरीदने, मकान बनवाने अथवा कला-कौशल एवं उद्योग धर्मों की वृद्धि में लगाता है, तो उसकी विचारशीलता और बुद्धिमत्ता को हमें प्रशंसा करनी चाहिए।

राजाराम—परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने लिए जायदाद खरीदता है, तो वह समाज का क्या उपकार करता है ?

विहारी—उस समय चाहे ऐसा जान पड़े कि वह व्यक्तिगत लाभ के लिए ही ऐसा कर रहा है। किन्तु विचार करने से पता चलेगा कि उसने अपनी पूँजी सुरक्षित रखकर अपना जो हित किया है, कभी-न-कभी उसका लाभ समाज को अवश्य मिलेगा। इसके सिवा यदि उससे केवल उसी को लाभ होता है, तो भी अर्थशास्त्र उसे अनुचित नहीं समझता। जो वस्तुएँ—अथवा जायदाद—टिकाऊ होती हैं, उन पर खर्च किया गया द्रव्य भविष्य के उपभोग के लिए रक्षित द्रव्य के रूप में रहता है। जब तक हम अपने द्रव्य को पाई पाई को खर्च करते समय यह विचार नहीं करते कि यह ऐसी वस्तु तो नहीं खरीद रहे हैं जो हमारी वास्तविक आवश्यकता न होकर एक कृत्रिम आवश्यकता हो, या यह ऐसी वस्तु तो नहीं है जो हमको क्षणिक वृत्ति देने के बाद सदा के लिए लोप हो जायगी, अथवा यह केवल विलासिता की वृद्धि करनेवाली तो नहीं है, जो हमारी कार्य शीलता को शिथिल बनाने में सहायक होकर हमारे लिए अन्त में हानिकारक सिद्ध हो, तब तक वास्तव में हम फिजूलखर्चा से कभी बच नहीं सकते। तब तक हम अपना अहित तो करते ही रहेंगे, अपनी सन्तान को भी अकर्मण्य, अशिक्षित, असम्य और गुलाम बनाते रहेंगे। और यदि हमने अपनी यह नीति न संभाली, तो हमारा मनुष्य जन्म धारण करना सर्वथा निरर्थक, हमारी शिक्षा व्यर्थ और हमारा जीवन मिथ्या है।

राजायम—मुना है, आरके इस परामर्श से लाभ उठकर कुँवरजी ने इधर बहुत उन्नति की है। कल कोई कह रहा था कि उन्होंने सहर के प्रचार के लिए एक खादो-आभम खोला है। इस समय उसमें साठ-सत्तर आदमी काम कर रहे हैं।

विहारी हँसने लगा। बोला—बन, रहने दो। मुझे यह गौरव न चाहिये। कुँवरजी स्वयं एक विचारशील युवक हैं।



पन्द्रहवाँ अध्याय

मादक वस्तुओं का निषेध

होली के दिन चल रहे हैं। शहर में लोग दल बांधकर अरलील पगुड़ा गाते, रास्ता चलनेवालों पर धूल उछालते, रंग से मिगोकर उन्हें तर-बतर कर देते, उन पर कौचड़ पेंकते और हाथ में कालियर लगाकर उनका मुँह तक काला कर देते हैं। कई दिन से शहर भर में ऐसा प्रमाद पैला हुआ है, मानो लोग पागल हो गये हैं और उन्हें इस बात का भी विवेक नहीं रह गया है कि हम यह क्या कर रहे हैं, क्या इससे हम समाज को वास्तव में हानि नहीं पहुँचा रहे हैं ?

सयोग से इन्हीं दिनों, एक दिन शाम को बिहारी राजाराम के यहाँ जा पहुँचा। देखा, राजाराम उदास मुँह बनाये, हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठा हुआ है। तब बिहारी ने पूछा—क्या बात है राजाराम भाई, ऐसे गम्भीर क्यों बैठे हुए हो ?

राजाराम ने कहा—शुजीव अन्धेर मचा हुआ है। होली हमारे आनन्द मनाने का त्यौहार है। इन दिनों, दो-चार दिन के लिए, हमको इतना अवसर मिलता है कि हम भाँग पीते और दुख भूलकर आनन्द मनाते हैं। पर आज हम अभी ठेके पर जो भाँग लेने गये, तो देखा, दुकान ही बन्द है। फटा लगाने पर मालूम हुआ कि तीन दिन दुकानें बन्द रहेंगी। सरकार का हमारे साथ यह अत्याचार नहीं तो और क्या है ? यह तो हमारी स्वाधीनता में सरासर हस्तक्षेप करना है। आज भाँग पीना मना कर दिया जाता है, कल कदा जायगा कि रंग खेलना शुभ है।

बिहारी मुमनराने लगा ।

राजाराम ने कहा—आपको इसमें आनन्द आ रहा है। लेकिन मैं गम्भीरता पूर्वक कह रहा हूँ। मैं पूछता हूँ कि सरकार का हमारे उपभोग में अड़चन डालने का क्या हक है ?

बिहारी अब बोल उठ—उत्तर मुनने से पूव आवश्यकता इस बात की है कि तुम परा शान्त होओ, जो बुद्ध में कहता हूँ उसको ध्यान से मुनो और विचार करो कि वह वास्तव में उचित है या नहीं ।

राजाराम—अच्छी बात है। आप अब भरे प्रश्न का उत्तर दीजिये। मैं ध्यान से, शान्ति व साथ, मुनूंगा।

बिहारी—पहले तो विचारणीय यह है कि किसी व्यक्ति को उपभोग सम्बन्धी प्राकृतिक अधिकार कहाँ तक प्राप्त है। तुम कह सकते हो कि हमको यह प्राकृतिक अधिकार है कि हमें खाने पीने, पहनने तथा उपभोग सम्बन्धी बातों में पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो। पर जिस किसी वस्तु के उपयोग की हमारी इच्छा हो, तब उस वस्तु के उपयोग में अड़गा डालना, अथवा याचा पहुँचाना प्राकृतिक और न्याय दृष्टि से सर्वथा अनुचित है। अतएव किसी समान अथवा सरकार को कदापि यह अधिकार नहीं है कि वह हमारे सामानिन्, सृष्टिक अथवा व्यक्तिगत अधिकारों को कानून द्वारा छीनकर हमारी उपभोग स्वाधीनता में हस्तक्षेप करे।

राजाराम—हाँ उस, यही हमारा दावा है।

बिहारी—लेकिन यहाँ पर तुम यह नहीं सोच रहे हो कि जब तक हम किसी समाज के भीतर रहते हैं, तब तक हमारे प्रत्येक कार्य का प्रभाव समाज पर पड़े बिना कैसे रह सकता है ? यदि कोई व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों के अभिमान में दूढ़कर मनमानी करना चाहता है, प्रमाद प्रस्त होकर अपने मानवी स्वरूप से पृथक् जाकर जानवर बन जाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह मानव समाज से अपने को पृथक् कर ले और जंगलों अथवा पहाड़ों में जाकर डेरा जमाये। पर यदि वह समाज का अंग बनकर रहना चाहता है तो उसकी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके किसी काम से समाज को हानि तो नहीं पहुँच रही है। उसे सदा

इसका विचार रखना पड़ेगा कि वह कोई ऐसा काम न करे, जिसमें उसे चाहे क्षणिक भ्रान्द भी प्राप्त हो, पर उससे सामूहिक रूप से समाज की हानि हो रही हो। जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब सरकार को मनुष्य की प्राकृतिक तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता अगर पड़ जाय, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। सच पूछिए तो मनुष्य ऐसा स्वाया प्राणी है कि वह यह विचार करना नहीं चाहता कि उसके अमुक कार्य से उसके पत्नी, परिचित अथवा अपरिचित व्यक्तियों को किसी प्रकार की हानि भी पहुँच सकती है। यदि किसी कार्य अथवा दुर्व्यसन विशेष से उसको क्षणिक तृप्ति अथवा सन्तुष्टि मिलती है, तो वह उस कार्य अथवा अभिलाषा को पूर्ण करने में आस मूँदकर तत्पर हो जाता है। उन समय फिर उसे यह विचार करने की भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती कि मेरा यह कार्य मेरे अथवा समाज के लिए हितकर है या अहितकर। इसीलिए ऐसी स्थिति में सरकार का उपभोग सम्बन्धी अवाञ्छनीय आयोजनों में हस्तक्षेप करना परम आवश्यक हो जाता है।

राजाराम—मुझे आज आपकी यह बात पसन्द नहीं आई। आप तो उन लोगों में से रहे हैं जो स्वतन्त्रता की लड़ाई में सदा प्रजा का ही पक्ष समर्थन करते आये हैं। किन्तु आज मैं आपको उस रूप में देखता हूँ जैसे आप प्रजा-पक्ष के न होकर मानो एक सरकारी कर्मचारी हों, अथवा उस नरम दल के, जो सदा सरकार का रुझ देखकर बात करना देशोद्धार का एक सुन्दर और सजीव मार्ग समझता है।

निहायी—यह तुम्हारी भूल है। सच्ची बात हमेशा भयंकर और प्रिय ही नहीं हुआ करती। यह कभी कभी कटु भी होती है। तुम्हारी आज की बात चीत सुनकर मुझे विवश होकर तुमको भी उन्हीं अशिक्षित और ग्रामीण लोगों के वर्ग में सम्मिलित कर लेना पड़ेगा, जो कहा करते हैं कि हम अगर शराब या भाँग, अफीम या चूड़ पीते या खाते हैं, तो किसी का क्या धिगाडते हैं, अपने जैसे ही तो उडाते हैं। अगर स्वास्थ्य खराब होता है, तो हमारा ही न, हम उसे भोग लेंगे। पर इसमें किसी को हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है ?

राजाराम—अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, मैं इसी विचार का हूँ।

विहारी—लेकिन मैं साफ तौर से यह कहना चाहता हूँ कि उन लोगों का यह दावा बिल्कुल गलत है। उनसे हम इष्ट, हम नासमझी और अदूरदर्शिता से भरी धेनूधरी का कुत्तल के रूप में ही नहीं भोगते, बल्कि उनका सारा समान, बल्कि मैं कहूँगा कि सारा देश भोगता है। मादक वस्तुओं के सेवन में जो उनका स्वास्थ्य चौपट होता है, जो उनकी कार्य-क्षमता क्षीण होती है, वह तो उन्हें नाश की आर से ही जाती है, किन्तु उसका दुष्परिणाम हमारे समान की अशोध, असन्मत्त और अशुचित चेतना भी भागे बिना नहीं रहती। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि होनी, माना कि हमारे आनन्द मनाने का स्वीकार है, पर जो लोग किसी प्रकार में मूर्ख-मूर्ख, दीन दुग्नी, परदेशी अथवा विनाशकारी या विधर्मी हैं, उन पर अंधे बनकर रग पेंकना-डालना, उन्हें शरणाग्र कर देना, उन पर धूल कीचड़ उछालना उन्हें अश्लील माली देना, उनका मुँह कासा कर देना कहां तक उचित है? क्या यह जगलीन नहीं है? क्या यह एक तरह का प्रलाप, एक प्रकार की अन्व रूढ़ि मक्ति नहीं है?

लेकिन इतना ही नहीं, इसका एक दूसरा पहलू भी है। दुर्गमियों का प्रभाव जब स्वास्थ्य पर पड़ता है, तब हमारी कार्य शक्ति भी क्षीण होती है। और कार्य शक्ति के क्षीण होने का दुष्परिणाम हमारी आय पर पड़े बिना नहीं रहता। जब आय घट जाती है, तो हमारी रहन सहन की जो मर्यादा है, वह चौपट हो जाती है। और फलतः तब हम अपनी सत्तान को न तो अच्छा मोचन दे पाते हैं, न सचेष्ट बख्त तथा शिक्षा। और अन्त में हमारी यह सत्तान, जो हमारे भविष्य का प्रतीक होती है, जिस पर हमारी सारी आकांक्षाएँ निर्भर रहती हैं, जो हमारे जीवन के मधुर रूप हैं, वे रोगी, निर्बल और मूर्ख होकर भ्रष्ट और पतित बनकर हमारे महानाश के कारण बनती हैं। और हमारी वे महान्याकांक्षाएँ अपूर्ण की अपूर्ण ही रह जाती हैं। हमारे वे स्वप्न कभी पूरे नहीं होते। इससे सिवा देश की उत्पादन शक्ति की जो क्षति होती है, वह तो एक तरह से हमारी राष्ट्राय क्षति है। और राष्ट्रीय क्षति करनेवाली तो मादक वस्तुएँ हैं, उनसे प्रचार पर यदि संस्कार नियमन

करती है, तो मुझे विवश होकर कहना पड़ेगा कि यह उरुका अधिकार है।

राजाराम—लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि मादक वस्तुओं को उत्पन्न करनेवाला वर्ग कौन सा है। आग्निर कितान, मजदूर, व्यवसायी और धनीमानी व्यक्ति ही तो इसमें आदि से लेकर अन्त तक सलमन रहते हैं। कितने आदमियों की जीविका उससे चलती है, कितने आदमी उससे लाभ उठाकर सम्पत्ता प्राप्त करते हैं।

विहारी—बहुत थोड़े आदमी। लेकिन अगर वे अधिक भी हों, तो हम विवश होकर यह कहना पड़ेगा कि वे हैं तो आग्निरकार गुमराह ही। अगर मादक वस्तुओं का उत्पादन बिल्कुल बन्द कर दिया जाय, तो जो पूँजी, शक्ति, धन और बुद्धि इन हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन, सजावट और प्रसार में लगती है, यह अन्य उद्योग धन्धों में लगे, तो समाज की कितनी भलाई हो, वह कितना सुखी और समृद्धिशाली बने। माना कि इन मादक वस्तुओं के उत्पादन में कुछ लोग सुखी और सम्पन्न हो जाते हैं, किन्तु उससे जो हानि होती है, वह कितनी अधिक है, कितनी व्यापक है। यहाँ तक कि अनेक बीमारियों के रूप में यह पीढ़ी दर-पीढ़ी किवा पुश्त-दर-पुश्त चलती है। मैं पूछता हूँ कि यह हमारे राष्ट्र के निर्माण में कितनी असहनीय हानि है। हमारे देश का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जय ऐसी क्रूरतियों, कुत्सदियों और कुमृत्तियों का विरोध और नियमन किया जाता है, तब नासमझ लोग उसमें आपत्ति राखी करते हैं।

विहारी की बातें सुनकर राजाराम बड़ी देर से मन-ही-मन पछता रहा था। वह अब बोला—अच्छी बात है। मैं और कोई नशा तो करता नहीं था। हाँ कभी कभी भाग अवश्य छान लिया करता था। आज त्यौहार के कारण जरा मुझे परेशानी हो रही थी। पर अब मेरी आँखें खुल गयीं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब कभी माँग भी न पिऊँगा।



सोलहवाँ अध्याय

उपभोग में सरकार के अन्य हस्तक्षेप

—०८००—

कल बाजार में एक आदमी तेल और गुड की जलेनियाँ बेच रहा था। एक लड़का, जो किसी मजदूर का जान पड़ता था, वहाँ आकर खड़ा हो गया। बोला—कल मैंने तुमसे जलेबी लेकर खाई थी। उससे मेरी तमीयत खराब हो गई थी। पहले मुझे मिचली आती रही, फिर ब्रै हा गई। तुम बड़ा खराब सौदा बेचते हो।

उस समय जो औरत उस दूकानदार से जलेबी खरीद रही थी, वह बोली—तो रहने दो। मुझे तुम्हारी जलेबी न चाहिये।

इस पर दूकानदार विगड़ खड़ा हुआ। बोला—यह इसी की बदमाशी का नतीजा है। हट यहाँ से! मेरी दूकानदारी निगाडता है।

लड़का बोला—एक तो सौदा खराब बनाते हो, दूसरे मुझे दुतकारते हो। अच्छी बात है। तो फिर मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझे हटा सकी, तो हटा लो। देखूँ, कैसे हटाते हो!

इतना कहकर वह उसकी दूकान से जरा फासिले पर खड़ा हो गया।

दूकानदार से सहन न हुआ और वह जोन्चा छोड़कर उस लड़के पर टूट पड़ा। दो तमाचे उसने उसने लगा दिये। गाली भी उसे दी। बाज़ार का दिन टूट रहा। लोग इधर उधर से आकर वहाँ खड़े हो गये। लड़का मार खा रहा था, तो भी पैर जमाये हुए था। कहता था—चाहे मुझे मार ही डालो, पर मैं न तो यहाँ से हटूँगा, न सौदा बिजने दूँगा।

इस पर जो लोग खड़े हुए थे, उनमें से किसी ने पूछा—बात क्या है ? कोई कहने लगा—यह सरासर ज्यादती है। लडका ठीक कहता है। तुमको सौदा खराब नहीं बनाना चाहिये। कोई बोला—लेकिन भाई दूकानदारी में अब्जबन डालना भी तो ठीक नहीं है। इस तरह से कोई भी कहने लगगा कि हलवाई के पेड़ों में वासी खोया पड़ा है। तब तो दूकानदारी हो चुकी।

इस प्रकार जितने लोग जमा थे सब अपने अपने विचार के अनुसार बात कर रहे थे। कोई लडके के पक्ष में कहता था, कोई दूकानदार के पक्ष में। इसी समय वहाँ पर एक कान्स्टेबल आ पहुँचा। पहले तो वह लोगों की बातचीत सुनता रहा। जब उसे असलियत मालूम हो गई, तो उसने उस दूकानदार से कहा—चलो, अपना यह प्रीव्चा लेते चलो। तुमको दारोगा राहर ने बुलाया है। लडके से भी उसने कहा—तुम भी चलो।

दूकानदार ने बहुत कुछ आरजू मिन्नत की। पर कान्स्टेबल नहीं माना। वह दोनों को थाने पर ले गया। वहाँ पहुँचने पर पुलिस के सप-इन्स्पेक्टर ने दोनों के बयान लिये। लडके को तो उसने छोड़ दिया। पर दूकानदार पर मुकदमा कायम कर दिया। वह बेचारा एक गरीब आदमी है।

बिहारी राजाराम की बात सुनचाप सुन रहा था। जब वह अपनी बात कह चुका, तो बिहारी ने पूछा—और वह लडका ?

राजाराम—भाई सच्ची बात तो यह है कि वह लडका आधारा है। इधर उधर घूमता रहता है। उसका सग साथ भी अच्छा नहीं है। बेचारे दूकानदार को ग्यर्थ ही में उसने पँसा दिया है। बेचारा गरीब आदमी है और फिर पर रहस्यवाला है। किसी तरह अपनी गुजर बसर कर रहा है।

बिहारी—पर यहाँ गरीब और अमीर का कोई खाल नहीं है। प्रश्न तो यहाँ इस बात का है कि अगर कोई आदमी बुरी खाद्य वस्तु बेचता है, तो सरकार को तो दस्तक्षेप करना ही पड़ेगा।

राजाराम—आप भी अजीब किस्म की बात करते हैं। जलेबियों में उसने राहर तो मिलाया न होगा। तेल-गुड की जलेबियाँ थीं और चार पैसे पाव बेच रहा था।

विहारी—ठाँक है। लेकिन आजकल तौ देहात में भी मिलौ का दूधित तेल, सत्ता पड़ने के कारण, आ गया है। देहात में तेल का साधारण अर्थ लिया जाता है सरसों का तेल, लेकिन मिलौ का जो तेल सरसों के तेल के रूप में विकता है उसमें मूँगडली का तेल शामिल रहता है।

राजाराम—यह मिलावट का बात आपने गूब कही! मिलाने को तो लोग पी में भी महुवे की अटुली का तेल, यनस्पति पी और चर्री तक मिलाकर बेचते हैं। यहाँ तक कि असली पी का मिलना कठिन हो गया है। बाज़ार से पी इरीदने का अर्थ है, दूधित पी लेना। हम ता गलार का पी सँघ भी नहीं सकते। इसमें ता इरानिस सरसों का तेल फिर भी अच्छा। लेकिन यह आपने ठीक बतलाया कि तेल में भी मिलावट होने लगा है।

विहारी—राने-राने और शरीर के उपयोग में आनेवाली वस्तुओं में मिलावट होने ने, उनमोछा को, ठगे जाने के कारण, द्रव्य ही की हानि होती है, सो बात नहीं है। मिलावट से मरी बुरी ग्राह्य अथवा व्यवहार्य वस्तुओं के सेवन से स्वास्थ्य पर भी तो बुरा प्रभाव पड़ता है। उनभोग करनेवालों को तो इतना ज्ञान नहीं होता है कि प्रत्येक वस्तु को इरीदते समय उसकी परीक्षा कर सकें। जब कभी उन्हें किसी वस्तु की अत्यन्त आवश्यकता होती है, तभी वे उसे इरीदते हैं। उस समय उन्हें इतना मौझा भी कहीं होता है कि वे अच्छी तरह उसके गुण-दोष की छानबीन कर सकें। इसीलिए सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह ऐसे कानून बनावे, जिससे सर्वसाधारण जनता स्वस्थ अथवा व्यवहार्य वस्तुओं में मिलावट से होनेवाली हानियों से बच सके। जो लोग मिलावट करके इन वस्तुओं की बिक्री से अनुचित रूप से लाभ उठाते हैं, उन्हें सज़ा दें। हमारे प्रान्त में किसी-किसी म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में इस प्रकार के कानून लागू भी किये गये हैं। कहीं-कहीं उनको थोड़ी बहुत सफलता भी मिली है। लेकिन ऐसे कानून तो हर जगह के लिए बनने चाहिए।

राजाराम—तो आपने मत से उन दूकानदार पर जो मुज्दमा कायम कर दिया गया, यह अच्छा हुआ।

विहारी—मुझे व्यक्तिगत रूप से उस दूकानदार से कोई शिकायत नहीं है।

लेकिन मैं यह बतलाना चाहूँगा कि उसने लाभ को ही दृष्टि में रखकर, इतरान तेल का प्रयोग करके, देहात की गरीब, नासमझ और भोली जनता को हानि बतलाना पहुँचायी है।

राजाराम—लेकिन यह मामला यहीं प्रथम नहीं होता। अरबानों में जो पेज के-पेज विज्ञापनों से रँगे रहते हैं क्या उनके अन्दर धोखेबाजी नहीं रहती ?

विहारी—तुमने बिल्कुल ठीक बात कही है। विज्ञापन का अर्थ है किसी वस्तु के लिए यह प्रकट करना कि उसका रूप गुण स्वभाव लक्षण और मूल्य क्या है। किन्तु आजकल तो विज्ञापनों में वस्तुओं की इतनी अधिक प्रशंसा छुपा करती है कि पढ़क धोखे में आ जाते हैं। जो व्यापारी अपनी वस्तुओं का विज्ञापन करने में जितनी अधिक भूठ से काम लेता है, समझना चाहिए, अपने पैसे में वह उतना ही अधिक सफल है।

राजाराम—यह विष देहात में भी लूच फैल रहा है। नोटिफिकेशन की बदौलत साधारण पढे-लिखे लोग चण्डाल बनकर लघाधीश बन गये हैं। मेलों में कमी जाकर देखिए एक एक आदमी के हाथ में दस दस, बीस-बीस नोटिस आप इकट्ठे पायेंगे। लेकिन एक बात में हम उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। यह यह कि ये लोग विज्ञापनवालों में पैसा पाने की तरह बहाते हैं।

विहारी—लेकिन विज्ञापनवालों का यह नडा हुआ स्वर्च अन्त में पड़ता तो उपभोक्ताओं पर ही है। इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वह भूठे विज्ञापनों से हमारी रक्षा करे।

राजाराम—लेकिन एक बात तो बतलाइए। आजकल कुछ चीजें महँगी हो रही हैं। सरकार इसने लिए कोई प्रयत्न क्यों नहीं करती ?

विहारी—गलत यह है कि जब सरकार को अपनी और अपने अधीनस्थ देशों की रक्षा के लिए विरोधी देशों से लड़ना पड़ता है, तब उपभोग सम्बन्धी बातों में सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ जाया करती है। ऐसी स्थिति में कभी-कभी तो देश की पूँजी और धन को उपभोग सम्बन्धी व्यवसायों से हटाकर, अपने तात्कालिक हितों का ध्यान रख कर, दूसरे व्यवसायों में लगाना पड़ता है। ऐसे समय युद्ध-सम्बन्धी नवीन

कानून भी बनाने पड़ जाते हैं। पिछली बार जब सन् १९१४ में युद्ध हुआ था, तब भी इंग्लैंड और अमेरिका की सरकारों को ऐसे कानून बनाने पड़े थे, जिनसे जनता के लिए उपभोग सम्बन्धी पदार्थों में बड़ी कमी पड़ गयी थी। बात यह है कि ऐसे समय फौज की रक्षा, घायलों की सेवा, नवीन फौज के लिए राय और अन्य व्यवहार्य वस्तुएँ, गोलाबारूद एवं अन्य सामान का संग्रह करने की ओर सरकार का ध्यान प्रधान रूप से रहता है। इसलिए उपभोग सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप करना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। जनता को चाहिए कि देश की रक्षा के नाम पर उसकी सहायता करे।

राजाराम बोल उठा—इस तरह तो उपभोग सम्बन्धी कई बातों में सरकार के हस्तक्षेप करने का अधिकार मानकर आप एक तरह से उसी पक्ष के व्यक्ति हो जाते हैं।

विद्वान्—यही तुम गलती कर रहे हो। राजनीति के साथ अर्थशास्त्र का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धान्त ऐसे हैं, जिनमें सरकार के सहयोग और हस्तक्षेप के बिना देश का सार्वजनिक हित सम्भव ही नहीं है। कुछ बातें मैंने तुमको बतला दी हैं। अब केवल एक बात मुझे और कहनी है। वह यह कि जिस उपभोग से सार्वजनिक सेवा का सम्बन्ध होता है, उसका प्रबन्ध व्यक्ति की अपेक्षा सरकार बहुत अच्छी तरह कर सकती है। जैसे—रेल, तार, डाक आदि। इन विभागों का प्रबन्ध प्रत्येक देश की सरकार को, अपने हाथ में लेना पड़ता है। उससे सर्वसाधारण को, इन विभागों के उपभोग में, अधिक सुविधाएँ मिलती हैं।

सर्वसाधारण जन समुदाय के लाभ की दृष्टि से उसके लिए वह आवश्यक होता है कि वह इनके मूल्य, दरें तथा उसके प्रचार ऐसे और इतने रखे कि जनता उनका अधिक-से-अधिक परिणाम में उपभोग कर सके। इन विभागों की उत्पत्ति के मूल में कुछ ऐसे उद्योग धन्धे भी होते हैं, जिनका देश की जनता की समृद्धि के साथ अनिवार्य सम्बन्ध होता है।

जैसे—लोहे तथा इस्पात की रानें और जङ्गलात। सरकार के लिए यह आवश्यक होता है कि इन खानों तथा इनसे संलग्न उद्योग-धन्धों का प्रबन्ध ऐसे उत्तम ढंग में करे कि जनता को उपभोग सम्बन्धी अधिक-से-अधिक

तृति प्राप्त हो। ये ऐसे विभाग हैं कि इन्हें जनता पर छोड़ देने का अर्थ है, तत्कालीन जनता के हाथ में उपभोग-सम्बन्धी पूर्ण स्वतन्त्रता देकर भावी जनता के लिए कुछ भी शेष न रखना। इसीलिए सरकार को उपभोग सम्बन्धी इन विभागों पर हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। यह अर्थशास्त्र की दृष्टि है। सरकार अथवा जनता के पक्ष विपक्ष का इसमें कोई प्रश्न नहीं है।

राजाराम और विहारी में बातें हो रही थीं कि उसी समय वही प्रोञ्चेवाला उधर से आ निकला। राजाराम ने पूछा—कहो रामधन, तुम्हारे मामले में फिर क्या हुआ ?

रामधन ने कहा—हुआ क्या पड़ित जी, असल में कुमूर मेरा था ही। पर उस समय रोज़ी रोज़गार छिन्नने के विनार से मुझे उस लड़के की वह इर-वत बेजा मालूम हुई और मेने उसे मार दिया। अब रही बात मिलावट की। सो आप जानते हैं कि जैसा मात्र हमे मिलता है, घिसा ही हम लगाते हैं। इसमें हमारा दोष क्या है ? यही सब बातें मेने दरोगाजी से कहीं। गरीब में इतना न होता, तो क्या चार-छैं आने रोज़ के आसरे पर ऐसी टुटपुँजिया दुकानदारी पर जान देता। शाम तक में वहीं बना रहा। अन्त में तरस खाकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया।

राजाराम ने कहा—चलो, अच्छा हुआ।

रामधन बोला—अच्छा जी कुछ हुआ सो तो हुआ ही। पर मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अब तेल गुड़ की जलेबी बेचने का यह काम न करूँगा। न इस काम में कोई इज्जत है, न क्यादा लाभ। जगह मुझे बाज़ार में मिल गयी है। सो वहीं पेड़ा बरफी लगाया करूँगा। भूठ क्यों बोलूँ, तेल जरूर उस दिन कुछ खस्तागाला लगा दिया था। बड़ी रीर हुई, जो भगवान ने बना लिया। नहीं तो वहीं का न रहता।



सत्रहवाँ अध्याय

वरवादी

—i—

बिहारी ज्यो ही राजाराम के पर पहुँचा, तो देखता क्या है कि उसने उपले सुलगा रखे हैं तिसने कारण धुआँ घर भर में भरा हुआ है। तब वह बोला—जानते हो, तुम यह क्या कर रहे हो ?

राजाराम पहले तो आश्चय से उसकी ओर देखने लगा। फिर बोला—क्या ! तुम्हारा मतलब क्या है मैं समझ नहीं सका।

बिहारी ने कह दिया—घर में यह जो धुआँ भरा हुआ है, काहे का है, जानते हो ?

राजाराम ने कहा—आज बाटी खाने की तबीयत है। इसीलिए उपले सुलगाये हैं। उसी का धुआँ है। अभी जरा देर में जब ये घघक उठेंगे, तो धुआँ न होगा। आपको तकलीफ़ होती हो, तो आप तब तक, न हो, बाहर छप्पर में बैठें। आन का अग्रजार आ गया है, तब तक उसे पढे। मुझे खाली होने में अभी कुछ देर तो लगेगी ही।

राजाराम अब भी समझ नहीं सका कि बिहारी ने जो प्रश्न किया है, उससे-उसका क्या मतलब है। तब बिहारी ने और अधिक स्पष्ट रूप से कहा—तुम जो यह धुआँ कर रहे हो, यह तुम्हारी दृष्टि में सिर्फ़ उपलो का है। पर सब पूछो तो तुम अपनी सम्पत्ति को सुलगा रहे हो। गोनर से उपले न बनाकर अगर तुम खाद बनाते और खेतों में पहुँचाते, तो आज जितनी पैदावार उन खेतों में होती है, उसकी सवाई होती। इस तरह से यह

खाद की बरवादी हुई। और बरवादी का उपभोग, रहन-सहन और देश की शीतमृद्धि से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी प्रकार कहीं द्रव्य की बरवादी होती है, कहीं अन्न, समय, शक्ति और स्वास्थ्य की। ये सब बरवादियाँ मिल कर एक निश्चित परिमाण में देश की उपभोग सम्बन्धी सन्तुष्टि को कम करती हैं। यदि ये न हों और देश पूर्ण रूप से वृत्ति प्राप्त करे, तो उसे समुन्नत और समृद्धियाली बनने में किंचित देर न लगे।

राजाराम ने बाहर छप्पर में चारपाई डाल दी। बिहारी उस पर बैठ गया। तब राजाराम ने भी दूसरी चारपाई पर बैठ कर कहा—मैं समझता नहीं, आपका क्या मतलब है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हम लोग अपनी आमदनी पर ध्यान न रखकर व्यर्थ का व्यय बहुत अधिक कर डालते हैं ?

बिहारी—वास्तव में तुम नहीं समझे। तुम जो बात कह रहे हो, वह तो फिजूलखर्चा की है जिसके सम्बन्ध में हम पहले तुम्हें समझा चुके हैं। पर यह विषय तो बरवादी का है। अगर हम किसी पदार्थ से उतनी उपयोगिता प्राप्त न करें, जितनी हमको उससे मिल सकती थी, तो समझना होगा कि उतनी हमने बरवाद कर दी। (अगर हमने समय का विचार नहीं किया, उससे जितनी उपयोगिता हमें मिल सकती थी, हम ले नहीं सके, तो हम सोचना चाहिये कि एक अंश में हमने समय की बरवादी की। इसी प्रकार अगर हम अपने द्रव्य से पूरा लाभ न उठा सके, तो हमें समझना चाहिए कि हमने द्रव्य की बरवादी की। फिजूलखर्चा में तो हम उतना अधिक खर्च कर डालते हैं, जितना हमारे लिए उचित नहीं होता। वह एक अंश में हमारे लिए अनुचित होता है। परन्तु बरवादी तो वह हुई, जिसमें हमने अपने समय, द्रव्य तथा पदार्थों को व्यर्थ नष्ट हो जाने दिया। जितना लाभ हमें उनसे उठाना चाहिए था, हमने नहीं उठाया।

राजाराम—लेकिन बड़ी कठिनाई तो यह है कि समयानुसार हमें मालूम नहीं होने पाता कि अमुक वस्तु को हम बरवाद कर रहे हैं।

बिहारी—हाँ, यह तुम ठीक कहते हो। बरवादी का परिमाण इतना छोटा होता है कि सहज ही हमें मालूम नहीं पड़ता। किन्तु थोड़ा थोड़ा करके अन्त में वह इतना बड़ जाता है कि हमें आश्चर्य होता है। उदाहरण रूप में

पहले हम घरों की बरवादी की ओर ज़रा ध्यान दें। घरों में कितनी अधिक बरवादी अन्न की होती है ! नाली में कहीं चावल पड़ा रहता है, कहीं दाल। कहीं रोटी के टुकड़े, कहीं सब्ज़ी।

राजाराम—हाँ, यह तो आपने ठीक बतलाया। पर इतने छोटे अन्न में जो बरवादी होती है, वह ठी होगी ही। चाहे जितनी सावधानी रखें, वह अवश्य होगी। उसे हम दूर कैसे कर सकते हैं।

विहारी—कर सकते हैं। पहले हमें इसका कारण खोजना होगा। अन्न की यह जो बरवादी होती है, उसका एक मुख्य कारण होता है खाना अच्छा न बनना।

राजाराम—हाँ, यह धारने न्यून हुआ।

विहारी—दूसरा कारण है घर का प्रबन्ध ठीक न होने के कारण खाने का आवश्यकता से अधिक बना डालना। अब हम तुमसे यह पूछना चाहते हैं कि अगर घर का प्रबन्ध ठीक रहे, उतना ही बनाया जाय, जितना आवश्यक हो और घर के लोग खाना बनाने में प्रवीण हों, तो अन्न की जो बरवादी हम नित्य किया करते हैं, धीरे-धीरे उसकी बचत के लाम से क्या हम परिवार को अधिक सुखी और सन्तुष्ट नहीं बना सकते ! तुमने देखा होगा कि विवाहादि उत्सवों पर ढेर-के-ढेर खाद्य पदार्थ बरबाद होते हैं। घड़ी, शीशे के बर्तन कितनी जल्दी टूट जाते हैं ! अगर ये वस्तुएँ एक निश्चित स्थान पर सम्हालकर रखी जायँ, तो इनकी बरवादी को हम बहुत बड़े अंशों में कम कर सकते हैं। इसी प्रकार कपड़ों को अगर हम सम्हालकर रखें, तो जिन्हें हम जल्दी ही पुराना बना डालते और अनुपयुक्त समझकर फेंक देते हैं, उन्हें छँ महीने तो हम और अधिक खला सकते हैं। इसके बाद अन्न में वे पटी-पुरानी वस्तुएँ भी तो अपनी एक उपयोगिता रखती ही हैं। पर हम इस ओर ध्यान ही नहीं देते। पटे-पुराने चियड़ों से कागज बनता है और कूड़ा खाद के काम आता है।

राजाराम—लेकिन इन सब बातों की जानकारी हुए बिना इसका लाभ हम उठा ही कैसे सकते हैं !

विहारी—हाँ, यह तुम ठीक कहते हो। शिक्षा के बिना यह सम्भव नहीं है।

पर शिक्षा भी ऐसा होनी चाहिए कि हम मितव्ययिता सोरों और बरवादी के प्रत्येक प्रकार से परिचित होकर उसे रोकें। यहाँ की बरवादी दूर करने के लिए गार्हस्थ्यशास्त्र की शिक्षा बहुत आवश्यक है। प्रत्येक गृहिणी को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि वह इस बात की पूर्ण जानकारी रखे कि उसके परिवार में कितने और किस प्रकार के समान की अधिक आवश्यकता होती है और उससे अधिक-से-अधिक तृप्ति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। सबसे अधिक विचार रखने और ध्यान देने की बात इस विषय में यह है कि बरवादी का थोड़ा परिमाण भी जब नियमित और स्थायी बन जाता है, तभी हमारी सबसे अधिक क्षति होती है। नित्य हमें बरवादी को कम करने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रारम्भ में नित्य थोड़ा भी ध्यान देने से हम इसे बहुत शीघ्र दूर कर सकते हैं।

राजाराम—ध्यान से देखा जाय, तो यह बरवादी हम और भी अनेक दिशाओं में मिलेगी। यहाँ देहात में कितने अधिक बच्चे मारे-मारे फिरते हैं, न उनकी शिक्षा का कोई उचित प्रबन्ध है, न उनके भरण पोषण का। एक तरह से उनका जीवन बरवाद ही तो हो रहा है!

विहारी—निश्चित रूप से। किन्तु इस बरवादी की ज़िम्मेदारी हम लोगों पर उतनी नहीं, जितनी हमारी राष्ट्र की शासन पद्धति पर है। हाँ, हम सामूहिक रूप से स्वास्थ्य की बरवादी के ज़िम्मेदार अवश्य हैं। हमारे देश में सन्तानक रोगों से प्रति वर्ष लाखों आदमी मरते हैं। यदि हममें स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी ज्ञान का पूर्ण प्रचार हो, अपना रहन-सहन हम स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी नियमों के आधार पर रखना सीख जायें, तो हम अपने देश की बढ़ती हुई जन-संख्या की आशंक बरवादों को बहुत अंशों में रोकने में समर्थ हो सकते हैं।

राजाराम—लेकिन नन्हें बच्चों को बढ़ती हुई मृत्यु-संख्या को हम कैसे रोक सकते हैं?

विहारी—बच्चों की मृत्यु-संख्या को कम करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि बाल-विवाह एकदम से बन्द कर दिया जाय, और माताओं के लिए ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध हो, जिससे वे सतान-पालन का ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकें। जिन मज़दूरों की खियाँ कारखानों में काम

करती है, उनसे बच्चों के पालन पोषण का उचित प्रबन्ध हो। और सबसे अधिक आवश्यक यह है कि चिकित्सा का प्रबन्ध जन-साधारण के लिए नि:शुल्क हो।

राजाराम—और जो लोग अदालतवाजी में अपना रुपया-पैसा बरबाद करते हैं, उनसे लिए क्या हो सकता है ? इसका सम्बन्ध तो सरकार से है।

विहारी—अगर स्थानीय पंचायतों का संगठन और प्रचार हम गाँव-गाँव में कर सकें, तो मुकदमेशाली से होनेवाली बरबादी को भी बहुत अर्थों में रोक सकते हैं। किन्तु एक मुकदमेशाली ही क्यों, समाज में कुछ कुरोतियाँ तथा रूढ़ियाँ भी तो ऐसी हैं, जिनसे द्वारा हमारे समाज की एक बहुत बड़ी शक्ति बरबाद होती है। विवाह-बरातों में हम-बट्टी गड्डी दावतें देते, उनमें बिलायती शराब को पानी की तरह नहाकर अपनी गाढी कर्माई का सत्यानाश करते हैं। आतिशबाजी से कितनी बड़ी हानि हम इस अवसर पर कर डालते हैं, इस विषय में हम पहले काफी बतला ही चुके हैं। यही पूँजी श्रम हम बचाकर अन्य उद्योग धर्मों में लगावें तो कितने बेकार शीन दुखियों का पेट गले ! इस तरह समाज की जो शक्ति और पूँजी हम बरबाद करवा देते हैं, अगर हम उसे रोक सकें, तो कितना मज लाभ हो !

राजाराम—हाँ, यह विषय वास्तव में ध्यान देने योग्य है। अच्छा, अब हम बाटी सँक लें। धुआँ भी कम हो गया है। हँसिये नहीं, जो उपले बन गये हैं, वे तो अब इस्तमाल में आयेंगे ही। पर अब आज से ही हमारे पशुओं का गोबर खाद के ही काम में आयेगा।



अठारहवाँ अध्याय

भविष्य का उपभोग और वचत

एक दिन की बात है। राजाराम किसी सोच में उदास बैठा हुआ था। विहारी ने आते ही पूछा—क्या बात है भाई ! ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो ?

राजाराम ने कहा—कुछ नहीं, यों ही बैठा हूँ। आज तनियत बरा उलझन में है।

विहारी ने पूछा—वही तो मैं जानना चाहता हूँ।

राजाराम—बात यह है कि मनुष्य का वशापयीत करना है और पैसा पाए है नहीं। कैसे काम चले, यही सोच रहा हूँ।

विहारी—यह कोई साधारण बात नहीं है राजाराम। यह सच पूछो तो बड़े ही महत्व का विषय है। कोई आदमी अपने भविष्य के सम्बन्ध में साधारण रूप से कुछ नहीं जानता। पर कुछ बातें फिर भी ऐसी छूट ही जाती हैं, जिनके सम्बन्ध में मनुष्य को पहले से तैयार होना पड़ता है। कोई व्यक्ति, जो आज खुशहाल है, निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता कि भविष्य में भी उसके दिन इसी प्रकार रहेंगे। कितने ही कारण अकस्मात् ऐसे उपस्थित हो जाते हैं कि लखपति व्यक्ति भी एक दिन दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। इसके विवा मनुष्य किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, सन्तान के लिए कुछ न कुछ कर ही जाना चाहता है। इस प्रकार भविष्य की सम्भव दृष्टान्तों से अपनी रक्षा करने और महत्वपूर्ण सुखद आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि यह अपनी आय का एक अंश सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति

। में ध्यय न करके भविष्य के लिए कुछ-न कुछ अवश्य बचाता चले ।

राजाराम—लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि हम लोग जब अपना भरण पोषण ही कठिनाई से कर पाते हैं, तब कुछ बचाकर रखना हमारे लिए कितना दुष्कर है !

विहारी—यह मैं मानता हूँ कि मनुष्य अपना जैसा रहन-सहन एक नर बना लेता है, उससे नाचे दरने का उससे सहन नहीं होता । इसीलिए प्रायः प्रचाने को इच्छा रखनेवाले लोग भी कुछ बचा नहीं पाते । पर यह तो एक प्रकार की नासमझी ही है कि हम इतना भी न सोचें कि काम करने की उम्र में भी अगर हमने बचत जैसे अत्यन्त आवश्यक विषय पर ध्यान न दिया, तो वृद्धावस्था में जीवन निर्वाह, बीमारी से उचाव तथा सतान के समाज और सस्कृति अन्य आवश्यक संस्कारों की विधिवत् पूर्णता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं । इसीलिए विचारवान लोग प्रत्येक समय में अपनी आय का कोई न भाई अथ अवश्य बचाते रहते हैं । बचत से ही हम अपनी सतान की शारीरिक तथा मानसिक अवस्था को शक्ति सम्पन्न, उन्नत और विरहित बना सकते हैं । अगर कोई व्यक्ति अपने पुत्र को उच्चशिक्षा दिलाने में प्रयत्नशील है, अगर वह उसे किसी कारीगरी की शिक्षा देनेवाले विद्यालय का स्नातक बनाने में सचेष्ट है, तो उसे यह भरोसा तो है कि अपनी बचत की पूँजी को उसने सुरक्षित रक्खा है । बैंक में जमा न रखकर उसने अपने उस लड़के पर व्यय किया है, जो निम्न भविष्य में अपने ज्ञान और अपनी योग्यता के आधार पर कोई ऐसी आजीविका प्राप्त कर लेगा जो उसकी पद भर्यादा को बढा देने में एक ओर बहुत सहायक होगी, दूसरी ओर उसकी आय से उसकी वृद्धावस्था बहुत अनिश्चिततापूर्वक बीतेगी । इस प्रकार अपनी बचत का पूर्ण उपभोग कर सने में वह समर्थ हो जायगा ।

राजाराम—लेकिन प्रश्न तो यहाँ यह है कि एक तो हमने रुपये का सचय नहीं किया, दूसरे सतान भी कई हो गईं । अब ततलाइये, ऐसी स्थिति में अपने भविष्य के लिए हम कर ही क्या सकते हैं ?

विहारी—यह प्रत्यक्ष रूप से आपकी हानि है । पर विचारणीय बात यह है कि यदि तुम्हारी ही भाँति और लोग भी बरानर सतान पैदा करते

जायँ, और बचत की ओर ध्यान न दें, तो वे सामूहिक रूप से समाज की भी एक बहुत बड़ी हानि करने के जिम्मेदार होंगे।

राजाराम—सो किस तरह ?

बिहारी—बात यह है कि यदि मनुष्य रुपया-पैसा का संचय न करे और जन संख्या की वृद्धि इसी प्रकार जारी रहे, तो अन्त में एक ऐसा समय आ जायगा जब एक ओर देश की पूँजी बहुत घट जायगी, और दूसरी ओर उसकी उत्पादक शक्ति भी क्षीण हो जायगी। फल यह होगा कि समाज के रहन-सहन का दर्जा निम्नतर हो जायगा, साथ ही उसका उपभोग और तृप्ति का मान घट जायगा। लेकिन उसका यही, इतना ही, दुष्परिणाम न होगा, मनुष्य को जो अन्य महत्त्वकाङ्क्षाएँ होती हैं—जैसे वृद्धावस्था में तीर्थ यात्रा, दान-पुण्य आदि—वे भी अपूर्ण रह जायँगी।

राजाराम—अच्छा, यह तो सब हुआ। अब यह स्तलादेश्य कि हमको अपनी आमदनी का कौन-सा अंश भविष्य के उपभोग के लिए बचाना आवश्यक है ?

बिहारी—द्रव्य के उपभोग को साधारण रूप में वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए बाँटा जा सकता है। विचारशील और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आय को वर्तमान और भविष्य दोनों के उपभोग के लिए समान रूप से विभाजित करते देखे गये हैं। पर भविष्य के उपभोग की सीमान्त उपयोगिता का क्या रूप होगा, यह पहले से निश्चित कर लेना दुष्कर होता है। इसीलिए साधारण रूप से दो बातों का ध्यान रखा जाता है। एक दृष्टि तो यह है कि भविष्य का कुछ निश्चय नहीं है। कौन कह सकता है कि जो बचत वह भविष्य के नाम पर कर रहा है, उसका उपभोग यह कर ही सकेगा ! दूसरी बात यह है कि प्रकृति एक ही नहीं होती। समय और परिस्थिति भी बदलती रहती है। वर्तमान का जो सुख-संतोष है, भविष्य में भी वह उसी रूप में रहेगा, कौन कह सकता है ? जो व्यक्ति अपने भविष्य को देख सकता है, जिसने अपने भावी जीवन की निश्चित रूप-रेखा तोच ली है, उसके लिए वर्तमान तथा भविष्यत् काल की उपयोगिता समान उहरती है। परन्तु दूसरी प्रकृति का व्यक्ति, जो एकता है कि वह अभीर और

असयमी हो, अपने भविष्य की अन्धकारमय देखता हो, तो उसके लिए भविष्य की उपयोगिता निश्चय ही वर्तमानकालीन उपयोगिता से बहुत कम होगी। ऐसा व्यक्ति अपनी आय को वर्तमान आवश्यकताओं तथा उपभोगों की पूर्ति में ही व्यय कर डालना चाहेगा। इसके सिवा कोई भी व्यक्ति विभिन्न अवस्थाओं में वर्तमान और भविष्य की उपयोगिता को विविध परिमाण में मापना चाह सकता है। एक समय वह भविष्य की उपयोगिता को वर्तमानकालीन उपयोगिता की अपेक्षा अत्यन्त हीन समझ सकता है, दूसरे समय जब उसको भविष्य की चिन्ता विकसित कर रही होगी, उस समय वही व्यक्ति वर्तमानकालीन आवश्यकताओं को भविष्य के उपभोग के नाम पर नगण्य समझ सकता है। यही कारण है कि एक औसत व्यक्ति वर्तमान और भविष्य के उपभोग के महत्त्व को समान नहीं समझना चाहता है।

राजाराम—मेरी स्थिति तो यह है कि एक रुपये की आज की उपयोगिता को मैं भविष्य के एक रुपये के उपभोग की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण मानता हूँ।

निहारी—एक तुम्हारा नहीं, मनुष्य मात्र का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि वह वर्तमान सुख-संतोष को भविष्य के अनिश्चित सुख-संतोष की अपेक्षा अधिक महत्त्व देता है। उसे एक रुपये की एक साल बाद की उपयोगिता आज की, इस समय की, पन्द्रह धाने की उपयोगिता के बराबर ही प्रतीत होती है। ज्यों-ज्यों हम उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित करते जाते हैं, त्यों-त्यों उसकी उपयोगिता हमें वर्तमान काल में कम प्रतीत होने लगती है।

राजाराम—लेकिन आप तो ये सब बातें हमारे मन की ही कह रहे हैं।

निहारी—परन्तु वर्तमान और भविष्य की उपयोगिता की यह तुलना जहाँ हमें एक दूसरे पर बड़ा लगाने को विवश करती है, वहाँ और एक बात का स्पष्टीकरण हो जाता है। और वह यह कि मनुष्य की एक ही स्थिति हमारे सामने रहती है। उस व्यक्ति को, जिसकी आर्थिक स्थिति अनुमान से भविष्य में भी वैसी ही रहती है, जैसी वर्तमान काल में है, ऐसी दशा में, अपने द्रव्य से भविष्य के लिए खरीदे या संचित किसे गये पदार्थों की उपयोगिता से समान तृप्ति की आशा करनी चाहिए। अगर हम इन दोनों बातों पर

दूर तक ध्यान दे सकें, तो हमें इस परिणाम पर पहुँचना पड़ेगा कि अगर वह व्यक्ति इस वर्ष ५०) इस विचार से बचावे कि उसको एक वर्ष बाद ५६) रुपये की प्राप्ति हो, तो वह व्यक्ति भविष्य का उपयोगिता पर १२) प्रातशत प्रात वर्ष बचा लगायेगा ।

राजाराम—लेकिन हमने तो बहुतेरे ऐसे आदमियों को भी देखा है, जिन्होंने कभी बचत का कोई ख्याल नहीं किया और जिनकी जिन्दगी बड़े सुख के साथ कट गयी ।

बिहारी—एक तो यह सयोग की बात है । दूसरे सुख और दुःख की कसौटी प्रत्येक व्यक्ति की एक नहीं होती । तुम समझते हो, वह अपने जीवन में बहुत सुखी रहा । पर अगर उससे पूछा जाता, तो सम्भव है, वह ऐसा न कहता । जो व्यक्ति अमीर और अखतोफी प्रकृति के होते हैं, वे प्रायः अपनी आय को ऐसी वस्तुओं के प्ररीदने में खर्च करते हैं, जिनसे तुरन्त उनकी इच्छा के अनुसार तृप्ति की प्राप्ति तो हो जाती है, पर वे अपना भविष्य चौपट कर डालते हैं । ऐसे व्यक्ति ५०) रुपये का एक अच्छा बैल न प्ररीदकर उसे जुए में फूँक डालते अथवा किसी अन्य दुर्व्यसन में गँवा देते हैं । ऐसे व्यक्ति भविष्य के उपभोग का मूल्य भला क्या आँक सकते हैं ?

राजाराम—अच्छा गैर, अब आप यह बतलाइये कि बचत को सुरक्षित और लाभदायक कैसे बनाया जाय ?

बिहारी—अगर मनुष्य को इस बात का भी निश्चय हो कि भविष्य में उसको बचत से आज की अपक्षा कम तृप्ति प्राप्त होगी, मैं तो कहूँगा कि तो भी उसे कुछ न कुछ भविष्य के लिए अवश्य बचाना चाहिए । अब प्रश्न यह रह जाता है कि मनुष्य बचत का सदुपयोग कैसे करे । तो, बचत का गड्ढा खोद कर गाड़ देना अथवा आभूषण बनवा लेना उचित नहीं है । बचत को पूँजी को तो ऐसे व्यवसायों में लगाना चाहिए कि वह पूँजी सुरक्षित तो रहे ही, वरन् उसमें कुछ श्रद्धि भी होती चले ।

राजाराम—सुरक्षित रहना ही टेढ़ी सीर है । आप बढती की बात कह रहे हैं ।

विहारी—वास्तव में पूँजी बचाने का सवाल उतना ही टेढ़ा है, जितना पूँजी सचय करने का। पर बचत को सुरक्षित रखने के कई साधन आज हमें प्राप्त हैं। सबसे अच्छा तो यह है कि किसी विश्वास पात्र तथा साख रखने-वाली बैंक में सेविंग्स बैंक के हिमाय में जमा कर दिया जाय। इससे दो लाभ होते हैं। एक तो आवश्यकता पडने पर रुपया आसानी से मिल जाता है, दूसरे उसपर कुछ सूद भी मिलता है। जहाँ तक सम्भव हो, बचत को ऐसे व्यवसाय में लगाना उचित है, जिसमें पूँजी सुरक्षित बनी रहे, आमदनी निश्चित रूप से हो और यथेष्ट हो। साथ ही यह सुविधा अवश्य हो कि जब आवश्यकता पडे, पूँजी वापस मिल जाय। जैसे—वोस्ट्रॉब्रॉक्स के कैश सर्टिफिकेट, साख रखने वाली किसी कम्पना के शेयर आदि। जमीन तथा मकान खरीदना भी पूँजी को सुरक्षित रखने का एक उत्तम साधन है। जमीन तथा मकान खरीदने में सब से बड़ा लाभ यह होता है कि जब जन संख्या की वृद्धि होती है, तब जमीन की कीमत भी बढ़ जाती है। और इस प्रकार वह बड़ा हुआ लाभ उपभोक्ता को मिल जाता है।

राजाराम—सुनते हैं, जो लोग अपनी जिन्दगी का बीमा कराते हैं वे अगर देवयोग से जल्दी मर जाते हैं, तो उनके बाल बच्चों को बीमे की रकम का पूरा रुपया मिल जाता है।

विहारी—हाँ, बीमा करा लेने से बचत के रुपये को एक तो हम धीरे धीरे सभ्रह करने की सुविधा पा लेते हैं। दूसरे वृद्धावस्था में वह एक साथ मिल जाता और बड़ा काम देता है। लेकिन जो लोग उस तरह का बीमा कराते हैं कि कुल रुपया मरने के बाद ही मिले, तो उसका लाभ उनकी सतान को मिलता है। लेकिन बीमा कराने और उसकी किरतें समय पर चुकाते रहने की शक्ति हमारे देश की साधारण जनता में अभी आयी कहीं है। करोड़ों लोगों को पेट भर भोजन और तन ढकने की परख मिलना दुर्लभ हो रहा है। देश की बचत भी तभी बढ़ायी जा सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी में वृद्धि हो। और यह तभी सम्भव है, जब देश में उत्पन्न होनेवाली वस्तुओं की उत्पत्ति बढ़ा दी जाय और आमदनी का वितरण ऐसे ढंग से किया जाय कि सब को अपना भाग उचित परिमाण में प्राप्त हो। तुमने पूछा था कि प्रत्येक

व्यक्ति को अपनी आय का कौन-सा भाग जमा करना चाहिये। इस सम्बन्ध में, अन्त में हम, यही कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों को खाने पहनने का कष्ट न हो, उन्हें चाहिये कि वे अपनी आय का कम-से-कम दसवाँ भाग अवश्य बचायें।

दोनों में ये बातें हो ही रही थीं कि उसी समय घोड़े पर सवार एक आदमी राजाराम के यहाँ आ पहुँचा। जब राजाराम उसके निकट गया, तो उसने उसके पैर छूकर प्रणाम करने के बाद कहा—मैं पिताजी की अन्तिम आत्मशान्ति के लिए गया-तीर्थ जा रहा हूँ। पर इसके पहले मेरे लिए यह आवश्यक हो गया है कि मैं उनके श्रृणु से उदार हो जाऊँ। आपको चाहे शान हो, चाहे न हो; पर मुझे याद है कि मेरे पिताजी ने आपके पिताजी से, मेरी बहिन के विवाह के उपलक्ष्य में १००) सौ रुपये उधार लिये थे। लगभग बीस वर्ष पहले की बात है। वही सौ रुपये मैं देने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सूद के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उनको और प्रत्यक्ष रूप से मुझको चुमा कर दें।

राजाराम को इस घटना से इतनी प्रसन्नता हुई कि वह भावमग्न होकर बोला—तुम अपने पिता की आदर्श सतान हो। जाओ, भगवान् तुम्हारा कल्याण करे। मुझे सूद के नामपर एक कौड़ी न चाहिए। भगवत् कृपा से तुमने आज जो ये रुपये दिये हैं, इस साग्य ये ही मेरे लिए बहुत अधिक हैं।

बिहारी बोल उठा—धर्म को पहचाननेवाले ऐसे ही व्यक्ति सच्चे और कर्तव्य-परायण होते हैं।



उन्नीसवाँ अध्याय

दान-धर्म

आज राजाराम की तमियत किसी काम में नहीं लग रही थी। अपने लडके का बजोपवोत यह कर चुका था और जो बेहमान लोग उसके घर आये हुए थे, वे लोट चुके थे। तब वह बिहारी के यहाँ चल दिया। बिहारी का घर पास ही था। जिस समय वह उसके यहाँ पहुँचा, तो क्या देखता है कि बिहारी एक पुस्तक पढ़ने में लीन है। राजाराम ने पूछा—कौन सी पुस्तक है ?

बिहारी बोला—पुस्तक तो अर्थशास्त्र की है। पर यह बतलाओ कि जब उस दिन वह आदमा तुमको यकायक सौ रुपये दे गया, तब तुम्हारे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा ?

राजाराम—प्रभाव की बात न पूछिये। मैं यही सोचने लगा था कि इसने मन में भगवान ने ही यह प्रेरणा पैदा की है। नहीं तो आजकल के जमाने में कौन पिछली बातों का ऐसा विचार करता है। इसमें सन्देह नहीं कि सौ रुपये आज उसके लिए कोई चीज नहीं हैं। वह आज अपने पिता की छानि गरीब नहीं है। अगर और भी कुछ रुपये सूद के रूप में दे डालता, तो उसने लिए कोई कठिन बात न थी। पर विचार करने की बात तो यह है कि जितना उसने पिता के श्रम का खयाल रक्ता, उतना भी आजकल नौन करता है। सचाई ईमानदारी और धर्म का यह एक टिमटिमाता हुआ दीपक समझिये। कि कब घड़ी धुँस जाय, कोई ठीक नहीं। आज के जमाने में दान धर्म की आशा करना ही व्यर्थ है।

बिहारी—यह तुम्हारा अन्याय है। तुमको मालूम होना चाहिए कि कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि अगर धनीमानी लोग कुछ रुपया इकट्ठा

करके दरिद्र जनता में बाँट दें, तो उसमें देश को कोई लाभ नहीं पहुँचेगा ।

राजाराम—ऐसा वेही लोग कह सकते हैं, जिनके हृदय से दया धर्म का लोप हो गया है । गरीबों का दुःख देखकर उनकी सहायता करने की भावना जिनमें पैदा न हो, समझना चाहिए कि उनकी मनुष्यता मर गयी है ।

निहारी—किसी अर्थ में तुम्हारा कहना सच है । पर अर्थशास्त्र की दृष्टि से इस विषय पर इस ढँग से विचार नहीं किया जाता ।

राजाराम—तब किस तरह किया जाता है ?

निहारी—उन लोगों का मत है कि यदि धनी मानी लोग अपनी वचत में से एक अंश गरीबों को दे डालें, तो उस धन से जो वस्तुएँ वे गरीबों को दे सकें, उनकी माँग कम हो जायगी । और यह माना हुई बात है कि माँग कम होने से उत्पत्ति की क्षति पहुँचे बिना न रहेगी । उसका फल यह होगा कि उन लोगों की जीविका चली जायगी, जो उन उद्योग धर्मों में लगे थे, जिनकी माँग कम हुई है ।

राजाराम—लेकिन वे लोग यह क्यों नहीं सोचते कि जो रुपया गरीबों के पास जायगा, उसे भी तो गरीब लोग जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं को खरीदने में ही व्यय करेंगे । क्या इससे उन वस्तुओं की उत्पत्ति न रहेगी ? हाँ, एक बात मैं मान सकता हूँ कि अमीर लोग आराम और विलास में जो रुपया उड़ाते रहते हैं उसमें कमी पड जायगी । पर उस रकम के बढ़ने से जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों की जो उत्पत्ति बढेगी, क्या उससे देश को कोई लाभ न होगा ?

निहारी हँसने लगा । बोला—देखता हूँ, अर्थशास्त्र की दृष्टि से तुमने बहुत ही उचित उत्तर दिया । और, पर उन लोगों की एक शिकायत और है । वे कहते हैं कि अगर गरीब लोगों की आसुदनी इस तरह बढा दी जाय, तो वे लोग आलसी हो जायँगे और काम से जी चुराने लगेंगे । इसका परिणाम यह होगा कि देश की उत्पादन शक्ति का क्रम भंग हो जायगा और उत्पत्ति बढ़ने के बजाय कम हो जायगी ।

राजाराम—बिल्कुल व्यर्थ की दलील दी जाती है । सब कुछ सहायता

करने के ढंग पर निर्भर है। गरीबों के आगे यों बचाया न फेंककर उसे ऐसे कामों या उद्योग-धन्धों में व्यय किया जाय, जिनमें पढ़कर गरीब लोग आलस त्यागकर कार्य कुशल बनना सीखें और जहाँ तक सम्भव हो, स्वावलम्बी बनें। उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाय, जिससे वे आमदनी को बढ़ाने के लाभ से परिचित होकर यह अच्छी तरह जान लें कि बचत और पूँजी का उचित ढंग से उपयोग न करने का परिणाम कितना दुःखद होता है। मेरा तो यह पक्का विश्वास है कि अगर गरीबों की सहायता उनकी आमदनी को एक स्थायी रूप देने के ढंग से की जाय, तो देश का लाभ ही अधिक होगा।

विहारी—किन्तु इसके लाभ के एक अन्य स्वरूप के प्रति तुम्हारा ध्यान अभी नहीं गया है। जो धन गरीबों पर व्यय किया जायगा, उससे देश की पूँजी में भी तो वृद्धि होगी। गरीब लोग यदि काम करने में कुशल हो जायेंगे, तो उसका प्रभाव उनकी सतान पर पड़े बिना न रहेगा। जो बच्चे अबारा धूमा करते हैं, आज जिनके लिए कोई काम नहीं है, जिनके पढ़ने का कोई प्रबन्ध नहीं है, न प्रबन्ध है जीवन के लिए उपयोगी किसी कारीगरी के काम सीखने का, जो या तो भीख माँगकर आलसी और निरुद्धि, गुलाम और टुकड़खोर बनते हैं, अथवा कुसंगति में पड़कर जीवन को नाश के घाट उतार रहे हैं, वे पाठशालाओं और उद्योग विद्यालयों में पढ़ लिखकर बुद्धिमान, साहसी, मुशिक्षित, सम्य, हृष्ट पुष्ट और विचारवान बनेंगे। नवीन सतति का वह उत्साही और वीर नौजवानों का समुदाय क्या देश की पूँजी नहीं है? बल्कि मैं तो साफ तौर से यह कहना चाहता हूँ कि देश के लार्डों निरुद्धि, बुजदिल, बेवकूफ और स्वार्थ परायण मोटी-थोढ़वाले अमीरजादों की अपेक्षा वेही लोग देश की असली पूँजी होंगे। और इसका परिणाम यह होगा कि गरीबों पर सन खर्च किया हुआ वह धन कुछ ही वर्षों में कई गुना हो जायगा।

राजाराम—लेकिन देश की गरीबी दूर करने के लिए क्या यह जरूरी है कि कुछ धनी लोग ही अपनी आमदनी का कोई भाग दान कर दें? सरकार अगर चाहे, तो इस काम को बड़ी सहूलियत के साथ कर सकती है। धनी लोगों की आराम और विलास की वस्तुओं पर क्यों न बढ़ कर लगा दे? इसका फल यह होगा कि उनकी उपयोग की वस्तुओं का

मूल्य बढ़ जायगा। साथ ही वह उन वस्तुओं का भी मूल्य कम करदे, जो गरीब लोगों के उपभोग की है। इमने गरीब लोग इतनी सुविधा पा जायेंगे कि उन्हें अन्न-वस्त्र का कष्ट न होगा। इसके निवा सरकार एक काम और करे। और वह यह कि स्थान स्थान पर वाचनालय, शिञ्जालय तथा औपधालय स्थापित करदे और गरीबों लोगों के लिए उनका उपयोग निश्चय कर दिया जाय। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसने बहुत शीघ्र देश की वर्तमान स्थिति में आवश्यक सुधार हो जायगा।

विहारी—लेकिन अमीर लोगों के प्रति उपेक्षा रखकर सरकार न यह कार्य कर सकती है और न इसमें सफलता मिलना ही सम्भव है। यह काम तो सरकार और धनीमानों समाज के सहयोग और मिश्रित उद्योग से ही अधिक सम्भव है।

राजाराम—धनी-मानों समाज से गरीबों की कोई भलाई होगी, इसकी मैं कुछई आशा नहीं करता। प्राचीन समय में लोग विवाह तथा पुत्रजन्म के अवसर पर गरीब जनता को वस्त्र, अन्न तथा गरीब पुरोहित ब्राह्मणों को ज़मीन तक दान किया करते थे। यहाँ तक कि विद्वान् पंडित, कवि किया गायकों को वे पुरस्कार में हजारों-लाखों रुपये दे डालते थे। जो कभी दुर्भिक्ष होता, तो अन्न दान इतना अधिक किया जाता था कि उस समय कष्ट का वैसा कुछ अधिक अनुभव तक नहीं हो पाता था। राजा महाराजा लोग इमारतों, सड़कों तथा किलों तक ऐसे अवसरों पर बनवाते थे। पर अब दान धर्म का तो लोप हो गया है। एक ही आध जगह अधवा तीर्थ-स्थान पर सदावर्त का नाम सुनाई पड़ता है। और सच्ची बात तो यह है कि जो लोग गरीबों का धन चूसते हुए नहीं अघाते, वे उनकी सहायता दान-धर्म के नाम पर भला क्या करेंगे!

विहारी—पर एक बात यहाँ कम विचारणीय नहीं है कि धनी लोग भी अपने पैसे को बिना सोचे समझे गरीबों पर कैसे छुटा सकते हैं! तुम जानते हो, हमारे देश में मँगलों और भित्कारियों की संख्या कितनी अधिक है। इनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं, जो यदि चाहें, तो परिश्रम करके अपने जीवन का सुरा-पूर्वक निर्वाह कर सकते हैं। पर गली-गली घूमकर धेले-पैसे के लिए हर एक आदमी के सामने हाथ पसारने, रोनी सूरत बनाकर रिरियाने, पेट

दिखाकर भूखे होने का ढोंग रचने और भूट बोलकर लोगों की सहृदयता का नाजायज लाभ उठाने की ऐसी बुरी आदत पड़ गयी है कि छुड़ाने से भी नहीं छूटती। पैसा न मिलने पर उन्हें भूखा रहना स्वीकार है, पर मेहनत-मजदूरी करके पेट पालना उन्हें स्वीकार नहीं। मनुष्य की यह सब से बड़ी हीनता है। निकम्बेपन की हद है यह। देश का कितना बड़ा भाग आज विल्कुल व्यर्थ का जीवन व्यतीत कर रहा है कुछ ठिकाना है। और कितने आश्चर्य और दुःख की बात है कि हमारे देश की सरकार का भी इस ओर ध्यान नहीं जाता। और, यहाँ विचारणीय यह है कि इन भँगतों को बिना सोचे समझे, पात्रपात्र का विचार किये बिना, जो भिक्षा दे दी जाती है, क्या उसी का यह दुष्परिणाम नहीं है ? काल, पात्र और स्थान का विचार किये बिना जो दान दिया जाता है, वह व्यर्थ जाता है, उसका कोई महत्त्व नहीं होता।

राजाराम—हाँ, यह आप ठीक कहते हैं। सहायता वही उत्तम होती है, जिसका परिणाम कल्याणकारी होता है। सब से अच्छा तो यह है कि जब कभी खेतों में उपज न हो, अकाल पड़ जाय, अथवा कोई दूसरी विपत्ति आ पड़े, तो जमींदार लोग आसामी का लगान माफ कर दें। तुर्बा बनवाना हो, तो ऐसे स्थान पर बनवायें, जहाँ पानी का समया अभाव हो। लेकिन भँगतों में भी जो लोग अगहीन हैं और काम कर नहीं सकते, उन देश की सरकार की ओर से उनके भरण-पोषण का प्रबन्ध नहीं है, तब जनता भी अगर उन्हें भीख न दे, तो उन बेचारों की सुधि कौन लेगा ?

विहारी—निस्सन्देह यह काम सरकार का है। और जब तक वह इस ओर ध्यान न दे, तब तक हमारा यह धर्म हो जाता है कि हम उनका खयाल करें। रह गयी बात जनसाधारण की दरिद्रता के निवारण की, सो सरकार और धनी लोग दोनों ही मिलकर इस काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। गरीबों को द्रव्य देकर उनकी उतनी मूल्यवान सहायता नहीं की जा सकती, जितनी उस द्रव्य से उद्योग घड़े खोलकर उनको काम में लगा देने से सम्भव है। पानी की कमी जहाँ हो, वहाँ कुएँ खोदवा देना, ढहरने का कष्ट हो, वहाँ धर्मशाला बनवा देना तो उचित है ही। पर यही यथेष्ट नहीं है। धनी मानी

लोगों को गरीब लोगों की अन्य समस्याओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी भावी घतान के लिए भरण-पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा का जब तक उचित प्रबन्ध नहीं हो जाता, तब तक उनका यह दावा विलकुल सारहीन और व्यर्थ है कि हममें दान-धर्म का खजाना है और हम धर्म परायण हैं।

राजाराम—लेकिन धनी-मानी लोगों को अपनी श्राप का कितना भाग इसके लिए देना चाहिए, आप का अर्थशास्त्र इस विषय में क्या व्यवस्था देता है ?

विहारी ने मुसकराते हुए कहा—दसवाँ भाग।

राजाराम बोल उठा—पर इस तरह आप मुसकरा क्यों उठे ?

विहारी—यात यह है कि आज तुमने स्वतः एक अर्थशास्त्री की भाँति इस विवाद में भाग लिया है, तो भी तुम कह रहे हो, आप का अर्थशास्त्र। पर सच पूछो तो अर्थशास्त्र सर्वसाधारण के ज्ञान की वस्तु है। जितना उससे मेरा सम्बन्ध है, उतना ही तुमसे भी। बल्कि कुछ अंशों में तुमसे अधिक; क्योंकि तुम एक किसान हो !



बीसवाँ अध्याय

उपभोग का आदर्श

—०८३०—

“आज मैं एक उलझन में हूँ। आपने उस दिन बतलाया था कि उपभोक्ता का मुख्य ध्येय सुख और श्रुति की प्राप्ति है। पर सत्तार न कभी कभी इससे विपरीत उदाहरण भी हमें मिलते हैं। कल मैंने मुना कि पंडित केदारनाथ अपने स्वगवास के कुछ घंटों पूर्व एक दान पत्र लिख गये हैं। करीब तीन लाख रुपये उनके कई नेत्रों में चमाये। पर मरते दम पता चला कि सिर्फ पचास हजार ही रह गये हैं। पचास लाख हजार रुपये सालाना मुनाजा की उनकी रियासत है सो अलग। ताल रचा उनसे कोई था नहीं। चचेरे भाई लोग थे, सो अलग रहते थे। पर अतः मरते दम तो उनकी सम्पत्ति के अधिकारी ही। आनन्द रियासत से मुनाजा की निराशा तो पूरी हो नहीं पाती है। जिनके पास नरुद रुपये रहते हैं, सच पूछिये, वही समाज में सब से अधिक सुखी और प्रतिष्ठित समझे जाते हैं। पर नरुद रुपया उन्होंने अपने भाई भतीजों के लिए नाम मात्र को छोड़ा है। पूरे दो लाख रुपये एक औद्योगिक विद्यालय के लिए वे पहले ही दान कर चुके हैं और पचास हजार अपने जिले भर के गाँवों में एक बड़े चलते फिरते पुस्तकालय के लिए। इस तरह सिर्फ पचास हजार रुपया ही उन्होंने नरुद ऐसा छोड़ा है, जिसे उनका भाई भतीजा पा सकेंगे। गाँव में और चारों ओर अरुसर लोग कहते हैं कि मरते दम तक वे भाई भतीजों के लिए बराबर श्रुति ही रखते रहें। उनसे इतना भा नहीं हासका कि जीवन-भर में जो वैमनस्य रक्षा से रक्षा, पर मरते दम ता उसे भुलाकर उनके आँसू पोंछ जाते। माना कि उनके लिए रियासत वे छोड़ गये

हैं। पर नक़द रुपये तो उन्होंने उन्हें दरअसल बहुत कम छोड़े। सुनते हैं, इतने रूपयों से तो उन लोगों का कर्जा भी अदा न हो सकेगा। क्या यह उनका अन्याय नहीं है? माना कि जनता के इतने जो दान किया जाता है, उसकी बड़ी महिमा है, पर आतिर कुटुम्बिया का भी तो कुछ ख्याल उन्हें करना चाहिए था। अब उनका शान्त कर्म जो वे लोग ठीक तरह से न करें, तो उनकी मृत आत्मा को अन्तिम गुण और सतोप भला क्या प्राप्त होगा।”

राजाराम इतनी बात कह कर चुप हो गया।

विहारो बोला—सच पूछो तो पहिले वेदारनाग ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। उपभोग का जो एक सच्चा और उच्च आदर्श होना चाहिए, उसी का उन्होंने निर्वाह किया है। और मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे ढंग से किया है। उन्होंने जो सम्पत्ति मरते दम छोड़ी है, उसका उपार्जन उन्होंने स्वयं अपने ही बल-विक्रम से किया था। रियासत देखने के पश्चात् उनका सारा समय भगवत्-भजन और ईश्वराराधन में व्यतीत होता था। मरने से कई वर्ष पहले उनकी भार्या का देहान्त हो चुका था। अब उनके कोई ऐसा काम नहीं रह गया था, जिसके लिए वे चिन्ता करते। सन्तान न होने का उन्हें दुःख था, पर उन्होंने कभी किसी पर उसे प्रकट नहीं किया। एक तरह से वे इस दुःख को भूझे रहते थे। सम्पत्ति को एक एक पाई की बचत पर उन की दृष्टि रहा करती थी। कभी उन्होंने कोई अपव्यय नहीं किया। दीन-दुष्टियों की सदा उन्होंने सहायता की। जीवन उनका बहुत सादा था। मोटे स्वदेशी कपड़ों को छोड़कर बड़िया क्रीमती या विदेशी कपड़े का पहनना उन्होंने कभी जाना ही नहीं। नौकर-चाकर तक उनकी साधु प्रकृति और उदारता के क्रायल हैं। ऐसा निरभिमानी, मिष्टभाषी, लोबेष्करी, साधु पुरुष तो, सच पूछो, हमारे प्रान्त में इधर हमारी सुधि में हुआ नहीं।

राजाराम—लेकिन सुनते हैं, जब भाई-भतीजे अन्तिम समय से कुछ पूर्व उनके पास आये, तो उन्होंने बड़े खेद के साथ कहा था—“मैं तुम लोगों को कुछ दिये नहीं जा रहा हूँ। जो शेष है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आवश्यकताओं को देखते हुए वह कुछ भी नहीं है।” इन इन बातों पर विचार करने से तो हमें इस परिश्रम पर पहुँचना पड़ता है कि उनको अपने उपभोग से,

अन्तिम समय, वह मुख और सतोप नहीं मिला जो उनके जैसे सत्पुरुष ने मिलना चाहिए था। और इसका कारण है, अगर आप बुरा न मानें तो मैं कहूंगा—परोपकार-वृत्ति। अगर मैं अर्थशास्त्री की हैसियत ने रात करूँ, तो मुझे विवश होकर कहना पड़ेगा कि उन्होंने उपभोग के आदर्श का पालन नहीं किया।

विहारी—यहीं पर तुम भूल कर रहे हो। उपभोग का आदर्श तुमने क्या समझा है, जरा बतलाओ तो सही।

राजाराम—उपभोग का चरम मुख सतोप की प्राप्ति को ही मैं तो उपभोग का आदर्श मानता हूँ।

विहारी—लेकिन मुख-सन्तोप ऐसे शब्द हैं, जिनके विषय में तब तक निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता, जब तक यह न प्रकट हो जाय कि उसकी प्रकृति, स्थिति और संस्कृति का उस व्याक्त के साथ क्या सम्बन्ध है। मुख सतोप तो मानासक स्थिति पर बहुत निर्भर करता है। राजाराम के लिए मुख सतोप का जो चित्र है, रामाधीन के लिए भी वही होगा, कौन कह सकता है? पंडित केदारनाथ का जीवन जिस प्रकार आदर्श था, उसा प्रकार उनका मुख-सन्तोप भी बहुत ऊँचे दर्जे का था। गाँव के लोग सोचते हैं कि अगर वे अपनी बटुम्बियों के लिए सारा रुपया छोड़ जाते, जिससे वे गुलछरें उड़ाते और गाँव में नाच, गान, रास लीला और नौटंका का दौरा दौरा रहता, तो बड़ा अच्छा होता। जो लोग उनके भाई बद्रीनाथ की दरबार-दारी करते हैं, उन्हें खलता है कि अगर वह सच रुपया बद्रीनाथ जी को मिल गया होता, तो जिन्दगी भर के लिए भाँग-बूटी का ही प्रबन्ध हो गया होता। इस तरह लोग अपना दुर्व्यसन और शीक पूरा होने का अवसर हाथ से जाता देख इस तरह की बातें फैलाते हैं। मैं देखता हूँ कि उन्हीं लोगों के बग के तुम भी हो। तुम्हारा भी यही ख्याल है कि पंडित केदारनाथ ने जो कुछ किया, वह बहुत अच्छा नहीं रहा। किन्तु मैं साफ़ शब्दों में यह कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग ही किया है। और सब पूछा, तो यह जो जायदाद वे इन लोगों के लिए छोड़ गये हैं, साथ ही पचास हजार रुपया नक़द, यह

भी केवल अपने इन कुटुम्बियों की अपसन्नता और ग्रामीण लोकमत के भय के कारण। नहीं तो चाहिये तो यह था कि इन लोगों के लिए वे एक पाई न छोट जाते। ऐसे ये लोग नासमझ, नालायक और पतित हैं।

राजाराम—तो उन्होंने अपनी पिजूल गर्ची के लिए बद्रीनाथ के सामने दुःख क्यों प्रकट किया ? क्यों उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों को दर असल कुछ भी नहीं दिये जा रहा हूँ और इसका मुझे दुःख है।

विहारी—यह क्षणिक भावोद्रेक की बात है। जो काम उन्होंने उससे पूर्व किये हैं, वे बहुत सोच समझ कर किये हैं, उनसे उन्हें सतोष और शान्ति मिली है। औद्योगिक विद्यालय और ग्राम-मुधार-पुस्तकालय की इमारतें बन रही हैं और इसी वर्ष के भीतर उनकी योजना के अनुसार काम प्रारम्भ हो जायगा। गाँवों के वे बच्चे जो शिक्षा के बिना, आजीविका के बिना आन दर दर मारे मारे फिरते हैं, तीन और पाँच वर्ष के शिक्षा क्रम को पूर्ण करने अब निकलेंगे, सब कितने सुखी और सतुष्ट होंगे। कारीगरी और उद्योग धन्धों के काम में पड़कर वे समाज और देश की पूँजी, उत्पत्ति और श्री-समृद्धि को बढ़ाने में कितने सहायक होंगे, कभी तुमने यह भी सोचा है ? अपने उन कुटुम्बियों के ही स्वार्थ साधन की ओर अगर उनका ध्यान होता, जो आज सर्वथा अयोग्य और दुर्ब्यसनी हैं, जो सम्पत्ति की रक्षा करना नहीं जानते और अशिक्षित होने के कारण जो समाज सेवा जैसे महत्त्व पूर्ण कार्यों के प्रति प्रेम रखना दूर उपेक्षा का भाव रखते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह सदुपभोग न होकर उलटा दुरुपभोग ही होता। और मुझे तो अब भी इसमें पूरा शक है कि उन्होंने बद्रीनाथ से ऐसी बात कही है, जैसी तुम कह रहे हो ? मेरे उनसे कभी ऐसी आशा नहीं करता।

राजाराम—लेकिन बद्रीनाथ की तुम चाहे जैसी निन्दा करो, मैं तो कहूँगा कि आदमी वह भी एक नम्बर का उलझर्च है। पास बैठो, तो तबियत खुश हो जाय। घन्टे भर में चार चार तो पान हलायची तम्बाकू सिगरेट आयेगी। कभी जो साथ में नाश तथा शतरज खेलते हुए देर सबेर हो जाय, तो समयानुसार चाय तथा जलपान भी सबके लिए बराबर आयेगा। मुझे एक-आध बार रात प्यादा हो गई। मैंने देखा, उनके पीने के लिए जो

दूध आया, तो उन्होंने पीरन मेरे लिए भी मँगवाया, हालाँ कि मैं 'नहीं नहीं' ही करता रह गया। हर साल नीटनी कौरह में कितना मर्च करते हैं! पर हाँ, आप तो इन खेल तमाशा से नफरत करते हैं यह मैं भूल ही रहा हूँ। गैर, मेरा कहना यह है कि यद्रीनाथ भैया भी काफ़ी उदार प्रकृति के हैं।

बिहारी—कितने भी गुण तुमने उनके इस समय रतलाये उनमें अतिथि मन्हार के छोड़कर शेष सभी दुष्प्रभोग सम्बन्धी हैं। वे उपभोग के आदर्श के विरुद्ध पड़ते हैं।

राजाराम—भाँग घूटी, सिगरेट आदि हमारे लिए वर्जित है, यह तो हम मानते हैं, क्योंकि हमारी इतना आमदनी नहीं है कि हम इनका मर्च बरदाश्त कर सकें, पर राजा रईस लोगों की तो ये सब चीजें एक तरह से शोभा ही कही जायेंगी।

बिहारी—यह सरासर भूल है। जो वस्तुएँ कृत्रिम आवश्यकता सम्बन्धी तथा विलासिता की वृद्धि करने वाली हैं, उन सबका उपभोग ऐसे लोगों के लिए दुष्प्रभोग ही है, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूती हुई है और जिन पर अपनी मान मर्यादा की रक्षा का भार है। अगर ये सब आदतें बद्री याबू एकदम से छोड़ दें, तो वे बहुत जल्दी अपने श्रेष्ठ से मुक्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं का नियमन नहीं कर सकता, जो अपना दुर्व्यसन त्याग नहीं सकता, जो विलासिता में डूबा रहता है, अर्थ शास्त्र की दृष्टि से वह समाज के लिए सबसे अधिक अहितकर प्राणी है।

राजाराम—तो आप यह चाहते हैं कि वे अपनी सारी इच्छाओं का दमन करके सिलिगुल साबू सन्यासी का सा जीवन व्यतीत करने लगें? पर मैं कहूँगा कि इससे और चाह जो हो, विन्दु सतोष और मुक्त की प्राप्ति उन्हें नहीं हो सकती।

बिहारी—यह तुम्हारी भूल है। यह पश्चिम की अन्धों ने कहा है कि हमने अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं को इतना अधिक महत्त्व दे रखा है। हम इच्छाओं को बस में करना तो दूर रहा, उल्टे उनके रसीदे हुए गुलाम हो गये हैं। शान्ति और सतार का पला छोड़कर हमने रात दिन 'हाथ बरया

हाथ रूपा' की माला जपना शुरू कर दिया है। यह हमारा पतन है। हमारा पुरातन आदर्श यह कभी नहीं था। हम तो सदा परोपकार, पर तु खनिवारण को ही जीवन का पवित्र उद्देश्य मानते थे। शोध में हम सतोष था। जो हम प्राप्त था, उसा को भगवान की महती कृपा के रूप में भोग कर आनन्द से ज्ञान चर्चा में निरन्तर लीन रहते थे। पर आज की नवीन सभ्यता ने हमारे सामने व्यक्तिवाद का आदर्श उपस्थित कर दिया है। हर एक व्यक्ति आज ऐसे स्वप्न देखने लगा है, जिसे वह जीवन भर कभी चरितार्थ कर नहीं सकता, और निरंतर असतोष और अशांति की ज्वाला में जल जल कर अन्त में चिन्ता रूपी चिता में भस्म हो जाने का तत्पर हो गया है। यह ठीक है कि अगर आदमी थोड़े में सतुष्ट हो जाय, तो वह उन्नति नहीं कर सकता। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि हम द्रव्य-उपार्जन की धुन में पड़कर अपने आदर्श को ही मूल जाय—अपनी आदर्श सस्कृति के उच्चतम ध्येय से ही व्युत्पन्न हो जाय। धर्मपूर्वक, ईमानदारी तथा परिश्रम से द्रव्य उपार्जन करके, सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श के अनुसार, परोपकार में ही द्रव्य का सदुपयोग हमारे लिए जीवन का सब से बड़ा सुख और सतोष होना चाहिए। और वास्तव में यही उपभोग का आदर्श है। और इस दृष्टि से पंडित केदारनाथ का जीवन धन्य है।

ये बातें अभी समाप्त हो हा रही थी कि राजाराम ने देखा एक खदर धारी पुरुष एक पुस्तक लिये सामने खड़े हैं।

राजाराम ने पूछा—आप किसको चाहते हैं ?

नवागन्तुक ने कहा—क्या आपका नाम राजाराम है ?

राजाराम—हाँ, कहिये।

नवागन्तुक—पंडित केदारनाथ जी ग्राम सुधार पुस्तकालय की जो व्यवस्था कर गये हैं, उसी के सम्बन्ध में आज शाम को देवी मंदिर में एक बैठक होगी। उसमें आप अवश्य पधारने की कृपा करें। इसी आशय की यह विशक्ति है। इसमें कृपा करके हस्ताक्षर कर दीजिए, बात यह है कि अब यह कार्य जल्दी से जल्दी प्रारम्भ कर देना है।



इक्रीसवाँ अध्याय

उत्पत्ति के भेद



मोहन आजकल अपने इलाहानादी चाचा बिहारी के यहाँ फिर आ गया है। पिछली बार जब वह आया था, तो अर्थशास्त्र की कुछ बातों का ज्ञान, उसने अपने चाचा से, साधारण वातालाप में ही प्राप्त कर लिया था। यह बात उसे बड़ी अच्छी मालूम हुई। तभी वह प्रायः जानबूझकर ऐसी बात उठा देता है, जिससे उसी सम्बन्ध की बात चल पड़ती है।

उस दिन मोहन चाचा के साथ चोक जा रहा था। दारागज में, ब्रैण्डरूक रोड पर, पुलिस के थाने के निकट, एक स्थान ऐसा है, जहाँ पर इक्के-तांगे खड़े रहते हैं। वहाँ एक और कुछ लोग भीड़ लगाये खड़े थे। मोहन भी भ्रष्ट स उसी भीड़ की ओर लपक गया। पर जब उसे मालूम हुआ कि एक मदारी बँदरिया लिये हुये नचा रहा है तो उधर से हटकर फिर चाचा के पास आ गया। चाचा ने इफ्फा तै कर लिया था। दोनों उस पर बैठ गये और इफ्फा चलने लगा।

इसी समय मोहन ने कहा—अच्छा चाचा! क्या यह मदारी भी अर्थशास्त्र की दृष्टि में कोई महत्त्व रखता है ?

मोहन ने अपनी समझ से ऐसा प्रश्न किया था कि वह मन ही-मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। वह सोचता था, अधिकतर यही सम्भव है कि चाचा कह दें, इसका महत्त्व कुछ नहीं है, यह व्यर्थ है।

पर मोहन को सचमुच बहुत आश्चर्य्य हुआ, जब उसके चाचा ने उत्तर दिया—हाँ, अर्थशास्त्र की दृष्टि में यह मदारी भी अपनी एक उपयोगिता

रखता है। इसका महत्त्व क्यों नहीं है? तुम्हें स्मरण होना चाहिये कि मैंने तुमको बतलाया था कि अर्धशास्त्र में उत्पत्ति का अर्थ है उपयोगिता की वृद्धि।

मोहन—हाँ, मुझे याद है।

चाचा—तो अब तुमको यह समझने में असुविधा न होनी चाहिये कि अर्धशास्त्र की दृष्टि से कौन-सा कार्य उत्पादक है। इसको समझने के लिये इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है कि उपयोगिता की वृद्धि करने के दंग कौन-कौन से हैं, अर्थात् यह कि किस प्रकार उपयोगिता की वृद्धि होती है।

मोहन—हाँ। वस्तु, यही बतलाइये।

चाचा—उसका पहला भेद है—रूप में परिवर्तन। वास्तव यह है कि कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं, जिनके रूपों में अगर कुछ परिवर्तन कर दिया जाय, तो उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिये हम मान लो, बाज़ार से अपने लिये कपड़ा झरीद लाये है और घर पर रक्ता हुआ है। उठ दशा में उसकी उपयोगिता कम है बनिश्चय उसकी उस उपयोगिता के, जब दर्जी उसे काट छाँट कर, उसका कोट हमारे लिये सीकर तैयार कर देता है। इसी प्रकार कोई बटुई है। उसके पास ढेर को ढेर लकड़ी पड़ी हुई है। उस समय लकड़ी की उपयोगिता कम है बनिश्चय उसकी उस उपयोगिता के, जब वह उसको चीर कर उससे मेज़-कुर्सी तथा अलमारी तैयार कर देता है। इसी प्रकार भट्टेवाले का ईंट बनाना, कुम्हार का बर्तन बनाना, सोनार का अलंकार बनाना है। कच्चा माल पैदा करना भी उपयोगिता-वृद्धि में शामिल है। फिर उसके बाद तैयार माल बनाना है। खेती और पशु-पालन की गणना कच्चा माल तैयार करने में है। खेती में अनाज का उत्पादन प्रकृति करती है। मनुष्य तो केवल बीज-डालता तथा खाद और पानी का समयानुसार प्रवृत्त करता है। प्रकृति के काम में सहायता पहुँचाना तथा उसकी गतिशील बनाना ही उसका काम है। प्रारम्भ में थोड़े से बीज रहते हैं। पर प्रकृति की सहायता लेकर मनुष्य उनको सैकड़ों मन अनाज का रूप दे देता है। उससे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसी प्रकार पशु-पालन है।

मोहन—इसी प्रकार हम अन्न, रोटी, बिस्कुट, मिठाई और नाना प्रकार की चीजें बनाते हैं। रूई से वस्त्र, कागज से पुस्तकें यह भी रूपान्तर ही है।

चाचा—हाँ, पर यह रूपान्तर कच्चे माल से तैयार माल बनाना है। इसी प्रकार जितने भी उद्योग धन्धे हैं, शिल्प कार्य हैं, उनमें रूपान्तर द्वारा ही उपयोगिता की वृद्धि की जाती है। उत्पत्तिका दूसरा भेद है—स्थान परिवर्तन। इसमें वस्तुओं का यातायात होता है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं, जो एक स्थान पर बहुत अधिक परिमाण में रखे रहते हैं। वहाँ पर उनकी उपयोगिता कम रहती, वनिस्वत उन स्थानों के, जहाँ पर उनकी मात्रा कम है, पर माँग अथवा आवश्यकता अधिक है। जैसे लकड़ी जगलों में होती है। वहाँ इसकी उपयोगिता कम है। पर अगर वह वस्तु में ले आयी जाती है, तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इसी प्रकार फीयला पत्थर तथा लोहा हैं। वह खानों में रहता है। पर उसे वहाँ से निकलवाकर रेल, मोटर अथवा गाड़ी पर लदवाकर जब नगर में ले आया जाता है, तब उसकी उपयोगिता कितनी बढ़ जाती है ?

मोहन—सीधी तरह से या कहिये कि जैसे लखनऊ के प्रबूले, नागपुर के सतरे, कंधार के अनार हैं। शहर जाने से इनका उपयोगिता बढ़ जाती है। अगर ये बाहर न पहुँचाये जायँ, तो एक तो जनता इनसे वृत्ति का लाभ न उठा सके, दूसरे वे अपनी पैदायश के स्थान पर ही बहुत कुछ नष्ट हो जाया करें।

चाचा—इतना ही क्यों, और भी उदाहरण हैं। नदियों तथा समुद्रों से मछलियाँ, मोती तथा शंख अगर निकाले न जायँ, बाजार में आकर निकें नहीं, तो इनकी उपयोगिता बहुत ही कम हो। इन वस्तुओं में रूप का परिवर्तन नहीं होता। केवल स्थान के परिवर्तन से इनकी उपयोगिता बढ़ जाती है।

मोहन—लेकिन जंगल से जो लकड़ी आती है वह तो कटकर आती है। तो इसमें रूप परिवर्तन क्यों नहीं हुआ ?

चाचा—दुम्हारा कहना ठीक है। पर इस उपयोगिता की वृद्धि में स्थान-परिवर्तन साधन का-महत्त्व फिर भी अधिक माना जायगा। रूप परिवर्तन का उतना नहीं। हाँ, जंगल से लकड़ी काटकर, चीरकर और फिर उसके तड़ते चीरकर

साधे जायें, अथवा खानों से धातु शुद्ध करने लायी जाय, तो स्थान परिवर्तन और रूप-परिवर्तन दोनों प्रकारों से उपयोगिता की वृद्धि मानी जायगी।

तीसरा भेद है अधिकारी के परिवर्तन का। यह उस दशा में होता है, जब पदार्थ का न तो रूप बदलता है न स्थान। केवल उसका अधिकारी बदल जाने से उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है।

इसमें औदागरी, अढतियों तथा दलालों का कार्य शामिल है। जैसे किसी व्यापारी के यहाँ हजारों मन अनाज भरा है। उसके लिए उसकी उपयोगिता उतनी अधिक नहीं है, जितनी उस अवस्था में, जब कि वह अनाज उस व्यापारी के यहाँ भेज दिया जाय, जो फुटकर बिक्री करके सर्वसाधारण के हाथ बेचता है।

मोहन—तब तो जिन अमीरों के पास करोड़ों रुपयां की सम्पत्ति है, अगर कुछ लोग उसे उनके पास से खींचकर साधारण जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा और उपभोग के लिए मुलम कर दें, तो वे भी उपयोगिता की वृद्धि में बहुत सहायक होंगे।

चाचा—निस्सन्देह। और इस दृष्टि में राजनेतिक तथा समाजवादी नेता लोग भी उपयोगिता की वृद्धि में प्रबल सहायक हैं।

४५. तीसरा भेद है—सचय कुछ ऐसी विशेष वस्तुएँ होती हैं, जो एक विशेष समय या ऋतु में अधिक होती हैं। उनकी आवश्यकता उत्पत्ति के समय उतनी नहीं होती, जितनी भविष्य में होती है। इसीलिए उनको संचित रखने की आवश्यकता हुआ करता है। सचय करने में विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। यदि इसमें गलती या असावधानी हो जाती है, तो वे पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। अतः व्यापारी लोगों को मुख्य रूप से इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वे तब तक किसी तरह नष्ट या विकृत न होने पायें, जब तक उनकी विशेष माँग या आवश्यकता न हो। जैसे अनाज है। फसल पर यह उतना उपयोगी नहीं होता, जितना बाद में। इसलिए व्यापारी लोग उसे खेतियों में भरकर रखते हैं। साधारण रूप से जब तब दूसरी फसल नहीं आ जाती, तब तक उन्हें उसकी रक्षा करनी पड़ती है। यदि दैवयोग ने अकाल पड़ गया, या फसल ही मराव हो गयी, तो वही

सुरक्षित अनाज अगले वर्ष तक उपयोग में आता है। इसी प्रकार घी, गुड़, चावल और शराब आदि वस्तुएँ हैं। पुरानी पड़ जाने पर ही इनकी उपयोगिता अधिक होती है।

मोहन—क्या भी तो आपत्ति काल के लिए लोग बैंकों में सुरक्षित रखते हैं।

चाचा—हाँ, इस दृष्टि से यह भी उपयोगिता की वृद्धि करता है। अब बौद्धा भेद है—विज्ञान। बहुतेरी ऐसी चीजें हैं जिनका विशासन यदि क्रिया जाय, तो वे उपयोगिता की बहुत वृद्धि करें। कुछ लोग तथा सस्पाएँ विशासन के बिना गतिशील हो ही नहीं सन्तीं। उनकी उपयोगिता की वृद्धि केवल विशासन में होती है। और विशासन के द्वारा ही जनता उनसे लाभ उठाती है।

इकना चौक पहुँच गया था। दोनों उतर पड़े। चाचा ने कहा—बस, अब दो एक मिनट इस सम्बन्ध में तुम्हें और बतलाने को रह गयी है। चलो जवाहरपार्क में बैठें।

दोनों पार्क में जाकर एक बेंच पर बैठ गये। चाचा ने कहा—अब तक हमने उत्पत्ति के जो भेद तुम्हें बतलाये हैं, वे भौतिक हैं। पदार्थों के रूप, स्थान तथा अधिकारी के परिवर्तन से ही उनकी उपयोगिता का वृद्धि प्रसट हुई है। पर अब हम उत्पत्ति का एक दूसरा तरीका तुम्हें बतलाते हैं। उसका भौतिक पदार्थों से कोई विरोध सम्बन्ध नहीं है।

मोहन—लेकिन और तो सभी कुछ आप बतला रहे हैं। पर मैंने मदारी के सम्बन्ध में जो प्रश्न किया था, वह अभी क्यों का त्यों पडा है। जान पडता है, आप उसे या तो भूल रहे हैं, या जान बूझकर भुला देना चाहते हैं।

चाचा—अधीर न होओ, उसका उत्तर भी तुम्हें शीघ्र मिल जायगा। हाँ, तो उत्पत्ति का दूसरा तरीका है अभौतिक उत्पत्ति। इसका सम्बन्ध उन लोगों से होता है, जो अग्रत्यक्ष रूप से जन समुदाय की उपयोगिता की वृद्धि में सहायक होते हैं। कोई स्वास्थ्य-रक्षा में सहायता पहुँचाता है, कोई शिक्षा देता है, कोई समाज में शान्ति और व्यवस्था स्थिर रखने में सहायक होता है, कोई दर्शकों, श्रोताओं और पाठकों को अपनी कला से आनन्द पहुँचाता है। इस प्रकार

डाक्टर, वैद्य, इकीम, अध्यापक, उपदेशक, वकील, जज, मुम्बिऊ, पुलिसमैन, नृत्यकार, गायक, मदारो, पत्रकार आदि व्यक्ति भी अमान को उपयोगिता की दृष्टि करने योग्य बनाते हैं—और इसलिए अधिक दृष्टि से ये भी उत्पादन ही हैं।

मोहन—राजगुच चाचा जी, तब तो उस टुटपूजिए फेरीवाले का भी महत्व है, जो गा-गाकर चूरन बेचता है अथवा कजरी सुनाकर एक एक पैसे की पुस्तक।

चाचा—परन्तु इस प्रसंग में सब से अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि दुकानदार, डाक्टर, वकील, पुरोहित, पत्रकार आदि की प्रसिद्धि भी धन है; क्योंकि उसका विरोध महत्व और मूल्य है, उसके बदले में द्रव्य की प्राप्ति, जो होती है।

मोहन—किन्तु प्रसिद्धि तो बेची नहीं जा सकती।

चाचा—क्यों नहीं बेची जा सकती? जो दुकानदार अपने क्रम का नाम बेच देता है, वह अपनी प्रसिद्धि भी उस नाम के साथ बेच डालता है। लोगों को जब इस बात का पता चलता है कि यह नया दुकानदार भी उसी क्रम का मालिक अथवा उत्तराधिकारी है, तब मालिकान के बदल जाने पर भी पुराने ग्राहक लोग पूर्ववत् उस दुकान के ग्राहक बने रहते हैं। नये दुकानदार को अगर पुरानी दुकान के नाम, चिह्न और प्रसिद्धि प्राप्त न हो, तो निस्सन्देह उसके ग्राहक पुरानों परिचित दुकान के ग्राहकों से कम रहेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रत्येक पेशे वालों के नाम, उनकी सस्थाओं तथा दुकानों के नाम की प्रसिद्धि इतनी स्थायी होती है कि उनके उत्तराधिकारी तक उसका लाभ उठाते हैं। पत्रों के सम्पादक बदल जाते हैं, पर ग्राहक साधारणतया नहीं टूटते। वे पत्र के ग्राहक होते हैं, न कि उनके अधिकारियों के। व्यवसाय में नाम की बड़ी महिमा है। इसे अँगरेज़ी में गुडविल कहते हैं। इसीलिए हर एक व्यवसायी अधिक से अधिक लोगों से अपना परिचय रखता और बढ़ाता रहता है। वकील लोग सार्वजनिक सेवा करने के कारण जब अधिक ख्याति पा जाते हैं, तब उनकी बकालत खूब चलने लगती है।

मोहन—तब तो लोगों से राय-रहम, मेल-जोल, परिचय और निकट सम्पर्क स्थापित करना भी धन की उत्पत्ति में ही माना जायगा।

चाचा—क्यों नहीं ! जिन साधनों से किसी न किसी प्रकार उत्पत्ति अथवा उपयोगिता की वृद्धि हो, वे सब धनोत्पत्ति के उपाय माने जायेंगे । अच्छा, अब चलो, खहर-भंडार में थोड़ा सा कपड़ा खरीदना है ।

दोनों पार्क से उठकर खहर-भंडार आ पहुँचे । अन्दर जाने पर मालूम हुआ, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक सप्ताह के लिए मूल्य में थोड़ी सी कमी कर दी गयी है । इस कारण भीड़ बहुत अधिक है ।

मोहन बोल उठा—महात्माजी के जन्मदिवस ने भी उपयोगिता की वृद्धि में योग दिया है । यह भी एक तरह से विज्ञापन द्वारा उत्पादन का तरीका ही माना जायगा ।

चाचा मुसकराने लगे ।



वाइसवाँ अध्याय

उत्पत्ति के साधन



आज मोहन अपने चाचा के साथ गंगा-स्नान करने जा रहा है। आजकल गंगाजी दारागञ्ज (प्रयाग) छोड़कर उधर उस पार भूखी की ओर चली गयी हैं। इसलिए दारागञ्ज से करीब एक मील रेत में चलना पड़ता है। रास्ते में दोनों ओर ककड़ी और टरबूजे के रेत हैं। कहीं कहीं गेहूँ भी पका हुआ पाया है। दो एक दिन में, सम्भवतः कट जायगा।

दोनों धीरे धीरे, बातें करते हुए चले जा रहे हैं।

मोहन कह रहा है—चाचा, मैं उत्पत्ति के भेद तो अच्छी तरह समझ गया हूँ, परन्तु अभी तक यह नहीं समझ पाया हूँ कि उत्पत्ति के मुख्य साधन क्या हैं और उनके सहयोग से वस्तुओं की उत्पत्ति किस प्रकार होती है।

चाचा—एक लकड़हारे को लो। वह उस जगल से लकड़ी बीन कर लाता है, जहाँ बस्ती नहीं है। मानी हुई बात है कि वहाँ उस लकड़ी की उपयोगिता बहुत कम है। फिर बस्ती में लाकर जब उसे बेचता है, तो वह बिक जाती है। बात यह कि जगल की अपेक्षा बस्ती में उस लकड़ी की उपयोगिता कहीं अधिक है। अब देखना यह है कि इस उपयोगिता-वृद्धि में किन-किन साधनों का उपयोग हुआ है। एक साधन तो जगल हुआ। वह भूमि-खद है। लकड़ी वहाँ पैदा होती है। फिर उसको वहाँ इकट्ठा करके बस्ती तक ले आने में परिश्रम कितना पड़ा है। इस तरह इस उत्पत्ति में दो साधनों का मुख्य रूप से हाथ है—एक तो भूमि, दूसरा श्रम। लेकिन नहीं, एक तीसरा

साधन इसमें छिपा हुआ है। लकड़ी अगर वह काटकर लाता है, तो वह कुल्हाड़ी रखता होगा। और गठुर बांधकर तो वह उसे लाता ही होगा। उसमें उसके लिए रस्सी रखना भी आवश्यक है। तो कुल्हाड़ी और रस्सी, ये दो वस्तुएँ उसकी पूँजी में मानी जाएँगी।

मोहन—लेकिन अगर कुल्हाड़ी नहीं रखता, केवल रस्सी ही रखता है तो !

चाचा—तो उस दशा में केवल रस्सी ही पूँजी है। और इस प्रकार स्थान-परिवर्तन से जो उपयोगिता में वृद्धि होती है, उसमें तीन साधनों का आवश्यकता पड़ती है—भूमि, ध्रम और पूँजी।

मोहन—और रूप-परिवर्तन में !

चाचा—रूप-परिवर्तन में पहले कच्चे माल को लेना होगा। और कच्चा माल बहुधा खेतों से प्राप्त होता है। उसमें भी भूमि के बिना खेती कैसे होगी ? और भूमि के बाद फिर ध्रम का गणना है। बिना ध्रम के खेतों नहीं हो सकती। परन्तु भूमि है और ध्रम करने वाला मनुष्य भी है, तो भी खेती नहीं हो सकेगी, जब तक कि खेत जोतने के लिये बैल और हल, बौने ! के लिए बीज और फसल की वृद्धि के लिये खाद का प्रबन्ध न हो। और ये सब चीजें किसान के लिये पूँजी है। इस तरह भूमि, ध्रम और पूँजी के बिना रूप-परिवर्तन सम्बन्धी उत्पत्ति सम्भव नहीं है।

मोहन—अच्छा, और तैयार माल में।

चाचा—मान लो बढई है। जो लोग उससे चारपाई बनावाने आयेंगे, वे लकड़ी दे जायेंगे। पर उस लकड़ी को चीरने, उस पर रन्दा करके उसे चिकना और सुन्दर बनाने के लिये उसे औजारों की आवश्यकता पड़ती है। माना कि उसके पास औजार हैं, पर हैं तो वे भी उसके संचित धन से ही। अतः ये उसकी पूँजी हुई। जहाँ वह चारपाई तैयार करेगा, वह अगर उसका मकान ही हुआ, तो भी वह भूमि ही तो है। अतएव इस उपयोगिता वृद्धि में भी भूमि, ध्रम और पूँजी ही मुख्य साधन माने जायेंगे।

मोहन—अच्छा मान लिया कि भौतिक रूप से होने वाली उत्पत्ति में ये तीन साधन मुख्य हैं। अथ अमौतिक में बतलाइये।

चाचा—अधीर न होओ। उते भी बतलाता हूँ। मान लो, एक डाक्टर है। पहले तो उते डाक्टरी का काम करने के लिये चाहिये एक मैकान, जिसमें कई कमरे हों जहाँ वह खुद बैठे, मरीजों को बैठावे और उनकी चिकित्सा करे। और यदि दवाओं को दूकान रखे, तो उसके लिये अलग कमरे होने चाहिये। इस प्रकार यह हुआ उसके लिये भूमि सम्बन्धी साधन। अब इसके बाद हमें यह देखना होगा कि उसने जो इस विषय की शिक्षा प्राप्त की है, सहस्रों रुपये व्यय करने पड़े हैं उसी के द्वारा अब वह द्रव्य का उन्मूलन करता है। अतः यह हुई पूँजी। इसके सिवा उते चार पाउ, परीक्षा, दवाओं का विचार करने में जो धन पड़ता है, वह प्रत्यक्ष ही है। इस प्रकार इस चिकित्सा कार्य में भी भूमि, धन और पूँजी ये ही तीन साधन प्रमुख रूप से मानने पड़ेगे।

परन्तु यहाँ एक बात विचारणीय है। और वह यह कि उत्पत्ति के तीन साधन प्रारम्भिक हैं। पुरातन काल के अर्थशास्त्री उत्पत्ति के ये ही तीन साधन मानते थे। पर अब समय बदल गया है। और अब धनोत्पत्ति का क्षेत्र भी पहले की अपेक्षा बहुत विस्तृत हो गया है। अब तो हमारे मज़दूर तथा श्रमिक केवल एक मिल में इकट्ठे होकर काम करते हैं। इन सब से निश्चित समय और निश्चित परिमाण में काम लेना, पूँजी लगाने की व्यवस्था करना, माल को निकासी के लिये विज्ञापन करना, माल को अच्छा से अच्छा बनाने का प्रबन्ध करना, उचित समय पर कर्मचारियों का वेतन देना, उनके रहने के लिये स्थान, स्वास्थ्य आदि को चिन्ता रखना—ये सब ऐसे कार्य हैं, जिनका सम्बन्ध धन से है सही, पर धन से भी अधिक उसकी प्रबन्धकारिणी योग्यता से है। और सब पूँजी तो प्रबन्धक होकर भूमि, धन और पूँजी इन तीनों साधनों पर नियंत्रण भी तो यही करता है। इस कार्य को आज का जगत कम महत्व नहीं देता।

राजाराम—परन्तु इन कल-कारखानों में हानि लाभ को जिम्मेदारी किसी एक आदमी की तो रहती नहीं, न यह सारा कार्य कोई एक आदमी ही करता है।

चाचा—दुम्हारा यह कहना ठीक है। धन का विभाजन ठीक तरह से

किये बिना ऐसे कार्य हो ही कैसे सकते हैं। पर इस सारे कार्य को आज का अर्थशास्त्री केवल एक शब्द में सीमित कर डालता है। और वह है—प्रबन्ध, रह गयी बात हानि-लाभ की। सो कारखाने के मालिक जो कई पूँजीपति होते हैं—विशेष आवस्थाओं में, चाहे मालिक कोई एक ही व्यक्ति क्यों न हो—वे कारखाने को चलाने में जो पूँजी लगाते हैं, उसके डूबने, उसमें हानि होने आदि की जोखिम भी तो उठाते हैं। यद्यपि उनका मुख्य उद्देश्य द्रव्योपाजन ही होता है। बड़े पैमाने में जब यह काय किया जाता है, तब इसमें जोखिम का और भी अधिक महत्त्व होता है। अर्थशास्त्र में धनोत्पत्ति का यह भी एक पृथक् साधन माना गया है और इसे साहस कहते हैं।

मोहन—तब ता उत्पत्ति के साधन तीन न होकर भूमि, श्रम, पूँजी, प्रबन्ध और साहस ये पाँच हुए।

चाचा—परन्तु यहाँ यह जान लेना भी कम आवश्यक नहीं है कि कुछ लोग प्रबन्ध और साहस को एक मिलाकर उसे व्यवस्था और कुछ लोग सगठन भी कहते हैं।

मोहन—तो आपका कहना यह है कि उत्पत्ति के साधनों में सभी का अलग अलग अपना-अपना पृथक् महत्त्व है। कोई भी एक अगर न होगा, तो उत्पत्ति न हो सकेगी।

चाचा—हाँ, साधारण रूप से ता यही समझना चाहिए। पर विशेष स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि ये पाँचों साधन प्रत्येक प्रकार के उत्पादन में बाम आते हों। पहले उत्पत्ति का कार्य इतने विस्तार के साथ नहीं होता था। तब व्यवस्था और साहस की भी विशेष उपयोगिता नहीं थी। यहाँ तक कि अब भी कहीं कहीं बहुतेरे आदमी उत्पादन के जो साधारण कार्य करते हैं, उनमें भूमि, श्रम और पूँजी—ये तीन साधन ही होते हैं। और उनमें कभी-कभी पूँजी का भी आवश्यकता नहीं-होती;—हाँ, यह हो सकता है कि वह उत्पत्ति बहुत थोड़ी मात्रा में हो। जैसे कोई अन्धा गायक है। कहीं उसने शिक्षा नहीं पाई, सितार, हारमोनियम तथा वायोलिन आदि आधुनिक वाद्य यंत्रों की सहायता से उसने कभी गायी भी नहीं। तो भी वह सड़क पर गा-गाकर भोताओं को आकृष्ट करके दृष्टिपैसे पा लेता है। खड़े होने के लिए

उसे भूमि भर चाहिये। फिर तो वह केवल भ्रम से द्रव्योत्पत्ति कर लेगा। इस दशा में—उसके लिए केवल भूमि और भ्रम ने ही साधन का काम किया है। इसी प्रकार के उदाहरण और भी दिये जा सकते हैं जिनमें भूमि और भ्रम ही साधनरूप हैं।

मोहन—लेकिन अन्ध-गायक का आपने जो उदाहरण दिया है, उसमें एक ऐसा गुण है, जो बहुत कम लोगों में देखा जाता है। इसे हम ईश्वर दत्त मानते हैं।

चाचा—परन्तु भौतिक रूप से विचार करने पर अर्थशास्त्री कहेगा कि वह प्रकृति की देन है। इसके सिवा भूमि भी प्रकृति की ही देन है। पूँजी भ्रम से पैदा होती है। प्रबन्ध भी एक तरह से भ्रम का ही विशेष व्यापक रूप है जो उत्पत्ति के साधनों को एकत्र करता है। और साइस तो मनुष्य का एक विशिष्ट गुण है। धनोत्पत्ति के लिए जब वह प्रयत्नशील होता है, तो जोखिम भी उठाता ही है। इस प्रकार धनोत्पत्ति में प्रकृति और पुरुष ये दो ही प्रधान साधन रह जाते हैं। पर कितने आश्चर्य की बात है कि हमारे सांस्कृतिक तत्त्वदर्शियों ने सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में प्रकृति और पुष्य नामक जिन आदि शक्तियों का निरूपण पाया, अर्थशास्त्र में उत्पत्ति के साधन अन्त में वे ही प्रधान रूप में मान्य हुए। यद्यपि आज के जीवन सभ्य में पाँचों साधन अपनी अपनी पृथक उपयोगिता रखने लगे हैं।

बाते करते हुए काफ़ी देर हो गयी थी। गगाजी का घाट भी निकट आ गया था। मोहन ने कहा—इससे तो हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि हमारे गाँवों की जनता पर, धनोत्पत्ति के आधुनिक पाँचों साधनों को देखते, हमारी पुरातन संस्कृति का ही विशेष प्रभाव है।

चाचा—हाँ, तुम्हारा अनुमान सही है।

इसी समय एक देहाती किसान कुछ कच्चे आम लिये हुए पाग से जाने लगा। चाचा ने रुककर पूछा—ये बेचिया बेचोगे ?

उसने कहा—मालिक बेचेंगे क्यों नहीं ?

चाचा—क्या लोम ?

बह—मालिक बीस हैं । दो पैसे में देंगे ।

चाचा ने दो पैसे उसे देकर सब अंबिया ले ली ।

मोहन कहने लगा—चाचा, इसने भी केवल भूमि और अन्न इन दो साधनों से ही धनोत्पत्ति की ।

दोनों नहाने के लिए घाट की ओर बढ गये ।



तेइसवाँ अध्याय

भूमि और उसके लक्षण

राजाराम खेत पर चबेना लेकर मजदूर को पानी पिताने गया हुआ था। खेत पर पहुँचकर उसने देखा, इस बार उसने जो नया हल उसे जोतने के लिए दिया है, उससे जुताई वास्तव में पहले की अपेक्षा अधिक गहरी हुई है और इस कारण डेले कात्री बड़े बड़े उमड़े हैं। बात यह हुई की बिहारी ने एक दिन उसे बतलाया था कि भूमि में जो उतनाऊ शक्ति है, वह दिन पर दिन क्षीण होती है। अतः उसे शक्तिशाली बनाने और उससे उपज का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें नवीन प्रयोगों से सहायता लेनी पड़ती है। तब उसे स्मरण हो आया कि उन्होंने यह भी बतलाया था कि ऊपर की मिट्टी की शक्ति जब क्षीण हो गयी जान पड़े, तो जुताई गहरी करनी चाहिये। इसीलिए अबसर पाकर उसने नये दण्ड के हल का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया।

खेत से लौट कर राजाराम घर पर चला आया। पर वहाँ आने पर उसने मुना कि बिहारी आया हुआ था। यह अभी अभी गया है। तब भठ से खाना खाकर वह बिहारी के यहाँ जा पहुँचा।

बिहारी उस समय खाना खाकर लौटा हुआ एक समाचार-पत्र पढ़ रहा था। राजाराम को आया जान कर उठकर बैठ गया। बोला—आओ बैठो। मैं तो तुम्हारे यहाँ गया हुआ था, पर तुम घर पर मिले ही नहीं। मालूम हुआ कि खेत पर मजदूर को पानी देने गये हो।

राजाराम बोल उठा—हाँ, इस बार मैंने नये क्रिस्म के हल का प्रयोग किया है। इसलिए मेरे अन्दर गहरी खुनाई का खेत देखने की उत्सुकता भी थी।

बिहारी—देखकर कैसा लगा ?

राजाराम—लगने की क्या बात है। मनुष्य की शक्ति की धाढ़ नहीं है। मैं पहले सोचता था, भूमि की पैदावार जब इस तरह घट रही है तो ईश्वर ही मालिक है। वहीं ऐसा न हो कि एक दिन लोग इतना भी अनाजन पैदा कर सकें कि अपने परिवार का भरण पोषण हो सके। किन्तु मैं देखता हूँ, मनुष्य ने कठिन कार्य सुलभ कर लिये हैं। यहाँ तक कि भूमि के लक्षणों पर भी मनुष्य की शक्ति अपना प्रभुत्व जमा रही है। आप मुझे यह बतलाइये कि भूमि के अतर्गत कौन सी वस्तुएँ सम्मिलित की जाती है।

बिहारी ने कहा—अर्थशास्त्र में भूमि के अन्तर्गत वे ही वस्तुएँ मानी जाती हैं, जिन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया और जो मनुष्य के धर्म से नहीं उत्पन्न हुई, किन्तु जिनकी उपयोगिता धनोत्पत्ति के साधन के रूप में मानी जाती है। उदाहरणवत् जंगल में उत्पन्न होने वाली लकड़ी, पशु पक्षी तथा औषधियाँ तो भूमि के अतर्गत मानी जायँगी क्योंकि ये हमें प्रकृति से मिलती हैं, पर यदि लकड़ी मनुष्य के धर्म से एकत्र हुई हो, यदि पशु पक्षियों को उसने पकड़ा और पाल पोष कर बड़ा किया हो, यदि उसने औषधियों को इकट्ठा करके रखा हो, तो ये वस्तुएँ भूमि के अतर्गत नहीं मानी जायँगी। इसी प्रकार जो पृथ्वी हमारे उपयोग में नहीं आती, अर्थशास्त्र की दृष्टि में वह भूमि नहीं है। किन्तु यदि वही कामलायक बना ली गई हो और उसका उपयोग हो रहा हो तो वह भूमि मान ली जायगी।

राजाराम—तो आपका अभिप्राय यह है कि भूमि का वह भाग अथवा उससे उत्पन्न वे वस्तुएँ ही भूमि के अन्तर्गत मानी जाती हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हैं, अर्थात् जिनपर मनुष्य ने धर्म नहीं किया है और जो धन की उत्पत्ति के लिये उपयोग में आ रही हैं। किन्तु यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या जलवायु, शीत, गर्मी, वर्षा, नदी आदि भी धनोत्पत्ति के साधन हैं ?

बिहारी—क्यों नहीं ! जलवायु का प्रभाव धनोत्पत्ति पर निश्चित रूप से

पड़ता है। गर्म देशों में थोड़े से परिश्रम से ही घनोत्पत्ति हो जाती है। वहाँ के निवासियों की वस्त्र, भोजन तथा बड़े मकानों की, अपेक्षाकृत कम आवश्यकता होती है। गर्म देश प्रायः कृषि प्रधान होते हैं। शीत प्रधान देशों की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है। वहाँ के लोगों को भोजन, वस्त्र अधिक चाहिये। मकान को भी आवश्यकता उनके लिए आनवाय्य है। उनकी आवश्यकताएँ अधिक होती हैं और उनका पूति के लिए उन्हें थम अधिक करना पड़ता है, वे नीरोग अधिक-सख्या में होते हैं। वहाँ खेती अधिक नहीं होती, पर शिल्प-सम्बन्धी व्यवसाय अधिकता के साथ होते हैं। इसी प्रकार भौगोलिक स्थिति का प्रभाव भी घनोत्पत्ति पर विशेष पड़ता है। जो देश कई ओर से समुद्र से घिरे होते हैं, उन्हें अपनी रक्षा के लिए सदा सावधान रहना पड़ता है। उन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वावलम्बी होने की अधिक आवश्यकता रहती है। बन्दरगाहों के द्वारा वे अन्य देशों से अपना व्यापारिक सम्बन्ध रखकर बहुत शीघ्र व्यावसायिक उन्नति कर लेते हैं। जो नगर नहरों तथा नदियों के किनारे होते हैं, वे जल शक्ति का उपयोग बहुत अधिक कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाने की कितनी ही सुविधाएँ उन्हें प्राप्त रहती हैं। पहले साग जल प्रवाह से पनचकी चलाते थे, अब उसके प्रवाह और प्रपातों ने बिजली का संचय करके उससे लाभ उठाते हैं। जहाँ नदियों में डेल्टा अथवा टापू निकल आते हैं, वहाँ की भूमि बहुत अधिक उपजाऊ निकलती है। यह ठीक है कि नदियों की बाढ़ से हानि भी कम नहीं होती। पर कभी कभी बाढ़ के कारण कृषि भूमि पर जो नवीन मिट्टी के पर्व के पर्व जम जाते हैं, उनसे भूमि उपजाऊ भी तो हो जाती है। तेल और कोयले से भी मशीनें चलती हैं, यह ठीक है। पर उसकी एक सीमा है। किन्तु जल शक्ति तो अनन्त है। इसी प्रकार वायु की शक्ति भी घनोत्पत्ति में सहायक होती है। अनुकूल वायु पाकर नदियों में नावें बिना किसी विशेष प्रयास के, सैकड़ों मील चली जाती हैं। वायु शक्ति का उपयोग करने के लिए बहुत ऊँचे एम्भों पर पखे लगा दिये जाते हैं। जैसे-जैसे वे पखे चलते हैं, धैसे धैसे उनके सम्बन्ध और बल से अनेक प्रकार के यन्त्र भी चलते रहते हैं। धूप की गरमी अन्न को पकाने में कितनी सहायक

होती है ? पीढ़े उससे जल्दी उगते हैं । जनता का स्वास्थ्य उससे सुधरता है । रगीन बोटलों में पानी भर कर धूप में रखने से सूर्य की किरणों का प्रभाव उस पानी में पड़ता है और वह चिकित्सा के लिए उपयोगी होता है ।

राजाराम—किन्तु वर्षा का तो कोई विशेष भरोसा अब रह नहीं गया है । पहले की अपेक्षा अब वृष्टि प्रायः बहुत कम होती है ।

विहारी—किन्तु वर्षा का जो जल नदियों द्वारा समुद्र में जाता है, उसे संचित करके भीलों और तालाब बनाने का प्रयत्न भी तो जारी है । नदियों से नहरें निकाली जाती हैं और उससे खेती की सिंचाई होती है । फिर कहीं वर्षा अगर कम होती है, तो कहीं उपज के अनुकूल यथेष्ट मात्रा में भी तो होती है । इसके सिवा जहाँ वर्षा कम होती है, वहाँ आबादी भी तो कम होती है । इसी प्रकार घनेत्पत्ति से जंगलों का विशेष सम्यन्ध है ।

राजाराम—किन्तु जंगलों से लकड़ी मिलने के सिवा उत्पत्ति में ऐसी क्या विशेष सहायता मिलती है ?

विहारी—आह ! वे नदियों की बाढ को रोकने में हमारी बड़ी सहायता करते हैं । इसके सिवा वे वर्षा के जल से पृथ्वी के नीचे की मिट्टी को तर रखते, उनके पेड़ों के पत्तों द्वारा की शीतलता देकर गरमी कम करते हैं । और पशुओं के चरने की इरी घास अथवा मत्तानों को छाने के लिए फूस देते हैं । इसके सिवा औषधियों के लिए अडिया वहाँ से मिलती हैं । गोंद, रबर, लाख, बसन्दा रंगने के लिए पेड़ों की छाल, भाति भाति के फल, मेवे और मसाले, कागज बनाने के उपयोग में आने वाली घास हमें जंगलों से ही मिलती है । इसके सिवा वैज्ञानिकों का मत है कि जहाँ जंगल अधिक होते हैं, वहाँ अनावृष्टि प्रायः बहुत कम होती है ।

राजाराम—अच्छा, अब यह बतलाइये कि भूमि के भीतरी गुण क्या हैं ?

विहारी—भूमि कहीं की अधिक उपजाऊ होती है, कहीं की कम । जहाँ की मिट्टी पथरीली, या रेतीली होगी, वहाँ पैदावार कम होगी । दालू जमीन भी कम उपजाऊ होती है । मुलायम मिट्टी में पौदों की जड़ें आसानी से अन्दर चली जाती हैं । पर उसमें यह गुण भी अनर्थ्य होना चाहिए कि वह उन जड़ों को पकड़ कर उन्हें स्थिर रख सके । रेतीली भूमि न तो ऊपर पानी

को रोक पाती है, न उसके साथ आने वाले अन्य तत्वों को। पथरीली या कफरीली भूमि भी खेती के लिए उपयोगी नहीं होती। उससे न पीढ़े बल खींच पाते हैं, न उसके अन्य तत्व। परन्तु यह तो दुःखा उपत्ति के लिए उपयोगी उसका आन्तरिक गुण। किन्तु वाह्य परिस्थितियों के कारण भी भूमि की उपयोगिता बढ़ जाती है।

राजाराम— यह किस तरह ?

विहारी— बात यह है कि भूमि अगर उपजाऊ भी है, तो भी उससे हम उतनी उपयोगिता की वृद्धि नहीं कर पायेगे, जितनी उस अवस्था में कर सकते हैं, जब उसने निकट हमें उससे पैदा होने वाली वस्तुओं को शीघ्र स्थानान्तरित करने के साधन सुलभ होंगे। उदाहरणवत् जिन गावों के निकट रेल, पक्की सड़क अथवा नदी होती है, वहाँ का माल दूसरे अधिक उपयोगिता वाले स्थानों को जल्दी पहुँचाया जा सकता है। अगर गाव के निकट बड़े तालाब हैं, तो सिंचाई में कुछ सुविधा निकल सकती है। अगर कृषि भूमि गाव के निकट है, तो उसमें लाभ पहुँचाने की सुविधा हो सकती है।

यह तो कृषि के लिए उपयोगी भूमि के आन्तरिक गुणों और वाह्य परिस्थितियों की बात है। किन्तु खनिज भूमि के लिए आन्तरिक गुणों का ही ध्यान रखना आवश्यक होता है। उसके लिए यह देखना पड़ता है कि खान से जो पदार्थ निकलता है, वह समय और परिमाण को देखते हुए लाभकर कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे निकालने में इतना अधिक व्यय हो जाय कि उस पदार्थ की बिक्री होने पर उससे प्राप्त द्रव्य कम निकले। यदि बिक्रय का स्थान इतनी दूर है कि उस पदार्थ के वहाँ तक पहुँचाने में व्यय अधिक पड़ता है, तो इस हानिकर कार्य में ह्रास डालना कौन स्वीकार करेगा।

राजाराम— लेकिन जब हम कई एकड़ भूमि लेकर वहाँ कोई दूकान करते या गोदाम बनाते हैं, तब तो भूमि के इन आन्तरिक गुणों का कुछ भी विचार नहीं करते !

विहारी— हा, व्यापार और कल कारखानों में हम जिस भूमि का उपयोग करते हैं, उसके आन्तरिक गुणों की ओर ध्यान न देकर वाह्य परिस्थितियों

का ही हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उस अवसर पर हम व्यावसायिक दृष्टि से बेचल मौके की भूमि देखते हैं। यह सोचते हैं कि रेल का स्टेशन निकट है कि नहीं, बाजार दूर तो नहीं पड़ेगा। तभी तो कल कारखाने प्रायः नगरों, तीर्थों तथा राजधानी में स्थापित होते हैं। गावों की अपेक्षा वहाँ की भूमि का मूल्य भी अधिक होता है। सभी व्यवसायों मौके को ही भूमि चाहते हैं, इसलिये उस भूमि का मूल्य प्रायः बढ़ता भी जाता है। किन्तु सच पूछो तो फसलों की उत्पत्ति की दृष्टि से उस भूमि का विशेष महत्त्व नहीं होता।

राजाराम—किन्तु इसमें भूमि का क्या दोष है? उसका लाभ अगर कोई अन्य रीति से उठाना चाहता है, तो उठाये।

विहारी—हा यह दीक है। पर इस सिलसिले में तुम्हें कुछ बातें अभी और बतलाने को रह गयी हैं। अच्छा बोलो, अगर तुमसे प्रश्न किया जाय कि भूमि का लक्षण क्या है, तो तुम क्या जवाब दोगे?

राजाराम—लक्षण का मतलब अगर उसके भेदों से है, तो मैं बहूँगा कि वह कई प्रकार की होती है।

विहारी—नहीं। यह बात अभी तुम्हें जाननी है। अच्छा सुनो, ¹⁾ भूमि का पहला लक्षण यह है कि वह परिमित है। अर्थात् परिमाण उसका निश्चित है।

राजाराम—क्यों बहुत सी भूमि जो पहले बेकार थी, अब उसमें खेत सड़े हैं।

विहारी—किन्तु इसमें समय कितना लगा है। फिर जितनी भूमि का पहले से हम उपयोग करते आये हैं, उसकी अपेक्षा वह अधिक कितनी है। इसके सिवा भूमि के अन्तर्गत जो वस्तुएँ मानी जाती हैं, उनकी भी एक सीमा है। उदाहरण के लिये किसान को बर्षा अथवा धूप की आवश्यकता चाहे जितनी हो, किन्तु उसे मिलती है वह एक सीमा के भीतर ही। इसी प्रकार भूमि से मिलने वाले खनिज पदार्थ भी सीमित ही हैं।

2) दूसरी बात यह है कि भूमि प्रकृति की देन है। परिमाण में वह परिमित अवश्य है, पर वह जितनी भी है उसके लिये मनुष्य को अपनी ओर से प्रयत्न अथवा व्यय कुछ भी करना नहीं पड़ता। बिना श्रम के वह मिली है।

राजाराम—आप भी अनीब बातें करते हैं। भूमि खरीदने में क्या खया नहीं लगता है ?

बिहारी ने मुस्फराते हुए कहा—अरे भाई, मैं यह बात आदि काल की कह रहा हूँ। पहले तो मनुष्य ने उसे यों ही ले लिया था। पीछे उसका उस पर अधिकार हो गया। फिर बाद में अगर उसने किसी के हाथ उसे बेच दिया तो उसे खया अवश्य मिला। आज तक यही चल रहा है।

राजाराम—अच्छा, हा, और ?

बिहारी—तीसरी बात यह है कि भूमि अक्षय है । 30

राजाराम—क्यों ? बाढ़ आया भूकम्प से कई स्थल जलमय हो जाते हैं, सो !

बिहारी—पर उससे भूमि के कुल परिमाण में क्या अन्तर पड़ता है ? हमारे देश की जितनी भूमि आज दिन है, सड़खों वर्षों से वह उतनी ही है। बल्कि लाखों वर्षों से। मनुष्य अपने प्रति अहंकार चाहे जितना करले, पर वह अपनी रचना में कितना स्थायित्व रखता है ? बड़े बड़े गगनचुम्बी राजमहल और दुर्ग भूकम्प के एक धक्के से धराशायी हो जाते हैं। किन्तु भूमि ने कणाल काल के कितने आघात सहे हैं, तो भी उसका क्षय क्या हुआ ? साधारण मनुष्य की कल्पना जहाँ तक जाती है, जान पड़ता है, भूमि अनन्त काल तक इसी प्रकार अक्षय बनी रहेगी।

राजाराम—इसके सिवा यह अचल भी तो है । 40

बिहारी—हाँ, यह तुमने ठीक सोचा। वह स्थानान्तरित नहीं हो सकती। आज एक राजधानी कायम होती है और वहाँ राजकीय भवन बनते हैं। परन्तु राजनैतिक परिस्थित बदल जाने के कारण जब राजधानी बदल जाती है तो नये स्थान में नयी इमारतें बनानी पड़ती हैं। एक बार जहाँ जो इमारत बन गयी, मय भूमि के वह दूसरे स्थान की नहीं ले जायी जा सकती। मनुष्य अपना सब कुछ एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा सकता है, पर भूमि को ले जा सकने में वह समर्थ नहीं है। वरन् प्रायः होता तो यह है कि हमें ही भूमि का ध्यान रखकर अपना निवास स्थिर करना पड़ता है।

5) इसके सिवा भूमि निष्क्रिय साधन है। वह स्वतः कुछ नहीं करती। मनुष्य

ही उससे काम लेता और लाभ उठाता है। मनुष्य उसमें श्रम करता है, पूँजी लगाता और उससे उत्पत्ति करता है। सब कुछ मनुष्य ही करता है। किन्तु सब प्रकार से निष्क्रिय होते हुये भी वह उत्पत्ति के लिये अनिवार्य है। उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। यदि भूमि अपना उपयोग न करने दे, तो मनुष्य की सत्ता ही लोप हो जाय। सोचने की बात है की हवा और प्रकाश भी तो भूमि की ही देन है।

राजाराम—किन्तु मनुष्य भूमि से सब कुछ ले लेता है। शक्तिवान तो वास्तव में मनुष्य ही है।

विहारी—मनुष्य अगर उत्पत्ति करता है, तो उपभोग भी तो वही करता है। उत्पत्ति और उपभोग दोनों कार्यों का वह स्वतः उत्तरदायी है। भूमि उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं डालती। वह तो उसे सहायता पहुँचाती है।

राजाराम—अच्छा, श्रम को आप अधिक महत्त्व देते हैं या भूमि को ?

विहारी—भूमि अक्षय है, स्थिर है, अचल है। परन्तु श्रम गतिमान है। भूमि की सीमा स्थिर है, वह बढ़ नहीं सकती। किन्तु श्रम की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। आवश्यकतानुसार उसे चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है। किन्तु जहाँ श्रम में ये गुण है वहाँ वह नाशवान भी है। और भूमि का नाश नहीं होता। जो श्रम अभी किया गया है, वह पूरा हो जाने के बाद लोप हो गया। यही क्यों, वह तो क्षण-क्षण लोप होता जाता है। किन्तु भूमि से चाहे जितना काम लो, वह नाश कभी न होगी।

राजाराम—अच्छा पूँजी और भूमि में आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं ?

विहारी—पूँजी की उत्पत्ति श्रम से हुई है। किन्तु भूमि हमें आपही आप प्रकृति से मिली है। पूँजी नाशवान है और भूमि अमर है। पूँजी एक स्थान से दूसरे स्थान को चली जाती है, जब कि भूमि स्थिर है। पूँजी बढ़ायी जा सकती है, पर भूमि का परिमाण सीमित है। पूँजी से भूमि खरीदी जाती है। किन्तु भूमि की सहायता के बिना पूँजी कुछ नहीं है। पूँजी को सच पूछो तो भूमि ने ही उत्पन्न किया है।

बातें करते-करते बहुत देर हो गयी थी। राजाराम बोला—आप अब आराम कीजिये। मैं चलूँगा।

विहारी—ऐसी धूप में कहाँ जाओगे ? बेठो ।

राजाराम—धूप का अगर हम इतना खयाल करें, तो खिती तो कर न सकें । फिर जिस घरती माता का अन्न खाते हैं, उसके बाल बच्चों में हमें ऐना परहेज़ भी न करना चाहिये ।

विहारी प्रसन्नता से मुम्कुरा रहा था । →

चौबीसवाँ अध्याय

खेतों की चकवन्दी



“आज तो तुम्हारे पैर में सूजन कुछ ज्यादा जान पड़ती है। यह क्या बात हुई? अभी कल तक तो यह इतना सूजा हुआ न था।” बिहारी ने राजाराम से पूछा।

राजाराम बोला—क्या बताऊँ, खेत हमारे, आप जानते हैं, एक-दूसरे से कितनी दूर-दूर हैं। और बिना खुद देख काम ठीक ढङ्ग में होता नहीं है। फिर खेतों का काम! ज्यादा चलना न पड़ता, तो कोई बात न होती। चलने से ही पैर में सूजन के साथ-साथ तकलीफ भी बढ़ गयी है। दवा अभी अभी खाई है। सबेरे तक आशा है कि कम हो जायगी। चिन्ता की बात नहीं है।

बिहारी अभी तक, राजाराम ने पैर की ओर देखता हुआ, खड़ा था। अब कुछ दूर पर पड़ी चारपाई पर बैठ गया। बोला—आज तुमको जो यह शारीरिक कष्ट हुआ है, खेतों के छोटे छोटे और दूर-दूर रहने से होने वाली अन्य अनेक बड़ी बड़ी हानियों के आगे, सच पूछो तो कुछ भी नहीं है।

स्वीकार करने के भाव से राजाराम ने कहा—हाँ, जेत दूर-दूर होने पर सभी खेतों पर पहुँचने में तकलीफ के अलावा नुकसान भी थोड़ा बहुत होता ही है जरूर, पर यह तो एक लाचारा है। दूर हों, चाहे नलदीक, छोटे हों, चाहे बड़े, इसके लिए हम कर ही क्या सकते हैं?

बिहारी—यही तुम्हारी भूल है राजाराम। तुमको जो आज यह तकलीफ हुई है यह सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है। वास्तव में खेतों के दूर-दूर होने की

हानियाँ हमारे देश के सभी किसान नित्य भोगते हैं। यह छोटी बात नहीं है। इसीलिए अर्थशास्त्रियों ने भी इस विषय पर ध्यान दिया।

आश्चर्य से राजाराम ने कहा—अच्छा।

विहारी—हाँ, खेतों के छोटे और दूर दूर होने के कारण उत्पत्ति की जो हानि होती है, अर्थशास्त्री भला उसे कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने देखा कि इस प्रकार सब से बड़ी अमुविधा किसान को यह होती है कि वह न तो अपनी फसल की उपज बढ़ा सकता है और न उसकी रक्षा ही उचित रूप से कर सकता है।

राजाराम—उपज बढ़ाने में तो ऐसी कोई विशेष कठिनाई नहीं होती।

विहारी—क्यों नहीं होती? छोटे छोटे खेतों में वैज्ञानिक यंत्रों का उपयोग नहीं हो सकता, प्रत्येक छोटे खेत में कुआँ नहीं खोदा जा सकता। अतएव उनमें यथेष्ट पौँजी नहीं लगाई जा सकती और उसका लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। खेतों की उचित रक्षा न होने पर उपज की तो क्षति होती ही है। फिर मेड़ बनाने, बीच में रास्ता निकालने और नहर से पानी लेने में भी छोटे छोटे खेतों से कितनी हानि होती है! कभी कभी तो आवश्यकता होने पर भी हम वैसा कर नहीं सकते।

राजाराम—हाँ, यह तो आपने ठीक कहा। इस तरह उपज की ही हानि होती है। अच्छा हाँ, तो अर्थशास्त्रियों ने इस कठिनाई को दूर करने का उपाय क्या निकाला है?

विहारी—किसी गाँव के किसानों को मिलकर एक सहकारीसमिति स्थापित करनी चाहिये। समिति अपनी एक पचासत चुन लेती है। इस समिति द्वारा गाँव में जितनी कृषि भूमि होती है, उसका दाम कत लिया जाता है। फिर हर एक किसान के खेतों का मूल्य आक लिया जाता है और एक चक में उसे उतने मूल्य की कृषि भूमि दे दी जाती है। इस तरह किसानों की खेती की भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में बाँटा जाना रोक दिया जाता है। इसे चकवन्दी कहते हैं।

राजाराम—कहाँ ऐसा हुआ भी है, या ऐसा सोचा ही जा रहा है?

विहारी—कई जगहों पर, खासकर पंजाब प्रांत और मध्यप्रांत में, अर्थ सरकारी

तौर से, सहकारी समितियों के द्वारा, ऐसा प्रयत्न किया गया और उसमें सफलता भी मिली है। इसी तरह हर जगह किया जा सकता है।

राजाराम—लेकिन तो भी ऐसा हो सकता है कि अनेक छोटे छोटे खेत रह ही जायँ। यह भी हो सकता है कि किसी आदमी के पास इतनी अधिक भूमि हो कि वह उसका पूर्ण रूप से उपयोग न कर सके या आर्थिक स्थिति उसको उतनी अच्छी न हो कि वह उसके अनुरूप पूँजी लगा सके। उसके प्रबन्ध में कुछ दुर्गुण भी हो सकते हैं। तब उस देश में क्या किया जायगा ?

विहारी—इसीलिए कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि देश की सारी भूमि पर अन्तिम अधिभार राब्य का ही होना चाहिये। वही भ्रम और पूँजी लगाकर भूमि से उत्पत्ति का पूरा लाभ उठा सकता है।

राजाराम—हाँ, अगर राज्य इस काम में पड़ जाय, तब तो खेतों के छोटे और दूरस्थ होने से जो हानियाँ होती हैं, उनका निवारण बहुत आसानी से किया जा सकता है।

विहारी—हाँ, क्योंकि देश की सारी की-सारी भूमि उसी के अधीन रहेगी। भ्रम और पूँजी का उचित उपयोग उसने लिए किया जा सकेगा। नवीन आविष्कारों, यंत्रों तथा योग्य से-योग्य श्रमिकों का अवलम्ब ग्रहण कर पहले की अपेक्षा कुछ कम खर्च में ही, खेती की उपज, बहुत अंशों में, पूर्णरूप से बढ़ाई जा सकती है। फिर इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर अन्य पड़ोसी राष्ट्रों से उस देश की सरकार मामूली व्याज पर रकमा भी स्पष्ट रूप से उधार ले सकेगी।

राजाराम—किन्तु मुझे तो ये बातें कोरी सिद्धान्त की मालूम होती हैं। अगर ऐसा किया जा सके, तब तो किसानों के सारे दुख ही दूर हो जायँ। मालूम नहीं कब ऐसा अवसर आयेगा, जब ये सिद्धान्त व्यवहार रूप में काम में लाये जायँगे।

विहारी—तुम्हारी ही तरह बहुतेरे लोगों को इसकी व्यावहारिकता—और किसी अंश में सफलता में भी—विश्वास नहीं था। वरन् लोग तरह तरह के तर्क वितर्क उपस्थित करके इन विचारों का मज़ाक उड़ाया करते थे। पर रूस में इसका प्रयोग किया गया है और कहा जाता है कि इसमें सफलता भी मिली है।

उसने दिखला दिया है कि राज्य के द्वारा खेती होने पर उपज इतनी सुगमता से बढ़ाई जा सकती है कि सभार का ऐसा कोई भी देश प्रतियोगिता में उसके सामने ठहर नहीं सकता ।

राजाराम—अच्छा !

विहारी—हाँ, वहाँ की सरकार जो खेती करती है, उसमें मज़दूरों का ही भाग मुख्य रहता है । वहाँ न कोई ज़मींदार है और न पूँजीपति ।

राजाराम—पर हमारे देश के लिए तो अभी यह दिन दूर है । अभी तो चकवन्दी का ही प्रयोग करने दिया जाय, तो भी बहुत कुछ सहूलियतें हो सकती हैं ।



पच्चीसवाँ अध्याय

श्रम के भेद और गुण

रायसाहब के द्वार पर कल बड़ी भीड़ जमा थी। लोग खड़े-खड़े तमाशा देख रहे थे। बात यह थी कि एक लड़का मुहल्ले में कहीं से आया हुआ है। वह मुँह और नाक से कोयल, मोर, तोता, भेड़, बकरी, बिल्ली तथा कुत्ते आदि की बोलियाँ ऐसे अच्छे ढङ्ग से बोलता है कि लोग धोखा खा जाते हैं। यहाँ तक कि अगर परदे की ओट से बोली बोलता है, तो पशु पक्षी भी उसके धोखे में आ जाते हैं। सुनते हैं, एक बार कहीं इसकी परीक्षा भी हो चुकी है और वह उसमें सफल हो चुका है। उमर ऐसी अधिक नहीं है। यही सोलह सत्रह वर्ष का होगा। अरने गाँव के टाउनस्कूल में ७ वें दरजे में पढता है। कई जगह उसको इसके लिए मेडल भी मिल चुके हैं।

लेकिन कल उस बेचारे को लोगों ने बहुत परेशान किया। कई बार वह बोलियाँ बोल चुका था, तो भी लोगों की तबीयत भरती न थी। बार बार इसके लिए उसे तग किया जाता था। संयोग से मैं भी वहाँ पहुँच गया था। जब मैंने देखा कि उसको काफ़ी श्रम करना पडा है, और लोग फिर भी उसे छोड़ नहीं रहे हैं, तो बिना बोले मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा—अब तुम मिन, चलो हमारे साथ। इन लोगों को बकने दो।

मोहन जब अपनी बात कह चुका, तो उसके चाचा ने कहा—और जो बात हुई, सो तो सब ठीक ही थी। पर सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात मुझे यह जान पड़ी कि तुमने उसके प्रदर्शन के कार्य को 'श्रम' के नाम से याद किया।

मोहन—क्यों ? इसमें मैंने क्या गलती की ?

चाचा—पात यह है कि अर्थशास्त्र में भ्रम उसी प्रकार के मानसिक तथा शारीरिक प्रयत्न को कहते हैं, जो केवल धनोत्पत्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार जो प्रयत्न केवल मनोरजन के लिए किये जाते हैं, और जिनमें द्रव्योपार्जन का कोई प्रयोजन नहीं होता, उन्हें भ्रम के अन्तर्गत नहीं माना जाता।

मोहन—किन्तु धन की उत्पत्ति के बहुतरे ऐसे कार्य भी तो हैं, जिनमें कुछ व्यक्तियों का यथेष्ट मनोरजन हो जाता है।

चाचा—हाँ, अनेक कवि और कलाकर, चित्रकार तथा शिल्पी जब अपने कार्य में सलग्न रहते हैं, तो उसमें इतने लिप्त हो जाते हैं कि उन्हें किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं होता। वरन् आनन्द का ही अनुभव वे बहुधा करते हैं। जब तक वे इस कार्य से आर्थिक लाभ नहीं उठाते और केवल उसे आत्मानन्द के लिए करते हैं, तब तक उनके इस प्रयत्न को हम भ्रम के अन्तर्गत नहीं मान सकते। कुछ लोग कुरती लड़ते, क्रिकेट और फुटबाल खेलते हैं। यद्यपि इसमें वे एक मी जाते हैं, तो भी अर्थशास्त्र की दृष्टि से वे भ्रम नहीं करते। हाँ, अगर वे लोग अपनी ऐसी कोई टीम बना लें, जो इन खेलों को व्यावसायिक दृष्टि से खेलने का प्रदर्शन करे, ता उस दशा में उसके इस प्रयत्न को भ्रम कहा जायेगा।

मोहन—किन्तु अब तो मज़दूरों के भ्रम को भी अधिक बर्णन राध्य न रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। कहीं कार्य के घटे कम किये गये हैं, वहीं बीच में बिभ्राम का अपसर दिया जा रहा है। यह भी हो रहा है कि पुरे दिन एक ही प्रकार का कार्य न करना पड़े, काम का प्रकार भी बीच में बदल दिया जाय। इस तरह स्पष्ट जान पड़ता है कि भ्रम के बर्णनों का निवारण करने की इस चेष्टा में मनोरजन का भाव बढ रहा है।

चाचा—किन्तु चाहे जो हो, अगर किसी शारीरिक अथवा मानसिक प्रयत्न का उद्देश्य धनोत्पत्ति है, तो वह भ्रम ही माना जायगा। किन्तु यहाँ इस बात को विशेष स्पष्टरूप से बता देने की आवश्यकता है कि भ्रम मनुष्य ही करता है।

मोहन—किन्तु मनुष्य के इस प्रयत्न में पशु और यन्त्र भी तो सहायक रहते हैं। हमने माघनेले में एक आदमी के लिए एक चिड़िया को शकुन विचार में सहायता पहुँचाते देखा है। उन दिनों वह भी दिनभर में दस बारह आने जैसे पैदा कर लेता था।

चाचा—किन्तु पशु-अथवा-यन्त्र से काम में सहायता लेने का मुख्य उद्देश्य रहता है थोड़े समय में अधिक काम करना। जिसका अर्थ है धनोत्पत्ति। और चूँकि मनुष्य ने उसे सचित द्रव्य से प्राप्त किया है, अतएव अर्थशास्त्र में उसे भ्रम न मानकर पूँजी माना जायगा। अर्थशास्त्र के अन्तर्गत वही प्रयत्न भ्रम माना जाता है, जिसे केवल मनुष्य करता है।

मोहन—किन्तु भ्रम भी तो कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को मेहनत बिलकुल नहीं पडती, थैठे-थैठे दो चार पत्र लिख दिये, या टाइपराइटर खटका दिया। अध्यापक हुए, तो ब्रास में जाकर दो चार घंटे थोड़ा-बहुत पढा दिया। दूसरी ओर मेहनत मजदूरी करनेवालों को आठ दस घंटे इतना कठिन और कष्ट साध्य काम करना पडता है कि पसीने से नहा जाते हैं।

चाचा—हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है। कुछ कामों में मानसिक भ्रम की प्रधानता रहती है जो कुछ में शारीरिक भ्रम की। अर्थशास्त्र की दृष्टि से मजदूर और शिल्पी दोनों ही भ्रमजीवी माने जाते हैं।

मोहन—लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति कोई काम करना चाहता है और वह उसकी तैयारी करता रहता है। पर कुछ दिनों बाद परिस्थिति बिलकुल बदल जाती है और उसका सोचा और प्रारम्भिक रीति से किया हुआ धारा प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है। अर्थात् उससे उत्पात्ति का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, तब उस प्रयत्न को क्या आप भ्रम नहीं कहेंगे ?

चाचा—भ्रम तो वह होगा, किन्तु उसे अनुत्पादक भ्रम कहेंगे। जिस भ्रम में धनोत्पत्ति के कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, वह उत्पादक भ्रम कहलाता है।

मोहन—लेकिन अकसर देखा गया है कि एक ही प्रकार का भ्रम एक के लिए धनोत्पत्ति कारक और दूसरे के लिए धनोत्पत्ति कम करने वाला हो जाता है। आगरे में ताजमहल देखने जब हम लोग गये थे, तो एक गाइड साथ ही

गया था। उसने हरएक वस्तु परिचय देते हुए दिखलाई थीं। हम लोग भी चाव से देख रहे थे। दोनों तरह के लोगों ने प्रयत्न लगभग एक ही-सा किया। पर उसको तो आपने दो आने पैसे दिये थे। इस तरह उसका धर्म उत्पादक रहा।

चाचा—लेकिन तुम्हारा यह उदाहरण ठीक नहीं रहा। गाइड का मुख्य कार्य वस्तुओं को देखना नहीं था, बरन् उनका परिचय देकर हम लोगों से प्रसन्नता-पूर्वक कुछ पुरस्कार पाना था। इसीलिए उसका धर्म उत्पादक हुआ। किन्तु हमने जो कुछ देखा है अगर उसको कहीं लिखने, अथवा बतलाने से हमें कुछ पैसे मिल जायँ, तो उस दिन के सचित ज्ञान के रूप में उसका धर्म हमारे लिए उत्पादक हो जायगा।

मोहन—लेकिन कुछ आदमी एक कुर्वा खोदते हैं। कुर्वा खोदकर वे नित्य अपनी पूरी मजदूरी ले लेते हैं। उनका यह धर्म उत्पादक है। किन्तु अन्त में उस कुर्चे का पानी खारी निकल जाता है। उसे कोई नहीं पीता। जिस चन्दे के घन से उसे खोदवाया गया था, वह व्यर्थ चला जाता है। इस तरह समाज के लिए यह धर्म अनुत्पादक हुआ।

चाचा—हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है। कुछ धर्म ऐसे भी हैं, जो व्यक्ति के लिए लाभकर हैं, उत्पादक हैं, किन्तु समाज के लिए हानिकर और अनुत्पादक। जैसे आतिशबाजी, मुक़दमेबाजी आदि। चोर चोरी करता है। व्यक्ति के लिए उसमें लाभ है, पर समाज के लिए हानि। व्यक्ति के लिए यह उत्पादक है, किन्तु समाज के लिए अनुत्पादक। किन्तु सरकार उसके लिए दंड का विधान रखती है। पर आतिशबाजी अथवा मुक़दमेबाजी में समाज की हानि होती है, तो भी सरकार उसमें कोई आपत्ति नहीं करती। उसके लिए वह दंड का कोई विधान नहीं रखती। बल्कि मुक़दमेबाजी को तो, सरकार से, परोक्ष रूप से प्रोत्साहन-सा मिलता है। अध्यापक, डाक्टर, वकील, पुरोहित, ज़मींदार या कोई भी भ्रमजीवी अपने प्रयत्नों से व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करते हुए समाज को हानि पहुँचा सकते हैं।

किन्तु छाय-ही-छाय यहाँ यह भी समझ लेने की बात है कि इसके विपरीत

उदाहरण भी आविर्कार मिल ही जाते हैं। आजकल धर्म का हास हो गया है, लोगों में परोक्षवृत्ति का अभाव जोर पकड़ रहा है। तो भी कुछ ऐसे महात्मा, उपदेशक और सत लोग अब भी मिल ही जाते हैं जो अपना स्वार्थ नहीं देखते, जिनके भ्रम का उद्देश्य धनोत्पत्ति नहीं होता। वे अपना जीवन जाति, समाज और देश के हितों के लिए अर्पण कर देते हैं। वे कष्ट उठाते हैं, किन्तु उन्हें उससे आनन्द का अनुभव होता है। विशेष स्थितियों में उन्हें भोजन, वस्त्र, सरदी, गरमी, वर्षा तथा द्रव्याभाव का कष्ट भी हो जाता है, किन्तु एक मात्र उनका ध्यान जनता जनार्दन की सेवा में लगा रहता है। समाज का दुःख उनसे देखा नहीं जाता। अतएव अपना दुःख वे भूल जाते हैं। यही उनकी वृत्ति होती है—यहाँ उनका आनन्द होता है। ऐसे विशिष्ट महात्मा लोगों का भ्रम व्यक्ति के लिए उत्पादक और समाज के लिए उत्पादक कहलाता है।

मोहन—तभी तो उत्पादन के अन्य साधनों को देखते हुए भ्रम का महत्त्व भी अधिक है।

चाचा—महत्त्व अधिक होते हुए भी भ्रम प्रतिक्षण नारावान है। दूसरी बार वह काम नहीं देता। प्रत्येक बार उसका प्रादुर्भाव नये सिरे से करना ही पड़ता है। भूमि स्थिर और संचित रहती है। पूँजी बराबर धनोत्पत्ति की वृद्धि करती रहती है। उसके प्रति सत्तार सदा चाव से आँसों गढाये रहता है। किन्तु भ्रम तो संचित किया नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति एक दिन भ्रम न करे, तो समभव है, वह दूसरे दिन कुछ अधिक भ्रम कर सके, पर अगर दस दिन न करे, तो अगले दस दिनों में बीस दिनों का भ्रम वह कभी नहीं कर सकता। किन्तु जब कोई मजदूर बेकार रहता है, तब भी उसे भोजन तो करना ही पड़ता है, मकान भाड़ा तो देना ही पड़ता है। तभी अपना भ्रम हर घड़ी बेचने को उसे तैयार रहना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसे खरीदार के आगे झुकना पड़ता है। वह चाहता है कि बेकारी के दिनों के लिए भी कुछ अधिक पा जाय। किन्तु पिछले दिनों की बेकारी, निःशुल्क, मूल और उससे उत्पन्न हीनता उसका मुख बन्द रखती है। वह मजदूरी की दर पर डट नहीं सकता, भ्रम नहीं सकता। भ्रमजीवी लोगों ने जहाँ मिलकर कुछ

संगठन किया है, वहाँ धम की दरें वैयक्तिक रूप से निश्चित न होकर सामूहिक रूप से हुई हैं।

मोहन—लेकिन धमजीवी प्रायः अशिक्षित होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना उन्हें स्वीकार नहीं होता। घर के नज़दीक रहने का मोह भी उनमें काफी होता है। इसीलिए वे उन्नति नहीं कर पाते।

बाबा—हाँ, होता अतल में यह है कि उपयोगिता वृद्धि के उन स्थानों पर जहाँ उनकी कमी होती है वहाँ वे जाना नहीं चाहते। इसके प्रतिकूल जहाँ उनकी संख्या अधिक है, किन्तु उपयोगिता कम, वहाँ वे रहना चाहते हैं। इसीलिए उन्हें निम्न कोटि की मज़दूरी की दरें स्वीकार करनी पड़ती हैं। लेकिन इन सब बातों के होते हुए कुछ अमुविधाएँ तो हमारे सामाजिक संगठन, आचार-विचार के प्रान्तीय भेद, खान-पान और जलवायु की प्रतिकूलता के कारण होती ही हैं। इसके बदले उन्हें जब मिल-मालिकों की व्यावहारिक सहायुक्ति भी न मिले, तो वे टिक ही कैसे सकते हैं। कुछ बाधाएँ धार्मिक तथा साम्प्रदायिक भी हैं। पर जीवन-संघर्ष की वृद्धि और एक स्थान से दूसरे स्थानों को आवागमन की सुविधाएँ इस विषय में उनकी कुछ सहायक हो सकती हैं।

मोहन—अपने गाँव में जो लोहार रहता था, वह चाकू अच्छे बनाता था। उसके चाकूओं की माँग भी यथेष्ट परिमाण में रहती थी। जब वह मर गया, तो उसके लड़के ने लोहारी का और तो सब काम किया, किन्तु चाकू बनाना छोड़ दिया। उसका कहना था कि बाबू को इसका शौक था। उन्हें इसमें सफलता भी मिली थी। जैसे अगर उन्हें काम भी मिलते थे, तो नाम होने के कारण वे उसे सहन कर लेते थे। लेकिन मैं क्यों ऐसा करूँ। जब लोगों को मेहनत भर भी देना स्वीकार नहीं है, तो मैं क्यों यह भत्ताड़ा पालूँ।

बाबा—उसने धम का उपयोगिता के इस मर्म को नहीं समझा कि उसके पिता का नाम होने में दिन कितने लगे थे। नाम तो धीरे-धीरे होता है। फिर जब एक बार हो जाता है, तो सदियों तक चलता है। उसे उससे लाभ उठाने का अवसर तो अब उसके जीवन में आया था, जिसे उसने महत्व न देकर त्याग दिया। बहुधा धमजीवी लोग जब अपना पैतृक

व्यवसाय त्याग देते हैं, तो वे भ्रम की परोक्ष उपयोगिता वृद्धि की हानि ही पहुँचाते हैं। वे यह मूल जाते हैं कि भ्रम में लगा हुआ रुपया कभी कभी बहुत देर में वसूल होता है। फिर ऐसे व्यक्तियों को नये व्यवसाय खींचने में जो भ्रम तथा पूँजी-खर्च खरनी पड़ती है, वह प्रत्यक्ष-रूप से व्यक्ति की हानि होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से समाज की हानि होती है।

इधर चाचा भतीजे कमरे में बैठे हुए ये बातें कर ही रहे थे कि उधर सड़क पर बड़ी लडका आ निकला। तब मोहन ने उसे बुलाकर चाचा से उसका परिचय कराया। तदनन्तर वह बोला—रायसाहब ने उस दिन मुझे पाँच रुपये इनाम दिये थे। क्या इस शहर में और भी कोई ऐसा धनी मानी व्यक्ति है, जो कुछ दे सके ?

उसकी यह बात सुनकर मोहन चाचा की ओर देखने लगा।

कौन कह सकता है कि वह यह नहीं सोच रहा था कि अब उसका यह प्रयत्न केवल मनोरंजन न होकर भ्रम हो गया है ?



छव्तीसवाँ अध्याय

जन-संख्या वृद्धि

रात का समय है। दूध बजने वाला है। मोहन खाना खाकर चारपाई पर जा ही रहा था कि चाचा ने पूछा—गाँव में रामाधीन शुक्र का क्या हाल-चाल है ?

मोहन—हाल-चाल अच्छा ही है। अब परिवार बढ गया है। परिवार बढने से खर्च का बढना स्वाभाविक ही है। खेतों में पैदावारी जितनी पहले होती थी, अब उतनी मुश्किल से हो पाती है। इसका यह फल हुआ है कि घर में रात-दिन छोटी-छोटी बातों पर पहले औरतों में और फिर आदमियों में भी कद्दा-मुनी हो जाती है। इधर कई महीने से बड़े लड़के को क्षय हो गया है। देहात में चिकित्सा का प्रबन्ध जैसा होता है, आपसे छिपा नहीं है। ईश्वर ही मालिक है। घर में यह एक ही मेहनती और कमाऊ लड़का है। उसी की दम से किसी तरह यह स्थिति सम्भल रही है। अगर उसे कुछ हो गया, तो उनका चारा खेत बिगड़ जायगा।

दोनों चारपाइयों पर बैठ गये।

चाचा ने कहा—गाँव में एक रामाधीन क्यों, और भी तो कुछ ऐसे लोग होंगे, जिनका परिवार बढ गया होगा और जो पहले की अपेक्षा खराब हालत में होंगे।

मोहन—आप यह बात कैसे कह सके, मुझे आश्चर्य हो रहा है। सच-मुच बड़ा खराब समय आ गया है। मेरे देखते-देखते कई परिवारों का यही हाल हुआ है। पहले बाल-बच्चे बढते हैं। फिर गरीबी आती है। और

कमी-कमी जो किसी बीमारी का भोका आ गया, तो बच्चे ही नहीं, गिने जुने लोग तक चल बसते हैं। यों मरना-जीना तो लगा ही रहता है। अगर बहुत छोटे बच्चे अथवा बुढ़े आदमी काम आयें, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। किन्तु उस समय ऐसी बात नहीं होती। ईश्वर की इच्छा ही कुछ ऐसी है। यही लाचार होकर कहना पड़ता है।

चाचा—योरप में मालथस नामक एक वन अर्थशास्त्री हो गया है। उसका कहना था कि जब जनता बढ़ने लगता है, तो या तो गरीबी बढ़ती है, अथवा ईश्वरीय विधान द्वारा जन-संख्या को अवनति होती है। तरह-तरह की बीमारियाँ फैलती हैं और बालक अधिक संख्या में मरने लगते हैं।

चाचा की बात सुनकर मोहन इका उका रह गया। बोला—अन सुनर हो गया। अर्थशास्त्र से इन बातों का क्या मतलब ! वही अजीब बात जान पड़ती है !

चाचा—आश्चर्य की इसमें कोई बात नहीं है। उत्पत्ति के साधनों में श्रम का महत्त्व कितना है, यह तुम्हें मालूम ही है। और श्रम की वृद्धि दो कारणों से हो सकती है। एक तो श्रमिक समुदाय अधिक योग्य हो, दूसरे जन-संख्या की वृद्धि की जाय। अतएव श्रम के साथ (अर्थात् अर्थशास्त्र के साथ) जन संख्या का बहुत घनिष्ट सम्बन्ध होना सर्वथा स्वाभाविक है।

मोहन—हाँ, इस तरह से तो जन संख्या-वृद्धि वास्तव में अर्थशास्त्र का ही विषय हो जाता है। अच्छा तो मालथस साहन ने किस आधार पर अपने इस मत को प्रस्तुत किया है ?

चाचा—उनका कहना था कि अगर कोई विशेष विघ्न न उपस्थित हो, तो देश की जन संख्या उस परिमाण की अपेक्षा अधिक बढ़ेगी, जिस परिमाण में वहाँ राज्य-व्यवस्था की वृद्धि हुई है। इसके लिए उन्होंने “जन संख्या का सिद्धान्त” विषय पर एक पुस्तक लिखी थी।* उसमें उन्होंने यह सिद्ध किया है कि जन-संख्या की वृद्धि रेखागणित के अनुसार होती है। अर्थात् १ से २, २ से ४, ४ से ८ अथवा १ से ३, ३ से ९, ९ से २७।

*Essay on the Principle of Population

यह सुनकर मोहन हँसने लगा। बोला—वाह! ये लोग भी विचित्र सोचती के होते हैं! क्या बात खोप निकाली है! सचमुच में इन लोगों को उस्ताद मानता हूँ।

चाचा—इतना ही नहीं। उसका कहना था कि खाद्य-पदार्थों की वृद्धि गणित के दिखान से होती है। जैसे—१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० अथवा १, ३, ५, ७, ९, ११, १३ इत्यादि।

मोहन—वाह बा-बा! कमाल है चाचा जी!

चाचा—श्रीर इसी आधार से वह इस नष्कप पर पहुँचता है कि जब किसी देश की जन-संख्या के अनुकूल खाद्य-सामग्री उपलब्ध नहीं होती, अर्थात् उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए वह कम उत्पन्न होती है, तो वहाँ मृत्यु-संख्या बढ़ जाती है। अन्त में खाद्य-सामग्री के परिमाण के अनुसार जन-संख्या फिर जहाँ-कहाँ-तहाँ पहुँच जाती है।

मोहन—मुझे तो मालयस साहर का यह कथन तिलिमुल ठीक जान पड़ता है। आपकी क्या राय है?

चाचा—पहले पूरी बातें तो सुन लो।

हाँ, तो उनका कहना है कि जन-संख्या की वृद्धि पर दो प्रकार के प्रतिबन्ध लगते हैं, तब उसका नियमन होता है। प्रथम प्रतिबन्ध है भौतिक। और इसे प्रकृति लगाती है। दुर्भाग्य इसी के द्वारा पड़ते हैं। सुख करने की प्रवृत्तियाँ समान तथा राष्ट्रों में इसा क कारण भड़कती और जन सदा करती हैं। बच्चों की मौतें, इन्फ्लुएन्जा, हैजा, प्लेग आदि बीमारियाँ इसा कारण होती हैं। और इन विविध आकस्मिक आपत्तियों के कारण लाखों की संख्या में ऐसी मृत्युएँ होती हैं, जो स्वाभाविक नहीं कही जा सकती। अर्थात् जिनके सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि वे अकारण हुई हैं, मनुष्यों ने अपनी पूरी हिन्दगी पाकर भी उसे प्राप्त नहीं किया है।

दूसरा प्रतिबन्ध नृनिम उपायों से सम्बन्ध रखता है। वही अवस्था में विवाह करना, समय पूर्वक रहना और ब्रह्मचर्य्य पूर्वक जीवन व्यतीत करना।

उनका कथन है कि जहाँ जन्म-संख्या कम होता है, वहाँ मृत्यु संख्या भी कम होती है। अतएव अगर किसी देश का मृत्यु संख्या को कम करना है,

तो वहाँ की जन्म-संख्या को पहले कम करना पड़ेगा। इसके लिए जनता को अपने ऊपर ऐसे प्रतिबन्ध लगाने चाहिए जिसे सन्तान एक अवधि तक उत्पन्न न हो। इससे जन्म-संख्या की वृद्धि से सम्भव होनेवाले कष्टों से आपसी आप बचाव हो जायेगा। किन्तु अगर इन उपायों से जन्म संख्या वृद्धि को घटाने की चेष्टा किसी देश में नहीं होती, तो दुमिष्ट, महामारी और युद्ध होना वहाँ के लिए अनिवार्य है। इन्हें कोई रोक नहीं सकता।

इसी क्षण मोहन बोल उठा—मैंने पहले ही अपना मत दे दिया था। और मैं अब भी उसा पर स्थिर हूँ। अब आप अपनी राय दीजिये।

चाचा—वात यह है कि जा देश सम्पन्न और उन्नत हैं, वहाँ जो जन-संख्या का वृद्ध होता है, वह धनोत्पत्ति के शीघ्र के अनुसार नहीं हाती। इसलिए वहाँ जन-संख्या की वृद्धि होने का कोई भय नहीं है। किन्तु कुछ देशों में जन-संख्या की वृद्धि के लिए नैसर्गिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के प्रतिबन्ध लगे हैं। इस कारण उन सम्य देशों पर मालुषस के इस सिद्धान्त का प्रभाव अवश्य पड़ा है।

अब भारत और चीन आदि देशों की ओर ध्यान देने से पता चलता है कि इन देशों में जनता के रहन-सहन का दर्जा निम्न कोटि का है। वस्तियाँ सघन हैं और कृषि जन्म तथा अन्य साध्य पदार्थों की उत्पत्ति पर 'अमागत-हास नियम' का दीर-दीरा है। उद्योग धर्मों की भी विशेष उन्नति नहीं देल पड़ रही है। पर्याप्त शिक्षा के अभाव के कारण जनता में जन्म संख्या की वृद्ध को रोकनेवाले मनुष्य कृत उपायों के अवलम्बन का भी प्रचार नहीं है। इसीलिए जहाँ एक ओर जन्म-संख्या की वृद्धि हुई है, तो दूसरी ओर उसे रोकने के लिए प्रकृति ने दुमिष्ट, महामारी तथा अन्य आकस्मिक आपत्तियों का अवलम्ब भी ग्रहण किया है।

कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि इस समय तो समस्त सभार में ऐसी परिस्थिति नहीं उत्पन्न हुई कि जन्म संख्या को देखते हुए कृषि-जन्म अथवा अन्य प्रकार के साध्य-पदार्थों की उत्पत्ति में कमी हो। क्योंकि यदि एक स्थान पर कमी हुई भी है, तो दूसरे स्थान की वृद्धि से उसकी पूर्ति हो गयी है। किन्तु भविष्य के लिए यह एक विचारणीय प्रश्न अवश्य है। क्योंकि योरोप में इस

समय जो युद्ध चल रहा है, उत्तराख्यापी शान्ति और सुख को भित्तिपूँ उसके द्वारा एक बार कम्पित हो उठी हैं। राष्ट्रों का परस्पर मौहार्द नष्ट हो गया है। और आश्चर्य्य नहीं कि यातायात के साधनों के सुलभ रहने पर भी एक समय ऐसा आजाय, जन जन्म संख्या वृद्धि की ओर ध्यान न देनेवाले देश, मालथस के सिद्धान्तानुसार, प्रकृति द्वारा प्राप्त होनेवाली आपत्तियों के शिकार होते रहें, जैसा कि इस समय प्रत्यक्ष रूप से देख पड़ रहा है।

मोहन—पर यह तो हुई जगधीती। अब आपनीती कहिये। मेरा मतलब यह है कि अपने देश की स्थिति इस समय, इस सम्बन्ध में, आपको कैसी जान पड़ती है ?

चाचा—अपना देश गर्भ है। कृषि ही यहाँ का एकमात्र धन्धा है। साधारण जनता अशिक्षित है। अधुन-पुरातन कुप्रथाओं और रुढ़ियों का प्रचलन उनमें अभी तक बना हुआ है। एक ओर कन्या का विवाह यदि अनिवाय्य समझा जाता है तो बुररी ओर कहा जाता है कि पुत्र लाभ के बिना गति अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। सर्व देशों की अपेक्षा, अपने इस गर्भ देश में, सन्तानोत्पत्ति की योग्यता भी जल्दी हो जाती है। इन बातों का दुष्परिणाम—जन्म संख्या की वृद्धि—यहाँ अनिवाय्य है ॥

मोहन—पर हमारे देश में जनन शक्ति की सम्यक्ता जहाँ जल्दी होती है, वहाँ यह जल्दी हास को भी प्राप्त हो जाती है।

चाचा—इसके सिवा हमारे यहाँ विधवा-विवाह अभी प्रचलित नहीं हो पाया है। जनता में पुरातन सस्कारों का प्रभाव अभी तक कायम है। और एक तरह से जन-संख्या की वृद्धि में देश काल परिस्थिति और सस्कार जन्य निषेध एक प्रतिबन्ध है। तो भी हमारे देश में जन संख्या की वृद्धि ही हो रही है। पर सर्व देशों में विवाह बड़ी उम्र में होते हैं। यहाँ जनन शक्ति भी गर्भ देशों की अपेक्षा अधिक काल तक रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि यहाँ की जन्म-संस्था स्थिर रहती है। जो बालक जन्म ग्रहण करते हैं, वे मरते बहुत कम हैं। फिर यहाँ स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और स्वाभाविक विकास के साधन भी सुलभ हैं। वे सम्प, धनी, व्यवसायी और ऊँचे दर्जे के रहन-सहन में हमारे

देश की अपेक्षा बहुत आगे हैं। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि जन्म-संख्या की अपेक्षा वहाँ पर मृत्यु-संख्या और भी कम होती है। तात्पर्य यह कि जहाँ जन्म-संख्या में कमी होगी, वहाँ मृत्यु-संख्या में, अनुपात से, और भी कमी होगी। यह राष्ट्र का एक बहुत बड़ा लाभ है। एक ओर इससे अपव्यय नहीं होने पाता और दूसरी ओर नारी-शक्ति की क्षीणता और उसके कष्टों का परिमाण कम होने से जन-स्वस्थ में जो वृद्धि होती है, वह देश की उन्नति में बहुत सहायक होती है।

मोहन—देश की स्वतंत्रता भी जन-संख्या-वृद्धि पर असर डालती होगी।

चाचा—हाँ देश की राजनैतिक परिस्थिति का प्रभाव इस वृद्धि पर थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है। देश यदि स्वाधीन होगा, तो जनता के लिए आर्थिक के साधन पराधीन देशों की अपेक्षा अधिक मुलभ होंगे। शिक्षा की उन्नति, स्वास्थ्य रक्षा और चिकित्सा के साधन भी वहाँ पर्याप्त मात्रा में हो सकते हैं। जनता की आर्थिक स्थिति अच्छी होने का असर उसने रहन-सहन पर पड़ता ही है। इन सब बातों का फल यह होता है कि वहाँ जन-संख्या का अनुपात पराधीन देशों की अपेक्षा कम होता है। सरकार अगर चाहे, तो देशोन्नति की दृष्टि से, जन-संख्या को वृद्धि पर विविध कर्तव्यों द्वारा हतोत्साह करके अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक प्रतिबन्ध भी लगा सकता है।

इसके सिवा कभी राजनैतिक आन्दोलन शुरू हो जाते हैं, तो लाखों की संख्या में जनता जेल में रहती हैं। कहीं कहीं उपद्रव होते हैं, तो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र-कर्मों अपना जीवन भी उत्सर्ग कर देते हैं। स्त्रियाँ भी जेल जाती हैं। ऐसे अवसरों पर जनन की न तो विशेष सुविधाएँ रहती हैं, न ऐसे समय सस्ते भावावेगों की गुणाइश ही अधिक रहती है। इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर होने की परिस्थिति में स्वभावतः जन-संख्या की वृद्धि रुक जाती है।

मोहन—परन्तु देश की जन-संख्या की वृद्धि को रोकना क्या सर्वथा लाभदायक ही होता है ?

चाचा—इस विषय में सब से अधिक विचारणीय बात यह है कि अधिक सन्तान पैदा करके मृत्यु-संख्या की वृद्धि करने की अपेक्षा राष्ट्र का हित इसमें

कहाँ अधिक है कि सन्तान चाहे कम पैदा हो, पर जो हों, वे नीरोग स्वस्थ शिक्षित और नीर हों। इसके लिए, हमें नाशकारी अर्ध पुरातन परम्पराओं को, दमन करना चाहिए। बाल विवाह को रोकने की ओर ध्यान देने की उड़ी आवश्यकता है। हमारे यहाँ विशेष रूप से स्त्रियाँ सन्तान सुख के लिए बहुत लालामित रहती हैं। उन्हें इतना शिक्षित बनाने की आवश्यकता है कि वे स्वास्थ्य रक्षा की ओर विशेष ध्यान दें और संख्या में चाहे कम प्रकार में हृष्ट पुष्ट तथा नीर सन्तानों की जननी बनें। हमारे यहाँ घनी मानी समुदाय में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। परन्तु यसार के अन्य देशों के सम्पन्न पुरुष अपने रहन सहन का दजा उत्तम रखकर स्वच्छन्द जीवन बिताने और व्यवसाय, शिल्प तथा कला-कौशल की ओर ध्यान देकर राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने में अग्रसर होते हैं। उन्नत देशों में जन संख्या की वृद्धि को रोकने के लिए राजकीय प्रतिबन्धों की भी शरणा ली गयी है। वहाँ पर कानून द्वारा उन लोगों को, जो मानसिक तथा शारीरिक महात्वाधियों के शिकार हैं और जिनके सम्बन्ध में यह भय रहा है कि उनकी सन्तान अत्यन्त कमजोर तथा रोगी होगी, सन्तान उत्पन्न करने के अयोग्य बना दिया गया है। कहा जाता है कि जर्मनी में यह प्रयोग सबसे पहले किया गया था। बहुतेरे आदिमियों की परीक्षा की गयी और जो लोग इस दृष्टि से योग्य, स्वस्थ और नीरोग सन्तान पैदा करने में अयोग्य सिद्ध हुए, उन्हें सर्वथा नपसक कर दिया गया।

पर यह प्रयोग वहाँ एक ओर देश की आर्थिक और नैतिक हानि की रक्षा के लिए उचित कहा गया है, वहाँ दूसरी ओर कुछ विद्वानों का मत है कि इस तरह जन संख्या की वृद्धि को कृत्रिम प्रतिबन्धों से रोकना समाज के लिए कम हानिकार भी नहीं है।

आश्चर्य से उड़लकर मोहन बाल उठा—अच्छा ! यह बात वे किस आधार से कह पाये !

चाचा—उनका कहना यह है कि स्वच्छन्द जीवन बिताने की लालसा का यह दुष्परिणाम होना सर्वथा स्वाभाविक है कि लोग बड़ी उम्र में, उस समय विवाह करें, जब वे सन्तान के लिए अधीर हो जायें। स्वभावतः जब उनके जो बच्चे होंगे, उनका लालन पालन इस तरह किया जायगा कि वे

बहुत मुकुमार होंगे । उनमें उचित साहस और धनोत्पादन की योग्यता भी कम होगी । इसका प्रभाव साधारण जनता के लिए अहितकर होगा । जन्म सख्या की वृद्धि को कृत्रिम प्रतिबंधों द्वारा रोकने से व्यभिचार की वृद्धि होने की भी संभावना रहती है ।

इसके सिवा राष्ट्र की रक्षा के लिए भी एक भीषण समस्या कभी न कभी अवश्य उपस्थित हो सकती है । यदि जन सख्या की वृद्धि सकारक दक जाय, तो सैनिक शक्ति की वृद्धि में बहुत बड़ी अड़चन उपस्थित हो जायगी । एक ओर देश विलास प्रिय हो जायगा, दूसरी ओर वह सैनिक शक्ति में पूर्ण समर्थ न होने के कारण दूसरे देशों का सामना भी न कर सकेगा ।

मोहन—हाँ, इस दृष्टि की ओर इस समय मेरा ध्यान ही नहीं था ।

चाचा—पर जन-सख्या-वृद्धि का एक उपाय और है । वह है—आवास-प्रवास । अर्थात् देश से बाहर जाकर बसनेवाली सख्या से उन लोगों की सख्या का अधिक होना, जो विदेशों से आकर अपने देश में बस जाते हैं । स्वभावतः आदमी अपने ही देश में अगने ही वन्धु-बान्धवों के सामने रहकर उत्पत्ति करना चाहता है । पर कभी केवल शिक्षा और भ्रमण के लिए, और कभी द्रव्योपार्जन के लिए वह विदेश भी जाता है । इन्हीं लोगों में कुछ लोग वहाँ जाकर पहले कुछ काल के लिए और फिर सदा के लिए बस जाते हैं । कुछ लोग धर्म प्रचार और देश की राजनैतिक समस्याओं को सुलभाने के उद्देश्य से भी जाते हैं । इनमें से धर्म-प्रचार करनेवालों को तो वहाँ बस जाना भी पड़ता है । इसका फल यह होता है कि वे स्वदेश छोड़कर विदेश की जन-सख्या बढ़ाने लगते हैं । ऐसी स्थिति में अगर बाहर से आकर बसनेवाले व्यक्ति, देश से बाहर जानेवालों की सख्या से अधिक हों, तो जन सख्या की वृद्धि का क्रम भग नहीं दगा । परन्तु तब एक अनुविधा और हो सकती है । जो लोग बाहर से आकर बसते हैं, उनके स्वार्थ उस देश के मूल निवासियों से भिन्न होते हैं । प्रारम्भ में वे लोग अपना स्थान जमाने के उद्देश्य से कुछ दबे रहते हैं । पर कालान्तर में ज्योंही वे शक्तिवान हो जाते हैं, त्योंही उस देश की मूल जनता की उत्पत्ति और धनोत्पत्ति में बाधक सिद्ध होते हैं ।

मोहन—जान पड़ता है, इसी भय की आशंका से कुछ देश बाहरवालों—

के लिए प्रवेश नियेष करने पर तत्पर हो गये हैं। किन्तु दोनों पक्ष की बातों को ही आपने बतला दिया। पर अब यह जानना मेरे लिए अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि आन्विरकार जन सख्या की वृद्धि के सम्बन्ध में आर्थिक आदर्श क्या है।

चाचा—दुम्हारा मतलब शायद यह है कि देश में आर्थिक दृष्टि से कितनी जन सख्या होनी चाहिये।

मोहन—हाँ।

चाचा—बात यह है कि जन सख्या कम होने पर भी वैज्ञानिक प्रयोगों और आविष्कारों के कारण धनोत्पत्ति की मात्रा बढ़ती जा सकती है। दूधरी और वह भूकम्प तथा बाढ से गभट भी हो सकती है। इसलिए निश्चित रूप से सदा के लिए तो यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक देश की इतनी जन-सख्या होनी चाहिए। किन्तु साधारण रूप से इतना कहा जा सकता है कि एक निश्चित समय और निश्चित परिस्थिति में किसी देश की जन सख्या उतनी होनी चाहिए कि देशवासियों की प्रतिव्यक्ति औसतधाय अधिक-से अधिक हो सके।

मोहन—जरा और स्पष्ट करके कहिए।

चाचा—अर्थात् जिस हद तक यह शात रहे कि जन सख्या बढ़ने से प्रति-व्यक्ति औसतधाय बढ़ती रहेगी, उस हद तक जन सख्या बढ़ने देना उचित है।

मोहन—मतलब यह कि जब जन सख्या इतनी अधिक हो जाय कि लोगों को अपनी आर्थिक उन्नति करने में बाधा प्रतीत हो, और स्पष्ट जान पड़ने लगे कि अब आगे द्रुतरा है, तब लोगों को चाहिए कि वे धनोत्पत्ति की ही ओर विशेष रूप से ध्यान दें और जन सख्या की वृद्धि को तत्काल रोक दें।

चाचा—हाँ अब तुम समझ गये।

मोहन—अच्छा तो, अब जन सख्या की वृद्धि को रोकने के सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं ?

चाचा—अ—जनता में इस बात के ज्ञान का अधिकाधिक प्रचार होने की आवश्यकता है कि रहने सहने का दर्जा उन्नत बनाने, साफ़ मकानों में रहने, उच्चम भोजन पाने, स्वच्छ वस्त्र पहनने और अपनी सन्तान को शिक्षित, सम्प, वीर और साहसी बनाने की ओर विशेष ध्यान दें।

✓—बालक-बालिकाओं को अपनी सस्कृति के अनुसार ऐसी उच्च शिक्षा देने का आयोजन किया जाय जिससे वयस्क होने पर वे अपने उत्तरदायित्व से परिचित हों। वे संयमी और दूरदर्शी बनें और अधिक सतान न पैदा कर कुछ थोड़ी सतान पैदा करें, ताकि वे नीरोग, स्वस्थ, साहसी और धीर हों।

✓स—बालक-बालिकाओं के विवाह की आयु बड़ा दी जाय। साथ ही एक निश्चित आयु के पश्चात् विवाह करना कानूनन अवैध कर दिया जाय।

✓द—ऐसे कमज़ोर, पुश्तैनी रोगी, अत्यन्त दीन, पागल तथा शारीरिक एवं मानसिक विकार-ग्रस्त लोगों का विवाह कानून से वर्जित कर दिया जाय जिनकी सतान स्वस्थ तथा योग्य होने की कम सम्भावना हो।

✓इ—उन्हीं बाह्य लोगों को अपने देश में रहने और बसने की अनुमति दी जाय, जो इसी देश की धनोत्पत्ति में अपना हित अनुभव करने की तैयार हों और जिनकी योग्यता तथा शक्ति से हमारे देश की भी समृद्धि की वृद्धि की सम्भावना हो।

उस दिन यह वार्तालाप वहीं समाप्त हो गया। किन्तु दूसरे दिन आये हुए पत्र द्वारा मोहन ने अपने चाचा को बतलाया कि रामार्थान का जो बड़ा लड़का बीमार था, उसका स्वर्गवास हो गया!



सत्ताईसवाँ अध्याय

श्रम की कुशलता

गदाधर एक मल्लाह है। गंगा के किनारे उसका नाव पड़ी रहती है। वह उस पर यात्रियों की प्रतीक्षा में सवेरे से तासरे पहर तक बैठा रहता है। जब कोई यात्री आकर सैर करना चाहता है तो उससे अपनी मेहनत तै करके वह उसे इच्छानुसार गद्गा की धारा पर घुमाता है। आज उसी की नाव पर बैठकर मोहन और उसके चाचा, दोनों गंगा की घेर करने निकले हैं।

साढ़े पाँच बजने का समय है। इरादा है कि दोनों कम से कम एक घण्टा घूमेंगे और संध्या होते होते घर लौट आयेंगे।

गदाधर दोनों दाधों से डाड खे रहा है। घाट से उत्तर की ओर जाते हुए अभी गौड़ी घेर हुई होगी, किन्तु गदाधर के मस्तक, गले, कंधे और बाहुओं से पसीना छूट रहा है। मोहन ने ज्योंही उसे इस दशा में देखा, त्योंही उसने कह दिया—चाचा, मल्लाह की वास्तव में श्रम पड रहा है। देखिये, कितनी जल्दी पसीना आ गया।

चाचा बोले—हाँ, श्रम तो फिर पडता ही है। पैसा भी तो श्रम से ही मिलता है। श्रम न पड़े, तो लोग पैसा क्या दें ? किन्तु अर्थशास्त्र में इस प्रकार के श्रम को साधारण श्रम माना गया है।

मोहन—अच्छा, तो कोई श्रम अर्थशास्त्र में असाधारण भी माना जाता होगा ?

चाचा—मारम्भ में श्रम के जो दो भाग किये गये हैं। इनमें पहला साधारण श्रम है, दूसरा कुशल श्रम। जिस श्रम के करने में किसी विशेष शिक्षा अथवा अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे साधारण श्रम और

जिस प्रकार के श्रम से कोई ऐसा काम किया जाता है, जिसमें विशेष योग्यता आवश्यक होती है, उसे कुशल श्रम कहते हैं।

मोहन—आपका अभिप्राय शायद यह है कि जिस श्रम में मानसिक शक्तियाँ अधिक मात्रा में लगती हैं, उसे हम कुशल श्रम कह सकते हैं। जैसे माटर चलाने वाला ड्राइवर। उसे भीड़ में से मोटर निकालनी पड़ती है। यन्त्रों पर अधिकार रखने के साथ-साथ उसे सड़क की स्थिति की ओर भी ध्यान रखना पड़ता है।

चाचा—किसी हद तक तुम्हारा अनुमान सही है। किन्तु यहाँ साधारण और कुशल दोनों सापेक्षिक शब्द हैं। इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। देश और काल का भेद साधारण श्रम को कुशल और कुशल श्रम को साधारण बना देता है। अपने देश के मामूली नगरी और क़स्बों में मोटर-ड्राइवर को लोग कुशल श्रमजीवी कहते हैं। किन्तु कलकत्ता, बम्बई जैसे विशाल नगरों तथा पश्चिमी देशों में यह कार्य साधारण श्रम की श्रेणी में माना जायगा।

मोहन—किन्तु फिर भी श्रम की कुशलता का कुछ न-कुछ आधार तो होगा ही।

चाचा—यह बड़ा पेचीदा प्रश्न है। एक ही देश, जाति, स्थान तथा घर तक के निवासियों में, कार्य करने की कुशलता के सम्बन्ध में, प्रायः बहुत भेद पाया जाता है। कोई अधिक कुशल होता है, कोई कम। पर ऐसा क्यों होता है, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। यह प्रतिभा और गुण बहुत कुछ प्रकृति दत्त होता है। फिर भी साधारण रूप से यही कहा जा सकता है कि यह कार्य कुशलता श्रमजीवियों के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक तथा नैतिक गुणों के अनुसार होती है। इसके सिवा जलवायु का भी थोड़ा-बहुत सम्बन्ध रहता है।

मोहन—जलवायु का भी कार्य कुशलता से सम्बन्ध होता है, यह श्रमजीवियों के आपने बतलाई।

चाचा—यात यह है कि एक तरह से यह मान लिया गया है कि अधिक गर्मों या सर्दों जिन देशों में पड़ती है, वहाँ कार्य कम होता है। इस दृष्टि

से सम शशीतोष्ण जलवायु अधिक अयस्कृत मानी जाती है। पारचात्य लेखक मानते हैं कि गर्म जलवायु वाले देशों में शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विशेषताओं का हास हो जाता है और वहाँ के श्रमजीवियों की कार्य-कुशलता साधारणतया मन्द रहती है। किन्तु यह बात अतिरजन से पूर्ण है। गर्म देशों के कितने ही निवासी ऐसे कठोर परिश्रमी होते हैं कि समशीतोष्ण जलवायु के व्यक्ति कभी उतना काम कर नहीं सकते। बात यह है कि कोई व्यक्ति कितना काम कर सकता है, यह बहुत कुछ उस व्यक्ति की प्रकृति, उसके अभ्यास और उस स्थान के वातावरण पर निर्भर करता है।

मोहन—जलवायु की दृष्टि से नगरों की अपेक्षा ग्राम फिर भी अच्छे होने हैं।

चाचा—हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है। किन्तु आजकल 'ग्राम' शब्द से हमारा ध्यान देहात की उन गद्दी गलियों की ओर जा पहुँचता है, जहाँ न तो सजाई देर पड़ती है, न अच्छे, साफ सुधरे और हवादार मकान मिलते हैं। गलियों में जिस स्थान से लोग आते-जाते हैं, प्रायः वह स्थान भी बदबूदार नाली के काँचड़ से भरा मिलता है। परों के पास ही लोग कूड़ा डालते हैं। पशुओं के बाँधने की जगहें विशेष रूप से बहुत गद्दी होती हैं। इस कारण सच पूछो तो हमारे ग्रामों का जलवायु भी उतना उत्तम नहीं हो सका है, जितना होना चाहिए। किन्तु फिर भी जो ग्राम बड़े-बड़े नगरों के समीप हैं, वहाँ की जलवायु वास्तव में उत्तम है। सम्पन्न लोग प्रायः वहीं अपने सुन्दर भ्रमण बनवाकर रहते हैं। यहाँ तक कि अनेक श्रमजीवी लोग भी काम शहर में करते हैं, किन्तु रहते ग्राम में हैं। और इस कारण उनमें कार्य-कुशलता उचित मात्रा में रहती है। किन्तु जलवायु के सिवा जातीय रहन-सहन और स्वास्थ्य का भी कार्य-कुशलता से विशेष सम्बन्ध रहता है।

मोहन—अच्छा, जातीय रहन-सहन भी कार्य-कुशलता में सहायक हो सकता है।

चाचा—प्रायः हम देखते हैं कि कितनी एक जाति का श्रमजीवी, दूसरी जाति के श्रमजीवी की अपेक्षा कुछ कार्य-कुशलता अधिक रखता है। मुख्यरूप इसका कारण जान पड़ता है उसकी वह प्रतिभा और परिश्रमशीलता है, जो उसके पूर्वजों में स्वास्थ्य और योग्यता के कारण रहती आयी है। इसके

साथ-साथ रुचिकर पौष्टिक भोजन तथा रहन-सहन का भी इसमें बहुत कुछ भाग रहता है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग दरिद्र हैं, जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिला, गंदे स्थानों में रहने के कारण जिनका स्वास्थ्य नष्ट हो चुका है, उनकी सन्तान न तो परिश्रमी ही उतनी होती है, न योग्य, जितनी उन लोगो की, जिन्हें समय पर पौष्टिक भोजन मिला है और जो स्वास्थ्यकर स्थान में रहे हैं। शीतप्रधान, उष्णप्रधान तथा समशीतोष्ण प्रधान प्रदेशों के उन निवासियों को, जो शारीरिक अथवा मानसिक श्रम करते हैं, रुच पूछो तो भिन्न भिन्न प्रकार के भोजनों (खाद्य पदार्थों) के ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। हमारे ही देश में अधिकांश श्रमजीवी लोग बिना सोचे समझे, केवल रसना की तृप्ति के लिए ऐसे गरम भिर्च मसाले से पूर्ण शाक, दाल तथा चटनी खाते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए सर्वथा हानिकारक होती है। अनेक मिठाइयाँ भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। असल में भोजन के सम्बन्ध में हमारा मुख्य ध्यान इस बात की ओर रहना चाहिए कि वह हमारे शरीर और मस्तिष्क को शक्ति के लिए-सुष्टिकारक हो, जो जल्दी हज़म हो जाय और सब प्रकार से हमारी कार्य गति की वृद्धि में सहायक हो। केवल भोजन ही नहीं, बल्कि के सम्बन्ध में हमारी दृष्टि पैशन और प्रदर्शन की ओर न होकर शरीर रक्षा, सम्यक्ता और स्वच्छता की ओर रहनी चाहिए।

मोहन—किन्तु जब तक लोग शिक्षित नहीं होते, तब तक वे इन बातों की ओर ध्यान देंगे इसमें सन्देह है।

चाचा—हाँ, तुम्हारा कहना ठीक ही है। धनोत्पत्ति में श्रमजीवी की मानसिक क्षमता बड़ी सहायक होती है। यों तो थोड़ी बहुत मानसिक योग्यता सभी कार्यों के लिए आवश्यक होती है। परन्तु शिल्प तथा व्यवसाय की उन्नति तो इसके बिना सम्भव नहीं है। बात यह है कि यह कार्यक्षेत्र ही ऐसा है कि इसमें विचार करने, याद रखने और अनेक समकक्ष अवस्थाओं में से एक को चुनकर निर्णय देने की आवश्यकता इसमें विशेष रूप से पडा करती है। और जब तक श्रमिक को यथेष्ट शिक्षा नहीं मिली रहती, तब तक उसमें इन गुणों का उदय होना असम्भव है।

परन्तु शिक्षा भी दो प्रकार की होती है। एक साधारण—दूसरी विशेष। मानसिक शक्तियों के विकास और नैतिक गुणों की वृद्धि के लिए साधारण शिक्षा तो सब के लिए आवश्यक है। किन्तु भूमिक के कार्य-क्षेत्र को देखते हुए उस विषय की विशेष शिक्षा का प्रबन्ध होना तो और भी अधिक आवश्यक है। किसान, व्यापारी, कारीगर, शिल्पकार तथा लेखक आदि सब की शिक्षा का प्रबन्ध जब तक पृथक्-पृथक् और समुचित रूप से न होगा, तब तक धनोत्पत्ति-सम्बन्धी कार्य-कुशलता की वृद्धि होना अत्यन्त कठिन है। इस समय प्रत्येक सम्य देश में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य है। किन्तु कितने खेद की बात है कि इस समय भी हमारे देश का अधिकांश भाग इस आवश्यकीय लाभ से वंचित है।

इसके सिवा धनोत्पत्ति के लिए भूमिकों में नैतिक गुण होने की भी बड़ी आवश्यकता है।

मोहन—अर्थात् आप यह बड़ना चाहते हैं कि प्रत्येक भ्रमजीवी को अपने जीवन में साधु प्रकृति का होना चाहिए।

चाचा—नहीं, मेरा मतलब यह है कि भूमिक अगर अपने तर्ह सचा और ईमानदार होगा, तो वह जो भी कार्य करेगा, मन लगा कर करेगा। और इसका परिणाम यह होगा कि अपने काम में सफल होकर धनोत्पत्ति की वृद्धि में सहायक होगा। प्रायः देखा गया है कि भूमिक लोग निरीक्षक की उपस्थिति में तो अच्छी तरह काम करते हैं, पर उसके पश्चात् फिर उनकी गति मन्द पड़ जाती है। पर यदि वे सचे होंगे और अपनी जिम्मेदारी का अनुभव कर सकेंगे, तो निरीक्षकों की कोई विशेष आवश्यकता ही न रह जायगी। इसका फल कारखाने को उस निरीक्षक पर दार्च होनेवाली रकम की बचत के रूप में मिलेगा। इस तरह वे कारखाने के मालिक का विश्वास तथा उसको सहानुभूति पाने के अधिकारी होंगे और अन्त में ये बातें देश की (और उनकी व्यक्तिगत) धनोत्पत्ति में अवश्य सहायक होंगी।

मोहन—किन्तु प्रश्न यह है कि जब तक भूमिकों को अपनी आय से सन्तोष नहीं होता, तबतक उनमें इतनी नैतिकता कैसे आ सकती है।

चाचा—आयके प्रति सन्तोष रहना तो मुख्य है। किन्तु भ्रम के सम्बन्ध

में, जहाँ वे कार्य करने को विवश किये जाते हैं, अर्थात् जो वेगार में कार्य करते हैं, उनका कार्य उत्तम कैसे हो सकता है ! सभार में जितने भी सम्य देश हैं, इस समय लगभग सभी जगह वेगार की प्रथा उठा दी गयी है। किन्तु बड़े खेद की बात है कि हमारे देश में अब भी यह प्रथा समूल नष्ट नहीं की गयी ! मनुष्यता का यह सत्र से बड़ा अपमान तो है ही। इसके सिवा धनोत्पत्ति की दृष्टि से भी यह प्रथा कम हानिकारक नहीं है।

मोहन—वेगार में काम करनेवाला श्रमिक कभी कोई काम तद्विषय से करही नहीं सकता।

चाचा—बात यह है कि जबतक श्रमिक को इस बात की आशा नहीं होती कि इस कार्य को अच्छी तरह करने से मुझे यह लाभ होगा, मेरी इस तरह उन्नति होगी, तब तक श्रमिक न तो परिमाण में अधिक कार्य करेगा न गुण की दृष्टि से उत्तम। जबतक उसे यह मालूम रहेगा, उसमें यह बात समायी रहेगी कि मैं चाहे जितना अच्छा, सुन्दर से सुन्दर कार्य करूँ, मेरी स्थिति में सुधार होना सम्भव नहीं है, तब तक वह उत्तम कार्य कभी कर ही नहीं सकता। यही कारण है कि जिने-लोगों को एक निश्चित वेतन मिलता है, वे उतना ही काम करते हैं जो चाहे जितना घटिया या कम हो, पर नौकरी बनी रहने के लिए पयेष्ट हो। इसीलिए सरकारी अथवा अर्ध सरकारी अनेक संस्थाओं, कार्यालयों और कारखानों में काम के प्रकार और परिमाण को देखकर वेतन, विशेष पुरस्कार, प्राविडेंट फंड अथवा पेंशन की व्यवस्था की जाती है। प्रेस के काम, मकान तथा सड़क बनवाने और नहरों की खुदाई करवाने में, जब कभी काम के परिमाण को ध्यान में रखकर मजदूरी दी जाती है, तब काम अधिक अच्छा और जल्दी होता है।

मोहन—किन्तु मकान अथवा सड़क बनवाने में टेक्नेदार लोग अक्सर सामान द्वारा और सस्ता लगाकर कार्य-कुशलता को हानि भी तो पहुँचाते हैं।

चाचा—तभी तो इसके निवारण के लिए अनेक व्यक्ति सामान अपना देते हैं और ठेका केवल भ्रम का रहता है।

किन्तु इस विषय में हमारे देश के किसानों की हालत वास्तव में शोचनीय है। वे भ्रम करते हैं, किन्तु बहुधा वेमन से। सदियों से वे दखिना,

बेगरी और अत्याचारों की चक्की में मिसते चले आये हैं। उनमें उत्साह नहीं है। मरभुली के कारण अपनी शिकायतों तक को ठीक ढङ्ग से कह सकने की शक्ति उनमें नहीं रह गयी है। सालभर की मेहनत के बाद जो थोड़ा-बहुत वे पैदा कर पाते हैं, वह ऋण के भुगतान के रूप में खलिहान से ही सोपा ज़मीदार अथवा मदानन के यहाँ उठ जाता है। एक ओर ज़मीदार उन्हें पीसते हैं, दूसरी ओर सरकार। सरकार को भी उनकी दशा में सुधार करने की न तत्परता है, न हुरती। ऐसी दशा में कार्य-कुशलता की वृद्धि की आशा उनसे क्या की जा सकती है? धर्मिक को अपने धर्म का प्रतिफल जब तक शीघ्र और उचित परिमाण में मिलने की आशा नहीं रहती तब तक उसकी कार्य-कुशलता कभी बढ़ नहीं सकती। इस दृष्टि से आवश्यकता इस बात की है कि भूमि पर मूलतः किसानों का अधिकार रहे।

गदाधर मोहन तथा उसके चाचा का वासुकी नाग के बराबर तक ले आकर लौट रहा था और नाव अब फिर लगभग उसी स्थान पर आ रही थी, जहाँ उसने उन्हें बैठाया था। अतएव मोहन के चाचा ने कहा—बस धर्म की कुशलता-वृद्धि के सम्बन्ध में अब केवल दो बातें हमें और बतलानी हैं। एक तो कार्य-क्रम की विभिन्नता और दूसरी समुक्त कुटुम्ब-प्रणाली। बात यह है कि दिन पर दिन, मास पर मास, साल दर साल एक ही प्रकार की कार्य-शैली रखने के कारण जीवन में एकरूपता जन्य नीरसता आ जाती है। इससे भी कार्य-कुशलता का हास हो होता है। इसीलिए कल-कारखानों में बीच में घन्टे आय घन्टे की हुरती की व्यवस्था की जाती है। आफ़िसों में ऐसी व्यवस्था अगर नहीं है, तो काम करने के घण्टे तो कम होते हैं। इसके सिवा यहाँ के बाबू लोग जब चाहें तब दस-पाँच मिनट के लिए वार्तालाप तथा जलपान करने की स्वतंत्रता तो रखते ही हैं। एक ही प्रकार का कार्य करने की नीरसता के निवारण के लिए यह भी आवश्यक है कि धर्मिक जिस काम को कर सके, उस प्रकार का कोई दूसरा कार्य, उसी से मिलता-जुलता हुआ, उसे दे दिया जाय। इस तरह भी श्रम की कुशलता की वृद्धि हो सकती है।

अब रह गयी समुक्त कुटुम्ब-प्रणाली। जो, इसके यह एक लाभ तो

अवश्य होता है कि जिनके माता-पिता नहीं रहते, उनका भी भरण-पोषण हो जाता है। किन्तु सब से बड़ा एक दोष इसमें यह होता है कि परिवार में कोई एक व्यक्ति अच्छी आमदनी करने लगता है, तो अन्य लोग, थालसी, सैर ज़िम्मेदार और निकम्मे हो जाते हैं। अतएव रुपया-पैसा पैदा करनेवाला व्यक्ति उदाराशय और परोपकार-वृत्ति का न हुआ, तो यह कार्य-कुशल उचित अंशों में नहीं रह पाता। इन्हीं सब कारणों से, जिनमें आर्थिक दृष्टिकोण मुख्य है, आजकल हमारे देश से संयुक्त कुटुम्ब प्रथा का लोप होता जा रहा है।

मोहन के चाचा ने उतरकर साढ़े तीन आने जैसे गदाघर के हाथ पर रख दिये। पैसा देते हुए उन्होंने कहा—दो जैसे इनाम के हैं। तुमने हमको खूब घुमाया।

गदाघर इकटक इन लोगों को देखता रह गया। ऐसा अवसर उसके जीवन में कम आया था।

घर की ओर चलते हुए मोहन ने कहा—चाचा, आपने तो कहा था कि इसका धर्म साधारण है; किन्तु इनाम देकर तो आपने उसे कार्य-कुशल बना दिया।

चाचा ने उत्तर दिया—बस, ये दो जैसे मैंने तुमसे यही बात मुनने के अभिप्राय से उसे दिये हैं।



अट्टाईसवाँ अध्याय

श्रम-विभाग

— — — — *

बड़ीनाथ जी के यहाँ और तो सब प्रबन्ध अच्छा था, पर एक बात की फिर भी कमी थी। और वह यह कि परोसनेवाले केवल रामदयाल ही थे।

वे जबतक एक चीज़ इधर से उधर तक परोस पाते थे, तब तक इधरवाले व्यक्तियों के पास कोई-न-कोई चीज़ समाप्त हो जाती थी। वे बैठे रहते थे और कभी एक-दूसरे का मुँह ताकते थे और कभी परस्पर फुसफुसाने लगते थे। मैंने कहा भी कि मैं आपकी मदद कर दूँ। किन्तु वे बोले—नहीं, मैं परोस लूँगा। कौन बहुत भारी जमाव है।

बिहारी—यह उनकी भूल थी। असल बात यह है कि उन्हें श्रम-विभाग के लाभालाभ का ज्ञान नहीं है।

राजाराम—आपकी तरह वे कोई अर्थशास्त्री तो हैं नहीं। उन्हें क्या पता कि श्रम-विभाग नाम किस चिड़िया का है!

बिहारी—वे तो नासमझ हैं ही। तुम भी कम अबोध नहीं हो। श्रम-विभाग कोई आम नहीं है, जो अनावश्यक रूप से किसी मुसाफिर के मुँह पर आ टपका हो। आदिकालीन मनुष्य समाज जब जंगल का रहना त्यागकर घर बनाकर रहने लगा, तो धीरे-धीरे वहाँ छोटी-मोटी बस्तियाँ बनीं। फिर वही बढ़कर गाँव हो गये। पहले वह केवल अपनी बनाई हुई वस्तुओं से काम चला लेता था। परन्तु फिर उसने अनुभव किया कि दूसरों की बनाई हुई वस्तुओं को लिये बिना उसका काम नहीं चल सकता। तब वह धीरे-धीरे एक ही तरह का काम करने लगा। उससे जो पदार्थ वह पैदा करता

वह विविध व्यक्तियों को देकर उनकी पैदा की हुई वस्तुएँ, अपनी आवश्यकता के अनुसार, उनसे लेने लगता। इस तरह समाज में कई प्रकार के पेशे प्रचलित हो गये। पीछे फिर उन पेशों में भी कई-कई भाग और उपविभाग होते गये। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति किसी एक पेशे के एक भाग का कार्य करता है, वे एक-एक विभाग अपने आप में पूर्ण होते हैं। वह जो चीज तैयार करता है, वे चीजें उससे आगे आनेवाले विभाग के व्यक्तियों के लिए कच्चे माल का काम देती हैं। इस तरह अ का पका माल ब का कच्चा माल हो जाता है। फिर ब जो माल तैयार करता है वह उसके लिए पका होकर स के लिए कच्चा होकर मलता है। इसी तरह अनेक उपविभागों के द्वारा कच्चा माल पका होते होते अन्त में अमीष्ट वस्तु तैयार हो जाती है। आज कल कल-कारखानों में यही काम बड़ी-से-बड़ी तादाद में होता है। उसमें श्रम विभाजन और भी अधिक सूक्ष्म हो गया है। केवल कपड़े बुनने की बात को लो, तो तुम्हें पता चलेगा कि यह कार्य लगभग अस्सी उपविभागों में विभक्त है। अस्तु, ऐसे युग में जो आदमी साधारण काम काज के अवसर पर श्रम-विभाग का काम नहीं उठाता, वह जगली है।

राजाराम—वद्रीनाथ जी को कोई कारखाना ता खोलना नहीं था, जो वे आपने क्यानासुआर श्रम विभाग करने बैठते। एक मामूली-सी दावत था, सो हो गई। यों वह आघ घण्टे में समाप्त होती। इस तरह एक घटा लग गया। इसमें उनका क्या ढगड गया? बल्कि उनकी तो कुछ मालूम भी न हुआ होगा। वे उस समय दातूल करने क लिए उठे होंगे! दस बजे तो उनकी सुबह होती है!

विहारी—इसीलिए कहना पन्था है कि ये सत्र असम्यता के श्रम हैं। श्रम विभाग से दूसरों को ही काम नहीं होता, अपने को भी होता है। उसका अभिप्राय ही यह है कि कार्य को ऐसे बहुत से उपविभागों में बांट दिया जाय जिससे काम जल्दी हो, अच्छा हो और उसकी उपयोगिता पूरे समाज को मिले।

राजाराम—अब तक तो मैं मन्वाक कर रहा था। लेकिन श्रम में वास्तव में श्रम-विभाग के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहता हूँ।

विहारी—साधारणतः इसके तीन रूप होते हैं । १—विविध पेशों अथवा कार्यों का पृथक्-पृथक् होना २—एक-एक पेशे अथवा कार्य के ऐसे विभाग करना, जो प्रत्येक अपने आप में पूर्ण हो । ३—फिर प्रत्येक में ऐसे उप-विभाग करना, जो अपने आप में पूर्ण हों । फिर उद्योग-वृत्तियों का स्थानीय प्ररण होता है । इसमें एक पेशे वाले बहुत से लोग विशेष जगह पर रहकर काम करते हैं । और जब भिन्न भिन्न पेशे वाले लोग एक स्थान पर बस जाते हैं, तब वही स्थान कस्बा और नगर बन जाता है । उस विशेष वस्तु को तैयार करने का वह एक केन्द्र कहलाता है । जैसे कपड़े तैयार के केन्द्र बंबई, अहमदाबाद तथा कानपुर हैं ।

राजाराम—हाँ, यह तो ठीक है । किन्तु इन शहरों का नाम तो अभी कुछ ही समय से अधिक हो गया है ।

विहारी—लेकिन श्रम-विभाग फिर भी अति प्राचीन है । यह जो अपने यहाँ आज भी स्त्रियाँ घर रहसगी का कार्य सम्हालती, बच्चों का पालन-पोषण और सारे परिवार के लिए भोजन बनाती हैं और यह जो पुरुष केवल जीविका सम्बन्धी कार्यों में ही निरन्तर दूबा रहकर द्रव्योपार्जन करता है, बता सकते हो, यह कब से प्रचलित है ?

राजाराम—हाँ, यह तो मेरा श्रयाल है, स्नातन से चला आ रहा है ।

विहारी—और अपने यहाँ जो वर्ण-व्यवस्था प्रचलित है कि शूद्र समाज की सेवा करे, वैश्य कृषि और वाणिज्य से समाज की सम्पत्ति बढ़ायें, क्षत्रिय समाज की रक्षा करें और ब्राह्मण ईश्वराराधन, ज्ञान-वर्चा और शिक्षक का कार्य करें, यह कब से प्रचलित है ?

राजाराम—यह भी पुरातनकाल से चला आ रहा है ।

विहारी—तो यह भी एक तरह से श्रम-विभाग ही है । इसका उद्देश्य प्रारम्भ में यही था । समाज को चार विभागों में बाँट दिया और प्रत्येक वही कार्य करें, जिसको वह अच्छी तरह से कर सकता है । हमारे यहाँ ये केवल चार ही वर्ण हैं । कार्य-कुशलता और प्रकृति के अनुसार इनका विभाजन हुआ था । बाद में जो व्यक्ति जिस घर में उत्पन्न हुआ, वह उसी जाति का कहलाया, चाहे कार्य-कुशलता और प्रकृति में वह अपने पूर्वजों से गोटा-बहुत

भिन्न ही क्यों न रहा हो। धीरे धीरे इन वर्गों में जातियों की संख्या बढ़ती गयी। और अन्त छोटी बड़ी सब मिलाकर हजारों जातियाँ, उप जातियाँ हो गई हैं। कहा जाता है कि अन्त भी कुछ जातियाँ ऐसी हैं, जिनकी संख्या कुछ सैकड़ों तक ही सीमित है। केवल स्थानान्तरित हो जाने के कारण कालान्तर में लोग विजातीय हो गये हैं। उनमें रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता।

राजाराम—लेकिन कहा जाता है कि इतना जाति भेद तो सामाजिक संगठन और एकता के लिए बाधक है।

विहारी—यह बाधा पुरातन नहीं है, नयी है और रोटी बेटी का सम्बन्ध न रहने के कारण है। लेकिन विचार करके देखो तो पता चलेगा कि वर्ण व्यवस्था के द्वारा जो भ्रम विभाजन हुआ था, वह कितना उत्तम था। आज भी जो हम ब्राह्मण लोग स्वभावतः शानचर्चा में लीन रहते हैं, केवल सत्यासत्य का अनुसन्धान हमें पसन्द आता है, क्या यह उसी भ्रम विभाग का फल नहीं है, जो वशानुक्रम से हमारे रक्त, गुण और कर्म में झलकता है ?

राजाराम—हाँ, यह तो आप ठीक कहते हैं।

विहारी—जाति में नितने भी आदमी होते हैं, वे सब मिलकर मानो एक सघ बन गये हैं। कितनी सहानुभूति वे सजातीय होने के कारण एक दूसरे से रखते हैं। यद्यपि अशिक्षा के कारण इससे कुछ हानियाँ भी हुई हैं। लोग आवश्यकता होने पर भी प्रायः स्थान और पेशा बदलना स्वीकार नहीं करते। जो लोग मीच जाति के मान लिये गये हैं, वे ऐसे कार्यों में लगा दिये जाते हैं, जिन्हें वे अपनी इच्छा से करना नहीं चाहते। कल-कारखानों में काम करनेवाले लोगों में अक्सर जो विरोध उत्पन्न होते हैं, उसका आधार भी जातिगत विरोध होता है। और इस प्रकार उनकी कार्य कुशलता का उपयोग नहीं हो पाता।

राजाराम—अच्छा, एक बात तो बतलाइये कि यह भ्रम विभाग होता कैसे है ?

विहारी—जब काम करनेवाला कोई एक आदमी न होकर, व्यक्तियों का एक समूह होता है, और उसके कुछ आदमी अलग अलग हिस्सों में बँट कर, अपने अपने भाग का एक तरह का कार्य, अलग अलग करते हुए अन्त

में उस कार्य को पूरा कर डालते हैं।

राजाराम—जैसे कुछ लोग मिलकर लुपर बनते अथवा कहा जाय कि पेड़ काटते हैं।

बिहारी—नहीं, उस अवस्था में तो सब लोग एक ही काम करते हैं। उनके भिन्न भिन्न विभागों में जो कार्य होते हैं, उन्हें दल के रूप में अलग-अलग नहीं करते।

राजाराम—क्यों, लुपर लाने में भी अनेक काम होते हैं। पहले कुछ आदमी फूस पास तिन बाँस इत्यादि लाते हैं। फिर डोरी लेकर बाँधते हैं और फिर कई आदमी मिलकर उसे दीवाल पर चढ़ा देते हैं।

बिहारी—बात यह है कि काम के विभाग करने पर भी यदि उन विभागों का कार्य करने वाले वे ही व्यक्ति हों तो अर्थशास्त्र में उसे भ्रम-विभाग नहीं कहते। भ्रम-विभाग तो वह तभी कहा जायगा, जब कार्यकर्ता कई हों और अनेक भागों में बँटकर लगातार आदि से अन्त तक उस कार्य में लगकर उसे पूरा उतार दें। इसके सिवा भ्रम विभाग तभी होता है, जब एक दल के अंगिक प्रतिदिन एक ही प्रकार का काम करते हैं। किन्तु जब श्रुत अथवा स्थिति-परिवर्तन से वे अपना कार्य बदल डालें, तो वह भ्रम-विभाग न होगा।

राजाराम—तो भाई, हमारे यहाँ की खेती में तो भ्रम-विभाग ही नहीं सकता। इसमें तो एक ही आदमी को कई प्रकार के कार्य पृथक्-पृथक् करने पड़ते हैं। खेत लम्बे-चौड़े और दूर-दूर होते हैं। उन सब के लिए अलग-अलग आदमी कैसे मिल सकते हैं ?

बिहारी—हाँ, वर्तमान-स्थिति में खेती के कार्य में अच्छा भ्रम-विभाग पूरा कठिन है। बड़े-बड़े खेतों में भ्रम-विभाग अधिक मात्रा में होता है। वह कल-कारखानों में ही अधिक सफलता के साथ देखने में आता है। वह थोड़े से स्थान में होता और नित्य एक ही ढंग से चलता है।

राजाराम—और यह भ्रम विभाग चलता किच हद तक है ?

बिहारी—जो वस्तुएँ पैदा की जाती हैं उनकी माँग जैसी होती है, उसी के अनुकूल भ्रम का विभाजन किया जाता है। अगर किसी वस्तु की

माँग इतनी कम है कि उसे एक ही आदमी तैयार कर सकता है, तब श्रम विभाग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। किन्तु जब माँग बढ़ी हुई होती है, तब कार्य को समूहों में बाँट दिया जाता है। श्रम विभाग जब बढ़ जाता है, तब वस्तु का उत्पादन न्यून औसत से कम पड़ता है। किन्तु जब श्रम विभाग से उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जाया करता है, तो उस वस्तु की खपत करने के लिए एक ऐसा नया वाजार खोजने की आवश्यकता होती है, जहाँ तब तक वह वस्तु पहुँच न पायी हो। पर संयोग से अगर वह वस्तु वहाँ पहुँची हुई होती है, तो इस नये माल को उसकी प्रतियोगिता में रस्ता करके धेचना होता है। ऐसा यदि नहीं किया जाता तो नया तैयारशुदा माल बिना विक्री के पड़ा रहता है। और इसका परिणाम यह होता है कि उत्पत्ति का परिमाण घट जाता है। ऐसी दशा में प्रायः श्रम विभाग से होनेवाली उपयोगिता बहुत सीमित कर देनी पड़ती है। अतः जिन कारणों से उस वस्तु का वाजार बढ़ जाता है, उनसे श्रम विभाग को लाभ अधिक पहुँचता है।

राजाराम—लेकिन श्रम विभाग से हमको लाभ भी तो कुछ होता होगा।

विद्वारी—क्यों नहीं? लाभ वास्तव में बहुत होता है। बात यह है कि किसी वस्तु के सम्पूर्ण उत्पादन का ज्ञान प्राप्त करना किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन होता है। किन्तु उसी कार्य का कोई एक छोटा-सा भाग, कार्य करने-करते, जब पूर्ण रूप से हृदयङ्गम हो जाता है, तो एक तरह से वह व्यक्ति उसका विशेष ज्ञाता बन जाता है। किसी भी एक कार्य की किसी विशेष शाखा में बराबर काम करते करते मनुष्य को शारीरिक और मानसिक शक्ति में इतना विकास हो जाता है कि उसे करने में उसे किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। उस कार्य में वह इतना अभ्यस्त हो जाता है कि बिना विशेष प्रयास के करता रहता है। इससे कार्य शक्ति में निपुणता की वृद्धि तो होती ही है, समय का बचत भी कम नहीं होती।

राजाराम—किन्तु यन्त्रों के उपयोग में तो एक आदमी सोड़े ही समय में बहुतेरे कार्य निपटा देता है।

विद्वारी—ठीक है। किन्तु कार्य जब कई प्रकार के होते हैं, तब उनको करने में भ्रमिक वे सुविधाएँ नहीं पाता, जो किसी एक में लगे रहने पर प्राप्त कर लेता है। ऐसे कुछ कार्य तो बहुत पेचीदा भी हो सकते हैं। और उनको करने में वह अनेक यंत्रों का उपयोग पूरी सफलता के साथ कर भी नहीं सकता। किन्तु भ्रम विभाग द्वारा जब वह किसी उपविभाग के कार्य पर लगा दिया जाता है, तब उसकी कार्य-गति उसके लिए अत्यन्त सुगम हो जाती है। उस विशेष कार्य से सम्बन्ध रखनेवाली मशीनों का उपयोग वह बहुत आसानी से कर लेता है। इससे उसे भ्रम भी कम पड़ता है और कार्य भी जल्दी हो जाता है। रेल तथा जहाज़ आदि का कार्य तो भ्रम-विभाग के बिना चल ही नहीं सकता।

इसके सिवा एक बात और है। निरन्तर कोई एक विशेष कार्य करते करते भ्रमिक उसकी क्रिया में इतना दक्ष हो जाता है कि कभी-कभी उसे उस कार्य के सम्बन्ध में कहीं पर कोई एक ट्रास नुटि मालूम हो जाती है। वह उसको दूर करने की चेष्टा करता है। और यदि इसमें सफल हो गया, तब तो एक तरह से उसका यह एक आविष्कार हो जाता है। तब उससे प्रत्येक भ्रमिक लाभ उठाता है और उसका लाभ धनोत्पत्ति में सहायक होता है। किन्तु ऐसा कोई भी वैज्ञानिक या यन्त्र सम्बन्धी आविष्कार तभी होता है, जब उसका कर्त्ता भ्रम-विभाग द्वारा किसी एक विशेष उपविभागीय कार्य पर नियुक्त होता है।

राजाराम—अच्छा हाँ, और !

विद्वारी—भ्रमिक कई प्रकार के होते हैं। किसी में शारीरिक शक्ति भरपूर होती है, किसी में ज्ञान-शक्ति। इसके अतिरिक्त भ्रमिकों में अच्छे से लेकर मुट्ठे तक होते हैं। इतना ही नहीं, कभी-कभी तो इनमें अन्धे और लँगड़े तक पाये जाते हैं। अब विचार करने की बात है कि अगर भ्रम-विभाग न हो, तो इस तरह सभी प्रकार के भ्रमिकों को उनकी योग्यता अथवा क्षमता के अनुसार कार्य कैसे दिया जा सकेगा ? अगर एक

आदमी ऐसे सब कार्य करना भी चाहे, तो वह अपनी कुशलता का पूरा उपयोग भी नहीं कर सकेगा। इसके सिवा जो किसी अन्य कार्य के लिए विशेष उपयोगी और कुशल होगा, वह उस कार्य के लिए अयोग्य और अकुशल सिद्ध होगा। इस तरह अधिक योग्यता और कुशलता का कार्य ऐसे आदमी के जिम्मे पड़ जा सकता है, जो उसे अच्छी तरह सुगमता से न कर सके और साधारण कार्य ऐसे आदमी के जिम्मे पड़ सकता है, जिसकी योग्यता उसकी अपेक्षा आधन ऊंचे दरजे का काम करने की हो। इससे धनोत्पत्ति में हानि को अपेक्षा लाभ की सम्भावना नहीं है।

इसके सिवा श्रम विभाग में प्रत्येक श्रमिक को कुछ थोड़े से औजारों की ही आवश्यकता पड़ती है। अवकाश मिलने पर वह उसे सम्हाल कर रख सकता है। किन्तु यदि उसे कई उपविभागों में काम करना पड़े, तो कभी वह एक से काम लेगा, कभी दूसरे से। इस तरह सारे यन्त्रों को सम्हालकर रखना उसके लिए दुष्कर हो जायगा। इस तरह श्रम विभाग में औजारों की विशेष रक्षा होती है जो एक तरह से धन की वचत है।

राजाराम—अच्छा, श्रम विभाग से संपत्ति पर भी क्या कोई प्रभाव पड़ता है ?

विहारी—क्यों नहीं ? आपस के सहयोग पर ही समाज का सगठन निर्भर करता है। कोई एक व्यक्ति अगर चाहे कि वह अपनी ही बनायी हुई वस्तुओं से निर्वाह कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरों की बनायी हुई वस्तुओं का उपयोग उसे करना ही पड़ता है। और तब यह आवश्यक हो जाता है कि उसके बदले में अपनी बनायी वस्तुओं का उपयोग वह दूसरों को भी करने का अवसर दे। इस तरह आपस का सहयोग बढ़ता है। श्रम-विभाग में एक उपविभाग का कार्य दूसरे उपविभाग से सलग्न रहता है। इस प्रकार एक उपविभाग के श्रमिक दूसरे उपविभाग के श्रमिकों पर अवलंबित रहते हैं। इससे भी आपस में सहयोग बढ़ता है। यह मानी हुई बात है कि श्रम-विभागों के द्वारा वस्तुएँ सस्ती हो जाती हैं और साधारण लोग भी उन वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं, जो पहले उनसे वंचित थे। इस तरह उनके रहन-सहन का दर्जा उन्नत होता है। और सहयोग की

वृद्धि तथा एकता से ही सभ्यता की उन्नति होती है।

राजाराम—अच्छा, क्या श्रम विभाग के द्वारा धनोत्पत्ति की मात्रा में कोई वृद्धि हो सकी है ?

बिहारी—अवश्य। पहले एक आदमी अगर दिन भर म चालिस पिन बना सकता था, तो अब हजारों को सख्या म बनाता है। इसके सिवा पहले पिन इतने सुन्दर नहीं बनते थे, जैसे अब बनते हैं। इस प्रकार अन्य वस्तुओं के उत्पादन में भी इससे आशातीत उन्नति होती है। इस तरह निरिवाद रूप से कहा जा सकता है कि धनोत्पत्ति की मात्रा श्रम विभाग के द्वारा अवश्य बढ़ती है।

किन्तु ये सब तो लाभ ही-लाभ मैंने बतलाये हैं। श्रम विभाग से हानियाँ भी होती हैं।

राजाराम—(आश्चर्य से) अच्छा !

बिहारी—हाँ, श्रमिक लोग जब एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, तब उनका जीवन नीरस हो जाता है। प्रत्येक श्रमिक एक ही प्रकार के कार्य में विरोध अन्वय और दक्ष होता है। वह कार्य अगर बन्द हो जाय, तो उसे बेकार हो जाना पड़ता है। श्रमिक लोग प्रायः घनी बस्तियों म रहते हैं। वे मैली, गन्दी और तग होती हैं। इससे उनके स्वास्थ्य की हानि होती है। किन्तु इन असुविधाओं को धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। ये ऐसी भी नहीं हैं कि इन्हें दूर न किया जा सके। श्रम विभाग पुरातन काल से आज तक की उन्नति का फल है। अतएव उससे मुँह मोड़ना जगली सभ्यता की ओर जाना है। कल कारखानों के अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे श्रमिकों की असुविधाओं का समर्थ और उन्हें दूर करें, तभी वे उचित लाभ और सतोप प्राप्त करते हुए अपने समाज और देश को ऊँचा उठा सकते हैं।

अन्त में बिहारी ने कहा—इस प्रकार तुम्हारे बड़े बाबू के यहाँ का प्रबन्ध श्रम विभाग के विरुद्ध था।



उन्तीसवाँ अध्याय

पूँजी के भेद

“तुम्हारे गाँव में एक लाला बी थे। उनका नाम था शायद किरोरी लाल। आजकल वे क्या करते हैं ?”

“करते क्या हैं ! उनके पास धन की कमी तो ही नहीं। वे आजकल रुपया ब्याज पर उढाते हैं, किरत पर देते हैं। ज़रूरत पडने पर, बीज के लिए, अनाज भी किसानों को सबैया पर देते हैं। निर्वाह तो घिलवे में होता है। धन बराबर बढता ही जाता है।”

अपने स्वाभाविक रूप से विद्वारी मुसकराने लगा।

तब राजाराम ने कहा—जान पढता है, मेरी इस बात में आपको मेरे अज्ञान का ही भान हुआ। अच्छा तो फिर बतलाइये, मैंने क्या भूल की ?

विद्वारी—तुमने धन का तो ठीक अर्थ समझ लिया। परन्तु अब तुमको यह जानना चाहिये कि जो रुपया धन के उत्पादन में लगाया जाता है और जिससे धन की वृद्धि होती है, अर्थशास्त्र में वह पूँजी कहलाता है।

राजाराम—अच्छा, धन को पूँजी किस दशा में कहते हैं ?

विद्वारी—यदि कोई व्यक्ति अपने धन को किसी भी वस्तु की उत्पत्ति में लगाता है, तो उठना वह रुपया धन तो है ही, पूँजी भी कहलाता है।

राजाराम—तो आपका मतलब शायद यह है कि धन की उत्पत्ति में पूँजी का एक विशेष स्थान है।

विद्वारी—स्यों नहीं ? पुरातन काल में जीवन का समर्पण ऐसा प्रबल नहीं

था। मनुष्य थोड़े में संतोष कर लेता था। उस समय पूँजी के बिना भी लोग धनोत्पत्ति करते ही थे। परन्तु अब ऐसा नहीं है। अब तो धनोत्पत्ति में पूँजी का महत्त्व बहुत बढ गया है। एक एक कारखाना चलाने में लाखों रुपये लग जाते हैं। पहले कारखाने के लिए इमारत चाहिए। फिर कर्म-चारियों-श्रमिकों को साप्ताहिक मजदूरी देने के लिए रुपये चाहिए। इसके सिवा कच्चे माल का सप्लाई, रखत करने के लिए विज्ञापन, फिर माल की निकासी का आयोजन। इन सब कामों में बहुत अधिक रुपया लगता है। यही व्यक्ति अथवा कम्पनी धनोत्पत्ति कर सकती है, जिसके पास स्येष्ट पूँजी हो। जब लोग छोटी पूँजी से कभी ऐसा लाभ उठाने का साहस करते हैं, तो वे प्रायः असफल होते हैं। धन की उत्पत्ति करना दूर रहा सच पूछो तो वे उसे खो बैठते हैं। एक तो वे बड़े कारखानों के समान माल तैयार नहीं कर पाते। दूसरे उनका माल भी उतना सरता नहीं पड़ता। प्रतियोगिता में वे हार जाते हैं। इन सब बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि आज कल धनोत्पत्ति के क्षेत्र का राजा पूँजीपति होता है। वह उत्पत्ति के साधनों पर शासन करता है। छोटी पूँजीवालों को सदा उसके आगे झुकना पड़ता है।

राजाराम—तो छोटी पूँजी के आधार पर कोई काम नहीं करना चाहिए। यही आप कहना चाहते हैं।

बिहारी—बात यह है कि कभी कभी पूँजी की कमी के कारण लोगों को किफायतशारी सझती है। वे ऐसी मेशीनें ले लेते हैं, जो पुरानी होती हैं—और पुरानी मेशीनें कभी-कभी ऐसी बिगड जाती हैं कि उनका सुधरवाना कठिन हो जाता है। बहुधा ऐसा होता है कि जितना व्यय पुरानी मेशीनों के दुरुस्त कराने में लगता है, उससे कुछ ही अधिक और स्रच करने से नयी मेशीनें मिल जाती हैं। कभी कभी किसी नये आविष्कार के कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पुरानी मेशीनों से जो माल तैयार होता है, उसमें पडनेवाला व्यय, नयी आविष्कृत मेशीन की अपेक्षा इतना अधिक पड़ता है कि प्रतियोगिता में हानि होती है। तब उसे नयी मेशीन भी खरीदनी पड़ती है। ऐसी दशा में पुरानी मेशीनों पर लगी पूँजी अनुत्पादक हो जाती है। जिस तरह भ्रम

अनुत्पादक होता है, उसी तरह पूँजी भी ।

राजाराम—हाँ, फिर पूँजी कोई ऐसी चीज तो है नहीं, जो स्थिर रह सकती हो । जानेवाली होती है, तो चली जाती है ।

विहारी—लेकिन मैं तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखता हूँ । जो पूँजी एक बार के ही उपयोग में आती और थोड़े ही समय में खर्च हो जाती है, उसे चल-पूँजी कहते हैं । जैसे खेत में बीज डाल दिया जाय, तो पूरा-का पूरा चला गया समझना चाहिए । फिर उसका दूसरी बार उपयोग सम्भव नहीं है । मज़दूरों अथवा कर्मचारियों को जो वेतन दे दिया जायगा, वह फिर पूँजीपति के दुबारा क्या काम देगा ? कल कारखानों में कच्चा माल लगता है, रेल में कोयला दिया जाता है । यह खर्च जो एकबार हो गया, सो हो गया । फिर दुबारा तो उसका कोई उपयोग होने को नहीं है । यह सब चल पूँजी है । बात यह है कि इस पूँजी का प्रतिफल इकट्ठा और तुरन्त मिल जाया करता है । इस दशा में पूँजी लगानेवाला यह सोच लेता है कि जो पूँजी लगायी जाय, उसका प्रतिफल पूँजी से हर हालत में अधिक मिले । कर्मचारियों को वेतन देते क्षण भी यही विचार रहता है कि उनसे जो काम लिया जाता है, उसका मूल्य वेतन से अधिक हो ।

इसके विपरीत जो पूँजी एक बार आकर बार बार लौट-लौट कर आती है, वह पूरी की पूरी खर्च नहीं हो जाती, वह अचल पूँजी कहलाती है । कारखानों की इमारतें, मशीनरी, औजार खेती के काम में आने वाले बैल, हल गाड़ी इत्यादि वस्तुएँ इसी अचल पूँजी में गिनी जाती हैं ।

पर इस स्थान पर एक बात और जान लेने की है । वह यह कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक दशा में जो चल पूँजी है वही किसी दूसरी दशा में अचल भी हो जाती है । मान लो कि आटा पीसने की कोई चक्की है । जिस कारखाने में वह तैयार हुई है वह उसके लिए चल पूँजी है । कारखानेवाला उस चक्की का उपयोग आटा पीसने के लिए तो नहीं करता । उसने तो उसे बेचने के लिये ही तैयार की है और उसे वह एक ही बार बेच सकता है । इस तरह कारखानेवाला उसे चल पूँजी समझता है । वह उसे बेच डालता है । परन्तु जो व्यक्ति उसी मशीन का

उपयोग करके उससे आटा पीसने का काम लेता है और उसे इस ढङ्ग से चलाना है कि यह सम्भवतः अधिक समय तक काम दे जाय, और वह उससे बराबर साधारण रूप से द्रव्योपार्जन करता जाय, तो वे ही मशीनें उसके लिए अचल पूँजी हो जाती हैं।

राजाराम—चल और अचल पूँजी के लाभ में अन्तर भी तो होता है।

विहारी—हाँ, अन्तर होना तो सर्वथा स्वाभाविक है। अचल पूँजी का लाभ कुछ स्थायी होता है और देर में मिलता है। इसलिए अचल पूँजी में लगाये हुए रुपये के लिए यह निवार करना आवश्यक होता है कि वह पूँजी कितने समय तक काम देगी और उससे कितना लाभ हो सकेगा।

राजाराम—क्या अचल पूँजी का उपयोग सदा पड़ता रहना अच्छा है ?

विहारी—हाँ, एक सीमा तक अचल पूँजी का पड़ना लाभदायक है, किन्तु उद्योग धन्धों में केवल अचल पूँजी ही काम नहीं देती, चल पूँजी भी लगानी पड़ती है। यद्यपि प्रत्येक उत्पादक यही चाहता है कि मेरी चल पूँजी अचल हो जाय। सदा उसका ध्यान इसी बात पर रहता है कि श्रमिकों की संख्या कम हो और उत्पात्ति की वृद्धि होती जाय। तब मशीनरी की वृद्धि अग्रे हो जाती है, तो स्वभावतः श्रमिकों का घटना पड़ता है और वे बेकार हो जाते हैं।

पर कुछ लोग पूँजी को भौतिक और वैयक्तिक इन दो भेदों में बाँटते हैं। भौतिक पूँजी में उन पदार्थों की गणना की जाती है जो विनिमय साध्य होते हैं। और वैयक्तिक पूँजी वह होती है, जिसमें श्रमिकों की व्यक्तिगत कार्य कुशलता का मूल्य आका जाता है। श्रमिकों का यह गुण विनिमय-साध्य नहीं होता। यद्यपि इसमें पूँजी अधिक लगती है। श्रमिकों को इस कार्य कुशलता से अपनी आय बढाने का अवसर मिलता है।

पर इसमें एक दोष भी है। एक तो व्यक्तिगत कार्य कुशलता की उपयोगिता का मूल्य अनिश्चित-सा होता है, दूसरे किसी व्यक्ति के मर जाने पर उस पूँजी का नाश हो जाता है। और चूँकि यह विनिमय साध्य नहीं होता, इसलिए अर्थशास्त्र में इसकी गणना पूँजी में नहीं की जाती।

राजाराम—किन्तु औजार, मशीन आदि वस्तुओं से धन की उत्पत्ति होती है और वही धन वैयक्तिक कार्य कुशलता की वृद्धि में सहायक होता है।

विहारी—हाँ, तुम्हारा यह कथन ठीक है। पर पूँजी के दो भेद और किये जाते हैं, उत्पत्तिपूँजी और उपभोगपूँजी। तुम्हारे विचार के अनुसार मैशीन, औजार आदि पदार्थ उत्पत्तिपूँजी के अन्तर्गत माने जाते हैं। कुछ लेखक 'उत्पत्ति पूँजी' का नाम 'व्यापार-पूँजी' भी रखते हैं। पर व्यापार-पूँजी में उन सब वस्तुओं की गणना की जाती है जो व्यापार के काम में आती हैं। जैसे—दिक्री के लिए वस्तुएँ तथा श्रमिकों के भोज्य पदार्थ। उपभोगपूँजी में उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जो अप्रत्यक्षरूपेण उत्पत्ति में सहायता पहुँचाती हैं, परन्तु प्रत्यक्षरूप से उपभोग में आकर आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। जैसे—श्रमिकों को दिये जानेवाले भोजन तथा वस्त्र। उद्योग धन्धों में उत्पत्तिपूँजी तथा उपभोग पूँजी इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। सम्य और उन्नत देशों में उपभोग पूँजी की मात्रा बढी रहती है। वहाँ श्रमिकों के भोजन, वस्त्र तथा मकानों पर अधिक व्यय किया जाता है।

राजाराम—आपने तो पूँजी के बहुत से भेद कर डाले।

विहारी—यही तो अर्थशास्त्र की विशेष दृष्टि है। एक भेद है—वेतन पूँजी और सहायकपूँजी। वेतनपूँजी अपने नामानुरूप श्रमिकों के वेतन में लगायी जाती है, शेष सारी पूँजी सहायक या साधकपूँजी कहलाती है। जब श्रमिकों को घटाकर मैशीनों की वृद्धि की जाती है, तब सहायकपूँजी की मात्रा बढ जाती है और वेतन पूँजी का परिमाण घट जाता है। आजकल कारखानेवालों की प्रवृत्ति इन्हीं ओर है।

इसने सिवा भेद है—व्यक्तिगत, सार्वजनिक और राष्ट्रीयपूँजी। व्यक्तिगतपूँजी वह मानी जाती है, जो पूर्ण रूप से किसी एक व्यक्ति की होती है। जैसे—किसी व्यक्ति ने कोई दुकान खरीदी है अथवा अपना द्रव्य लगाकर बनवाई है। सार्वजनिक या सामाजिकपूँजी वह होती है, जिसका मालिकाना सम्बन्ध किसी समाज अथवा जनता से होता है— जैसे धर्मशाला, अनाथालय, सरकारी दफ्तरों की इमारतें।

रह गयी राष्ट्रीयपूँजी, सो उसके अन्तर्गत राष्ट्र की समस्त पूँजी की गणना की जाती है।

राजाराम—किन्तु अगर किसी पूँजी पर दो राष्ट्रों का अधिकार हो, तो ?

बिहारी—तब वह पूँजी अन्तर्राष्ट्रीय कहलाती है। प्रायः ऐसी रेलवे लाइनें तथा नहरें जिन्हें दो राष्ट्र परस्पर सहयोग से बनाते हैं, अथवा ऐसे समुद्री विभाग, जिन पर दो राष्ट्रों का अधिकार होता है, अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के अन्तर्गत माने जाते हैं।

राजाराम—यह सच तो हो गया, पर 'कृषि पूँजी' नाम अभी तक नहीं आया ?

हँसते हुए बिहारी बोला—यस, अब उसी का नम्बर है। जो देश कृषि-प्रधान है, उनकी अधिकांश पूँजी वारतव में कृषि पूँजी ही तो होती है। इल, बैल, खुर्पा, कुदाली, फट्टुहा, पानी खींचने का चरखा, बोनो का बीज, खाने के लिए अन्न, यही उनकी पूँजी है। किन्तु हमारे देश के कृषक बहुत हीन अवस्था को प्राप्त हैं। जिनके पास बैल नहीं होते, वे भैंसों से काम चलाते हैं। भैंसों के अभाव में वे उन्हें दूसरों से माँगकर लेती करते हैं। गायों से बछड़े मिलते हैं, दूध अलग। परन्तु वे गाय तक नहीं पाल सकते। अच्छी नस्लों की गायों के अभाव में साधारण गायें पालते भी हैं, तो उनको खिलाने के लिए पर्याप्त चारा नहीं दे पाते। परिणाम यह होता है कि जिन्हें वे धार्मिक दृष्टि से माता कहते हैं, उनका केवल चमड़ा बेनकर सतोप कर लेते हैं। किसानों के पास भैंस बहुत कम होती हैं। जो भैंस रखते भी हैं, वे घी बनाकर उसे बेच डालते हैं। इससे शक्ति का क्षय होता है। बसों की दूध के बजाय प्रायः मट्टा ही मिलता है।

किसानों की असली पूँजी तो पशु हैं। परन्तु उनके लिए चरगाहों का अभाव है। गोबर के कडे (उपलों) बनाकर जलाना भी पूँजी का क्षय है। अगर वे इसका उपयोग खाद के लिए करें, तो अन्न की उत्पत्ति में वह बहुत सहायक हो।

राजाराम—युना है, ये जो कम्पनियाँ होती हैं, इनमें कोई एक व्यक्ति रुपया नहीं लगाता। बल्कि शेकरों आदमी उसके साम्प्रदाय होते हैं। अन्ध्रा, तो उन साम्प्रदायों की जो पूँजी लगी रहती है, उसके लिए भी तो कोई शब्द होगा।—

विहारी—बेशक । उसे व्यवसाय पूँजी कहते हैं । लोग सौ-सौ अथवा हजार हजार रुपये के शेयर खरीदते हैं । इन शेयरों का रुपया भी प्रारम्भ में इकट्ठा नहीं, बल्कि दो या तीन किश्तों में लिया जाता है । कुछ लोग अधिक हिस्से भी खरीदते हैं । जब कम्पनी का काम चल निकलता है, और लाभ होने लगता है, तो शेयरों का मूल्य भी बढ़ जाता है । कभी कभी तो सौ सौ वाले हिस्से कई सौ में विकते हैं । किन्तु जब कम्पनी का काम शिथिल रहता है, तब उन हिस्सों का मूल्य घट भी जाता है । आवश्यकता पड़ने पर कम्पनियाँ ऋण भी लेती हैं । जिनकी अच्छी साल होती है, उन्हें कम सूद देना पड़ता है ।

राजाराम—और सरकार जो ऋण लिया करती है, उसका क्या होता है ?

विहारी—यों साधारण रूप से सरकार का काम करो, शुल्को तथा गुरमाने की रकमों से चलता है । लेकिन जब सरकारी कोष में अनुमान से कम आमदनी होने के कारण कुछ कमी आ जाती है, या उसे किसी देश अथवा बलवाइयों से युद्ध अथवा मुकाबला करना पड़ता है, तब वह ऋण लेती है । कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय के लिए भी वह ऋण लेती है । इस ऋण पर अदायगी की अवधि के अनुसार सुद निश्चित रहता है । यह ऋण प्रायः विशेष व्यक्तियों से लिया जाता है । किन्तु जब आवश्यकता अधिक होती है तब वह सर्वसाधारण जनता से भी ऋण लेती है । इन ऋण-पत्रों में रकम और सुद की दर, कुल रुपया तथा अदायगी का समय निश्चित रहता है ।

राजाराम—लेकिन इसकी क्या जिम्मेदारी है कि सरकार रुपया दे ही देगी । समाज में लोग जब रुपया नहीं देते, तब तो उसे अदालत रुपया दिलवाती है, किन्तु सरकार पर कार्रवाई ही क्या की जा सकती है ?

विहारी—यह ठीक है कि सरकार अपनी रिखाया का कर्ज़ न चुकाये, तो उसका कोई कुछ कर नहीं सकता । पर प्रायः ऐसा होता नहीं है । कोई भी सरकार अपनी साख खोना नहीं चाहती । इसीलिए जनता का उसपर पूरा विश्वास रहता है । यहाँ तक कि दूसरे देश तक उसे ऋण देने में गौरव का अनुभव करते हैं । इससे उनकी मंत्री जन्म जाती है और विशेष दशाओं में ध्यावसायिक तथा राजनैतिक हितों की रक्षा होने की भी सम्भावना रहती है ।

राजाराम—अच्छा, जब विदेशी पूँजी अपने यहाँ के व्यवसायों में लग जाती है, तब क्या होता है ?

विहारी—जब आवश्यकता के अनुसार पूँजी देश में न मिले, तो विदेशों की पूँजी लगाने में कोई शुराई नहीं है। परन्तु उस दशा में यह देखना आवश्यक हो जाता है कि विदेशी पूँजीपतियों का प्रभाव अपने देश के व्यवसाय पर न पड़ने पाये। इसीलिए उस समय ऋण की शर्तों को ग़ुब सोच-समझकर स्वीकार करना होता है। कभी कभी इससे देश का अत्यधिक अहित भी हो जाता है। जहाँ तक सम्भव हो, धनोत्पत्ति के लिए देशी पूँजी का ही प्रयोग करना उचित है।



तीसवाँ अध्याय

पूँजी की वृद्धि



“इधर तीन वर्षों के अन्दर, देखता हूँ, तुमने पूँजी की वृद्धि पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया।”

“पूँजी की वृद्धि खेती में कितनी हो सकती है, यह जानते हुए भी आप ऐसा कहेंगे, इसका मुझे विश्वास न था।”

“यह बात नहीं है राजाराम। तुम्हारी स्थिति से मैं परिचित हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ कि पूँजी की वृद्धि किन बातों पर निर्भर रहती है। मुझे विश्वास है कि उन बातों के मालूम होने पर तुम अपनी गलती अवश्य स्वीकार कर लोगे।”

“अच्छा तो बतलाइये” राजाराम ने उत्तर दिया।

विहारी—साधारणतया (१) सचय करने की शक्ति, (२) इच्छा तथा (३) सुविधा—इन तीन बातों पर पूँजी का वृद्धि निर्भर करती है। पहले सचय करने की शक्ति को लेता हूँ। आदमी जितना रुपया पैदा करता है, अगर उतना सब का सब वह टर्च कर डाला करे, तो सचय वह कभी कर ही न सके। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है उत्पत्ति का पन्ना उपभोग की अपेक्षा भारी रहे। पर उत्पत्ति अधिक तभी हो सकती है जब उसकी विधियाँ उत्तम, उसके साधन सुलभ और श्रेष्ठ हों। किन्तु यह मानते हुए भी यह तो कहना ही पड़ेगा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी धनोत्पत्ति को उसी मात्रा में रखता है, जितना उसके जीवन निर्वाह के लिए चाहिए, तो सचय की आशा उससे की नहीं जा सकती।

राजाराम—हम लोगों में संचय की शक्ति तभी आ सकती है, जब उत्पत्ति के साधन मुलम होंगे ।

बिहारी—उत्पत्ति के साधनों की उत्पत्ति के बिना साधारण जनता धनोत्पादन में सफल नहीं हो सकती । किन्तु यह एक समष्टिगत सिद्धान्त की बात हुई । व्यावसायिक उत्पत्ति की दृष्टि से तो हमें यही कहना पड़ेगा कि यदि तैयार-शुदा माल का निर्यात अपने देशवासियों द्वारा हो, यदि जहाज़ों में उन्हीं की पूँजी लगी हो तो धनोत्पत्ति में साधारणरूप से अनेक सुविधाएँ मिल जाती हैं । बैंकों, बीमा-कम्पनियों तथा साकेदारों के अन्य व्यवसायों से भी सख की वृद्धि होती है । मुद्रा की स्थिरता तथा निर्दोषिता से अर्थ-संचय की शक्ति बढ़ती है । साथ ही रेल, तार, डाक तथा जहाज़ की उत्पत्ति तथा उनकी वृद्धि अर्थ-संचय में बहुत सहायक होती है ।

गरीबों यों तो देखव्यापी है ही । पर गरीब लोग दुर्घटनों में थोड़ा-बहुत अपव्यय तो फिर भी करते ही हैं । मध्यवित्त के लोग साधारण रूप से सन्तोष का जीवन बिताते हैं । खाने-पीने की उन्हें कमी नहीं रहती । अच्छे साफ़ मकानों में वे रहते हैं । विलासिता की वृद्धि करने के साधनों का भी उनके लिए अभाव नहीं रहता । सारा काम उनका विधिवत् चला जाता है । तो भी इस वर्ग के बहुतेरे लोग अर्थ-संचय नहीं करते । यदि ऐसे लोगों की आय बढ़ भी जाय, तो व्यय भी उसी अनुमान से बढ़ाये बिना वे मान नहीं सकते । इन सब बातों की ओर ध्यान देते हुए अन्त में हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि इन लोगों में अर्थ संचय की इच्छा ही नहीं होती ।

राजाराम—इसका कारण ?

बिहारी—बात यह है कि संचय करना मनुष्य की निजी विचार-धारा पर बहुत कुछ निर्भर करता है । यों तो सभी लोग चाहते हैं कि बीमार होने पर चिकित्सा आदि के लिए हाथ में काफी सपया रहे और वृद्धावस्था आने पर भी इर्ष को दिकृत न हो । जिनके सतान होती है, वे उसके लिए भी कुछ-न-कुछ जीविका छोड़ ही जाना चाहते हैं । किन्तु इन बातों को समझते हुए भी जो लोग संचय नहीं करते, कहना होगा, उनमें दूरदर्शिता का अभाव है ।

राजाराम—पर संचय लोग अन्यान्य कारणों से भी करते जाते हैं । कुँवर

जो की सदा यही इच्छा बनी रहती है कि लोग उनके विषय में यह कहते पाये जाय कि विता के गिरते जमाने की दशा को उन्होंने बहुत शीघ्र और बहुत अच्छी तरह सम्हाला और उनकी अपेक्षा कुछ अधिक उन्नति कर दिखलायी।

विद्वारी—हाँ, तुम्हारा विचार ठीक है। अर्थ-सचय में सम्मान की इच्छा बड़ा महत्त्व रखती है। लोग समाज में आदर पाने के लिए प्रायः अर्थ सचय करते पाये जाते हैं। उनकी आन्तरिक अभिलाषा रहती है कि पूर्वजों की अपेक्षा हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और समाज हमारा सम्मान करे।

कुछ लोग जीवन सग्राम में केवल सफल होने की आशा लेकर अर्थ सचय करते हैं। वे चाहते हैं कि चाहे जितना आर्थिक सबूट क्यों न आ जाय, व्यवसाय में लाभ की अपेक्षा चाहे कभी हानि ही क्यों न होती रहे, किन्तु कारोबार और रहन सहन में कोई अन्तर न आये। ऐसे लोग वीर हृदय होते हैं। समाज की धनोत्पत्ति के लिए, ऐसे दृढ संकल्प वाले व्यक्तियों की बड़ी आवश्यकता रहती है। ऐसे लोग प्रायः सफल होते हैं। उनका अर्थ-सचय करना सार्थक हो जाता है।

राजाराम—लेकिन कुछ लोग केवल सूद खाने के दरादे से सचय करते हैं।

विद्वारी—हाँ, विशेष रूप से तब, जब सूद की दर ऊँची होती है। बात यह है कि नौकरीपेशा के लोग अधिकतर अपना रुपया बैंकों में जमा रखते हैं। उनकी प्रवृत्ति इच्छा रहती है कि वृद्धावस्था आने से पूर्व वे सूद की रकम से इतना रुपया सचय कर लें कि उससे अपना निजी खर्च चलता जाय। मूलधन को वे लोग सतान के लिए छोड़ जाना चाहते हैं।

किन्तु कभी-कभी सूद की दर कम रहने पर भी आदमी सचय करने को विवश होता है। अकसर देखा गया है कि लोग इतना रुपया सचय कर लेना चाहते हैं कि उसके सूद से उनके लड़के को, पढते समय, कम से कम पचास रुपये मासिक मिलते रहें।

राजाराम—किन्तु कुछ लोग स्वभावतः कञ्चुस होते हैं।

विद्वारी—हाँ, होते हैं। वे न खुद खर्च कर सकते हैं, न परिवार में किराा को करने देते हैं। बख़ पहनने, खाना खाने तथा रहन सहन के अन्य रूपों में भी उनका एकमात्र उद्देश्य केवल सचय रहता है। गंदे मकान में रहेंगे और

अत्यन्त हीन जीवन व्यतीत करेंगे, स्वास्थ्य चाहे चीपट हो जाय, किन्तु पैसा लर्च न हो। परोपकार तथा दान-पुण्य में वे लोग एक पैसा तक नहीं देने, समाज को उनके लाभ पहुँचाने की अपेक्षा प्रायः हानि ही पहुँचती है। एक तो वे लोग बुरा आदर्श स्थापित करते हैं, दूसरे इस तरह सचय क्रिया हुआ धन बहुत हानिकारक होता है। वह कार्य कुशलता को क्षीण करता और धनोत्पत्ति के मूल उद्देश्य के विरुद्ध होकर हमारे सामाजिक समठन में अन्तर पैदा करता है। कभी कभी ऐसे लोग जब सुदल्लौर हो जाते हैं, तब गरीबों का शोषण और सर्वनाश सबसे अधिक यही लोग करते हैं। ये लोग समाज में अनादर के भी पात्र बन जाते हैं। यहाँ तक कि लोग कहने लगते हैं कि उनका तो सबेरे मुँह देखना भी पाप है।

किन्तु हमने विपरीत मिलनेवाले उदाहरण भी हैं। कुछ लोग स्वभावतः परोपकारी होते हैं। परिवार और उसकी आवश्यकताएँ एक ओर बनी रहती हैं किन्तु तो भी वे आयका एक अथ वेवल परोपकारार्थ सचय करते रहते हैं। लोगों को पहले कुछ भी जान नहीं रहता, किन्तु अन्त में जब उनका जीवनान्त निकट आ जाता है, तो वही लोग शिक्षा संस्थानों, अनाथालयों, सेवा-सदनो, मातृ मन्दिरों, स्त्री-निकित्तालयों, शिशु निकित्तालयों तथा अन्यान्य सार्वजनिक-हितों के लिए सहस्रों, लाखों रुपये की सम्पत्ति दान कर जाते हैं। इस प्रकार परोपकार-वृत्ति भी अर्थ सचय में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

राजाराम—कुछ लोग बीमा कराकर रुपया सचय करते हैं।

विदारी—वात यह है कि समाज में एक बर्ग ऐसा भी होता है जो अपने पेशे के कारण हमेशा जीवन-सकट अपनी हथेली पर लिये रहता है। पहाड़ी प्रान्तों के मोटर ड्राइवर, जहाँ अथवा स्टीमरों के फर्मचारी, वायुयान चालक आदि व्यक्ति ऐसे हैं, जो किसी भी क्षण अपनी जान खो सकते हैं। ऐसे लोगों को स्वाभाविक मृत्यु भी सम्भवतः कम ही होती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति अपने लिए नहीं, बरन् अपनी सन्तान के लिए बीमा करा लेते हैं। और इस प्रकार सन्तान की ओर से वे इस क्षेत्र में निश्चिन्त रहने के लिए बीमा करा लेते हैं। आजकल लोग एक निश्चित अवधि तक अर्थ संचय कर लेने के लिए भी बीमा कराते हैं।

राजाराम—कुछ सन्तों ने अर्थ सचय के ट्रिप्लाप भी आवाज उठाई है । उनका कहना है कि जीवन तो अनिश्चित है । कौन जानता है, कब प्राणान्त हो जाय । कोई किसी का नहीं होता । सभी मिथ्या है । सब कुछ तो यही पड़ा रह जाता है । तब सचय क्यों किया जाय ?

विहारी—किन्तु ऐसे लोग, अर्थशास्त्र की दृष्टि से, समाज के लिए हानि वारक हैं । वे निराशावादी होते हैं, समाज में निरस्ताह, अकर्मण्यता और हीनता की विषम भावना फैलाने के वही विगमदार हैं । और वह तो निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि जिस समाज में ऐसे व्यक्ति यदि अनियमित होंगे, वह समाज अथवा देश अर्थ सचय अपेक्षाकृत अवश्य ही कम कर पायेगा ।

राजाराम—कुछे हो, हम तो एक सीधी बात जानते हैं कि कभी न कभी आदमी के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है, जब वह बहुत चाहने पर भी सचय कर नहीं पाता ।

विहारी—बात यह है कि सचय करने की इच्छामान से तो वह हो नहीं सकता । इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि देश में शान्ति और सुव्यवस्था हो और जनता को अनुकूल सुविधाएँ प्राप्त हों । जब मनुष्य देखता है कि उसके प्रयत्नों का फल उसे अवश्य मिलेगा और वह उसका भोग कर पायेगा, तब उसकी स्वाभाविक प्रेरणा अर्थ सचय की ओर हो जाती है । पर जब देश में अराजकता फैली हो, जब शान्ति का जीवन जनता के लिए एक तरह से नष्ट ही हो गया हो, जब सरकारी शोषण नीति का दीर्घ दौरा तीव्र गति से हो, तब अर्थ सचय बहुत कम मात्रा में होगा । तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिन देशों में गडा हुआ धन अधिक पाया जाता है, वे देश प्रायः वही होते हैं, जिनमें अशान्ति और दुर्व्यवस्था का राज्य हुआ करता है । उस दशा में आभूषणों में भी रुक्या लगा देने की इच्छा बलवती हो जाती है । लोग सोचने लगते हैं कि चोरी, लूटमारी, भगदड़ के अवसरों पर जो आभूषण शरीर पर रह जायेंगे, वही धन रूप में हमारा साथ देगा । पर आभूषण बनवाने में सबसे बड़ा दोष यह है कि उनमें लगी हुई सभ्यता का, सदा, घिसाई के रूप में, क्षय ही होता रहता है । गडा हुआ धन चितना सुरक्षित

रहता है, घटने की उसम जो कम गुजाइश होती है, तो रास्ते बड़ा दोष उसका यह भी है कि वह कमी-कमी घोरता बहुत देता है। हमारे देश में धन गाड़ने की प्रथा पुरानी है। प्रायः लोग जमीन में दरवाजा अथवा दीवाल के नीचे रुपया गाड़ देते हैं। जीवनकाल में तो वे अपनी सतान को इमलिए नहीं बतलाते कि उन्हें भय लगा रहता है, कहां जान लेने पर वे लोग उसे अभी ही उड़ा न डाल। इसका पारणाम प्रायः यह होता है कि लोग चटपट जीवन यात्रा समाप्त कर चल देते हैं। और सतान को गुप्त धन बताने की बात गुप्त ही पड़ी रह जाती है। हमारे देश में इस प्रकार गड़ा हुआ मालूम नहीं कितना धन अभी तक गुप्त है। और अर्थशास्त्र की दृष्टि से देश की धनोत्पत्ति के लिए यह प्रथा सर्वाधिक विपाक एवं नाशकारी धारित हो चुकी है।

राजाराम—आपने एक दिन बतलाया था कि पहले आदमी जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं का ही सचय करता था। जैत—अनाज, तेलहन, गुड़, कपड़ा, लकड़ी आदि। उस समय मुद्रा का आविष्कार ही नहीं हुआ था। लेकिन उस समय लोगों को इन वस्तुओं का सचय करने में कितनी असुविधा होती होगी। इस दृष्टि से हम लोग आज अर्थ सचय करने में कितनी सुविधा प्राप्त किये हुये हैं।

पिहारी—हां, सोचने की बात है कि उस जमाने में इन जीवनोपयोगी वस्तुओं की रक्षा करने में कितनी जगह धिरती होगी, और उनको चारों से बचाकर रखना कितना कठिन होता होगा। इसके सिवाय वस्तुएँ अधिक काल तक अच्छी दशा में रह भी तो नहीं सकती। जल्दी ही टूटकर हो जाने का भय सदा बना ही रहता होगा। किन्तु फिर इसी स्थिति में जब सुधार हुआ, तब सोने चांदी आदि धातु के टुकड़ों के रूप में धन जमा किया जाने लगा। मुद्रा का आविष्कार इसके भी बाद की चीज है।

लेकिन सचय की सुविधाएँ तभी अधिक हो सकती हैं, जब देश में व्यापार और उद्योग धंधों की वृद्धि लक्ष्मि हो। महाजनी अथवा बैंकिंग प्रणाली से भा लोगों का पूँजी वृद्धि करने में सुविधा मिलती है। पुराने जमाने में लोग जिन महाजनों के यहाँ जो रकबा जमा करते थे, वे केवल रुपये की माग के वक्त देने का उत्तरदायित्व लेते थे। बाद में वे फिर थोड़ा

सूद भी देने लगे। पर अरब तो जगह-भ्रजगह धँक खुल गये हैं और उनमें रुपया जमा करने से वह सुरक्षित तो रहता ही है, निश्चित दरों के अनुसार उन पर सूद भी कम नहीं मिलता।

राजाराम—अच्छा, जिन देशों में प्रायः भूकम्प आया करते हैं, वहाँ लोग पूँजी की वृद्धि कैसे करते हैं ?

विहारी—जहाँ भूकम्प, बाढ़, महामारी आदि प्राकृतिक सन्त प्रायः उपस्थित होते रहते हैं, जहाँ मृत्यु और विनाश मिलकर नग्न नृत्य दिखलाते हैं, वहाँ धन का संचय अपेक्षाकृत कम होना स्वाभाविक ही है।

बस, अरब पूँजी की वृद्धि के सम्बन्ध में केवल एक विषय ऐसा रह गया है, जो तुम्हें जानना आवश्यक है। और वह है मैशीनों का प्रयोग। इस युग में पूँजी का सर्वाधिक भाग मैशीनों के रूप में आगया है। यहाँ तक कि इस युग को लोग मैशीनयुग कहने लगे हैं। व्यवसाय और उद्योग-धंधों द्वारा पूँजी की वृद्धि जैसी तीव्र गति से हो रही है, उससे दूरदर्शा अर्थशास्त्रियों को यह आशंका हो उठी है कि एक समय ऐसा भी आ सकता है, जब देश के अधिकांश मजदूर बेकार हो जायेंगे, तो भी कल कारखाने चलते रहेंगे। वास्तव में यह स्थिति भयावह है। मैशीनों की वृद्धि यदि मनुष्य को निरन्त्रा, बेकार, व्यर्थ और हीन बनाने जा रही है, तो सबसे अधिक पतन उन मिल मालिकों, कल-कारखानेवालों का होगा, जिन्होंने यह समझ रक्खा है कि मैशीन ही पूँजी है। जिस मनुष्य के मस्तिष्क ने मैशीन का आविष्कार किया है, वही मनुष्य उन अवशिष्ट श्रमिकों के भीतर भी हुंकार कर सकता है, जिनके बल पर वे अधिकांश मजदूरों का जीवन व्यर्थ कर डालने का सपना देख रहे हैं मनुष्य समवेदनशील प्राणी है। मानवता की रक्षा के नाम पर वह कभी भी अपने कर्तव्य-भाव से दूरकर ऐसा सामूहिक सगठन कर सकते हैं कि सारी की सारी मैशीनरी खड़ी रहे और जिसे वे पूँजी समझ बैठे हैं, वह मिट्टी हो जाय।

राजाराम—(आश्चर्य से) आप यह कह क्या रहे हैं ! क्या ऐसा भी कभी सम्भव हो सकता है ?

विहारी—क्यों नहीं ? अगर प्रत्येक भारतवासी आज इस प्रतिज्ञा का पालन करने लगे कि वह सहर ही पढ़नेगा, तो जानते हो, इसका क्या नतीजा हो !

राजाराम—(हँसता हुआ) यही कि मिलो मे सियार बोलते और कबूतर घोसला बनाते नज़र आयें ।

विहारी—किन्तु हमे विश्वास है, ऐसा होगा नहीं । अमिकु चेतंगे और व्यवसायी लोग भी । मैशीन की वृद्धि के साथ ही साथ मज़दूरा की सुविधा और मज़दूरी की तरफ विशेष ध्यान दिया जाने लगेगा ।

राजाराम बोल उठा—आज तो आपने मुझे इतनी बातें पूँजी की वृद्धि के सम्बन्ध में बता दी हैं कि मेरा हृदय ज्ञान और उसके आनन्द से भर गया है । मैं इसे पूँजी के रूप में संचित करके रक्खूँगा ।



इकतीसवाँ अध्याय

प्रबन्ध



मोहन अपने चाचा के साथ कानपुर आया हुआ है। आज वह चाचा के साथ जनरलगंज गया हुआ था। उसको एक धोतीजोड़ा लेना था और एक कुरता बनवाना था। कल उसे पंडित सत्यदेव पांडेय के लड़के की वारात में जाना है। दोनों एक बजाब की दुकान पर बैठे कपड़ा देख रहे थे। दुकान पर भीड़ ज्यादा थी। परन्तु एक ती कपड़ा निकालनेवाले लड़कों की सख्या कम थी, दूसरे जो माल दिलाने के लिए एक बार ग्राहक के सामने पैला दिया जाता था वह ज्यों का त्यों पना रहता था। बाद में उसके ऊपर अन्य पान आ जाते थ। इसका फल यह होता था कि जो कपड़ा दुकान न मौजूद भी रहता था, वह कभी कभी अन्य कपड़ों के ढेर में इस तरह छिप जाता था कि फिर आपही आप दिललाई न देकर मुश्किल से रोजने पर मिलता था।

कई एक धोतीजोड़े मोहन ने देखे, किन्तु उसे पसन्द एक भी न आया। किसी का कपड़ा पसन्द आया, तो किनार नहीं अच्छी लगी। और जा कहीं किनार पसन्द भी आयी, तो कपड़ा नहीं जचा। अन्त में जो दुकानदार उसे कपड़ा दिखा रहा था, वह बोला—नम्बर ४९५३ का धोतीजोड़ा निकालना।

मोहन प्रतीक्षा में था कि ४९५३ नम्बर का धोतीजोड़ा अब आता है, अब आता है। परन्तु जोड़ा न आया। कपड़ा निकालनेवाला लड़का उसे बराबर खोज रहा था। पर वह मिलता न था। बात यह थी कि एक दूसरा

लडका उसे निकालकर एक अन्य ग्राहक को दिखलाने के लिए उसे दूकानदार को पहले ही दे चुका था ।

चाचाबोले—मुझे बेर हो रही है । आपके यहाँ अगर उम नंबर का धोतीजोडा न हो, तो फिर कोई दूसरा ही दिखलाइये ।

दूकानदार उस लडके पर त्रिगड उठा । बोला—ए गोपी, ४९५३ का धोतीजोडा नहीं निकाला अब तक ! इस तरह काम नहीं चलने वा । मुझे अब तुमको जबाब देकर दूसरा आदमी रखना पड़ेगा ।

गोपीनाथ—लालाजी, बहुत देंडा, पर मिलता जो नहीं है ।

चाचा उठ खटे हुए । वे यह कहने ही वाले थे कि अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ । पर उसी क्षण एक और साहब आ गये । वे अलग उलहना देने लगे । बोले—देखिये साहब, चार अदद कपडा जो मैंने इरीदा था पर जाने पर मैंने जो बण्डल खोला तो मालूम हुआ, कि उसमें की एक साडी मेरी यहीं रह गयी और उरुही जगह पर यह ४९५३ नम्बर का धोती जोडा चला आया ।

दूकानदार बोल उठा—ये लोग बिल्कुल अन्धे बनकर काम करते हैं, बाबू साहब । मैं तो इनसे आगिज आ गया । माफ कीजियेगा । किसी साडी अपने पसन्द की थी ?

ग्राहक ने कहा—बह रही, जिसमे किनारी पर हथी की पात है ।

दूकानदार ने उस साडी को, जो पाग ही अब भी पडी हुई थी, उठाकर एक नौकर से कहा—इसे बण्डल की तरह बाघर दे भट से । .. और तब उसने मोहन के चाचा से कहा—लीनिये, वह जोडा यही है । मूल से यह बाबू साहब के बण्डल में चला गया था ।

जोडा मोहन के पसन्द आ गया और दाम चुमाकर चाचा के साथ वह वापस चला आया ।

जब दोनों वापस चल रहे थे, तब मोहन के चाचा ने कहा—यह दूकान बहुत जल्दी घाटे के कारण उठ जायगी । इसका प्रबन्ध बहुत गड़गड़ है । घनोत्पत्ति में प्रबन्ध का बहुत बड़ा स्थान है । जो व्यवसायी प्रबन्ध-कुशल नहीं है, वह कभी सफल हो नहीं सकता ।

घर निकट ही था। मोहन रास्ते में तो कुछ नहीं बोला। पर ज्यों ही निवास स्थान पर आया, ज्योंही उसने वही विषय फिर छेड़ दिया। बोला—आपने कहा था कि धनोत्पत्ति में प्रबन्ध का बहुत बड़ा स्थान है। किन्तु पहले आपने बतलाया कि धनोत्पत्ति के मुख्य साधन हैं—भूमि, श्रम और पूँजी।

चाचा—हाँ गत शताब्दि तक तो धनोत्पत्ति के ये तीन साधन ही माने जाते थे। पर अब इनके सिवा दो और बड़ा लिये गये हैं। पहला प्रबन्ध, दूसरा साहस।

मोहन—लेकिन प्रबन्ध भी एक तरह का श्रम ही तो है। दो तरह का श्रम होता है—शारीरिक और मानसिक। प्रबन्ध को हम मानसिक श्रम में ले सकते हैं।

चाचा—किन्तु श्रमिक तो वही कार्य करता है, जो उसे दिया जाता है। कार्य करने में वह स्वतन्त्र नहीं होता। प्रबन्धक की स्थिति इससे ऊपर है। वह तो अनेक प्रकार के श्रमिकों से, उनकी योग्यता के अनुसार, ठीक ढग से काम लेनेवाला व्यक्ति होता है। उसे पहले स्थान अथवा भूमि चुननी होती है, फिर वह श्रम विभाग के सिद्धान्त के अनुसार श्रमिकों को इकट्ठा करता है। नवीन ढग के, आधुनिक तथा उपयोगी यंत्रों और औजारों का उपयोग उसके उत्पत्ति की वृद्धि करना उसी का काम है। बाखाने के लिए कच्चे माल को उचित मात्रा में, उपयुक्त समय पर, उचित मूल्य पर, ले रखना उसी का कार्य है। 'लागत कम और उत्पत्ति अधिक'—इस सिद्धान्त की ओर निरन्तर दृष्टि रखकर चलना उसके लिए आवश्यक है। बाजार भाव का ज्ञान, अच्छे मूल्य पर माल की निकासी के क्षेत्रों का पता रखना उसका प्रमुख कार्य है। इतना ही नहीं, जन साधारण की रुचि के श्रमिक विकास का अध्ययन करते रहना भी उसके लिए अत्यन्त आवश्यक है।

मोहन—बहुत अधिक जिम्मेदारी का काम है।

चाचा—जिम्मेदारी का तो है ही, किन्तु अधिकांश में सम्भदारी का है। लेकिन प्रबन्धक में और भी कई गुण होने चाहिए। जैसे—

१—साधारण ज्ञान और अनुभव।

२—कौन व्यक्ति वैसा है, किस हद तक विश्वसनीय है, उसमें कितनी योग्यता और कार्य कुशलता है, चटपट इसका निर्याय कर लेने की क्षमता ।

✓३—व्यवहार कुशलता, ताकि सब उससे सन्तुष्ट रहें, उसके प्रभाव से काम करें और उसके आदेशानुसार चलें ।

✓४—देश विदेश की आवश्यकताओं, रुचियों और पेशियों के परिवर्तनों का ज्ञान ।

✓५—माँग और पूर्ति के सिद्धान्त के अनुसार कार्य का आयोजन करने की क्षमता ।

✓६—भवीन यत्नों तथा वैज्ञानिक आविष्कारों का पूर्ण ज्ञान ।

✓७—देश विदेश की औद्योगिक स्थिति का बराबर परिचय रखना, जिससे अवसर आने पर वह अपने माल को अच्छे से अच्छे दाम पर निकाल सके ।

मोहन—आपने तो प्रबन्धक के लिए इतने गुण रत्ता दिये, जितने किसी व्यक्ति में मिलना दुर्लभ है ।

चाचा—समस्त गुण न होने पर अधिकांश गुण रखनेवाला व्यक्ति भी

अपेक्षाकृत अधिक अच्छा प्रबन्धक हो सकता है । परन्तु अभी एक गुण तो

चाक्री ही है । और यह यह कि उसे विज्ञापक बहुत उच्चकोटि का होना चाहिए ।

मोहन—यह गुण तो अपने देशवासियों में अब बहुत लेजी के साथ आ रहा है । स्टेशनों पर देखिये, कितने आकर्षक विज्ञापन देखने को मिलते हैं । ट्रेन पर दवाइयों के एजेंट जब अपनी किसी वस्तु की प्रशंसा करने लगते तब ऐसा जान पड़ता है, मानो धनवन्तरि महाराज का अवतार हो गया है और अब शारीरिक व्याधि नाम की चीज दुनियाँ से उठ ही जायगी ! समाचार पत्रों के आधे से अधिक पृष्ठ विज्ञापन से ही रेंगे रहते हैं । सड़कों से गुजरने पर इधर उधर दीवालें पर महाकाय अक्षरों में इतने बड़े बड़े विज्ञापन देख पड़ते हैं कि सड़का दृष्टि उनपर चली ही जाती है । मेलों अथवा उत्सवों पर कितने अधिक नोटिस हमारे हाथों में पड़ जाते हैं !

चाचा—हाँ, इस क्षेत्र में हमारे यहाँ उन्नति अवश्य हुई है । पर विज्ञापन देने में अत्युक्ति करना उचित नहीं है । इससे प्रादुर्भों को बहुत धोला होता है ।

लेकिन विज्ञापन का एक दूसरा पहलू भी है। और यह कि विज्ञापन का असली उद्देश्य है अपने माल की प्रशंसा अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुँचाना। वस्तु का जितना अधिक प्रचार होगा, उतनी ही अधिक उसकी बिक्री होगी। बिक्री की वृद्धि का अर्थ है माँग की वृद्धि (और माँग की वृद्धि उत्पत्ति के लिए सब से अधिक प्राण-योग्य स्थिति है। इस युग में उत्पत्ति बड़े दायरे पर की जाती है। जो माल तैयार किया जाता है, यह आवश्यक नहीं है कि उसकी खपत केवल स्थानीय ग्राहकों तक सीमित रहे। वरन् सबसे अच्छा और कुशल उत्पादक तो वह होता है जो अपने माल की खरत का चेन खसार भर में पैला हुआ देखना चाहता है। जितने भी देश वाणिज्य व्यवसाय में उन्नत हैं, उनकी औद्योगिक संस्थाओं के प्रबन्धक अपनी वस्तुओं का विज्ञापन करने में इतने कुशल हैं कि उन्होंने विज्ञापन को एक कला बना दिया है। वे लोग विज्ञापन पर लाखों करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। अभी हमारे यहाँ इस कला की महत्ता की ओर उतना ध्यान नहीं गया, जितना अन्य उन्नत देशों में है। विदेशों में अपने देश की वस्तुओं का प्रचार करना अभी हमने यहाँ अपनाया है।

मोहन—हमारे पास इसके लिए उपयुक्त साधन भी तो नहीं हैं। यातायात के अधिकार साधन मुख्यतया विदेशी व्यापारियों के ही हाथों में हैं।

चाचा—तुमने यह विषय बहुत उपयुक्त अरसर पर उपस्थित किया। वास्तव में यातायात के साधनों का प्रबन्ध के साथ बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। जो प्रबन्धक अपनी वस्तुओं के प्रचार तथा निकासी में यातायात के साधनों का मितव्ययिता के साथ उपयोग करना नहीं जानता, आज की प्रतियोगिता-शील दुनियाँ में, वह, व्यावसायिक उन्नति की दृष्टि से, कभी अग्रसर नहीं हो सकता। यातायात के साधनों के उपयोग का अर्थ है अपने पदार्थों को कम से-कम खर्च में ऐसे स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना, जहाँ तत्काल उसकी अधिक-से अधिक माँग हो, अथवा शीघ्र होने की सम्भावना हो। सोचने की बात है कि जिस माल के बनाने में भूमि, श्रम और पूँजी का उपयोग अधिकाधिक परिमाण में किया जा चुका है, यदि वह जहाँ-तहाँ स्थिर

रह गया और मद्रियों में समयानुसार नहीं पहुँचाया जा सका, तो उस माल को तैयार करना व्यर्थ ही तो हो जायगा।

मोहन—किन्तु यातायात के साधन हैं रेल, डाक, तार, समुद्री तथा हवाई जहाज़। और इन पर अधिकार है, या तो हमारी सरकार का, अथवा विदेशी व्यापारियों का। इस कारण महसूल कितना अधिक देना पड़ता है और यातायात की असुविधाएँ कितनी अधिक हैं!

चाचा—पर पहले तो सड़को, नहरों तथा नदियों से ही यातायात होता था। उसमें कितना अधिक समय और धर्म लगता था? तो भी माल न सर्वथा सुरक्षित रहने की कोई गारंटी नहीं थी। केवल समाचार आने जाने में हस्तों और महीनों लग जाते थे। अब तार तथा फोन से ही सौदे लै हो जाते हैं और माल का आर्डर और भुगतान तुरंत कर दिया जाता है। समुद्री तथा हवाई जहाज़ों के द्वारा माल को दूसरे देशों में पहुँचाने की कितनी सुविधा हो गई है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आजकल पोस्टेज बढ़ गया है। पासल से माल भेजने में अधिक पोस्टेज लगाना पड़ता है। इसी प्रकार जहाज़ का किराया अधिक देना पड़ता है। व्यावसायिक उचित के मार्ग में यह एक बड़ी बाधा है। माना कि यातायात के इन आधुनिक साधनों के द्वारा धनोत्पत्ति के प्रबन्ध में कुछ सुविधाएँ हो गई हैं, किन्तु जब तक इन साधनों से हमारी जनता की सुविधाओं का घनिष्ट सम्बन्ध न होगा, तब तक व्यावसायिक दृष्टि से हम धनोत्पत्ति में पूर्ण सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

मोहन—किन्तु प्रबन्धक के सामने एक कठिनाई भी तो रहा करती है। यह निश्चय करना कितना कठिन कार्य है कि भूमि, श्रम, पूँजी तथा प्रबन्ध आदि उरपत्ति के साधनों में से किस पर बहुत अधिक व्यय करे और किस पर कम।

चाचा—बेशक, यह निर्णय करना कम चतुरता का काम नहीं है। किन्तु इसके लिए अर्थशास्त्र में एक नियम ही अलग निर्धारित कर दिया गया है। उसे 'प्रतिस्थापन सिद्धान्त' कहते हैं। इसके द्वारा प्रबन्धक यह विचार करता है कि किस साधन के परिमाण को घटाने और किसकी मात्रा को बढ़ा देने से अभीष्ट लाभ अधिकतम होगा। यह चेष्टा करता है कि सभी साधनों

की सीमान्त उत्पत्ति करीब करीब बरानर रह। इसी को और भी अधिक स्पष्ट करना चाहें, तो कहना पड़ेगा कि प्रत्येक साधन पर व्यय की जाने वाली अंतिम इकाई (दस या सौ रुपये) का प्रतिफल अन्त में बराबर हो। उदाहरणवत् अगर लगान अथवा वेतन बढ़ेगा या पूँजी पर ब्याज का दर बढ़ जायगी, तो प्रबंधक के लिए यह आवश्यक हो जायगा कि वह भूमि, श्रम अथवा पूँजी की माँग कम कर दे। मानी हुई बात है कि जो साधन अधिक सस्ता होगा, प्रबंधक अपेक्षाकृत उसी को आधिक्यता के साथ लगाने पर विवश होगा। उसकी दृष्टि तो इसी बात पर रहती है कि प्रत्येक साधन का उपयोग उतनी ही मात्रा में हो कि उत्पत्ति में वह अधिक से अधिक सहायक हो सके।

मोहन—तब तो क्या अभी उस अनेक कमचारियों को अनायास नाटिस देकर काम से पृथक् भी कर देना पता होगा।

चाचा—क्या नहीं? उसकी दृष्टि तो मुख्य रूप से उत्पत्ति पर रहती है साधन के साथ वह किसी तरह का माह क्यों रखेगा? अगर उसे कोई ऐसी मैशान मिलती होगी, जिससे काम लेने पर कुछ मज़दूरों को कम कर देना पड़ेगा और लाभ आधिक होगा। तो वह ऐसी मैशान लेकर आदमी कम कर देगा क्योंकि मैशान थोड़े समय में अधिक काम करेगा। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाने पर प्रबंधक यह नहीं सोचेगा कि इतने गरीब मजदूरों का क्या हो जायँगे। वह तो बस इतना विचार करेगा कि जो रात अथवा साधन हमारे लिए कम उत्पादक है, उस बदल दिया जाय और उसके स्थान पर एक साधन से काम लिया जाय जो अधिक उत्पादक हो। इसी को 'सम-सामान्य उत्पत्ति नियम' अथवा 'प्रतिस्थापन सिद्धान्त' कहते हैं। *Principle substituted*

इसका उपयोग दो प्रकार से किया जाता है। एक तो ऊपर लिखी रीति से, जिसमें कमचारी कम करके मैशान से काम लिया जाता है। इसमें एक साधन के बदले दूसरे साधन से काम लेना होता है। दूसरी रीति है—किसी साधन के एक प्रकार के स्थान पर उसी साधन के दूसरे प्रकार से काम लेना। मान लो कि वह विभाग में बीस आदमी काम कर रहे हैं और उन पर प्रतिदिन १२॥) खर्च होता है। अब अगर कुछ ऐसे कुशल आदमी उसे

मिल जायँ, जो इतना ही काम पन्द्रह आदमी ही मिलकर कर डालते हैं, और जिनको वेतन में ११) देना होगा तो ऐसी दशा में वह उन २० साधारण योग्यता के आर्दमियों को हटाकर १५ अधिक कार्य कुशल आदमी रखना अधिक पसन्द करेगा। इसी प्रकार यातायात, भूमि, भ्रम आदि के विषय में समझना चाहिए। उदाहरणवत् मान लो कि हमको कोई माल कानपुर से बम्बई भेजना है। पर उसके बम्बई पहुँचने में, जब कि वह मालगाड़ी से जायगा, पन्द्रह दिन लगते हैं। किन्तु वहाँ आवश्यकता तत्काल है। तब वह देखेगा कि अगर पैसेञ्जर ट्रेन से भेज देने में कुछ ही अधिक इन्चर्ज पड़ता है, तो वह उसे स्वीकार कर लेगा। क्योंकि वह देखेगा कि कदा ऐसा न हो कि माल देर से पहुँचने के कारण लाभ के बजाय हानि हो जाय।

ये बातें अभी हो रही थीं कि पंडित सत्यदेवजी ने आकर कहा—पहले हमने सोचा था कि बरात को रेल से ले जायँगे। पर आज हमने उसे लारी से ले चलना ही किया है। इसमें हमें सात आठ रुपयेकी क्षिणायत हो जायगी।

तब तो मोहन चाचा की ओर देखता रह गया।



बत्तीसवाँ अध्याय

' साहस



मोहन अपने चाचा के साथ गंगा स्नान के लिए गगल में धोती दगाये हुए सरसैया घाट की ओर धारे-धारे वातें करते हुए जा रहा है। एक ओर फुटपाथ पर स्त्रियों के आने जाने का मार्ग बना हुआ है। उसी से लगी हुई सड़क है। स्नानाया लोगों की सख्या इतनी अधिक है कि एक मेला सा जान पड़ता है। इक्के, ताग, मोटरें आदि सवारियों पर लोग बराबर इधर से उधर आ जा रहे हैं।

मोहन इसी समय बोल उठा—चाचा, क्या आज कोई पर्व है? स्नान करनेवाले लोग यहाँ इतनी अधिक सख्या में क्यों देख पड़ते हैं। अगर समझकर चलने में जरा सी भा असावधानी हो जाय, तो सवारियाँ से कुचल जाने में देर न लग। और सड़क के एक ओर से दूसरी ओर जाना तो और भी खतरनाक है।

चाचा—इस समय यहाँ हमेशा इसी तरह की भीड़ रहती है। सड़क के किनारे किनारे चलने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होती। क्योंकि यहाँ स्नानार्थी पैदल ही चलते हैं। किन्तु बीच सड़क में चलने पर जरूर विशेष सावधानी की जरूरत पड़ता है। जब वहाँ सवारियाँ इधर-से-उधर काफ़ी तादाद में आ जा रही हैं, तब सड़क के एक ओर से दूसरी ओर जाना ठीक भी तो नहीं है।

मोहन—तो भी जरूरत पड़ने पर लोग पार तो करते ही हैं। सचमुच चाचा ये लोग बड़े साहसी हैं। मैं तो ऐसी दशा में सड़क पार करते हुए कभी इधर से उधर नहीं जा सकता। यह बहुत बड़े साहस का काम है।

चाचा क्षणभर के लिये चुप हो रहे ।

मोहन ने पूछा—क्या सोच रहे हैं ?

चाचा—पंडित सत्यदेन पांडेय के स्वभाव की एक ऐसी ही बात का मुझे स्मरण हो आया ।

मोहन—बतलाइये ।

चाचा—एकवार पांडेयजी अपने कई मित्रों के साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे । विषय यह उपस्थित था कि ऐसा कौन सा व्यापार किया जाय, जिसमें आमदनी स्थायी हो । कालिकाप्रसाद ने कहा—एक डेरी फार्म खोला जाय और दूध की सप्लाई का काम किया जाय । अच्छी दुधार गायें पानी जायें । दूध का दूध होगा और बछड़े होंगे सो अलग । बस लाभ ही-लाभ होगा । तीन वर्ष में मूलधन अलग निरूला आयेगा । फिर सारा खेल मुनाफे में चलेगा ।

इसपर लालताप्रसाद बोले—हाँ, यह व्यवसाय सब से अच्छा है ।

लेकिन पांडेयजी कुछ सोच विचार में पड़ गये । बोले—लाभ तो झरूर हो सकता है, लेकिन...

कालका ने पूछा—लेकिन क्या ?

पांडेयजी बोले—लेकिन यही कि कभी-कभी पशुओं को ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियाँ हो जाया करती हैं कि दो-चार दिनों के अन्दर ही सारे के सारे मर-मरा जाते हैं । कोई आदमी बीमार पड़ जाय, तो उसकी दवा तो हम खुद कर लेते हैं, पर इन पशुओं की बीमारियों का ज्ञान हममें से कितने लोगों को होता है ? वो भाई, इस व्यापार में लाभ जैसा है, इतना उससे कम नहीं है ।

इसपर गोड़ी देर तक फिर बातचीत बन्द रही । अन्त में लालताप्रसाद ने सुझाया—अच्छा, अगर कपड़े की दुकान की जाय, तो ?

पांडेयजी बोले—कपड़े की दुकान में और तो सब ठीक ही ठीक है; पर उधार-खाता बहुत चलता है । सारी रकम डूब जाती है । मान मुलाहजे में किसको किसको इनकार किया जाय ?

कालका बोले—हाँ, तुमने ठीक सोचा । इस व्यापार में कम इतना नहीं है ।

तब कातका बाबू ने ही प्रस्ताव किया—अच्छा तो फिर ककड़ी का टाल

क्यों न खोला जाय ? थोड़े समय में रुपये दूने होते हैं। लकड़ी चार पाँच मन के भाव में देहान से आती है, और यहाँ दो मन के भाव से विकती है। चिराने भर की मजदूरी का ज़र्चा पड़ता है।

लालता उछल पड़े। बोले—बस, यही ठीक रहा।

पर पाँडियजी की तबियत तब भी नहीं भरी। बोले—और तो सब ठीक ही ठीक है, पर जो कहीं लकड़ों के ढाल में आग लग गई, तो ?

तब लालता और कालका दोनों एक साथ कहने लगे—हाँ, यह बात तो है ! आग अफसर लकड़ी के ढाल में ही लगती है ! दोस्त दुश्मन तो फिर हरएक आदमी के होते ही हैं। कौन जाने, कब क्या हो !

इस तरह ये पाँडियजी महाराज भी कम साहसी नहीं हैं।

और इतना कहकर चाचा मुसकराने लगे।

मोहन—पर इस उदाहरण से आपका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट भी तो कीजिये।

चाचा—ये लोग मूल ही में कितनी बनी गलती कर रहे थे ! तुम्हें मालूम है, भूमि, श्रम, पूँजी और प्रबन्ध—ये चार धनोत्पत्ति के साधन हैं। पर इनके सिवा, ऐसा ही आवश्यक एक साधन और भी है। और वह साहस है। जीवन में अगर साहस ही नहीं है, तो मनुष्य की उन्नति की कोई आशा नहीं...की जा सकती। धनोत्पत्ति में भी साहस की ऐसी ही उपयोगिता है। मान लो कि धनोत्पत्ति के जितने भी अन्य साधन हैं किसी व्यक्ति के पास उनकी यथेष्ट व्यवस्था है। भूमि, श्रम और पूँजी का काफी सगठन है। प्रबन्ध भी वह कर सकता है। पर उसके मन में एक तरह का भय बना हुआ है कि कहीं ऐसा न हो कि इसमें लाभ होने के बजाय हानि हो। वह दूर सोच विचारकर काम करता है। प्रत्येक पैसे की उपयोगिता पर उसकी दृष्टि रहती है। पर वह हानि उठाने के लिए तैयार नहीं है। वह एक निश्चित आय चाहता है। मासिक वेतन लेना भी उसे स्वीकार है। पर वह इस झुझड़ से दूर रहना चाहता है कि अगर हानि हो तो उसको सहन करना उसके लिए अनि-वार्य हो जाय। सोचने की बात है कि इस प्रकार अन्य समस्त साधनों के होते हुए भी धनोत्पत्ति का आयोजन कार्य रूप में परिष्कृत हो नहीं सकता।

मोहन—हाँ, साहस के बिना तो ऐसा सम्भव नहीं है ।

चाचा—क्योंकि धनोत्पत्ति तो तभी होती है, जब किसी व्यक्ति में इतना साहस होता है कि वह हानि-लाभ का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेता है । अर्थशास्त्र में इस जिम्मेदारी को जोखिम कहते हैं ।

मोहन—किन्तु जो लोग कारखाना खोलते और चलाते हैं, वे हानि लाभ सहने की हिम्मत भी रखते हैं । और ऐसा तभी हो सकता है जब कोई एक ही व्यक्ति भूमि, धन और पूँजी लगाकर धनोत्पादन की पूर्ण व्यवस्था करले... ।

बात काटते हुए चाचा बोले—व्यवस्था शब्द के बजाय यहाँ तुम्हें प्रबन्ध शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए । पारिभाषिक शब्दों को बदलना ठीक नहीं होता ।

मोहन—अच्छा, प्रबन्ध ही सही । हाँ, तो वह अगर हानिलाभ की जोखिम भी उठा ले, तब तो साहस का कोई विशेष महत्व न रह जायगा ।

चाचा बोले—जोखिम उठाने की शक्ति का ही दूसरा नाम साहस है । फिर यह उदाहरण उत्पत्ति की साधारण स्थिति के लिए ही लागू हो सकता है । पर आजकल तो धनोत्पत्ति का कार्य इतने बड़े दायरे से होता है कि उसमें हजारों भूमि लगते हैं और करोड़ों रुपया व्यय होता है । बहुतेरे पूँजीपति ऐसे कार्य में अपना रुपया लगाने को तैयार रहते हैं । पर वे अपने रुपये के लिए एक निश्चित सूझ की भाँष की गारंटी चाहते हैं । वे इस तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते कि उनके मूलधन में ही कमी पड़ जाय । वे ऐसे व्यक्ति को इस धनोत्पत्ति के काम में सम्मिलित करना चाहते हैं, जिसके पास उत्पादन में लगाने के लिए थोड़ी-बहुत निजी पूँजी अवश्य हो और जिसमें इतनी योग्यता हो कि वह प्राप्त पूँजी का उपयोग धनोत्पत्ति के लिए ऐसे उत्तम ढंग से करे, ऐसे ऐसे साधनों से काम ले और जोखिम सहने की उसमें इतना दम हो कि कारखाने की हानि का सब जोखिम अपने ऊपर ले ले और यदि विशेष मुनाफा हो तो उसे भी ले ले । इस प्रकार धनोत्पत्ति में प्रबन्ध के होते हुए भी साहस अपना एक अलग महत्व रखता है ।

मोहन—लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रबन्धक साहस से काम लेना

जानता ही न हो। जिस प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि साहस ररते हुए कोई व्यक्ति प्रबन्ध करने की योग्यता से रहित ही हो।

चाचा—सिद्धान्तरूप से तो तुम्हारा यह कथन यथार्थ है। पर प्रायः देखा यही जाता है कि प्रबन्धक अगर साहसी व्यक्ति से पृथक होता है, तो प्रायः वह वैतनिक होता है। और उस दशा में उसके साथ उसका मालिक और नौकर का सा सम्बन्ध रहता है। इसके सिवा साहसी और प्रबन्धक में मूलतः एक भेद है। पूँजीपति प्रायः साहसी व्यक्ति से भिन्न होता है। साहसी को तो यह आश्वासन रहता है कि अगर कारखाना चलेगा, तो मुझे लाभ का अंश मिलेगा। अतएव वह बहुत अशो में दूरदर्शी और बुद्धिमान होता है। पर पूँजीपति को इस बात से कोई प्रयोजन नहीं रहता कि कारखाना चले ही उसे तो अपने रुपये के सूद से मतलब है, कारखाना चले, चाहे पन्द हो जाय। और इसलिये उसके सूद को चुकाते रहने की जिम्मेदारी सदा साहसी पर होती है।

मोहन—तब तो साहसी का वाम सब से अधिक जिम्मेदारी का है।

चाचा—निस्सन्देह। किन्तु एक सन से बड़ी बात उसके पक्ष में भी है। उत्पत्ति के अन्य जितने भी साधन हैं, सबके प्रतिफल निर्धारित रहते हैं। भूमि के लिए लगान—अथवा मकान के लिए किराया—निश्चित रहता है। श्रमिक के लिए वेतन, पूँजी के लिए सूद और प्रबन्धक के लिए वेतन भी सदा निश्चित रहता है। पूर्व निश्चित इन साधनों में न अधिक रकम दिया जा सकता है, न कम। किन्तु साहसी के लाभ की तो सीमा नहीं है। वह सदा अस्थायी, अनिश्चित और अनिर्धारित रहता है।

मोहन—तब तो उसे कभी कभी अपने घर से देना पड़ता होगा।

चाचा—क्यों नहीं? उसे तो सब से पहले अन्य साधनों का स्वर्च चुकाना पड़ता है। अगर कुछ बचता है, तो भले ही वह उसे ले सके, अन्वया लेना बराबर करना ही सब से पहले उसके लिए आवश्यक होता है। अन्य साधन सदा उससे माँगते हैं। किन्तु वह किसी व्यक्ति से न माँगकर अपनी उत्पत्ति से माँगता है। इसीलिए वह सदा इस बात की चेष्टा किया करता है कि उत्पत्ति के अनुपात के अनुसार अन्य साधनों पर होनेवाला व्यय अपेक्षाकृत

कम रहे। कम से-कम रुपया इर्च करके अधिक से अधिक उत्पत्ति करने की योग्यता होना उसके लिए बहुत आवश्यक है।

मोहन—तब तो ऐसे व्यक्ति को बहुत विचारवान होना चाहिए।

चाचा—विचारवान ही क्यों, उसे तो बात का धनी, प्रकृति का दृढ, हृदय का सच्चा, उत्साही, सदाचारी, प्रभावशाली और जनता का विश्वासपान होना चाहिए।

मोहन—आपने तो इतने अधिक गुण बतला दिये कि मैं तो डर गया।

चाचा—एक भी ऐसा गुण मैंने नहीं बतलाया, जो अनावश्यक हो। अगर वह प्रकृति का दृढ न होगा, तो हानि की सम्भावना होने पर विचलित हो जायगा। तब उसमें वह उत्साह ही न रह जायगा, जिसके द्वारा वह नयी-नयी बातें सोचता और उन्हें कार्यरूप में परिणत करता है। यदि वह बात का धनी न होगा, तो पूँजीपति लोग खुद पर उसे रुपया कैसे देंगे ?—उसके अधीनस्थ कर्मचारी उससे सन्तुष्ट और प्रसन्न कैसे रहेंगे ! अगर वह प्रभावशाली और सदाचारी न होगा तो अच्छे और योग्य सहायक उसके आशाकारी न होंगे। इसके बिना इन गुणों के कारण सर्वसाधारण जनता का विश्वासपान भी वह बराबर बना रहेगा। कोई भी काम वह नया चालू करेगा, तो लोग उसकी सफलता पर सहज ही विश्वास कर लेंगे। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति अनुभवी तथा विचारवान होना चाहिए।

मोहन—पर ऐसे व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलते हैं।

चाचा—हाँ, जब देश में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम होती है, तब उसका बहुत-सा धन बेकार पड़ा रहता है। लोग उसे उत्पत्ति के कार्यों में न लगाकर, उसे बढ़ाने के मार्ग पर न चलाकर, बिल्कुल स्थिर और जड़ बना डालते हैं। या तो ज़मीन में गाड़कर रखते हैं, या आभूषण बनवा लेते हैं।

मोहन—लेकिन आभूषण बनवा लेने से तो उसकी मात्रा और कम हो जाती है। क्योंकि उनही गड़ाई का मूल्य उसी में खप जाता है।

चाचा—पर वे सोचते यह हैं कि यह हानि फिर भी उस हानि से किसी

ऊँदर कम ही है, जो उस रूपे को किसी ऐसे काम में पैसा देने से होगी, जो कुछ ही समय तक चलकर बन्द हो जानेवाला है। इसके विपरीत जिन देशों में साहसी व्यक्ति अधिक होते हैं, वहाँ धन का सदुपयोग सदा उत्पत्ति के कार्यों में होता है। उससे व्यवसाय की वृद्धि होती है। लोग कार्यशील और कर्तव्यपरायण बनते हैं। व्यवसाय की वृद्धि से सम्यता, शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा के साधनों की उत्तरोत्तर उन्नति होती है। हमारे देश में तो ऐसे युवकों की बहुत अधिक आवश्यकता है, जो साहसी हों और हानि-लाभ का जोखिम उठाकर नाना प्रकार के व्यवसायों का योग्यतापूर्वक संचालन करने की जिनमें अद्भुत शक्ति हो। देश की उन्नति का स्वप्न देखनेवाले नेताओं का यह सबसे पहला कर्तव्य है कि वे युवकों में साहस का संचार करने की ओर पहले ध्यान दें और उनकी शिक्षा विशेषरूप से ऐसे ढंग की हो जो उन्हें साहसी और वीर बनाये।

रास्ता तै हो गया था। दोनों अचानक घाट के निम्न आ गये थे। गंगा के किनारे आकर घाट पर के तरत पर बैठकर चाचा ने कहा—उत्तम धर्मों, व्यवसायों तथा व्यापारक क्षेत्रों में साहस का ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है यह जानने के लिए पहले इन बातों के ज्ञान की आवश्यकता है कि कौन-कौन वस्तुएँ कहाँ से आती हैं वैसे बनती हैं, किसी प्रकार के वारगाने के लिए कच्चा माल कहाँ से आता है, माल की निर्यात का प्रबंध किस तरह किया जाता है, कब माल पहुँगा होता है, कब सस्ता, वारगाने को सफ़ट स बचाने, इडतालों के प्रभाव से उसे सुरक्षित रखने के लिए वैसे प्रबन्ध अथवा अनुशासन की आवश्यकता होती है।

पर ये ऐसी बातें हैं, जिनकी शिक्षा स्कूलों तथा कालेजों में प्रायः नहीं मिली करती। इसके लिए तो आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश के सम्पन्न उत्साही नवयुवक शिल्प क्षेत्रों तथा कल-कारखानों में जाकर, कुछ दिन विभिन्न विभागों में काम करने उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करें। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक हमारे देश की व्यावसायिक उन्नति आजकल का आवश्यकता के अनुरूप उच्च शिखर पर कभी पहुँच नहीं सकती।

हँसते हुए मोहन तब बोल उठा—चाचा, घर पहुँचने पर मैं पाडेय जी से कहना चाहता हूँ कि बारात तो लिये चलते हो, पर अगर कहीं रास्ते में डाँका पड़ गया तो ?

चाचा सिलखिला कर हँस पड़े ।



तीसवाँ अध्याय

उत्पत्ति के नियम



राजाराम अमी बिहारी के घर आया ही या कि उसने खेती बारी का हाल चाल जानने की इच्छा से पूछा—बहो राजाराम, प्रसन्न तो हा, अच्छी तरह से तो रहे !

राजाराम ने खलाई के साथ उत्तर दिया—हाँ, आपकी कृपा से, जैसा कुछ हूँ अच्छा ही हूँ ।

बिहारी—तो इसका मतलब यह है कि प्रसन्न नहीं हो । जान पड़ता है, इस वर्ष खेती की उपज औसत से भी कम रही । क्यों, है न यही बात ?

राजाराम—नेत्रल इसी साल ऐसी कोई ग्रास जाव होती, तब तो शिकायत की गुजाइश ही न थी । परन्तु मैं तो इधर कई साल से बराबर यही देख रहा हूँ कि चाहे जितनी कोशिश करूँ, लागत लगाने में भी चाहे एक बी नगह डेढ स्रचं करूँ, परन्तु उपज बढना दूर रहा, उतनी भी नहीं होती, जितनी पिछले वर्ष हुई थी । ऐसा जान पडता है, मानो हमपर कोई ईश्वरीय कोप हो ।

बिहारी—केवल तुम्हारे ही खेतों की उपज का यह हाल है या गाँव के अन्य किसानों की भी यही दशा है ।

राजाराम—भीतरी हाल क्या है, यह तो मैं नहीं कह सकता । लेकिन रोगा सभी इसी तरह रोते हैं । अलबत्ता कुछ नये किसान जरूर ऐसे हैं, जिनके खेतों की उपज बढी है । पर सम्भव है, इसका एक कारण यह भी हो कि उन्हें इमरान भी नया मिली है ।

यहाँ दो बातें जान लेने की और हैं। एक तो यह कि इन नियमों का सम्बन्ध केवल उत्पत्ति की मात्रा से है। वस्तु के मूल्य से इसका यहाँ कोई सम्बन्ध नहीं है। जब तक एक निश्चित रकम लागत-वर्च के रूप में लगती रहने पर उत्पत्ति की मात्रा में कोई अन्तर नहीं पड़ता, तब तक जो नियम जिया सीमा से लागू होता आ रहा है, उसी सीमा से लागू होता जायगा। वस्तु के मूल्य की घटती बढ़ती का उससे कोई सम्बन्ध न होगा।

दूसरी बात यह है कि जिस सीमा से क्रमागत उत्पत्ति हास-नियम का जन्म होता है, उसी सीमा पर उत्पादक को हानि भी होना प्रारम्भ हो जाय, यह आवश्यक नहीं है। साथ ही यह भी आवश्यक नहीं है कि उत्पादक उसी सीमा पर अधिक लागत-वर्च लगाना बन्द कर दे। लागत-वर्च खेत में किस सीमा तक लगता है, इसका सम्बन्ध वस्तु के मूल्य से है।

राजाराम—अच्छा, यह दिशाव तो हुआ खेतों के सम्बन्ध में। अब कारखाने के सम्बन्ध में बतलाइये।

निहारी—देखो, 'धन की उत्पत्ति' नामक पुस्तक में, इस सम्बन्ध में एक सारियाँ दी हुई है। इसमें एक सूती कपड़े के कारखाने का लागत वर्च और उसकी उत्पत्ति की मात्रा दी गयी है।* जब लागत-वर्च १ हजार रुपये था, तब सम्पूर्ण उत्पत्ति २ हजार गज और सीमान्त उत्पत्ति २ हजार गज थी। फिर जब लागत वर्च एक एक हजार रुपये के रूप में बराबर बढ़ाया गया, तब १३ हजार तक पहुँचने पर सम्पूर्ण उत्पत्ति ६५ हजार गज और सीमान्त उत्पत्ति ८ हजार गज रही। इसके बाद लागत-वर्च जब १४ हजार कर दिया गया, तब भी सम्पूर्ण उत्पत्ति ७३ हजार गज और सीमान्त उत्पत्ति ८ हजार ही रही। तदन्तर लागत-वर्च जब १५ हजार कर दिया गया तब सम्पूर्ण उत्पत्ति ८०½ हजार गज और सीमान्त उत्पत्ति ७½ हजार गज हो गयी।

* देखिये दुबे और बेला—धन की उत्पत्ति।

इस उदाहरण में जो लागत खर्च दिया गया है, उसमें जमीन का लगान, मजदूरी, पूँजी का मूँड, मेशीनों की घिसाई, लाभ, कमीशन, विशापन, कच्चे माल तथा भाप रिजली इत्यादि का खर्च भी सम्मिलित है। यहाँ विचार करने की बात यह है कि एक हजार के लागत खर्च से लेकर ज्यों ज्यों कारखाने का लागत खर्च बढ़ता गया है, सीमान्त उत्पत्ति १३ हजार रुपये लागत-खर्च तक बढ़ती गई है। फिर लागत-खर्च १४ हजार होने पर सीमान्त उत्पत्ति स्थिर हो गई है। अर्थात् १३ हजार तक सीमान्त उत्पत्ति में जो वृद्धि हुई वह क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम के अनुसार हुई। इसके पश्चात् जब सीमान्त उत्पत्ति १४ हजार के लागत खर्च पर स्थिर हो गई तब वह स्थिरता क्रमागत-समान उत्पत्ति नियम के अनुसार हुई। तदन्तर क्रमागत-उत्पत्ति हास नियम के अनुसार सीमान्त उत्पत्ति बराबर कम होती गयी।

यहाँ भी विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि कारखाने का मालिक उत्पत्ति के हास की इस सामा पर आकर भी लागत खर्च लगाना बन्द नहीं कर सकता। इसका सम्बन्ध तो वस्तु के मूल्य पर निर्भर करता है।

राजाराम—यह तो सब मैं समझ गया। अब यह भी तो बतलाइये कि किस सीमा पर अधिक लागत खर्च बन्द कर दिया जाता है ?

बिहारी—जिस सीमा पर सीमान्त लागत का खर्च और सीमान्त उत्पत्ति का मूल्य बराबर होता है, उसी सीमा पर उत्पादक को सबसे अधिक लाभ होता है और तभी वह अधिक लागत खर्च लगाना बन्द कर देता है। उत्पत्ति का मूल्य बाजार-भाव के साथ घटता बढ़ता रहता है, इसलिये वह सीमा, जिस पर उत्पादक अधिक खर्च लगाना बन्द कर देता है वस्तु के मूल्य के साथ ही साथ घटती बढ़ती रहती है।

राजाराम—क्या आधुनिक नवीन मुधारों का खेती की उत्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ?

बिहारी—हाँ, नवीन मुधारों के द्वारा लागत खर्च से होनेवाली सीमान्त उत्पत्ति में निस्संदेह वृद्धि होती है। देखो, उसी पुस्तक में इस विषय में ये शक दिये हुए हैं—

| रुपयों में लागत-खर्च | सीमान्त उत्पत्ति मनो में मुधार के पहले | सीमान्त उत्पत्ति मनो में मुधार के पश्चात् |
|-------------------------|---|--|
| २५ | १० | ११ |
| ५० | १२ | १३ |
| ७५ | १४ | १५ |
| १०० | १५ | १७ |
| १२५ | १५ | १८ |
| १५० | १४ | १९ |
| १७५ | १३ | २० |
| २०० | १२ | २० |
| २२५ | १० | १८ |
| २५० | ८ | १६ |

इन अंकों को देखने से पता चलता है कि जब नये तरीकों से खेती नहीं होती थी तब १५० रुपये खर्च करने पर ही सीमान्त-उत्पत्ति का हास आरम्भ हो जाता था, पर नये तरीकों से खेती होने पर सीमान्त-उत्पत्ति का हास २००) लागत खर्च के बाद होता है।

राजायाम—अर्थात् खेती में मुधार करने से जिस सीमा पर क्रमागत-उत्पत्ति हास-नियम लागू होता है उस सीमा में वृद्धि हो जाती है।

निहारी—हाँ, वस यही बात है। और इन सब बातों का अर्थ यह है कि—

✓ १—किसी खेत अथवा कारखाने में जब लागत खर्च में वृद्धि हो जाती है तो पहले उस खेत की सामान्त उत्पत्ति बढ़ती है, फिर एक हद तक स्थिर रहती और तदन्तर घटने लगती है।

✓ २—क्रमागत-उत्पत्ति का हास नियम खेती में जल्दी लागू होता है, कारखानों में कुछ देर से।

✓ ३—जिस सीमा पर क्रमागत-उत्पत्ति का हास नियम लागू होता है, वस्तुओं की दर की घटा-बढ़ी का उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

✓ ४—वस्तु का मूल्य बढ जाने पर, जिस सीमा पर लागत खर्च बन्द कर

दिया जाता है, वह सीमा बढ जाती है और मूल्य घट जाने पर वह सीमा भी घट जाती है।

२—उत्पत्ति के तरीकों में अगर सुधार हो जाता है, तो क्रमागत उत्पत्ति हास नियम की सीमा बढ जाती है।

राजाराम—परन्तु जब उत्पत्ति बढने लगती है, तो वस्तुओं का लागत खर्च भी वा औसत से कम होने लगता है।

विहारी—हाँ, तुम्हारा यह कथन बिल्कुल ठीक है। परन्तु इसकी भी सीमाएँ हैं। जैसे जैसे किसी खेत या कारखाने में लागत खर्च बढाया जाता है, वैसे ही वैसे उस खेत या कारखाने की उत्पत्ति में भी वृद्धि होती है। और उत्पत्ति में वृद्धि होने का अर्थ है वस्तुओं की उत्पत्ति का लागत-खर्च औसत में कम पडना। परन्तु एक सीमा के बाद वस्तुओं की उत्पत्ति का परिमाण बढने पर लागत खर्च का वह औसत भी बढने लगता है।

राजाराम—अच्छा क्या अर्थशास्त्र में इस विषय का कोई उपयुक्त विधान नहीं है कि किस व्यवसाय में क्रमागत-उत्पत्ति हास नियम जल्दी लगता है और किसमें देर से ?

विहारी—व्यवसायों के सम्बन्ध में इस तरह का कोई निश्चित विभाजन तो अभी तक नहीं हुआ। किन्तु इतना निश्चयात्मक रूप से कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यवसाय में एक ऐसा सीमा आ जाती है, जहाँ सीमांत उत्पत्ति का क्रमागत हास होने लगता है। बात यह है कि अन्ततोगत्वा प्रत्येक प्रकार की उत्पत्ति किसी न किसी अर्थ में निर्भर तो प्राकृतिक साधनों पर ही है। इस विषय में सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल महोदय का कथन है कि उत्पत्ति में जो भाग प्रकृत का हाता है, उसके द्वारा क्रमागत उत्पत्ति हास की अधिक सम्भावना रहती है और जो भाग मानव बुद्धि अथवा श्रम का होता है, उसके द्वारा क्रमागत-उत्पत्ति वृद्धि की विशेष सम्भावना रहती है। स्पष्ट है कि सेती आदि पर प्रकृति अपना अधिकार रखती है और कारखानों में नवीन मशीनों के आविष्कारों अथवा उत्पत्ति के नवीन प्रकारों के द्वारा क्रमागत-हास का स्थिति क्रमशः स्थगित होती जाती है। तभी छोटे कारखानों बन्द हो जाते और बड़े कारखानों में मिल जाते हैं। यहाँ कारण है कि तैयार माल के उत्पादन

में कच्चे माल के उत्पादन की अपेक्षा क्रमागत-उत्पत्ति हाथ-नियम देर से लागू होता है ।

राजाराम—तो आपका मतलब यह है कि खेती के तरीकों में सुधार किये बिना अन्न गति नहीं है ।

विहारी—मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ, जब तुम अपनी खेती में आधुनिक सुधारों का सहारा लेकर आशातीत उन्नति करोगे ।



चौतीसवाँ अध्याय

धनोत्पत्ति के क्रम

मोहन अपने चाचा के साथ बारात में ढहरा हुआ है। बारात में कुल मिलाकर पचास के लगभग आदमी होंगे। गाँव के बाहर एक मन्दिर है। मन्दिर के साथ साथ धर्मशाले के रूप में एक मकान और फुलवाड़ी है। उसी में बारात ढहराई गई है।

सवेरे का समय है। अनेक जत्थों में बैठे हुए बाराती लोग ताश खेल रहे हैं। कोई भाँग टट्टाई छान रहा है। इसी समय मोहन ने देखा—एक काला काला आदमी नगे बदन, सिर्फ़ एक मैली धोती पहने और कंधे पर एक भोली डाले चला आ रहा है। देखते ही मोहन ने कहा—चाचा देखो, यह आदमी कितना काला है।

चाचा ने कहा—सम्भवतः यह कमंड है और जगल म रहता है।

मोहन—जगल में ये लोग कैसे रहते होंगे चाचा।

चाचा—हम लोगों के आदि पूर्वज भी तो कभी-न-कभी जगलों में ही रहते थे।

मोहन ने आश्चर्य से कहा—अच्छा !

चाचा—मनुष्य आज जो इतना सभ्य बन गया है कि उत्पत्ति के आधुनिक स्वरूपों के प्रति यदा-कदा सशक हो उठता है, उसे यह जानना चाहिए कि प्रारम्भ से ही वह ऐसा नहीं रहा है। आदि काल से लेकर अर तक धनोत्पत्ति सम्बन्धी चेष्टाओं में बहुत व्यापक परिवर्तन हुए हैं और उसने उन्हें पार किया है। कल-कारखानों की वृद्धि का यह युग तो अनेक

परिस्थितियों में से होकर आया है। प्रकृत रूप में पहले पहल मनुष्य क्या था और उसने कितनी अवस्थाएँ पार करके धनोत्पत्ति में आज की सुविधाएँ प्राप्त की हैं, इसका बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध मानव सम्यक्ता के इतिहास से है। सक्षेप में हम इतना ही कह सकते हैं कि उत्पत्ति के क्रम-विकास की ओर अगर हम ध्यान दें, तो हमारी दृष्टि जिन अवस्थाओं पर जायगी वे ये होंगी—

- १—शिकारी जीवन ३—कृषि जीवन ५—कल-कारखानों की अवस्था
 २—पशु-पालन ४—कारीगरी या दस्तकारी ६—साम्यवाद
 ७—एकतथवाद

मोहन—शिकारी जीवन से आपका क्या मतलब है ?

चाचा—वात यह है कि आदिकालीन मनुष्य तो अनेक वस्तुएँ पैदा करने या बनाने की रीतियों से परिचित था नहीं। वह न खेती करना जानता था, न पशुओं से काम लेना। गाँव में रहने की स्थिति ही न आयी थी। यहाँ तक कि गाँव का स्वरूप भी तब निश्चित नहीं हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति की मुख्य आवश्यकता थी पाना-पीना। और इसके लिए उसे किसी दूसरे व्यक्ति का अवलम्ब अथवा सहयोग लेने की भी आवश्यकता न थी। पानी पीने के लिए पहाड़ी प्रदेशों में झरनों और मैदानों में नदियाँ तथा भीलों का जल था। भोजन के लिए वह या तो जंगली फलों का उपयोग करता, अथवा जंगली जानवरों का शिकार करता और उनका मांस भूनकर खा जाता।

आश्चर्य से चकित होकर मोहन ने कहा—अच्छा फिर।

चाचा—इसके पश्चात् पशु पालन की अवस्था आई; क्योंकि शिकारी जीवन में उसे कुछ असुविधाएँ हुईं। वात यह हुई कि उस अवस्था में निश्चित समय पर भोजन मिलना दुष्कर था। इसके सिवा जंगली जानवरों से रक्षा करने का भी एक प्रश्न सामने उपस्थित हो गया था। तब अलग-अलग रहने की अपेक्षा सिले-सिले हुए जगहों के रूप में रहने की आवश्यकता ज्ञान पड़ी। इसी समय पशु-पालन की युक्ति काम में लायी गयी। गाय भैंस तथा बकरी आदि के दूध का उपयोग करने का परिचय मिला। तभी नदी तथा समुद्र-तटों पर घूमने तथा मछलियाँ पकड़ने के सिलसिले में जाल और नाव बनाना उसने सीखा। जहाँ अपने तथा पशुओं के लिए खाद्यसामग्री विशेष

माना में मिलती, वहीं वह जत्या टहर जाता। पर इस अवस्था में भी एक स्थान पर रहने का सुख उठाने से वे लोग वंचित ही रह जाने थे।

मोहन—अच्छा फिर।

चाचा—पशुपालन की अवस्था के पश्चात् क्रमशः उन्नति करते-करते मनुष्य ने कृषि कार्य करना सीखा। अब उसको खेती से भोजन भी मिलने लगा और वस्त्र भी। पशुपालन की अवस्था तक वह एक स्थान पर न रहकर घूमता फिरता रहता था। किन्तु खेती करने पर प्रयत्न तैयार होने तक उसे एक ही स्थान पर रहने के लिए विवश होना पड़ा। तभी एक साथ कुछ भूखण्डे बनाकर रहने की आवश्यकता प्रतीत हुई। कालान्तर में भूखण्डों ने घर का रूप धारण किया और तब मनुष्य जगली न रहकर ग्रामवासी बन गया, सभ्यता की वृद्धि से अब प्रत्येक देश में नगरों की प्रचुरता जान पड़ती है। किन्तु सत्तार की अधिकांश जनता अब भी गावों में ही निवास करती है।

मोहन—अच्छा उस समय जब सभी लोग खेती करते थे, तब खेतों की भूमि पर अधिकार किसका रहता था ?

चाचा—हर एक व्यक्ति जितनी भूमि का उपयोग कर सकता था, उतनी भूमि का वह अधिकारी प्रकृत रूप में हो जाता था। उस समय भूमि के कम या अधिक ले लेने का कोई प्रश्न नहीं था। जितनी भूमि व्यक्ति के अधिकार में रहती थी, वह उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति हो जाती थी। एव कारण इसका यह भी था कि उस समय जन-संख्या इतनी अधिक नहीं थी। भूमि बहुत थी, किन्तु उसका उपयोग करनेवाले व्यक्तियों की संख्या कम थी। अतएव परस्पर झगड़ने की गुंजायश ही न थी।

मोहन—तो उस समय खेती करके ही क्या मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी ?

चाचा—हाँ, उस समय का कृषिजीवी मनुष्य पूर्ण स्वावलम्बी था। अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ वह मिल-जुलकर स्वयं बना लेता था। जो लोग खेती करने के शौनार, घर के लिए दरवाजा आदि लकड़ी अथवा लोहे की चीजें बनाते थे, वे कारीगर कहलाते थे। कार्य कुशलता के ही आधार पर जातियों के नाम पड़ते थे। लोहे की चीजें बनाने वाला लोहार,

घड़े बनाने वाला कुम्हार, लकड़ी का काम बनानेवाला बडई, तेल पेर देनेवाला तेली, कपड़ा हुननेवाला छुलाहा, रात को गश्त लगाने वाला पहरेदार अथवा पहरेदार कहलाता था। जो चीजें गाँव में नहीं मिलती थीं, वे बाजार में मिल जाती थीं। और बाजार चार छे गाँवों के बीच में एक ऐसे गाँव में होता था, जिसमें बस्तो अन्य गाँवों की अपेक्षा कुछ अधिक होती थी।

मोहन—किन्तु व्यापार तो तब शुरू नहीं हुआ था। बाजार में विक्रता क्या होगा ?

चाचा—सिर्फ दो चीजें ऐसी थीं, लोहा और नमक, जिनको पाने के लिए कृषि जीवी मनुष्य ने प्रारम्भ में विशेष अनुविधा का अनुभव किया था और उन्हीं को एक स्थान पर रखकर बेचने के लिए सर्वप्रथम व्यापार को जन्म देने की आवश्यकता पड़ी। तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि आज भी व्यवसाय के अर्थ में व्यापार शब्द विशेष रूप से ही प्रयुक्त होता है। अन्वया व्यापार का मूल अर्थ है व्यवहार।

इसने तब एक बात और है। लोहा और नमक के लिए यद्यपि व्यापार की सृष्टि हो गयी थी, किन्तु खरीदने के लिए बदले में दिया जाता था केवल अनाज। उस काल में मुद्रा का प्रचार नहीं हुआ था। हमारे देश के गाँवों में आज नवीन सभ्यता का प्रसार चाहे जितना अधिक हो गया हो, किन्तु माग भाजी आदि बस्तुएँ अब भी अनाज के द्वारा मिल जाती हैं। धोबी, नाई, बडई आदि सेवक जातियों को गाँवों में खज भी फसल पर अनाज ही दिया जाता है।

मोहन—यह तो हुई गाँव के निर्माण की बात। अब यह बतलाइये कि नगरों का निर्माण कैसे हुआ ?

चाचा—बात यह है कि स्योन्वो मनुष्य आर्थिक दृष्टि से सुखी होता जाता है, स्योन्वो उसकी आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं। प्रारम्भ में जब मनुष्य केवल कृषिजीवी था, तब उसकी आवश्यकताएँ बहुत सीमित थीं। मुख्यतया उसे भोजन-वस्त्र की आवश्यकता होती थी। कालान्तर में जब मनुष्य ने कुछ आर्थिक उन्नति करली, तब उसकी आवश्यकताएँ भी बढ़ने

लगीं। यहाँ विचार करने योग्य बात यह है कि भोजन और वस्त्र सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कृषि से हो सकती है, पर अन्य वस्तुओं का पूरा सम्बन्ध कृषि से ही नहीं है। ये वस्तुएँ इसमें शक नहीं कि उसी कच्चे माल से तैयार की जाती हैं, चिनका सीधा सम्बन्ध कृषि द्वारा उत्पन्न हुए पदार्थों से होता है। परन्तु उनको तैयार करने में जिन साधनों की आवश्यकता होती है उसके लिए शिल्प, दस्तकारी अथवा कारीगरी की विशेष आवश्यकता होती है। और एक कारीगर अगर गाँव में अकेला रहता है, तो वह उतना कार्य कुशल नहीं हो सकता, जितना उस दशा में हो सकेगा, जब वह अन्य कारीगरों के साथ रहेगा। इसके सिवा कारीगर सदा ऐसे स्थान में रहना पसन्द करता है, जहाँ उसकी आवश्यकता का सारा कच्चा माल, काफी तादाद में, एक साथ मिल जाता है। अतएव तब-जब एक ही पेशेवाले कारीगर प्रायः एक साथ रहने लगे, और इसी तरह अन्य सहकारी पेशेवाले ज़रूर यथेष्ट संख्या में, अलग-अलग समूहों में आकर बस गये, तब वस्तुओं का जन्म हुआ और उन समस्त वस्तुओं के सम्मिलित रूप का नाम पड़ गया नगर।

मोहन—किन्तु उस कृषि जीवी युग को व्यतीत हुए हजारों वर्ष हो गये। इस काल में अन्य दिशाओं में तो कुछ उन्नति भी हुई, पर कारीगरी में तो कोई विशेष उन्नति हुई हो, ऐसा जान नहीं पड़ता। इसका क्या कारण है ?

चाचा—तुम्हारा यह सोचना सही नहीं है कि कारीगरी में हमारे देश ने कोई उन्नति नहीं की थी। सच पूछो तो शिल्प तथा कारीगरी में हमारे ही देश ने सबसे अधिक उन्नति की थी। इस क्षेत्र में भारतवर्ष विश्व विख्यात था। कच्चे रत्न से यहाँ की महमल विदेशियों के लिए आश्चर्य का विषय होती थी। अन्य वस्तुएँ भी यहाँ इतनी सुन्दर बनती थीं कि विदेशियों के मन में ईर्ष्या और स्वर्द्धा के विशेष भाव उत्पन्न करती थी। एक तो पराधीनता के कारण हमारे देश का शिल्प अन्वयम और अत्याचार द्वारा नष्ट किया गया, दूसरे रहा सदा मेशीन युग ने स्वाहा कर दिया। जो देश

कभी शिल्प की दृष्टि से आदर्श रहा हो वह यदि आज तुम्हें इतना हीन देख पड़े, तो सचमुच यह एक बहुत बड़े दुर्भाग्य और पश्चाताप का विषय है।

मोहन—किन्तु यह तो मैशीन युग है। शिल्पकला द्वारा अब उतना माल बनना सम्भव नहीं है। कल कारखानों की वृद्धि हो रही है। मैं तो समझता हूँ कि कल-कारखानों की यह वृद्धि हमारे देश की औद्योगिक उन्नति के लिए आवश्यक ही है।

चाचा—पर देश की अभीष्ट औद्योगिक उन्नति तभी हो सकती है, जब इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाय—

१—धम विभाग के आधुनिक विकसित सिद्धान्तों द्वारा काम किया जाय।

२—भाप, पानी तथा बिजली आदि की शक्ति से चलनेवाले नये नये यन्त्रों का उपयोग किया जाय।

३—उत्पत्ति छोटी मात्रा में न करके बड़ी मात्रा में की जाय।

मोहन—बड़ी मात्रा में उत्पात्त तभी हो सकती है, जब कल कारखानों में पूँजीपति लोग रुपया लगायें।

चाचा—परन्तु पूँजापति लोग मिलकर जब उत्पादक बन जाते हैं तब कल कारखानेवाले मजदूरों की स्वतन्त्रता नहीं रह जाती। वे एक सीमित क्षेत्र में काम करते हैं। वे चाहे जितनी कार्य कुशलता दिखलायें, किन्तु उत्पत्ति के लाभ का अंश साधारणतः उनको नहीं मिल पाता। उन्हें तो उतना ही बतन मिलता है जितना उनके लिए पहले से निर्धारित हो चुका होता है।

मोहन—तब तो उत्पत्ति में व्यय भी कम होता होगा और माल को सत्ता बेचने में काफी सुविधा रहती होगी।

चाचा—हाँ, यह बात तो कियों अंश में ठीक हो सकता है। पर इसका प्रभाव हाथ से काम करनेवाले शिल्पियों तथा कारीगरों पर भी पड़ता है। कल कारखानों के आगे वे टहर नहीं पाते और अपना पेशा छोड़कर उन्हें भी कल कारखानों में नौकरी कर लेने के लिए विवश होना पड़ता है। साथ ही नौकरी के अभाव में उन्हें बेकार भी रहना पड़ता है। और इस तरह धीरे धीरे शिल्पकारों का लोप हो जाता है।

मोहन—लेकिन चारा क्या है। मान लो कुछ शिल्पी बेकार ही हो जायें। पर इससे लाखों करोड़ों मजदूरों का पेट तो पलता है।

चाचा—यह बात नहीं है। पूँजीवादी लोग जब कल कारखाने चलाने लगते हैं, तब उनका मुख्य ध्यान रहता है अपने व्यक्तिगत लाभ या मुनाफे को बढ़ाने पर। न मजदूरों की स्वास्थ्य रक्षा की ओर उनका ध्यान रहता है, न उनके दूसरे अनिवार्य हितों का। वेतन वृद्धि में भी वे बहुधा सकीर्ण हुआ करते हैं। खून बसकर काम लेना और जहाँ तक हो सके कम वेतन देना उनका मुख्य चलन रहता है। इसका फल यह होता है कि हडतालें होती हैं, हजारों मजदूर महीनों भूखों मरते हैं और देश में अशान्ति फैलती है।

मोहन—किन्तु हडतालों का परिणाम तो अन्त में अशान्ति ही निकलता है। जो भी रियायतें मजदूरों के साथ इधर हो गयी हैं उनका मुख्य भय हडतालों ही को है।

चाचा—दूर से चाहे जितनी सुविधाएँ मजदूरों को आज देख पड़ती हों, किन्तु उनके प्रति सतोष थोड़े ही दिनों तक रहता है। उसका मुख्य कारण है, पूँजीवाद का सङ्कुचित दृष्टिकोण। पूँजी और श्रम का विरोध तब तक दूर नहीं हो सकता, जब तक साम्यवाद के दङ्ग पर उत्पत्ति करने की प्रणाली का प्रचलन नहीं हो जाता।

चाचा—जो लोग पूँजी लगाते हैं, अगर वे कडाई के साथ मजदूरों से काम लेना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है ?

मोहन—पूँजीपति का दृष्टिकोण तो यह रहता है कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, काम पूरा होना चाहिए। किन्तु ऐसा होना सम्भव कहाँ है ? कमी श्रमिक की तन्त्रियत कुछ अलील हुई, तो वह कम काम करना चाहेगा। उसे आराम करने की भी आवश्यकता हो सकती है। इससे सिवा जब कुशल श्रमिकों के द्वारा कारखाने को आशातीत लाभ होता है, तब कोई कारण नहीं कि श्रमिकों को इस लाभ का अंश न दिया जाय अथवा वेतन-वृद्धि न की जाय। किन्तु पूँजीपतियों को श्रमिकों की उत्पत्ति का बिल्कुल ध्यान नहीं होता। वह तो केवल कारखाने के लिए स्थानिर्धारित कानून का ही दावा पेश करना जानता है। और कभी कभी तो स्वार्थवश उसके अनुसार व्यवहार

करने से भी मुँह मोड़ लेता है। उसे पैसे का बल होता है और अवसर आने पर वह मुकदमा लड़ सकता है। लेकिन जो भूमिक नौकरी छूट जाने के बाद दूसरे दिन के खाने का भी मुमीता नहीं रखते वे भला पूँजीपतियों से मुकदमा कैसे लड़ सकते हैं ?

मोहन—सुना है कि मज़दूर लोगों ने मिलकर अपने ऐसे सघ कायम कर लिये हैं जो उनके हितों की रक्षा के लिए मिल-मालिकों से लड़ने को भी तैयार रहते हैं।

चाचा—परन्तु ऐसे सघ बहुत बड़े बड़े नगरों में ही सम्भव हो सकते हैं। छोटे छोटे नगरों में या तो भूमिकों के सघ ही नहीं हैं अथवा यदि हैं भी तो मिल-मालिकों की बहुमुखी सामर्थ्य के आगे के-वे प्रायः कृतकार्य कम हुए हैं। वात यह है कि साधारण मजदूरों में इतनी शक्ति नहीं-होती कि वे अधिक समय तक कष्ट सहन कर सकें। जब उनके बीबी-बच्चे मरने लगते हैं, तब उनका कष्ट वं बरदाश्त नहीं कर सकते और अपनी माँग बहुत ही उचित होते हुए भी वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं के आगे घुटने टेक देते हैं और मालिकों को शर्ते मानने को बाध्य हो जाते हैं।

इसके सिवा एक बात और है। और वह यह कि अपनी देश में गरीबी इतनी अधिक है कि पन्द्रह रुपये मासिक पानेवाला कोई मज़दूर यदि काम छोड़ देता है, तो उसकी स्थान-पूर्ति के लिए अन्य सैकड़ों ऐसे मजदूरों के आते देर नहीं लगती, जो और भी कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जब नये मजदूरों को हड़तालियों के घरनों के द्वारा कारखानों में आने के लिए रोका जाता है, तो सरकार मिल-मालिकों का साथ देती है।

मोहन—अच्छा तो भ्रम और पूँजी के इस हित विरोध को दूर करने का आश्रित उपाय क्या है ?

चाचा—१—कारखाने की उत्पात्ति-वृद्धि में भूमिकों की उत्पत्ति का ध्यान रखना। अर्थात् एक निश्चय आय से अधिक जितना लाभ हो, वह अथवा उत्पत्ति कोई एक भाग मजदूरों में बाँट देना।

२—भूमिकों को कारखाने का गम्भीरदार बना लेना। ऐसी स्थिति

में जितने भी श्रमिक होते हैं वे थोड़ी थोड़ी पूँजी अपनी अथवा किसी से उधार लेकर मालिक के साभोदार बन जाते हैं। इसमें पूँजीपति और श्रमिक के सम्बन्ध दृढ़ और उदार हो जाते हैं। इस तरह श्रमिक सदा उत्पत्ति की वृद्धि में सहायक बने रहते हैं। ३—सहकारिता मूलक व्यवस्था के अनुसार कारखाना चलाना। इसमें व्यवसाय एक ही श्रेणी के लोगों के अधिकार में रहता है। चाहे वे श्रमिक हों, अथवा छोटी पूँजीवाले मध्यवर्त्त वर्ग के लोग। सभी मिलकर काम करते हैं। ४—उत्पादन का साधन कार्य श्रमिकों की सरकार द्वारा किया जाय। वही व्यय करे, उसी की सारी आय हो और वही उत्पत्ति के माल को उत्पादक श्रमकों में वितरण कर दे। यह साम्यवाद के सिद्धान्तों के अनुसार होता है। आजकल रूस में यही प्रणाली प्रचलित है। इसमें श्रमिकों का शोषण नहीं होता और उत्पत्ति का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ या मुनाफा न होकर समाज सेवा का रूप धारण कर लेता है।

मोहन—और जर्मनी तथा इटली में जो एकतन्त्रवाद चलता है, उसके अनुसार यदि उत्पादन किया जाय, तो ?

चाचा—उसमें व्यक्ति स्वातन्त्र्य का अपहरण हो जाता है। जनतन्त्रवाद में मनुष्य के स्वाभाविक विकास को जितना महत्त्व दिया जाता है, एकतन्त्रवाद में वह कुचल डाला गया है। और एक तरह से यह स्थिति प्रतिजियात्मक है। आगे की ओर न बढ़ा कर यह हमें उलटे पाँछे की ओर ले जाती है।


इसी समय मोहन ने देखा, वही बज्रट फिर लौट रहा है। उसने हाथ में अरसी वार एक गोह भी है। तब कौतूहलवश उसने उसे अरने पास बुलाया और पूछा—यह हाथ में क्या लिये हो ?

वह बोला, अपनी भाषा में—सिक्कार गोह हूँ।

मोहन ने पूछा—क्या करोगे इसका ?

बज्रट बोला—हम लोग इसह भून के खात हैं, सिक्कार।

मोहन तब अस्थिर होकर चाचा की ओर देखने लगा।



पैंतीसवाँ अध्याय

व्यवस्था के भेद

राजाराम के साथ बाजार से लौटने ही बिहारी उमने यहाँ चारपाई पर बैठ गया और बोला— तनसे पहले एक गिलास ठंडा पानी और एक पखा लेने आओ ।

राजाराम मकान के भीतर से पानी और पखा लेकर आया ही था कि उसी समय रोशनलाल आ पहुँचा और बिहारी से नमस्कार करने लगा ।

पानी पीकर बिहारी ने पूछा— कहो रोशन, आजकल क्या कर रहे हो ?

रोशन तो जवाब देने न पाया था कि राजाराम बोल उठा— आजकल तो इन्होंने सादी की बुनायी का एक कारप्राना खोल रक्ता है । कारीगर इनको बड़ा अच्छा मिल गया है । वह बहुत अच्छा कपड़ा बुनाता है । बसर इतनी ही है कि माँग के अनुसार वह माल तैयार कर नहीं पाता ।

बिहारी— काम तो बड़ा अच्छा है । पर यह क्या बात है जो अधिक मात्रा में माल ही तैयार नहीं हो पाता ? यह स्थिति तो उच्चमुच बहुत शोचनीय है । आगिर मामला क्या है ?

रोशन— बात यह है कि मैं अकेला तो आदमी बहरा । क्या क्या करूँ ।

बिहारी— तो यह कहो कि तुम एकाकी उत्पादक प्रणाली के अनुसार काम कर रहे हो !

राजाराम— यह कौन सी प्रणाली है ? पहले तो कभी आपने इसका परिचय मुझे दिया नहीं था । वैदो भाई रोशन, यहाँ इस चारपाई पर आ जाओ ।

विहारी—प्राचीन काल में यही प्रणाली प्रचलित थी। उत्पत्ति सम्बन्धी प्रत्येक कार्य का मालिक और मैनेजर प्रायः एक ही होता था। भूमि उसी की होती थी। पूँजी वही लगाता था। पूँजी के अभाव में भी दूसरे लोगों से कुछ रुपया कर्ज के रूप लेकर उत्पत्ति में लगाता वही था। अमिकों को नौकर रखकर उनके काम की देख रेख वही करता था। जो लाभ होता था उस पर अधिकार वही रखता और यदि दुर्भाग्य से हानि हो जाती, तो भी सहन उसे वही करता था।

राजाराम बोल उठा—आज भी तो यही तरीका चल रहा है। मैं तो इसमें कोई बुराई नहीं देखता।

विहारी—हाँ, इसमें यह लाभ अवश्य है कि उत्पादक खुद-ब-खुद अपना काम कर लेता है। हर एक वस्तु वह अपनी समझता है और काम भी खूब जी लगाकर करता है। परन्तु इस प्रणाली से हानि कितनी होती है, इसकी ओर तुम्हारा ध्यान नहीं गया।

रोशन ने आश्चर्य से कहा—अच्छा ! तब मुझे आप अवश्य बतलाइये।

विहारी—एक तो छोटे दायरे में उत्पत्ति होने से लाभ बहुत थोड़े दिनों तक होना सम्भव होता है। दूसरे लाभ होने की अवस्था तक ही उत्पत्ति का कार्य चलता रहता है। पर जहाँ हानि होनी शुरू हो जाती है कि उत्पत्ति का कार्य बन्द कर दिया जाता है। क्योंकि उत्पादक अकेला होने के कारण अधिक काल तक हानि सहन नहीं कर सकता। यह प्रतियोगिता में ठहर नहीं सकता। उसे अधिक रुपया उधार भी नहीं मिल सकता। अकेला आदमी योग्यता और कुशलता के साथ न तो उत्पत्ति के सभी विभागों का निरीक्षण कर सकता है न संचालन। बड़े और पेचीदे मामलों में दुरन्त निर्णय देने में भी, अत्यधिक व्यस्तता के कारण, उससे गलती हो जाना स्वाभाविक रहता है।

राजाराम—तभी आजकल लोग कम्पनी बनाकर यह कार्य करते हैं।

विहारी—लेकिन ‘एकाकी उत्पादक प्रणाली’ के बाद दुरन्त ही यह विषय कम्पनियों पर नहीं आ गया। उसके बाद साझेदारी प्रथा का आरम्भ हुआ।

रोशन—परन्तु सामेदारी प्रथा में भी कम दोष नहीं है। सामे में जो व्यापार किया जाता है, उसका नियंत्रण दो या अधिक व्यक्तियों पर निर्भर रहता है। उसमें हर एक सामेदार हानि-लाभ का व्यक्तिगत और सामूहिक—दोनों रूपों में—जिम्मेदार होता है।

राजाराम—अर्थात् ?

रोशन—यदि उसमें किसी महाजन को कोई रकम खट जाती है, तो उसको यह अधिकार होता है कि वह अपनी पूरी रकम चाहे तो एक ही सामेदार से वसूल करले।

बिहारी—यह प्रथा तो उन्हीं व्यवसायों के लिए प्रायः उपयुक्त ठहरती है, जिनमें नाना भाँति के कार्य कुशल अभिकों की आवश्यकता हो और जिनकी व्यवस्था में कार्य का विभाजन किया जा सके।

राजाराम—अर्थात् ?

बिहारी—जैसे एक कारखाना है। उसमें एक आदमी जो सामेदार है, वह कच्चा माल इरीदने पर नियुक्त रहेगा, दूसरा कारखाने को देखे रखेगा और तीसरा जो माल तैयार होगा, उसके विक्रय का प्रबंध करेगा। इस तरह ऐसे व्यवसाय बड़े मज्जे में चलाये जा सकते हैं जिनमें एक आदमी उतनी पूँजी नहीं लगा सकता, जितनी उसके लिए आवश्यक रहती है। जिन लोगों में व्यावसायिक बुद्धि तो होती है, पर जो रकम नहीं लगा सकते, वे ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहते हैं, जिसके पास पूँजी होती है, और फलतः जो उसके साथ, सामेदारी के रूप में, शामिल हो जाते हैं। 'एकाकी-उत्पादक-प्रणाली' में एक बात यह भी होती है कि व्यवस्थापक के पश्चात् वही कार्य उसका उत्तराधिकारी करने लगता है। चाहे वह उसके लिए अयोग्य हो क्यों न हो। इस तरह व्यवसाय शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। सामेदारी में प्रायः ऐसे अवसर नहीं आते।

रोशन—किन्तु यह प्रथा तभी लाभदायक हो सकती है, जब सभी सामेदार एकमत के होते हैं। यदि उनमें मतभेद हो जाता है, तो बड़े-से-बड़ा व्यवसाय बात की-बात में चौपट हो जाता है।

बिहारी—परन्तु सबसे बड़ी हानि इसमें यह होती है कि प्रत्येक सामे-

दार की जिम्मेदारी सीमित किंवा निश्चित नहीं होती। इसका परिणाम यह होता है कि किसी एक व्यक्ति की असावधानी अथवा गलती से दूसरा साझीदार अपनी सम्पत्ति खो बैठता है। इसने सिखा एक बात यह भी है कि बहुतेरे आदमी प्रायः इस प्रकृति के होते हैं कि वे पहले तो व्यवसाय में पूँजी लगा देते हैं पर कालांतर में आवश्यकता पाने पर अधिक नहीं देते। एक बार पूँजी भर लगाकर वे लाभ की प्रतीक्षा और आशा करने लगते हैं और न तो उसने कार्य की देख रेख करत हैं और न अक्सर आने पर जोखिम ही सहन करते हैं। इन्हीं अमुविधाओं ने उपस्थित होने पर एक दूसरे तरह की प्रथा का आविष्कार हुआ। 'मिश्रित पूँजी की कम्पनियाँ' उसी का रूप है।

रोशन—हाँ, आजकल 'मिश्रित पूँजी' के आधार पर कम्पनी चलाने का बहुत प्रचार हमारे देश में हो गया है। लेकिन देहात में न तो इस विषय का ज्ञान ही लोगों को होता है, न अभी इसका यथेष्ट प्रचार ही हो पाया है।

विहारी—जिना कम्पनी के रूप में उत्पादन कार्य का संचालन किये अथवा उद्योग की कोई सम्भावना नहीं है। प्रचार तो ज्ञान के विस्तार का नाम है। पहले एक आदमी उसे समझ लेता है, फिर वह अपने परिचितों में उसकी चर्चा करता है। इस तरह उसे साथी मिल जाते हैं और कम्पनी सगठित हो जाती है। बारीक बातें देहाती भाइयों की समझ में भले न आयें, किन्तु मोटी मोटी बातें समझाने पर सभी समझ लेते हैं। थड़ी मात्रा के उत्पादन काय के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है, सभी जानते हैं। वह पूँजी कितनी होनी चाहिए, पहले उत्पादक यह निश्चित कर लेता है। फिर उसने पाँच पाँच सौ, अथवा कम से कम सौ-सौ के समान हिस्से कर लिये जाते हैं। इन हिस्सों को 'शेयर' कहते हैं। प्रत्येक साझीदार एक या अधिक शेयर खरीद लेता है। वे प्रतिवर्ष एक ऐसी समिति का चुनाव करते हैं, जो प्रबन्ध सम्बन्धी समस्त कार्य का संचालन करती है। मिश्रित पूँजी की कम्पनी को अँगरेजी में Joint Stock Company और उसकी इस संचालक समिति को Board of Directors कहते हैं। यह समिति अपने सदस्यों में से एक प्रमुख संचालक का चुनाव करती है जिसे Managing Director कहते हैं। ये प्रमुख संचालक महोदय अपना

सारा समय इस कम्पनी की व्यवस्था में लगाने और आवश्यकता पड़ने पर सनालकों की सभा Board of Directors की बैठक करते हैं।

राजाराम—यह तरीका हमारे देश के लिए अभी बिल्कुल नया है।

बिहारी—पहले फल व्यवसाय को इस तरह कम्पनी के रूप में चलाने का प्रयोग इंग्लैंड आदि पश्चात्य देशों में हुआ था। बाद में ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत हो जाने के कारण इसका प्रचलन हमारे देश में भी हो गया। बड़े परिमाण में उत्पत्ति करने के लिए इसकी हमारे यहाँ वास्तव में आवश्यकता भी थी।

रोशन—इसमें सबसे बड़ी सुविधा यह है कि हिस्सेदारों को एक निर्धारित रकम देनी पड़ती है। न उससे कम, न अधिक।

राजाराम—पर क्या इस प्रणाली में यह जरूरी है कि हिस्से वो-सी रुपये के ही हों ?

बिहारी—नहीं। हिस्से तो कभी कभी दस दस रुपये के भी होते हैं। इसके सिवा इन हिस्सों की रकम भी एक साथ पूरी की पूरी नहीं ले ली जाती। हर एक हिस्सा प्रायः चार भागों में बाँट लिया जाता है, उसके तीन भाग क्रमशः तीन बार में वापस कर लिये जाते हैं। शेष १ भाग उस समय लिया जाता है, जब कम्पनी को उसकी विशेष आवश्यकता होती है।

रोशन—और अगर कम्पनी पर ऋण हो गया, तो ऋणदाता अपनी रकम को हिस्सेदारों से वापस करने का अधिकार भी तो हो जाता है।

बिहारी—नहीं, यह बात नहीं है। मान लो, ऋणदाता को कम्पनी से पाँच हजार रुपये वापस करना है। अब देखी दशा में जिस हिस्सेदार को १०० के शेयर का १ हिा देना रद्द गया है, उससे वह पाँच हजार रुपये कैसे वापस कर सकता है ? यह उससे केवल २५) हा ले सकता है।

राजाराम—हाइ जो मिली सले अष्टमी के लिए कम्पनी का हिस्सेदार होना भी एक भारी जोखिम का काम है।

बिहारी—यहाँ तुम यह भूना रहे हो कि जब हिस्सेदारी की रकम निश्चित रहती है, तब उसकी जोखिम भी कम से-कम होती है। कम्पनी की हिस्से-दारी में बहुत-से लोग सम्मिलित होते हैं, जिनमें उस हिस्से की छोटी रकम

को किसी अन्य उत्पादन के कार्य में लगाने की कोई विशेष इच्छा नहीं होती, और जो उनके पास यों ही व्यर्थ जमा रहा करती है। और कम्पनी के हिस्से में लग जाने से वह एक उत्पादन के कार्य में लग जाती है। फिर जरूरत पड़ने पर, वह उस हिस्से को बेच भी सकता है। परन्तु ऐसा तभी होता है जब हिस्सेदार को या तो कम्पनी में घाटा होने की आशंका होती है, अथवा वह सोचता है कि किसी अन्य उत्पादन कार्य में उसके लग जाने से इस कम्पनी की अपेक्षा अधिक लाभ होने की सम्भावना है।

राजाराम— लेकिन तब उस हिस्से को गरीबाना कौन स्वीकार करता होगा ?

विहारी— नहीं, यह बात नहीं है। जब कम्पनी खूब अच्छे ढङ्ग से चलने की स्थिति में होती है, तब तो उसने हिस्सों की दर बढ़ जाती है। बहुधा देखा गया है कि एक एक हिस्सा १००) के बजाय ४००) में बिकता है।

रोशन— इसी प्रकार जब कम्पनी का काम शिथिल गति से चलता होता है तो उसके हिस्सों की दर घट भी जाती है।

राजाराम— तो इसमें श्वास बात यह है कि यह सारा खेल भी तक्रुदर का ही है। लाभ हानि दोनों की सम्भावना रहती है।

विहारी— तक्रुदर का भरोसा तो हमारे आगे कोई चीज ही नहीं उपस्थित करता। पर इसमें वस्तुस्थिति प्रायः सामने रहती है। हिस्सेदारों को यह पता चला रहता है कि उसने हिस्से की रकम किस स्थिति में है। इसके सिवा उसे इस बात की स्वतंत्रता भी तो रहती है कि जब चाहे तब कम्पनी से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर अपना हिस्सा बेच दे। 'एकाकी उत्पादक प्रणाली' अथवा साझेदारी के व्यवसाय में इस बात की सुविधा नहीं रहती। एकाकी उत्पादन का कार्य उत्पादन के जीवन काल तक ही चलता है, उसके बाद वह प्रायः समाप्त हो जाता है। साझेदारी से होनेवाले व्यवसायों की आय भी प्रायः अधिक नहीं होती, किन्तु मिश्रित पूँजी की कम्पनी अगर चल पड़े, तो उससे होनेवाले लाभ को, हिस्सेदार ही नहीं, उसकी छतान भी भोगती है।

यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है। और यह यह कि कम्पनी का हिस्सेदार पगु, असहाय और विवश नहीं होता। यह कम्पनी की कार्य शैली का

बराबर ज्ञान रखने में समर्थ होता है। अगर कम्पनी की व्यवस्था, उसकी सम्भ्रम में ठीक ढङ्ग से नहीं हो रही है, तो उसे पूरा अधिकार है कि वह अन्य हिस्सेदारों के साथ मिलकर ऐसा वातावरण उपास्थित कर दे कि उसके प्रबन्धक को कम्पनी से अलग होना पड़े। और तब उसे यह अधिकार होता है कि वह ऐसा प्रबन्धक नियुक्त करे, जिससे प्रगति को वह विशेष आशा रखता है।

रोशन—हाँ, यह बात अगर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कम्पनी के डायरेक्टर्स बदलते भी तो रहते हैं।

विहारी—इससे कम्पनियों के सञ्चालन में ऐसे चतुर, बुद्धिमान और सुयोग्य व्यक्तियों को उत्पादन का कार्य सुचारु रूप से संचालित करने का सुअवसर मिलता है, जिनके पास व्यवसाय में लगाने के लिए यथेष्ट पूँजी तो नहीं होती, किन्तु ज्ञान, अनुभव और अन्य योग्यताएँ जिनमें धनी मानी पूँजीपतियों की अपेक्षा अधिक रहती है। अगर मिश्रित पूँजी की कम्पनी चलाने की प्रणाली न हो, तो न तो ऐसे सुयोग्य किन्तु धनहीन व्यक्तियों को काम करने का अवसर मिले, न इस तरह की योग्यता प्राप्त करने का उत्साह ही लोगों में उत्पन्न हो। हमारे देश में रेल, नहरें, नदियों के पुल, कपड़े, चीनी, तेल, साबुन, औषधि तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के बनाने का अधिक कार्य कम्पनियों द्वारा ही हो रहा है। इससे जनता में उन्नति करने की प्रेरणा उत्पन्न होने से सम्भ्रम में बुद्धि और शारीरिक तथा मानसिक विकास में बड़ी सहायता मिली है।

रोशन—किन्तु यह बात नहीं है कि मिश्रित पूँजी की कम्पनी से देश को लाभ ही लाभ होते हैं। दानियों की संख्या भी कम नहीं है। बहुधा कम्पनियों के प्रबन्धक प्रारम्भ में इतना अधिक प्रयत्न बढ़ा देते हैं कि साल के भीतर ही कम्पनी फेल हो जाती है। व्यक्तिगत अथवा पदजनित उत्तरदायित्व का अनुभव प्रायः लोग कम करते हैं। कम्पनियों के हिस्सेदार बहुधा पूँजीपति होते हैं, वे धर्मजीवियों के हितों की परवा नहीं करते। कल कारखानों में काम करनेवाले श्रमिकों के लिए ऐसे-ऐसे नियम बना लेते हैं, जिनसे उत्पत्ति का लाभ श्रमिकों को न मिलकर वेचल वृद्ध होने लगे पूँजीपति हिस्सेदारों को मिलता

है। इससे समाज में विषमता और सघन उत्पन्न हो जाता है। बहुधा सम-व्यवस्थायी कम्पनियों में प्रतिस्पर्धा भी बहुत चलती है। इसका परिणाम यह होता है कि सगठित और शक्तिशाली कम्पनियों के आगे कम पूँजी के आधार पर चलनेवाली कम्पनियाँ पेल हो जाती हैं। इस तरह शक्तिशाली कम्पनियों को यह अवसर मिल जाता है कि वह अपने बनाये पदार्थों को चाहे जैसा बनायें और चाहे जिस भाव बेचें। सचालकों को चालाकी से बेईमानी करने का पूरा अवसर मिलता है। अपने निष्कट सम्प्रदायों को नौकरी देकर, कच्चे माल की खरीद और उसकी लिखापट्टी में भेद रखकर, जाली बैलेंसशीट में लाभ दिखाकर और अपने हिस्से को महँगे दामों में बेचकर बाद में कम्पनी से पृथक् हो जाने का उन्हें पूरा मौका मिलता है।

विहारी—हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि कहीं कहीं ऐसे उदाहरण उपस्थित हुए हैं। किन्तु सब कुछ निर्भर करता है हिस्सेदारों की सावधानी और सतकता पर। जब तक प्रारम्भ में यथेष्ट हिस्से बिक नहीं जाते, तब तक कम्पनी का कारोबार प्रारम्भ नहीं होता। हिस्सेदार मिलकर ही तो सचालकों की नियुक्ति करते हैं। कम्पनी का हिसाब जाँचने के लिए जो आय-व्यय-परीक्षक होता है, वह यह भी देखता ही है। कालांतर में कम्पनी के हाथ में कितना रुपय है। कच्चे माल की खरीद अथवा तैयार माल की खरीद की लागत की रकमों की रसदें देखकर उसे उस सम्प्रदाय के ठेकदारों अथवा एजेंटों की ईमानदारी और बेईमानी की परीक्षा करने का पूरा अवसर रहता है। उस निरीक्षक की जाँच के पश्चात् आय-व्यय का वह लेखा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होता है। कम्पनी के कर्मचारियों का चुनाव व्यक्तिगत नाता के आधार पर हुआ है अथवा उनकी योग्यता के आधार पर, यह जानने की पूरी स्वतंत्रता हिस्सेदारों के हाथों में रहती है। और वे इस विषय में सगठित होकर हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। ग़ुनन करने अथवा बर्बादियों की लिखापट्टी में गड़बड़ी करनेवालों पर नियंत्रण रखने और मुद्दमा चलाकर सरकार से उन्हें यथेष्ट दण्ड दिलाने में पूरी सावधानी और दृढ़ता रखना प्रत्येक हिस्सेदार का कर्तव्य होना चाहिए। चाहिए कि वे केवल सचालकों का नाम देखकर ही बोझिल न हो जायें।

रोशन—किन्तु जिन कामों में साधारण पूँजी की आवश्यकता हो, जिनमें परिस्थितियाँ प्रायः शीघ्र बदलने की सम्भावना हो, अथवा व्यवस्था सम्बन्धी निर्णय देने की आवश्यकता जिनमें जल्दी पड़ती हो, उनमें साझेदारी से व्यवसाय करना अधिक हितकर होता है।

राजाराम—अच्छा, कम्पनियों में मजदूरों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उसका क्या उपाय सोचा गया है अर्थशास्त्र में ?

बिहारी—उनके साथ सख्ती का बर्ताव करने, उनसे बहुत अधिक काम लेने, वेतन घटाने और उनकी भागों तथा दायिक एवं स्थायी कष्टों की शिकायतों पर ध्यान देने तक ही आज की समस्याएँ सीमित नहीं हैं। इन कष्टों को दूर करने के लिये सरकार न्यूनतम वेतन तथा कारगारों सम्बन्धी कानून बना देती है जिनके अनुसार वेतन तथा काम करने के घण्टे निश्चित कर दिये जाते हैं। कारगारों में शुद्ध जल, रोशनी, वायु इत्यादि के प्रबन्ध होने की जिम्मेदारी कारगारों के मालिकों पर डाल दी जाती है। और भी कुछ बातें हैं जैसे—अकारण उत्पादन सम्बन्धी वस्तुओं का भाव बढ़ा देना, अमिकों का शोषण करना, उनको अपनी उन्नति का अवसर न देना, अच्छा काम करने पर भी उनको कोई पुरस्कार न मिलना इत्यादि। उनसे अपनी रक्षा करने का उपाय है उत्पादकों की सहकारिता। इस प्रणाली में अमिक ही अपने मालिक भी होते हैं। वे ही उत्पादन के कार्य की व्यवस्था करते और उनकी जोखिम उठाते हैं। उन्हें व्यवस्था और धर्म दोनों ही कार्यों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इस पद्धति में एक तो अमिकों को अपना हानि लाभ स्पष्ट देना पड़ता है, वे काम इतनी मेहनत और सावधानी के साथ करते हैं कि उन्हें निरीक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती।

दूसरे इसमें धर्म और पूँजी का द्वि-विरोध होने की सम्भावना नहीं होती।

तीसरे इससे अमिकों में कार्यक्षमता की यथेष्ट वृद्धि होती है। उन्हें यह विचार करने का बराबर अवसर मिलता रहता है कि कार्य की गति सतोषी जनक है या नहीं और प्रत्येक कार्य कितनी योग्यता से हो रहा है और कब कोई चेड़मानी तो नहीं कर रहा है।

चौथे श्रमिकों को अपनी पद मर्यादा की हैसियत से जो वेतन मिलता है, उससे वे अच्छी तरह अपना निर्वाह कर लेते हैं। अन्त में वार्षिक लाभ का जो भाग मिलता है, वह उनकी वचत होकर पूँजी बन जाती है।

रोशन—पर ईर्ष्या द्वेष के कारण अपने ही वर्ग में प्रबन्धनों पर श्रमिक लोग प्रायः अनुचित आक्षेप किया करते हैं। इससे उनकी कार्य कारिणी शक्ति का क्षय होता है। दूसरे इस वर्ग में कुशल प्रबन्धक भी बहुधा कम मिलते हैं।

विहारी—किन्तु इन कठिनाइयों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ज्योत्स्यों सहकारिता के सिद्धान्तों का प्रचार बढ़ता जायगा, त्यों त्यों ये असुविधाएँ भी दूर होती जायँगी। हमारे देश में न ऐसे विचारशील व्यक्तियों की कमी नहीं है न समय की गति देखकर चलना चाहते हैं। वे सहकारी व्यवसायों में प्रारम्भ में थोड़े लाभ पर ही सतोष कर लेने को प्रस्तुत हैं। इसके सिवा हमारे देश का श्रमिकवर्ग भी थर सचेत हो रहा है। यदि उनमें संगठन-शक्ति आ जाय, वे पूँजी सग्रह करने के योग्य बन जायँ, और ऐसा अवसर न आने दें कि उत्पादक की हैसियत से वे किसी पर अनुचित और अवाञ्छनीय नियंत्रण करने लग जाय, तो हमारे देश की उत्पादनशीलता की वृद्धि होने में देर न लगे। रूस ने यह सिद्ध करके दिखला दिया है कि साधारण जनता में सहकारिता के भावों की वृद्धि से राष्ट्र का वास्तविक जागरण कितने शीघ्र हो जाता है।

रोशन—आज आपसे विचार विनिमय करके मुझे अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में जानान प्ररणा मिली है, उसने लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार मानता हूँ।



ऋत्तीसवाँ अध्याय

सरकार और उत्पत्ति

मोहन आजकल यहीं इलाहाबाद में पढने लगा है। वह अपने चाचा के यहाँ रहता है। जब से वह यहाँ आया है, तब से उसके घर से कोई पत्र नहीं आया था। नित्य वह अपने चाचा से पूछता था—काई पत्र तो नहीं आया ? चाचा उत्तर में कह देते थे—नहीं, कोई पत्र नहीं आया। उत्तर पाकर मोहन मौन रह जाता था। आज भी जब वह स्कूल से लौटकर आया, तो चाचा से वही प्रश्न किये बिना उससे रहा नहीं गया। तब चाचा ने एक लिफाफा उसने हाथ पर रख दिया। मोहन उसे पढने को आतुर हो उठा। कपड़े उतारना भी वह भूल गया। उसने भट से लिफाफा खोलकर पढा।

चाचा ने पूछा—कुशल क्षेम तो है ?

मोहन—हाँ, घर पर तो सब कुशलता है। नित्य लिफा है—चारों ओर बड़ी अशान्ति है। कुछ लोग रास्ते चलते लूट लिये गये हैं। गाव का यावार, पहले की अपेक्षा, आधा भी नहीं लग रहा है। धीजवाले अनाज से भरी घर की गाड़ी हफ्ते भर से फाटक में खड़ी है। बिनी का यही मोझा था, सो हाथ से निकला जा रहा है।

चाचा—हाँ, फिर अशान्ति और दुर्व्यवस्था ने समय उत्पत्ति की क्षति तो पहुँचती ही है। इसीलिए कहा जाता है कि उत्पत्ति के साथ सरकार और उसकी मुख्यवस्था का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। यहाँ तक कि कुछ अर्थशास्त्री तो सरकार को भी भूमि, पूँजी तथा श्रम आदि की भाँति उत्पत्ति का एक

साधन मानते हैं। परन्तु कुछ पाश्चात्य लेखक इससे सहमत नहीं हैं।
उनेका कथन है कि अर्थशास्त्र में हमें यही मानकर इस विषय पर
विचार करना होगा कि सरकार उपयुक्त है और समाज में मुख्यवस्था है।

मोहन ने कोट उतारकर सूटी पर टाँग दिया। जल पान करने के
लिए अन्दर जाते हुए वह बोला—

“मैं अभी आकर इस विषय में वार्तालाप करता हूँ।”

थोड़ी देर में लौटकर आते ही उसने पूछा—हाँ, अब बतलाइये, सरकार
का उत्पत्ति के साथ क्या सम्बन्ध है।

चाचा—प्रत्यक्ष सम्बन्ध तीन प्रकार से है। स्वतः सरकार वस्तुओं के
उत्पादन का नियंत्रण करती है, कुछ उद्योग धंधों को सशयता पहुँचती है
और कुछ वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करती है।

मोहन—किन्तु उत्पत्ति पर सरकार के नियंत्रण की आवश्यकता उसी दशा
में होनी चाहिए, जब उससे जनता को किसी प्रकार की हानि पहुँचने की
सम्भावना हो।

चाचा—हाँ, तुम्हारा कथन ठीक है। प्रतिस्पर्धा के भाव से प्रायः ऐसी
स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि एक उत्पादक दूसरे उत्पादक को हल-कपट
अथवा बेईमानी से गिराने की चेष्टा करता है। साझेदारों अथवा हिस्सेदारों
को उनके भाग के लाभ की देनदारी उचित समय और राति से न मिलने,
हिस्सेदारों को धोखा देकर दिवाला निकालने, हिसाब ठीक न रखने, सप
तथा समितियाँ बनाने में सार्वजनिक हित का विशेष ध्यान न रखने
तथा श्रमजीवियों के जीवन और स्वास्थ्य रक्षा के सम्बन्ध में कारखानों में
उचित व्यवस्था न होने आदि ऐसे अनेक प्रसंग हैं, जिनका सरकारी नियंत्रण
से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है।

इसके सिवा कभी-कभी एकाधिकार से जन-साधारण की जो विशेष हानि
होती है, उसे रोकने के लिए भी सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता हो जाती
है। उस अवस्था में उसे सोचना यह पड़ता है कि उत्पादन कार्य तो
अच्छा से अच्छा हो ही, पर जन साधारण से वस्तु की क्रीमत उचित से
ज़रा भी अधिक परिमाण में न ली जा सके।

मोहन—तब तो सबसे अच्छा यह होगा कि सरकार ऐसा नियम बना दे कि यदि किसी निर्धारित अनुपात से अधिक लाभ होगा, तो उसे सरकार ले लिया करेगी।

चाचा—पर उस दशा में फिर भी एक कठिनाई उत्पन्न हुए बिना न रहेगी, और वह यह कि एकाधिकारी उत्पादक न तो उचित मितव्ययिता से काम लेगा, न उत्पत्ति में कोई ऐसा सुधार ही होने देगा, जिससे अधिक लाभ होने की सम्भावना हो। और यही पर उत्पत्ति का जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति न हो सकेगी। इसीलिए प्रायः वस्तुओं के मूल्य का लाभ से ऐसा सम्बन्ध कर दिया जाता है कि एक निश्चित सीमा के बाद ज्यों ज्यों लाभ बढ़ता जाता है, त्यों त्यों वस्तु की कीमत घटती जाती है। किन्तु प्रायः इस नियम का पालन बहुत शिथिलता से होता है। लाभ अधिक होने पर उसी की ओर मुख्य दृष्टि रहती है, मितव्ययिता अथवा अन्य सुधारों की ओर कम।

तो भी उत्पत्ति सम्बन्धी सर्व-साधारण के हितों की रक्षा करने में सरकारी नियंत्रण का विशेष महत्त्व है। मजदूरों की रक्षा के लिए सरकार कारखाने सम्बन्धी ऐसे कानून बनाती है जिससे मजदूरों से अत्यधिक काम न लिया जा सके और उनको उचित मजदूरी मिल जाया करे।

मोहन—अभी तक यह तो स्पष्ट हो नहीं सका कि सरकारी सहायता का उत्पत्ति से क्या-क्या सम्बन्ध रहता है।

चाचा—प्रायः यह सहायता दो प्रकार से की जाती है। १—प्रत्यक्ष २—परोक्ष। प्रत्यक्ष सहायता अनेक प्रकार से की जाती है। बहुधा जब कोई नवीन उद्योग-धंधा प्रारम्भ किया जाता है, तो नवीन हिस्सेदारों को इस बात का भय रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि इधम जो पूँजी लगायी जा रही है, उससे सूद तक बचल न हो। ऐसी अवस्था में सरकार यह घोषित कर देती है कि यदि निश्चित परिमाण में लाभ न होगा, अथवा उसमें कुछ कमी ही रह जायगी, तो उसे सरकार पूरा कर देगी। सरकार ने हमारे देश में रेलों का प्रचार इसी प्रकार किया है।

सरकार प्रायः एक निर्धारित सूद देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले

लेती है।

✓ यदि उत्पत्ति की वस्तुओं के निर्यात की आवश्यकता होती है, तो उस दशा में सरकार निर्यात पर भी सहायता प्रदान करती है।

कभी कभी सरकार किसी विशेष उद्योग-धन्धे को प्रोत्साहन देने के लिए (१) उसको बाजार दर से कम दर पर रुपया उधार देती (२) कुछ विशेष कार्यों के लिये इन्तर्ज का कोई भाग ही अपने ऊपर ले लेती अथवा (३) कुछ रुपया यों ही सहायताार्थ दे देती है और फिर उसे वापिस नहीं लेती।

✓ कभी कभी सरकार कुछ मैशनों झर्रीदती है और एक निश्चित किराये पर उत्पादक को उठा देती है। साथ में प्रलोभन यह रहता है कि अगर एक निश्चित अवधि तक ये मैशनों किराये पर रखी जायेंगी तो उसके बाद वे उत्पादक की हो जायेंगी।

✓ सरकार कृषि तथा उद्योग विभाग के लिए ऐसे-ऐसे विशेषज्ञ नियुक्त करती है, जो एक ओर जनसाधारण को एक विशेष श्रेणी का कच्चा माल अधिक परिचय में तैयार करने की शिक्षा देते और दूसरी ओर उत्पादकों को उनके उचित उपयोग के लिए प्रोत्साहित करते और दोनों पक्ष की तात्कालिक अमुविधाओं को दूर करने में सहायक हाते हैं।

मोहन—पर जब सरकार यह घोषित कर देती है कि अमुक प्रकार की उत्पत्ति के आयोजन में यदि कोई हानि होगी, तो उसकी पूर्ति वह स्वयम् कर देगी, तब उस उत्पत्ति कार्य के प्रबन्धक लोग प्रायः अभावधानी करते और मितव्ययिता से काम न लेकर उस कार्य को पूर्ण सफल बनाने के लिए उतनी तत्परता और सनम्नता नहीं दिखाते, नितनी उस स्थिति में अवश्य दिखलाते, जब उन्हें अपने ही प्रयत्न पर आश्रित रहकर लाभ उठाने की कामना रहती।

चाचा—पर यह भी तो सम्भव हो सकता है कि उस दशा में उचित लाभ-प्राप्ति का यथेष्ट आश्वासन पावे बिना उस प्रकार के उद्योग-धन्धे का कार्य आरम्भ ही न होता। ✓ सर्वसे अधिक आर्थिक उन्नति तो जब होती है जब सरकार विशेषज्ञ की सहायता से औद्योगिक उत्पत्ति की एक पञ्चवर्षीय या दसवर्षीय योजना तैयार करती है और उसको कार्य रूप में परिणित करने के

लिये दत्तचित्त होकर प्रयत्न करती है। ऐसी दशा में उसे प्रत्यक्ष रूप से हर प्रकार से सहायता करना पड़ता है।

मोहन—अच्छा, प्रत्यक्ष रूप से सरकार उत्पत्ति में क्या सहायता पहुँचाती है ?

चाचा—जब कोई व्यक्ति कोई ऐसी वस्तु तैयार करता है जो उस देश और ससार के लिए सर्वथा नवीन होती है, तो उसे अधिकार होता है कि वह कानून के द्वारा उसे पेटेन्ट अथवा रजिस्टर्ड करवा ले। उन दशा में फिर किसी दूसरे व्यक्ति को वह अधिकार नहीं होता कि वह एक निश्चित अवधि तक वैसी वस्तु बना सके। लेख, कविता, चित्र अथवा किसी नवीन रचना के लिए भी यही नियम लागू होना है। लेखक और प्रकाशक उसके मुद्रण का अधिकार सुरक्षित कराकर उससे होने-वाले लाभ का पूर्णतया अधिकारी हो सकता है। आविष्कारकों अथवा लेखकों को इस प्रकार-परोक्ष-रूप से यथेष्ट सहायता मिलती है।

मोहन—किन्तु बाहर से आनेवाली वस्तुओं पर सरकार जो कर लगाया करती है, उसका तो आपने जिक्र ही नहीं किया।

चाचा—मैं अब उस के विषय में तुम्हें बतलाने जा रहा था। बाहर से आनेवाली वस्तुओं पर कर लगाकर देशीय उत्पादन को जो प्रोत्साहन दिया जाता है, उसे 'व्यापार-संरक्षण नीति' कहते हैं। इसके अनुसार विदेशों से आनेवाली वस्तुएँ 'ड्यूटी' लगाकर इतनी महँगी कर दी जाती हैं कि उनके मुकाबिले में देशी वस्तुएँ सस्ती पड़ती हैं, और उनकी माँग स्वभावतः बढ़ जाती है। जब किसी देश के उद्योग-धन्धे प्रारम्भिक स्थिति में होते हैं, नव-वे उद्युक्त देशों से आनेवाली सस्ती वस्तुओं से अपेक्षाकृत महँगा माल तैयार करते हैं। ऐसी दशा में इसी नीति के द्वारा देशीय माल को विदेशों से आनेवाले माल की अपेक्षा कुछ सस्ता कर दिया जाता है। इससे देशी उद्योग-धन्धे को उत्पत्ति करने में बड़ा सहारा मिलता है और कालान्तर में वे विदेशों की अपेक्षा फलतः अच्छा और सस्ता माल तैयार करने लगते हैं।

परन्तु 'व्यापार-संरक्षण-नीति' का यह प्रत्यक्ष लाभ है। परोक्ष लाभ भी इससे कम नहीं होता। बात यह है कि इस नीति से देश धीरे-धीरे अपनी

आवश्यकता की सारी वस्तुएँ तैयार करने लगता है। जो देश बारह वर्ष पूर्व व्यापारिक क्षेत्र में परावलम्बी होते हैं वे भी इतनी अवधि के अन्दर क्रमशः श्रौद्योगिक उन्नति करते करते प्रायः स्वावलम्बी हो जाते हैं।

मोहन—परन्तु संरक्षण नीति का प्रयोग तो कुछ विशेष वस्तुओं पर ही होता होगा।

चाचा—हाँ, संरक्षण कर कुछ थोड़ी चुनी हुई वस्तुओं पर ही लगाया जाता है। और कौता भी हो, थोड़ी बहुत वस्तुएँ तो विदेशों से आती ही रहती हैं।

मोहन—तब निश्चय पूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि 'व्यापार-संरक्षण नीति' के प्रयोग से कोई देश सर्वथा स्वावलम्बी हो ही जाता है।

चाचा—हाँ, दुम्हारा यह कहना ठीक है। इसके सिवा एक बात और है। 'व्यापार संरक्षण नीति' का प्रभाव कभी कभी उद्योग-धर्मों के स्वाभाविक विकास के लिए अहितकर भी होता है—प्रतियोगिता के भाव में उन्नति करने का जो उद्योग वेग, स्फूर्ति और उत्साह रहता है, वह इस तरह जाता रहता है। और इसका फल यह होता है कि उत्पादक वर्ग न तो दूरदर्शिता से काम लेना सीखते हैं, न मितव्ययिता से। और इस प्रकार सरकार का यह अनुमान लगाना सर्वथा निरर्थक सिद्ध होता है कि इस निश्चित अवधि के अन्दर में व्यवसाय अपनी शैशवावस्था पार कर अपनी एक स्वानाविक उन्नत स्थिति में आजायगा। परन्तु ऐसा तभी होता है जब सरकार बिना अन्वष्टी तरह से जांच किये किसी उद्योग को संरक्षण द्वारा सहायता देती है।

मोहन—भारत मकाच का सामान बहुत तैयार होता है, परन्तु तोभी करोड़ों रुपयों का काच का सामान विदेशों से भारत में आता है। क्या भारत-सरकार ने काच के उद्योग को संरक्षण नीति द्वारा सहायता नहीं पहुँचाई है ?

चाचा—सरकार ने काच के सामान के सम्बन्ध में संरक्षण नीति का उपयोग अभी तक नहीं किया है। बात यह है कि संरक्षण नीति के विरुद्ध एक दूसरी नीति भी तो व्यवहार में लायी जाती है। उसे 'मुक्तद्वार व्यापार नीति' कहते हैं। जब कभी सरकार इस नीति का अवलम्बन करती है, तब यह मान लिया जाता है कि अब सरकार स्वदेशी विदेशी वस्तुओं के प्रसारमें

कोई भेद नीति नहीं रखना चाहती। वह चाहती है कि अपने देश की वस्तुएँ जिस प्रकार विदेशों में जाती हैं उसी प्रकार विदेशों की वस्तुएँ भी अपने देश में स्वतन्त्रतापूर्वक आती रहें।

मोहन—तब सरकार आयातकर लगाना एकदम से मन्द कर देती होगी।

चाचा—नहीं, आयातकर लगाती अवश्य है, पर तब उद्देश्य उसका केवल अपनी आय-वृद्धि रहता है, न कि व्यापार-रक्षण नीति के अनुसार किन्हीं विशेष उद्योग-धन्धों की सहायता करना। पर यह 'मुक्त व्यापार-नीति' उन्हीं देशों की सरकारों द्वारा व्यवहार में लायी जाना चाहिये जो श्रीयोगिक प्रतियोगिता में, विदेशों के आगे, स्थिर रह सकने में प्रायः पूर्ण समर्थ हैं।

मोहन—परन्तु अभी मे ठीक तरह से समझा नहीं कि व्यापार-रक्षण नीति और 'मुक्त व्यापार-नीति' इन दोनों में से कौन सी नीति हमारे देश के लिए अधिक उपयुक्त है।

चाचा—यहाँ इतना ही बतला देना युष्ट है। फिर कभी विस्तार से समझा दूँगा। अभी तक मैंने उत्पत्ति के सम्बन्ध में सरकारी सहायता के भेद-प्रभेद पर प्रकाश डाला है। अब मैं सरकार द्वारा होनेवाली उत्पत्ति पर विचार करता हूँ। बात यह है कि कुछ उद्योग-धन्धे इस प्रकार के होते हैं कि उनका प्रबन्ध यदि एक केन्द्र से होता है, तो उसमें मितव्ययिता अधिक होने की गुंजाइश रहती है। परन्तु इस प्रकार के कार्य जब कभी कुछ व्यक्तियों पर डाल दिये जाते हैं, तब वे उन्हें इतनी मितव्ययिता से कर नहीं पाते। दूसरे सरकार को भी उन पर नियन्त्रण रखना ही पड़ता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे कार्यों को सरकार स्वतः अपने हाथ में लेती है। रेल, तार तथा डाक आदि कार्य इसी कोटि में आते हैं।

मोहन—किन्तु हमारे देश में रेल का व्यवसाय तो विदेशी कम्पनियों के हाथ में है।

चाचा—लेकिन उनपर सरकार का नियन्त्रण तो रहता ही है। इसके सिवा अब तो हमारे यहाँ भी कई रेलवे लाइनों का संचालन सरकार ने अपने

ऊपर ले लिया है। महकमा जगलात तथा समुद्रतट की रक्षा भी इसी प्रकार के कार्य हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जो साधारण व्यक्तियों के हाथ में रहने के कारण न तो निश्चित समय पर पूरे हो पाते हैं, न खूबसूरती के साथ पूरे किये जाते हैं और न उनमें उचित मितव्ययिता का निर्वाह हो पाता है, किन्तु जनता के उपयोग और लाभ की दृष्टि से उनका पूरा होना अत्यन्त आवश्यक होता है। तब सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह ऐसे कार्यों को अपने हाथ ही में लेकर जल्दी-से-जल्दी कर डाले।

मोहन—सरकार चाहे तो इनसे कुछ शुल्क भी वसूल कर सकती है।

चाचा—किन्तु प्रायः उन पर कोई शुल्क लगाया नहीं जाता। सर्वसाधारण की सुविधा ही वहाँ मुख्य उद्देश्य होता है। इसके सिवा साधारण जनताद्वारा इसमें कोई हानि होने की भी सम्भावना नहीं रहती। मोटर आदि से यदि सड़कों अथवा पुलों की स्थिति का कुछ क्षय भी होता है, तो उस पर टैक्स लगा ही दिया जाता है।

कि तु कुछ कार्य फिर भी ऐसे बच ही रहते हैं, जो जनता अथवा व्यक्तियों पर छोड़े नहीं जा सकते। एक तो उनके उत्पादन का हेतु सर्वथा आर्थिक नहीं होता, दूसरे उनका नियन्त्रण भी सर्वथा आशका हीन नहीं हो सकता। तभी सरकार को स्वतः ही ऐसे कार्यों का प्रबन्ध करना आवश्यक हो जाता है, शस्त्रास्त्रों का निमाण इसी कोटि में आता है।

मोहन—अच्छा, यह सच तो आपने बतलाया, किन्तु एक बात फिर भी रह ही गयी। और यह कि कभी कभी सरकार ऐसेभी कार्य हाथ में ले लेती है, जिसे वह जन साधारण के हाथ में सहज ही सौंप सकती है। जैसे नमक आदि। यह क्या बात है ?

चाचा—हाँ, इस प्रकार के उत्पादन-कार्य सरकार केवल विशेष आय के लिए करती है। यद्यपि नमक का समस्त उत्पादन-कार्य हमारी सरकार नहीं करती, केवल आधा ही करती है। किन्तु शेष आधे पर भी उसका नियन्त्रण रहता है।

मोहन—आजकल किले में युद्ध सम्बन्धी सामान बहुत अधिक मात्रा में बन रहा है।

चाचा—हाँ, इस प्रकार की उत्पत्ति सरकार सन्तकालीन स्थिति में करती है। उस समय केवल इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सैनिकों के लिये युद्ध के समय, इस सामान की कमी न पड़े। ऐस समय प्रायः आयात निर्यात मन्द या कम हो जाता है। कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनकी आवश्यकता-पूर्ति के लिए देश में प्रतिस्पर्धा बढ जाती है। उस समय सरकार को जीवनोपयोगी अत्यन्त आवश्यक पदार्थों के उपयोग पर भी नियंत्रण करना पड़ता है। यहाँ तक कि कभी कभी प्रत्येक व्यक्ति के लिये कुछ वस्तुओं के व्यवहार की एक सीमा तक निर्धारित कर दी जाती है।

मोहन—किन्तु भोजनादि के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति पर आपत्ति कालीन स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है ?

चाचा—बात यह है कि सरकार को सैनिक सामग्री के निमाण की ओर इतना अधिक ध्यान देना पड़ता है कि सवसाधारण की माँग को उम्हरे आगे कम महत्त्व दिया जाता है। युद्ध के लिए भी अधिकाधिक सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है। अतएव आवश्यकतानुसार आदमी उसी ओर ले लिये जाते हैं। इसने अतिरिक्त युद्ध सम्बन्धी सामान बनाने के लिये भी श्रमिकों की इतनी काफ़ी सख्या ररानी पड़ती है कि आवश्यकतानुसार वे बराबर युद्ध सम्बन्धी उत्पत्ति में लगे रहते हैं। इसलिये अन्य वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाता है।

उपर्युक्त कार्य ऐसे हैं जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध तो युद्धकाल से ही रहता है, किन्तु जिनका स्थायी प्रभाव युद्धकाल के बाद अनेक वर्षों तक चलता रहता है। अनेक ऐसे देश प्वर कर दिये जाते हैं, जिनका व्यापार बहुत उन्नत दशा में रहता है। समार की आर्थिक व्यवस्था में भी बडा उलट फेर उपस्थित हो जाता है। यहाँ तक कि युद्ध से सम्बन्ध न रखनेवाले राष्ट्र भी उस आर्थिक विप्लव की लपेट में आये बिना नहीं रहते और उनको व्यावसायिक दृष्टि से पूर्ववत् बनने में पचासों वर्ष लग जाते हैं।

मोहन—अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यदि उत्पत्ति का समस्त उच्च

दायित्व सरकार के ही हाथ में हो, आदि से अन्त तक वही उसका संचालन करे, तब तो कोई कठिनाई ही न रहे। ऐसा होने से न तो उत्पादन में किसी प्रकार का अपव्यय होगा, न कोई ऐसी अडचन उपस्थित होगी, जिनको दूर करने के लिए सरकार के न्याय, व्यवस्था तथा निवा नियंत्रण की आवश्यकता रहती है।

चाचा—पर यह आवश्यक नहीं है कि सरकार देश की उत्पत्ति का संचालन करने पर सर्वथा सफल ही हो। सरकारी कार्य तो सदा कुछ निश्चित विधि विधानों से चला करते हैं। शासन के लिए किसी हद तक यह आवश्यक भी रहता है। परन्तु उत्पत्ति के लिए तो सदा नयी रूढ़ अथवा प्रणालियों की आवश्यकता रहती है। सरकारी कर्मचारी, चाहे वे कितने ही उच्चवर्ग के क्यों न हो, सदा अपने पदों पर स्थिर रहकर वेतन, वेतन वृद्धि और अन्त में पेंशन तक ही मर्यादित रहा करते हैं। कार्य की गति तीव्र होने की कहीं तक आवश्यकता है, कहीं वह शिथिल तो नहीं है, इस ओर उनका ध्यान नहीं रहता। हानि लाभ के उत्तरदायित्व का भी वे प्रायः कम अनुभव करते हैं। नयी प्रणालियों का प्रयोग करने का उनमें साहस नहीं होता। प्रायः वे लकीर के प्रकार रहते हैं। उन्हें सदा इस बात की आशङ्का बनी रहती है कि कहीं ऐसा न हो कि नयी पद्धति के अनुसार कार्य करने पर सफलता न मिले—सम्भव है कि वह उच्च पदाधिकारियों, मतदाताओं अथवा व्यवस्थापकों को पसन्द भी न आये तो उनको पद-युत होकर अपमानित होना पड़े।

यहाँ यह बात भी कम विचारणीय नहीं है कि कोई व्यक्ति या समूह, चाहे वह साकेदारी की पद्धति से काम करे, अथवा मिश्रितपूँजी की कम्पनी से, उसे इस बात का बोध रहता है कि कार्य में जितना अधिक लाभ होगा उतनी ही अधिक उसे उससे अर्थ की प्राप्ति होगी। इसने विपरीत सरकारी पदाधिकारी निर्धारित घटों में काम करेगा। उसके राह वह निश्चित हो जायगा। न वह छोटी मोटी बातों में मितव्ययिता पर ध्यान देगा, न उसके अनुकूल अथवा प्रतिकूल पल की परवा करेगा। और जोरतम उठाना तो वह कभी स्वीकार ही न करेगा। कभी-कभी तो यहाँ तक देखा गया है कि सरकारी पदाधिकारी रहने की अवस्था में जो व्यक्ति अत्यन्त साधारण भेषी का जान

पड़ता है, वही व्यावसायिक क्षेत्र में आने पर स्वतन्त्र और स्वानलम्बी होकर बड़ा प्रतिभाशाली तथा योग्य साबित होता है ।

मोहन—किन्तु आपने तो एक दिन बतलाया था कि रूस देश में उत्पादन का समस्त कार्य सोवियट सरकार के ही हाथ में है और वहाँ उसे इस कार्य में अत्यधिक सफलता मिली है ।

चाचा—उसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ की सोवियट सरकार मजदूरों की है । पूँजीपति वर्ग वहाँ रक्खा ही नहीं गया है । यहाँ तक कि व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने के लिए भी सीमाएँ निर्धारित कर दी गयी हैं ।

मोहन—तो आरका अभिप्राय यह है कि सरकार द्वारा उत्पत्ति देश के लिए तभी श्रेयस्कर हो सकती है, जब सरकार का सङ्गठन पूँजीपति-वर्ग से न होकर धमजीवी-वर्ग से हो ।

चाचा—और तब देश में कभी ऐसी अशान्ति भी हो नहीं सकती, जैसी अनाज अथवा अन्य खाद्य पदार्थों की अत्यधिक महँगी के सम्बन्ध से हमारे यहाँ कभी कभी अनायास और अचानकनीय रूप से हो जाया करती है ।



सैंतीसवाँ अध्याय

उत्पत्ति का आदर्श



सध्या होने जा रही थी। पानी बरस गया था और वायु में तरी आगयी थी। राजाराम बिहारी के साथ किसी कार्यवश गाँव के दूसरे ओर चला जा रहा था। रास्ते में मिल गया जानकीप्रसाद। द्वार पर अपनी गैया दुहने के लिए शायद बड़बड़े को खोलने जा रहा था। सामने पढने से पहले ही राजाराम ने यकायक खड़े हो, धीरे धीरे, बिहारी से कहा—जीजा जी, यही वह जानकीप्रसाद है, जो पहले हमारे यहाँ हल जोतने पर नौकरी करता था। भगवान की दया से अब एक अच्छा सद्गृहस्थ हो गया है। एक गोई की खेती होती है। घर में गाय रखता है। जिस समय हमारे यहाँ नौकरी पर आया था, बेचारे की हालत अच्छी नहीं थी।

जानकीप्रसाद ने ज्योंही राजाराम को आते देखा, त्योंही वह उसने पैरों की ओर झुककर चरण स्पर्श करने लगा। अभी वह उठा ही था कि राजाराम ने आशीर्वाद देकर कह दिया—ये हमारे जीजा जी हैं।

तब जानकी ने बिहारी को भी प्रणाम किया।

राजाराम ने पूछा—और कहो जानकी भाई, अच्छी तरह से तो हो !

जानकीप्रसाद बोला—आपके इन चरणों की रज से मुझे इतना मिल गया है कि जन्म भर खाते रहेंगे, पर चुनेगी नहीं।

राजाराम बोला—मैंने ऐसा क्या किया है भाई, जो मुझे इतना सम्मान देते हो ! देनेवाला तो कोई और है।

जानकी—नहीं, आप लोगों का सद्दयता पूर्वक व्यवहार में जीवन भर

भूल नहीं सकता। मैं तो अन्त करण से यह स्वीकार करता हूँ कि आपने पिता ने ही मुझे अपने पैरों खड़ा होने योग्य बनाया है।

राजाराम—प्रैर, ये बातें रहने दो। कहो, कोई तकलीफ तो नहीं है ?

जानकीप्रसाद ने प्रसन्नतापूर्वक कहा—नहीं भैया, आपकी कृपा से अब किसी चीज की कमी नहीं है।

तदन्तर बातें करते हुए राजाराम और बिहारी आगे बढ़ गये। थोड़ी दूर आगे चलने पर बिहारी ने कहा—आज अपनी आँतों के सामने तुम्हारे एक पुराने नौकर के, तुम्हारे प्रति, आदर और कृतज्ञता से पूर्ण, जो भाव मैंने देखे, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। अब मुझे विश्वास हो गया कि सचमुच उत्पत्ति व आदर्श का निर्वाह, जान पड़ता है, दादा जी पूर्णरूप से करते थे।

राजाराम—उत्पत्ति का आदर्श क्या है, यह तो मैं नहीं जानता। हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि नौकरो के साथ उनका व्यवहार बहुत सद्दयता पूर्ण रहता था काम के वक्त तो वे रूखायत करना न जानते थे। पर एक तो वेतन सदा निश्चित समय पर बिना माँगे देते थे। दूसरे फसल अच्छी होने पर, इनाम के तौर पर, दो चार मन अनाज उन्हें बाँट भी देते थे। और जरूरत पड़ने पर जो खपया उन्हें देते, वह कभी फिर माँगते न थे। कोई दे देता, तो भले ही ले लेते, पर उसके लिए कभी कोई कड़ुता मन म न लाते थे। इसका परिणाम यह होता था कि नौकर बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करते थे। यहाँ तक कि वे हम लोगों को अपना अन्न-दाता समझते थे। आपने देखा ही है, आज तक यह जानकीप्रसाद मुझे उसी भाव से मानता है।

बिहारी—यही तो मैं कह ही रहा हूँ कि पैरोपकार ही उनके जीवन का आदर्श था, और सच पूछो तो उत्पत्ति का आदर्श भी यही होना चाहिये।

राजाराम—पर आजकल यह सम्भव कहाँ है ? आजकल तो लोग केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। दूसरो को चाहे गितनी हानि हो, इसकी चिन्ता उन्हें कतई नहीं होती। गतवर्ष की ही बात है, रेत में पानी लगाने थे किलकिले में इसी गाँव में, लाठी चल गई थी। दाताराम तो मरते-मरते यचा था। किसी

को उम्मीद नहीं रही थी कि फिर धरती पर चलेगा। असल में कुदुर उसका कुछ भी न था। सारी ज्यादाती बड़ीनाथ के आदमियों की थी, जो हमारे किसानों को खेत खींचने के लिये पानी नहीं लेने देते थे। दाताराम ने इसका विरोध भर किया था।

बिहारी—प्रत्येक देश में कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं, केवल धन कमाना जिनका उद्देश्य होता है। उचित अनुचित अथवा ईमानदारी बेईमानी इसका कोई विचार उन्हें नहीं होता। एन-नेन प्रकारेण अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही उनका मुख्य कार्य होता है। ये पूँजीपति कई प्रकार के होते हैं।

वे उत्पादन के सारे साधनों पर अपना पूर्ण अधिकार रखते हैं। वे श्रमिकों से उसी तरह काम लेते हैं, जिस तरह कोई हरषाहा बैलों से काम लेता है। उन्निक बैलों को बरत पर रूपाक और आराम तो दिया जाता है। श्रमिकों के लिए तो वे इसका भी उचित प्रबन्ध नहीं करते। किसी भी समय वे श्रमिकों को, चाहे तो, निकाल दे सकते हैं। पूँजीवादी देशों में लाखों बेकार श्रमिक उनके अत्याचार की चक्की में नित्य पिसा करते हैं। वहाँ समाज में दो भेद कायम हो जाते हैं। एक ओर कुछ थोड़े अमीर होते हैं। उनकी कोठियाँ होती हैं, वे मिल तथा कारखाने चलाते हैं और मोटर पर चलते हैं। विलास भोग में नित्य सैकड़ों रुपये खर्च कर डालना उनके लिये आसान काम होता है। यद्यपि दूसरी ओर उन्हीं के पड़ोस में, उन्हीं के कारखानों और मिलों में ऐसे लोग बसते हैं, जिनकी पेट भर खाना नहीं होता, जो हवादार तथा साफ स्थान तक रहने के लिए नहीं पाते। वे जावित रहते हुए भी एक नरकवाला होते और प्रायः अकाल मृत्यु अथवा प्राण पीडक भयकर बीमारियों के शिकार होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं।

कुछ पूँजीपति केवल अपने लालच के लिए उत्पादन करते हैं। जब एक ओर करोड़ों मजदूर और किसान नगे और भूखे रहते हैं, तब वे पूँजीपति केवल वस्तुओं का भाव उदा देने के लिए बाजार भर का सारा स्टॉक अपने गोदामों में भर लेते और कभी कभी तो एसी विपुल वस्तु-राशि को जला डालते अथवा समुद्र में फिक्का देते हैं। वे अपनी आधकाश शक्ति केवल निजी भोग विलास

की उत्तरोत्तर वृद्धि में लगते हैं ।

कुछ पूँजीपति भ्रमियों को प्रायः इतनी कम मजदूरी पर कार्य करने को विवश करते रहते हैं कि उनका रहन सहन कमी उच्च श्रेणी का नहीं हो पाता, उनकी स्वभाविक प्रगति का पथ रोक दिया जाता है । और इसका फल यह होता है कि उनकी दशा सुधरने की अपेक्षा उत्तरोत्तर बिगड़ती जाती है ।

राजाराम—किन्तु हमने तो देखा है कि कुछ मिल मालिन मजदूरों के लिए साँझ सुधरे मकान बनवाते और अत्यल्प होने पर उनकी उचित चिकित्सा होने के लिए अपने कारखाने की ओर से डिपेंसरी या औषधालय की भी व्यवस्था कर देते हैं ।

विहारी—यह भी उ-होने मजबूरन किया है । सो भी बहुत कम जगह ऐसा हुआ है । और हुआ है तो मजदूरों के संगठित आन्दोलन के द्वारा । इसने सिवाय यह यथेष्ट सतोष जनक रूप से होता भी नहीं है । इसमें कृपणता, असावधानी और गैरजिम्मेदारी ही प्रायः देखी जाती है । बात यह है कि उनका दृष्टिकोण ही भिन्न रहता है । वे मजदूर को आश्रित तक मजदूर ही बना रखना चाहते हैं । इस पूँजावाद में दो श्रेणियाँ रहना अनिवार्य-सा है । किन्तु विचार करने और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब कोई व्यक्ति अथवा उनका समूह यह चाहे कि समाज अथवा देश में चाहे जितनी अशान्ति असमानता, विषमता और सपर्प बना रहे, साधारण जनता चाहे जितनी दरिद्र, हीन और परावलम्बी बनी रहे, चाहे जितनी नारकीय यंत्रणाएँ वह पाती रहे, पर हमको समस्त मुक्त समृद्धि के असीम साधन सदा उपलब्ध बने रहें, यहाँ तक कि हमारी सतान को भी कभी उसकी कमी न हो, तो ऐसा कमी हो नहीं सकता । हम तब तक सुखी और सन्तुष्ट रह नहीं सकते, जब तब दूधरों को भी सुखी और सन्तुष्ट देखना हमें सहन, रुचिकर और अभीष्ट न होगा ।

राजाराम—तो आप चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति परोपकारी हो जाय । किन्तु ऐसा परमार्थवाद सम्भव जो नहीं है ।

विहारी—पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि परमार्थवाद के भी कई भेद हैं । किन्तु हम इसके मुख्य तीन भेद कर सकते हैं । (१) वस्तुओं

के उत्पादन में परोपकार भाव रखना। (२) त्याग भाव से सेवा करना। (१) अपने पैदा किये हुए धन को दूसरों के हित लगा देना। ऐसे परोपकारी गीता, रामायण तथा बाइबिल आदि धर्म-ग्रन्थों को छुप-चाकर सर्वसाधारण जनता में बिना मूल्य अथवा बहुत कम मूल्य पर वितरित करा देते हैं। कुछ लोग गरमियों में प्याऊ बैठाते, ठहरने की दिक्कत होनेवाले स्थानों पर धर्मशाला बनवाते और जहाँ आवश्यकता समझते हैं, वहाँ दात-घन औपचारिक, अनायालय, विधवा-आश्रम, मातृमंदिर तथा औद्योगिक विद्यालय खोलकर जनता की हित कामना करते हैं। गहुँचा देखा गया है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भावुक अथवा त्यागी निम्न आते हैं, जो अपने मरग पीपण मान के लिए कोई दूसरा उत्पत्ति सम्भवी काम करने लगते हैं। समर्थ होने पर जो इस तरह का साधु जीवन बिताते हैं उन्हें इसमें शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट का भान ही नहीं होता। वे न तो किसी का दान स्वीकार करते, न किसी की कृपा। उनकी उत्पत्ति का प्रधान लक्ष्य होता है—थोड़े में सतोप और जो बड़े तो परोपकारार्थ उत्सर्ग।

परोपकार परायण ऐसे लोग प्रायः प्रत्येक देश में थोड़े-बहुत होते ही हैं। हमारे देश में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने देश सेवा, साहित्य सेवा अथवा समाज सेवा में अपना सारा जीवन लगा दिया है। यदि वे इच्छा करते तो अपनी योग्यता के बल पर बहुत अच्छे उत्पादक हो सकते थे, आर्थिक दृष्टि से उनकी पद मर्यादा बहुत उच्च हो सकती थी। परन्तु उन्होंने इसकी ओर ध्यान न देकर केवल साधारण, भोजन वस्त्र ही लेना स्वीकार किया। कुछ लोग तो इतने परोपकारी होते हैं कि आवश्यकता पडने पर अपनी उपार्जित वस्तु और सम्पत्ति को दूसरों के उपभोग के लिए मानों भेंट कर देते हैं। अगर कुछ बच जाता है, तो मले ही उसे स्वीकार कर लेते हैं, अन्यथा कुछ न बचने पर भी वे सतोप कर लेते हैं। हमारे यहाँ आतिथ्य सत्कार की मर्यादा ही ऐसी उच्च मानी गयी है कि भोजन के समय अगर कोई बाहरी आदमी आ जाता है तो केवल अपने लिए बनाये गये भोजन में लोग उसे भी शामिल कर लेते और स्वतः कुछ भूखे रहजाने में परम प्रसन्नता और सोमाग्य मानते हैं। कितने ही लोगों ने रास्ता चलते हुए जब किसी को ठंड से

सिकुड़वा हुआ पाया, तो अपना गरम कोट उसे उतारकर दे दिया है। महाराज दिलीप ने गाय की रक्षा के लिए तथा महात्मा शिवि ने कबूतर की रक्षा के लिए प्राणों की भेंट चढ़ाना स्वीकार किया और भगवान बुद्ध ने जन-साधारण के कल्याण-मार्ग को प्लोत्र निकालने के लिए अपने समस्त राज-पाट और पेशेवर्य का त्याग कर दिया था। ऐसे परोपकारी लोग वसुधा-भर को अपना कुटुम्ब मानते हैं और सदा अपनी आवश्यकताओं से दूसरों की आवश्यकताओं को विशेष महत्व देते हैं।

राजाराम - तभी तो युग-युगान्तर तक ऐसे महात्माओं का गुण-गान होता है। लेकिन कुछ हो, यह रास्ता थोड़े व्यक्तियों का ही हो सकता है। सभी आदमी ऐसे हो नहीं सकते। सब के लिए यह व्यावहारिक भी नहीं है।

विहारी—तभी अर्थशास्त्र में जन साधारण के लिए न तीव्र स्वार्थवाद की आवश्यकता मानी गयी है, न परमोच्च परमार्थवाद की। उसमें मध्यम मार्ग ही श्रेयस्कर समझा गया। अंगरेज़ी में एक कथन है Live and let live अर्थात्-नियो-और-जीते दो। तात्पर्य यह कि हमें अपने को भी देखना चाहिए, अपना भी स्वार्थ साधन करना चाहिए, पर दूसरों को अवाह्यनीय क्लेश देकर नहीं, उनका सर्वस्व अपहरण करके नहीं। उनकी भी आवश्यकताओं का एक महत्व है, उनका प्राप्तव्य भी उन्हें मिलना चाहिए। और अगर उनके उचित प्राप्तव्य में बाधा डालकर, उनके स्वार्थों का विचार न कर, हम अपना ही स्वार्थ साधन करते हैं, तो यह हमारे लिए सर्वथा अनुचित है। यह दूर-दर्शिता भी नहीं है। यह तो हमारा हठ है और अज्ञान है। यह मनुष्यता भी नहीं है। पशु जैसे धक्का मारकर, या आक्रमण करके, दूसरे पशु के आगे का चारा खा जाता है, यह उसी भेणी की वृत्ति है। और यदि इसे पशु-वृत्ति कहें, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। अतएव दूसरों का हित साधन करते हुए हमें अपना स्वार्थ-साधन करना चाहिए। रूस देश ने जो उत्पत्ति की जाती है, उसका मुख्य उद्देश्य भी व्यक्ति-विशेष का हित-साधन न करके सारे समाज का हित-साधन करना है। वहाँ व्यक्ति का हित समाज का हित और समाज का हित व्यक्ति का हित माना जाता है। वहाँ व्यक्ति-विशेष अथवा व्यक्तियों की भेणी-विशेष के हित तथा लाभ का कोई प्रश्न ही नहीं

उठता । कुछ मर्यादाओं को छोड़कर वहाँ तो मानो समाज प्रत्येक व्यक्ति के लिए है और प्रत्येक व्यक्ति समाज भर के लिए ।

रानाराम—किन्तु यह परोपकार वृत्ति तो वास्तव में वर्म सम्बन्धी है । अर्थशास्त्र में इसको इतना महत्त्व क्यों दिया गया है ?

बिहारी—हमारा देश धर्म प्रधान है । हमारे यहाँ धार्मिकता का अर्जन ही मोक्ष का चरम साधन माना गया है । इसीलिये जीवनोपयोगी समस्त नियमों तथा सिद्धान्तों को हमारे यहाँ धार्मिकता से श्रोत प्रोत् क्रर दिया गया है । हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि धन का अर्जन भी धर्म पूर्वक ही करो । जो धन अधर्म से प्राप्त किया जाता है, चरम सुख-शांति उससे मिल नहीं सकती । अधर्म से प्राप्त हुआ धन देश और समाज के हितों की रक्षा भी नहीं कर सकता ।

इसके सिवा हमारे देश का जन-समान मूलतः धर्म भीरु भी है । जब तक हम अर्थशास्त्र जैसे महत्त्व पूर्ण विषय में धार्मिक भावना की पुष्ट देकर जनसाधारण के हितहित की समीक्षा नहीं करते, तब तब हमारे देश का स्वार्थी समाज उत्पत्ति के वास्तविक आदर्श को ग्रहण भी तो नहीं कर सकता ।

किन्तु यहाँ इस बात के भी स्पष्ट हो जाने की आवश्यकता है कि अर्थशास्त्र में इस धार्मिक भावना की पुष्ट जरूरत नहीं थी गयी । क्या इसमें कुछ सन्देह है कि जो पूजापति अपने नारदानों के गरीब मजदूरों से बहुत अधिक काम लेकर उसके अनुसार पूरी मजदूरी नहीं देता, लाभ के मोह में पड़कर न जो उनके भरण पोषण के साधनों की परवा करता है, न उनकी स्वास्थ्य रक्षा की ओर ध्यान देता है, जो उनके गाल बच्चों को नगा और भूखा रखकर निरंतर उनका क्षय करता है, वह देश और समाज को हानि पहुँचानेवाला एक महापतित और महापातकी पुरुष है ? वास्तव में वह विश्व कल्याण के लिए शत्रुवत् है । वह दुष्टात्मा है और धर्म च्युत है । क्या इसमें कोई शक है कि यदि कोई महाजन किसी किसान अथवा सद्गृहस्थ से बहुत अधिक छुद्र लेता है, कोई जमींदार अपने असाही का दूक मारता, उस पर लगान बढ़ाता अथवा उसका खेत वेदप्रल करता है, या कोई बगल अपनी आमदनी बढ़ाने के लोभ को चरख न कर अपने मुबक़्किल को मक़दमेगामी के लिए उकसाता,

मूठे मामले गटता अथवा गडने में मदद देता और उसे फँसाकर उसकी पसीने की कमाई का धन बरबाद करता है वह हमारे समाज और देश के नाश में योग देता है ? यह यह भूल जाता है कि धन किसी एक व्यक्ति की चीज नहीं है । सामाजिक संगठन से ही उसको महत्त्व मिला है । और जब उसका धन समाज के अहित में सहायक होता है, तब यह अपने ही मूल में कुटाराघात तो करता है । धन तो सुख प्राप्ति का एक साधन मात्र है । अतएव धनोत्पत्ति के जिस साधन से देश अथवा समाज में अशान्ति बढ़ती है, यातना बढ़ती है, उसकी उत्पत्ति-मूलक भावनाओं का क्षय होता है, वास्तव में यह उत्पत्ति के मूल आदर्श के कितने विरुद्ध हैं ! हम भारतवासी हिन्दू-धर्मशास्त्र की इस स्पष्ट आज्ञा को जानते हुए कि अर्थ-सम्बन्धी प्रत्येक कार्य धर्म के अनुसार ही होना चाहिये उसकी बराबर अबहेलना करते जा रहे हैं । सवार के सम्बन्ध में जानेवाले देश भी भौतिकवाद के चक्र में आकर अपने आर्थिक कार्यों में दूसरों के हितों की अबहेलना कर रहे हैं । इसका परिणाम यह हुआ है कि सर्वत्र ही दुःख और अशान्ति का साम्राज्य फैल गया है । सवार में सुख और शान्ति का लहर स्थायी रूप से तबही फैल सकता है जब अर्थ-सम्बन्धी प्रत्येक कार्य में धर्म का ध्यान रखा जाय । ऐसा कोई कार्य न किया जाय जिससे व्यक्तिगत लाभ के साथ ही साथ दूसरों को हानि हो । केवल ऐसे ही कार्य किये जाय जिनसे व्यक्तिगत लाभ के साथ दूसरों का, देश का, समाज का लाभ अवश्य होना हो । उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी हमारा यही आदर्श होना चाहिये ।

दादा की याद करके राजाराम ने ठण्ठी सात लेते हुए कहा—बचपन की बहुत पोड़ी स्मृतियाँ रह गई हैं । तो भी मुझे ऐसे जान पडा, मानो दादा की अन्तरात्मा ही आपके इन विचारों के भीतर पोत रही है ।

अठतीसवाँ अध्याय

वस्तु-परिवर्तन



नित्य मोहन प्रातः काल होते ही उठता और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शाक भाजी खरीदने के लिए बाज़ार चला जाता है। आज कुछ सामान और भी खरीदना था। इस लिए उसने चाचा भी साथ बें। दारागञ्ज में शाक भाजी का गान्धार प्रातः काल ही गंगा भवन के निकट लगता है। अधिकांश रूप में देहाती लोग ही शाक भाजी वहाँ ले आकर बेचते हैं। मोहन ने चाचा का ध्यान तो आम खरीदने की ओर था। एक जगह टहर कर वे आमों का मोलभाव करने लगे। पर मोहन चारों ओर नजर डालता हुआ चल रहा था। अतः उसने देखा, एक आदमी गाजरवाले से कह रहा है—मेरे पास पैसा नही, अरहर की दाल यह थोड़ी सी है। इसे ले लो और बदले में गाजर दे दो।

गाजरवाला बोला—अरहर की दाल है! अच्छा, मैं ले लूँगा। पर है तो यह बहुत थोड़ी। पावभर भी न होगी।

एक और आदमी उसने पास जाकर लिये बैठा था। बोला—पावभर तो होगी गन्जु। अरहर की दाल मारी होती है, थोड़ी-सी ही चबती है। कम जरूर है, तो भी दो पैसे से कम क्या होगी! लेकिन तुम्हें तो पैसे चाहिये। दाल तो तुम्हारे घर में भी होगी।

गन्जु के यहाँ इस साल अरहर कुछ कम हुआ है। जो हुआ, सो भी लगान् अदा करने के सिलसिले में उसने बेच डाला था। अरहर की दाल के स्थान पर अधिभत्तर मटर की ही दाल उसके यहाँ पकती है। इसलिए

जामुन ले आनेवाले उस साभी की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया ।

उधर दालवाले ने देखा, यह गाजरवाला शायद गाजर देना नहीं चाहता है । इमीलिए चुप है । इसलिए अधीर होकर वह तब तक बोल उठा—भैया, दाल बहुत अच्छी है, ले लो ।

गन्जू तो निश्चय कर ही चुका था कि दाल वह ले लेगा । अतएव उसने उसके घुटने को धक्का देकर पूछा—कितनी गाजर तौल दें, बुधई ! यो दो पैसे सेर बिकती है । तुम कहते हो दाल बावभर होगी । लेकिन गुम्मे तो कम जान पड़ती है । अब कौन तौले जरा सो दाल को । अच्छा मैं तुमको तीन पाव गाजर दे सकता हूँ, तौलूँ ?

दालवाला बोल उठा—तीन पाव दोगे ! कुछ और ज्यादा न दोगे ! दाल तो हमारी पाव भर से कम है नहीं । अच्छा, उधरो मैं तुम्हारे सामने तौले देता हूँ ।

गन्जू इसी समय बोल उठा—अब चाहे वह पाव भर हो, या सवा पाव । मैंने कह दिया कि तीन पाव गाजर दूँगा ।

तब दालवाला बोल उठा—अच्छा दे दो ।

शाम और शाक-भाजी लेकर जब मोहन चाचा के साथ घर को चलने लगा, तो उसने चाचा से कहा—आप तो उधर आम इरीदने में लगे रहे । पर मैंने तरकारी इरीदते हुए एक विचित्र बात देसी । अभी अभी एक देहाती आदमी ने दाल देकर गाजर इरीदी है । देखिये वह गाजरवाला दाल को अपने कपड़े में बाध रहा है और दालवाला गाजर लिये जा रहा है । मैंने शहर में तो इस प्रकार बदला बदली होती कभी नहीं देखी ।

चाचा ने पटना को समझाते हुए कहा—हा, ऐसी इरीद शहरों में बहुत कम होती है । यहाँ तो अधिकतर पैसे देकर ही माल इरीदा जाता है । पर शायद गाजर वाले ने उठ आदमी की हालत देखकर दाल के बदले में गाजर दे दी है ।

बाजार से लौटा, तो मोहन के मन में न मालूम क्यों यही बात उथल पुथल मचाने लगी । अन्त में उससे न रहा गया और उसने कहा—मुझे तो चाचा, ऐसा जान पड़ता है कि मानव सभ्यता के आदि काल में जब मुद्रा का

जन्म नहीं हुआ या, लोग इसी तरह अपनी अपनी आवश्यक वस्तुएँ दूसरे से लेकर काम निभालते थे, वस्तुओं को परिवर्तन-में लेने का यह चलन उसी प्रचलन का मन्द पड़ता हुआ धीण रूप है।

चाचा ने कहा—तुम्हारा यह सोचना गिल्गुल ठीक है। चीजों के गरी देने के प्राय दो ही रूप होते हैं। एक यह वस्तु परिवर्तन का रूप, दूसरा वस्तु को बदले में रुपया-पैसा देकर खरीदना।

यह कहकर वे सुप हो गए। इतने में मोहन ने कहा—और ?

चाचा—और क्या ? मालूम होता है कि तुम शुरू से सब बातें जानना चाहते हो। अच्छा चलो घर पर बैठकर आज तुम्हें मैं इस बारे में कुछ और बतलाऊँगा।

घर में तरकारी तथा आम चाची व सुपुद कर मोहन चाचा की बैठक में ले गया और वहीं उनसे बोला—हाँ, अब बतलाइए।

चाचा—बात यह है कि जब कोई वस्तु एक के अधिकार से किसी दूसरे के पास पहुँच जाती है तो आमतौर पर हम उस उस वस्तु का अधिकार परिवर्तन कहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अधिकार परिवर्तन के लिए उस वस्तु को अपने स्थान से हटाना ही पड़े। चाय, चाना, तरकारी आदि वस्तुएँ खराद व समय ता अवश्य दुकानदार की आलमारी या टालिया स खरीदार के हाथ में आता है। पर भूमि, मकान आदि कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं, जो अपनी जगह से हटाई ही नहीं जा सकता।

खर अधिकार परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो जब तुम्हें खरदस्ती या अनिच्छापूर्वक कोई वस्तु दूसरे को देनी पड़ती है।

मोहन—जैसे चोर डाकू करते हैं। खरदस्ती निम्न के घर में घुस गये और माल असमाव, गहना, कपडा, सोना चाँदी जो पाया लेकर चल दिये।

चाचा—इसके अलावा सरकार को जो टैकस या जुमाना आदि दिया जाता है वह भी तो अनिच्छा से ही होता है।

मोहन—लोकन लोग जा पछों, पुरोहितों का दक्षिणा आदि के रूप में बहुत सा धन देते हैं क्या वह भी इसमें आ जाएगा ?

चाचा—यदि वे अनिच्छापूर्वक देते हैं, तब तो खर आ जाना चाहिए।

किन्तु दान दक्षिणा तो बहुधा इच्छापूर्वक भी दी जाती है। दूसरे प्रकार के अधिकार-परिवर्तन में वस्तु विशेष इच्छा से दी जाती है। इसके भी दो भेद हैं। हम जो दान देते हैं अथवा वसोयत में जो धन या वस्तुएँ मिलती हैं, उनके बदले में कुछ नहीं मिलता। परन्तु गाजरवाले ने जिस प्रकार का अधिकार परिवर्तन किया था उसमें उसे गाजर के बदले में अरहर की दाल मिल गई। अर्थशास्त्र में इसका काफी महत्व है।

मोहन—क्यों चाचा, क्या इसलिये कि इसके अतर्गत क्रम विक्रय का प्रश्न उठता है ?

चाच—हा, मैंने तुम्हें बताया था कि किसी आदमी का काम केवल अपनी ही बनाई वस्तुओं से नहीं चल सकता।

मोहन—ठीक है, गाँव में बड़ई, लोहार, धोती न मालूम कितने आदमी इस तरह के होते हैं जिन्हें अपने काम और अपनी बनाई वस्तुओं को देकर दूसरे से अनाज मोल लेना पड़ता है।

चाचा—प्रत्येक मनुष्य को दूसरों की बनाई हुई वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पर उन्हें लेने के लिए दूसरों को भी उन्हें कुछ वस्तुएँ देनी पड़ती हैं। जैसा कि तुमने अभी बताया, तुम्हारे गाँव का बड़ई दल, गाड़ी के पहिये आदि वस्तुएँ बनाकर दूसरों को देता है तभी उसके बदले में अनाज तथा पैसे आदि पाता है। पर एक बात याद रखो। जिससे तुम कोई वस्तु लेने जा रहे हो वह तुम्हारी वस्तु तभी होगा जब उसे उसकी जरूरत होगी।

मोहन—तब क्या गाजरवाले को अरहर की दाल की आवश्यकता रही होगी।

चाचा—जरूर रही होगी। पर उसने जितनी कीमत की दाल पाई होगी, उतनी कीमत की गाजर थोड़े ही दी होगी।

मोहन—हाँ, यह तो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। शायद पाव भर दाल थी और तीन पाव गाजर दी गई। हिसाब से उसे पूरे सेर भर मिलनी चाहिये थी।

चाचा—पाव भर दाल दो पैसे से कम न आवेगी। और तीन पाव गाजर डेढ़ पैसे की हुई। गाजरवाले का लाभ हुआ और उसे लाभ तो उठाना ही

चाहिये । वस्तु परिवर्तन प्रथा में सत्र से बड़ा दोष यही है कि जो पहले अपनी आवश्यकता प्रकट करता है उसी को सबसे कम लाभ होता है ।

मोहन—पर आप जो पैसे देकर तरकारी खरीदते हैं क्या उसे परिवर्तन नहीं कह सकते ?

चाचा—नहीं ! वास्तव में कोई वस्तु देकर किसी वस्तु को लेना विनिमय कहलाता है । पर जब दोनों वस्तुओं में से कोई भी रुपया पैसा नहीं होता, तो उस विनिमय को परिवर्तन कहते हैं । परन्तु जब किसी वस्तु के बदले में रुपया पैसा दिया जाता है तो उस कार्य को नय विक्रय कहते हैं ।

मोहन—तो हमारे गीब का बुधई मडई, लोलई लोहार आदि वस्तुओं का परिवर्तन करते हैं ?

चाचा—और क्या ?

मोहन—और अगर दोनों वस्तुओं में से एक रुपये पैमे के रूप में हो तो उसे क्या कहेंगे ?

चाचा—मैंने अभी तो बतलाया कि उसे क्रय विनय कहेंगे । क्रय विनय में वस्तु के बदले में द्रव्य (रुपया पैसा) दिया जाता है । इसका उदाहरण है तुम्हारा तरकारी खरीदना और उस दिन तुमने वह इङ्गलिश प्रोन सेलेक्शन पुस्तक भी तो खरीदी थी ।

मोहन—तब तो प्रत्येक क्रय दूसरी ओर से विनय और प्रत्येक विनय दूसरी ओर से क्रय है ।

यह बारीक बात तुमने सूत्र छोड़ी, मुझकरते हुए चाचा बोले—वास्तव में क्रय के माने होते हैं खरीदना और विनय माने बेचना । पर मैं जब तरकारी का क्रय करता हूँ तो तरकारीवाले की दृष्टि से निस्सन्देह वह तरकारी का विक्रय होता है । निदान तरकारी की खरीद में एक पक्ष क्रय करता है और दूसरा विक्रय । अच्छा, अब यह बताओ कि क्रय विक्रय या परिवर्तन के लिए किन किन शर्तों का होना अनिवार्य है ?

मोहन—शर्तों का ? अच्छा, शायद आपका मतलब यह है कि विनिमय कब होता है ?

चाचा—अच्छा, यही बताओ ।

मोहन—विनिमय के लिए ऐसे दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनके पास दो भिन्न भिन्न वस्तुएँ रहती हैं।

चाचा—और ?

मोहन—और तो मैं नहीं साच सकता।

चाचा—यात यह है कि केवल इतने से विनिमय की क्रिया नहीं हो सकती। विनिमय के हेतु यह भी अनिवार्य है कि दोनों में से प्रत्येक को दूसरे की वस्तु की आवश्यकता हो।

मोहन—हाँ, अगर यह तो आवश्यक है। बिना इसके तो क्रय विक्रय हो नहीं सकता।

चाचा—अच्छा, अब एक बात बतलाओ। क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि परिवर्तन से दोनों पक्ष को लाभ होता है ?

मोहन—लाभ न हो तो एक व्यक्ति अपनी वस्तु देकर दूसरे की वस्तु क्यों ले ?

चाचा—पर यह जरूरी नहीं कि सदा ऐसा ही हो।

मोहन—मुझे तो ऐसा ही जान पड़ता है।

चाचा—क्यों ? क्या यह नहीं हो सकता कि तुम किसी वस्तु को इरीदने में सोचो कि यह उम्दा निकलेगी, पर घर पहुँचने पर वह रद्दी निकल जाय ?

मोहन—पर उस वस्तु को लेते समय तो मैं यही सोचूँगा कि मुझे इसके लेने से कुछ-न कुछ लाभ हो रहा है।

चाचा—तब तुमको कहना चाहिये कि विनिमय के लिए यह अनिवार्य है कि दोनों पक्ष यह अनुभव करें कि इसके द्वारा उन्हें लाभ होगा और साधारणतया प्रायः दोनों पक्षों को लाभ होता भी है। ऐसा करने से तुम्हारा कथन प्रत्येक विनिमय क्रिया पर लागू होगा।

मोहन—यह तो आपने बहुत अच्छा बताया।

चाचा—अच्छा, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें सीमांत उपयोगिता के बारे में बताया था कि कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को तभी दूसरी वस्तु के लिए देगा जब दूसरी वस्तु की सीमान्त-उपयोगिता पहली से अधिक हो। उदाहरण के लिए मैं पैसे देकर तरकारी इसीलिए खरीदता हूँ, क्योंकि मेरे लिए

तरकारी की सीमात-उपयोगिता पैसों की सीमात-उपयोगिता से अधिक होती है। जहाँ वह कम हुई वहीं मैंने तरकारी इरीदना बढ़ किया।

मोहन—सिद्धान्त रूप से तो यह ठीक है। पर व्यवहार में ऐसा नहीं हो सकता। व्यवहार का अवसर आने पर हम इसी निष्कर्ष पर कभी नहीं पहुँच सकते।

चाचा—हाँ, व्यवहार में तो हमेशा हम लोग इस बिन्दु के आस-पास ही रहते हैं। यदि बाजार में नारंगी खरीदने जाओ तो तुम तीन पैसे, एक आना या पाच पैसे कुछ भी दे आओगे। मैं ही उस दिन पपीता इरीद रहा था। मैं दो आने दे रहा था और पपीतेवाला तीन आने माँग रहा था। फिर वह ढाई आने माँगने लगा। मैंने नौ पैसे न माँगा, पर पौरन ही दस पैसे ही देदिये। मुझे नौ या दस पैसों के बीच किसी विशेष अंतर का बोध नहीं हुआ। अच्छा, जरा आग्रज पेंसिल देना। मैं तुम्हें एक खयाल देता हूँ। देखो, मोहन के पास ६ नारंगी हैं और तुम्हारे पास ६ इरबूजे। इनकी सीमान्त-उपयोगिता इस प्रकार है।

यह कहकर उन्होंने आग्रज पर कोष्टक रूप में उपयोगिताएँ लिखते हुए कहा कि बताओ तुम कितने इरबूजे देकर नारंगिया लोगे। एक नारंगी के बदले एक इरबूजा मिलता है।

मोहन के चाचा ने जो कोष्टक बनाया वह निम्नप्रकार का था:—

| नारङ्गी और इरबूजों की संख्या | मोहन के लिए नारङ्गी की सीमात उपयोगिता | मोहन के लिए इरबूजों की सीमात उपयोगिता | मोहन के लिए इरबूजों की सीमात उपयोगिता | मोहन के लिए नारङ्गी की सीमात उपयोगिता |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| १ | १०० | ११० | १२० | १३५ |
| २ | ९९ | १०५ | ११५ | १२५ |
| ३ | ९८ | ९५ | ११० | १०० |
| ४ | ९६ | ८५ | ९६ | ७० |
| ५ | ९३ | ७० | ८५ | ३५ |
| ६ | ८८ | ५० | ६० | २० |

मोहन कुछ देर सोचता रहा । फिर बोला—मैं तो तीन इरबूजे देकर तीन नारङ्गियाँ ले लूँगा ।

चाचा—यह जान लेना इतना सरल नहीं है । मान लो, पहले सोहन ने एक नारङ्गी तुमको एक इरबूजे के बदले म दी । तुम्हारी वह पहली नारङ्गी होगी, इयलिये उसकी उपयोगिता तुमको होगी १३५, परन्तु उसकी वह छठवीं नारङ्गी होगी जिसकी उपयोगिता उसको केवल ८८ है । इसी प्रकार जो तुम इरबूजा दोगे वह तुम्हारा छठवाँ इरबूजा होगा और उसकी उपयोगिता तुमको केवल ६० ही है । परन्तु वही इरबूजा सोहन का पहला इरबूजा होगा और उसकी उपयोगिता उसको ११० होगी । इसी प्रकार इस प्रथम परिवर्तन से सोहन का लाभ होगा $११० - ८८ = २२$ उपयोगिता ।

और तुमका लाभ होगा $१३५ - ६० = ७५$ उपयोगिता ।

मोहन—यह तो मैं समझ गया । अब यह बतलाइये कि दूसरे इरबूजे के परिवर्तन में क्या परिणाम होगा ?

चाचा—सोहन के नारङ्गी के बदले जो दूसरा इरबूजा मिलेगा उसकी उपयोगिता उसे १०५ होगी । उमने बदले म जो वह नारङ्गी देगा वह उसकी पाँचवीं नारङ्गी होगी जिसकी उपयोगिता उसे ९३ है । इस प्रकार सोहन को लाभ होगा:—

$१०५ - ९३ = १२$ उपयोगिता । इसी प्रकार तुमको भी लाभ होगा । तुम जो दूसरी नारङ्गी प्राप्त करोगे उसकी उपयोगिता तुमको १२५ होगी और उससे परिवर्तन में जो अपना पाँचवाँ इरबूजा दोगे उसकी उपयोगिता तुमको केवल ८५ है । इस प्रकार तुमका लाभ होगा:—

$१२५ - ८५ = ४०$ उपयोगिता ।

मोहन—क्या इसी प्रकार प्रत्येक सीदे से दोनों का लाभ होता रहेगा ?

चाचा—जरा धीरज रखो । अब तीसरे सीदे के सम्बन्ध में विचार करो । इस तीसरे सीदे में जो तुमने तीसरी नारङ्गी मिलेगी उसकी उपयोगिता तुमको १०० होगी । इसके बदले में तुम अपना चौथा इरबूजा दोगे जिसकी

उपयोगिता तुमको ९६ है। इसी प्रकार इस सौदे में तुमको $१०० - ९६ = ४$ उपयोगिता का लाभ होगा। और तुम इस सौदे के लिये भी उत्सुक होगे। मोहन को इस सौदे में जो तीसरा खरबूजा मिलेगा उसकी उपयोगिता उसे ९५ है और उसके बदले में वह जो अपनी चौथी नारङ्गी देगा उसकी उपयोगिता उसे ९६ है। इसलिये वह अपनी चौथी नारङ्गी खरबूजे के परिवर्तन में देने को तैयार नहीं होगा। तुम्हारे उत्सुक रहने पर भी यह सौदा नहीं होगा।

इस उदाहरण से दो बातें तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आगयी होंगी। प्रत्येक सौदे में दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दोनों की उपयोगिता का लाभ होता है। जब दो में से किसी एक को भी वस्तु परिवर्तन से हानि होने लगती है तो सौदा नहीं होता।

मोहन—मैं इन दोनों बातों को अच्छी तरह से समझ गया। अब किसी दिन ब्रथ विक्रय के सम्बन्ध में भी समझा जायगा। इस समय तो मुझे उस दाल वाले की याद आ रही है। बेचारा गाजर लेने के लिए कितना अधिक उत्सुक था। लेकिन चाचा वह गाजरवाला भी कम चालाक नहीं था। वह जानते हुए भी कि दाल पावभर से कम नहीं है, गाजर उसने उसे डेढ़ पैसे की ही दी।

चाचा उस समय मुसफरा रहे थे।



उन्तीसवाँ अध्याय

कय-विक्रय

१००२

एक दिन मोहन अपने चाचा से कुछ रुपये लेकर बाजार गया हुआ था। आज उसने तय कर लिया था कि वह एक बडिया काउटेन पेन खरीदेगा। कई दुकानों पर उसने नजर लगाया। इंगलिश, अमेरिकन तथा जापानी, कई तरह के, पेन उसने देखे। एक अमेरिकन पेन उसने पसन्द भी किया। पर जितने दाम दुकानदार ने उसे बतलाये, उतने में खरीदना उसने स्वीकार नहीं किया। वह भारदार यही सोचने लगता था कि कहीं यह मुझसे ज्यादा दाम तो नहीं माँग रहा है। अन्त में उस दुकान से उठकर वह एक दूसरी दुकान पर गया।

इस दूसरी दुकान पर जब मोहन पहुँचा, तो इस बार वह कुछ अधिक सावधान था। उसे इस बात का विश्वास था कि अब वह पेन खरीदने से दुकानदार से ठगाया न जा सकेगा। इस दुकान पर भी कई प्रकार के पेन उसने देखे। परन्तु जिस रंग का पेन उसने पहली दुकान में पसन्द किया था, उसी रंग का पेन उसको इस दुकान में नहीं मिला, यद्यपि मेकर दोनों का एक ही था। दाम में भी थोड़ा अंतर था। पहले दुकानदार ने उस पेन का दाम २॥) बतलाया था, पर दूसरा उसी मेकर के उसी तरह के पेन का दाम ३) बतला रहा था। एक जो रंग इस पेन का उतना सुन्दर नहीं था, दूसरे दाम भी ॥) अधिक बतलाये जा रहे थे। तब विवश होकर मोहन पुनः उसी दुकान पर जा पहुँचा, जिस पर उसने पहली बार एक पेन पसन्द किया था।

दूकानदार उस समय अपनी ढाक देल रहा था। एक चिट्ठी उस समय भी उसके सामने थी।

मोहन ने कहा—मुझको वही पेन दे दीजिये, जो मोनहले रग का था और जिसका दाम आपने २॥) उतलाया था।

दूकानदार ने कहा—उसका दाम उठ गया है। इसलिये अब तो वह ३) से कम म नहीं मिलेगा। दूकानदार की यह बात सुनकर मोहन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा—अभी तो पन्द्रह मिनट पहिले आपने उसका दाम २॥) बतलाया था। इतनी ही देर में दाम बढ़ गया !

दूकानदार बोला—गानू साहब, आपको इसमें आश्चर्य होता है ! यह बिजनेस का मामला है। चीजों का भाव जब घटता-बढ़ता है, तब इसी क्रय विक्रय म व्यापारियों का लाखों का बारा-यारा हो जाता है। आज आपको जान पड़ता होगा कि मैं आपसे ॥) पैसे चबर्दस्ती छीने ले रहा हूँ। पर अगर इसी पेन का दाम घट जाता, तो मुझको जो हानि होनी, क्या मैं उसे आपसे ले सकता था ?

मोहन ने चट से ३) देकर वह पेन खरीद लिया।

शाम को वह जब भोजन करके निश्चित हुआ तो पेन खरीदने की घटना का सारा कच्चा चिट्ठा उसने अपने चाचा से यह सुनाया। चाचा सुनकर बोले—उस दिन मैंने तुमको वस्तुओं के परिवर्तन के सम्बन्ध म बतलाया था। क्रय विक्रय की बात रह गयी थी। आज अनायास यह मामला आ ही पहुँचा। अच्छा तो इसको वही से शुरू कर, जहाँ से छोड़ा था।

मोहन—हाँ। उस दिन शायद बात यह चल रही थी कि परिवर्तन में और तो कोई ज्ञास दिक्कत नहीं है। यही है कि पैसा देकर कुछ अधिक आसानी से क्रय विक्रय हो जाता है। परिवर्तन में नाप-तौल का झगडा रहता है।

चाचा—अच्छा, अगर तुम्हारे पास एक कितान हो और तुम्हें उसके बदले म तरकार, पेन्सिल, सातुन और ताना लेना हा, तो कैसे काम चलाओगे ?

मोहन बोला—परिवर्तन म ता सचमुच उर्दा दिक्कत हागी। आप के कथनानुसार यह काम तभी हो सकता है जब किसी के पास तरकारी, पेन्सिल, सातुन

और ताला ये चारो चीजें हो । इसके सिवा वह उनके बदले में मेरी किताब लेने को भी तैयार हो ।

चाचा—यही नहीं, यह भी आवश्यक है कि तुम इन वस्तुओं की जितनी मात्रा चाहते हो उतनी ही मात्रा में वह उन्हें देने को भी तैयार हो ।

मोहन—लरुर । अगर वह मेरी इगलिशप्रोन वाली किताब लेकर एक पेंसिल, एक साबुन, एक ताला देगा तो मैं थोड़े ही लूंगा ।

चाचा—इस प्रकार परिवर्तन में कठिनाई यह है कि एक वस्तु के बदले बहुत सी वस्तुएँ नहीं मिल सकती । बहुत सी वस्तुओं के बदले में किसी एक वस्तु का मिलना कठिन है । प्रथम तो ऐसे व्यक्ति न मिलेंगे, द्वितीय परिवर्तन की दर निश्चित करने की कठिनाई हमारा सम्मुख आएगी ही ।

मोहन—पर आप दो पक्षों की आवश्यकता तथा उनसे पाठ एक दूसरे की मतलब की नीजें होना - ये दो शर्तें तो भूल ही रहे हैं ।

चाचा—मने उन्हें इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये क्रय विक्रय के सम्बन्ध में भी लागू होती है । क्रय विक्रय तभी होगा जब एक बेचनेवाला हो और दूसरा खरीदनेवाला । यहाँ बेचनेवाले को खरीदार के रूप की आवश्यकता होती है और ग्राहक को बेचनेवाले के माल की ।

मोहन—क्रय विक्रय में भी तो मोल भाव होता है ?

चाचा—क्यों नहीं ? पर इसमें और वस्तु परिवर्तन में सबसे बड़ा अंतर यही है कि प्रत्येक क्रय विक्रय के अवसर पर एक वस्तु का मुद्रा से ही परिवर्तन होता है । मुद्रा से मेरा मतलब रुपए-पैसे से है ।

मोहन—ठीक, रुपये पैसे का चलन होने के कारण मैं किताब को पुरानी किताबवाले के हाथ आधी कीमत पर बेच दूंगा । जो रकम मिलेगी उससे भिन्न भिन्न दुकानों पर जाकर भाव ताब करके अपने मतलब की वस्तुएँ खरीद लूंगा ।

चाचा—ठीक, आनकल अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं । पर क्या तुम बता सकते हो कि उस दिन बाजार में अमरूद पैसे के चार बीसे मिल गये थे ?

मोहन—आपने माँग के सम्बन्ध में बताते समय कहा था कि प्रत्येक वस्तु की क्रीमत उसकी माँग पर निर्भर रहती है। उस दिन माँग कम होने के कारण अमरूद मस्ते मिल गये थे।

चाचा—यह तो ठीक है कि माँग का क्रीमत पर असर पड़ता है। पर उस वस्तु की पूर्ति का भी क्रीमत पर असर पड़ता है।

मोहन—हाँ हाँ उस दिन आचार में अमरूद पटे पड़े थे। विक्रेते के लिए आधिक अमरूद होने के कारण ही उस दिन उनके दाम गिर गये थे।

चाचा—अच्छा पूति और स्टॉक में क्या अन्तर होता है ?

मोहन—पूति और स्टॉक में कोई अन्तर नहीं। बेचनेवाले के पास जितना माल होता है वही स्टॉक कहलाता है। उसी को आप पूति के नाम से पुकारते हैं।

चाचा—नहीं, बेचनेवाल के पास जितना माल होता है उसे पूति नहीं कहते। पूति तो उस स्टॉक का वह हिस्सा है जिसे मालगाला किसी खास क्रीमत पर बेचने को तैयार होता है।

मोहन—पर मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि कोई दुकानदार अपने सारे स्टॉक को बेचने के लिए क्यों तैयार नहीं रहेगा।

चाचा—बात यह है कि यह कहते समय कि अमुक दुकानदार के पास दो सौ साइकिलों का स्टॉक है, हम उन साइकिलों की क्रीमत का तनिक भी बर्खन नहीं करते। परन्तु उन्हीं साइकिलों की पूति बताते समय उनकी क्रीमत बताने की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है कि चालीस रुपया की साइकिल के हिसाब से दुकानदार पचास साइकिलें बेचने को तैयार हो और पचास रुपए के भाव उत्तर साइकिलें बेचने को राजी हो जाय। कहने का मतलब यह कि पूति हमेशा क्रीमत के साथ दी जाती है।

मोहन—इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर उस दुकानदार के यहाँ हमारे इस पेन का काजी स्टॉक हो, और मैं एक साथ एक दर्जन खरीदने को तैयार हो जाऊँ, तो वह मुझे २॥ के भाव से दे देगा ?

चाचा—मेरा तो खयाल ऐस ही है कि जरूर दे देगा।

मोहन—तब तो चाचा जी, भिन्न भिन्न भावों पर भिन्न-भिन्न पूर्ति होती होगी ।

चाचा—सो तो है ही । यदि इन्हीं भावों और पूर्ति के बराबर बराबर लिख लिया जाय तो पूर्ति की एक सारिणी बन जायगी । देखो, साइकिलों की पूर्ति की सारिणी इस प्रकार की होगी—

यह कहकर मोहन के चाचा ने कागज पर निम्नलिखित सारिणी बना दी ।

| मूल्य की साइकिल (रुपये में) | साइकिल की पूर्ति (सख्या में) |
|-----------------------------|------------------------------|
| ४० | ५० |
| ६० | २०० |
| ८० | ३१० |
| १०० | २९५ |
| १२० | ४७० |
| १४० | ५४० |
| १६० | ६०० |

मोहन—इससे तो यह मालूम पड़ता है कि जैसे मूल्य बढ़ता है वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ती है ।

चाचा—हाँ पूर्ति का नियम गढ़ी तो कहता है कि आमतौर पर जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है वैसे वैसे पूर्ति बढ़ती है और अधिकतर मूल्य घट जाने पर पूर्ति भी घट जाती है ।

मोहन—क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मूल्य घटने से पूर्ति बढ़ जाय ?

चाचा—हो क्यों नहीं सकता । यह दीर्घकाल में ही होता है । यदि किसी उद्योग घरे में 'क्रमागत वृद्धि नियम' लागू होता हो, और वस्तु की कीमत कम हो जाय, तो उसकी पूर्ति बढ़ सकती है । लेकिन ऐसा तभी होगा जब माँग भी बढ़े ।

मोहन—तो पूर्ति घटने से कीमत भी घट जायगी ?

चाचा—पूर्ति घटने से कीमत हमेशा बढ़ती ही है । इसी प्रकार पूर्ति बढ़ने से कीमत सदैव घटती है । केवल उन उद्योग घरे में, जहाँ 'क्रमागत

हास नियम, लागू होता है पूर्ति और मूल्य की वृद्धि-साधक साथ चलती हैं। पर ऐसा तभी होता है जब माग की वृद्धि या प्रचलता के कारण ग्राहक अधिक मूल्य देने को तैयार हों।

मोहन—पर यहाँ इस विषय में ज्ञात-व्य तो यह है कि क्लोमठ जानकर बेचनेवाला व्यक्ति पूर्ति का निश्चय करते समय किन बातों का विचार करता है।

चाचा—प्रथम तो वह वस्तु के बनाने में जो व्यय होता है उसका विचार करता है। क्योंकि यह सोचने की बात है कि कोई व्यक्ति कभी हानि उठाना क्यों चाहेगा। पर यह दोषकाल के लिए है। अल्पकाल में बेचनेवाला समय, अवस्था, स्थान आदि न मालूम कितने प्रकार की बातों का विचार करता है।

मोहन—सो कैसे ? बेचनेवाला तो हमेशा अपने लागत-वर्च की याद रखेगा और उससे कम कदापि न लेगा।

चाचा—खुबाल तो हमेशा रखेगा, पर यह आवश्यक नहीं कि वह कभी कम न ले। एक बार की बात है। रात का समय था, मैं चौक की सब्जीमंडी से गुजर रहा था। बाजार में सत्राटा हो चला था। उसी समय एक बूढ़ा नौजवान उधर आ निकला। उसने एक अनारवाले से फल का भाव पूछा और फिर यह कहकर वह चलने लगा कि चौदह आने सेर दो, तो दो सेर तौल दो। इस पर एक मिनट भी न लगा था कि कुछ सोचकर अनारवाले ने दो सेर अनार चौदह आने में तौल दिये। बाद में मैंने उससे पूछा कि रुपये का भाव करके फिर चौदह आने में तुमने अनार क्यों बेच दिये ?

उत्तर मिला—साहब, वह तो सगा ही रहता है। मैंने सोचा कि रात में अब कौन अनार मोल लेगा। फिर यह ठहरा ग्राहारी अनार। बड़ी चतुरी, गलत, है, फिर अल्पकाल, व्यत्यय, दत्तना, गहर, है कि दिन-अ-में, दो तीन सेर अनार बिकना मुश्किल हो जाता है। इन्होंने थलावा तुरत एक श्राना नवा मिल गया।

अब देखो, इसमें अनारवाले ने समय, अवस्था का तथा भविष्य

को अनिश्चित दशा का ख्याल करके अनार कम मुनाफे से भी बेच दिये थे !

मोहन—इससे सिद्ध होता है कि भविष्य का ख्याल भी भाव निर्धारण में अपना कुछ महत्व रखता है ।

चाचा—महत्व ! अनाजवालों को यह पता लग जाय कि अब की बार खेती खराब हो रही है तो वे अभी से भाव तेज कर देंगे । देखो न, अंगरेज और जर्मन के मध्य युद्ध की घोषणा हुई नहीं कि अनाजवालों ने भाव आसमान पर चढा दिया । क्योंकि वे जानते हैं कि यदि आज कोई इस भाव पर अन्न मोल नहीं भी लेगा तो कुछ दिन बाद, आवश्यकता बढ़ जाने पर तो, लोग इसी भाव से अवश्य ही अनाज खरीदेंगे । इस भविष्य के भरोसे ही कितने सौध साहूकार व सट्टा करनेवालों ने कोठियाँ खड़ी कर लीं और अब मत्ते से अपनी जीविका चला रहे हैं ।

अच्छा, अब तुम बताओ कि क्रय विक्रय किस मूल्य पर होता है ?

मोहन—जितने पर सौदा पट जाय उतने पर ही क्रय विक्रय हो जाता है ।

चाचा—अच्छा तो माँग और पूर्ति के रूप में इसी बात को कैसे कहेंगे ?

मोहन—यह तो मैं नहीं जानता !

चाचा—यही ख्याल करो कि सौदा पटने का क्या मतलब होता है । अगर तुमने आलूवाले से चार पैसे फी सेर की दर से दो सेर आलू माँगे और यह इस भाव से बेचने को तैयार हो गया, तो इसके मतलब यह हुए कि चार पैसे सेर के भाव में तुम्हारी माँग दो सेर आलू की है और पूर्ति भी दो सेर है । अतएव क्रय विक्रय के लिए यह आवश्यक है कि भाव ऐसा हो कि माँग और पूर्ति का परिमाण बराबर हो । उदाहरणार्थ यदि माँग तथा पूर्ति की सारिणी अगले पृष्ठ पर लिखे अनुसार हो, तो सौ रुपये कीमत पर मैशीनों की माँग ११०० होगी और पूर्ति भी उतनी ही होगी । इसलिए इस बाजार में मैशीन एक सौ रुपये प्रति मैशीन के हिसाब से विकेगी ।

यह कहकर मोहन के चाचा ने पास में पड़े कागज पर निम्नलिखित तालिका बनायी ।

| कीमत जो मशीन | मशीनों की माँग | पूर्ति की संख्या |
|--------------|----------------|------------------|
| २०० रुपये | १५० | २००० |
| १५० ,, | ५०० | १७०० |
| १२० ,, | ९०० | १२१० |
| १०० ,, | ११०० | ११०० |
| ७५ ,, | १५०० | ७५० |
| ५० ,, | २२०० | २०० |

मोहन—अच्छा चाचा जी, क्या हमेशाही, प्रतिदिन, ११०० मशीनों एक सौ रुपये प्रति मशीन के भाव से विक्रती रहेंगी ?

चाच—मैंने जो तालिका बनाई है वह किसी एक खास समय के लिए है। जब तक झरीदने और बेचनेवालों की दशाओं में परिवर्तन नहीं होगा तब तक तुम्हारा यह कहना ठीक होगा कि सौदा एक सौ रुपया प्रति मशीन के हिसाब से होगा। यही मशीन की अल्पकालीन माँग होगी। परन्तु यह दशा बहुत समय तक नहीं रह पाती। कई कारणों से बेचने और झरीदनेवालों की दशाओं में निरन्तर परिवर्तन होता ही रहता है और उसका प्रभाव भी वस्तु की कीमत पर अवरय पड़ता है। किसी भी वस्तु की माँग और पूर्ति में हमेशा ही परिवर्तन हुआ करते हैं और दोनों का प्रभाव वस्तु की कीमत पर पड़ता रहता है।

मोहन—किसका प्रभाव वस्तु के मूल्य पर अधिक पड़ता है ?

चाचा—दोनों का प्रभाव साधारणतः एक सा पड़ता है। कुछ दशाओं में माँग का प्रभाव अधिक पड़ता है तो कुछ दशाओं में पूर्ति का प्रभाव। इसका विवेचन अन्य किसी समय करूँगा। जब दोनों में से किसी एक में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव वस्तु की कीमत पर पड़ता है। साथ ही साथ तुमको यह भी याद रखना चाहिये कि कीमत के परिवर्तन का प्रभाव भी माँग और पूर्ति पर पड़ता है। इस प्रकार माँग, पूर्ति और कीमत इन तीनों का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। इसका विवेचन भी उदाहरण देकर मैं तुमको अन्य किसी समय अच्छी तरह समझाऊँगा। अभी तो तुमको यह याद कर लेना चाहिये

कि किसी समय किसी वस्तु की कीमत बढ़ी होती है जिसपर उसकी माँग और पूर्ति का परिमाण बराबर हो जाता है। इस नियम के सम्बन्ध में एक बात मान ली गयी है। और वह यह है कि बेचने और इरीदनेवालों में आपस में पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहती है। अर्थात् ये एक ही बाजार में अपना लेन-देन करते हैं।

मोहन—क्या अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ साधारण अर्थ से कुछ भिन्न होता है ?

चाचा—हाँ, अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ कुछ भिन्न है।

इसी समय बाहर किसी ने पुकारा—मोहन। और मोहन उसे मिलने के लिये बाहर चला आया। देखा तो जगदीश, उसका साथी, खड़ा था। मोहन उसे भी अन्दर ले आया। चाचा से नमस्कार करने के बाद वह बोला—अभी बाजार से आ रहा हूँ। कई लोग साथ में थे। इस मेकर के सिर्फ दस पेन उस दूकानदार के यहाँ निकले। हम में से सभी ने एक एक पेन इरीद लिया। केदार के लिए कम पड़ गया तो वह भार्गव की दूकान पर लेने जा पहुँचा। हम लोग भी साथ थे। सब के हाथ में यही पेन देखकर मालूम नहीं क्या बात हुई कि दूकानदार ने कहा—इस पेन का दाम बढ़ गया है। ३॥) रुपये लगेंगे। आपतो जानते ही हैं, माल बिलायत से आ नष्ट रहा है। बड़े बड़े शहरों में जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है, उसी में व्यापार होता है। आज यह पेन मिल भी गया, दो चार महीने बाद मुमकिन है, वह पेन आपको कहीं मिल ही न सके।

चाचा बोले—बाजार का अर्थ ही है कर्म विक्रय का जगत। इसमें आश्चर्य क्या है ?



चालीसवाँ अध्याय

बाज़ार



आज अदन भर बादल तो घिरे रह, किन्तु पानी नहीं पड़ा। ऊस भी बहुत ही आधर रही। अब कहीं जाकर ठंडी हवा के भोके आये हैं। सध्या भी हो आयी है।

मोहन चाचा के साथ शहर घूम रहा था। चाचा बोले—आम तो अब चुरु चले हैं।

मोहन ने कहा—मैंहमे भी तो हो गये हैं।

इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों जॉन्स्टनगज की ओर चल पड़े। मोहन के चाचा ने आग उड़ते ही कहा—अरे, वह दूकान तो आज बन्द है। अच्चा तो अब चलो, घर चलें। फिर दो एक दिन में ले लेंगे ?

इसी समय एक दूकानदार ने उनकी ओर देखकर कहा—नया चाहिये बाबू साहब ?

मोहन के चाचा ने उत्तर दिया—कुछ नहीं। थोड़ी, नया ब्लेड लेने थे। मैं हमेशा उस दूकान से ले जाता था। पर आज वह बन्द है।

दूकानदार—तो लीजिये, मैं देता हूँ। क्यादातर आप कौन सा ब्लेड इस्तेमाल करते हैं।

चाचा—मैं तो सेविन ओ-ग्राक का पैकेट ले जाता था। अब लड़ाई की बजह से पनामा तो आता नहीं।

दूकानदार—हाँ, पनामा अब वहाँ से आ सकता है ? जिनके पास पनामा है भी, वह उसे बारह आने पैकेट से कम पर बेचने को तैयार नहीं है। देखिये

में आपको सेविन-ओ ब्राक से सस्ता तथा उम्दा ब्लेड दूँगा ।

यह बहकर दूकानदार ने एक डिब्बे में से निकालकर नैसेट ब्लेड का पैकेट मोहन के चाचा को दिखलाते हुए कहा—यह देखिये । इसमें भी उतने ही ब्लेड होते हैं और इसका दाम भी उतना ही है जितना सेविन-ओ ब्राक का है । पर यह उससे अधिक काम देता है । अगर उसका एक ब्लेड आपकी दाढ़ी तीन बार बनाता होगा तो यह छे बार बनावेगा ।

मोहन—पर अभी तो आपने कहा कि यह सस्ता है ।

दूकानदार—हाँ साहब, सस्ता तो है ही । उसी दाम में दूनी सर्विस मिलती है । और फिर देखिए, इसमें आम-के-आम और गुठली के दाम मिलते हैं । जब आप इन्हें काम में ला चुकें, तो इन ब्लेडों को छुट्टि-छुट्टि वर ऐसा क्रम निकाल लीजिए कि इन पर छुपे अक्षरों से नैसेट ब्लेड बन जाय ।

मोहन—यह कैरो ?

दूकानदार—प्रत्येक ब्लेड पर A, B, C, D, E, L, N, T, में से कोई एक अक्षर लिखा रहता है । वर, आपको ऐसे ब्लेड छुट्टिने चाहिए कि अंगरेज़ी में नैसेट ब्लेड बन जाय । उसे आप मेरे पास ले आइए तो मैं कम्पनी की ओर से आपको बढ़िया ताश की एक जोड़ी दूँगा ।

मोहन—यह तो बड़ा अच्छा है । चाचा, एक जोड़ी तीन चार आने की अपश्य होगी । आधे दाम तो निकल ही आयेंगे ।

दूकानदार—इसमें क्या शक है । कहिये बाबूजी, कितने पैकेट हूँ ।

मोहन के चाचा—अच्छा एक पैकेट दे दीजिए । देखूँ यह कैसा काम देता है ।

पैकेट की जेब में रख तथा ऐसे चुकाकर जब मोहन के चाचा आगे बढ़े तो मोहन ने कहा—चाचा, निन्ही करने का यह तो बड़ा उम्दा तरीका है । उपयोग किये हुए ब्लेडों के बदले में ताश की जोड़ियाँ मिल जाएँगी !

चाचा—हाँ, यह भी लाग-डाँट का एक ढंग है । दोनों कम्पनियाँ हैं तो इंग्लैंड में, पर उनमें प्रतिस्पर्धा होती है वहाँ ।

मोहन—क्या वहाँ पर यह हाल न होता होगा !

चाचा—वहाँ भी अवश्य यह हाल होगा । पर इनके ब्लेडों का बाज़ार

इतना विस्तृत है कि ये इंग्लैंड छोड़ हिन्दुस्तान में भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

बाज़ार का नाम सुनकर मोहन को अर्थशास्त्र की याद आ गयी। वह बोला—उस दिन आपने मुझे बाज़ार का अर्थ नहीं बतलाया था। अब बताइए कि अर्थशास्त्र में बाजार का क्या अर्थ लगाया जाता है ?

चाचा—अर्थ बड़ा सरल है। देखो, आम तौर पर तुम उस जगह को बाजार के नाम से पुकारते हो, जहाँ पर तरह-तरह की दूकानें होती हैं और भिन्न भिन्न वस्तुएँ बेची और खरीदी जाती हैं। लेकिन अर्थशास्त्री प्रत्येक वस्तु का बाजार अलग मानता है।

मोहन—वह कैसे ?

चाचा—मैं पहले तुम्हें इसके उदाहरण देकर समझाऊँगा। देखो, जो तरकारी हम रोज खरीदते हैं वह शहर छोड़कर न बाहर जाती है और न जा सकती है। बाहरकाले तरकारी लेने यहाँ नहीं आते। अतः तरकारी का बाजार केवल हमारे शहर तक सीमित है। इसी प्रकार तुम्हारे गाँव में जो लोहार है वह अपना माल वहाँ बेचता है ?

मोहन—गाँव में या गाँव के पास के हाट में।

चाचा—ठीक। अच्छा, अब यह बतलाओ वह और दूर क्यों नहीं जाता ?

मोहन—और दूर जाने में खर्च बढता है। यह खर्चमाल की निजी से कदापि नहीं निकल सकता।

चाचा—जो ब्लेड मैंने अभी मोल लिया उसका बाजार क्या समझते हो ?

मोहन—मैं आप का मतलब समझा नहीं।

चाचा—मैं पूछता हूँ कि यह ब्लेड कहाँ-कहाँ बिकता है ?

मोहन—कम-से-कम विलायत और हिन्दुस्तान में अग्रश्य बिकता है।

चाचा—तो हम कहेंगे कि तरकारी का बाजार शहर तक सीमित है, तुम्हारे लोहार के माल का बाजार गाँव और गाँव के पास के हाट तक। और ब्लेड का बाजार इंग्लैंड और भारत तक।

मोहन—अच्छा तो आप यह कदना चाहते हैं किसी वस्तु के बाजार से मतलब उन स्थानों से रहता है, जहाँ उस वस्तु की बिक्री होती है ?

चाचा—ठीक । परन्तु अर्थशास्त्री इसी बात को दूसरी तरह कहेगा ।

मोहन—वह कैसे ?

चाचा—वह कहेगा कि किसी वस्तु का बाज़ार उस सारे स्थान को समझना चाहिए जहाँ विक्रेता और खरीदार आपस में बिना रोक टोक भाव-ताप कर सकें अर्थात् जहाँ विक्रेताओं में आपस में तथा विक्रेता और खरीदारों में पूर्ण प्रतिस्पर्धा और भावताव होता हो, फलस्वरूप सारे बाज़ार में वस्तु विशेष को एक ही कीमत प्रचलित रहती हो ।

मोहन—तब तो ऐसे बाज़ार में आदमी एक जगह एकत्र नहीं हो सकते ।

चाचा—क्यों नहीं हो सकते ? तरकारी का बाज़ार तो ऐसा ही है । हाँ, प्रत्येक वस्तु के बाज़ार के लिए यह जरूरी नहीं कि विक्रेता और खरीदार आमने सामने हों । तुम चाहो तो सोना पर बैठे खरीद लो । रट्टेबाज़ सेठ-शाहूकार तार और टेलीफोन के बरिफ़ इबारों और लारों का छोदा करते हैं ।

मोहन—आमने जो कुछ बताया उससे तो यही पता चलता है कि किसी वस्तु का बाज़ार छोटा और किसी का बहुत विस्तृत होता है । परन्तु प्रश्न यह है किसी वस्तु के बाज़ार के विस्तार का निश्चय किस प्रकार होता है ?

चाचा—किसी वस्तु के बाज़ार का विस्तार कई बातों पर निर्भर रहता है । प्रथम, अधिकतर यह पाया जाता है कि जो वस्तुएँ छोटी मात्रा में उत्पन्न की जाती हैं वे उत्पत्ति-स्थान से बहुत दूर नहीं भेजी जाती । उनकी खरत आस पास के स्थानों में ही हो जाती है ।

मोहन—यह क्या बात है ? वे दूर क्यों नहीं भेजी जाती ?

चाचा—इसके दो मुख्य कारण होते हैं । एक तो यह कि ऐसी वस्तुएँ अधिकतर अधिक दिन तक नहीं बहरतीं, जल्दी ही मण्ड हो जाती हैं । दूसरे वे अधिकतर दूसरी जगह भी आसानी से तैयार की जा सकती हैं । अतः उन्हें दूर के स्थानों में लेजाने से जो गाड़ी भाड़ा लग जाता है वह बयल नहीं हो सकता । यह भी एक कारण है कि ऐसी वस्तुओं का बाज़ार यातायात की सुविधाओं और साधनों पर भी निर्भर करता है । उत्तम तथा

सस्ते साधनों के होने पर, छोटी मात्रा की उत्पात्ति होने हुए भी, वस्तु दूर तक भेजी जा सकती है। देखो, इलाहाबाद के श्रमरूढ़ दूर-दूर तक पहुँचते हैं, लँगड़ा आम व बम्बईया भी कम विस्तृत बाज़ार नहीं रखते।

मोहन—पर चाचा मैं तो समझता हूँ कि इसका कारण यह है कि वे लोग इन चीज़ों को पसन्द करते हैं अतः दूर से आने पर, अधिक दाम देकर भी, इन्हें खरीदने को तैयार रहते हैं।

चाचा—यही बात है।

मोहन—पर आपने तो अभी मुझे बताया कि बाज़ार में वस्तु की क्रीमत एक ही होती है।

चाचा—यह तो ठीक है। परन्तु उसमें यातायात के व्यय का ध्यान रखा जाता है।

मोहन—तब कहना होगा कि बाज़ार के विस्तार और लोगों की इच्छा या माँग में गहरा सम्बन्ध है। यदि किसी स्थान पर किसी वस्तु की माँग न होगी तो वह कितनी ही सस्ती हो, फिर न सरेगी और कुञ्च समय बाद तो वहाँ से उड़ जायगी।

चाचा—ठीक। पर यदि माँग हो तो वस्तु के बाज़ार का विस्तार यातायात के साधन पर बहुत निर्भर रहता है। इसके सिवा बाज़ार के विस्तार और देश की सरकार की शक्ति व सु व्यवस्था का भी सम्बन्ध है। पुराने ज़माने में लूट-मार के डर के कारण ही लोग अपने-अपने माल को पास बेच देते थे। अब लूट-मार का डर बहुत कम हो गया है। यातायात की सुविधाएँ बहुत कुछ सरकारी प्रबन्ध के कारण ही मिलती हैं।

मोहन—अच्छा तो चाचा बड़ी मात्रा में उत्पन्न की जानेवाली वस्तुओं का बाज़ार कैसे विस्तृत होता है ?

चाचा—प्रथम तो वेही वस्तुएँ बड़ी मात्रा में उत्पन्न की जाती हैं जिनकी माँग अधिक होती है। जैसे—सोना, चाँदी, गेहूँ, ब्लेड, साइकिल आदि।
द्वितीय—वे बहुत दिनों तक नष्ट नहीं होतीं। तृतीय—वे आसानी से दूर दूर भेजी जा सकती हैं।

मोहन—छोटी मात्रा में उत्पन्न की जानेवाली वस्तुओं के सकुचित

बाजार होने के आपने जो कारण बताये थे वे तो उसके उल्टे पड़ते हैं। इनके अलावा क्या और कुछ कारण नहीं है ?

चाचा—इनके अलावा तुम यह और कह सकते हो कि इन वस्तुओं को दूर दूर पहुँचाने में प्रेस, अज्ञात, बैंक आदि भी मदद करते हैं। अज्ञातों में इनका विज्ञापन निकलता है और बैंक इनके बदले में रुपया पहुँचाने में मदद करती हैं।

मोहन—तो किस तरह ?

चाचा—अभी तो तुम इतना ही समझ लो। किसी दिन मैं तुम्हें बैंकों के बारे में विस्तार में सब बातें बताऊँगा।

मोहन—अच्छा, वह तो बतलाइये कि किसी वस्तु का बाजार और किन बातों पर निर्भर रहता है।

चाचा—यों तुम कह सकते हो कि जो वस्तु तुमने देखी नहीं है और जिसके रिषय में तुम यह भी नहीं सोच सकते कि वह किस प्रकार की होगी, उसे तुम कभी नहीं इरीदोगे। हाँ, अगर वह वस्तु किसी प्रकार अनेक क्रिमों में बँटी हो और यह मालूम हो कि किस क्रिम का क्या मतलब होता है, सब तुम उस वस्तु का भावताव कर सकते हो। मान लो, तुम गेहूँ के व्यापारी हो और बाहर से गेहूँ मँगाना चाहते हो। बाहर से पत्र आये कि गेहूँ बड़ा उम्दा है और नौ सैर जी रुपए की दर से मिलेगा, तो तुम कहोगे न कि न गालूम उम्दा से इच्छा क्या मतलब है। सफ़ेद है या लाल, छोटे दाने का है या बड़े दाने का। पचाव का तो नहीं है ? इत्यादि।

मोहन—नहीं, गेहूँ का तो नमूना भेजा जा सकता है।

चाचा—हाँ, गेहूँ का नमूना भेजा जा सकता है। इसी प्रकार और बहुत-से वस्तुओं के नमूने भेजे जा सकते हैं। बहुत-सा खेप होता है कि इरीददार के पास नमूना पहुँचाने में बहुत समय लग जाता है और उसके या तो कप बिक्रय करने का समय निकल जाता है अथवा माल के प्रयाव होने का डर बना रहता है। ऐसी हालत में यदि वस्तु अनेक भेदों में बँटी होती है, तो बड़ा अच्छा होता है।

रुई, गेहूँ वगैरह का क्रय विक्रय अक्सर इसी के आधार पर होता है। खासकर उस समय, जब वे भारत से बाहर भेजी जाती हैं।

मोहन—नमूने के अलावा और किसी बात पर भी क्या बाजार का विस्तार निर्भर करता है ?

चाचा - हाँ, जैसे वस्तु का स्वरूप और भार ?

मोहन—सो कैसे ?

चाचा—मान लो, तुम कोयले के व्यापारी हो। कोयला हलका होता है। अब तुम उसे कहाँ तक भेज सकते हो ?

मोहन—जहाँ तक कोयला भेजने और बेचने में उत्पादन-व्यय तथा गाड़ी-भाड़ा निकल आएगा।

चाचा—पर यह तो तुमको मालूम ही है कि अगर तुम रेल से कोयला भेजोगे तो वह अधिक जगह धरेगा। थोड़े मूल्य के कोयले से एक मालगाड़ी का डिब्बा भर जाएगा। अतः फी सेर पर कोयले का तुम्हें अधिक किराया देना पड़ेगा।

मोहन—अधिक और कम से क्या अन्तर पड़ता है ?

चाचा—क्यों ? उसकी जगह यदि तुम चाँदी के व्यापारी होते, तो हथारों और लारों रुपये का माल एक डिब्बे में भेज सकते।

मोहन—परन्तु चाँदी भारी होने के कारण उससे भरी गाड़ी वा वजन कोयले की एक गाड़ी से वहीं अधिक होगा। अतः रेलवालों को चाँदी के मामले में अधिक दानदार डिब्बा रीचना पड़ेगा।

चाचा—पर उसमें उनको यह लाभ होता है कि वे इजिन वगैरह की पूरी ताकत का फायदा उठा सकते हैं। कोयले के सम्बन्ध में तो यह बात नहीं कही जा सकती।

मोहन—हाँ, यह तो ठीक है।

चाचा—तभी तो चार पैसे में तुम एक सेर कोयले को जितनी दूर भेज सकेगो उससे कई गुना दूर एक सेर चाँदी चली जायगी।

मोहन—तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस तरह चाँदी अधिक दूर तक कम भाड़े से भेजी जा सकती है।

चाचा—इसमें क्या शक है ? परन्तु जोखिम उठाने का इर्ष अलग देना होगा ।

इस प्रकार बात धरते करते चाचा भर्ताजे घर पहुँच गये । घर में घुसते हुए मोहन के चाचा ने कहा—लो, आज तुम वस्तु का बाज़ार, उसके विस्तार तथा विस्तार के कारणों के बारे में खूब हाल जान गये ।

मोहन—क्या विस्तार के सब कारण पूरे हो गये ?

चाचा—हाँ, मैंने तुम्हें विस्तार के मुख्य मुख्य सारे कारण बता दिये । एक बात चाही तो और जान लो । किसी वस्तु का दूसरे देश में तभी बाज़ार होता है जब उस देश में यह वस्तु ठीक से पैदा नहीं की जा सकती । हमारे देश में उद्योग धन्धे गिरी हुई दशा में हैं । इसी कारण हम विदेशी तैयार माल को मोल लेते हैं । इसके विपरीत अमरीका जैसा देश स्वयं हर प्रकार के माल तैयार कर लेता है । अतएव इङ्गलैंड या अन्य देशों का बहुत कम तैयार माल वहाँ पर क्रय विक्रय होने के हेतु भेजा जाता है ।

यह तो हुआ बाज़ार का वर्गीकरण, विस्तार के अनुसार, पर बाज़ार का वर्गीकरण समय के अनुसार भी किया जाता है । किसी वस्तु का बाज़ार अल्पकालीन, दीर्घकालीन और अतिदीर्घकालीन भी होता है । अल्पकालीन बाज़ार की विशेषता यह रहती है कि वस्तु की पूर्ति निश्चित रहती है । वह उस समय घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती । माँग के परिवर्तन से क्रीमत में परिवर्तन होता है ।

मोहन—अल्पकालीन बाज़ार कितने समय का होता है ?

चाचा—यह वस्तु की दशा पर निर्भर है । सरकारी, मछली इत्यादि शीघ्र बिगड़नेवाली वस्तुओं का अल्पकालीन बाज़ार एक दिन का होता है ।

सोना, चाँदी इत्यादि विस्तृत बाज़ारवाली वस्तुओं का अल्पकालीन बाज़ार कुछ महीनों का ही होता है । किसी देश में इस वस्तु के भाव में कुछ परिवर्तन होते ही उसकी सूचना सार द्वारा संसार भर में पहुँच जाती है और भाव बदल जाता है । गेहूँ, कपड़ा इत्यादि का अल्पकालीन बाज़ार एक दिन से अधिक का भी हो सकता है । दीर्घकालीन बाज़ार की विशेषता यह है कि पूर्ति को भी माँग के परिवर्तन के अनुसार घटने बढ़ने का समय मिल जाता

है। पर-तु इतना समय नहीं मिलता जिससे उत्पादन के तरीकों में सुधार हो सके। अति दीर्घकालीन बाजार में सुधार के तरीकों का प्रभाव भी पूर्ण और क्रीमत्त पर पड़ता है। साधारणतः दीर्घकालीन बाजार का समय एक से पाँच सात वर्ष का और अति दीर्घकालीन बाजार का समय पाँच सात वर्ष से बीस-पच्चीस वर्ष हो सकता है।

अल्पकालीन, दीर्घकालीन और अतिदीर्घकालीन बाजारों में वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण, भिन्न भिन्न तरीकों से होता है। इसका विवचन मैं यथावसर करूँगा।

गते करते करते दोनों घर पर पहुँच गये थे। उसी समय श्याम देल पड़ा। मोहन ने पूछा—कहाँ से आ रहे हो ?

श्याम—तुम्हें मालूम ही है भागव की दुकान में आग लग गयी थी। उन्हीं के घर से गुजर रहा था। दरवाज पर त्रहुतेरी जली अबजली तथा धुआँलाई चीलें पड़ी हुई थीं। उन्हीं में मुझ पनामा का एक पैन्ट मिल गया। तुम जानते हो, यह चील बाजार में मिलना दुर्लभ है, लेकिन मैं उसी पुराने भाव (यानी साठे पाँच आने दर्जन) से ले आया हूँ।

चाचा ने कहा—तब तो तुमने दुकानदार को ही ठग लिया।

श्याम बोला—उसने खुद आश्चर्य हुआ कि इस चील के मैंने इस ढेर से निकाल क्यों नहीं लिया ? इसके सिवा शायद परिचय होने के कारण उसने गलाहिजा भी किया हो।

चाचा—जो हो। सौदा बड़ा सस्ता रहा।



इकतालीसवाँ अध्याय

वस्तुओं की कीमत

अल्पकालीन बाज़ार में

मोहन नित्य प्रातःकाल उठकर घूमने जाता है। पर आजकल वर्षा के दिन हैं। कभी कभी जो पहले से ही पानी बरसता होता है, तो घूमना नहीं होता। इधर दो दिन से पानी की ऐसी भन्नी लगी रही है कि मोहन सवेरे घूमने को जा नहीं सका था। आज रविवार का दिन है। आकाश भी अपेक्षाकृत खुला हुआ है। मोहन घूमने गया हुआ था। अभी लौटा है। उसके चाचा स्नान करने के बाद व्यायाम करके निश्चिंत हुए ही थे कि मोहन को घूमकर लौटा हुआ पाकर बोले—देखो तो, जलपान के लिए अगर हलुवा तैयार हो गया हो, तो मुझे भी ले आओ। आज गेहूँ खरीदने के लिए बाजार चलना है। देर हो जाने से बाजार में भीड़ हो जायगी। आज एक तो रविवार, दूसरे महीने की पहली तारीख है।

मोहन भीतर जा दो तश्तियों में हलुवा ले आया। दोनों प्रेम से जलपान कर ही रहे थे कि चाची ने आकर पूछा—कितने गेहूँ लेने जा रहे हो ?

चाचा—तुम्हें बरकरत कितने की है ? क्या इस बार कुछ बच गया है ?

चाची ने हँसकर कहा—बचेगा कहीं से ? मैंने तो इस विचार से पूछा था कि गेहूँ महँगा हो गया है। अभी उस दिन राधे की माँ कहती थी—मेरे घर नौ सेर के आये हैं। दाना तो मोटा है, पर रंग लाल है।

चाचा—लेकिन कल तो चौधरी मुझसे कह रहा था कि दस सेर के भी गेहूँ उमने पास है ।

चाची ने आश्चर्य से कहा—दस सेर । तो गेहूँ बाज़ार में ज्यादा आ गए होंगे । नहीं तो सारा बैसाख निकल गया और नौ सेर से अधिक भाव में गेहूँ नहीं बिका । ऐसा हो तो कम-से कम दो बोरे ले लेना । कौन जाने फिर इतना सस्ता मिले, न मिले ।

चाचा—दो बोरे बीस रुपए के होंगे । इतने रुपये तो मेरे पास हैं नहीं । हाँ, एक बोरा ले समता हूँ ।

चाची—नहीं, दो बोरे ले आना । बोरे पीछे कम-से कम एक रुपये का फायदा होगा ।

चाचा—पर इतने रुपये कहाँ है ?

चाचा—उधार में नहीं लाता ।

चाची—अच्छा तो मैं दस रुपये दे दूँगी । मेरे पास होंगे ।

चाचा भतीजे मही में चुम नहीं थे कि चारों ओर से आवाज़ आने लगी “बाबू जा गेहूँ चाहिए ? मेरे यहाँ बहुत उम्दा गेहूँ है । इधर निकल आईये ।” पर उन सत्र लोगों का खयाल न करने थे चौधरी की दुकान पर जा पहुँचे । चौधरी एक बोरे की टेक लगाए टाँग फैलाकर खेटा हुआ था । इन्हें आते देखकर एक आदमी का पुवार कर बोल उठा ।

अरे रामधन ! जरा बह कुर्सी तो उठा ला । (उसे एक कुर्सी लाते देखकर) अबे दोनों उठा, दोनों ।

कुर्सियों पर दोनों का पैदा कर चौधरी बोला—

कहो मैया क्या दे ।

चाचा—गेहूँ दिखाओ ।

चौधरी बहुत अच्छा ।

और वह उठकर कई तरह के गेहूँ ले आया । उन्हें फूँक फाँककर दिखाता हुआ बोला—

यह देखिए, सफ़ेद मोटादाना, चन्दौसी का दस सेर का है । यह

देखिए, पचास का है। उवा दस सेर का। और यह लीजिए, गीनपुरी का शरबती गेहूँ।

चाचा—कौन-सा गुरीदें ?

चौधरी—आप यही ले देशी गहूँ। इसका स्वाद भी मीठा होता है। और आप इसे खाते भी रहते हैं।

चाचा—पर इसमें राई ज्यादा है।

चौधरी—बहुत थोड़ी। इसने सिगा में तो आपने साफ कराकर ही दूंगा।

इधर बैठे बैठे मोहन ने चौधरी से कहा—

नयों जी, पहले तो गेहूँ बड़ा मँदगा था।

चौधरी—हाँ, भैया। यही गेहूँ आठ छाटे-आठ सेर का बिकता था। यह तो बाजार है। उस समय लडाईं आरम्भ ही हुई थी। लोगों ने यह डर लगा था कि अनाज बहुत मँदगा हो जायगा। झुण्ड ने झुण्ड टूट पड़े। जहाँ लोगों ने देखा कि गुरीदारों का यह हाल है, अनाज मँदगा कर दिया।

चाचा—उा दिनां तो चौधरी, एक के दा किये होने, तुम लोग ने।

चौधरी—कहीं नहीं बानू साइब। यहाँ दिसम्बर में माल ही नहीं मिलता था। सब बड़े बड़े अटलियों ने अपने-अपने यहाँ माल रोक लिया। हम क्या करें, जितना माल और जित्त भाव मिलेगा उसी भाव हम भी बेचेगे। नेईं जान-बूझकर नुकसान तो सहेगा नहीं।

मोहन—नयों चौधरी, माहक अधिक होने से तुम भाव चडा देते होगे ?

चौधरी—यह तो मानो हुई बात है। हमारे पास माल भरा तो पडा नहीं रहता, ज्यादा गुरीदार आने से हम अपने प्रायदे की बात अवश्य सोचगे। यहाँ तो आये दिनों भाव बदलता ही रहता है। कल दस गाड़ी माल आ जाय तो भाव घट जायगा।

मोहन—क्या हमेशा ऐसा ही होता है ?

चौधरी—हाँ भैया, हर एक माल में यही बात लागू है। यों आमतौर पर सीमेंट का बोरा एक रुपये और दस आने का आता है। हमारा एक मकान बन रहा है। उसके लिए परसों सीमेंट लेने गये, तो भाव था दो रुपये दो

आने। पूछने पर मालूम हुआ कि इस समय माल आया नहीं और जहाँ हम लेन गये थे, वहाँ छोड़कर वहीं सीमेंट था नहीं।

मोहन—क्या कभी ऐसा भी होता है कि गरीदारों की कमी के कारण तुम्हें भाव घटा देना पड़ता हो ?

चौधरी—गल्ले के बाजार में तो ऐसा कभी कभी ही होता है। हर समय गरीदार बने ही रहते हैं। पर आपका कहना बिल्कुल ठीक है। देखिये न, गरीदारों की कमा और माल की बहुतायत की वजह से ही मैं यह गेहूँ साठे दस सेर का बेच रहा हूँ।

मोहन—न बचो तो।

चौधरी—न बचें तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। फसल तो कट चुकी। अब क्या होता है ? माल रकने रखने गराय हो जाता है।

मोहन—पर तब भी थोड़ा बहुत माल रोक्कर ही तुम लोग भाव बढ़ाने की कोशिश अवश्य करते होगे।

चौधरी—हाँ, यों लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं, पर सब बेमार जाती है।

गेहूँ तौलाकर जब मोहन के चाचा चल दिये तो मोहन ने उनसे पूछा—चाचा जी, यह भाव की घटा-बढ़ी का क्या हिसाब है ?

चाचा—भाव के बावत कोई बात समझने के पूरा तुम्हें अल्पकाल और दीर्घकाल का अन्तर समझ लेना चाहिए।

मोहन—यह कैसा अन्तर होता है ?

चाचा—तुमसे चौधरी कह रहा था न कि आमतौर पर सीमेंट का बारा एक रुपए दस आने का बिकता है ? पर जब वह लेने गया तो उसे दो रुपये दो आने के हिसाब से मिला।

मोहन—जी हाँ, किसी के पास माल न होने की वजह से ही ऐसा हुआ था।

चाचा—अर्थशास्त्री इसी बात को इस प्रकार नहेगा कि दीर्घकाल में सीमेंट के बारे की कीमत एक रुपये दस आने होती है, पर एक बार उसकी अल्पकालीन कीमत दो रुपये दो आने हो गयी थी। किसी वस्तु की दीर्घ

कालीन क्रीमत वह क्रीमत होती है जिसके आस-पास उस वस्तु की अल्पकालीन क्रीमत रहती है। हो सकता है कि कभी सीमेंट की क्रीमत एक रुपये नौ आने या आठ आना बोरा हो जाय। पर यदि बहुत सी अल्पकालीन क्रीमतों का औसत निकाला जाय तो वह दीर्घकालीन क्रीमत के बराबर निकलेगा।

मोहन—अच्छा तो अल्पकालीन क्रीमत कहीं तरु घट बढ सकती है ?

चाचा—बढने का कुछ ठीक नहीं है। वह तो मोभा की लोच के ऊपर निर्भर है। यदि कोई मर रहा हो किन्तु तुम्हारी दवा से जीवित हो सकता हो, तो वह उस समय तुम्हारी दवा को हजारों रुपये में खरीदने को तैयार हो सकता है। तब भी यह कहा जा सकता है कि अल्पकाल में किसी वस्तु की क्रीमत की ऊपरी हद खरीदार के तत्कालीन धन के बराबर है।

मोहन—ठीक ही है, गुरज होने से वह अपनी सारी जमा दे सकता है।

चाचा—अब बची अल्पकालीन क्रीमत की निचली हद। इस सम्बन्ध में तुम यह तो जानते ही हो कि किसी वस्तु के उत्पादन में दो प्रकार के व्यय होते हैं—एक स्थायी और दूसरा अस्थायी।

मोहन—जी हाँ, स्थायी व्यय वह व्यय है जो उस वस्तु के उत्पादन कार्य आरम्भ करने के पहले ही बनानेवाले को खर्च करना पड़ता है। जिसे मिल मालिक को मिल तथा मशीन खरीदना पड़ती है, मैनेजर तथा प्रबंधक इत्यादि को वेतन देना होता है। किसान भी हल बैल आदि का प्रबंध करता है।

चाचा—अच्छा, और अस्थायी ?

मोहन—वस्तु बनाने में जो व्यय होता चलता है, वह वस्तु की मात्रा के अनुपात में होता है। कपड़ा बनाने के मिल में सूत, अन्य कच्चा माल, विजली, धमिक की मजदूरी आदि अस्थायी व्यय के उदाहरण हैं।

चाचा—शाबाश !.. हाँ, तो अल्पकाल की क्रीमत की निचली दर इसी अस्थायी व्यय के बराबर हो सकती है। किसान सोच सकता है कि यदि अपने खाने, बैल के दाने और खेत के बीज आदि का भी दाम मिलता हो तो चलो अनाज बेच दें। हल को बदलवाने तथा बैलों की जोड़ी खरीदने को, जो दस रुपये साल वह अलग रखता है, वह न मिलेगा, न सही। अगले साल दुगने रुपये निकालकर रख दिये जावेंगे। इसी प्रकार कपड़े के

मिल का मालिक कह सकता है कि चलो इस बार मिल व मशीनों की मरम्मत के लिए कुछ नहीं मिला, न सही, पर मजदूरों तथा अन्य नौकरों को जो मजदूरी दी गई, बिजली में जो खर्च हुआ, वह तो निकल आया, यही बहुत है।

मोहन—पर चाचा जी, अल्पकाल में यदि उचित सख्ता में त्वरीदार न आये तो बेचनेवाला क्या सोचेगा ? यही न कि क्रीमत तो गिर ही रही है, जो मिल जाय वही बहुत है। अगर किसी के पास जलेवियाँ हो और रात हो जाय, तो वह क्या करेगा ?

चाचा—या तो वह उन्हें स्वयं खा लेगा या फिर सबेरे तक रखे रहेगा और चीनी की चाशनी में डाल उन्हें ताजी जलेवियों में मिलाकर बेचेगा।

मोहन—प्रैर। क्या कभी ऐसा भी होता है कि अल्पकाल में क्रीमत माँग अधिक होने पर भी न बढे ?

चाचा—कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है। वर्ष के किसी सत्रास महीने में किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। जैसे गर्मा में बरफ की। यो बरफ बारहो महीने विकती है। गरमी के दिनों में कोई भी यह आशा करेगा कि उसकी क्रीमत बढ जायगी, पर होता है इसके ट्रिलाप। अक्सर देखा जाता है कि गरमियों में बरफ की क्रीमत घट जाती है। बात यह है कि बरफ बनानेवाले पहले से ही जानते हैं कि गर्मा में बरफ की माँग अधिक होगी। बरफ की मशीनें जाड़े या अन्य ऋतु में तो पूरी ताकत से चलती नहीं, पर गरमी में वे पूरी ताकत से चलती हैं। उनके इस पूर्ण उपयोग से बरफ और सस्ते में तैयार हो जाती है। फलतः बरफ सस्ती बेची जाती है।

चाचा—अच्छा मोहन, यह तो बताओ कि यदि किसी वस्तु की पूर्ति अस्थायी हो तो अल्पकाल में उसकी क्रीमत की दशा क्या होगी ?

मोहन—मेरी समझ में यदि दूकानदार यह जान जायेंगे कि अब अमुक वस्तु की पूर्ति घटनेवाली है तो वे उस वस्तु को बेचना बंद कर देंगे। फलतः उसके दाम चढ जायेंगे। पर दाम ऐसे होंगे जिसमें जितनी पूर्ति हो वह सब बिक जाय। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु ऐसी अधिक मात्रा में आने वाली हो, जिसके कारण क्रीमत गिरने का डर हो, तो दूकानदार पहले से

ही उस वस्तु को बेच देने का प्रयत्न करेंगे। फलतः वे समय से पहले ही उस वस्तु की कीमत गिरा देते हैं।

चाचा—इसका कोई उदाहरण दे सन्ने हो ?

मोहन—हाँ-हाँ, देखिए महायुद्ध छिड़ते ही दूकानदारों ने माल बेचना बन्द कर दिया था और दाम बढ़ा दिये थे।

चाचा—ठीक।

बोरेवाले मज़दूर घर से आगे बटे जा रहे थे। उन्हें पुकारकर मोहन ने कहा—

अरे यहीं-यहीं। दाएँ हाथ, उस लाल मकान में।

और वह दौड़ गया घर के दरवाजे खुलवाने तथा चाची को यह ज़रूर देने कि गेहूँ आ गये।

दूसरे दिन शाम को मोहन की चाची ने बैठक में चाचा के पास आकर कहा—कुछ मुना तुमने ?

चाचा बोले—क्या ?

चाची—राधे की माँ आयी थी। कहती थी कि गेहूँ आधा सेर और चढ गया। मैं जो ऐसा जानती तो दो बोरे और मँगा लेती। अन्ध्या क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चौधरी इसी भाव से दो बोरे गेहूँ ओर दे दे ?

चाचा—गेहूँ अगर चढ गया है, तब तो ऐसा सोचना ही व्यर्थ है।

चाची फिर कुछ सोचने लगीं ! जान पड़ा, मानो पछता रही है कि उसी समय अधिक क्यों नहीं मँगा लिये। रुपये तो उनके पास अभी और थे।



बयालीसवाँ अध्याय

वस्तुओं की कीमत

दीर्घकाल में

“जब से पानी बरस गया है, तब से आम खाने का मजा बढ गया है।”

“चाचा, अपने गाँव में शिवनाथप्रसाद अग्निहोत्री के गाम में आम का एक बहुत अच्छा पेड है। उसे नोकहना कहते हैं। उसका आम इतना मोटा होता है कि बस कमाल है। मैं तो सोचता हूँ कि सठार भर में किसी भी पेड का आम इससे मोटा नहीं होगा।”

“मैंने खाया है। वास्तव में बडा मोटा होता है। तुमने याद भी अच्छी दिलाई। कल मैं उन्हें पत्र लिखूँगा कि अधिन नहीं, सौ आम भेज दें।”

मोहन और उसके चाचा आँगन में बैठे आम खा रहे हैं। साथ ही बातें भी करते जाते हैं।

मोहन ने जवाब दिया—तब तो चाचा दरअसल मजा आ जायगा। मुझे इन दिनों अगर अपने गाँव की याद आती है, तो बस आमों के ही कारण और आपको चिट्ठा पाकर जो नोकहना व आम उन्हींने भेज दिये, तो आम खाते समय मैं तो यही समझूँगा, मानो मैं मगलपुर में ही हूँ।

“अब तो पेट भर आया। अच्छा, एक काम करो। चाची से कहो जाकर अब दो गिलास दूध भी दे दें। आम खाने के बाद दूध जरूर पीना चाहिए। बहुत शक्ति-वर्द्धक नुसखा है।”

मोहन ने कहा—अच्छा! यह बात है। तब तो जरूर दूध पीना चाहिए।

भट्ट मोहन चाची के पास दूध लेने को चला गया। पर तुरन्त एक गिलास में ही दूध लाकर बहने लगा— खराब न हो जाय, इस ढर से पहले ही जमा दिया था। थोड़ा सा बच गया था, वही ले आया हूँ। अभी कुनकुना है।

मुसकराते हुए चाचा बोले—अल्पकाल में पूर्ति माँग के बराबर नहीं होती। इतने दूध से क्या होगा! जाओ, देखो, बाज़ार में हो तो ले आओ। पैसे कोट के जेब से ले लो।

मोहन दूध लेकर लौटा तो बोला—सिर्फ एक दूकान पर आधा सेर मिल गया है। एक मिनट भी देर कर देता, तो अन्य ग्राहक ले जाता। खैर, दूध पी लेने के बाद मुझे आज आप वस्तुओं की दीर्घकालीन कीमत के सम्बन्ध में भी समझा दीजिये। उस दिन यह विषय लूट गया था।

चाचा—अच्छी बात है। किन्तु पहले दूध तो पियो, बैठकर।

दोनों ने जब दूध पी लिया तो चाचा बोले—क्या मैंने दीर्घकालीन कीमत के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया था ?

मोहन—बिल्कुल नहीं। आप अल्पकाल की कीमत के बारे में शान कराते-कराते घर पहुँच गये थे और मैं गेहूँ रखाने अन्दर चला गया था।

चाचा—अच्छा, मैंने तुम्हें अल्पकालीन और दीर्घकालीन कीमतों के अन्तर के बारे में कुछ बताया था या नहीं ?

मोहन—आपने यही कहा था कि अल्पकालीन कीमत दीर्घकालीन कीमत के आस-पास ही रहती है।

चाचा—अच्छा, पहले यह बताओ कि तुम अल्पकाल और दीर्घकाल के क्या अर्थ लगाते हो ?

मोहन—अल्पकाल महीने-दो-महीने का होता होगा और दीर्घकाल छाल-दो-साल का।

चाचा—हाँ, आमतौर पर हम यही समझते हैं। पर अर्थशास्त्र में यह आवश्यक नहीं कि अल्पकाल और दीर्घकाल के संदेह एक से मतलब लगाये जायें।

मोहन—तब क्या अल्पकाल कमी एक महीने का होता है और कमी एक साल का ।

चाचा—हाँ, प्रत्येक वस्तु के अल्पकाल में सम्मिलित दिनों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है । अल्पकाल में पूर्ति माँग के बराबर नहीं की जा सकती । मल्लुगो बेचनेवाले के लिए एक दो दिन ही अल्पकाल है । गेहूँ की पूर्ति साल भर के पहले नहीं घटाई बटाई जा सकती । यदि इस साल माँग बहुत अधिक है तो अगली वार किसान अधिक जमीन में गेहूँ बोएंगे । इसी प्रकार यदि कपड़े के व्यापार में काफ़ी लाभ है अर्थात् माँग की अपेक्षा पूर्ति कम है, तो नये मिलों के खुलने में कई साल का समय लग जायगा ।

मोहन—यह तो ठीक है । पर आपने कहा कि अल्पकाल में पूर्ति माँग के बराबर नहीं होती । इस बात को मैं नहीं समझ ।

चाचा—देखो, अल्पकाल में यदि माँग अपेक्षाकृत अधिक हुई तो दाम बढ़ जाते हैं । यदि माँग कम हुई तो बेचनेवालों को अपने स्टॉक में माल रखना पड़ता है । इस प्रकार फ़ुटकर व्यापारी माँग और पूर्ति को सम बनाने की चेष्टा अवश्य करते हैं ।

मोहन—तब फिर दीर्घकाल में किस प्रकार की माँग पूर्ति में समता लाई जाती है ?

चाचा—मान लो, कई सरकारी दफ़्तर बाहर से इलाहाबाद भेज दिये गये । पलत इलाहाबाद में मकानों की कमी पड़ गई और उन का किराया बढ़ गया । किराए की वृद्धि के कारण माँग घट जायगी और माँग और पूर्ति में क्षणिक समता हो जायगी । परन्तु यह बात नहीं मुलाई जा सकती । क मकान के रोगगर में दृष्टे लाभ है । धीरे धीरे मकान बनने आरम्भ हो जायेंगे और दो चार साल में मकानों की संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ जायगी ।

मोहन—आपसे कहने का तात्पर्य यह मालूम पड़ता है कि लाभ हानि केवल अल्पकाल में हो सकती है । दीर्घकाल में न हानि होती है और न लाभ ।

चाचा—तुम्हारा कहना ठीक है, पर यहाँ लाभ से हमारा मतलब अत्यधिक लाभ से होता है ।

मोहन—हाँ हाँ, व्यापारी को खाने पहनने भर को निकलता आये तब तो ठीक है। मल्पकाल में क्रोमत बढ़ने अथवा उसके घट जाने के कारण व्यापारी या तो मालदार बन सकता है या अपने घर की जमा भी खो सकता है।

चाचा—बहुत ठीक। पर दीर्घकाल के सम्बन्ध में एक बात और है। जिन वस्तुओं की उत्पत्ति में 'क्रमागत वृद्धि नियम' लागू होता है उनका दीर्घकाल बहुधा कई वर्षों से कम नहीं होता।

मोहन—वह कैसे ?

चाचा—यदि मछलियों की माँग बढ जाय तो मछुमा दूसरे दिन से अधिक मछलियाँ पकड़ने लगेगा। पर यदि फ़ैशन बदलने के कारण किसी मेशीन से बनी वस्तु का माँग बहुत बढ गई तो उसकी कीमत बहुत दिनों तक बढी रहेगी। धीरे-धीरे अधिक व्यक्ति उस वस्तु को बनाने की दक्षता प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे उसको सरलता-पूर्वक तथा अधिक मात्रा में बनाने के लिये मेशीनें बनाई जायँगी। इसके पश्चात् जब उस वस्तु की पूर्ति बढेगी तो कीमत गिरने की भी बहुत सम्भावना रहेगी। देवो कुछ वर्ष पहले साइकिलों की क्रोमत किन्तु ज्यादा थी। सौ डेढ सौ रुपये से कम की नहीं आती थी। परन्तु आजकल साइकिलें मारी मारी फिरती हैं। तीस चालीस रुपये में बढिया साइकिल प्ररीदी जा सकती है।

मोहन—पर यह भी तो कहा जा सकता है कि किसी वस्तु की उत्पत्ति में 'क्रमागत-वृद्धि नियम' कई वर्षों में जाकर लागू होता है।

चाचा—ठीक। इसका मुख्य कारण यही है कि दीर्घकाल में उत्पत्ति की तमाम बात बचत का फायदा हो जाता है।

मोहन—कैसी बचत ?

चाचा—उत्पत्ति-कार्य में दो प्रकार की बचत होती है। एक आन्तरिक, दूसरी बाह्य। आन्तरिक बचत किसी मिल या फैक्टरी विशेष तक ही सीमित रहती है। किसी फैक्टरी के उचित संगठन व प्रबन्ध स्वरूप जो बचत होती है उसे आन्तरिक बचत कहते हैं।

मोहन—किसी एक उद्योग घन्ठे में यदि दस मिलें हों, तो दसों में ऐसी बचत हो सकती है।

चाचा—हाँ। आन्तरिक बचत-कार्य को एक विशेष ढङ्ग से करने से ही होती है। जैसे—कार्य-कुशल निपुण मजदूरों को रखना, उचित मशीनों से काम लेना, काम की भर्ना प्रकार देख-भाल करना इत्यादि।

मोहन—बाह्य बचत मैं नहीं समझा।

चाचा—मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। मैशीनों की कीमत गिर जाने, नयी सस्ती मैशीनों का अविष्कार होने तथा मजदूरों की मजदूरी कम हो जाने के कारण यदि मिल की बनी वस्तु का उत्पादन व्यय घट जाय, या उत्पत्ति मात्रा बढ़ जाय, तो कहा जायेगा कि उसकी उत्पत्ति में बाह्य बचत हुई।

मोहन—समझ गया। बाह्य बचत के कारण ही गृहभा दीर्घकाल में पूर्ति बढ जाती और क्रोमत भी गिर जाती है।

चाचा—दीर्घकालीन क्रोमत में स्थायी तथा अस्थायी उत्पादन व्यय दोनों शामिल रहते हैं।

मोहन—यह क्यों ?

चाचा—मैं पहले बतला चुका हूँ कि अल्पकाल में वस्तु की क्रोमत अस्थायी लागत-वर्च के बराबर भी हो सकती है। परन्तु उत्पादक को स्थायी खर्च भी करना ही पड़ता है। अन्य किसी समय उसे वस्तु को इतनी क्रोमत मिलना बहरी है कि उसे पूरे समय का स्थायी खर्च भी मिल जाय। यदि ऐसा न हुआ तो उसे घाटा होगा और अपना उत्पादन कार्य बन्द कर देना होगा। इसलिये किसी भी वस्तु के उत्पादन-व्यय अर्थात् लागत-वर्च में दीर्घकालीन स्थायी और अस्थायी व्यय सम्मिलित होते हैं।

मोहन—किसी वस्तु के लागत-वर्च में जो खर्च सम्मिलित होते हैं उनको मैं अच्छी तरह से नहीं समझ पाया हूँ। जरा विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा कीजिये।

चाचा—किसी वस्तु के लागत-वर्च अर्थात् उत्पादन व्यय में सबसे पहला खर्च कच्चे माल का होता है। कोई भी तैयार माल बनाने में कच्चे माल

की आवश्यकता होती है। उस कच्चे माल को प्राप्त करने का सन खर्च लागत खर्च में जोड़ा जाता है। खेती में इस प्रकार का खर्च बीज पर करना पड़ता है। कच्चा माल प्राप्त होने पर भूमि, श्रम, पूँजी, प्रबन्ध और साहस के सहयोग से माल तैयार किया जाता है। भूमि के मालिक को लगान मजदूरों को मजदूरी, चलपूँजी पर व्याज, प्रबन्धक या वेतन और साधारण लाभ भी लागत-खर्च में जोड़ना आवश्यक होता है। मेशीनों को चलाने में जिस शक्ति, भात तथा बिजली का उपयोग होता है उसका खर्च भी लागत खर्च का एक अंग होता है। जो अचलपूँजी अर्थात् मेशीन इत्यादि होते हैं उसका उपयोग कई बार किया जाता है। इसलिये लागत-खर्च में अचलपूँजी की पिछावट और हास मूल्य (Depreciation) भी लागत-खर्च में शामिल होता है। बहुत से विद्यमान और नई का खर्च भी उसी में जोड़ा जाता है। इस प्रकार लागत-खर्च में बहुत सी मंदा रहती हैं। उन पर किये हुये खर्च को जोड़कर ही किसी वस्तु के लागत-खर्च का अन्दाजा लगाया जा सकता है।

मोहन—क्या लगान भी लागत खर्च का एक अंग माना जाता है ?

चाचा—ऐसी वस्तुएँ जो मिली और कारखानों में तैयार होती हैं उसमें जमीन का लगान लागत-खर्च का एक अंग होता है। परन्तु कृषि-जन्य पदार्थों में, अर्थात् जो पदार्थ सीधे भूमि से प्राप्त होते हैं, आर्थिक लगान लागत खर्च का अंग नहीं रहता। अगली लगान और आर्थिक लगान का भेद मैं अन्य किसी समय समझाऊँगा।

मोहन—क्या लाभ भी दो तरह का होता है ?

चाचा—हाँ, लाभ दो तरह का होता है—साधारण और असाधारण। लागत खर्च में साधारण लाभ ही जोड़ा जाता है। असाधारण लाभ तो किसी विशेष परस्थिति के कारण होता है। इन दोनों के भेद मैं अन्य किसी समय समझाऊँगा।

मोहन—अच्छा चाचा, अचलपूँजी का हास मूल्य (Depreciation) किस प्रकार निराला जाता है ?

चाचा—किसी अचलपूँजी के सम्बन्ध में वह अनुमान लगाया जाता है कि वह साधारणतः कितने वर्ष तक चलेगी। उस पर किये हुए खर्च का

उतने ही वर्षों से भाग देने पर एक वर्ष का हास मूल्य मालूम हो जाता है। मान लीजिये कि किसी कारखाने का भवन बनाने में दस हजार रुपये लगे और यह अनुमान किया जाता है कि यह भवन २० वर्ष तक काम दे सकेगा। तो उस भवन का मूल्य हास ५००) प्रति वर्ष होगा।

मोहन—मैं लागत खर्च का अदाज लगाना तो समझ गया। परन्तु प्रत्येक वस्तु कई मिलों या उत्पादकों द्वारा तैयार की जाती है और प्रत्येक का उत्पादन व्यय अर्थात् लागत खर्च अलग अलग होता है। तब दीर्घकाल में किसे उत्पादक के लागत खर्च के परानर उस वस्तु का मूल्य होता है ?

चाचा—इसे समझने के लिए तुमको औसत लागत खर्च और सीमात लागत खर्च का भेद जानना आवश्यक है। किसी उत्पादक ने जितनी वस्तु तैयार की उसने सब खर्च को वस्तु की मात्रा (परिमाण) से भाग देने पर औसत खर्च मालूम होता है, परन्तु सीमात खर्च उसे बढ़ते हैं जो अंतिम वस्तु का लागत-खर्च होता है। प्रत्येक उत्पादक अपने यहाँ वस्तु का उत्पादन उस सीमा तक बढ़ता जाता है जिस सीमा पर उसका सीमात लागत खर्च वस्तु की क्रीमत के बराबर होता है। प्रत्येक उत्पादक यही करता है। इसलिये हम कह सकते हैं कि दीर्घकाल में वस्तु की क्रीमा प्रत्येक उत्पादक के सीमात लागत खर्च के बराबर होती है। परन्तु औसत लागत खर्च प्रत्येक उत्पादक का अलग-अलग रहता है। जो उत्पादक कार्य कुशल है, अनुभवी है, जिनको किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त है उनका औसत लागत खर्च सीमात लागत खर्च से कम रहता है और उनको अतिरिक्त लाभ होता है। जो उत्पादक कार्य कुशल नहीं है या जिनको किसी विशेष अनुविधा का सामना करना पड़ता है उनका औसत लागत खर्च सीमात लागत खर्च से अधिक रहता है, और यदि कुछ समय तक लागत खर्च के कम न कर सके या वस्तु की क्रीमत में वृद्धि न हुई तो उनको अपना कार्य बन्द कर देना पड़ता है, इससे वस्तु की पूर्ति में कमी पड़ती है और उसकी क्रीमत बढ़ने लगती है। इसके विपरीत यदि किसी उद्योगधन्धे में सब उत्पादकों का औसत लागत-खर्च सीमात लागत खर्च से कम होता है तो सब उत्पादकों को अतिरिक्त लाभ होने लगता है और अन्य उद्योगधन्धों से

उत्पादक अपनी पूँजी निकालकर उस उद्योग में लगाने का प्रयत्न करते हैं। इससे उस वस्तु की कीमत दीर्घकाल म गढ़ जाती है और जिससे उसकी कीमत कम हो जाती है और अतिरिक्त लाभ रना भी बन्द हा जाता है। प्रत्येक वस्तु के उत्पादकों म कुछ उत्पादक ऐसे होत हैं जिनका औसत उत्पादन-व्यय अर्थात् लागत रच सीमात लागत रच के ररावर होता है। इन्हीं के औसत लागत रच के ररावर वस्तुओं की कीमत दीर्घकाल म रहती है और अल्पकालीन कीमत इस दीर्घकालीन कीमत के आस पास घटती बढती रहती है।

मोहन—तो क्या मोग रन म कुछ प्रभाव दीर्घकालीन कीमत पर रहता है ?

चाचा—कुछ क्या, बहुत कुछ प्रभाव रहता है। अरे भाइ, माँग ही तो सब कुछ है। उसी का ता सन खेल है। माँग न हो तो लाभ कुछ भी न हो। उसी की लालच से तो उत्पादक अपनी सन जीवित उठाता है।

चाचा—मोग व्याक्तियों के आचार विचार, पेशन आय, सरुवा सभी पर निर्भर होती है। इसके अलावा व्यापार की दशा, रुपये पसों का कमा बढती, तथा अन्य वस्तुओं की कीमत का वस्तु की माग और दाम पर प्रभाव पडता है।

इसी समय किसी ने आकर कहा—आप दोनों साहन के बाबू जी ने धाद किया है।

चाचा—कोई दास काम है क्या?

आगन्तुक—यह तो मैं नहीं जानता।

हरिश्चन्द्र बाबू का मनान पास ही था। दोनों उदर वहाँ जा पहुँचे। हरिश्चन्द्र बाबू भी उस समय आम रन रहे थे। अत सयोग से हरिश्चन्द्र बोले—लँगडा आम बहुत अच्छा आया है। खाइये।

चाचा—वाह, अभी अभी तो घर म खानर उठा हूँ।

हरिश्चन्द्र—तो दूध पीजिये। ला रे बेनी, दो गिलास दूध ले आ। बेनी दूध लेने चला गया।

चाचा ने हँसते हुए पूछा—पर क्या इसी लिए बुलाया था ?

बाबू हरिश्चन्द्र ने कहा—अच्छा तो लीजिये, मुनिये, इसलिए बुलाया था ।

अब लखनऊ के रेडियो स्टेशन से एक वार्तालाप सुनाई देने लगा, जिसका विषय था—अति दीर्घकाल में वस्तुओं की कीमत पर पूर्ति, माँग, जन संख्या आदि का कया प्रभाव पड़ता है ।



तेँतालीसवाँ अध्याय

वस्तुओं की कीमत

अति दीर्घकाल में

मोहन के चाचा आज बड़े उत्साह में हैं। उनके छोटे बच्चे कमलाशंकर की वर्ष गाँठ है। सभी आमंत्रित लोग दापत राकर चले गये हैं। अब केवल घर के ही लोग खाने को बच रहे हैं। किन्तु उसी समय आ पहुँचे पंडित हरभजन। ये महाशय मोहन के चाचा के यहाँ पूजन, जप तथा संस्कार आदि कराने वाले कर्गकाण्डी पंडित के रूप में प्रतिष्ठित हैं। डील-डोल के ढिगने और कुछ स्थूलकाय हैं।

आते ही उन्हें भी पत्तल डाल दिया गया। पूरी-कचौड़ी, शाक, मिष्ठान, रायता, आदि सभी चीज़ें एक साथ पत्तल में सजाकर चली आयीं और पंडित हरभजन प्रेम के साथ भोजन करने लगे।

गोड़ी देर में जब पंडित हरभजन करीब करीब खा चुके, तो मोहन के चाचा ने दो लड्डू उनके पत्तल में रख दिये।

तब तो पंडित हरभजन बोले—अरे याबू साहब, यह आपने क्या किया ? अब तो पेट बिल्कुल भर गया।

मोहन के चाचा बोले—बाह पंडित जी, ऐसा कहियेगा ? अभी पानी पीने की जगह तो खाली ही पड़ी हुई है।

पंडित हरभजन हँस पड़े। बोले—बाह ! पानी पीनेवाला कोश भी अग़र भर गया, तब तो फिर जान की संसत हो जायगी। यो भी आपके यहाँ

जब कभी भोजन करता हूँ, तो शाम के वक्त खाना खाने के योग्य नहीं रह जाता। आप इतना अधिक खिला देते हैं।

मोहन के चाचा बोले—अरे नहीं पड़ित जी, अब आप लोग सच पुछिये तो कुछ भा नहीं खाते। सुनते हैं, दादा के यहाँ ऐसे लोगों का अत्ताडा सा लगा रहता था जो एक बैठक में टाई सेर की पूरी कचौड़ी या पाँच सेर पेड़ा बरपी या आठ आठ मेर दूध पी जाया करते थे।

पड़ित हरभजन ने कहा—अरे साहब, पुराने जमाने में ऐंभे ऐंभे बनवान और महा पराक्रमी लोग पैदा होने थे कि तीस तीस मन अनाज से भरी गानों का पट्टिया कमर से तौल देते थे। तभी उनकी गुराड़ भी तगवी होती थी। अब तो लोग भेड़ करी की तरह लगे रचा पैदा करने, और रह गया डेढ पसली का उदन। ऐसे लोग दो पुलने खा लेने पर क्यों न सतुष्ट हो जायें? और बानू साहब, अगर आप माफ़ करें तो मैं कहूँगा कि विनायनी बेश भूषा और फ़ैशन की नज़ल ने तो हमारा सत्वानाश कर डाला है। असली पी दूध खाने का मिलता नहीं। ताग्रत कैसे आये? बल्कि तिन लोगों की तन्दुबस्ती कुछ अच्छी होती है, जो पुराने जमाने की देशी पोशाक पहनते और साहसी, स्वाभिमानी और सत्यभापी होते हैं, उन्हें ये अँगरेजी पडे लिंगे लोग असम्य और जड मानते हैं। बहुत धीरे से बातें करनेवाले नातुक मित्राल दुर्ल और क्षीणकाय, पीलेमुख वाले लोग आनन्द सम्य और आदरणीय माने जाते हैं। और नातुक मित्राली तो इस क्रूरदर बड गयी है कि वाचार तक में लोग ऐसी ही चीजे लेना पसन्द करते हैं, जो कमजोर चाहें जितनी हो, लेकिन हों पैंसी। ऐसी ऐसी छुट्टियाँ मैंने वाचार में देखी हैं, जो कमलनाल सी पतली होती हैं। अगर किसी पर एक बार भी दार करने का अवसर मिले, तो उस पहले ही बार में सारा खेल इतम हो जाय। उस, ज्यादा क्या कहें बानू साहब, सच पूछो तो इस फैशन के मारे हमारा देश तबाह हो रहा है।

मोहन खडा खडा ये सब बातें सुन रहा था। बोल उठा—आपकी बातें मेरी समझ में कुछ कम आ रही हैं। फैशन तो सम्यता की देन है। उसार की यह जो उत्पत्ति देख पन्ती है फैशन का उसमें बहुत बडा हाथ है। सच पूछो तो यह जीवन और जाग्रत का चिन्ह है।

पंडित हरभजन—लो बाबू साहब, अब मैं जवाब देने से रहित हुआ। कौन लड़कों के मुँह लगे ? आप ही समझा दीजिये।

मोहन के चाचा—पैशन की प्रचुरता और परिवर्तनशीलता से देश की आर्थिक शक्ति का हास तो होता है। इसमें सन्देह नहीं। और हाँ, अच्छी याद आयी। अति दीर्घकाल में पैशन का प्रभाव भी वस्तुओं की कीमत पर बहुत पड़ता है।

मोहन—अति दीर्घकाल से आपका क्या अभिप्राय है ?

चाचा—यही दस, बीस, पच्चीस, पचास वर्ष का समय अति दीर्घ काल के नाम से पुकारा जाता है। अति दीर्घकाल की विशेषता यह रहती है कि उसमें वस्तुओं के उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होने के लिये काफी समय रहता है। आविष्कार के प्रभाव के लिए भी काफी समय रहता है। इन्हीं कारणों से वस्तुओं के लागत रचर्च में कमी होती है।

इतने में पंडित हरभजन बोल उठे—जरा पानी देना, मोहन भैया।

“अच्छा महाराज” कहते हुए मोहन ने लोटे में गंगाजल लाकर महाराज के गिलास में उड़ेल दिया। पानी पीकर पंडित जी पेट पर हाथ फेरने लगे।

पंडित जी—अच्छा बहुत खा लिया बाबूजी। अब कल तक के लिए छुट्टी हो गई। भोजन तो बस आपके यहाँ होता है।

मोहन के चाचा—पंडित जी, भव आप की शृणा है। अन्यथा हम किस योग्य हैं।

पंडित जी उठ बैठे। मोहन ने उनके हाथ धुलाये। टीका करवा पान और इफ्ती दक्षिणा लेकर पंडित जी चलते बने। रतने में मोहन की चाची ने पुकारा—

अब चलो तुम और मोहन भी रा लो।

चाचा—लड़कों को रिल्लाओ।

चाची—लडवै तो मुबह से कितनी बार खा चुके हैं। चलो, चलो तो।

मोहन की चाची याली सजाकर ले आई। चाचा भतीजे खाने बैठे। खाते खाते मोहन बोला—

चाचा जो, उस समय आपने कहा था कि पैशन के कारण ही अति दीर्घकाल में इन वस्तुओं की कीमत आज दिन इतनी कम हो गई है। सवेरे आप कह रहे थे कि पैशन के अलावा पूर्ति और माँग के अतिरिक्त, आविष्कार तथा जन सख्या आदि का भी वस्तुओं की कीमत पर प्रभाव पड़ता है।

चाचा हाँ, जन सख्या को ही ले लो। किसी देश की जन सख्या बढ़ने के दो कारण हो सकते हैं। उस देश में पैदाइश अधिक हो, या उसमें बाहर से कुछ लोग आ जायें। यदि पैदाइश के कारण जन सख्या बढ़ रही है तो बूढ़ों की अपेक्षा बच्चों का नम्बर अधिक होगा। इस हालत में नकली दाँत, आराम-फुर्सी, बैसाली आदि की माँग और इसलिये कीमत घट जायेगी। दूसरी ओर बच्चों के खिलौने, उनको घुमाने की गाड़ियाँ और बिस्कुट आदि की माँग और उनके दाम बढ़ जायेंगे। पर अत में इन वस्तुओं को बनाने के लिये अधिक उपयुक्त मशीन आदि के आविष्कार के कारण ये सस्ते दामों में बिकने लगेंगे।

मोहन—अगर नौजवानों की सख्या बढ़ जाय तो ?

चाचा—तब घरों और कुर्सी मेल की माँग बढ़ेगी और धीरे धीरे इन्हें तैयार करने के सस्ते तरीक़ भी निकलन।

मोहन—अगर बाहरी लोगों के आने के कारण जन सख्या में वृद्धि हुई है तब ?

चाचा—हर हालत में वही बात है। जिस ढंग के व्यक्तियों की वृद्धि होगी उन्हीं की इच्छित वस्तुओं की माँग बढ़ेगी और कीमत अत में गिरेगी। हिन्दुस्तानी मजदूर काम का तलाश म लका, फिजी, अफ्रीका आदि देशों में जा सक्ते हैं। उनके वहाँ जाने से वहाँ पर चावल आदि की माँग बढ़ती है। अंग्रेजों के भारत में आने के कारण वहाँ पावरोटी, बिस्कुट बनने लगे। वहाँ के दर्जी कोट और पतलून सीने लगे। भारत में मोटर और साइकिलों का प्रचार हो गया। वहाँ तक कि अब अपने देश में ही सस्ते दामों में इन वस्तुओं को तैयार करने की बात सोची जा रही है।

मोहन—जहाँ जन सख्या घटती है वहाँ क्या होता है ?

चाचा—इसका ठीक उल्टा होगा। जिस प्रकार के व्यक्ति कम होंगे,

उसी प्रकार की वस्तुओं की माँग घट जायगी और - क्रीमत गिर जायगी ।

मोहन—व्यक्तियों की आय का भी अरर तो माँग और क्रीमत पर पड़ता है ।

चाचा—क्यों नहीं ?

मोहन—अच्छा, किस तरह ?

चाचा—मान लो पहले कुछ व्यक्ति गरीब थे । वे अधिकतर चना-मटर, मोटा सस्ता कपड़ा, छोटे घरों की माँग करते होंगे । परन्तु यदि वे ही व्यक्ति धीरे धीरे अमीर हो जायें तो वे उत्तम अनाज, केरु, पादरोटी, घी, दूध, मक्खन, बड़िया रेशमी सूती व ऊनी कपड़े, बगला, मोटर, रेडियो जैसी वस्तुयें खरीदेंगे । फलतः देश में इन उद्योग-धर्मों को प्रोत्साहन मिलेगा और इनकी क्रीमत बढ़कर अत में गिर जायगी ।

मोहन—यदि रूस की भाँति सर धन सारी जनता में बराबर बराबर बाँट दिया जाय तो क्या होगा ?

चाचा—ऐसा करने से दो बातें होंगी । प्रथम अमीरों की अमीरी कम हो जायगी और गरीबों की गरीबी । है न !

मोहन—जी हाँ ।

चाचा—अमीर लोग बड़िया-बड़िया मोटरें, मोती, हीरा, जवाहरात खरीदना बंद कर देंगे । इनकी माँग गिर जाने से क्रीमत भी गिर जायगी । इसी प्रकार बहुत गरीब व्यक्ति अनाजों में जई, जवा, बाजरा तथा रुई के सस्ते सूती कपड़ों की जगह उन वस्तुओं की माँग पेश करेंगे, जिन्हें अब तक वे आराम या कुछ-कुछ विलासिता की वस्तुएँ समझते थे ।

मोहन—आपके कहने का मतलब यह है कि अमीर और गरीब दोनों की विशेष माँग घट जायगी और मध्यम श्रेणी के व्यक्ति जिस प्रकार की वस्तुएँ खरीदते हैं उनकी माँग बढ़ जायगी । फिर उत्पादक इन्हीं को अधिक मात्रा में बनायेंगे ।

चाचा—ज़रूर । और माँग के इस प्रकार बढ़ जाने के कारण उन्हें उत्तमोत्तम मैथीन तथा अन्य साधनों का उपयोग करने का अवसर मिलेगा ।

बहुत कुछ समझ है कि वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग करने से वस्तुएँ सस्ते दामों में बनने लगे।

मोहन—आविष्कारों का क्या प्रभाव और महत्व है ?

चाचा—किसी वस्तु के उत्पादन व्यय कम करने में आविष्कार का बड़ा महत्व है—साधारणतः ऐसी नवीन मशीनों का आविष्कार किया जाता है जिससे कोई काम कम प्रयत्नों से होने लगता है। धीरे धीरे नवीन मशीनों का उपयोग होने लगता है। इसने दीर्घकाल में लागत प्रयत्न कम होने पर वस्तु की कीमत कम हो जाती है। इस प्रकार आविष्कार का प्रभाव यह होता है कि वस्तुओं की उत्पत्ति बहुत बढ़ जाती है और उनकी कीमत कम होगी है। इससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का लाभ होता है।

मोहन—नया आविष्कारों से हमेशा लाभ ही-लाभ होता है ? क्या किसी को कभी हानि नहीं होती ?

चाचा—कभी कभी हानि भी होती है। जब ऐसी मशीनों का आविष्कार किया जाता है जिनके द्वारा कई श्रमिकों का काम आसानी से कम प्रयत्न पर हो जाता है तो नयी मशीनों के उपयोग के साथ ही साथ मजदूरों की संख्या कम कर दी जाती है और कुछ समय तक तो कई मजदूरों को बेकारी का सामना करना पड़ता है। हाँ, दीर्घकाल में समझ है कि वे मजदूर उसी अथवा अन्य उद्योग में वस्तुओं की उत्पत्ति अत्यधिक बढ़ जाने के कारण फिर से लगा लिये जायँ। तुमको यह बात न भूल जाना चाहिये कि आविष्कारों से उत्पन्न की आर्थिक लाभ ही अधिक है।

यदि हम किसी देश में धनी हाथे देगते हैं तो राज करने पर यही पाएँगे कि वहाँ आविष्कारों की सराया बहुत बढ़ गई है। जर्मनी को देखो। वहाँ उम्दा-उम्दा वस्तुएँ निकाली हैं ? नकली रंग दवाइयाँ, बच्चों के गटापार्चा के रिलीने। अमरीका को ही ले लो, बिजली के लैम्प, टैग्री, सस्ते रेडियो, मोटरें।

मोहन और ग्यारह आनेवाली सडिया पाउन्टेन्पेन।

चाचा—हाँ, हाँ देखा, कितनी सस्ती है वह उलम और कितनी अच्छी। हरेश बाबू जो अपने मुँहें पुकार रहे थे, दो साल से उसी पाउन्टेन्पेन से काम

कर रहे हैं। तमाम दिन दफ्तर में काम करते हैं और अभी तक वह ज्यों की त्यों चल रही है। अमरीका वाले धनी न हों तो और कौन हो।

इस बीच में चाचा कई बार पूरी, कचौड़ी, तरकारी, रायता दे गईं। इस बार जब वह कचौड़ी देने आईं तो मोहन बोल उठा—

अच्छा चाचा, क्या भारत में आविष्कार नहीं होते ?

चाचा—होते तो यहाँ भी सब लोग इस तरह रोज़ पूरी कचौड़ी खाने लगते। यहाँ तो विदेशियों के मारे कुछ होने ही नहीं पाता और हमारी सरकार भी विदेशी होने के कारण हम लोगों की ओर अचित्त ध्यान नहीं देती। किया क्या जाय ?

दोनों खाना खा चुके थे। बातें समाप्त हो रही थीं कि पंडित हरभजन ने फिर से अन्दर प्रवेश करने के लिए मोहन को पुकारा।

चाचा ने मोहन से कहा—देखो, कौन है ? थोड़ी देर में लौट कर मोहन ने कहा—पंडित जी छाता भूल गये थे। उसी को लेने शाये थे। किराँ ने उठाकर उसे दूसरी जगह रख दिया था। लेकिन चाचा, छाता उनका था बड़ा बढ़िया। दाम पूछने पर मालूम हुआ कि सिर्प पीने दौ का है। पहले इस किरम का छाता नया महँगा मिलता था।

चाचा—अति दीर्घकाल में वस्तुओं की कीमत इतनी प्रकार घट जाती है।



चवालीसवाँ अध्याय

थोक और फुटकर विक्री



“इसमें किशोरीलाल को क्यों दोष दिया जाय, यह दोष वास्तव में हमारा और हमारे समाज का है। अपने इन गरीब किसान बन्धुओं की दयनीय स्थिति पर हमने ध्यान ही कहाँ दिया है। जैसे इनकी इस दशा में सुधार हो, कैसे ये स्वावलम्ब्य बनें किस प्रकार ये दरिद्रता रूपी महामारी के हिंसक आक्रमणों से बचें, मैं तो दिन रात यही सोचा करता हूँ, राजाराम। अन्त में मुझे अर्थशास्त्र से ही शान्ति मिलती है” बिहारी इतना कह कर चुप हो गया।

राजाराम ने कहा—लेकिन किसान तो सरासर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं। पड़ित शिवनाथ अग्निहोत्री के यहाँ बीज के लिए जुआर, मका, अरहर, उड़द, मूँग, तिल आदि सभी प्रकार के अनाज मिल सकते हैं। उनको बीज के अनुरूप ज्यादा तादाद में अनाज रखने का शौक है। किसानों के लाभ के लिये ही वे ऐसा प्रयत्न करते हैं। अब अगर ये लोग अपने पड़ोस के ऐसे परोपकारी व्यक्ति से व्यवहार न करके सीधे महाजन के यहाँ जायँ और ठगाने जायँ, तो इसमें दोष इनका नहीं, तो और किसका है ?

बिहारी—यह प्रश्न एक व्यक्ति का नहीं है राजाराम। असल में यह सारे समाज का है। मान लो, किशोरीलाल ने महाजन के यहाँ से बीज का अनाज उधार लेकर गलती की, किन्तु मैं तो समष्टि रूप से देखता हूँ कि भारतीय व्यापार की मुख्य समस्या ऋय विक्रय सम्बन्धी जटिलता है। एक ओर हमारे

देश के किसान दरिद्र हैं। दूसरे क्रय विषय के सम्बन्ध जब जटिल हो जाते हैं, तब साधारण जनता को कितनी हानि उठानी पड़ती है, अशिक्षित होने के कारण, वे इसके शान से भी शून्य हैं। इसका ऐसा दुःपरिणाम होना सर्वथा स्वाभाविक है।

राजाराम—क्रय विक्रय सम्बन्धी जटिलता से आपका क्या अभिप्राय है ?

बिहारी—पहले क्रय की बात लो। जानते हो किसान लोग बीज इरीदने के लिये महाजन के पास क्यों जाते हैं ? क्योंकि उन्हें इस बात का शान हो नहीं होता कि बाजार भाव वास्तव में क्या है और महाजन उसे जिस भाव में दे रहा है उससे उसका कोई अंतर नही है। फिर अगर उन्हें मालूम भी हो जाय कि बाजार में क्रीमत महाजन की उतायी क्रीमत से कम है, तो भी थोडा सा अनाज बाहर गाँव जाकर इरीदना उनसे लिये कितना कठिन होता है। फिर कभी कभी तो बेचारे इन गरीब किसानों की इतनी भी सामर्थ्य नहीं होती कि वे बीज इरीदने पर वे दाम भी दे सके। तब विवश होकर उन्हें महाजन से उधार व्यवहार ही करना पड़ता है। और उधार सौदा लेने में कुछ अधिक क्रीमत होने पर भी किसानों का भुङ्ग जाना और जिस भाव मिले, उसी भाव से ले लेना सर्वथा स्वाभाविक है।

इसी प्रकार विक्रय की बात है। फसल तैयार होने पर सब से पहले किसान को लगान चुकाना पड़ता है। खलिदान से अनाज घर आने नहीं पाता कि जमींदार का तक्राना सिर पर उसी तरह मडराने लगता है जैसे चील या कौरे किसी जानवर के कटे माँस पर मडराते हैं। इसका फल यह होता है कि किसान फसल के अनाज को जल्दी बेचने के लिए विवश हो जाता है। फसल तैयार होने के कारण अनाज का मार उस समय मदा रहता है। अगर किसान इतने समर्थ हों कि आठ दस मास भी फसल की पैदावार के अधिकांश भाग को अपने घर पर रखा सकें, तो उनकी भाय अधिक नहीं तो सवाई तो हो ही जाय।

किन्तु उन्हें तो इसके विपरीत उसी महाजन के हाथ बेचनी होती है, जिसका वह कर्जदार होता है। एक तो उनको बाजार भाव का शान नहीं होता, दूसरे कभी कभी बाहर ले जाकर बेचने की सुविधा भी नहीं होती।

कुछ लोग इतना भी गणित नहीं जानते कि हिसाब समझ सकें। अतः उन्हें गाँव के निकटवर्ती महाजन पर बाहरी खरीदार अठतिया की अपेक्षा अधिक विश्वास होता है।

राजाराम—लेकिन जिन किसानों की पैदावार कुछ अधिक होती है, वे तो उसे ऊँचों की मडियों में जाकर बेचते हैं।

विहारी—परन्तु वहाँ भी उन्हें कटौती बितनी देनी पड़ती है। अनाज चाहे जितना साफ हो, कूड़ा कड़ाह उसमें चाहे जितना कम हो, परन्तु कूड़ा कड़ाह के नाम पर कटौती उसे देनी ही पड़ती है। इसके ठिंरा चुगी, मदी में गाड़ी ठहराने का कर, माल तुलाई, गौशाला, रामलीला अथवा प्याऊ शुल्क इत्यादि भाँति भाँति की कटौतियाँ उन बेचारे अशिक्षित, भोले और धर्मभ्रष्ट किसानों पर लाद दी जाती हैं।

राजाराम—परन्तु केवल बीज बोने अथवा खाने के लिए अनाज खरीदने और फल बेचने की ही तटिलताएँ इस समुदाय के सामने नहीं हैं। नित्य निर्बाह के लिये सर्द और गरम कपड़े तथा विवाहादि सस्कारों के अवसर पर शतन, चीनी तथा अन्य पदार्थ भी तो उसे खरीदने पड़ते हैं। क्या इसमें उनका बहुत सा पैसा व्यर्थ नहीं जाता ?

विहारी—क्यों नहीं जाता ? जो धोती तुम पहने हुये हो, वह जोड़ा लेने पर सम्भवत दो रुपये दो आने को मिली होगी।

राजाराम—(आश्चर्य के साथ) दो रुपये दो आने ! आप कहते क्या हैं ? यह तो यश २१) में मिली है।

विहारी—लो तुमने तो और भी अधिक दाम बता दिये। खैर। हाँ, तो मैं यह कहने जा रहा था कि यह धोती जोड़ा, थोक के भाव, मिल से सम्भवत १।।) के भाव से चला होगा। अम सोचने की बात है कि क्रय विक्रय सम्बन्धी तटिलताएँ अगर हमारे व्यापार में न हों, तो असली दाम पर लगभग ३३% का यह इन्व्याश बेचारे गरीब उपभोक्ता से किसी प्रकार बसू नही किया जा सकता था।

राजाराम—पर अभी मैं समझा नहीं कि आप कह क्या रहे हैं ?

विहारी—अभिप्राय यह है कि हमारे यहाँ के व्यापार में व्यर्थ के दलाल।

अत्यधिक भर गये हैं। इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि उत्पादकों के यहाँ से कोई वस्तु जिस भाव से विक्रियार्थ निकलती है, उससे कहीं अधिक दाम बढ़ाकर उपभोक्ताओं तक पहुँचती है। तोचने की बात है कि उत्पादकों के जो असली सहायक उपभोक्ता लोग हैं, उनके साथ कौसी नीच राशेट का व्यवहार इन बीच के दलालों द्वारा होता है। बात यह है कि साधारण रूपसे जो लोग वस्तुओं की फुटकर बिक्री करते हैं, वे बीच के व्यवसायी होते हैं, असली नहीं। अर्थात् वे उन वस्तुओं को तैयार नहीं करते। वे अपने माल को अपने से बड़े थोक के दूकानदार से खरीदते हैं। यह मानी हुई बात है कि जिस दर से थोक बिक्री का दूकानदार फुटकर बिक्री के दूकानदार को माल देता है, वह उस भाव से अधिक होता है, जो उसे मिल, पैक्टरी, कारखाना अथवा उत्पादक से मिलता है, इसके बाद फुटकर बिक्री का दूकानदार उस माल पर अपना फर्च तथा लाभ जोड़ता है। तब कहीं वह असली उपभोक्ताओं तक पहुँचता है। इसी प्रकार जो वस्तुएँ विदेश अथवा अन्य प्रान्तों से आती हैं, उपभोक्ताओं के पास, वे बीच के अनेक विक्रेताओं के द्वारा पहुँचती हैं। ये सब बीच के विक्रेता एक तरह से दलाल होते हैं। जो वस्तुएँ उत्पादक के यहाँ से निकलकर जितने ही अधिक इन दलालों के द्वारा घूमती हुई उपभोक्ताओं के पास पहुँचती हैं, वे बीच के दलालों की दलाली से उतनी ही अधिक महँगी होती हुई उपभोक्ताओं के पास पहुँचती हैं। सभी दलाल उन पर अपना फर्च और लाभ चढ़ाते जाते हैं। इस प्रकार ये वस्तुएँ उत्तरोत्तर महँगी होती जाती हैं।

राजाराम—इस प्रकार तो उपभोक्ताओं की ही सबसे अधिक हानि होती है।

बिहारी—निस्सन्देह। किन्तु यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि कारखाने से निकली हुई वस्तु की कीमत, थोक दूकानदार की कीमत और फुटकर बिक्री की कीमत—इन तीनों कीमतों में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। माँग का प्रभाव सब से पहले फुटकर बिक्री पर पड़ता है। उसके बाद बीच

के व्यवसायियों—दलालों—की निर्धारित क्रीमत पर। तदनन्तर अन्त में वह प्रभाव उत्पादक की क्रीमत पर पड़ता है।

राजाराम—किन्तु इससे वस्तुओं का लागत वर्च तो पूर्ति पर कोई प्रभाव डालता न होगा ?

विहारी—क्यों नहीं डालता है ? नयी मेशीनों के आविष्कार से वस्तुओं के लागत खर्च में जो परिवर्तन होता है, पूर्ति पर ही तो उसका प्रभाव सर्वप्रथम पहुँचता है। इससे बाद बीच के दलालों द्वारा निर्धारित क्रीमत पर पड़ता हुआ अन्त में फुटकर बिक्री की दर तक पहुँचता है। इसी का प्रभाव उपभोक्ताओं के हानि लाभ पर पड़ता है।

राजाराम—किन्तु ये बीच के दलाल तो रहेंगे ही। इन्हें निकाला तो जा नहीं सकता।

विहारी—एक दम से निकालना तो मुश्किल है। किन्तु उनकी सख्या तो कम की ही जा सकती है।

राजाराम—किस प्रकार ?

विहारी—यदि ऐसी सहकारी समितियाँ बनायी जायँ, जो उत्पादकों से माल खरीदें और अपना साधारण खर्चा मान लेकर कृषीय कृषीय लागत मूल्य में ही उन्हें उपभोक्ताओं तक, फुटकर बिक्री द्वारा पहुँचायँ, तो बीच के दलाल धीरे-धीरे आपस आप स्वतन्त्र हो जायँगे। येही सहकारी समितियाँ, अथ के सम्बन्ध में भी, किसानों की सहायक बन सकती हैं। एक ओर वे किसानों से सीधा सम्बन्ध रखेंगी, दूसरी ओर नाज की बड़ी बड़ी मण्डियों से। तब न तो किसानों को रामलाला, मंदिर धर्मशाला तथा प्याऊ के नाम पर, या कचरा कमाड़ की अमर्यादित कटौती के नाम पर अनुचित खर्चा देना पड़ेगा, न नाप-तौल में ही किसानों पर किसी प्रकार का अन्याय हो सकेगा।

राजाराम—किन्तु सहकारी समितियाँ मण्डियों के थोक व्यवसायियों की मनमानी पर कैसे नियंत्रण रख सकेंगी ? जब वे व्यवसायी देखेंगे कि इस तरह हमारा लाभ कम हो गया है, तो वे सहकारी समितियों से अपना सम्बन्ध विच्छेद न कर देंगे ? तब उन्हें जबाब मिलेगा कि

जाह्ये, हम आपसे माल नहीं इरीदते, किसानों से हम सीधे व्यवहार करेंगे; तब ?

बिहारी—तुम्हें यह मालूम होना चाहिये कि ये सहकारी समितियाँ चाहें तो मंडियों पर अपना पूरा नियंत्रण रख सकती हैं। एक तो वे अर्ध सरकारी स्थापित होती हैं, और वे व्यवसायियों की धाँपली रोक सकती हैं, दूसरे जन साधारण जनता की सक्षानुभूति और उसका सहयोग उन्हें प्राप्त होगा, तब मंडियों पर नियंत्रण रखने में वे पूर्ण कृतकार्य्य होगी। किन्तु इसके सिवा एक उपाय और भी ऐसा है जिसके द्वारा व्यापारिक क्षेत्र के दलाल कम किये जा सकते हैं।

राजाराम—उसे भी बतलाइये।

बिहारी—उपभोक्ता लोग भी मिलकर ऐसे स्टोर्स खोल सकते हैं जो क्रय-विक्रय की जटिलताओं को एक दम दूर कर सकते हैं। एक ओर वे उत्पादकों से सीधे माल इरीदकर, साधारण जनता के लिए, करीब-करीब लागत मूल्य पर फुटकर पित्री कर सकेंगे। दूसरी ओर वे किसानों की उत्पादक शक्ति की रक्षा में भी उनकी सहायता पहुँचा सकते हैं।

राजाराम के द्वार पर दोनों में ये बातें हो ही रहीं थी कि उसी समय किशोरीलाल उधर से आ निकले।

राजाराम ने उसे बुलाकर पूछा—कछो भाई, मैंने सुना है कि तुमने बीज के लिए अनाज फिर उस धनपशु महाजन से ही इरीदा। मैंने तो तुम्हें बतला दिया था कि अग्निहोत्री जी के पहाँ से ले आना।

किशोरीलाल बेचारा उस समय एकदम से उदास हो गया। बोला—भैया, तुम नहीं जानते, हमारा एक एक दिन आज कल किस तरह कटता है! किसी-किसी दिन तो बैबल चने चबाकर ऊपर से लोटा भर पानी पीकर दिन काटना पड़ता है। किसी से कहता नहीं हूँ; क्योंकि जब कोई दुख बटानेवाला नहीं है, तो अपनी दुख-भरी कहानी भी कहना व्यर्थ है। महाजन ने तो सबीदा लेने के लालच का कूयाल करके बीज हमें उधार दे दिया है।

राजराम ने देखा, सबमुच दुःख के कारण किशोरीलाल की आँखों में आँसु भर आये हैं ।

इसके बाद फिर एक सन्नाटा सा छा गया । किशोरीलाल चला गया । बिहारी भी अपने आवास की ओर चल दिया । किन्तु दूसरे दिन प्रातःकाल होते होते राजाराम ने कहा—जीजा जी, आप इलाहाबाद तर जाइये, जब यहाँ अपने लोगों का एक सगठन करके एक सहयोग-समिति बनवा दी जाय ।

तब तो बिहारी प्रसन्नता से जैसे उछल पडा ।



पैंतालीसवाँ अध्याय

वस्तुओं की कीमतों का पारस्परिक सम्बन्ध

आज रविवार का दिन है। इसलिये शिष्टारी के कमरे में उनके कई मित्र बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। मोहन घर के अन्दर चाय बना रहा है। इधर पन्द्रह दिनों से पानी नहीं बरसा है। आसमान में बादल फिर आते हैं। कुछ बूँदें भी गिर जाती हैं। लाग सोचने लगते हैं, पानी बरसेगा। परन्तु फिर उनका यह अनुमान मिथ्या सिद्ध होता है। पानी न बरसने के कारण कभी कभी जो जगह बहुत अधिक हो जाती है, तो लोग एक ओर बेचेनी का अनुभव करते हैं, दूसरी ओर लोगों का ध्यान खेती और फसल के अन्वकार की ओर भी आवृष्ट हो जाता है।

ज्ञानचन्द बोले—सारा आपाठ समाप्ति पर है और पानी का कहीं पता नहीं है। इसका मतलब तो स्पष्ट रूप से मुझे यही जान पड़ता है कि इस साल दुर्भिक्ष हुए बिना नहीं मानेगा।

वीरेश्वर जानता है कि ज्ञानचन्द अपने घर का मजबूत आदमी है। अतएव उसने कह दिया—हो दुर्भिक्ष, आपको क्या ? मरण तो हम लोगों का है, जो देहात पर निर्भर करते हैं।

इसी समय मोहन चाय लेकर आ पहुँचा। सबके आगे प्लेट और कप रखकर वह स्वयं एक ओर बैठ गया।

ज्ञानचन्द ने चाय का पहला घूँट पीते हुए कहा—कभी कभी वीरेश्वर बाबू, तुम जब बिल्कुल बच्चों की-सी बातें करने लगते हो, तो मुझे तुम पर

बड़ा क्रोध आता है। अरे भले आदमी, अर्थशास्त्र की इतनी-सी बात तुम नहीं जानते हो कि वस्तुओं की कीमत में घटती-बढ़ती प्रायः एक साथ हुआ करती है। दुर्भिक्ष के कारण अगर अनाज मँहगा होगा, तो इसका प्रभाव अन्य वस्तुओं पर भी पड़ेगा।

वीरेश्वर ने आश्चर्य के साथ पूछा—सो कैसे हो सकता है? असल में मँहगा होगा गेहूँ, साथ में अन्य अनाज भी मँहगे हो सकते हैं। किन्तु साग-भाजी क्यों मँहगी होगी? आलू-कोहड़ा क्यों मँहगा होगा?

बिहारी हँसने लगा। बोला—धस रहने दो, वीरेश्वर। अर्थशास्त्र न सही, किन्तु साधारण बुद्धि तो तुम में होनी चाहिए। अरे, इतना तो तुमको सोचना चाहिये कि जब पानी नहीं बरसता, तो केवल अनाज की पैदावार की ही कोई महान क्षति होती हो, सो बात नहीं है। साग-भाजी की उत्पत्ति भी उसी मात्रा में कम हो जाती है। और फिर साग भाजी के लिये भी तो पानी की आवश्यकता होती है। उत्पत्ति का प्रभाव पूर्ति पर पड़ता है। पूर्ति जब कम होती है तो वस्तु की दर बढ़ ही जाती है।

इस समय मोहन को उस दिन का याद आ गयी जत्र वह चाचा के साथ बाज़ार गया था। सड़क के किनारे देहाती लोग अपनी अपनी तरकारी की डलिया रखके बैठे हुये थे। एक से आलू का भाव पूछा। उसने उत्तर दिया—ले लीजिये साहब दो आने सेर।

चाचा ने कहा था—यह भी सोना चाँदी है।

दुकानदार—अरे हज़र! सोना-चाँदी नहीं तो क्या हुआ। यहाँ बाज़ार में आठ सेर से ज्यादा गेहूँ नहीं मिलता। तरकारी न मँहगी करी तो खार्द कहाँ से। लीजिये, आप छः पैसे सेर में ही ले लें।

चाचा—छः नहीं पाँच में दो, तो सेर भर तौल दो। यही आलू तो पहले दो पैसे में भी मारा मारा फिरता था।

दुकानदार—शुब साहब, इससे कम नहीं मिल सकता। आप चाहे बाज़ार देख आवें।

चाचा— ऐसा!

दुकानदार—हाँ साहब, हम झूठ नहीं कहते। अगर बाज़ार में आपको कोई छूँ पैसे में भी देदे तो मैं आपको एक सेर आलू गुप्त में तौल दूँ।

चाना—अच्छा, तो सेर भर आलू दे दो।

आलू लेकर और पैसे देकर वह चाचा के साथ आगे बढ गया था।

बीरेवर बोला—बात तो जान पड़ती है, तुम सही कहते हो। किन्तु यह एक विचित्र बात है कि अनाज तेज़ होने का असर तरकारी पर भी पड़ता है।

बिहारी—एक तरकारी क्या, सभी चीज़ पर पड़ता है। जब अनाज साने चालो को अधिक दाम देने पड़ेंगे, तो वे सभी शाय बढाने की कोशिश करेंगे। मज़दूर अधिक मज़दूरी माँगेंगे, नौकरी पेशे वाले तनख़्वाह बढवाना चाहेंगे और व्यापारी व हर तरह के दुकानदार भी अपने-अपने माल की कीमत बढा देंगे।

वस्तुओं की कीमत में एक पारस्परिक सम्बन्ध भी रहता है। यदि गेहूँ की कीमत किसी कारण से बढती है तो साथ ही चना, बाजरा, जव इत्यादि की कीमत भी बढ जाती है। इसके विपरीत जब गेहूँ की कीमत कम होने लगती है, तो चना, बाजरा, जव इत्यादि की कीमत भी घट जाती है।

इसी समय मोहन के मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। उसने पूछा—परन्तु जब सोने-चाँदी की कीमत बढती है, तब ?

मोहन के चाना—तब अन्य वस्तुओं की कीमत सस्ती हो जाती है। बात यह है सोना-चाँदी तो विनिमय का माध्यम है। जब नोटों की कीमत कम हो जाती है, तो वस्तुओं का मूल्य बढ जाता है।

मोहन—किन्तु कमी-रुभी वस्तुओं की कीमत में स्वतन्त्र रूप से भी परिवर्तन होते हैं।

न्यून, न्याय, व्या, कप्र, खतरा करते हुए, गोलो—वस्तुओं की कीमत में जो परिवर्तन स्वतन्त्र रूप से होते हैं, उनका प्रभाव भी वस्तुओं की माँग और पूर्ति पर होता है। साथ ही वस्तु की माँग तथा पूर्ति में जो परिवर्तन होते हैं उनका प्रभाव उस वस्तु की कीमत पर ही नहीं पड़ता, बरन् अन्य वस्तुओं की कीमत पर भी पड़ता है।

ज्ञानचन्द—पर आजकल तो अपना देश सड़कों से गुजर रहा है। देश में जो वस्तुओं की कीमत बढ़ी है, उसका एक कारण ब्रिटेन-जर्मनी युद्ध है।

मोहन के चाचा—वस्तुओं की कीमतों में जो एक साथ उलट फेर होते हैं, अर्थशास्त्र में उनके तीन कारण माने गये हैं। (१) रुपये-पैसे की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि, (२) युद्धकाल में वस्तुओं की उत्पत्ति में कमी और (३) व्यवसायिक चक्र के द्वारा।

वीरेश्वर पूछ बैठे—रुपये-पैसे की अत्यधिक वृद्धि से आप का क्या मतलब है? क्या उससे कोई हानि लाभ भी होता है?

मोहन के चाचा—यह वृद्धि विशेषतः नोटों के प्रचार से हो जाती है। रुपये-पैसे की मात्रा के बढ़ जाने से सब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। पर सब की एकसी नहीं बढ़ती। इससे माँग में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव पूर्ति पर पड़ता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। कीमत बढ़ने से उत्पादकों को लाभ होता है, किन्तु उपभोक्ताओं को हानि होती है।

ज्ञानचन्द—किन्तु कुर्बदारों तथा व्यापारियों को लाभ होता है।

मोहन—और महायुद्ध के समय में वस्तुओं की कीमतों में उलट फेर होने का क्या परिणाम होता है?

चाचा—महायुद्ध के कारण कुछ आवश्यक वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है। मजदूरी की संख्या घटती जाती है, मजदूरी बढ़ती जाती है, साथ ही वस्तुओं की कीमत भी बढ़ती है। बाजार में नोटों की प्रधानता हो जाती है, वस्तुओं की कीमत पुनः बढ़ती है। यहाँ तक कि महायुद्ध के बाद भी बढ़ती रहती है। तभी तो सरकार को वस्तुओं की कीमतों पर नियन्त्रण करने की आवश्यकता पड़ जाती है।

वीरेश्वर—किन्तु अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि सरकार को वस्तुओं के मूल्य पर नियन्त्रण करने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है?

वीरेश्वर के अज्ञान पर मुसकराते हुए विहारी ने कहा—सरकार ऐसे समय यदि वस्तुओं के मूल्य पर नियन्त्रण न करे, तो देशभर में मार-काट और

लूटमार जारी हो जाय। याद है, लडाईं आरम्भ होने के बाद ही कितनी दुकानें लुट गयीं ?

मोहन—कौन लूटता होगा, चाचा ?

चाचा—गरीब बेचारे—मजदूर, राज, मिल के नौकर। मिलों के मालिक जब मजदूरी नहीं बढ़ाते तो हड़ताल कर दी जाती है। यदि हड़ताल कुछ दिन में सफल न हुई तो हड़ताल करनेवाले मजदूर भूखों मरने लगते हैं। मरता क्या न करता ? भूखों मरनेवाले ही दुकानों पर हमला करके खाने पीने का सामान लूट ले जाते हैं।

मोहन—इससे अलावा चोर डाकू भी यह जाते होंगे।

चाचा—क्यों नहीं ? लोगों को खर्च करने के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता होती है। अतः वे चोरी डाका करना भी आरम्भ कर देते हैं।

मोहन—यदि सरकार ऐसे समय में अपनी दुकानें खोल दे और सस्ते दाम पर खाद्य पदार्थ बेचे, तो ये सब बातें न हो।

चाचा—सरकारी दुकानें भी खोली जाती हैं। इसके अलावा अधिक मँहगी होने पर सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह स्वयं मिल या फैक्टरी खोलकर मँहगी वस्तुओं को तैयार करे।

मोहन—या वह लोगों को धन से सहायता दे और उन्हें ऐसी मिलें व कारखाने खोलने के लिए उत्साहित करे।

चाचा—सरकार यह भी कर सकती है। यदि अकाल जैसे किसी कारण से कीमतों का नियंत्रण होता है तो दूसरी बात है वरना युद्ध के कारण नियंत्रण स तो सरकार बहुत सी बाहर से आनेवाली वस्तुओं को भी देश के अंदर बनवा सकती है। यह देश के उद्योग धंधों की उन्नति करने का स्वर्णश्रवसर होता है। इस लडाई के कारण यदि हमारी सरकार चाहे तो यहाँ कतिपय दवाइयाँ, कागज, इजन, मोटर आदि तैयार करने के कार-ग्याने खुल सकते हैं।

इसी समय मोहन पान ले आया।

पान खाते हुए ज्ञानचन्द्र ने कहा—किन्तु वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण सरकार को यों भी करना पड़ता है।

मोहन के चाचा—जब व्यापारी लोग उपभोक्ताओं से उचित से अधिक दाम वसूल करते हैं, तब । और ऐसा प्रायः तभी होता है, जब कई कम्पनियाँ मिलकर एक बन जातों और व्यवसाय पर एकाधिकार स्थापित करना चाहती हैं । उस दशा में सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसा प्रबन्ध करे कि वस्तुओं की कीमत कम रहे ।

मोहन—लागत से-भी कम ।

चाचा - नहीं, नहीं, कम-से कम लागत के परापर अर्थ हो ।

मोहन—यह समस्या तो सरकार के समक्ष सदैव बनी रहती होगी ।

चाचा—हाँ, पर जब देश में शांति रहती है तब भारत में तो इस बात पर बहुत कम ध्यान रहता है । पर जब देश किसी युद्ध में पँस जाता है अथवा जब दो राष्ट्रों के मध्य आरम्भ होनेवाले युद्ध के कारण उस देश के आयात निर्यात के स्तरों में काफी परिवर्तन उपस्थित हो जाता है तब यह समस्या अधिक गम्भीर हो जाती है ।

मोहन—अच्छा तो युद्ध के कारण आयात निर्यात में कैसे परिवर्तन होते हैं ?

चाचा—आजकल अंग्रेज और जर्मनों के मध्य युद्ध चल रहा है । इस कारण समुद्र पर जहाजों का चलना कम हो गया है । किराये बढ़ गये हैं, माल आना कम हो गया है । जर्मनी से आनेवाली दवाइयाँ और रंग तो बिल्कुल बढ़ हो गये हैं ।

मोहन—रंग वगैरह का आना बढ़ हो जाने के कारण ये वस्तुएँ महँगी हो गई होंगी ।

शानचन्द्र—महँगी तो होंगी ही । समस्या तो यह है कि जिनके पास माल था वे सबसे अधिक लाभ उठाने के लिए टुंगाने-चौगुने दाम माँगने लगे ।

मोहन—जब माल आना कम हो गया तो माल जाना भी कम हो गया होगा ।

चाचा—हाँ, वह माल, जो जर्मनी जाता था, बिल्कुल बढ़ है । पर हमारे माल तो अधिकतर इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ब्रेजिल, अमरीका, न्यूजीलैण्ड, इजिप्ट आदि देशों में जाते थे । कुछ किराये भाड़े की बजह से और कुछ

ब्रिटिश सरकार को अधिक माँग के कारण हमारे निर्यात में काफी अन्तर हुआ है। ब्रिटिश सरकार यहाँ से सेना के लिए अनाज कपड़ा वगैरह खरीदती है। अतः गेहूँ, चावल, चना आदि अनाज महँगे हो रहे हैं।

मोहन—दूकानदार माल बेचना भी तो उद कर सकते हैं।

चाचा—क्यों नहीं, जब लड़ाई छिड़ी थी तो बहुत से दूकानदारों ने—जैसे लोहेवाले, अनाजवाले तथा तेलवाले—माल बेचना सचमुच बंद कर दिया था। उनके ऐसा करने से दाम और चढ़ गये।

मोहन—क्यों ?

चाचा—लोगों को जिस चीज की जरूरत है वह यदि नहीं मिलेगी तो वे उसके लिए अधिक दाम देने को तैयार हो ही जायेंगे। फिर ऐसे समय इस कारण दाम और बढ़ जाते हैं कि लोगों की माँग बढ़ जाती है।

मोहन—ऐसा क्यों होता है ?

चाचा—जिसने सुना कि अमुक वस्तु की कीमत बढ़ रही है वही उसे अधिक मात्रा में खरीदने दौड़ पड़ा। बस माँग दुगुनी तिगुनी हो गई। और वह तो तुम जानते ही हो कि माँग बढ़ने से कीमत बढ़ जाती है।

मोहन—पर चीज़ें तो अनागमनी होती हैं। सरकार किन किन का भाव निश्चित करती होगी ?

चाचा—सरकार सब वस्तुओं का भाव थोड़े ही निश्चित करती है। वह तो प्राप्त प्राप्त जीवन की आवश्यक वस्तुओं की कीमत स्वयं एलान कर देती है।

मोहन—आवश्यक वस्तुएँ जैसे गेहूँ, जौ, चना आदि।

चाचा—हाँ, गेहूँ, जौ, अरहर को दाल, मूँग की दाल। यही नहीं, मिष्टी का तेल, साबुन आदि की भी गणना अब तो आवश्यक वस्तुओं में होने लगी है। अतएव सरकार इनका भाव भी निश्चित कर देती है।

मोहन—अच्छा चाचा, भारत जैसे बड़े देश में किस प्रकार भाव का निश्चय किया जाता है ?

चाचा—यहाँ केन्द्रीय और प्रांतीय सरकार क्रीमतों का मूल्य नियंत्रण नहीं करती। वे जिले के अप्सरों और कलक्टरों को यह अधिकार दे देती हैं कि वे अपने अपने इलाकों में उचित भाव का प्रयत्न करें। कलक्टर को यह अधिकार मिल जाने पर वह पहले से जानार भाव का पता लगाकर अपने भावों की घोषणा करा देता है। पुलिसवालों से यह इस बात का दमर लगाता रहता है कि सब दूकानदार एलान किये दामों पर वस्तुओं की बिक्री करते हैं या नहीं।

वीरेश्वर—यदि कोई न बेचे या कोई किसी मुहल्ले में कोई वस्तु तेज दामों में बेच दे, तो किसी को क्या पता चल सकता है ?

चाचा—पैर, ऐसा तो अक्सर होता है। परन्तु यदि तुम्हें कोई वस्तु कोई दूकानदार एलान से अधिक दामों से दे और तुम इस बात की सूचना सबूत के साथ पुलिस को दो, तो उस दूकानदार को दण्ड मिलेगा। परन्तु तब भी लुका छिपी से वस्तुएँ मँहगी बिकती ही रही हैं। मैं ही कई बार उन दिनों गेहूँ ला चुका। लाने योग्य अच्छा गेहूँ आठ सवा आठ सेर में लाता था, हालाँकि नम्बर एक माल का सरकारी भाव नौ सेर फी रुपये का था। ऐसे अवसरों पर दूकानदार किसी प्रकार की रसीद तो देते नहीं। पर केवल मूल्य निश्चित करने से काम दम नहीं हो जाता। यह पता लगाना जरूरी होता है कि किस वस्तु की क्रीमत अब कितनी घटानी और बढ़ानी चाहिए।

मोहन—यह कैसे होता है ?

चाचा—इस हेतु प्रांतीय तथा केन्द्रीय सरकार के अफसर उत्तम व भाव के आँकड़े इकट्ठा करते हैं और लोगों के रहन-सहन के व्यय का पता लगाते हैं। इसका एक अलग महकमा सा हा खुल जाता है। समय समय पर प्रांतीय अफसरों की बैठक होती रहती है जिसमें वे क्रीमतों के नियंत्रण सम्बन्धी भिन्न भिन्न विषयों पर विचार करते हैं। उनका ध्येय यह होता है कि वस्तुओं की क्रीमतों में उचित तथा अनिवार्य वृद्धि न रोकी जाय पर अनुचित वृद्धि करने का प्रवृत्ति का दमन हो।

मोहन—उचित वृद्धि कैसे होती है ?

चाचा—जैसे आजकल जर्मन पनडुब्बियों के डर से समुद्र पर जहाजों के चलाने में जोरिम बढ गई है। इस कारण भाड़े के बढ जाने से निर्यात माल की कीमत में कुछ वृद्धि होनी ही चाहिए। यह बढती बढे पार्श्व के अनुपात में हो सकती है। यदि इसकी जगह कोई व्यक्ति कीमत दुगुनी कर दे तो उनका यह कार्य सर्वथा अनुचित और दण्डनीय होगा।

सुसकराते हुए ज्ञानचन्द ने कहा—आज तो मोहन अर्थशास्त्र की गहराई में पहुँच रहा है। हाँ हाँ, चुप क्यों हो रहे, आगे बढो। एक बात जो छूट रही है, उसे भी पूरा कर लो। हाँ, तो अब यह भी बतलाइये विहारी बाबू कि वस्तुओं की कीमतों की घटती बढती का व्यावसायिक चक्र से क्या सम्बन्ध रहता है!

विहारी—यह व्यावसायिक चक्र प्रायः सात वर्ष में पूरा होता है। फसलें अच्छी होती हैं, उद्योग धंधों में भी उन्नति होती है। वस्तुओं की माँग बढती है, कीमतें भी बढती हैं। माल की उत्पत्ति बहुत अधिक बढने से व्यवसायी लोग स्टॉक जमा कर लेते हैं। तब वस्तुओं की कीमतें गिरने लगती हैं। यदि उस समय फसल अच्छी हो गई, तो वस्तुओं की कीमत और भी गिर जाती है। फलतः सभी वस्तुओं की कीमतें गिर जाती हैं और तब फिर देश में एक बार आर्थिक संकट उपस्थित हो जाता है। फिर कुछ समय बाद उद्योग धंधों की उन्नति होने लगती है और वस्तुओं की कीमतें बढती हैं।

ज्ञानचन्द बोले—सूब ! इस वार्तालाप को आपने समाप्त बहुत अच्छी जगह किया विहारी बाबू ! वस्तुओं की कीमत के अत्यधिक बढने से भी आर्थिक हलचल और अत्यधिक घटने से भी। और इसी को मर्यादित करता है, अर्थशास्त्र। लेकिन और तो सभी को चाय पिलायी मोहन, सिर्फ एक व्यक्ति के साथ बहुत अन्याय किया।

मोहन आश्चर्य के साथ ज्ञानचन्द की ओर देखने लगा।

तब ज्ञानचन्द ने कहा—उस व्यक्ति का नाम है मोहन।

और मोहन ने लजाकर जैसे अपना सिर नीचे कर लिया और बहा—
मैं चाय नहीं पीता । मुझे आदत नहीं है ।

बिहारी ने कह दिया—इमारे यहाँ कुछ संस्कार ऐसे चले आ रहे हैं कि
बच्चों को चाय पीने की आदत पड़ने नहीं दी जाती ।

ज्ञानचन्द—यद्यपि मोहन अब वैसा छोटा बच्चा नहीं है, तो भी मैं
इसे अच्छा ही समझता हूँ ।



छियालीसवाँ अध्याय

वस्तुओं की कीमत

एकाधिकार में

सभ्या का समय था। दफ्तर से लौटकर बिहारी बाबू अपनी बैठक में आरामकुर्सी पर लेटे हुए धकावट मिटा रहे थे। वहीं अलग एक कुर्सी पर मोहन भी बैठा हुआ था। भोजन तैयार होने में अभी कई घंटे की देर थी। इसी कारण मोहन के चाचा ने कहा—आओ, अब तो बन गया होगा।

मोहन तब अन्दर जाकर दो तश्तरियों में गरम समोसे ले आया। जलपान करते हुए चाचा ने कहा—आज कहीं चलोगे ?

मोहन—आज बाज़ार चलिये। रोज़ तो पार्क की सैर करते हैं, चलिये आज बाज़ार की सैर करें। बहुत दिन से उधर गये भी नहीं हैं।

चाचा—बाज़ार ! अच्छा, अपनी चाची से पूछ आओ, कोई चीज़ तो नहीं मँगानी है।

मोहन की चाची ऊपर थी। मोहन उसके पास जाकर बोला—चाची, बाज़ार से कोई चीज़ तो नहीं मँगानी है ?

चाची—क्यों ? क्या बाज़ार जा रहा है ?

मोहन—हाँ, चाचा ने पूछा है कि क्या लाना है।

चाची—नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिये।

मोहन को बाज़ार जाने की कुछ ऐसी उमंग सवार हो गई कि उसे चाची की यह बात अच्छी नहीं लगी। वह बोला—

चाचा ने कहा है कि जल-पान कर ही चुके हैं। चलो पहले बाजार तक घूम आँवें, तब तक भोजन भी उन जायगा। तभी आकर खाएँगे।

चाची—अच्छा तो जल्दी आना।

मोहन लौटकर चाचा से बोला—कुछ नहीं चाहिये।

और भटपट अपना जूता पहन आया। उधर निहारी राधू मोहन के साथ घर से चलने को दृष्ट, उधर बाहर से उनका बच्चा का भुड रोलता हुआ आ पहुँचा।

‘बाधू, कहाँ जा रहे हो?’ ‘हम भी चलेंगे’ ‘हम भी घूमने चलेंगे’ की आवाज के साथ उन्होंने उनके कुरते को पकड़ लिया। इतने में अदर से आवाज आयी—

“अरे मोहन, मुन तो, एक बात कहना भूल ही गईं।”

मोहन के चाचा—देख मोहन, तेरी चाची क्या कह रही है। फिर वे बच्चों से बोले—तुम कहाँ चलोगे। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तुम लोग तब तक चलकर राना खाओ।

“नहीं, नहीं, हम भी चलेंगे” कहकर तीनों गलक चिल्ला उठे।

इतने में मोहन लौट आया। उसके हाथ में पाँच रुपये का नोट था। उसे चाचा को देते हुए वह बोला—

चाची ने कहा है कि बगलवाली को मलेरिया का बुझार बार-बार चढ़ आता है। डाक्टर ने एक बार उन्हें एटेबेरिन की गोलियाँ बतवाई थीं। वही पत्रह गोलियाँ लाने को कहा है। पहले तीन रुपये की आई थी।

इतने में बच्चे बोल उठे—ऊँ ऊँ तुम बाजार जा रहे हो। हम भी बाजार चलेंगे।

चाचा—अरे! मैं तो काम से जा रहा हूँ। उधर से तुम्हारे लिए मिठाई लेता आऊँगा। तुम सब चलो, मैं अभी आता हूँ।

बच्चे—तो मोहन भैया कहाँ जा रहे हैं?

चाचा—मोहन को भी काम है।

इस प्रकार बच्चों को दम दिलासा देकर चाचा मनीजे बाजार की ओर चल दिये।

चाचा—मोहन, चलो पहले एटेवेरिन इरीद ले ।

मोहन—चलिये ।

सामने किंग कम्पनी की दुकान थी । दोनों उसमें चले गये । एटेवेरिन का दाम पूछा, तो उत्तर मिला कि पौने चार रुपये की पद्रह गोलियाँ मिलेंगी ।

चाचा—पौने चार रुपये की ! अभी उस दिन तो तीन रुपये की मेरे यहाँ गई हैं । यह भी सोना चाँदी है कि आये दिन भाव घटता बढ़ता रहता है ?

किंग कम्पनी का कम्पाउडर बोला—साहब, यह दवा जर्मनी की बनी हुई है । और जर्मनी का माल आना अब बिल्कुल बंद हो गया है । जिसके पास जो कुछ है उसका वह ज्यादा दाम तो लेगा ही । फिर मैं तो आपसे वही दाम माँग रहा हूँ, जो बम्बई में चालू है ।

चाचा—तो इतने ज्यादा दाम लीजिएगा ?

कम्पाउडर—अरे इलाहाबाद मर में किसी के पास यह दवाई है ही नहीं । मुझे तो आप से और ज्यादा कहना चाहिये था, पर अब जो कह दिया, सो कह दिया । आप दवा लेते जाइये और तमाम बाजार घूम लीजिये । अगर यह दवा कहीं मिल भी जाय तो मैं आपको दाम लौटा दूँगा ।

चाचा—ऐसा है, तब तो एकाधिकार का मामला है । जब आप ही के पास यह दवा है तो आप जो दाम कहियेगा, देना पड़ेगा । पौने चार छोड़ आप पाँच भी माँगिये तो जिसे गरज होगी, ले जायगा ।

कम्पाउडर—हाँ साहब, गुरज तो बावली होती ही है । पर मैं आप से ज्यादा नहीं ले रहा हूँ । अगर मैं चाहूँ तो इसी को एक रुपये की गोली बेच सकता हूँ । मलेरिया के पुराने मरीज भूल मारकर ले जायेंगे ।

चाचा—सैर, यह लीजिये पाँच का नोट । पद्रह गोलियाँ दे दीजिये और उपा रुपये ।

गोलियाँ लेकर जब विहारी बाबू दुकान से बाहर हुए तो मोहन ने पूछा—यह एकाधिकार का क्या मामला है ?

चाचा—एकाधिकार के मतलब होते हैं—किसी वस्तु की पूर्ति पर केवल एक का ही अधिकार होना । अर्थात्काल में एकाधिकार के अंतर्गत उस वस्तु

के विनिमय का विवेचन किया जाता है जिसे तैयार करने में केवल एक व्यक्ति या संस्था का हाथ होता है।

मोहन—तब तो अधिकतर सभी वस्तुएँ एकाधिकार के अन्तर्गत आ जायेंगी। कैंची, सिगरेट कोई दूसरी कम्पनी नहीं बनाती। पनामा ब्लेड भी केवल जर्मनी से आता है। यही हाल गोलडपलैक सिगरेट और नेसेट ब्लेड का है।

चाचा—ठीक, पर एकाधिकार तो उसी समय माना जाता है जब किसी वस्तु की जगह और कोई वस्तु काम में न आ सके। अर्थात् जिस वस्तु के अलावा अन्य उपयोग्य वस्तुएँ ही न हों।

मोहन—पर ऐसा तो शायद ही कभी होता है।

चाचा—पूर्ण एकाधिकार तो आदर्शमान है। एटेवेरिन को ही ले लो। इलाहाबाद में इस मामले में किंग कम्पनी को इस समय एकाधिकार है, परन्तु एक निश्चित क्रीम तक ही। यदि किंग कम्पनी बहुत अधिक क्रीम माँगे, तो मरीच लोग डाक्टरों को इस बात की सूचना देंगे। और तब वे उन्हें कोई दूसरी दवाई लेने को कहेंगे।

मोहन—तब फिर अर्थशास्त्र में एकाधिकार का अधिक महत्त्व नहीं होगा ?

चाचा—वाह ! पूर्ण एकाधिकार न होने से क्या ? हो सकता है कि कोई व्यक्ति या संस्था किसी वस्तु को इतना अधिक तैयार करती हो कि उसकी पूर्ति का असर बाजार भाव पर काफी पड़ता हो। ऐसी हालत में उस व्यक्ति या संस्था का लगभग पूर्ण एकाधिकार होगा।

मोहन—पर ऐसा अधूरा एकाधिकार भी बहुत कम होना होगा।

चाचा—नहीं, अपूर्ण एकाधिकार तो अनेक जगह फैला हुआ है। टाटा कम्पनी को भारतीय लोहे पर एकाधिकार है। जर्मनी की बेयर कम्पनी की दवाइयाँ तमाम दुनियाँ में प्रसिद्ध थीं। उनकी उत्तमता के कारण उस कम्पनी को दवाइयों में एकाधिकार था। यही कारण है कि जर्मन माल विक्राने के कारण एटेवेरिन, केमोनन आदि दवाइयों की जगह कोई अन्य दवाई नहीं मिलती।

अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूर्ण एकाधिकार पर विचार किया जाता है, क्योंकि इसके निष्कर्ष अपूर्ण एकाधिकार के सम्बन्ध में भी कुरीब कुरीब लागू होते हैं।

मोहन—पर चाचा, यहाँ म्युनिसिपैलिटी को पानी पर एकाधिकार है, सरकार का ढाकड़ाने पर एकाधिकार है।

चाचा—ठीक पर यह एक भिन्न प्रकार का एकाधिकार है। अर्थशास्त्री जब साधारणतः एकाधिकार की बात करता है तो उसका मतलब जनसाधारण अथवा सार्वजनिक सस्था के एकाधिकार से होता है, न कि राज्य के एकाधिकार से।

मोहन—दोनों में भिन्नता क्या है ?

चाचा—सरकार एकाधिकार करके ऊँचे दाम नहीं बसूल करती। अक्सर वह ऐसी वस्तुओं को दाम से दाम पर बेचती है। और कभी कभी तो घाटे पर भी।

मोहन—तब सरकार ऐसा काम क्यों करती है जिससे हानि की ही सम्भावना रहती है ?

चाचा—सरकारी एकाधिकार तथा साधारण एकाधिकार की उत्पत्ति तो एक ही प्रकार के कारणों से होती है। जिन की चर्चा यहाँ की गयी है। बहुधा बड़ी मात्रा में उत्पत्ति करने से उत्पादन व्यय घट जाता है और फलतः कीमत कम ली जाती है।

मोहन—पर यह तो दूसरों को समझाने की बातें हैं।

चाचा—सुनो तो। बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के लिए अधिक खपया लगाना पड़ता है। साधारण प्रतिद्वन्दियों के पास इतनी रकम तो रहती नहीं। एकाधिकार प्राप्त करने के पश्चात् एकाधिकारी ऐसी कीमत लेता है जिससे उसका मुनाफा अधिकतम हो। परन्तु सरकार ऐसी वस्तुओं का एकाधिकार लेती है जिन्हें अन्य कोई सस्था उचित क्षमता से नहीं तैयार कर सकती। अतः यह है कि सरकार तो जनता का पालन पोषण या देखभाल करनेवाली सस्था है। उसका लाभ जनता का लाभ है। अतएव यदि वह लाभ ले भी रही हो, तो अन्त में उसे उच्च लाभ को जनता में ही बाँट देना पड़ेगा। इसलिये वह ऐसी वस्तुओं को अधिकतर लागत मान पर बेचता है।

मोहन—जिस प्रकार अधिक कीमत ले लेने पर सरकार को लाभ की रकम जनता में पुनः बाँटने का बट्ट उठाना पड़ेगा, उसी प्रकार यदि वह कम दाम लेगी तो उसे बाद में जनता से बाद में दाम वसूल करना पड़ेगा। इसीलिये कम दाम भी लेना ठीक नहीं।

चाचा—ठीक, पर जब कभी दाम कम होने के कारण सरकार को घटा होता है तो उसकी नीति उस घाटे की पूर्ति अमीरों से कराने की होती है।

मोहन—क्यों ?

चाचा—क्योंकि अमीरों के पास रुपये की इतनी अधिकता रहती है कि उनके लिये उसका इतना महत्व नहीं होता जितना गरीब के लिये। पर यह बात मैं फिर कभी सरकारी आय-व्यय के विषय में बताते समय खुलकर बताऊँगा।

मोहन—और इस समय ?

चाचा—वाह, क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि एकाधिकारी किस प्रकार अपनी वस्तु का मूल्य निश्चित करता है ?

मोहन—जरूर। पर आपने तो कहा कि वह ऐसा कीमत लेता है जिससे उसका लाभ अधिक-से अधिक हो।

चाचा—ठीक। पर लाभ से तुम क्या समझते हो ?

मोहन—वस्तुओं के बेचने से जो रकम आती है उसमें से समूचे उत्पादन-व्यय को घटा देने से लाभ निकल आता है।

चाचा—ठीक। एकाधिकारी इसी प्रकार के लाभ को अधिकतम बनाता है।

मोहन—पर वह यह कैसे पता लगाता होगा कि अमुक मूल्य पर मेरा लाभ अधिकतम होगा ?

चाचा—यह तो तुम मानोगे ही कि एकाधिकारी को बाजार की हालत मालूम रहती है। अतः तुम यह कह सकते हो कि उसे माँग की सारिणी शक्त रहती है। तभी वह एकाधिकारी अपनी वस्तु को उसी मात्रा में उत्पन्न करता है, जिससे सीमान्त लागत व सीमान्त कीमत बराबर हो।

मोहन—इस तरह बातें करते हुए दोनों घर लौट आये।

मोहन ने पूछा—क्या इस सम्बन्ध में कोई सिद्धान्त भी निरिचत रहता है ?

चाचा—क्यों नहीं ? एकाधिकारी का उद्देश्य उत्पत्ति से अधिकाधिक लाभ करना होता है, न कि यस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पन्न करना । जब वह देखता है कि अब उत्पत्ति पर लाभ की मात्रा घट रही है, तब वह उत्पादन बन्द कर देता है ।

मोहन—मान लीजिये कि कोई बिजली की कम्पनी है । नगर भर में उसे एकाधिकार प्राप्त है । अब उसे किस प्रकार यह मालूम हो सकता है कि प्रतिदिन अमुक परिमाण में उसे बिजली उत्पन्न करनी चाहिए ?

चाचा—कम्पनी का प्रबन्धकर्ता उस दशा में यह पता लगाएगा कि विभिन्न मात्राओं में बिजली की उत्पत्ति पर प्रति यूनिट (इकाई) लागत सर्च क्या पड़ेगा ? साथ ही वह यह भी जानने की चेष्टा करेगा कि विभिन्न क्रीमतों पर किस मात्रा में बिजली माँगी जायगी । (एक पुस्तक उठाकर), धन की उत्पत्ति, नामक इस पुस्तक में इस विषय की एक तालिका दी हुई है । देखो वह नीचे लिखे अनुसार है—

| प्रति दिन बिजली की उत्पत्ति हजार यूनिट में | लागत सर्च प्रति यूनिट | क्रीमत प्रति यूनिट (जिस पर सब परिमाण माँगा जायगा) | एकाधिकार का लाभ प्रति दिन प्रति हजार आने |
|--|-----------------------|---|--|
| १ | १५ | ॥ | २ |
| २ | १५ | १५ | २ |
| ३ | ११ | १५ | ३ |
| ४ | ९ | ११ | ४ |
| ५ | ९ | ९ | ५ |
| ६ | ९ | ९ | ६ |
| ७ | ७ | ९ | ४ $\frac{१}{४}$ |
| ८ | ७ | ७ | ४ |
| ९ | ७ | ७ | कुछ लाभ नहीं |
| १० | ७ | ७ | हानि |

इस तालिका को ध्यान से देखो तो तुम्हें भालूम होगा कि इस कम्पनी को सर्वाधिक लाभ तब होगा, जब वह ६ हजार यूनिट बिजली प्रति दिन उत्पन्न करे। उसे तब ६ हजार आने प्रति दिन लाभ होगा। जब वह ७ हजार यूनिट उत्पन्न करेगी, तब उसका लाभ कम होने लगेगा। इसीलिए वह ६ हजार यूनिट ही प्रति दिन उत्पन्न करेगी। इसके आगे वह उत्पत्ति बढ़ाने का प्रयत्न न करेगी। इसके सिवा यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार कम्पनी को तो सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो जायगा, किन्तु उपभोक्ताओं को क्रमागत वृद्धि नियम के फलस्वरूप लागत-वृद्धि में कमी पड़ने का पूरा लाभ न मिल सकेगा। बात यह है कि जब कम्पनी आठ हजार यूनिट बिजली प्रति दिन बनाना स्वीकार करे, तभी उसका लागत-वृद्धि सब से कम होगा। परन्तु उस दशा में उसका दैनिक लाभ चार हजार आना ही होगा। इसीलिए कम्पनी ६ हजार यूनिट उत्पन्न करके ६ हजार आना प्रतिदिन लाभ उठाना चाहेगी और उपभोक्ताओं को जो कम लाभ मिलेगा, उसकी चिन्ता न करेगी।

मोहन—परन्तु कोई भी उपाय क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उपभोक्ताओं को इस कम्पनी का पूरा लाभ प्राप्त हो सके ?

चाचा—क्यों नहीं ? सरकार अथवा म्युनिसिपैलिटी, जिसने उस कम्पनी को बिजली सप्लाई करने का अधिकार दे रक्खा है, चाहे तो एग्जीमैट के समय यह शर्त भी लगा सकती है कि कम्पनी उस नगर की सीमा के अन्दर २) प्रति यूनिट से अधिक दाम न ले सकेगी। इसका परिणाम यह होगा कि कम्पनी को आठ हजार यूनिट बिजली प्रतिदिन उत्पन्न करने उसे ३) प्रति यूनिट की दर से बेचना पड़ेगा। इस प्रकार इधर उपभोक्ताओं को ४) प्रति यूनिट पर बिजली मिलेगी, उधर कम्पनी को भी चार हजार आना प्रति दिन का लाभ होगा।

मोहन—परन्तु सरकार अथवा म्युनिसिपैलिटी प्रति यूनिट ५) से घटाकर ६) ही कर दे, तो क्या हो ?

चाचा—तब कम्पनी बिजली सप्लाई करने का ठेका ही न लेगी।

मोहन—तब तो हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना होगा कि ७) एक अधिकार पर जब नियंत्रण नहीं किया जाता, तभी उपभोक्ताओं को हानि होती है।

चाचा— बिल्कुल यही बात है। पर कभी कभी एकाधिकारी एक ही माल को कई कीमतों से बेचता है।

मोहन—यह कैसे? ऐसा करने से तो उसका मुनाफा अधिक नहीं होता होगा।

चाचा— मुनाफा अधिकतम करना तो उसका ध्येय उद्देश्य रहता ही है। कभी कभी उसके ग्राहक दो या अधिक भागों में बँटे जाते हैं। दोनों वर्गों एक स्थिति में नहीं होते। हो सकता है कि एक में अमीर हों, दूसरे में गरीब। यह भी हो सकता है कि एक भारत में हों, तो दूसरे जिलायत में। प्रायः डाक्टर अमीरों से अधिक फीस लेते हैं और गरीबों से कम।

पर एकाधिकारी यदि दो भिन्न भिन्न स्थानों पर दो भिन्न भिन्न कीमत लेता है तो एक बात का सुपाल स्पष्ट है। दोनों कीमतों का अंतर एक जगह से दूसरी जगह माल लेजाने के भाड़े से कम होता है। फिर माल के एक जगह से दूसरी जगह जाने का डर नहीं रहता।

मोहन—अगर वह इलाहाबाद और कलकत्ता में दो दर से माल बेचता है तो माल कलकत्ते से इलाहाबाद आ सकता है या यहाँ से कलकत्ता जा सकता है। यह भी संभव है कि दोनों ओर के किराये एक से न हों। तब वह किस किराये को ध्यान में रखेगा?

चाचा—पर माल तो उसी जगह जा सकता है जहाँ कीमत अधिक है। उत्पादक तो केवल कम कीमतवाली जगह से अधिक कीमतवाली जगह माल ले जाने के किराये को ध्यान में रखेगा।

मोहन—ठीक तो है। पर चाचाजी, ऐसी हालत में एकाधिकारी किस प्रकार कीमतें निश्चित करता होगा?

चाचा—मैंने तुम्हें बताया न, कि व्यापारी को माँग को दृष्टा मालूम रहती है। उस जैसी तानिफा मैंने अभी दिखाई थी इसी प्रकार की तालिका द्वारा वह पता लगा लेगा कि किन कीमतों पर दोनों जगह का मिश्रित मुनाफा अधिकतम होगा। और यह आसानी से समझ लेने की बात है कि यदि वह प्रत्येक स्थान से अधिकतम मुनाफा उठावे तो उसका मिश्रित मुनाफा भी अधिकतम होगा।

मोहन—ठीक । पर इसके मतलब तो यह हुए कि एकाधिकारी स्वामीदारों से अधिक से अधिक पैसा लेना चाहता है ।

चाचा—इसमें क्या शक ? तभी तो सरकार एकाधिकारियों को तोड़ने के फेर में लगी रहती है । अमरीका में भाँति भाँति के कानून हैं, जिनके कारण भिन्न भिन्न कम्पनियाँ मिलकर एक नहीं हो सकतीं ।

मोहन—ऐसे कानून से क्या लाभ ?

चाचा—उनके अलग रहने से उनमें आपस में लाग-डाँट बनी रहती है । अतः क्रीमत कम रहती है । यदि वे सब मिलकर एक हो जायँ तो वह ग्राहक से मनमानी क्रीमत बसूल कर सकती हैं ।

मोहन—इससे तो अच्छा यह है कि ऐसे कामों को सरकार स्वयं अपने हाथ में ले ले । इस तरह उसे बड़ा भक्कट भी उठाना पड़ता होगा ।

चाचा—कभी कभी सरकार ऐसा भी कर बैठती है । पर अधिकतर वह गुट धन्दी तोड़ने के कानून बनाती है । इसके अलावा सरकार एकाधिकार में उत्पन्न होनेवाली वस्तुओं की क्रीमत का नियंत्रण भी करती है ।

मोहन—सो किस तरह ?

चाचा—रेल के भाड़े की सीमा सरकार ही तै करती है । कोई रेलवे मम्नी उससे अधिक भाड़ा नहीं ले सकती । पाठ्यपुस्तकें स्वीकृत हो जाने पर प्रकाशक को एकाधिकार की प्राप्ति हो जाती है । तुम्हारी पाठ्यपुस्तकों का मूल्य जो पुस्तकों पर छपा है वह सरकार द्वारा ही निश्चित किया गया है । शुरू शुरू में जब ये पुस्तकें विचारार्थ निर्णायक कमेटियों के सामने गयीं होंगी, तब समझ है, इनमें से कुछ पुस्तकों की क्रीमत कुछ अधिक भी रखी गई हो । बात यह है कि पुस्तक स्वीकार करते समय कमेटी प्रायः मूल्य में परिवर्तन कर देती है । सरकार इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेती है ।

मोहन—अच्छा, ये इक्के तौगे-वाले बड़ा तग करते हैं । म्युनिसिपैलिटी द्वारा इनको भी तो एकाधिकार प्राप्त रहता है । क्या इनके लिए किराये का कोई नियम नहीं है ?

चाचा—नियम क्यों नहीं है ? इका-टॉगा का किराया उसकी धेणो के दिवाय से म्युनिसिपालिटी द्वारा निश्चित रहता है। पर प्रायः देखा यह जाता है कि साधारण जनता उतना भी किराया नहीं दे पाती, जितना सरकार या म्युनिसिपालिटी से निश्चित रहता है। इसीलिये ये लोग जब देखते हैं कि यात्री परदेशी है और उसके पास याना के लिए पैसे काफी होंगे, या वह देखने में श्रीमिराना ठाठ या पद-मर्वादा का मालूम होता है, तो ये लोग निश्चित दर से कुछ दाम बढ़ा भी देते हैं। प्रायः यह तमी होता है, जब कोई विशेष पर्व या त्योहार होता है।

इसी समय अन्दर से आवाज आयी—मोहन, मोहन, चलो।

तब दोनों भोजन करने के लिए अन्दर चल दिये।

प्रश्न है कि क्या उस समय मोहन के चाचा यह सोच रहे थे—लेकिन हमारे शह कार्यों में शहिया का एकाधिकार मुझे बहुत अर्थों में निर्दोष जान पड़ता है ?



सैंतालीसवाँ अध्याय

एकाधिकार में प्रतिस्पर्द्धा



रात के आठ बजे होंगे। मुनिर्या और बिल्लू बिहारीदाधू के छोटे-छोटे दो बच्चे हैं। मुनिर्या बिल्लू से एक साल बड़ी है। दोनों इस समय सोने की चेष्टा में हैं। बिल्लू की आँसों भपक रही हैं। पर मुनिर्या कभी आँख बन्द कर लेती है और कभी-कभी झूठ मूठ मोहन की आँसों में अँगुली गडाती हुई हँसती है। उसे नींद नहीं आ रही है।

मोहन के चाचा इसी समय आ गये। व रुमाल म बरफ लटकाये हुए थे। आते ही मकान के नीचे से बोले—बरफ कौन कौन रायगा ?

भट्ट मुनिर्या उठ बैठी। बोली—दहा, बाधू बरफ ले आये हैं।

बिल्लू भी आधा छोटा आधा जगता उठ बैठा। बोला—बरफ मैं भी लूँगा, सब।

फिर क्या था। बात-की बात में दोनों सजग होकर भागे। यहाँ तक कि चाचा के पास पहुँचते पहुँचते दोनों में वाक्युद्ध होने लगा।

“चल, तुम्हें नहीं मिलेगी। बाधू तुम्हें ही सब देना।” बिल्लू को पीछे टपेलती हुई मुनिर्या ने कहा।

बिहारी—अरे, बहुत बरफ है! सब को मिलेगी। जाओ अपनी चाची से कहो कि आधी बरफ का पानी बनालें और आधी किसी टाट के टुकड़े में लपेटकर रख दें।

इतने में ऊपर से मोहन ने पुकारा—चाचा, ऊपर चले आओ। यहाँ पानी है।

आगे-आगे बिहारीबाबू चले और पीछे-पीछे बरफ के प्रेमी मुनियाँ और विल्लू । मुनियाँ कह रही थीं—मैं सबसे बड़ा टुकड़ा लूँगी । विल्लू को ज़रा-सी मिलेगी ।

विल्लू जवाब दे रहा था—चल, तुझे माँ से कहकर कुछ नहीं दिलाऊँगा । तू तो खेल रही थी । मैं गिनती थाद कर रहा था, चुपके-से ।

मुनिया—मैं कहाँ सोई थी ? तूने सुराही जो तोड़ डाली । बाबू इसे कुछ मत देना । इसने सुराही तोड़ दी ।

विल्लू—तुमने तो ककड़ मारकर उसमें छेद कर दिया और मेरा नाम लगाती है । बड़ी भूठी है ।

लड़ते-भगड़ते दोनों ऊपर पहुँचे । चाची ने कहा—

इतनी बरफ आज कैसे ले आये ?

मोहन के चाचा—घर लौट रहा था तो चीराड़े पर सुना कि कोई चिल्लाकर कह रहा है—पैसे सेर, पैसे सेर, बरफ के डेले, पैसे सेर । मैंने सोचा, लाओ आज सेर भर लेता चलू ।

फिर क्या था, बरफ का पानी बनाया गया । सब ने प्रेम से पिया । अपने दिस्से का पानी पीते-पीते मोहन ने पूछा—

आज यह इतनी सस्ती कैसे हो गई ? उस दिन आपने रमेश बाबू के लिए मँगवाई थी, तब तो चार पैसे सेर आई थी ।

चाचा—इलाहाबाद में दो बरफ़खाने हैं; दोनों अलग-अलग मालिकों के ।

मोहन—जब दोनों एकमत हो जाते होंगे, तभी बरफ़ मँहगी बिकती होगी ।

चाचा—परन्तु यदि किसी वस्तु के विक्रय में दोही प्रधान विक्रेता हों, तो न तो वहाँ एकाधिकार ही चल सकता है और न पूर्ण प्रतिस्पर्धा । यह भी ज़रूरी नहीं कि दोनों मिलकर समझौता कर लें । क्योंकि यदि समझौता हो गया तो एकाधिकार हो जायगा । यह तो एक वस्तु के दो एकाधिकारी होने का उदाहरण है ।

मोहन—अच्छा, अगर दोनों एकाधिकारी लागू-डॉट करने लगे तो ?

चाचा—वे लागू-डॉट करने में, एक दूसरे का काम बन्द करवाने की इच्छा से, बरफ़ की दरों को किसी भी हद तक गिरा सकते हैं ।

मोहन—तो जैसे सेर बरफ़ बेचनेवाला क्या यही कर रहा है ?

चाचा—हाँ, और उसे हानि हो रही है ।

मोहन—तो हानि सहते हुए वह अपने माल को क्यों बेचता है ?

चाचा—बात यह है कि वह सोचता है कि थोड़ी-सी हानि उठाकर दूसरे बरफ़वाले का काम अगर उसने बन्द करवा दिया तो फिर उसकी चाँदी रहेगी । तब वह भाव बढ़ाकर अपना सारा घाटा पूरा कर लेगा ।

मोहन—इस तरह कितने दिनों में दूसरे का काम बन्द हो जायगा ?

चाचा—इस हालत में काम तो किसी का बन्द नहीं हो सकता ।

मोहन—क्यों ?

चाचा—क्योंकि एक अकेला ही सारे शहर की माँग पूरी कर नहीं सकता । इसके अलावा दोनों बराबर के व्यवसायी हैं । जब बराबर के व्यवसायियों में प्रतिस्पर्धा आरम्भ होती है, तो अंत में मुलह हो जाती है । जग-एक बड़ी और छोटी कम्पनी में प्रतिस्पर्धा होती है तब ले-देकर छोटी कम्पनी को ही हानि होती है । या तो अन्त में छोटी कम्पनी बन्द हो जाती है या बड़ी कम्पनी उसे अपने में मिला लेती है ।

मुनियाँ और बिल्लू तब तक मों के पास जाकर सो गये थे ।

मोहन ने पूछा—अच्छा चाचा, एकाधिकारी लोग कभी-कभी संख्या में दो से अधिक भी हो जाते होंगे ।

चाचा—क्यों नहीं ? हमारे शिक्षा-विभाग में ही कभी-कभी ऐश हुआ है । मान लो, सरकार ने सम्पूर्ण प्रान्त के लिए पाठ्य-पुस्तकों के कई सेट स्वीकार कर लिये हैं । अब डिस्ट्रिक्ट तथा म्युनिसिपल बोर्डों की शिक्षा-कमेटी को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे जिस सेट को अपने जिले अथवा नगर के स्कूलों में चलाना चाहें, उन्हें जारी करें ।

ऐसी दशा में जितने प्रकाराहो के सेट स्वीकृत कर लिये गये, वे सब एकाधिकारी हो गये ।

मोहन—परन्तु इससे यह तो प्रकट नहीं हुआ कि जन-साधारण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा । किस अर्थ में उसे लाभ हुआ, और किस अर्थ में हानि ।

चाचा—जनता को तो तभी लाभ पहुँच सकता था, जब टिस्ट्रिक्ट तथा म्युनिसिपल बोर्डों की शिक्षा-कमेटियों के प्रतिनिधि पुस्तकों का चुनाव करने में दृढ़ होते । तुम्हें मालूम होगा कि अक्सर साधारण योग्यता के लोग भी उस कमेटी में जा पहुँचते हैं । वे जनता का हित न देखकर अपना व्यक्तिगत लाभ देखते हैं । अतः इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग पक्षपात करते हैं । जिस प्रकाशक ने अपनी रीडरों स्वीकृत कराने में अधिक रुपये खर्च किये, वह बाज़ी मार ले गया ।

मोहन—तब तो इस तरह से कई प्रकाशकों को एकाधिकारी बना देना अच्छा नहीं हुआ । अच्छा चाचा, इस विषय में सरकार का मूल भाव क्या रहता है ?

चाचा—सरकार तो चाहती है कि स्थानिक स्वराज्य की इन शाखाओं के प्रतिनिधियों को जब कुछ काम करने का अवसर मिला है, तब उन्हें अपने जिले के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण स्वाधीनता रहे । जिस सेट को वे अपने बच्चों के लिए अधिक लाभदायक समझें, उसी को जारी करें । किन्तु सरकार का यह प्रयोग सफल नहीं हुआ । प्रकाशकों ने दो तरह से बेई-मानी की । एक तो स्वीकृत कराने में, दूसरे बेचने में ।

मोहन—बेचने में किस तरह ?

चाचा—मान लो, शहर का कोई बुकसेलर शिक्षा-कमेटी के किसी अधिकारी का रिश्तेदार हुआ । वह, फिर क्या है, उसने ठहरा लिया कि अगर मैंने आपका सेट मंजूर करा लिया, तो आपको साधारण दर से इतना अधिक कमीशन देना होगा । कभी कभी तो दबाव में आकर इन बुकसेलरों को माल उधार भी दे दिया गया, जिसका रुपया फिर कभी बटल नहीं हुआ ।

मोहन—पर यह तो परोक्ष रूप से रिश्वत ही हुई ।

चाचा—ऐसा भी हुआ है कि प्रतिस्पर्द्धा मुक्तसेलरों ने कह दिया कि जो रीडर स्वीकृत हुई है, वह तो अभी छुपकर तैयार नहीं हुई और विद्यार्थियों की बड़ी हानि हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन होगा ? और इस तरह अन्त में जिस प्रकाशक ने उनको अधिक कमीशन देना स्वीकार किया, उसी की रीडरें उस जिले में प्रचलित हो गयीं ।

मोहन—अच्छा तो जब इस तरह से प्रकाशकों को एकाधिकारी बनाने में, प्रतिस्पर्द्धा के कारण, गड़बड़ी होती है, तब फिर उसका निवन्त्रण कैसे किया जाता है ?

चाचा—तब प्रतिस्पर्द्धा बन्द करके प्रत्येक रीडर के लिए जिलों का बँटवारा कर दिया जाता है । ऐसा ही इस समय भी हमारे प्रांत में चल रहा है । इससे प्रकाशकों को पूर्ण एकाधिकार मिल जाता है ।

मोहन—किन्तु इससे जनता का क्या लाभ होता है ?

चाचा—जनता का सबसे अधिक लाभ तो तभी होता है, जब सरकार एकाधिकारियों पर नियन्त्रण रखती है । पुस्तकों की कीमत कम से-कम करने का अधिकार सरकार के हाथ में होता है । और उसका फल जन-साधारण की शिक्षा के विकास के लिए बहुत हितकर होता है । जब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कम से-कम होगा, तब वे अधिक से-अधिक सख्या में पढ़ सकने में समर्थ होंगे ही ।

मोहन—प्रकाशकों को इस तरह पूर्ण एकाधिकार दे देने से जनता का क्या और भी कोई लाभ होता है ?

चाचा—क्यों नहीं होता ? अगर कोई रीडर कई वर्ष तक चल जावी है, तो जो लड़के एक कक्षा में उत्तीर्ण होकर आगे की कक्षा में चले जाते हैं, उनकी पाठ्यपुस्तकें गरीब बच्चों के पढ़ने के काम में आती हैं । जो बच्चे पुस्तकें नहीं खरीद सकते, वे इस तरह पुरानी पुस्तकें पा जाते हैं । अगर पूर्ण एकाधिकार प्रकाशकों को प्राप्त न हो, और प्रति वर्ष प्रकाशकों में प्रतिस्पर्द्धा चले, और पाठ्यक्रम बदलता रहे तो उसका फल भोगना पड़ेगा साधारण जनता के गरीब बच्चों को ।

यह वार्तालाप तो अब यहीं समाप्त हो गया था । पर इसी के बाद बिहारी बाबू ने पूछ लिया—पुरानी पुस्तकें बेचनेवाले उस बुकसेलर के यहाँ गये थे ?

मोहन—हाँ, गया था । 'साहित्य समीक्षा' वहाँ मिल गयी है ।

चाचा ने कहा—यह भी एकाधिकार का ही लाभ है । यद्यपि इसमें भी प्रतिस्पर्धा थोड़ी बहुत तो चलती ही है ।



अड़तालीसवाँ अध्याय

दूकानदारी

राजाराम आनकल अपने जीजा बिहारी के यहाँ आया हुआ है। नित्य वह बिहारी के साथ घूमने निकलता है। कल रविवार था। बिहारी की छुट्टी मी थी। इसलिए वह उसके साथ चोक गया हुआ था। साथ में मोहन भी था। इधर-उधर घूमने के बाद जब बिहारी सन्गीमण्टी की दूकानों की ओर चला, तो देरता क्या है कई आदमी कलमी आम लिये बैठे हैं।

राजाराम ने पूछा—कैसे दिये हैं ?

दूकानदार ने जवाब दिया—रुपये के दस दिये हैं हुजूर।

और इतना कहकर वह उन आमों की उठावा घरी करने लगा।

बिहारी आगे बढ़ गया। फिर धीरे से बोला—चुपचाप सब चीज देखते चलो। बात शुरू की नहीं कि इन लोगों के जाल में पसे नहीं।

तब देर तक ताँनों घूमते रहे। अन्त में मुहम्मदअली पार्क में एक बेंच पर आ बैठे। बिहारी ने कहा—मुना था कि अमेरिका में दूकानदारी इस दर्जे को पहुँच गयी है कि वहाँ दूकान पर पहुँचकर कोई आदमी बिना कोई चीज लिये वापस नहीं जा सकता। पर सयोग से कोई चला ही जाय, तो दूकान पर जो लोग सौदा पटाने के कार्य पर नियुक्त होते हैं, उनकी नौकरी पर आ बीते। पर अमेरिका की बात रही अमेरिका में। यहाँ पर भी ऐसे विक्रेताओं की कमी नहीं है, जिनसे बात करने का अर्थ है पँसना। तुमने उस आदमी से आम के दाम पूछे तो उसने बतलाया कि रुपये के दस दिये हैं। पर तुम अगर बीस भी कहते, तो अन्त में वह स्वीकार कर लेता।

मोहन का मुँह क्रोध से तमतमा उठा। बोला—यह दूकानदारी नहीं हो सकती। इसे मैं दूसरे शब्दों में कहूँगा कि लूट है।

राजाराम भी कम प्रभावित नहीं हुआ। उसने कहा—यह सरासर धोखे-बाजी है। दूकानदारी इसे क्यों कहा जाय ? यह तो सरासर बेईमानी है—बेईमानी।

मोहन ने कहा—क्यों चाचाजी, आगिर यह अन्धेरे कब तक चलेगा ?

बिहारी बाबू ने उत्तर दिया—अब इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता कि कब तक चलेगा। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि दूकानदारी की यह प्रथा बहुत दोष पूर्ण है। वस्तुओं का अत्यधिक मूल्य बतलाना, फिर भाव तान करना और अन्त में लौटते ग्राहक के बतलाये हुए दाम को स्वीकार कर माल देना सचमुच अच्छा नहीं है।

राजाराम—असुविधा तो इससे जरूर होती है, पर अगर दूकानदार ऐसा न करें, तो ग्राहक माल न खरीदे और दूकानदार हाथ पर हाथ धरे मकियाँ मारा करें।

बिहारी—तुम यहाँ मूल रहे हो राजाराम। वस्तुओं का दाम अगर एक हो और फिर उसमें कहने की गुजाइश न रखी जाय, तो कुछ दिनों के बाद जब लोगों को यह मालूम हो जायगा कि सभी दूकानों पर दाम निश्चित है, तो समय की भी बचत होगी और खरीदार और दूकानदार दोनों को सुविधा हो जायगी।

मोहन—कहते तो तुम ठीक हो चाचा, पर ऐसा हो कैसे सकता है ?

बिहारी—क्यों नहीं हो सकता ? जब दाम एक रहेगा, तो मोल-भाव करने की जरूरत ही न होगी।

राजाराम—और दूकानदारी में लाभ का अंश जो कम हो जायगा सो ?

बिहारी—यही तो तुम गलत सोचते हो। लाभ की मात्रा जब दाल में नमक के बराबर होगी, तब बिक्री भी निश्चित ही अधिक होगी।

मोहन—लेकिन हमारे देश में दूकानदारी का अर्थ ही माना जाता है, ठगी और धूर्तता। सत्यता और ईमानदारी तो इन लोगों में रह ही नहीं गयी।

राजाराम—व्यवसाय में ईमानदारी और बेईमानी में विशेष भेद नहीं माना जाता। सौदा पटाने के उद्देश्य को लेकर ग्राहक को राजी करने में जो बातें बढाकर की जाती हैं, नीति में कहा गया है कि वह मिथ्या नहीं होता।

बिहारी—वह नीति नहीं है। मैं उस दुर्नीति कहूँगा। लोगों को धोखा देने के लिए उत्साहित करना कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। यह ग़लती है समाज के कुछ गिने-चुने उन लोगों की, जो साधारण जनता के कथित धार्मिक विश्वासों और उनकी रूढिगत परम्पराओं के पृष्ठ पोषण से लाभ उठाकर उसका शोषण करते आये हैं। यह सोचना कि व्यवसाय में ईमानदारी की आवश्यकता नहीं है, सरासर नादानी है। यह हमारे देश के राजनीति विशारदों का अज्ञान—और मैं तो कहूँगा कि उनकी अकर्मण्यता है, इसी कारण व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में इस कदर धाँधली चल रही है।

राजाराम—पर जीजाजी, मैं फिर कहूँगा कि ऐसी दूकानदारी में धोखेराजी उतनी अधिक नहीं है जितनी खाद्य तथा व्यवहार में आनेवाली अन्य वस्तुओं में मिलावट के सम्बन्ध में होती है।

मोहन—हाँ चाचा, शुद्ध घी प्राप्त करना ही कठिन हो रहा है। हमारे यहाँ घी यद्यपि अक्सर गाँव से आता ही रहना है, तो भी कभी कभी तो ज़रूरत पड़ ही जाती है।

बिहारी अब राजाराम की ओर देखकर बोल उठा—तुमको आश्चर्य हो रहा है। पर यहाँ स्थिति यह है कि घी तो घी असली तेल भी—पीले छरखों है और का—बाज़ार भर खोज आओ, नहीं मिलेगा।

राजाराम—सुना है कि कुछ म्युनिसिपालिटियों तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकारियों ने कुछ नगरों और कुछ जिलों में इस विषय में कुछ नियंत्रण किया है और उनको सफलता भी मिली है।

बिहारी—जब तक सरकार द्वारा इन बेईमानी को उचित दण्ड दिलाने की अच्छी व्यवस्था न होगी, तब तक आतंक की इस दोषपूर्ण प्रथा में कोई सुधार होना संभव नहीं है।

मोहन—श्रीर चाचा, समान्तर-यत्र में भी तो झूठी विश्वात्मबानी का आज़कल मूत्र दौर दौरा है। दवाइयों का विश्वात्म देखिए, तो ऐसा मालूम होगा कि बस अब इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं रही। धन्वन्तरि महाराज का अवतार हो गया है। केवल पैसा ही प्रार्थन करने की ज़रूरत है। सप्ताह में अब कोई देहा मर्त नहीं रह गया, जो अनुक औषधालय की दवाइयाँ व्यवहार करने से अच्छा न हो जाय।

राजाराम—पर इस विषय में एक दूसरा दृष्टिकोण भी है। विश्वात्मबानी को तो आप सुरा कहने लग, पर झरोदार लोग ही जब अन्ये बनकर सौदा झरोदें, तो दूकानदार का क्या दोष हो सकता है? फिर विश्वात्म में कोरी झूठी बातें ही रहती हैं, यह कहना भा उचित नहीं है। मान लो, किसी भाइक ने एक बार कोई दवा मूल से मँगवा भा ली, तो उससे व्यवसायी का क्या बनता विगडता है?

विहारी—परन्तु यहाँ तुम यह मूल रहे हो राजाराम कि ऐसे भी व्यवसायी हो सकते हैं, जो यह सोच लें कि हमें तो अपने दवाइयों का इतना अधिक प्रचार करना है कि एक बार सभी देशवासी कोई-न-कोई चीज उन से झरोद लें। देश की जन संख्या तो पैंतिष करोड है। अगर हम इसमें से दो विहाई बच्चों के लिए निकालें तो लगभग बारह करोड भाइक तो भी हमें मिल जाते हैं। मतलब यह कि धोखेबाज व्यवसायियों का यह भी उद्देश्य हो सकता है कि वे जनता को केवल एक बार धोखा देकर रुपया लूटना चाहते हों।

राजाराम—सभी क्षेत्रों में अर्थ की यह जो लूट खनोट होती है, मुझे इतका एकमात्र कारण देश की गरीबी मालूम होता है। जब लोगों का धन खाने-पीने और पहनने, बाल-बच्चों का मरप पंगप करने तक का सुभीता नहीं होता, तब वे बेचारे क्या करें। तभी तो कहा जाता है कि मरता क्या न करता! पेट के लिये सभी कुछ करना पड़ता है। मुझे तो लोगों की हालत देखकर कभी-कभी बड़ी पीडा होती है। तभी मैं सोचता रह जाता हूँ कि ये अन्धारी, दुष्ट धोर पानी, कोई भी वास्तव में दोषी नहीं हैं। पेट की ज्वाला ही यह सब करा रही है।

बिहारी—किसी अश तक तुम्हारा यह कथन सत्य है। पर यह तो एक न्यायाघोष, एक विचारक और आगे चलकर एक विश्व नियता का भाव है। और मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि जन साधारण के प्रति तुम्हारा भाव ऐसा सहानुभूतिपूर्ण है। परन्तु इस विषय में मैं एक विशेष दृष्टि रखता हूँ। और वह यह कि सत्य, धर्म और न्याय का पालन तो ऐसा क्षेत्र है, जिसमें गरीबी और अमीरी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बल्कि मुझे तो यह जानकर अत्यन्त श्रेष्ठ होता है, जब मैं सुनता हूँ कि कोई गरीब उत्पादक या दूकानदार बेईमानी कर रहा है। धर्म की भावना को तो हमें हर हालत में ग्रहण करना पड़ेगा। धर्म को त्यागकर अगर अनुष्य भय विक्रय के क्षेत्र में सफल भी हुआ तो उसकी सफलता समाज के लिये कदापि हितकर नहीं हो सकती। अधर्म से उत्पन्न धन न तो हमारी रक्षा कर सकता है, न हमें सफल बना सकता है। मुझे तो इस विचार में कोई एक महत् रहस्य छिपा हुआ मिलता है कि अधर्म से उत्पन्न धन जैसे आता है, वैसे ही चला भी जाता है। और इस प्रकार मुझे कहना पड़ेगा कि बेईमानी अथवा धोखे बाजी से जो धन प्राप्त होता है वह दूकानदार के लिए उन्नति का कारण न होकर नाश का कारण होता है।

मोहन—अच्छा चाचा, यह सब तो आपने ठीक कहा। परन्तु दूकानदार यदि बहुत कम मुनाफा लेने लगे, तो जब वस्तुओं का मूल्य गिरने लगता है, तब उस समय वह हानि से कैसे बच सकता है ?

बिहारी—उसका भी एक उपाय है। जब सब वस्तुओं का मूल्य बढ़ने लगता है, उस समय आवश्यकता इस बात की रहती है कि वह लागत-वर्च से कुछ अधिक ले। इस विशेष लाभ का अर्ध-भाग वह एक कोप के रूप में सुरक्षित रखे। उस कोप का वह रूपया उस समय काम दे सकता है, जब वस्तुओं का मूल्य घटने लगता है।

राजाराम बोल उठा—अच्छा अब हम लोग चलें। बात करते देर हुई।

तब सब लोग चल खड़े हुए। जब वे फिर चौराहे पर आये, तो क्या देखते हैं कि वह कुँजड़ा आम की वही भल्ली लिये हुए उन्हीं आमों की तीन-तीन पैसे के हिस्से से चिल्ला चिल्लाकर फुटकर बेच रहा है।

बिहारी ने कहा—लाओ अब चार छे, ग्राम ले ही ले । मुनियाँ और बिल्लू को कुछ तो ले चलना चाहिये ।

पर राजाराम ने तब भी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा—लेकिन गजब हो गया । इन्हीं ग्रामों का भाव इसने रुपये के दम बतलाया था । सचमुच इस प्रकार की दुकानदारी पर नियन्त्रण होना चाहिये ।

उनचासवाँ अध्याय

जुआ और सट्टेबाज़ी

‘कल, चाचा, मैंने एक बड़ी विचित्र बात सुनी। मैं तो दग रह गया।’ मोहन ने कहा।

उत्सुकता से उसके चाचा ने पूछा—क्या ?

मोहन बोला—जगदीश के मुहल्ले में दो सेठ रहते हैं। वे एक पार्क में बेंच पर बैठे हवा खा रहे थे। शाम के वक्त बादल घिर आये, तो उनमें से लाला हरकिशनलाल बोले—जान पड़ता है, आज पानी बरस करेगा।

लाला गोपीनाथ ने जवाब दिया—ग़लत बात है। तुम क्या जानो कि कौन बादल बरसनेवाले होते हैं और कौन सिर्फ़ गरजनेवाले।

इस बात पर हरकिशन को ताव आ गया। बोले—आप कहते क्या हैं ? क्या मैं इतना भी नहीं जानता ? क्या आप मुझे एक अशोध बच्चा समझते हैं ?

गोपीनाथ ने विल्कुल गम्भीर होकर जवाब दिया—अशोध बच्चा भी कभी ऐसी ग़लती नहीं करता। आपकी बुद्धि तो उससे भी गयी-गुजरी है। मैं कहता हूँ, आज पानी बरसना दूर रहा, छिड़काव तक नहीं हो सक्ता।

हरकिशन से अब और सदन न हुआ। बोले—तब फिर कुछ कुछ हार जीत ढहर जाय। यो रातें लड़ाने से क्या फ़ायदा ? अरे हाँ फिर, दो-चार हज़ार यो ही सही। आप भी क्या कहेंगे कि किसी से पल्ला पड़ा था।

गोपीनाथ बोले—तब तो इयका मतलब यह हुआ कि आप रुपये की गरमी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। अच्छी बात है। मैंने भी अब तक पैदा ही पैदा किया है, खोया कुछ भी नहीं है। आज ऐसा ही सही! बोलिए, कितने की बाज़ी रही?

लाला हरकिशनलाल ने जवाब दिया—दो हज़ार से नाँचे तो मैं कभी बदता नहीं।

लाला गोपीनाथ ने स्वीकार कर लिया। फल यह हुआ कि पानी सचमुच फल कुतई नहीं बरसा और लाला हरकिशनलाल को लाला गोपीनाथ के आगे हार मान लेने के कारण आज दो हज़ार रुपये दे देने पड़े। इसी विजय के उपलक्ष्य में गोपीनाथ के पर दावत थी। जगदीश ने मुझे बतलाया है।

चाचा—यह जुआ है।

मोहन तो आश्चर्य से चकित हो गया। बोला—आप कहते क्या हैं चाचा जी! जुआ तो मुरही को कहते हैं, जो दिवाली पर खेला जाता है।

चाचा—केवल मुरही की चाल से बाज़ी लड़ाना जुआ नहीं है। जुआ अनेक प्रकार का होता है। रेश में लोग बाज़ी लगाते हैं, लाटरी में टिकट प्ररीक्षते हैं, चौसर के खेल में भी जुआ होता है। तुम शायद जानते ही हो कि इसी खेल में पांडव अपना सब राज्य हार गये थे। ताश के खेल में रनिंग प्रलय एक खेल होता है। उसमें हर एक चाल के लिए रुपये-पैसे की एक सीमा रहती है। जब पत्ते झोरदार आ जाते हैं, तब चाल बढ जाती है। कभी-कभी उसमें लोग अपनी सारी सम्पत्ति तक रस देते हुए देखे गये हैं। ये सब लोग असल में जुआ ही तो खेलते हैं।

मोहन—लेकिन अभी तक मैं यह नहीं समझा कि जुआ कहते किसको हैं।

चाचा—अच्छा, तो तुम यह चाहते हो कि मैं तुमको जुए की परिभाषा बतलाऊँ।

मोहन चुप रहकर मिर ज़रा-सा नाँचा करके थोड़ा मुसकराने लगा।

चाचा बोले—फल के सम्बन्ध में विरोध शान प्राप्त किये बिना जब लोग केवल

संयोग पर अवलम्बित रहकर कोई बाज़ी बंद देते और फलतः रुपये जैसे अथवा सम्पत्ति के रूप में उससे होनेवाले लाभ-हानि के उत्तरदायी होते हैं, तब उस रीति को जुआ कहते हैं। जैसे मैं कहने लगूँ कि आज तुम्हारे मामा राजाराम अवश्य आनेवाले हैं। और तुम कहते जाओ कि आज तो वे आ नहीं सकते। इसी विवाद को लेकर हम लोग आपस में पचीस रुपये की हार-जीत तै कर लें, तो यह जुआ होगा। परन्तु शर्त यह है कि राजाराम के आने न आने के सम्बन्ध में किसी को कोई ज्ञान न हो। अर्थात् दोनों ही स्थितियाँ सम्भवजन्य हों। वे आ सकते हों, और नहीं भी आ सकते हों। या मान लो, कोई आम है। मेरे देखने में वह मीठा मालूम होता है। परन्तु तुम कहो कि यह तो बिल्कुल खट्टा है। अब अगर हम दोनों इसके सम्बन्ध में अबोध हों और तो भी इस पर एक बाज़ी बंद लें और फलतः उससे होनेवाले लाभ-हानि के उत्तरदायी हों, तो यह जुआ होगा।

मोहन ने पूछा—अच्छा चाचा, मान लो, मैंने कहा कि मैं इस साल मैट्रिक में फर्स्ट डिवाइज़न पाऊँगा। अगर न पाऊँ, तो १००) जुमाना दूँगा और अगर पा जाऊँ तो मुझे १००) आप इनाम के रूप में दें। मेरी यह बाज़ी भी क्या जुए में शामिल मान ली जायगी।

चाचा—यह जुआ नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें तुम्हारा प्रयत्न भी शामिल है। यह बात केवल संयोग की नहीं हो सकती। यह भी संभव है कि तुम्हें अभी से अपनी योग्यता पर पूर्ण विश्वास हो, और आगे भी तुम बराबर प्रयत्नशील बने रहो, तो प्रथमश्रेणी प्राप्त करना तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन न होगा। इसमें तुम सफल हो सकते हो। परन्तु जुए में ऐसा नहीं होता। उसमें आदमी प्रायः अन्धकार में रहता है। बादलों के सम्बन्ध में भी यह कह सकना कठिन है कि आज वे बरसोंगे या नहीं, हाँ, कोई विशेष कारण ही हो तो बात दूसरी है। विना विशेष ज्ञान के जो लोग बाज़ी बंद लेते हैं, वे केवल संयोग के आधार पर ऐसा करते हैं। इस प्रकार बाज़ी बंद लेना ही जुआ है।

मोहन—पर मैंने सुना है कि कुछ लोग अपने गाँव से केवल लोटा-मेरे

लेकर चले और भूलते-भटकते पहुँच गये कलकत्ता या बम्बई। धीरे-धीरे उन्होंने या तो कोई मामूली-सी परचूनी की दुकान कर ली, अथवा उसका भी सुभीता न हुआ, तो पापड़ ही बनाकर बेचने लगे। होते-करते ऐसा भी अवसर आ गया कि सोने-चाँदी की मँहगी या मरी को लेकर वे भविष्य के भाव पर कोई बाज़ी लगाकर दो-चार महीने में मालदार बन बैठे। तो यह क्या चीज़ हुई चाचाजी ?

चाचा—यह सट्टेबाज़ी है। इसमें वस्तुओं की भविष्य की दर के सम्बन्ध में सौदा किया जाता है। कुछ लोग वस्तुओं की दरों का भविष्य जानने में विशेषज्ञ हो जाते हैं, उनको इस बात का अन्दाज़ हो जाता है कि अगुक्त वस्तु का भाव इतने समय के बाद गिरेगा, अथवा चढ़ेगा। ऐसे लोग जब अपने ज्ञान के आधार पर कोई सौदा करते हैं, तब उसे सट्टेबाज़ी कहते हैं। परन्तु इस तरह का सौदा भी खतरे से झाली नहीं होता। क्योंकि अन्दाज़ में कभी-कभी भूल भी हो सकती है। अन्दाज़ तो आश्रित ठहरा अन्दाज़, ग़लत भी वह उतर सकता है। तभी तो सट्टेबाज़ी के फेर में पड़कर बड़े-बड़े लखपती आदमी कुछ ही दिनों में अपनी सारी सम्पत्ति खो बैठते और दिवालिये होकर कगल हो जाते हैं।

मोहन—जब यह सौदा इस तरह खतरे का है, तब लोग इसके फेर में बेकार पड़ते हैं। सौदा तो ऐसा करना चाहिए, जिसमें लाभ निश्चित रूप से होने की सम्भावना हो। पर जिस सौदे में सभी अनिश्चित हो, उसमें पैसा लगाना तो निरी मूर्खता है।

चाचा—परन्तु सट्टेबाज़ी से जन-साधारण को लाभ भी पहुँचता है। जब लोग वस्तुओं की कीमत का भविष्य जानने में विशेषज्ञ हो जाते हैं, तब उनका यह ज्ञान वस्तुओं की माँग और पूर्ति के सम्बन्ध में सूक्ष्म अध्ययन का परिणाम होता है। जब उनको इस बात का विश्वास हो जाता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत गिर जायगी, तो वे एक झपाट कीमत पर उस वस्तु को भविष्य में बेचने का सौदा करते हैं। और इस प्रकार वे वस्तु की कीमत को भविष्य में अधिक गिरने से बचाते हैं। इसके विपरीत जब उनको विश्वास हो जाता है कि भविष्य में अगुक्त वस्तु की कीमत बढ़

जायगी, तो वे एक खास क्रोमत पर उसने भविष्य में खरीदने का सौदा करते हैं। मान लो कि किसी समय सोने की क्रोमत ४०) तोला है। अब कोई सट्टेबाज यह अनुमान लगाता है कि सोने की क्रोमत तीन महीने के बाद ४५) तोला हो जायगी। वह बाजार में जाकर ४४) तोने पर तीन महीने बाद १००० तोला सोना खरीदने का सौदा करता है। यदि उसका अनुमान ठीक निकलता है और तीन महीने बाद सोने का भाव ४५) तोला हो जाता है, तो उसे प्रति तोला एक रुपया अर्थात् १०००) रुपये का लाभ हो जाता है।

मोहन—अच्छा चाचा, अगर सभी सट्टेबाज इस तरह सोचने लगे और अपनी खरीद का सौदा करें, तो ?

चाचा तो सम्भव है, सोने का मूल्य ४५) रुपये तोले तक न बढ़ेगा केवल ४४) रुपये तोले तक ही बढ़े। परन्तु उस दशा में भी प्रत्येक ऐसे सट्टेबाज को ॥) प्रति तोले के हिसाब से लाभ तो अरश्य हो जायगा।

मोहन—तब तो कहना पड़ेगा कि सट्टेबाजी से जन साधारण को एक तरह से लाभ ही होता है।

चाचा—हाँ, विशेषतः सट्टेबाजों के सौदों से वस्तुओं की क्रोमत के घट बढ़ में कमी तो हो जाती है और इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार उपभोक्ताओं को प्रायः लाभ होता है। किन्तु हमारे देश का यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रत्येक बड़े शहर में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो वस्तुओं की माग और पूर्त के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं रखते और केवल सयोग पर भरोसा करके भविष्य का सौदा कर बैठते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कभी कभी तो उनका अनुमान ठीक निकलता है और उन्हें लाभ हो जाता है, परन्तु कभी कभी उनका अनुमान गलत भी निकल जाता है, तब उनको इतनी अधिक हानि सहन करनी पड़ती है कि उनका जीवन ही भार रूप हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत किरसे सुने हैं कि सट्टे में हार जाने के कारण लोगों ने आत्मघात तक कर लिया है। यह स्थिति वास्तव में बड़ी भयावह है।

मोहन—तो चाचा, जो लोग इस तरह हजारों-लाखों रुपये का सौदा करते

है, वे उस भाव पर माल झरोदकर आगे यहाँ रख लेते होंगे और फिर जब उसकी अवधि आ जाती होगी, तब बेच देते होंगे।

चाचा—नहीं, ऐसा नहीं होता। ये लोग माल झरोदते नहीं, भविष्य की तिथि पर जो बाज़ार-भाव होता है, सीदे की दर में उससे पड़नेवाले अन्तर को रकम लेते या देते हैं। इस तरह ये लोग सट्टेबाज़ी में पूरा रुपया नहीं लगाते, केवल अन्तर चुका देने भर की जिम्मेदारी का निर्वाह करने की शक्ति रखते हैं।

मोहन—तब तो इन लोगों की कभी कभी बड़ी कठिनाई में पड़ जाना होता होगा।

चाचा—कठिनाई! भरे जब कभी इनके पास अन्तर की रकम चुकाने का मुँगीता नहीं होता, तब उन्हें अपनी स्त्री का गहना तक बेचकर पाटे की रकम पूरी करनी पड़ती है। मकान, जाबदाद, मोटर, गाड़ी वगैरह सभी विक्रि जाते हैं। कल जिनकी कोठियाँ खड़ी रहती हैं, आज वे दिवालिये हो बैठते हैं और किराये पर रहने के लिये उन्हें मकान तक नहीं मिलता। यहाँ तक कि अगर उनका कोई सगा सम्बन्धी, आत्मीन या आश्रयदाता न हुआ, तो उनका सामान सड़क पर मारा मारा फिरता है। बाल-बच्चे अलग रोते और विलाप करते पाये जाते हैं। ऐसा भयानक और दुःसह दृश्य उपस्थित हो जाता है कि देखकर आसों में आँसू आ जाते हैं।

मोहन—गाँवों में भी ऐसे जुआड़ियों की कमी नहीं होती चाचाजी। कभी कभी मैंने सुना है कि दिवाली में मुद्दलेभर में और तो सभी के घर हँसी खुशी के साधन और सामान जुटाये गये, पर गार्गीदीन के घर चूल्हा तक नहीं जला! यात यह भी कि वे जुए में कई धी दरये हार गये थे और अन्त में स्त्री की निगाह बचाकर उसका सारा ज़ेवर तक चुराकर उठा ले गये थे।

चाचा—इस तरह के जुए से देश की बड़ी हानि होती है। देहात में दिवाली के अवसर पर तो यह जुआ केवल दो दिन होता है। परन्तु शहरों में वस्तुओं के भावी भाव को लेकर जो सीदे होते हैं—और हमें कहना पड़ेगा कि जो अविकाश रूप से जुए ही होते हैं—वे तो बहाँ नित्य होते रहते हैं। इससे भौतिक और व्यावसायिक शक्तियों का निरन्तर जो क्षय

होता है, वह वर्णन से परे है। सरकार को चाहिए कि इसपर नियंत्रण करे।

चाचा-भतीजे में ये बातें हो ही रही थीं कि उसी समय मोहन से मिलने के लिये जगदीश आ पहुँचा। बोला—चलो, घूमने चलते हो।

मोहन ने कहा—चान्ना जी, अभी मैं इन्हीं की बात कह रहा था। क्यों, लाला हरकिशनलाल जी को आखिर दो हजार रुपये देने ही पड़े ?

जगदीश ने जवाब दिया—रुपया तो उन्होंने चुका दिया, पर आज ही वे बम्बई भाग गये हैं। कहते गये हैं, अब जब तक दस-पाँच हजार रुपये पैदा न कर लूँगा तब तक यहाँ आकर मुँह न दिखाऊँगा !



पचासवाँ अध्याय

क्रय-विक्रय का आदर्श



“देखो मोहन, वह बृद्ध आदमी जो धीरे धीरे टहलता हुआ जा रहा है, जानते हो, कौन है ?”

चाचा ने मोहन से पूछा ।

मोहन ने जवाब दिया—मैं तो नहीं जानता चाचा । पर क्या मैं महाशय कोई ऐसी विशेषता रखते हैं, जिसके जानने की मुझे आवश्यकता ही हो ?

चाचा—ये हमारे नगर के गौरव हैं । कलकत्ता और बम्बई जैसे नगरों में इनकी बड़ी-बड़ी दुकानें हैं ।

मोहन—इससे क्या ? दूकानों तो ऐसी सैकड़ों आदमियों की हो सकती हैं । लक्ष्मी ऐसी वस्तु है कि जिसके पास होती है, उसमें गुण-ही गुण देख पड़ते हैं । सारे श्रवण उतके छिन जाते हैं । कोई ऐसी बात बताइये, जिससे इनकी महानता पर प्रकाश पड़े ।

चाचा—तो फिर सुनो । अब इनकी श्रवण सत्तर वर्ष से ऊपर है । लेकिन जब ये चौदह वर्ष के थे, तो मगलपुर से मानपुर भाग आये थे । कहते हैं, उस समय इनके पास फूटी कीड़ी भी न थी । साथ में केवल एक लोटा-झोर था । ओटने और बिल्लाने तक के लिए इनके पास कपड़े न थे ।

मोहन ने आश्चर्य से कहा—अच्छा !

चाचा—हाँ, तभी तो मैंने पहले ही कहा था, ये हमारे नगर के गौरव हैं ।

मोहन—किन्तु यह तो केवल आर्थिक दृष्टि से उन्नति करने की बात हुई ।

चाचा—पर आर्थिक दृष्टि से उन्नति करना कोई मामूली बात नहीं है । जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी, मेहनत और असाधारण प्रतिभा की बदौलत इतनी उन्नति कर सकता है, अवश्य ही वह हमारी प्रशंसा का पात्र है ।

मोहन—अच्छा तो बतलाइये । मैं अब बीच में नहीं बोलूँगा ।

चाचा - सबसे पहले इन्होंने एक हलवाई की दुकान पर कड़ाई आदि वर्तन मलने का काम किया । दिनभर सबेरे से लेकर रात के ग्यारह बजे तक वे उस दुकान पर काम करते थे और रात को जब दुकान बन्द हो जाती, तो उसी पर सो जाते । बिछौने के स्थान पर दुकान की पक्की जमीन होती और तकिया के स्थान पर इनके हाथ । खाने को दुकान से जो कुछ भी मिल जाता, उसी पर सतोप कर लेते । महीनों खाने को रोटी नहीं मिली । कभी बासी ठण्डे परांठे, कभी पूरी अथवा पची खुर्ची मिठाइयों के टुकड़े-मान इनका भोजन रहता था । कहते हैं, प्रारम्भ के उन दिनों कभी ऐसा नहीं हुआ कि भोजन से इन्हें तृप्ति मिली हो । देहात से आते समय जो शरीर बयेष्ट तन्दुरुस्त था, आग, बुँएँ, मक्खियों, कीड़ों तथा बरों से घिरे और रात दिन के काम से लथपथ, पसाने से तर रहकर काम में पिसते रहने के कारण वह अब क्षीण हो चला था । माता पिता नहीं थे, भाई भी कोई नहीं था । काम से इतनी भी छुट्टी नहीं मिलती थी कि नहीं घड़ी दो घड़ी के लिए टहल ही आते । दुकान से भागजाने का जी होता था । लेकिन जब ख्याल आ जाता कि गाँव में तो रोटी का एक टुकड़ा भी देनेवाला कोई नहीं है, तो मन मसोसकर रह जाते थे । कोई भी ता ऐसा नहा था, जिससे अपना दुख कहते । कभी-कभी रात में नींद नहीं आती थी । गाँव के ही स्वप्न देखते रहते । बचपन याद आता, साथ के अवारा लडके याद आते और माता पिता का प्यार याद आता । घंटों रोते रहते ।

एक दिन की बात है, एक और पड़ोसी दुकानदार ने इनको रात के बारह बजे इसी दशा में देख लिया । उसके हृदय में दया थी, धर्म था । उसने पूछा—आज इतनी रात को सोने के बजाय रोते क्यों हो रामधन !

पर रामधन द्विचकियाँ मार-मारकर रो रहा था। कोई जवाब वह उस समय कैसे देता ?

आगन्तुक ने फिर पूछा—आखिर बात क्या है रामधन कुछ तो बताओ।

रामधन ने तब अपना सारा दुःख मुख उस दूकानदार से कह दिया। इसका फल यह हुआ कि दूसरे दिन से उसे इलवाई की दूकान छोड़कर इस नये दूकानदार के यहाँ नौकरी मिल गयी।

अब रामधन को पहले की अपेक्षा कुछ आराम था। यह दूकान किसी एक चीजकी नहीं, बल्कि बहुतेरी चीजों की थी। पेटेंट साबुन, तेल, कया, कैंची, ब्रश, टुथपेस्ट, बच्चों के तरह-तरह के जिलौने, छुडियाँ, छाते, सोडा, चाय के प्लेट्स, ब्रलम, दवात, स्याही, लालटेन, शीशे के गिलास, बूट की पालिश, पीते—तात्पर्य यह कि दैनिक व्यवहार में आनेवाली सैकड़ों वस्तुओं की वह दूकान थी। एक शब्द में कहूँ, तो कहना होगा कि उसके दूकानदार जनरल मर्चेंट थे। यहाँ रामधन को केवल आध पेट भोजन नहीं, बल्कि नकद दस रुपये मिलते थे। खाने के लिए दूकानदार ने एक होटल में प्रबन्ध कर दिया था। वक्त जरूरत पर रामधन उस होटलवाले को भी कुछ सेवा कर देता और इस कारण वह उस रामधन से (पाँच रुपये) भोजन का लागत मात्र ही ले लेता था। दूकान पर उसे सबेरे दस बजे से रात के नौ बजे तक रहना पड़ता। अब वह खुली हवा में साँस ले सकता था, घूम सकता था, और अपने भविष्य के सम्बन्ध में सोच सकता था। कभी कभी होटल में आनेवाले यात्रुओं से उसे कुछ पैसे भी इनाम के रूप में मिल जाते थे। और इस तरह चार-पाँच रुपये महीने वह बराबर बचा लेता था।

किन्तु रामधन का अब तक का यह जीवन ऐसा था, जिसे हम अपने पैरों खड़ा होने योग्य बनने का पहला कदम कह सकते हैं। इस दशा में रामधन ने केवल तीन वर्ष नौकरी की। अब उसके पास लगभग दो सै रुपये हो गये थे। रात दिन वह यह सोचा करता था कि क्या कभी कोई ऐसा दिन भी होगा, जब इसी तरह की एक दूकान उसकी भी होगी। काम करते-करते वह इसी तरह के स्वप्न देखा करता।

रामधन सेवा के कार्य में बड़ा निपुण था। दूकान पर उसके सुपुर्द जो कुछ काम था, उसे तो वह पूरा करता ही था। साथ ही दूकानदार लाला जगतनारायण के घर पर अक्सर चला जाता और जगतनानू के घर के अन्दर जाकर गृहस्थी सम्बन्धी आवश्यक सामान भी ले आता। इसका फल यह हुआ कि धीरे धीरे वह लालाजी के परिवार का एक विश्वास-मान नौकर हो गया।

रामधन चाहता, तो एक छोटी मोटी दूकान खोल भी कर सकता था। पर उसके सामने एक बड़ी कठिनाई यह थी कि वह पढा लिखा कृतज्ञ न था और उमर अब उसकी अठारह वर्ष का हो गयी थी। तो भी प्रायः वह सोच करता, क्या कोई ऐसा दिन होगा जब मैं इतना पढ जाऊँगा कि इसी तरह की दूकानदारी कर सऊँगा। चीलों के नाम वह जान गया था। वहाँ से कौन माल किस भाव आता है, इसका ज्ञान धीरे धीरे उसे हो चला था। किन्तु पर व्यवहार करने की योग्यता भी तो उसे होनी चाहिए थी।

एक दिन की बात है जगतनानू खाना खाने के लिए घर गये हुए थे। ज्योंही लौटे, तो देखते क्या है, रामधन एक स्लेट पर कुछ लिख रहा है। किन्तु ज्योंही उसकी निगाह उस पर पड़ी, त्योंही रामधन ने स्लेट की रेलों में टर्की दी। तब दूकान पर बैठते ही उन्होंने सत्र से पहले वह स्लेट देखी, जिसमें कुछ टेढ़े भेड़े अक्षर ग म र स के रूप में बने हुए थे। जब तक दूकानदारी का समय रहा, तब तक तो वे काम में लगे रहे। पर ज्योंही दूकान बंदाने की बेला आयी, जगतनानू ने रामधन से पूछा—दूकान बन्द कर तुम घर पर अपना जो बचत बरपाद करते हो, क्यों न उसको रात्रि पाठशाला में बितानी। अभी पढ लोगे तो बहुत अच्छा होगा।

बस, फिर क्या था, रामधन रात्रि पाठशाला में पढने लगा।

इसी तरह दो साल और बीत गये। अब रामधन को वेतन में १३ मिलते थे। ७ महीने की रकत वह अब उससे बराबर कर ही रहा था। इस तरह कुल मिला कर अब उसके पास लगभग पाँच सौ रुपये हो गये थे, जो सेविंग बैंक में उसी के नाम से जमा थे।

उन्हीं दिनों जगतबाबू का एक मकान बन रहा था और उस मकान में उनका सारा रुपया लग चुका था। जाड़े के दिन थे, माल करीब-करीब चुक गया था। और नया माल मँगाने के लिए अब उनके पास और रुपये नहीं रह गये थे। सोच विचार में बैठे बैठे वे इतने उदास थे कि चिन्ता-भाव उनकी मुद्रा से स्पष्ट झलकता था। दूकान बढाकर जब वे घर चलने लगे, तो रामधन ने पूछा—बाबू जी, अगर आप मुझे माफ कर दें, तो मैं एक बात पूछूँ ? आप आज किसी चिन्ता में हूवे हुए जान पड़ते हैं।

जगतबाबू—लेकिन तुम उस चिन्ता को दूर नहीं कर सकते।

रामधन—लेकिन बाबू, कुछ मालूम भी तो हो। मैंने आपका बहुत नमक खाया है। अगर किसी काम आ सकूँ, तो आप मुझे उसके मौके से दूर क्यों रखते हैं ?

जगतबाबू—कुछ रुपये की जरूरत आ पड़ी है। दूकान में माल इस कदर कम है कि अगर एक हजार रुपये का और इन्तज़ाम न हुआ, तो दूकान उठा देनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, यही सोचता हूँ। चाहूँ तो मकान के आधार पर कर्ज़ मिल सकता है। पर यह बात है कितनी बेइच्छती की कि मकान पूरा बन भी न पाये और उसे गिराये रखने की नौबत आ जाय ! पर मैंने ज़ेवर मुश्किल से दो हजार का होगा। बीबी से उसे उतरवाता हूँ तो भी घर की शांति भंग होती है। क्या करूँ, क्या न करूँ, कुछ समझ में नहीं आता, रामधन। ऐसा जान पड़ता है, यह मकान मुझे खा जायगा !

रामधन से अब और सहन न हुआ। भ्रष्ट से वह बोल उठा—आप की पूरी सेवा के लायक तो मैं अभी नहीं हुआ, लेकिन पाँच सौ रुपये तो जमा कर ही लिये हैं। आप चाहें, तो कल ही निकाल लूँ।

जगतबाबू इस बात को सुनकर उछल पड़े। बोले—अच्छी बात है ! रुपये तुम कल उठा लो। रह गये पाँच सौ, सो इतने का प्रबन्ध मैं किसी तरह कर लूँगा।

दूसरे दिन रामधन ने ५००) निकालकर जगतबाबू के हाथ पर रख दिये। उपर जगतबाबू ने पाँच सौ रुपये बैंक से कर्ज़ ले लिया। इस तरह फसल के समय की उनकी आवश्यकता को पूर्ति हो गयी।

यह सब तो हुआ, लेकिन रामधन की इच्छा अभी पूरी नहीं हुई थी। तीन महीने बाद जगतबाबू ने कह दिया था, जिस दिन तुम्हें रुपये की जरूरत हो, कह देना—रुपया तैयार है।

रामधन ने कह दिया—यह तो आप ही का है। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है।

धारे धीरे साल का आन्वीर आया और हानि-लाभ का चिट्ठा बनने लगा। रामधन दिन-भर अपने काम में लगा रहता। वह देपता रहता, कौन माल कहाँ से—किस भाव से—आता है। धारे धारे वह अब चिट्ठियाँ पढ़ने लगा था। अक्षर उसके सुन्दर नहीं बनते थे, तो भी शुद्ध शुद्ध वह लिख तो सकता ही था। अन्त में जब खाता नया बनाया गया और वही का पूजन हो गया तो जगतबाबू ने रामधन से कहा—एक खुशखबरी तुमको सुनाता हूँ, रामधन।

रामधन ने पूछा—बतलाइये।

जगतबाबू बोले—मेरी गृहिणी ने कल रात में कहा था—रामधन का रुपया बहुत पलता है। इस साल जितना लाभ हुआ उतना कमी नहीं हुआ था। इससे तो अच्छा है, दूकान में उमका एक आने का हिस्सा कर दिया जाय। सो इस साल की जो आमदनी हुई है, उसके तुम्हारे हिस्से की रकम दो सौ के लगभग होती है। पाँच सौ तुम्हारी जो पूँजी है, वह इससे अलग है। कुल मिलाकर ७००) होते हैं। ये रुपये या तो तुम मुझसे कल ले लो, या दूकान के हिस्से के रूप में जमा रकजो।

माहन इसी समय बोल उठा—उस दिन से रामधन जगतबाबू की दूकान में एक आने का हिस्सेदार हो गया।

चाचा—लेकिन रामधन की उन्नत का यह हातहास तो अभी प्रारम्भ का ही है। इसके बाद जो उसका अस्थनी विकास हुआ, उसकी कपा भी कम रोचक नहीं है। स्याष्ट का यह चक्र बड़ा विचित्र है। जिसके उत्थान के साथ किसका पतन मिश्रित है, सलग्न है, कोई नहीं जानता। जगतबाबू एक दिन इस असार सवार को छोड़कर चलते बने। और तब रह गये, उनके वे

थे, जो अभी पढ ही रहे थे। दुख सुख तो जीवन ने साथ लगे हैं। किन्तु काल चरु तो अपनी गति से चलता ही रहता है। जगतनाबू को मनुष्य की पहचान थी, वे रामधन की विकासशील प्रतिभा और इमानदारी से परिचित थे। परन्तु उनसे देहावसान ने बाद, उनसे बड़े लडके, जो यूनिवर्सिटी में पढ रहे थे, रामधन से परिचित न थे। कुछ अनारा दोस्तों ने उनसे कान भर दिये। और उसका फल यह हुआ कि रामधन को उसका हिस्सा देकर उन्होंने उसे दूकान से अलग कर दिया।

यह सन कुछ हुआ, किन्तु रामधन के हृदय में कोई अन्तर नहीं आया था। दूकान से अलग होकर उसने अलग दूकान तो खरी, पर जगतनाबू के परिवार के प्रति उसकी श्रद्धा का भाव और भी कम नहीं हुआ था।

उधर जगतनाबू की दूकान पर जो दूसरा आदमी रक़्ता गया वह ख़ाऊ था। उसकी नियत अच्छी नहीं थी। अतः उसका नतीजा यह हुआ कि वह दूकान टूट गयी।

मोहन—किन्तु रामधन की दूकान तो तब और भी उन्नति पर रही होगी।

चाचा—उसकी दूकानदारी जो ग़ार उन्नति करती गयी, उसका एक रहस्य था।

मोहन—वह क्या ?

चाचा—बात यह है कि उसने कमी भी अपने ग्राहकों को ठगने का प्रयत्न नहीं किया। इमानदारी से काम करना ही उसकी सफलता की कुची थी। कमी-कमी वस्तुओं के दाम अनाप शनाप नड जाया करते हैं। दूकानदारों को यह मौज़ा रहता है कि वे चाहे तो समय के अनुसार कुछ अधिक रुपया लाभ रूप में पैदा करलें, और चाहे अपनी दूकान की साथ और भी अधिक बैठा लें।

मोहन—लेकिन जब वस्तुओं का दाम नड गया हो, तब उन बढी हुई कीमतों पर माल न बेचना भी कोई बुद्धिमानी तो है नहीं।

चाचा—बात यह है कि वस्तुओं का मूल्य बढ जाने पर भी जो दूकानदार उनका अधिक मूल्य नहीं बढ़ाता, थोड़ा ही लाभ लेकर खतोप कर

लेता है, उसके ग्राहकों की संख्या अधिक बढ़ जाती है और दूकानदारी का यह एक नियम-सा है कि जो ग्राहक एक बार जम जाते हैं, वे बिना विशेष कारण के जल्दी नहीं उखड़ते। रामधन ने ऐसा ही किया। एक तो उसने अन्य दूकानदारों की अपेक्षा वस्तुओं का मूल्य अधिक नहीं बढ़ाया, दूसरे बढ़ी हुई कीमतों से होनेवाले लाभ की रकम को विशेष कोष के रूप में जमा रक्खा।

मोहन—एक ही बात हुई। चाहे उस रकम को हम अपने स्थायी कोष में जमा कर लें, चाहे उसे अलग रहने दें। जो स्थायी एक बार अपना हो चुका, वह ही चुका। उसका उपयोग तो आदमी समय आने पर करेगा ही।

चाचा—एक दृष्टि से तुम्हारा यह कहना ठीक है। पर प्राय होता यह है कि लोग अत्यधिक लाभ से होनेवाली रकम को अपने निजी उपयोग में ले आते हैं। किन्तु रामधन ने ऐसा नहीं किया। उसने उस रकम को वस्तुओं का मूल्य घटने के सकट काल के लिए सुरक्षित रक्खा।

मोहन—अच्छा, फिर।

चाचा—उसकी दूकान इस बात के लिए भी प्रसिद्ध थी कि एक तो उसमें माल विशुद्ध और नया मिलता है, दूसरे भाव ताव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब वस्तुओं का दाम निश्चित है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह बच्चा ही हो, चला जाय, दामों में कोई अन्तर न होगा।

मोहन—अच्छा, माना कि एक विशेष कोष के सम्बन्ध में उसने एक नया प्रयोग किया। लेकिन इसका परिणाम आन्तर क्या हुआ ?

चाचा—परिणाम यह हुआ कि कुछ वर्षों के बाद जब वस्तुओं का मूल्य बराबर घटने लगा, तब उसके समान कुछ अन्य व्यवसायी तो घाटे में आकर समाप्त हो गये, किन्तु रामधन के व्यवसाय पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

मोहन—अच्छा, ठीक है। किन्तु यह प्रयोग उसे सूझा किस तरह ?

चाचा—यात यह है कि रामधन अब इतना समर्थ हो गया था कि अर्थशास्त्र की बारीक बातों के भर्म को समझ सकता था। उसका अध्ययन बराबर

जारी था। एक बार उसने किसी अर्थशास्त्री से वार्तालाप में कम विक्रम के आदर्श के सम्बन्ध में बहुतेरी बातें जान ली थीं। अबसर आने पर उसने उनका प्रयोग किया और उसे सफलता मिली। और इसी तरह ये रामधन उन्नति करते करते आज दिन ऐसी ऊँची हैसियत को पहुँच गये हैं।

मोहन—तो कम विक्रम का आदर्श आप यही मानते हैं न, कि लाभ थोड़ा लिया जाय; ताकि विक्रम का परिमाण बढ़ता रहे? वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाने पर लाभ के एक अंश को विशेषकोष के रूप में संचित रक्खा जाय, जो उस समय काम आये जब वस्तुओं का मूल्य घट रहा हो। वस्तुएँ विशुद्ध और नयी दी जायँ और सब के लिये दाम एक हो।

चाचा—हाँ बस, सार रूप में तो यही है।

चाचा-भतीजे ये बातें करते हुए जिस समय घूमकर लौट रहे थे उसी समय रामधन भी उधर से आ निकले।

मोहन सोचने लगा—मनुष्य धूल-भरा हीरा है। कौन जानता था कि एक अनाथ बालक एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जायगा!



इक्यावनवाँ अध्याय

वितरण की समस्या



विहारीरानू अपनी बैठक में बैठे हुए हैं। एक दैनिकपत्र उनके हाथ में है। चुपचाप उसे पढ़ रहे हैं। पत्र में कानपुर के एरु मिल में हड़ताल होने का समाचार छपा हुआ है। इसी समय राजाराम वहाँ आ पहुँचे। आजकल वे भी यहाँ आये हुए हैं। बोर्ड में उनका एक मुवदमा पेश है। पत्र में हड़ताल का समाचार पढ़कर और तत्काल राजाराम को सामने पानर बिहारीबाबू ने पूछा—तुमने कानपुर की हड़ताल का कुछ हाल चाल नहीं बतलाया राजाराम ?

इसी समय वहाँ मोहन भी आ पहुँचा।

राजाराम ने कहा—हड़ताल तो बड़े जोर की है। शुरू हुए पन्द्रह दिन हो चुके। मिल मालिन अपनी जिद पर स्थिर हैं। हड़ताली मजदूरों के दल केन्द्रल शहर की ग्रास ग्रास सड़कों पर निकलते हैं। सारा शहर उनके नारों से गूँज उठता है। ऊपर से देखने से मालूम होता है कि मजदूरों का यह आन्दोलन बहुत शक्ति शाली है। परन्तु भीतरी स्थिति वास्तव में बहुत नातुक है। ब्यादातर मजदूर साप्ताहिक वेतन पाते हैं। पाँच छत दिन व्यतीत हो जाने पर उनके लिए जाने तक का पैसा नहीं रह जाता। मजदूरों के नेता जब उन्हें उनका दिताहित समझाते हैं, कष्ट उठाकर भी हड़ताल पर दृढ़ रहने के लिए बोर देते हैं, तो जोश में आकर वे प्रतिज्ञान्वद्ध हो जाते हैं। परन्तु सोचने की बात है कि वे भूल की दारुण ज्वाला वहाँ तक सहन कर सकते हैं। अधिकांश मजदूरों की हालत बहुत ही खराब है। हड़ने ही दिनों

में वे अत्यन्त दुर्बल हो गये हैं। उनके चेहरे पीले पड़ गये हैं और आँखें तो जैसे गड्ढों में धँस गई हैं। जिनके बाल बच्चे हैं, उनकी हालत और भी डराव है। मनुष्य मुद भूल सह लेता है, किन्तु बच्चे को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकता। कुछ लोगों ने, जिनमें समाजवादी कांग्रेसमैत्र प्रमुख हैं, इन लोगों को सहायता पहुँचाने के लिए कुछ चन्दा भी किया है—उनमें आटा-दाल भी बाँटा गया है। परन्तु मज़दूरों की संख्या तो हज़ारों पर है। इस तरह किचको-किसको सहायता पहुँचाई जा सकती है? सबसे अधिक समस्या उन लोगों की सहायता पहुँचाने की है, जो इस तरह खुले तौर से अपनी दुर्दशा बतलाना नहीं चाहते, चाहे भूखों कथों न मर जायँ। ऐसे ही एक घर की बात है, जब एक मज़दूर की स्त्री अपने बच्चे के लिए दूध का प्रबंध न कर सकी, तो गंगा में डूबकर मर गयी!

राजाराम के इस कथन के बाद, कुछ क्षणों तक, कमरे भर में, एक सन्नाटा-सा छा गया। तदनन्तर विहारी ने कहा—यह तो एक विशेष परिस्थिति की बात है। परन्तु हमारे देश के मज़दूरों की दशा तो यों भी बहुत डराव है। उनको न भर-पेट भोजन मिलता है और न तन ढकने को समुचित कपड़ा ही। उनको वेतन इतना कम दिया जाता है कि वह सब आवश्यक्रीय पदार्थों के लिए भी पर्याप्त नहीं होता।

मोहन—मगर मिल-मालिकों को लाभ तो सूब होता है। मिल के बने हुए पदार्थों की बिक्री भी सूब होती है। फिर क्या कारण है कि मज़दूरों को पूरा वेतन नहीं मिलता? सम्भव है, कुछ अयोग्य लोगों को कम वेतन दिया जाता हो और आन्दोलन सब लोग मिलकर करते हों।

विहारी—हाँ, यह भी एक कारण हो सकता है; परन्तु विचारणीय यह है कि बिना वेतन बढ़ाये उनकी कार्यक्षमता किस प्रकार बढ़ सकती है? मुख्य कारण तो यह है कि हमारे देश में वितरण से सिदातों का पूर्णरूप से पालन ही नहीं होता।

राजाराम—यह वितरण की समस्या क्या है और कैसे विकसित हुई है?

विहारी—तुम जानते हो कि पूर्व काल में (और कहीं-कहीं अब भी) छोटे-छोटे गाँवों में कारीगर लोग—जैसे तेली, कुम्हार, चमार, बढ़ई तथा

लोहार आदि—सारा कार्य अपने ही हाथों से करते थे । इस उत्पत्ति में घर के ही सब लोग हाथ बटाते थे । और फिर वे जो कुछ तैयार करते थे उसे बास-पड़ोस के हाट में बेच आते थे । इस प्रकार जो कुछ उन्हें बिक्री से मिलता था, वही सब उनकी आमदनी होती थी । वे इसी से अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे । न वे किसी के नौकर थे और न किसी के देनदार ।

मोहन—परन्तु उसको कच्चे माल का दाम तो देना ही पड़ता होगा ।

बिहारी—नहीं बहुत या कच्चा माल तो उन्हें प्रकृतिक साधनों से मिल जाता था । उस काल में एक ही व्यक्ति प्रायः बहुत सी चीजें पैदा करता था । वही सूत कातता था, कपड़ा बुनता था और खेती का काम करता था । ऐसी अवस्था में वितरण का प्रश्न उठना सम्भव ही न था । एक ही व्यक्ति मालिक भी था और मजदूर भी । वही सब कुछ था ।

मोहन—परन्तु यह अवस्था तो बहुत पहले थी । अब तो कहीं भी ऐसी दशा नहीं देखी जाती ।

बिहारी—हाँ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई मनुष्यों की आवश्यकताएँ बढ़ती गईं तथा उनकी बुद्धि भी विकसित होती गई । नयी-नयी मेशीनें बनायी जाने लगीं । ऐसी बहुत सी मेशीनों का आविष्कार विलायत में १८वीं शताब्दी में हुआ । इन मेशीनों से काम जल्दी और अधिक मात्रा में होने लगा और इनमें मेहनत भी कम पड़ने लगी । अतः स्वाभाविक था कि वस्तुओं के दाम भी कम होते गये । सस्ती वस्तुएँ बनने लगीं और धीरे धीरे बड़े पैमाने पर उनकी उत्पत्ति होने लगी ।

इस प्रकार एक ओर माल सस्ता बनने लगा और दूसरी ओर उनकी बिक्री अधिक होने लगी, तो लाभ भी शून्य मिलने लगा । अतः लोगों ने कारखानों को स्थापित करना शुरू किया । परन्तु कारखाने स्थापित करने के लिए जमीन की आवश्यकता पैदा हुई । अतएव लोगों ने कारखाने स्थापित करने के लिए जमीन भी ली । तब उस पर बड़े-बड़े पुतलीघर बनाये गये ।

मोहन—परन्तु आरम्भ में तो यह काम बहुत ही जोखिम का रहा होगा, क्योंकि मजदूर भी काफ़ी कुशल न होंगे और मालिकों की भी जानकारी परिमित ही रही होगी । इसने सिवा पूँजी के हूब जाने का काफ़ी भय रहता होगा ।

विहारी—इसी लिए तो व्यवस्थापकों ने शीघ्र ही प्रबन्ध किया। फल पुर्जे टूटने के कारण जो हानि होती थी उसके लिए उन्होंने एक अलग कोष कायम किया। कुल आमदनी मिलने पर एक निश्चित रकम इसमें जमा की जाने लगी। बाद में नई मेशीनें खरीदी गयीं। हानि से बचने के लिए कारखाने का बीमा कराया गया। माल की माँग बढ़ाने के लिए विज्ञापन भी शुरू किया गया। इस प्रकार तुम देखोगे कि उन सभी साधनों का जिन्हें हमने तुमको उत्पत्ति के विषय में बतलाते हुए समझाया था, यहाँ समावेश हो गया। अब वर्तमान समय में जमींदार से जमीन मिलती है, मजदूरों से श्रम मिलता है, पूँजीपतियों से पूँजी मिलती है और व्यवस्थापक लोग अपनी कुरात बुद्धि से सारे कारखाने का संचालन करते हैं। समस्त साधनों का वे उचित रीति से उपयोग करते हैं, जिससे हर एक साधन अधिक से अधिक लाभदायक तथा उपयोगी बन सके। फिर इस प्रकार जो द्रव्य उत्पत्ति से प्राप्त होता है उसमें से कच्चे माल का खर्च, भाव, बिजली इत्यादि का खर्च, मेशीनों की घिसावट विज्ञापन, बीमा, पिकी इत्यादि का खर्च निकाल देने पर जो रकम बचती है उसमें इन सभी का हिस्सा होता है। जमींदार अपनी भूमि का 'लगान' माँगता है, मजदूर अपने श्रम की 'मजदूरी' माँगते हैं, पूँजीपति अपनी पूँजी का 'खुर' माँगता है और व्यवस्थापक भी कारखाने का संचालन करने के लिये 'लाभ' चाहते हैं।

मोहन—मेरी समझ में तो प्रत्येक उत्पत्ति में मजदूरों को ही अधिक कार्य करना पड़ता है।

विहारी—परन्तु जमींदारों का दावा है कि वे भूमि के मालिक हैं, जो कुछ जमीन भूमि पर होता है, जहाँ वे, व्यक्तिगत, के स्वरूप में हैं, कृषि के व्यवसाय में तो वे लोग इस अधिकार को चरितार्थ कर ही लेते हैं, किन्तु अन्य उद्योग धंधों में उनका बड़ा महत्व नहीं है।

मोहन—मगर मजदूरों को ही अधिक हिस्सा मिलना चाहिये। अगर वे कार्य न करें, तो उनकी सारी मेशीनें ही न बेकार हो जायें ?

विहारी—हाँ, तुम ठीक कहते हो। परन्तु पूँजीपति अपनी पूँजी केवल उन्हीं कार्यों में लगाने के लिए तैयार होते हैं जिनमें अधिक लाभार्थ उन्हीं को मिले। वे कहते हैं, कि हम पूँजी के मालिक हैं, अगर हम पूँजी न लगायें तो सारा कार्य ही बन्द हो जाय। बिना पूँजी के कोई बड़ा धन्धा चल ही नहीं सकता। वे अपने धन का उपयोग रोके भी रहते हैं, क्योंकि मजदूर को जीविकोपार्जन के लिए कार्य मिलना आवश्यक है और उसे विवश होकर पूँजीपति की जातें मान लेनी पड़ती हैं। पूँजीपति ये सब बातें भली प्रकार जानते हैं। इसीलिए वे अपनी जिद्द पर दृढ़ रहते हैं।

इसी प्रकार सचालकों अर्थात् व्यवस्थापकों का कहना है कि यदि वे ठीक प्रकार की व्यवस्था न करें तो लाभ अधिक न हो, सम्भव है हानि हो हो। यह उन्हीं के परिश्रम का फल है कि इतना अधिक लाभ होता है। मिश्रित पूँजी की व्यापारिक कम्पनियों के विकास के बाद से व्यवस्थापक का महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि पूँजी के छोटे छोटे हिस्सों में बँट जाने से उन्हें जनसाधारण से रुपया मिल जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि चारों हिस्सेदार जमींदार, भूमिक, पूँजीपति और व्यवस्थापक अपना-अपना हिस्सा—लगान, मजदूरी, सूद तथा लाभ—क्रमशः बढ़ाने का सतत प्रयत्न करते रहते हैं। हर एक यही चाहता है कि उसी को सबसे अधिक मिले।

राजाराम—मुझे तो स्पष्ट देख पड़ता है कि वितरण की यही एक प्रधान समस्या है। इस प्रकार की छीना भगटी में तो मजदूर कमी सफल हो ही नहीं सकता, वह तो सदैव सताया ही जाता रहेगा।

विहारी—यही कारण है कि जहाँ देखो वहाँ मजदूरों और मालिकों के भगड़े चल रहे हैं। अन्त में पूँजीपति ही सफल होते हैं, क्योंकि सम्पत्ति के मालिक वही हैं। इसीलिए हम लोग वर्तमान औद्योगिक युग को पूँजीवाद का युग कहते हैं। भारत में भी यह समस्या विशेष महत्व रखती है। वितरण की समस्या न केवल आर्थिक है वरन् सामाजिक भी है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति—

का इससे घनिष्ठ सम्बन्ध है। अगर किसी एक हिस्सेदार को अधिक हिस्सा दे दिया जाता है तो यह निश्चय है कि दूसरे हिस्सेदार को उतना ही हिस्सा कम मिलेगा और फिर इस कारण समाज में कलह का होना अनिवार्य है।

इसी विषयता ने संसार में एक बृहत् आन्दोलन की नींव डाली है। इसका सबसे अधिक प्रभाव रूस पर पड़ा है। वहाँ पूँजीपति और जमींदार नष्ट कर दिये गये हैं, उनकी सम्पत्ति सरकार ने ज़ब्त करली है। भूमि और पूँजी के साधनों की मालिक सरकार है। उत्पत्ति का प्रयत्न मज़दूरों द्वारा चुनी गई पंचायत के द्वारा होता है। मज़दूरों की सुविधा और सुगम के लिए सब प्रकार के साधन जुटाये जाते हैं। वहाँ सब कार्य सामूहिक रूप से किये जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से कोई धनधा करने को आशा वहाँ किसी को नहीं है। धन, लगान और लाभ लेनेवालों के अभाव के कारण सारी आमदनी वहाँ सरकार के कोष में जमा होती है। इसे वह मज़दूरों के ही लाभ में इर्च कर देती है। इस प्रकार की व्यवस्था को समाजवाद कहते हैं। इसमें भी वितरण की समस्या उपस्थित नहीं होती।

मोहन—चाचा, क्या कभी ऐसा समय आ सकता है, जब सारे भारत में यही व्यवस्था प्रचलित हो जायगी ?

विहारी—क्यों नहीं ? इस समय तो वितरण की समस्या का सबसे उत्तम निराकरण इसी व्यवस्था के द्वारा होना सम्भव जान पड़ता है। किसी-न-किसी हद तक समाजवाद का प्रभाव सारे ससार पर पड़ा है। हमारा देश इससे बचित कैसे रह सकता है !

राजाराम—मुझे तो यह दिन दूर जान पड़ता है।

विहारी—मैं तो आशावादी हूँ। जीवन को सदा मैं आशाभय देखता रहा हूँ।

उस दिन यह बर्तालाप यही समाप्त हो गया। दूसरे दिन जब राजाराम रेयन्सुवोर्ड के दफ्तर में जा रहे थे, विहारीबाबू फिर उसी दिन का दैनिक-

पत्र देखने लगे । राजाराम ने पूछा—हे कोई नया समाचार ?

त्रिहारी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा—धानपुर के मल मालिकों ने मंडूरो की अधिकाय मांगों को स्वीकार कर लिया है और दो तीन दिन में मिल चालू हो जायेंगे ।



वावनवाँ अध्याय

आर्थिक लगान



स्कूल से लौटने पर मोहन ने चाचा से पूछा—चाचा क्या राजाराम मामा चले गये ?

बिहारी ने उत्तर दिया—हाँ, चले गये । क्यों, कुछ कहना था उनसे ?

मोहन—कहना तो कुछ नहीं था । यो दो याद दो आयी । देहात का हाल चाल उनसे मिलता रहता था । अभी कल उन्होंने बतलाया था कि कालीचरन नाई मय बाल बसों के गाँव से भाग गया है । मैंने जो इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बतलाया कि बेचारे के घर छोटे बड़े सब मिलकर सात व्यक्ति थे, और कमानेवाला सिफ वह । पकाया लगान की नालिश उसके जमींदार ने उस पर कर दी थी । उसकी अदायगी में पहले स्त्री के टूटे फूटे गहने बेच देने पड़े, उसके बाद तैल बेचना पड़ा । बेचारा मूर्खों मरने लगा था । जब किसी तरह गुजर-बसर न हुई, तो वह गाँव से भाग खड़ा हुआ । अब कौन जाने कहाँ हो । पजा भला आदमी था, बड़ा लुशामदी भी था । गाँव के प्रजावर्ग में ऐसा भला आदमी दूसरा नहीं है ।

बिहारी ने मोहन के इस कथन के उत्तर में कुछ न कहा । तब मोहन को जान पड़ा, मानो चाचा कुछ सोच रहे हैं । परन्तु उसी क्षण मोहन ने कह दिया—

देरतो चाचा, ये जमींदार लोग किसानों पर कितना अत्याचार करते हैं ? अभी कल किसी पर भ पड़ा था कि किसी गाँव के एक किसान की सारी

फसल ही तैयार होने पर जमींदार ने जबरन ले ली थी। ^{LICHTHARTY} एक-दोना भी बचा था। और फिर इस दूसरी फसल के तैयार होने पर ओला पड़ गया। सारी खेती चौपट हो गयी। जब खाने के लिए उसके पास कुछ न रह गया, तो वह शहर चला गया। उसने सोचा था, वहाँ नौकरी मिल जायगी। परन्तु जब वहाँ उसे नौकरी नहीं मिली, और जब वह बहुत अधीर बलिक जीवन से निराश होकर सड़क पर चला जा रहा था, यकायक एक मोटर से दक्कर बात-की-बात में चल बसा। अब प्रश्न यह उठता है कि जमींदारों का यह अत्याचार कब तक चलेगा? लगान की बसूलयाबी के सिलसिले में ऐसे अत्याचार करना सर्वथा निन्द्य है।

बिहारी—यही दशा तो सारे देश की है। देश के प्रत्येक प्रान्त में किसान सताये जाते हैं। मगर इसमें जमींदार का क्या दोष? उसको भी तो मालगुजारी देनी पड़ती है। असल दोष तो शासन पद्धति का है, जिसने ऐसी व्यवस्था बना रखी है। दूसरी समझनेवाली बात इस सम्बन्ध में यह है कि साधारण बोल चाल की भाषा में जिसे हम लगान कहते हैं और आर्थिक निगाह से जिसे लगान कहेंगे, उसमें बहुत अन्तर है। साधारण बोल चाल में लगान शब्द से वह रूपया समझा जाता है जो किसान भूमि के उपयोग करने के एवज में जमींदार को देता है। पर आर्थिक लगान इससे भिन्न होता है। यदि हम किसी खेत का आर्थिक लगान मालूम करना हो तो उसकी कुल उपज के मूल्य में से लागत घटा देना से जो कुछ बचेगा है वही 'आर्थिक लगान' कहलायेगा।

भोहन—आपका अभिप्राय शायद यह है कि लगान की दर खेतों की उपज के अनुसार निश्चित की जानी चाहिये तथा उसी के अनुसार जमींदार को लेना भी चाहिये। आर्थिक लगान कैसे निर्णयित जाता है, इसको एक उदाहरण लेकर समझाइये।

बिहारी—मान लो, एक खेत में—

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| पूँजी और भ्रम की पहिली इकाई लगाने से | १५ मन नाज पैदा होता है |
| ” दूसरी , | १७ मन ” |
| ” तीसरी ” | १६ मन ” |
| ” चौथी ” | १४ मन ” |
| ” पाचवीं , | १० मन ” |
| ” छठी , | ७ मन , |

यह भी मान लो कि हमारी एक इकाई बीस रुपये के बराबर है, और उपज की विक्री बाजार में दो रुपया प्रति मन के हिसाब से होती है। तो पाँचवीं इकाई तक भ्रम और पूँजी खेत में लगायी जायगी, क्योंकि सीमात लागत-सर्व और उसकी उपज का मूल्य इसमें बराबर हो जाते हैं। पाँचवीं इकाई को हम सीमान्त की इकाई कहेंगे और उससे होनेवाली उपज को इस खेत की सीमान्त उपज। इस खेत में जब पूँजी और भ्रम की पाँच इकाई लगाई जायँगी तो कुल लागत सर्व १०० रुपये के बराबर होगा। उपज होगी $15 + 17 + 16 + 14 + 10 = 72$ मन। इसका मूल्य हुआ १४४ रुपया। इसमें से लागत सर्व १०० रुपया घटा देने पर ४४ रुपया बचता है। यही ४४ रुपया इस खेत का आर्थिक लगान होगा।

अभी तो एक ही ज़मीन का उदाहरण लिया गया है, परन्तु तुम जानते हो कि सब खेतों की ज़मीन एक ही उपजाऊ नहीं होती। प्रायः देखा जाता है कि समान धन और परिश्रम लगाने से, समान-क्षेत्रफलवाले सबसे कम उपजाऊ दूसरे खेत से पहले खेत में अधिक उपज होती है। अतः इन दोनों खेतों की उपज में जो अन्तर होता है, उसी को आर्थिक लगान कहते हैं। भूमि का मूल्य उसकी प्राकृतिक उपयोगिता, मनुष्य द्वारा किये गये स्थायी सुधार, श्रम, व्यय, मे. उपज, पूँजी, पर. निर्मा. खेत, दे. पर. व्य. कारण. से भूमि की उपज में अन्तर होना आवश्यक है और तीसरे कारण से उपज के बाजार-भाव में। जिस प्रकार समान क्षेत्रफलवाली भूमियों पर समान पूँजी और भ्रम की इकाईयाँ किसी खेत में लगाने से 'क्रमागत-हास के नियम' के कारण उपज गिरती जाती है उसी तरह भिन्न-भिन्न प्रकार की

भूमियों में समान पूँजी, श्रम और व्यवस्था लगाने से खेतों की उपज में अन्तर पाया जाता है।

मोहन—चाचा, ज़रा तीन-चार खेतों का उदाहरण लेकर आर्थिक-लगान की समस्या समझाइये।

बिहारी—मान लो, किसी ग्राम में उर्वरा शक्ति के अनुसार चार प्रकार की भूमि है। इनमें से समान क्षेत्रफलवाले चार खेत लिये गये। इनमें पूँजी और श्रम की समान इकाइयाँ लगाने से जो परिणाम निकला, वह नीचे दिया जाता है।

| पूँजी और श्रम की इकाई | सीमान्त उपज (मन में) | | | |
|--------------------------|------------------------|----|----|---|
| | अ | ब | स | द |
| १ | १५ | १२ | १० | ८ |
| २ | १७ | १३ | १० | ७ |
| ३ | १६ | १३ | ९ | ६ |
| ४ | १४ | १२ | ८ | ५ |
| ५ | १० | ९ | ७ | ४ |
| ६ | ७ | ६ | ५ | ३ |

मान लो कि एक इकाई पूँजी और श्रम लगाने से बीस रुपये व्यय होता है, और बाज़ार में उपज का मूल्य दो रुपये प्रति मन है। तो अ भूमि में पाँच इकाई, ब भूमि में चार इकाई और स भूमि में दो इकाई पूँजी और श्रम लगाया जायगा।

इस प्रकार सीमान्त इकाई अ भूमि में पाँचवीं, ब भूमि में चौथी और स भूमि में दूसरी है और सीमान्त भूमि स भूमि है। द भूमि की भूमि पर खेती नहीं होगी। जिस प्रकार पिछले उदाहरण में आर्थिक लगान का हिसाब लगाया गया था, उसी प्रकार इस उदाहरण में लगावें तो अ भूमि का आर्थिक लगान ४४ रुपये, ब भूमि का बीस रुपये और स भूमि का शून्य होगा।

मोहन—उपज के मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसका आर्थिक लगान पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

चाचा—यह भी ऊपर दी गई सारिणी के उदाहरण से ही मैं स्पष्ट करता हूँ। मान लो कि उपज का मूल्य दो रुपये के स्थान पर तीन रुपये प्रति मन हो जाय और पूँजी और भ्रम की लागत २० रुपये प्रति इकाई पर ही स्थिर रहे, तो अब भूमि में ६ इकाई, व में पाँच स में पाँच और ड में दो इकाई तक पूँजी और भ्रम लगाया जायगा। इससे उपज में वृद्धि हो जायगी; क्योंकि अब किसानों के लिए अधिक पूँजी और भ्रम अब, व, स खेतों में लगाना तथा चौथे दर्जे की भूमि पर भी खेती करना लाभदायक हो जायगा। आर्थिक लगान में भी वृद्धि होगी। पहिले ही की भाँति दिखाव लगाने से अब भूमि का आर्थिक लगान ११७ रुपये, व का आर्थिक लगान ७७ रुपये, स का ३२ रुपये और ड का ५ रुपये होगा।

किन्तु उपज की माँग यदि बढने के स्थान पर घट जाय, जैसा सारव्यापी आर्थिक मन्दी के समय में हुआ था, तो उसका मूल्य गिर जायगा। मान लो कि उपज का मूल्य दो रुपये प्रति मन के स्थान पर केवल डेढ़ रुपये प्रति मन रह जाय, तो केवल अब भूमि पर चौथी इकाई तक ही पूँजी और भ्रम लगाया जायगा। इससे आर्थिक लगान में भी बहुत कमी हो जायगी। अब भूमि पर यह केवल ११ रुपये के बराबर होगा। व, स, ड की निम्नकोटि की भूमियों पर तो खेती होगी नहीं।

मोहन—पूँजी और भ्रम के लागत-दुर्घर्ष में घट-बढ़ होने से आर्थिक लगान पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

चाचा—मान लो कि ऊपर दी गई सारिणी में पूँजी और भ्रम की इकाई का मूल्य २० से बढकर तीस रुपये हो जाय, और उपज का मूल्य वही दो रुपये प्रति मन रहे, तो केवल अब भूमि में तीसरी इकाई तक ही पूँजी और भ्रम लगाया जायगा। बाक़ी तीन प्रकार की भूमियों पर खेती न हो सकेगी। उसका आर्थिक लगान भी बहुत कम रहेगा—अर्थात् केवल छ रुपये।

यदि किसी प्रकार भ्रम और पूँजी की लागत बीस रुपये प्रति इकाई के स्थान पर केवल दस रुपये प्रति इकाई रह जाय तो अब, व, स भूमियों में छठी इकाई तक और ड क्षेत्र में चौथी तक पूँजी और भ्रम लगाया जायगा, जिससे उपज में बहुत वृद्धि हो जायगी और आर्थिक लगान भी अधिक होगा।

वह अ भूमि में ६८ रुपये, व भूमि में ७० रुपये, स भूमि में ३८ रुपये व भूमि में भी १२ रुपया होगा ।

मोहन—यातायात की सुविधाओं के बढ़ाने का भी आर्थिकलगान पर कुछ असर अवश्य पड़ता होगा ।

चाचा—यातायात के साधनों की सुविधा दिलाने के लिए हम ऊपर दी गई सारिणी में से केवल दो ही भूमि अ और व लेंगे । इनमें से अ भूमि जो विशेष उपजाऊ है, सड़क से दूर किसी ग्राम में स्थित है । और व भूमि जो कम उपजाऊ है, नगर के निकट ही स्थित है । अब यदि हम लागत स्वर्च दोनों भूमियों में एक ही अर्थात् बीस रुपया प्रति इकाई मान लें, तो भी उपज के मूल्य में अन्तर रहेगा । मान लो कि अ भूमि की उपज का मूल्य दो रुपया प्रति मन तथा व भूमि की उपज का मूल्य तीन रुपया प्रति मन है । इससे अ भूमि में अम और पूँजी की पाँच इनाइयाँ लगायी जायँगी और उसका आर्थिक लगान ४४) होगा । व भूमि में भी अम और पूँजी की पाँच ही इनाइयाँ लगेंगी, किन्तु उसका आर्थिक लगान ७७) होगा । इससे यह मालूम होता है, कि यद्यपि व भूमि अ से कम उपजाऊ है, किन्तु नगर के निकट स्थित होने से उसका आर्थिक लगान अधिक है । यदि मान लिया जाय कि अ भूमि के निकट एक सड़क नगर तक ऐसी बना दी गई है, जिसपर नाज नगर के हाट तरु ले जाने का स्वर्च ८ आना प्रति मन होता है तो गाँव में भी अनाज का मूल्य २) के स्थान पर २३) रुपया प्रति मन हो जायगा, क्योंकि कृषक को फिर आठ आना प्रात मन ढुलाई देकर तीन रुपया प्रति मन के हिसाब से नगर के हाट में बेचने का अवसर मिलेगा । उपज के माव में इस वृद्धि का प्रभाव आर्थिक लगान पर भी पड़ेगा । अ भूमि में अम और पूँजी की अब भी पाँच ही इनाइयाँ लगाई जायँगी । किन्तु आर्थिक लगान ४४ रुपये के स्थान पर ८० रुपया हो जायगा ।

मोहन—अच्छा चाचा, आर्थिक लगान के सिद्धांत को उससे पहले किसने किस प्रकार प्रतिपादन किया ?

चाचा अंग्रेजी अर्थशास्त्री रिकार्डों ने । रिकार्डों का मत था कि लगान भूमि की उँचा तथा नाथ न होनेवाली शक्तियों के कारण उत्पन्न होता है । /

उसका कथन है कि किसी नये देश में सबसे पहले उपजाऊ भूमि पर खेती होती है, फिर जन-संख्या की वृद्धि के कारण कम उपजाऊ भूमि उपयोग में आई जाने लगती है। इन दोनों भूमियों ही उपज में अन्तर होने से ही आर्थिक लगान का विकास होना है। यदि हम अधिकाधिक भूमि पर खेती करते चले जायें तो ऐसा अवश्य होता है, किन्तु यदि हम उसी भूमि पर अधिकाधिक लागत लगाते जायें, तो फिर प्रति पूँजी और श्रम की इकाई पर उपज कम ही होती जायगी, जैसा मैंने अभी तुमको उदाहरण देकर समझाया था।

वास्तव में भूमि का परिमित होना ही लगान का कारण है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण जब माँग बढ़ने लगती है, तो सर प्रन्सर की भूमियों पर अधिकाधिक पूँजी, परिश्रम और व्यवस्था लगाकर खेती की जाती है। किन्तु एक साधन के परिमित होने के कारण 'क्रमगत हास-नियम' शीघ्र लागू हो जाता है। यदि भूमि सीमित न हो तो यह नियम लागू न हो और यदि यह नियम न लागू हो तो कृषक को निम्नकोटि की भूमियों पर न जाना पड़े।

मोहन—तो फिर ऐसी दशा में लगान का उपज के मूल्य पर कोई असर ही न पड़ता होगा। मगर आजकल तो ऐसा नहीं देखा जाता।

बिहारी—तुम ठीक कहते हो। साधारणतया लगान का मूल्य निर्धारण करने में कुछ भी असर नहीं पड़ता है। बाजार में जितनी माँग है उसी की हद में सीमान्त भूमि या भाग की उपज से किसान का केवल लागत-दान आता है। लगान तो उससे अधिक होनेवाली उपज है। अतः मूल्य का निर्धारण लगान से नहीं होता है। हाँ, लगान का निर्धारण मूल्य से अवश्य होता है— इसी में कहा गया है कि आर्थिक लगान मूल्य का अंश नहीं है, वह तो केवल उससे प्रभावित होता है।

मोहन—तो क्या ऐसा सचव हीला है ?

बिहारी—नहीं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ अवश्य हैं, जिनमें लगान का प्रभाव मूल्य के निर्धारण पर पड़ता है। जैसे—

✓(र) यदि सारे ज़मीदार लोग आपस में एका कर लें, तो वे निरूप-से-

निकट भूमि का भी लगान ले सकते हैं और तब किसान को उस लगान को अपनी उपज के मूल्य में अवश्य जोड़ना पड़ेगा।

✓ (२) यदि एक भूमि पर गेहूँ बोया जाता है और किसान उस पर ऊँच बोना चाहता है, जिसके लिए भूमि विशेष उपजाऊ नहीं है, तो ऐसी अवस्था में जमींदार कम से कम उतना लगान अवश्य ले लेगा, जितना गेहूँ की फसल बोने के समय लेता था। परिणाम यह होगा कि या तो किसान स्वयं ही इस हानि को सहन करेगा, या उसे अपनी उपज के मूल्य में जोड़ लेगा।

✓ (३) यदि किसी देश में अत्यधिक लगान लिया जाता है, तो उसका प्रभाव भी मूल्य निर्धारण पर पड़ेगा।

मोहन—आर्थिक लगान पर दस्तूर, आवादी और स्वर्द्धा का क्या प्रभाव पड़ता है ?

बिहारी—जब आबादी, वारजानों की वृद्धि या रेल के खुलने के कारण जमीन की माँग बढ़ती है तो आर्थिक लगान भी बढ़ता है और जब आबादी कम होने लगती है तो लगान भी कम होने लगता है। जन संख्या में वृद्धि होने के कारण, लोग अन्य उद्योग धन्धा न पाकर खेतों की ओर मुक्तते हैं। पर भूमि परिमित है इसलिए प्रतियोगिता के कारण भूमि का लगान बहुत बढ़ जाता है।

यह वार्तालाप यहीं स्थगित हो गया, क्योंकि उसी समय मोहन की दृष्टि यकायक मकान से लगी हुई गली की ओर जा पड़ी। उसने देखा कि एक आदमी जो घेप भूरा में भिन्नक जान पड़ता है, उसी की ओर स्थिर दृष्टि से देख रहा है। कुछ क्षणों तक तो मोहन ने उसकी ओर देखा, परन्तु जब वह किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सका तो उसके निकट जाकर उससे प्रश्न कर दिया—क्या चाहते हो ?

भिन्नक—कुछ नहीं, यही देखता हूँ कि तुम भी मुझे देख रहे हो।

तब ता आश्चर्य से चकित होकर मोहन ने कह दिया—अरे ! तुम तो कालीचरन चाचा हो ! डूब भेंट हुई। लेकिन, तुमने यह घेप कैसा बना रखा है ? बाल बच कहाँ हैं ?

मोहन का इतना कहना था कि उस व्यक्ति का प्रयाद सजग हो उठा । वह बोला—

कैसे बाल-बच्चे ! मेरे कोई नहीं है । मैं अकेला आया हूँ, अकेला ही जाऊँगा । मैं कोई आदमी हूँ, जो मेरे बाल-बच्चे हों ! मैं तो जानवर हूँ, पशु हूँ । नहीं, मैं पशु भी नहीं हूँ । मैं फगर हूँ । ह ह ह ह ! क्या देखते हो ? मैं काली हूँ !

अब मोहन को पता चला और वह बोला—ओह, यह तो पागल हो गया ।

तब एक निःश्वास लेकर मोहन अन्दर चला गया । वह सोच रहा था कि अगर आर्थिकलगान से अधिक इससे ज़बरदस्ती वसूल न किया जाता, तो इसकी यह दुर्दशा कदापि न होती ।



तिरपनवाँ अध्याय

जमींदारी प्रथा



“बाबा, जिस दिन राजाधम मामा वच्चेदरी गये हुए थे, उसी दिन लौटने पर उन्होंने बतलाया था कि वहाँ कई मुचकिल लोग आपस में बैठे बातें कर रहे थे। एक साहब, जो थे तो जमींदार और आये भी मुकदमा लाने के ही लिए थे, स्वभाव के बड़े खरे थे। उनका कहना था कि हमारे देश में जमींदारी प्रथा ने गाँवों की साधारण जनता का जितना अहित किया है, उतना ब्रिटिश शासन के और किसी अग अथवा साधन ने नहीं किया। वह दिन सोने का होगा जब यह महानाशकारी प्रथा हमारे देश से उठ जायगी।”

“एक और साहब थे बाबा जी,” मोहन बोला—वह भी कोई जमींदार थे। उनका कहना था कि देश में जा भी जायात इस समय देर पडती है, उसका अधिकांश अथ उसी वर्ग को है, जो शिक्षित है। और उस शिक्षित वर्ग में अधिकांश लोग, सच पूछिये तो, जमींदार ही हैं। जो भी सार्वजनिक सस्थाएँ, चाहे वे राजनैतिक हों अथवा सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी, हमारे देश के अन्दर जागरण का मन् न पूक रही हैं, उनमें से अधिकांश की नींव जमींदारों न डाली है। सकटकाल में, सभाचार पत्रों की इमानत अदा करने के रूप में सहायता जमींदारों ने की है, सभा सभाओं के सगठन और महोत्सवों के अवसर पर चन्दे की धलियाँ उन्दोने भरी हैं, बाड पीढ़ितों, अनाथालयों तथा दुःखी पीढ़ितों की सहायता, शिक्षा सस्थाओं के निर्माण और विकास, कला-कौशल और उद्योग धर्मों की उन्नति और आज तक

की समस्त हलचलो के सहायक मूलतः जमींदार रहे हैं। ऐसी दशा में जमींदारी प्रथा के नाश का स्वप्न देखना देश के उस एन वर्ग के साथ विश्वासपात करना है, जो राष्ट्र के नव निर्माण में कभी पीछे नहीं रहा, न भविष्य में कभी रह सकता है। रह गयी बात किसानों से अत्यधिक लगान वसूल करने की, सो इसके लिए वे कतई जिम्मेदार नहीं हैं।

अब इस स्थल पर प्रश्न यह उठता है कि यह जमींदारी प्रथा क्या इसी तरह प्राचीनकाल से चली आ रही है ?

विद्वानों—नदा माह्नन पहले न जमींदारी प्रथा ही थी और न अत्यधिक लगान ही। जमींदारी प्रथा तो अंग्रेजों के आने के समय से आरम्भ हुई है। फिर उसने बाद से ही लगान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती आयी है। आचार्य कौटिल्य ने मतानुसार भारत में सत्रो पहले, मातृव न्याय प्रचलित था। जैसे बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, उसी प्रकार बलवान् तथा शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर आश्रमियों को दया लेते थे। इस प्रकार की परिस्थिति दूर करने के लिए प्रजासभ ने वैश्वत मनु को अपना राजा चुन लिया और अन्य प्रकार के कर्तव्य के साथ कृषि की उपज का छुडवाँ भाग राजा को देना स्वीकार किया। परन्तु युद्ध अथवा किसी अन्य आपत्तिभाल के समय चौपाई भाग भी लिया जाता था। इससे एवम में राजा ने प्रजा की रक्षा का भार अपने ऊपर लेना स्वीकार किया था। इससे यह नहीं प्रकट होता कि भूमि की मिल्किट राजा के हाथ में चली गयी।

कौटिल्य के बाद इस प्रथा में कुछ परिवर्तन हुआ। उस समय राजा की कुछ अपनी भूमि भा रहने लगी, किन्तु बाकी भूमि कृषकों के ही पास रही।

कर देनेवाले कृषकों के विषय में आचार्य कौटिल्य की सम्मति है कि जो भूमि जिस कृषक के पास है, वह जीवनपर्यन्त उसी के पास रहे, किन्तु मरने के बाद राजा उसे किसी दूसरे किसान को दे सकता है। किन्तु यदि किसी कृषक ने किसी बजरभूमि को साफ करके खेती करना शुरू किया है तो वह भूमि उसी के पास रहेगी, उससे ली न जायगी।

मोहन—तो क्या यही प्रथा समस्त हिन्दू तथा मुसलमान काल में भी

रही थी ? अकर ने तो इस प्रथा में परिवर्तन किया था। उसने सारी भूमि की पैमाइश भी करायी थी।

विहारी—यही तो मैं मतलाना चाहता हूँ कि केवल आचार्य कौटिल्य के समय में ही नहीं, बल्कि भारत के समस्त हिन्दूकाल में 'जमींदार' शब्द का नाम तक नहीं मिलता है। जमींदारी प्रथा की नींव तो मुसलमानों के आने के बाद पड़ी है। आइने ए अकररी के अनुसार जमींदार जागीर या राजकीय जमीन की मालगुजारी वसूल करने के लिए ही है। इससे वह राज्य का कर्मचारी ही प्रमाणित होता है।

दूसरी बात उस समय तक हम यह माने हैं कि देश की जन-संख्या आजकल से बहुत कम थी। उस समय देश के घरेलू व्यवसाय बहुत उन्नतिशील थे। इस देश के गने हुए कपड़ों की माँग अन्य देशों में भी थी। अतः देश में धन भी अधिक आता था। घरेलू व्यवसायों के उन्नतिशील होने से कृषि कार्य की ओर लोगों का विरोध ध्यान न था। भूमि अपेक्षाकृत अधिक थी और उससे लिए पारस्परिक स्पर्धा भी कुछ विशेष न थी। ऐसी हालत में लगान भी अधिक न था। राज्य के शासन का समठन आजकल सा सुव्यवस्थित न था, इससे जो कुछ लगान किसानों पर लगाया जाता था वह भी पूर्ण रूप से वसूल न होता था।

मोहन—शासन-व्यवस्था अंग्रेजों के काल में तो अधिक अच्छी रही।

विहारी—लेकिन फिर भी वह विदेशी थी। वे यहाँ की आन्तरिक स्थिति से अच्छी तरह परिचित न थे, अतः जब ईस्ट इन्डिया कम्पनी का प्रमुख गंगाल में स्थापित हो गया तो उसे मालगुजारी वसूल करने में अड़चनें पड़ने लगी। उसका उपाय यह किया गया कि प्रति वर्ष जमीन ठेके पर दी जाने लगी। जो सबसे अधिक बोली बोलता था, उसी को जमीन दे दी जाती थी। इसका कुछ सन्तानजनक परिणाम न निकला। तब उस समय के लगान का नन्वे प्रतिशत भाग मालगुजारा के रूप में प्रति वर्ष अदा किये जाने की शर्त पर लाट्ट कानवालिंस ने स्थायी बन्दोबस्त जमींदारों के साथ कर दिया। उसका विचार था कि विद्रोह के समय ये लोग सरकार के सहायक रहेंगे। इस प्रकार शान्ति

स्थापित होने के बाद संगठन बड़े सुव्यवस्थित ढंग से हुआ। जन-संख्या भी उसके बाद उत्तरोत्तर बढ़ती ही रही। भूमि का मूल्य शीघ्रता से बढ़ने लगा। जैसे-जैसे अन्य उद्योग-धन्धे कम होते गये, भूमि की और लोग जैसे-ही-वैसे अधिकाधिक झुकते गये। इसके फलस्वरूप लगान में भी वृद्धि होती गयी। क्रमशः किसानों में भूमि के लिए आपस में बहुत स्पर्धा होने लगी। खेत छोटे-छोटे होते गये।

मोहन—तो क्या छोटे-छोटे खेतों को जो वर्तमान समस्या हमारे देश के सामने है, इसी समय से आरम्भ हुई ?

विहारी—हां, तुम्हारा अनुमान ठीक है। इसी समय से यह समस्या धीरे-धीरे बढ चली है। और आजकल तो इसने बड़ा ही गम्भीर स्वरूप धारण कर लिया है। २० से ३० प्रतिशत किसानों के पास २½ एकड़ से भी कम भूमि रह गई है। यहाँ तक कि इस भूमि की उपज से लागत खर्च भी निकलना कठिन हो रहा है। आर्थिक लगान तो इस भूमि पर हो ही नहीं सकता। तिस पर भी लगान तो वसूल ही किया जाता है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे यह स्पर्धा और अधिक बढ़ती गयी, ज़मींदारों को मनमाना लगान वसूल करने का सुअवर प्राप्त होता गया। लगान के अतिरिक्त बे नज़राना आदि के बहाने जहाँ तक किसान से रुपया ऐंटे मिना, ऐंठने लगे।

मोहन—पर ज़मींदार लोग किसानों से जो रुपया नज़राने के रूप में लेते हैं, वेगार के रूप में उनके धम का जो उपयोग करते हैं, वह तो उनका अत्याचार ही कहा जायगा। उसे हम अत्यधिक लगान की सजा जैसे दे सकते हैं ?

चान्दा—तुम मुझे कहना पड़ेगा कि तुम लगान को परिभाषा ही नहीं समझे। उत्पन्न होनेवाली फसल के लागत-खर्च से जो अधिक उपज होती है, वह आर्थिक लगान है। उसके बाद जो अधिक लिया जाता है, उसे अत्यधिक लगान कहते हैं, फिर वह चाहे नक़द रुपये के रूप में लिया जाय, चाहे उसके रूपान्तर नज़राना या वेगार में।

मोहन—लगान की इस अत्यधिक वृद्धि का उत्तरदायित्व तो सरकार

पर ही है। सरकार को तो रुपया अत में किसानों से ही मिलता है। जमींदार तो केवल एकत्र करता है। अगर किसान को लगान तहसील में जमा करने की सुविधा दी जाय तो फिर जमींदारों की आवश्यकता ही क्या रह जायगी ? जब सरकार देश में ऐसे नाजायब कर का जमींदारों द्वारा लिया जाना देखती है तो उसको क़ानून बनाकर रोकना चाहिए।

विहारी—इसीलिए तो हर प्रान्त में किसानों की रक्षा करने और उनकी सुविधाएँ उठाने के लिए काश्तकारी क़ानून बनाये गये हैं। इन क़ानूनों में दो बातों का विशेष ध्यान रक्खा गया है।

✓(१) किसान के पास से उसकी जमीन साधारणतया न जाने पाये। इसके लिये बेदखली को कम करने की भी कोशिश की गई है।

✓(२) उसके लगान में अत्यधिक वृद्धि न होने पाये।

मोहन—परन्तु ऐसे क़ानूनों से क्या होता है ! क़ानूनों का क्षेत्र अधिक विस्तृत होना चाहिये। सब कृषकों को मौरूसी हक भी तो मिलने चाहिए। इसके अतिरिक्त उनको खेतों पर स्थायी मुधार करने का पूर्ण अधिकार तथा स्वतन्त्रता होनी चाहिए थी।

विहारी—पर अग्रेज सरकार ऐसा क्यों करने लगी ? हाँ, पिछले समय में जब कांग्रेस दल ने प्रान्तीय सरकारों की बागडोर अपने हाथों में ली तो बहुत कुछ मुधार किया गया। विभिन्न प्रान्तों में एग्जम सरकारों द्वारा बनाए गए क़ानूनों के अनुसार किसानों की दशा में बहुत कुछ मुधार की आशा की जा सकती है। इन क़ानूनों के अनुसार किसानों को नीचे लिखे अनुसार सुविधाएँ दी गई हैं।

✓(१) अधिकांश किसानों को मौरूसी हक दिये गये हैं।

✓(२) किसानों को अपनी भूमि पर स्थायी मुधार करने का अधिकार दिया गया है।

✓(३) बेदखली आसानी से न हो मनेगी। यह भी केवल एक बात पर जब कि लगान कई सालों का बकाया हो जाय।

✓(४) लगान की दर केवल एक निश्चित काल के ही बाद बदल सकेगी।

(५) किसानों को फसल के मारे जाने पर उचित छूट मिलेगी।

(६) बकाया लगान पर सूद की दर भी निश्चित कर दी गई है।

(७) लगान भी अथ मनमाना न बढ़ाया जा सकेगा। परन्तु अभी भी अधिकतर किसानों से जो लगान लिया जाता है वह आर्थिक लगान से बहुत अधिक है।

(८) किसान खेतों पर अपने तथा अपने जानवरों के लिये मकान भी बना सकेंगे।

(९) यदि किसी कारण वह उस भूमि से वेदतल किया जाय तो उसे उसका भावना भी मिलेगा।

(१०) किसान खेतों पर पेट भी लगा सकेंगे।

मोहन—क्या आप इन सब सुविधाओं को देखते हुए यह कहेंगे कि लगान प्रथा एक आदर्श प्रथा है ?

विहारी—अभी आदर्श से तो बहुत दूर है। आदर्श के अनुसार तो किसी भी किसान से आर्थिक लगान से अधिक लेना अन्याय है। उपर्युक्त सब सुविधाओं के मिल जाने पर भी अधिकतर किसानों से अत्यधिक लगान वसूल होता रहेगा।

मोहन—जब जमींदार अत्यधिक लगान ही वसूल करते रहेंगे तो उनको अलग ही क्यों न कर दिया जाय ?

विहारी—हुम्दारा यह विचार ठीक नहीं है। इस विषय में मतभेद आवश्यक है। जमींदारों के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि उनका आस्तित्व देश के लिए लाभदायक हो सकता है। वे ग्राम सुधार में बहुत कुछ शहायता कर सकते हैं। किसान गरीब हैं। अतः जमींदार नये-नये प्रकार के हल, बीज, मशीनें, उत्तम खाद किसानों को आसानी से पहुँचा सकते हैं। वे किसानों के दिन प्रति दिन के होनेवाले झगड़ों का निपटारा कर सकते हैं। और इस प्रकार से किसानों को अदालतों में जाने से रोक सकते हैं। वे किसानों को उचित दर पर खया उधार देकर उनको महागनों के बगुल से छुड़ा सकते हैं।

मोहन—यह कार्य तो जमीदार तभी कर सकते हैं जब वे गाँव में रहें। पर गाँव में तो उनके कारिन्दा लोग रहते हैं और वे, जो मन में आता है, करते हैं।

बिहारी—यही तो मुख्य शिकायत है। और इसीलिए किसान तथा और भी अन्य जनता जमींदारों के विरोध में है। व कृषकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझते हैं। वे गाँव को केवल आमदनी का एक जरिया मात्र समझते हैं। लेकिन सभी जमींदार एक ने नहीं होते। कोई अच्छे हैं, कोई बुरे। असल में हमें देखना यह है कि देश का हित किस प्रकार हो सकता है। हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं है कि एकदम से सामाजिक विप्लव उपस्थित कर दिया जाय। और मेरा तो विश्वास है कि वह अगर हो भी जाय, तो इस समय उससे देश का कल्याण न होगा। हमको तो मध्यम भाग का अवलम्ब ग्रहण करना पड़ेगा। जमींदारी प्रथा नष्ट करके ही किसानों का हित सम्भव है, यह धारणा मूलतः न मौलिक है, न हमारी आज की स्थिति देखते हुए उपयोगी ही है। इसे हमने रूस से ग्रहण किया है। और मैं कहूँगा कि यह एक तरह से अन्धानुकरण है। भारत के कुछ भागों में जमींदारी प्रथा नहीं है जैसे—बम्बई प्रान्त, मद्रास और मध्य प्रान्त के कुछ भाग। इनमें भी किसानों की दशा कुछ अच्छी नहीं है। अतः मुख्य आवश्यकता तो गाँवों के पुनर्निर्माण की है। लगान की वृद्धि अगर उसमें बाधक है, तो देश की सरकार को—चाहे वह कोई हो—चाहिए कि वह उस पर अपना नियंत्रण रखे। दूसरी ओर हम जमींदारों से भी यह आशा कर सकते हैं कि वे ग्राम पंचायतों, और ग्राम सुधार के अन्य प्रयोगों में साधारण जनता का पूरा-पूरा साथ दें।

मोहन—और चाचा जी, बड़े भजे की बात राजाराम मामा ने उस दिन यह बताई कि अन्त में जब वे दोनों जमींदार वहाँ से चलने को हुए और वकील साहब से मैंने उनका परिचय पूछा, तो मालूम हुआ वे दोनों भाई भाई हैं और काप्रेसमैन हैं।

चौवनवाँ अध्याय

किसानों का सहायक ज़मींदार



“आज सोमवार है। किन्तु वह दिन मंगलवार का था। इस समय तो दोपहर है। किन्तु उस समय दिन नहीं था, रात थी और ग्यारह बज रहे थे। आजकल तो बुर्जिज के लक्षण कहीं कहीं देल पड़ते हैं, परन्तु उस समय ऐसी कोई बात न थी। वर्षा अच्छी हो गई थी और कृषकों को कम से कम वर्षा के सम्बन्ध में कोई शिकायत न थी।”

विहारी के इस कथन को मोहन बहुत ध्यान से सुने रहा था। उसे पता नहीं चल रहा था कि चाचा जी आश्रित कहने क्या जा रहे हैं। इसीलिए उसे थोड़ा विस्मय भी हो रहा था। उसके मन में आया कि इसी स्थल पर वह टोक दे और कहे कि आश्रित आप कहना क्या चाहते हैं। किन्तु मोहन को विहारी की बात के बीच मटोकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्योंकि इसके बाद ही वे बोल उठे—ऐसे ही समय ठाकुर ज्ञानसिंह का जन्म हुआ था।

मोहन ने पूछा—इन ठाकुर साहब में ऐसी क्या ग़ास बात थी, जो आप इस विचित्र भूमिका के साथ उनकी बात उठा रहे हैं ?

चाचा—दिन, समय, मास, तिथि तथा मुकाल आदि का भी कोई महत्व नहीं है। किन्तु यदि किसी विशिष्ट योग्यता अथवा गुण के साथ व्यक्ति का सम्बन्ध हो जाता है, तो उसके ससर्ग से जीवन और जगत की साधारण से साधारण बात का भी विशेष महत्व हो जाता है। ज्ञानसिंह ऐसे ही ज़मींदार थे। आश्चर्य के साथ मोहन ने कहा—ज़मींदार ?

और तत्काल ज़ोरों के साथ उसके चाचा ने कह दिया—हाँ, ज़मींदार । ज़मींदार शब्द से आज जिस जनशोषक, मदान्ध, अत्याचारी, दुष्ट, निर्दयी और न्याय-धर्म-हीन व्यक्ति की तसवीर सामने खड़ी हो जाती है, शानसिंह ऐसे नहीं थे । वे किसानों के सच्चे शुभचिन्तक और न्याय-परायण थे । उसके जीवन का उद्देश्य था—सादा जीवन और उच्च विचार ।

मोहन—हाँ हाँ, अच्छी याद आयी । गाँव के बड़े-बूढ़े लोगों के मुँह से मैंने भी एक-आध बार यह नाम सुना है । पर साथ ही मैंने उनकी एक शिकायत भी सुनी है । और वह यह कि रूरियायत वे किसी की न करते थे । वे शायद आनरेरी मैजिस्ट्रेट भी तो थे ।

चाचा—हाँ, वे वे आनरेरी मैजिस्ट्रेट । और तुमने जो शिकायत की बात कही, सो हम उसे शिकायत क्यों कहें, वह तो उनकी एक विशेषता थी । जो न्यायाधीश को कुरसी पर बैठता हो, उससे हमें यह आशा करनी भी न चाहिए । अपराधा पर रूरियायत करनेवाला आदमी कभी न्याय कर ही नहीं सकता । वह तो सचार्ड की तह तक पहुँचने की सदा चेष्टा करेगा, उसका तो एक मात्र लक्ष होगा दूध-का-दूध और पानी-का-पानी अलग अलग कर देना । और ऐसी दशा में अगर अपराधी दंड के भागी हो, और निरपराधी न्याय पाकर दंड से मुक्त हो, तो इससे अधिक उचित और हितकर बात भला हो ही क्या सकती है ?

मोहन—तब फिर उन्हें दयावान कैसे कहा जा सकता है ? न्यायधीश तो स्वभावतः बड़ा कठोर होता है । इसके सिवा उनके जीवन का यह पहलू तो एक विचारक का ठहरेगा । ज़मींदार उसे हम क्यों कहें ?

चाचा—यही तो उनकी महानता थी । न्याय के मामले में वे जैसे खरे थे; प्रजा-पालन में वैसे ही मुलायम और उर्व-प्रिय थे । आज तो ऐसे ज़मींदारों की कमी नहीं है, जो अधिशर के रीष में गरीबों तथा नीच जाति के किसानों की बात तक नहीं सुनते, उनसे भेंट तक नहीं करते । ज़मींदारी कारोबार की देख-रेख उनके मुद्द-गार तथा कारिन्दे लोग मनमाने ढंग से किया करते हैं । और ज़मींदार साहब को इसका कुछ भी पता नहीं रहता कि हमारे किसानों की वास्तविक स्थिति क्या है । वे यह भी नहीं जान पाते

कि कोई उन्हें सता तो नहीं रहा है, किसी के जोर बुल्म के शिकार तो वे नहीं हो रहे हैं।

मोहन—तो क्या पसल घराब होने पर वे अपने आसामियों का लगान माफ कर दिया करते थे ?

चाचा—हाँ, उनमें ऐसी ही उदारता थी। यद्यपि उनके जीवन का यह एक धार्मिक पहलू था। किन्तु इससे नैन इनकार कर सकता है कि अपने आसामियों की तकलीफ उनसे देखी नहीं जाती थी। इसी कारण कभी कभी तो सरकारी मालगुजारी अदा करने भर के लिए भी अपना वसूल न होता था। ऐसी स्थिति में विवश होकर उन्हें कर्ज तक लेना पड़ता था।

मोहन—तब तो उनकी सारी की सारी रियासत ही कर्ज मद्ध गयी होगी।

चाचा—हाँ, उनके जीवन काल में तो ऐसा नहीं हुआ, पर उनके स्वर्गवास के बाद रियासत कोट आफ वॉर के अधीन जरूर आ गयी थी। पर उसका मुख्य कारण रियासत पर कर्ज होना न था। बल्कि यह था कि उनसे उन्हे तब तक बचस्क नहीं हो पाये थे। धर्म का पल कभी बुरा नहीं होता मोहन। जो लोग दया धर्म में अपना कुल पैसा सो देते हैं, वे सदा तकलीफ ही उठाते हैं, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। शानसिंह इस महान् सत्य से परिचित थे। वे कहा करते थे कि आदमी मूलतः सच्चा और ईमानदारी प्राणी है। अगर मैं उसने साथ भलाई करूँगा, तो यह सम्भव नहीं है कि वह मेरे साथ छल करे और हमारी रकम घोट जाय। मुझे सो इस बात का पक्का विश्वास है कि किसान के पास अगर लगान अदा करने के लिए रुपया होगा, तो वह तक्राने की कभी परवा नहीं करेगा।

मोहन—अच्छा तो उनसे इस विश्वास का पल क्या होता था ?

चाचा—अक्सर ऐसे अवसर आते थे कि जब रुपये की अत्यधिक कमी के कारण सकटकाल उपस्थित होने की नौबत आ जाती थी, ठीक उसी समय कई कई आसामी लोग मानों मिलकर रुपया चुका जाते थे। बल्कि ठाकुर साहब को भी सदेह हो जाता था। वे सोचने लगते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको हमारी परिस्थिति का पता लग गया है और अपने को छकट में डाल कर लगान चुकाने आये हैं। पर ऐसे अवसरों पर भी

वे प्रायः यह जरूर कह लेते थे कि अगर ज्यादा तफ़लीक़ में हो, तो रुपये लौटा ले जाओ। कुछ दिनों बाद दे जाना। पर वे लोग उनकी बात सुन कर चकित हो जाते। कोई कोई तो ऐसे समय उनकी इस सहृदयता पर नितान्त द्रवित हो उठते और उनसे चरणों पर आँसू गिराने को तत्पर हो जाते थे।

मोहन—तो उनके जमाने में आसामियों के खेतों की वेदख़त्ती होने की नौबत भला कब को आती होगी।

चाचा—उनके सभी आसामी उनके जमाने में ही मौरूमीदार हो गये। इसका फल यह हुआ है कि अब तक उनकी सतानें ठाकुर साहन के कुटुम्बियों की निरन्तर कल्याण कामना किया करती हैं।

मोहन—किन्तु यह तो बहुत बड़े उच्च आदर्श की बात आप कर रहे हैं। सभी जमींदार तो ऐसी साधु प्रकृति के हो नहीं सकते।

चाचा—वह तुम ठीक कहते हो कि सभी जमींदार ऐसे सदाशय और उदार, साधु प्रकृति, और धर्म-परायण नहीं हो सकते, किन्तु जगत कल्याण के लिए हमें आदर्श तो ऐसा ही उच्च रखना चाहिये। किसी महात्मा का वचन है कि आदर्श बढ़ नहीं है, जो प्राप्त हो जाय। वह तो आगे बढ़ने और ऊँचे उठने के लिये एक कल्पित स्थिति होती है। इसलिए यह सोच लेना कि सभी ऐसे नहीं हो सकते, इसलिए हम भी न बनें, उचित नहीं है। आदर्श को प्राप्त करने की चेष्टा हमें अवश्य करनी चाहिए। इस सिलसिले में हमें ठाकुर साहन के जीवन की कुछ बातें याद आ रही हैं। एक बार कोई चरवाहा जानवर चराते-चराते ईख के पास से निकलने लगा। तीसरे पहर का समय था और तब तक उसके मुँह में तोले भर गुड की ढली भी नहीं गई थी। मूल के मारे वह नितान्त व्याकुल हो रहा था। अतएव दो एक ईख तोड़कर चूसने के लालच को वह नियंत्रित न कर सका। सयोग की बात, उसी समय उस खेत का किसान भी आ पहुँचा। उसने योही इस चरवाहे को ईख तोड़ते देखा, त्यों ही दौड़ कर उसका हाथ थाम लिया। चरवाहा तब तक एक ईख तोड़ चुका था, दूसरी ईख तोड़ने की तैयारी में उसके हाथ में भी। फिर क्या था,

उसी तरह ईस उसके हाथ में पकड़ाये हुए वह उसे थाने ले आया और उसे गिरफ्तार करवा दिया। बात-की-बात में यह बात गाँव भर में फैल गयी। लोग तरह-तरह की बातें करने लगे।

मोहन - सम्भव है, किसान के उस ईस के खेत की कुछ ईंग्रे पहले भी टूट गयी हों और उसने छेच लिया हो कि हमेशा यदी तोड़ता रहा है।

चाचा—उसने थाने में जा रिपोर्ट लिखवायी थी, वह तो सचमुच इसी आशय की थी। पर वास्तव में इसमें सत्याश कुछ भी नहीं था। चरवाहे ने पहली बार ही उस खेत से ईस तोड़ी थी।

मोहन—किन्तु किसान को विश्वास ऐसा ही रहा होगा।

चाचा—हो सकता है। और, चरवाहे को जमानत कर दी गयी और शाम को वह छोड़ दिया गया। उस जमाने में उस गाँव में मुकदमेशाही बहुत ही कम होती थी। छोटे-मोटे मामले आपस ही में निपटा लिये जाते थे। अपनी रिश्नाया में एफा रखना उनका पहला उद्देश्य था। और। ठाकुर साहब के सामने मामला पेश किया गया। दोनों ओर के पयान तथा गवाहियाँ आदि हो जाने के बाद ठाकुर साहब ने दोनों को एकात में बुलाकर बातें की। पहले उन्होंने चरवाहे से बात की। उससे कहा कि साय हाल साफ साफ कह दो। चरवाहे ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भूल के मारे मैं इतना व्याकुल हो गया कि मुझे इस बात का ख्याल ही न रहा कि मैं चोरी कर रहा हूँ। ठाकुर साहब उसकी इस बात को सुनकर उसे डाँटते हुए बोले—किन्तु यह ठीक नहीं है, भूल से मरते वक्त भी तुम्हें इसका ख्याल होना चाहिए था। अच्छा, बस, जाओ। अब उस किसान की बारी थी। उससे भी कहा गया कि जो कुछ बात हो, सच सच कह दो। पर उसने कुछ बढाकर बतला दिया। उसने कहा कि यही आदमी है, जो रोज हमारे उस खेत से ईस तोड़ता था। आज तो संयोग से मैंने उसे पकड़ पाया है।

ठाकुर साहब सुनकर कुछ सोचते रह गये, पर कुछ बोले नहीं। उन्होंने उससे भी यदी कह दिया—अच्छा, बस, जाओ।

दूसरे दिन पैसला मुना दिया गया कि चरवाहे पर ३) लुरमाना किया गया ।

थोड़े ही दिनों बाद ग्राम पकने के दिन आये । वेनी किसानों का खेत एक बाग के पास पड़ता था । और वह बाग सयोग से ठाकुर साहब का था । अक्सर ऐसा होता कि वेनी उधर से चला आ रहा है, सामने ही ग्राम टपक पड़ा और वेनी ने उठा लिया । एक दिन जब एक ग्राम वेनी उठा ही रहा था कि किसी ने पीछे से धाकर उसका हाथ ग्राम लिया । ज्योंही उसने सिर उठाया, त्योंही वह देखता क्या है कि ठाकुर साहब खड़े हैं, और पीछे घोडा अपनी पीठ पर पूँछ घुमा रहा है ।

अब तो खोरो के साथ गरजकर ठाकुर साहब ने कहा—आज दस साल से तुम्हीं मेरे बाग व सारे ग्राम उजाड़ते रहे हो । गोलो क्या तुम चोर नहीं हो ?

वेनी ने बहुत बहुत माफ़ी माँगी । ठाकुर साहब के पैरों पर उसने सिर रख दिया और कहा—हलुर मरा अपराध क्षमा करें । अब से कभी ऐसी गलती न करूँगा ।

अन्त में ठाकुर साहब ने कहा—जाओ लुरमाने की रकम उस बेचारे गरीब चरवाहे के यहाँ आजकल में पहुँचा देना । चिड़ियाँ जब खेत से दाना चुन जाती हैं, तब क्या करते हो ? ऐसे ही वह बेचारा चरवाहा है । ऐसी छोटी छोटी बातों पर अदालत की शरण नहीं ली जाती । फिर वह भी तुम्हारा ही आसरा रखता है ।

पता नहीं बात कहाँ तक सच है, पर लोग कहते तो यही हैं कि पहले जो लुरमाना उस चरवाहे पर उठाने किया था, उसके रुपये भी उठाने उसने यहाँ पहुँचा दिये थे ।

मोहन—यह सब जो कुछ भी आपने बतलाया, सब ठीक है । लेकिन आज की स्थिति देखते हुए कहना पड़ेगा कि ठाकुर शानसिंह ग्राम सुधार की आधुनिक समस्याओं के हल करने में यथेष्ट सहायक न थे ।

चाचा—ऐसी बात नहीं है मोहन । जिन सुधारों की ओर आज हम लोगों का ध्यान जा रहा है, उनको उसी समय उन्होंने व्यावहारिक रूप देने

की चेष्टा की थी। आधुनिक ढंग की खेती का आदर्श उपस्थित करने के लिए उन्होंने पचास एकड़ भूमि में अपना एक कृषि-पाम खोल रक्खा था। बीज के लिए उत्तम थैली का अनाज वे यथेष्ट परिमाण में अपने यहाँ रक्खा करते थे। कोई भी किसान आवश्यकता पड़ने पर, बीज बोने के लिए, उनके यहाँ से अनाज ले जा सकता था, चाहे उस समय उसका धान उसके पास न भी हो। इतना ही नहीं कमजोर अगर किसी किसान के पास एक ही बैल या भैंसा होता, तो उसका जोड़ खरीद देने के लिए उनका किसान सहायक कोष हमेशा खुला रहता था। अपने सारे गाँवों में उन्होंने पचायतों तथा सहयोग समितियाँ कायम कर दी थीं। किसान लोगों के यहाँ जब कोई यज्ञोर्वीत अथवा विवाहादि सरकार होता, तो उनकी गोशाला से दूध दही की पूरी सहायता उन्हें प्राप्त होती थी।

इस तरह ठाकुर सादर दुःख में मुजब में अपनी प्रजा के पूरे सहायक रहते थे। सभी लोग उन्हें अपना राजा समझते थे और पिता की तरह उन पर भक्ति रखते थे। सोचता हूँ क्या कभी कोई ऐसा दिन होगा, जब हमारे देश के अन्य जमींदार भी ऐसे ही प्रजापालक, ऐसे ही सहृदय, उदार और धर्मात्मा होंगे !

भावमद मोहन बोल उठा — मुझे तो आशा है, जरूर होंगे ।



पचपनवाँ अध्याय

सूद का सिद्धान्त



‘गवूजी, आज हमको रुपए की सख्त जरूरत है। चाहे जो कीजिये, पर मुझे इतने रुपये दे जरूर दीजिये।’ रामदास ने विहारी से उचित विनम्रता से कहा।

विहारी ने जवाब दिया—‘मैं कोई महाजन हूँ, जो मेरे पास कर्ज देने के लिए रुपये सदा देने रहते हों। पहली तारीख को ही अत्र ता तुमका रुपया मिलेगा। आज बीस तारीख को मैं रुपया जहाँ से दे सकता हूँ। मरी समझ म नहीं आता कि बिना महीना पूरा हुए तुम रुपया कैसे माँगने लगे। फिर तुम मेरे निजी नौकर भी नहीं हो। दफ्तर में ही तुमको रुपया लेना चाहिए।’

रामदास बोला—‘गवूजी, मेरा इज्जत चली जायगी, अगर आज रुपये न मिले। पहली तारीख को अत्र तनख्वाह मिले, इज्जाची से कहकर आप ही ले लें, मैं सिर्फ दस्तखत कर दूँगा। गवूजी आप हमारे माई बाप हैं, और ज्यादा क्या कहें ?’

विहारी गवू और रामदास म ये बातें ही रही थीं कि उसी समय मोहन वहाँ आ पहुँचा। उसने पूछा—‘ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी रामदास, जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो ?’

रामदास ने जवाब दिया—‘लडकी के •याह के वक्त गये साल महाजन से पचास रुपये कर्ज लिये थे, थोड़ा थोड़ा करके •याज का पचास रुपया तो चुका दिया, अब मूल भर रह गया है। राजाना दिन में दो चार ठकाना

आता है। घर पर बैठना मुश्किल है। बाबूजी, मैं अगर घर में खड़े-खड़े रहूँ, तो कोई बात नहीं, कोई शिकायत करे। पर घर के बाबू-बच्चों को महाजन का तगादगीर जो उल्टी सीधी मुना जाता है, यह सहन नहीं होता। आज सुबह वह मेरे लडके से कह गया था कि रामदास को घर में खड़ा रखना है, और कहता है—घर में नहीं है। जब दरवाजे पर कूका आयेगी, तब आप ही आटा दान का भाव मालूम हो जायगा।

रामदास की इतनी बात का सुनकर बिहारी बाबू ने कह दिया—अच्छा, दफ्तर में शिकायत देना। मैं सिफारिश कर दूँगा। पर देखो, आइन्दा से और चाहे जिस तरह काम निकालना, पर कभी उससे कर्जा मत लेना।

तब रामदास 'बहुत अच्छा सरकार, आपने मुझे जिला दिया। भगवान आपको बरकत दे' कहकर, उनके पैर छूकर, चला गया। किन्तु उसी क्षण मोहन ने पछा—

चाचाजी, क्या ५०) रुपए पर साल भर का ब्याज ५०) रूपया भी हो सकता है ?

बिहारी—क्यों, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है ? हमारे देश में तो इससे भी अधिक ब्याज लिया जाता है। बनियाँ महाजन इसी प्रकार सूद लेकर बेचारे गरीब किसानों तथा मजदूरों को सताते हैं। एक एक के दो दो तीन-तीन वसूल करते हैं।

मोहन—क्या ऐसा आर्थिक दृष्टि से ठीक कहा जा सकता है ?

बिहारी—ठीक तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु जब किसी का इस ओर ध्यान ही नहीं जाता, तो क्या क्या जाय ?

मोहन—ध्यान क्यों नहीं जाता ? कइ प्रान्तों में इस आशय पर कई कानून जो बने हैं, क्या उनसे कुछ भी सुधार नहीं हो सकता ?

बिहारी—केवल कानून बनाने मात्र से न कभी सामाजिक सुधार हुआ है और न हो सकता है। सूद की समस्या एक सामाजिक समस्या है। जब तक लोगों के हृदय शुद्ध न होंगे, कानून कुछ नहीं कर सकते। जब एक व्यक्ति को कोई दूसरा आदमी १००) रूपया सैकड़ा या इससे भी अधिक सूद की दर

देता है तो वह क्यों न लेना स्वीकार करेगा। महाजन स्वतन्त्रता पूर्वक अधिक से अधिक सूद की दर माँगते हैं। वेचारे गरीब जिनको रुपये की आवश्यकता होती है विवश होकर उसी दर पर रुपया लेना स्वीकार कर लेते हैं। अब अगर वह उस दर पर रुपया न ले तो क्या करे। इसके अतिरिक्त महाजनों तथा बनियों को भी तो रुपये के दूज जाने का भय बना रहता है। उन्हें क्या पता कि अमुक किसान या कोई अन्य व्यक्ति रुपया लेकर भाग जायगा और रुपया फिर न वसूल हो सकेगा।

मोहन—लेकिन फिर भी सूद की दर तो किन्हीं निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार होनी चाहिए।

विहारी—अच्छा तो मुनो। पूँजी का उपयोग में लाने के उद्देश्य में उसके मालिक को जो कुछ दर्जाना दिया जाता है, वह अर्थशास्त्र में सूद कहलाता है। सूद पर रुपया देना कुछ लोग धार्मिक दृष्टि से अच्छा न समझेंगे, परन्तु जमीन में गाड़कर रक्ता जाय अथवा खेतों आदि में मर्च निया जाय इसकी अपेक्षा तीव्र कहीं अच्छा है कि धन व्याज पर उधार दे दिया जाय। क्योंकि जमीन में गाड़ने से अथवा खेतों पर मर्च करने से वह व्यर्थ पड़ा रहता है। उससे न तो धनोत्पादन ही हो सकता है न भावी आवश्यकताओं की पूर्ति। रुपया उधार देने पर धन देनेवाले आदमी को अपनी आवश्यकताओं की तत्कालीन पूर्ति से मलनेवाले सतोर का त्याग करना पड़ता है। और इसी के फलस्वरूप उस पूँजी का सूद मिलता है। सूद पर रुपया देनेवाला खेतों की धन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उससे उसका धन बढ़ता है। उधार रुपया उधार लेनेवाला भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

मोहन—तब तो कहा जा सकता है कि सूद की दर समर्थ लोगों को धन संचय करके असमर्थ लोगों को उधार देने के लिए प्रोत्साहित करती है।

विहारी—क्यों नहीं? अर्थशास्त्रियों ने सूद के दिये जाने के कारण बतलाने में कई सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। जैसे उत्पादकता का सिद्धान्त। इसके अनुसार पूँजी की उत्पादकता के लिए ही सूद

दिया जाता है । परन्तु इस सिद्धान्त में कमी यह है कि इसमें केवल पूँजी की माँग की दृष्टि से ही विचार किया गया है । पूँजी की पूर्ति की ओर इसमें विलकुल ध्यान नहीं दिया गया । साथ ही ऐसे लोगों की माँग पर भी विचार नहीं किया गया, जो उपभोग के लिये रुपया लेते हैं ।

मोहन—अच्छा, हाँ और ?

विहारी—दूसरा सिद्धान्त है समय का । इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य पूँजी के बचाने में अपने उपभोगों की जो उपेक्षा कर देता है, यह सूद उसी का पुरस्कार है । पर पहले सिद्धान्त के समान इस सिद्धान्त में भी एक कमी है । यह सिद्धान्त केवल पूर्ति की ओर से विचार करता है । पूँजी की माँग की ओर इसमें विलकुल ध्यान नहीं दिया गया है । श्वेत यह भी पहले सिद्धान्त की तरह अर्थशास्त्रिक ही कहा जा सकता है । समाजवादियों ने 'उपभोग की उपेक्षा' के प्रयोग की कड़ी आलोचना की है । इसीलिए अब इस शब्द का उपयोग नहीं होता । इसके स्थान पर अब उपभोग से रुके रहने का व्यवहार होता है । एक तीसरा सिद्धान्त है—माँग और पूर्ति का । इस सिद्धान्त में पूँजी की माँग तथा पूर्ति दोनों ओर से विचार किया गया है । किसी कारखाने का व्यवस्थापक तभी पूँजी माँगेगा जब उसकी अन्तिम इकाइयों की सीमान्त उत्पादकता उत्पत्ति के अन्य साधनों की सीमान्त उत्पादकता से कम न हो । यदि कम होगी, तो कम माँगेगा । यदि अधिक होगी तो अधिक माँगेगा । पूँजी की पूर्ति करनेवाले उसका सच्य करते समय सूद की दर पर अवश्य विचार करते हैं । दर जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक वे साधारणतः बचाने का प्रयत्न करते हैं । इस माँग और पूर्ति के साध्य का निर्धारण सूद की दर से होता है । यदि सूद की दर अधिक होती है तो लोग अधिक बचाते हैं और माँग कम होती है । यदि सूद की दर कम होती है तो लोग कम बचाते हैं और पूँजी की माँग अधिक होती है ।

मोहन—पर सूद की दर कैसे निश्चित होती है ? उसका एक होना तो अव्यन्त वठिन मालूम होता है ।

विहारी—अर्थशास्त्र की दृष्टि से सूद के दो भेद हैं। १—कुल सूद तथा २—वास्तविक सूद। कुल सूद में असली सूद के अतिरिक्त निम्नलिखित बातें और सम्मिलित रहती हैं।

✓ (१) पूँजी के चोखिम उठाने का प्रतिफल।

✓ (२) भ्रूण की व्यवस्था करने का सूच्य।

✓ (३) पूँजीपति की विशेष सुविधाओं का प्रतिफल।

वास्तविक सूद की दर ससार भर में प्रायः एक ही रहती है। ऊपर जो सिद्धांत बतलाये गये हैं वे वास्तविक सूद की दर के सम्बन्ध में हैं। कुल सूद को व्यावहारिक भाषा में सूद कहते हैं। इसकी दर उद्योग धर्मों के भेद के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है। जितना ही अधिक जोखिम और अमुविधा असली पूँजी और सूद के पुनः प्राप्त होने में होगी, उतनी ही अधिक सूद की दर होगी। इसी कारण एक समय से दूसरे समय में और एक स्थान से दूसरे स्थान में सूद की दर में प्रायः अन्तर पाया जाता है। एक ही समय में दो स्थानों पर सूद की दरों में अन्तर होने का भी यही कारण है।

मोहन—तो क्या वास्तविक सूद की दर पर पूँजी की उत्पादकता का भी प्रभाव पड़ता है ?

विहारी—अवश्य। यदि पूँजी की माँग उपभोग के लिए नहीं होती तो उसकी दर का निश्चय उसकी उत्पादकता पर निर्भर रहता है। जितनी ही अधिक उसकी उत्पादकता होगी उतनी ही अधिक उसकी माँग और सूद की दर बढ़ेगी। विपरीत होने से विपरीत परिणाम होगा। ससार में सबसे अधिक पूँजी अमेरिका के पास है। इसी से वहाँ सूद की दर भी कम है। अमेरिका की सरकार को आवश्यकता पड़ने पर एक प्रतिशत से भी कम दर पर इच्छित पारभाण्य रूपमा ऋण मिल जाता है।

मोहन—लोग इंग्लैंड को भी काफी धनवान मानते हैं।

विहारी—इंग्लैंड अमेरिका सदृश धनवान न होते हुए भी भारत की अपेक्षा बहुत धनवान देश है। वहाँ भी सूद की दर बहुत कम है। लन्दन की तो ससार की आर्थिक राजधानी कहा गया है। भारतवर्ष में पूँजी कम होने के कारण ही असली सूद की दर अधिक है। एक या दो पैसा प्रति रुपया

प्रति मास सूद लेना तो साधारण सी बात है। लखनऊ के रस्तोगी महाजन दस रुपया उधार देकर साल भर तक एक रुपया प्रतिमास लेते रहते हैं। जो महाजन चक्रवृद्धि व्याज लेते हैं उनका मूलधन तो चार पाँच साल में ही दूना हो जाता है।

मोहन—क्या ऐसी प्रथा भारत में प्राचीन काल में न थी ?

विहारी—क्यों नहीं, अवश्य रही होगी। तभी तो शास्त्रकारों ने दाम-दुपट का नियम बना रक्ता था। इसके अनुसार महाजन अधिक से अधिक मूलधन के ही बराबर सूद ले सकता था।

इसी प्रकार सूद की दर पर जोखिम का भी प्रभाव पड़ता है। यदि कर्ज़ लेनेवाला किसी की ज़मानत दे सकता है या स्वयं ज़ेनर, मकान या ज़मीन रेंटन रख सकता है, तो उसे कम सूद पर रुपया मिल सकता है। क्योंकि मूलधन न मिलने पर इस प्रकार रखी हुई वस्तु को बेचकर रुपया वसूल किया जा सकता है।

तीसरा कारण, जिसका सूद की दर पर प्रभाव पड़ता है, पूँजी की गतिशीलता है। पूँजी गतिशील होती है। यदि किसी स्थान पर शान्ति और व्यवस्था होती है तो उसे जिस स्थान में विशेष लाभ की आशा होती है वह उस ओर ही गतिशील होता है। इंगलैंडवालों की पूँजी प्रायः सभार के सब देशों में लगी हुई है। पूँजी को स्थान-परिवर्तन के लिए भी सुविधाएँ रहती हैं। मनीआर्डर, पोस्टल आर्डर, चेक, हुएडी, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक आदि के कारण पूँजी की गतिशीलता में विशेष वृद्धि आ गई है। परन्तु ऐसी बात अचल-पूँजी के विषय में नहीं कही जा सकती। रेल, नहर, बड़े-बड़े कारखानों का स्थान परिवर्तन साधारण कार्य नहीं है। यदि ऐसा किया भी जाय तो उसमें विशेष ज़ानि की सम्भावना है।

यह बार्तालाप यही समाप्त होगया।

विहारी ने दूसरे दिन रामदास को दफ्तर से रुपया दिला दिया था। तो भी सायंकाल वह पुनः आ पहुँचा। उसे देखते ही मोहन ने पूजा—कहो रामदास, तुम्हारी परेशानी दूर हुई या नहीं ?

रामदास—हाँ सरकार, बाबू जी की कृपा से दूर हो गयी । महानन को तो विश्वास नहीं होता था । रुपया पाकर वह बिल्कुल पानी हो गया । बोला—मेरा मतलब तुमको तंग करना कभी नहीं हो सकता । तगादगीर लोगो की बातों का तुमको कुछ खयाल नहीं करना चाहिये । ज़रूरत पड़ने पर तुम फिर रुपया ले जा सकते हो । किया क्या जाय, अगर सख्ती न करूँ, तो काम ही न चले । इसके बाद उसने पान खिलाकर मुझे विदा किया । यही समाचार देने के लिये मैं आपके पास आया था ।



छप्पनवाँ अध्याय

जन-साधारण का ऋण



“चाचा, बल एक नया अनुभव मुझे हुआ। मेरी कला में एक छान रामसिंह नाम का पदता है। कल यह बहुत खुशी था। गुरिकल से उसने अपने दुःख की बात मुझमें कही। बात यह हुई कि वह निश्चित समय पर स्कूल की फीस अदा नहीं कर पाया था। इस कारण उस पर शुर्नाना हो गया था। अन्त में उसे माँ का एक ज़ेवर लाकर शराफ के यहाँ गिरवी रखना पड़ा था। उसने मुझमें बतलाया कि जब मैं वह ज़ेवर लेकर चला आया, तो वे बड़ी देर तक रोती रहीं, यह बात उसे बाद में अपनी बहिन से मालूम हुई।”

मोहन जब अपनी बात कह चुका, तो बिहारी ने पूछा—पर इस सम्बन्ध में तुम्हें नया अनुभव क्या हुआ ?

मोहन ने कहा—यही कि उसकी माँ का वही रूपया सेविंग बैंक में जमा रहता, तो पीत भर के रुपये उससे निकालते समय उन्हें इतना दुःख कदापि न होता। कितनी बड़ी नादानी है कि ज़ेवर के रूप में जिस संपत्ति का निरन्तर क्षय हो रहा है, उसका उचित उपयोग करते समय इन लोगों को दुःख होता है। जो धन उत्पादन में न लगाकर निरन्तर क्षय होता रहे, उसकी ओर लोगों की यह आसक्ति कैसी भ्रमालयक और कैसी निम्न है !

बिहारी—भारतवर्ष में ऐसी बहुत सी सलूण्जी भी है, जिसका कोई उपयोग उत्पत्ति के लिए नहीं होता है। लोग अपना धन गाड़ देते हैं जिससे वह च्यों का त्यों बना रहता है, न घटता है न बढ़ता है—या उसके

आभूषण आदि बना लेते हैं। इस प्रकार ने आभूषणों का समूह प्राचीन काल में मन्दिरों में बहुत होता था। कहा जाता है कि सोमनाथ के मन्दिर में खम्भे तक शुद्ध स्वर्ण के बने हुए थे। मूर्तियों में बड़े क्रीमती हीरे मोती आदि जवाहिरात लगे थे। इस कारण विदेशी लोग विशेष रूप से इस देश की ओर आकृष्ट हुए। महमूद गजनवी ने सत्रह बार इस देश पर चढ़ाई की। इन चढ़ाईयों में अधिकांश लोगों का ध्येय केवल प्रसिद्ध मन्दिरों का लूटना था। इस देश में बहुत कम लोग स्पष्टरूप से इन बातों को समझते हैं कि यूरोपियों के आने का मुख्य कारण यहाँ का सचित स्वर्ण ही था। वे लोग इस देश का पता लगाने के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं के खोजने को ज़ात मेजा करते थे। अग्रजों का प्रभुत्व इस देश पर स्थापित हो जाने के पश्चात् नैपोलियन ने भी अग्रजों से इसे जीत लेने की चेष्टा की थी।

मोहन—मगर चाचाजी आजकल तो बेचारे कृषकों की बहुत बुरी दशा है।

बिहारी—कृषक ही नहीं, धरन् कम आय वाले सभी व्यक्ति जैसे मजदूर तथा स्वतंत्रतापूर्वक जीविकोपार्जन करनेवाले छोटे छोटे कारीगर, श्रमिक के भार से दबे हुए हैं। किसानों की इस प्रकार अत्यधिक श्रमप्रसक्तता के मुख्य कारण है वृषण योग्य भूमि का छोटे छोटे खेतों में बँटा हुआ होना। वे छोटे-छोटे खेत एक स्थान पर न होकर सारे गाँव में छितराये रहते हैं। इस एक कारण से खेती करने के लागत खर्च में वृद्धि हो जाती है और कृषक का लाभ कम हो जाता है। वह अपनी भूमि में स्थायी सुधार करके इसकी उत्पादकता भी नहीं बढ़ा पाता है। कर्ज के अत्यधिक भार से लद जाने से किसानों की उसके चुका सवने की शैक्ष्यता भी कम होती जा रही है। इसका प्रभाव उनही साल पर बड़ा खराब पड़ रहा है। महाजन अब दस रुपये का कर्ज देते समय १५) का कागज पहले ही लिया लेते हैं। जिससे समुचित अर्थ के हो जाने पर भी रुपया चुकाना उसके लिए और भी कठिन हो जाता है।

मोहन—कृषि-सुधार के लिए तो सरकार को रुपया उधार देना चाहिये।

विहारी—सरकार ने पचास वर्ष पहले से ही तक़ानो क़ानून बनाया था लेकिन छोटे छोटे सरकारी नौकरो के बीच म पहले क कारण धूम अधिक ली जाती है। इससे इस क़ानून का लाभ कृषक नहीं उठा पाते हैं। और जन कृषकों को बुरी दशा हो जाता है, तो वह उरभाग क लिए भा रूपया उधार लेने लग जाते हैं। यह ऋण अनुत्पादन काय्य क निम्ने हाता है। परन्तु किसान कर्ज लेने के लिए विवश हा जाता है।

इसके अतिरिक्त किसान लोग विवाह आदि सरकारों क अचर पर इतना अधिक अपव्यय करते हैं जो उनका हासयन से कहीं अधिक होता है।

मोहन—तो इसमें बेचारे कृषक का क्या दोष है ? ये रीतियाँ तो समाज की ही बनाई हुई हैं। बहुधा देखा जाता है कि अगर लाग इन सामाजिक रीतियों का पालन नहीं करते, तो उनको दंड तक दिया जाता है।

विहारी—परन्तु फिर भी हम विवश होकर कहना पडेगा कि लोग ऐसे अचरों पर अत्यधिक इत्तर्च करते हैं और इसलिये उन्हें अत्याधिक सूद भी देना पडता है। ऐसी घटनाएँ व्यक्तिगत होती हैं न कि सामूहिक, और उसी रूप में वह स्वीकृत की जा सकती हैं।

मोहन—किसानों को महाजनो की चगुल से बचने का क्या कांड तरीका है ?

विहारी—तरीका अवश्य है। प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक खुल गये हैं जो सूद की साधारण दर पर सहकारा समाजियों को रुपये उधार देते हैं। यदि प्रत्येक ग्राम में और नगर क प्रत्येक मुहल्ले में सहकारा साख समितियाँ स्थापित हो जायँ तो जन-साधारण को—विशेषकर गरीब लोगों को—बहुत लाभ हो।

मोहन—परन्तु कृषक गण क्या इन हद तक कभा ऋण ग्रस्त नये ?

विहारी—हाँ, इतना अधिक ऋण भार उन पर उनासवी शताब्दी में न था। धरेलू उद्योग धन्धों के नष्ट हो जाने तथा जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि होने क कारण इपियाग्व भूमि-सरा काम-में ले-आयी गयी है और उसके लिए शारस्त्रिक स्वर्दा म भी अत्यधिक वृद्ध हो गयी है।

किसानों की एक बहुत बड़ी सख्या अपने खेतों से लागत-प्रार्थ भी नहीं निकाल पाती है। ऐसी अवस्था में एक बड़ी सख्या में उनका महाजन के चंगुल में फँस जाना अनिवार्य हो जाता है। फिर मालगुजारी की नीति भी इस सिद्धान्त पर स्थिर की गयी है कि वह भूमि का लगान है न कि उससे हुई आमदनी पर लगनेवाला कर। इस सिद्धान्त के अनुसार ऐसे किसानों से भी लगान वसूल कर लिया जाता है, जिन्हें भूमि से लागत प्रार्थ भी नहीं मिलता है। यदि यह लगान भूमि की उपज पर कर मान लिया जाय और उसी के सिद्धान्तों के अनुसार वसूल किया जाय, तो उसका भार इतना अधिक न पड़े। इसी के साथ-साथ यदि पुरानी पचायतों फिर से पुनर्जीवित करने का उद्योग किया जाय तो अदालतों में जाकर मुकदमा लड़ने में होनेवाले बहुत से अपव्यय से कुछ बच सकते हैं।

मोहन—परन्तु सबसे अधिक घातक प्रथा है अधिक सूद लेने की।

विहारी—हमारे देश में काबुली लोगों का व्यवहार उन लोगों के साथ जो बहुत ही गरीब हैं उदा असम्य और निर्दय होता है। प्रायः देखा जाता है कि वे केवल एक ही तरह से व्यवहार करते हैं और वह है डड्डे का। इन लोगों से एक बार थोड़ा सा भी कर्ज ले लेना मानों सदा के लिए अपने को इनका कर्जदार बना लेना है। बहुधा लोग इनसे अपना पिड छुड़ाना चाहते हैं, किन्तु फिर भी वे लोग सूद का हिसाब ऐसा रखते हैं कि उनका पिड छूटने ही नहीं पाता है। इस प्रकार की स्थिति अवश्य ही लज्जा जनक है। लोगों को इसका सामूहिक रूप से विरोध करना चाहिए।

मोहन—अब क्या जाने कब तक रामसिंह को माँ का वह चेर शराब के यहाँ से छुड़ाने का अवसर मिले !

विहारी—कभी नहीं मिलेगा। साधारण जनता की ऐसी न जाने कितनी सम्पत्ति महाजनो के पेट में सदा के लिए समा गई और मालूम नहीं कब तक समाती जायगी ! वास्तविक सूद के सिद्धान्तों का ज्ञान न होने के कारण वे बेचारे अबोध व्यक्ति सदा यही सोचते रहते हैं कि अब यह चीज़ महाजन

के यहाँ से छुड़ाते हैं—अब छुड़ाते हैं । पर आय की कमी के कारण कभी छुड़ा नहीं पाते । इससे तो कहीं अच्छा यह है कि जेवर के मूल्य की कुल रकम इवने से पूर्व वे महाजन के पास जाकर कह दें कि आप उसे बेच डालें और अपना रुपया लेकर शेष हमें दे दें । इस तरह सूद के रूप में—सर्वस्व-शोषण से तो वे बच-ही सकते हैं ।

उस दिन की ये बातें यहाँ उभास हो गयीं । कई महीने के बाद एक दिन रामसिंह ने रोते हुए मोहन से कहा—आर्थिक स्थिति की हीनता के कारण अत्यधिक चिन्ता रहने से माँ को ज्वर रहने लगा है । उसकी चिकित्सा के लिए जब रुपये का कुछ प्रबन्ध न हो सका, तो मैं उसी महाजन के पास गया था, जिसके पास जेवर रख आया था । तुम्हारी सम्मति के अनुसार मैंने सोचा कि जो भी मिले, उसी से काम निकाला जाय । पर महाजन ने सूद का ऐसा हिसाब पैलाया कि अन्त में कह दिया—अब तो तुम्हारा कुछ निकलता नहीं है !



सत्तावनवाँ अध्याय

दुष्ट महाजन

रात अधिक नहीं गई है। अभी केवल ९ बजे होंगे। छत पर पलँग डाले मोहन और उसके चाचा लेटे लेटे बातें कर रहे हैं। आज आकाश स्वच्छ है। तारागण खिने हुए हैं और पवन मन्द मन्द बह रहा है। मोहन अभी-अभी कह रहा था—मुहल्ले का यह गौरीशंकर बनियाँ तो बड़ा दुष्ट है। एक दिन मैं चुन्चाम उसकी दुकान से चला आ रहा था कि देखता क्या हूँ, वह एक गरीब लड़के के हाथ की ५ टोरी पेंककर कह रहा है—जा, जा, चला है एक पैसे का घी लेने। मिट्टी का तेल क्यों नहीं ले लेता? सच जानिये, उसकी इस बात को सुनकर मेरे बदन में जैसे आग लग गयी।

बिहारी उठ बैठे। बोले—गौरी तो फिर भी कुछ भला है। परिचित लोगों के साथ उसका व्यवहार बुरा नहीं रहता। पर मैंने तो एक ऐसे महाजन को देखा है, जो आदमी नहीं था, पशु था। मनुष्यता तो उसको छू भी नहीं गयी थी।

आश्चर्य के साथ मोहन ने कहा—थच्छा !

बिहारी—हाँ, उधर बहादुरगंज में रहता था। नाम था उसका लोकनाथ, एकदम काला उसका चर्च था। लम्बा कूद था। आँखें छोटी छोटी थीं। अभी गत वर्ष तो उसका देहान्त ही हुआ है। लेन देन, किरतबन्दी और आभूषण गिरवी रखने का व्यवसाय करता था।

मोहन—आप को भी क्या कभी उससे व्यवहार करने का अवसर मिला था ?

विहारी—हाँ, ऐसा एक अवसर आ गया था । उस समय नौकरी लगी नहीं थी और घर से रुपया मँगाना मैं चाहता नहीं था । रुपये चुक गये थे । और तो सभी आवश्यकताएँ टाली जा सकती हैं, पर खाना तो रुक नहीं सकता । अतएव मैं अपने सोने के बटन बेच डालने पर त्तल गया । किन्तु जब तक उसकी दूकान तक पहुँचूँ, तब तक मेरा विचार बदल गया । मैंने सोचा—पिताजी की उनवाई हुई चीज है, बेचना ठीक नहीं है । इसलिए गिरवी रख दो । बाद में छुड़ा लूँगा । अतः यही प्रस्ताव मेने लोरुनाथ से किया ।

उस समय तक लोकनाथ का नाम-ही-नाम मैंने सुना था । जानता न था कि यही लोकनाथ है । पूछते पूछते दूकान तक पहुँचा था । ज्योही मैं दूकान पर चढ़कर अन्दर जाने लगा, ज्योही इधर उधर बैठे दो तगडे दरवानों ने पूछा—किससे मिलना है ?

मैंने उत्तर दिया—लोरुनाथ महाजन की दूकान यही तो है ?

उत्तर मिला—हाँ, यही है । लेकिन काम क्या है ?

बटन दिखलाते हुए मैंने कहा—इसे रखने आया हूँ ।

तब मुझे इजाजत मिली—अन्दर चले जाओ ।

मैं अन्दर चला गया । दूकान का बाहरी द्विस्ता बिल्कुल खाली था । बैठक भीतर थी । लेकिन इतनी भीतर नहीं कि खोल न सुनाई पडे । यह इन्तनाम शायद इसलिए रखवा गया था कि अगर कोई श्रादमी धोखा देकर जल्दी से चलता बने, तो इतना मौका फिर भी रहे कि भीतर से आवाज पाकर बाहर पकड लिया जाय । ऐसा न हो कि भागनेवाला मूढ से सडक पर आकर भीड में मिल जाय ।

पास पहुँचा, तो मैंने देखा, बाजार गर्म है । कई श्रादमी बैठे हुए हैं । सब के चेहरों पर उदासीनता की छाप है । कोई जेवर लेकर जब आया था, सोचता था—चालिध रुपये मिल जायेंगे, तो काम निकल जायगा । किन्तु उसे मिले हैं केवल पचीस रुपये । हृदय में हाहाकार मचा हुआ है, पैर

पैसे पड रहे हैं, मानो उनमें आगे बढ़ने का दम ही न रहा हो। कोई रुपये लेकर स्त्री का जेवर छुड़ाने आया है, आज ही उसे अपनी रिश्तेदारी में जाना है। बिना गये गति नहीं है। किन्तु रुपये लाने पर भी उसे उत्तर यही मिल रहा है कि रुपये आज जमा होंगे, लेकिन जेवर कल मिलेगा। कारण पूछने पर उत्तर मिलता है—हमारे यहाँ का यही दस्तूर है। किसी पर डाँट पड रही है।—रुपये नहीं दे सकते, तो खाना क्यों खाते हो, भीख क्यों नहीं माँगते ? किसी के रुपये दूर फेंक दिये गये हैं। कहा गया है कि बीस रुपये और तीन आने से एक पाई कम नहीं ले सकते। सूद में रियायत हमारे यहाँ नहीं होती। कोई लूट का माल थोड़े ही है, पैसा लगाते हैं, तब चार पैसे देख पड़ते हैं। किसी की गिरफ्तारी निकलवाने के लिए सुनीम को लूच देकर अदा लत भेगा जा रहा है। सेठ जी कह रहे हैं—बहना, बारट आज ही निकल जाय, नहीं तो अरामी के भाग जाने की सम्भावना पायी जाती है। हलफनामा देने की जरूरत हो, तो दे देना।

झैर, मैं ज्योशी पहुँचा, तो मुझसे कहा गया, उधर बैठो। लाचार मैं भी उसी जगह बैठा दिया गया, जहाँ बध करने के लिए मेरे ही जैसे और भी कई उकरे उपस्थित थे।

मोहन बोला—जल्दी बतला दीजिये चाचा जी। अब क्यादा सुनने की सहन शक्ति नहीं रह गयी है।

बिहारी—कोई आध घण्टे बाद जब मेरा नम्बर आया तो मुझको लोकनाथ महाजन ने पहले सिर से पैर तक देखा। फिर मुँह टेढा करके मेरे प्रति तुच्छता का सा भाव प्रदर्शित करते हुए वह धोला—आप तो अँगरेजी पढे लिखे बाबू जान पड़ते हैं। जान पड़ता है, नौकरी छूट गयी है। अब, क्या बतलाऊँ मोहन, मेरी इच्छा हुई कि भ्रष्ट से भिन्नकर कह दूँ—जरा ठीक से बात करो सेठजी, मैं कोई होऊँ, तुमसे भीख माँगने नहीं आया हूँ। किन्तु फिर यह सोचकर चुप रह गया कि बेकार बात बढाने-से क्या फायदा। रुपया पास न रहने पर हीनता का भाव भी अपने ऊपर सवार हो ही जाता है। अतएव मैंने इस

तरह की कोई बात अपना भाव बदलकर नहीं की। वरन् मैंने और भी दीनता से कह दिया—हाँ, यही बात है।

तब तो सिर हिलाकर वह अपनी तजरयेकारी की डींग हाँकते हुए कहने लगा—वही तो, वही तो, ऐसे लोगों को मैं सूरत देखकर ही पहचान जाता हूँ। कितने रुपये चाहिये? मैंने कहा—एक तोले की है। आजकल तीस का भाव है। आप मुझे पचास रुपये दे दीजिये।

पर उसी समय उसने बटनों काटे पर रखकर तौलते हुए कहा—ये देखो, तोले भर कहाँ है। मुश्किल से पन्द्रह आने भर निकलेगी। सोना भी असली नहीं है। इसके विषय यह तो बतलाइये कि इसको छुड़ाइएगा कब तक?

मैंने कहा—यस आगले महीने।

वह बोला—तो बीस रुपये आपको इस शर्त पर मिल सकते हैं कि अगर दो महीने के भीतर आपने इसे न छुड़ाया, तो माल हमारा हो जायगा।

मेरा खून जैसे सूख गया हो। विश्वास नहीं होता था इस अवधि में मैं इन बटनों को छुड़ा लूँगा, तो भी जब शर्त आ पड़ी, तो मैंने उसे स्वीकार ही कर लिया। रुपये मुझे मिल गये।

इसी क्षण मोहन बोल उठा—दूसरे महीने फिर बटन छुड़ा लिये ये!

विहारी ने उत्तर दिया—कहाँ, जब एक महीना बीत गया और फिर भी नौकरी मिलने की कोई आशा न रही, तो मैं उसके पास गया। मैंने कहा कि अब मैं उसे बेचने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ मेरा निकले पुके दे दीजिये। इसपर उसने जवाब दिया—पहले रुपये ब्याज-सहित अदा कर दीजिये, तब जहाँ जो चाहे बेच लीजिएगा।

मैंने कहा—यही समझ लीजिए कि मैं उसे आपही के यहाँ बेच रहा हूँ।

उसने जवाब दिया—तो लाइये, चीज़ निकालिये, मैं खरीदने को तैयार हूँ।

मैं चुप रह गया! रुपये के लिए आदमी को ऐसा अपमान सहना पड़ता है, यह अनुभव करने का यह पहला अवसर था।

मोहन—सचमुच चाचाजी, वास्तव में वह पशु था ।

बिहारी—जब कभी उसकी याद आ जाती है, मेरा झूठ अब भी खोल उठता है, यद्यपि वह अब मर चुका है ।

मोहन—बाल-बच्चे होंगे ?

बिहारी—यही तो मैं ईश्वर की एक विलक्षण ईश्वरता समझता हूँ । सतान उसके कोई नहीं हुई । एक लड़का गोद ले लिया था । पर उसने लोक नाथ के बुढापे में, उसकी उपस्थिति में ही, बहुत कुछ उठा दिया था । अब तो सुनता हूँ, वह कोठी भी बिक गयी है !

मोहन—तो यह वही कि अपना पतन उसने अपने जीवन-काल ही में देख लिया ।

बिहारी—छै महीने तो बीमार रहा था । चारपाई से लग गया था । उठने बैठने की शक्ति नहीं रह गयी थी । बदन पर मक्खियाँ भनभनाया करती थीं । दूर ही से बदबू आती थी । रास्ते चलते हुए लोग कहा करते थे—भगवान्, तुम्हारा न्याय बड़ा सचा है । जनता का झूठ चूसने का अच्छा दंड तुमने उसे दिया है !

मोहन—लोगों ने उसके मरने पर बड़ी शुश्रूषा मनाई होगी ।

बिहारी—सभी कहते थे, चलो एक पापी तो दुनियाँ से कम हुआ । बात यह थी कि कोई भी तो उससे खुश नहीं था । नौकर तक उसे कोसते थे । कहते थे—वह सेठ नहीं है, पूरा राक्षस है । हिसान लिखने में भी गोलमाल करता है । देता कुछ है, लिखता कुछ । दो दो चार चार महीने में भी सूद-दर सूद लगाता है । औरत को एक एक पैसे के लिए तरसा तरसा-कर मार डाला । मिट्टी का तेल ऊपर डालकर मरी थी । सो भी सिर्फ़ इस बात पर कि गुडियों का दिन था और उसने नयी साड़ी पहनने की इच्छा की थी । इस पर उसने जवाब दिया था कि ऐसा ही शोक करना हो, तो जा, किसी से भीख माँग ले । आँगिर खी ठहरी, सहन न कर सकी । पुलिस को सात सौ रुपये घूस देनी पड़ी थी, तब कहीं बच पाया था ।

मोहन—ऐसे लोगों पर तो सरकार को नियन्त्रण रखना चाहिए ।

बिहारी—ऐसे ही लोगों का साहस बढ़ाकर, उन्हें दम-दिलासा देते रहने की नीति पर तो यह सरकार स्थिर है। प्रजा का चाहे जितना रक्त-शोषण यह पूँजीपति वर्ग करता जाय, सरकार कभी हस्तक्षेप नहीं करती। अगर सरकार का दृष्टिकोण वास्तव में न्याय पूर्ण होता, तो हमारे देश की आर्थिक गुलामी ही न दूर हो गयी होती।



अट्टावनवाँ अध्याय

मज़दूरी

चाचा के साथ इक्के पर बैठा हुआ मोहन चक्रायक पूछ बैठा—क्यों भाई इक्केवाले, तुम अपने इस पेशे में कितना पैदा कर लेते होग ?

इक्केवाला बोल उठा—पैदा क्या करता हूँ वावूजी, दम तोड़ रहा हूँ । और लोगों को बीमारी तो सताती है, पर यहाँ तो कभी बुझार भी नहीं आता । मुनता हूँ, फ़र्लाँ आदमी को हैजा हो गया, ता जी में आता है—चलो, बेचारे को इस नरक से कुछ दिनों के लिए छुट्टी तो मिली । यहाँ तो खाई रोटी नहीं पचती है । आप सोचते होंगे, यह इक्केवाला कोई जगली आदमी होगा । लेकिन मैं आपको जैसे बतलाऊँ कि दिन थे, जब मैं कानपुर के एक मिल में रुपये-रोज का कारीगर था । अब तक तो डेढ रुपया रोज पाता होता । पर ये मिलों के मालिक—भाऊ करना वावूजी, अगर कुछ अलिफ से थे वह डालूँ—एक नम्बर के वेईमान होते हैं । हम लोगों को हर साल बोनस मिलता था । लेकिन मालूम नहीं क्या बात हुई, इन लोगों ने आपस में सलाह कर ली और नाटिस बोर्ड पर हुकुम नामा लगा दिया गया कि इस साल नफ़ा कम हुआ है, इसलिए बोनस नहीं दिया जायगा । अगर अगले साल मुनाफ़ा काफी हुआ, तो इस साल का भी प्रयास उस बच कर लिया जायगा । वस फिर क्या था, हो गई हडताल । और वह भी कमरूनी की मारी चली कुछ कम महानैमर । वावूजी हम लोग टहरे मजदूर । कहाँ तक टिकते । लाचार होकर भाग खड़े हुए । तब से यहाँ यह कर्मभोग कर रहे हैं । दो एक बार जी ऊँचा तो

गया भी, पर फिर मुझे किसी ने पूछा नहीं। आदमी सब भर चुके थे। माना कि ज्यादा काम करना पड़ता था, पर खाने भर को किसी तरह मिल ही जाता था। यहाँ आकर ज़र से इका जोतने लगा हूँ, कभी तयोजत नहीं भरी। इस पेरो में इज्जत कुछ नहीं है बाबूजी। और पुलिस के सिपाही तो बस नाक में दम फिरे रहते हैं। घर में चार और खानेवाले हो गये हैं। नतीजा यह हुआ है कि दूध पी की शकल-सूरत और असलियत भूल गया हूँ। अगर मिल के मालिक हम लोगों के साथ ज्यादाती न करते, तो काहे को मे इस तरह तबाह होता। अब यहाँ केवल पाँच आने रोज़ पर इका हाँकता हूँ। जैसे एक जानवर दूसरे की खुराक होता है उसी तरह आज का गुरीय मोहताज इन्सान अमीरी की खुराक हो रहा है।

इस पर फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। अन्त में विहारी बोले—बात यह है कि हमारे देश के मालिक लोग मज़दूरी देने के सिद्धांतों को समझते नहीं हैं। वे मज़दूरों को नीची निगाह से देखते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य रहता है कम से कम वेतन देकर अधिक-से अधिक काम लेना। वेतन तो वे उतना ही देते हैं जिससे मज़दूर केवल चलता फिरता रहे और काम कर सके।

मोहन—आपिनर वेतन किन सिद्धान्तों के अनुसार दिया जाना चाहिये ? क्या सरकार इस स्थिति को नहीं सुधार सकती है ?

विहारी—यह प्रश्न तो मुझे अच्छा किया है। परन्तु इसके पहले तुमको कुछ और भी बातें जान लेने की आवश्यकता है।

तुम जानते हो कि मेहनत करने के एवज में उसके करनेवाले को जो रुपया दिया जाता है वह उस मज़दूर की मज़दूरी कही जाती है। यह मज़दूरी हो, चाहे दैनिक जो रोज दी जाय या साप्ताहिक जो प्रति सप्ताह दी जाय, या पाक्षिक जो प्रति पन्द्रहवें दिन दी जाय या मासिक, जो प्रति माह दी जाय। छुट्टे छुट्टे मज़दूरों को जो रुपया दिया जाता है वह मज़दूरी कहलाता और अधिकांश रूप से दैनिक, साप्ताहिक अथवा पाक्षिक होता है। और जो पढ़े-लिखे बड़े बाबू लोगों तथा अफसरों को दिया जाता है वह वेतन कहलाता है। वेतन अधिकांश माहवारी होता है।

मोहन—कुछ मजदूरों और अधिकांश घरेलू नौकरों को रुपया देने के अलावा अन्य वस्तुएँ, जैसे—कपड़ा, खुराक या दूसरी चीजें भी तो, जो प्रति दिन के काम में आती हैं दी जाती हैं।

विहारी—पर अर्थशास्त्र के अनुसार मजदूरी दो प्रकार की होती है। प्रथम 'नक़द'। अर्थात् ज़र मजदूरी रुपया-आना-पाई में दी जाय। दूसरी 'कुल'। कुल मजदूरी वह मजदूरी होती है जो नक़द मजदूरी में आवश्यक वस्तुओं, जैसे—कपड़ा, खुराक, रहने का स्थान आदि का भी मूल्य जोड़ने के बाद हो। नक़द मजदूरी से केवल धन का ही अभिप्राय लिया जाता है। लेकिन कुल या असल मजदूरी में मजदूरी की अन्य सुविधाएँ भी शामिल रहती हैं।

मोहन—तो क्या यह स्वाभाविक है कि नक़द और असल मजदूरी में अन्तर पाया जाय ?

विहारी—बिलकुल स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता; परन्तु फिर भी कई कारणों से असल और नक़द मजदूरी में भेद पाया जाता है। जैसे—मुद्रा की क्रय शक्ति में भेद का होना। ग्रामपदार्थ ग्रामों में सस्ते, पर शहरों में महंगे मिलते हैं, इससे शहर की अधिक नक़द मजदूरी से कोई विशेष लाभ नहीं होता। इसके अलावा यह भी सम्भव है कि नौकरी वारहों महीने न रहे। जैसे शक़र को मिलें केवल जाड़ों में ही चलती हैं। गर्मियों में इनके मजदूर बेकार ही रहते हैं। ऐसी दशा में नक़द मजदूरी का अधिक होना स्वाभाविक ही कहा जा सकता है। कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें लोग अधिक वेतन पाने पर भी कम पसन्द करते हैं। खान-में-कोयला या लोहा खोदने से स्वास्थ्य शीघ्र खराब हो जाता है। कम मजदूरी पर भी मजदूर खेत में काम करना अधिक पसन्द करते हैं। इसी प्रकार पुतलीघर में काम करनेवाले के लिए काम पाने के पहले यह आवश्यक है कि वह कपड़ा बुनना जानता हो। यह सीखने के लिए उसके पास इर्च करने का रुपया भी होना चाहिए। यही क्रिस्ता रेल में भी है, परन्तु यहाँ के नौकरों को घर जाने के लिए किराया नहीं देना पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें आगे की तरफ़ी की आशा होती है, अतः लोग कम वेतन पर भी काम करना पसन्द करते हैं।

मोहन—परन्तु कुछ लोगों को तो अपने काम करने के अनुसार मज़दूरी मिलती है।

विहारी—यह सब धन्वे और कारखाने के प्रकार के ऊपर निर्भर है अन्यथा मज़दूरी दो प्रकार से दी जा सकती है—या तो निश्चित समय तक कारखाने में काम करने के उपलक्ष में मज़दूरी मिलती है या कार्य का कुछ परिमाण पूरा करने पर। पहला तरीका समय के अनुसार मज़दूरी तथा दूसरा काम के अनुसार मज़दूरी देने की पद्धति कहलाती है। समय के अनुसार मज़दूरी देने में मज़दूरों के कार्य को देख भाल करने की विशेष आवश्यकता पड़ती है, ताकि मज़दूर निश्चित समय में माली न बैठने पाये और निया गया कार्य अच्छा हो। मैशीनों के उपयोग से काम अधिक परिमाण में शीघ्र हो जाता है। कारखानों में मज़दूरी भी काम के अनुसार ही अधिमाश दी जाती है। पड़े खिसे लोगों को वेतन विशेष कर मगवानुसार ही दिया जाता है। दूसरी पद्धति के अनुसार जितना कार्य मज़दूर करता है—उसका परिमाण देखकर उसको मज़दूरी दी जाती है। यदि एक मज़दूर ने दूसरे से अधिक काम किया तो उसको दूसरे से अधिक मज़दूरी मिलेगी। इससे जो मज़दूर अधिक कार्य कुशल होते हैं उन्हें अधिक मज़दूरी मिल जाती है और इसी से इसे कुशलता को मज़दूरी भी कहते हैं।

मोहन—तो अब यह बताइये कि मज़दूरी की दर किस प्रकार निश्चित होती है?

विहारी—इस विषय में अर्थशास्त्रियों ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जैसे—प्रथम जीवन-निर्वाह का सिद्धान्त है। इसके अनुसार मज़दूरी, मज़दूर और उसने कुटुम्ब-पालन के प्रर्च से विशेष अधिक या कम नहीं रह सकती है। यदि अधिक होगी, तो जन-संख्या की वृद्धि होगी। इससे आपस में दरर्दा बढ़ेगी और मज़दूरी फिर कम हो जायगी। और यदि कम होगी तो मज़दूर भूखों मरने लगेंगे, जिससे उनकी जन-संख्या कम होगी। मज़दूरी की कमी होने के कारण मज़दूरी फिर बढ़ जायगी और पुरानी सीमा तक पहुँच जायगी। पर यह सिद्धान्त आजकल

पाश्चात्य देशों में नहीं लागू हो रहा है। इसके सिवा यह सिद्धान्त अधूर्ण भी है। इसके निर्याय में मजदूरों की माँग की उपेक्षा की गई है और उनकी कार्य कुशलता या उत्पादकता पर विलम्बुल ध्यान नहीं दिया गया है।

मोहन—अच्छा, हाँ, और दूसरा ?

विहारी—दूसरा सिद्धान्त है 'मजदूरी कोप का सिद्धान्त'। यह पहले सिद्धान्त से अलग भी है। इसमें यह मान लिया गया है कि व्यवसायी लोग मजदूरी देने के लिए पूँजी में से एक कोप अलग कर देते हैं। मजदूरी, इस कोप और मजदूरों की उस सख्या से, जो व्यवसाय में अपनी जीविका त्जती है, निर्धारित होती है। यदि कोप में वृद्धि या मजदूरों की सख्या में कमी हो तो मजदूरी बढ़ सकती है। कोप की वृद्धि वचत से हो सकती है। किन्तु यह मत मजदूरों के बस के बाहर है। अतः यदि वे अपनी परिस्थिति में सुधार चाहते हैं तो उन्हें अपनी सख्या घटानी पड़ेगी, क्योंकि इसी से उनकी मजदूरी में बढ़ती होगी।

मोहन—मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यद्यपि इस सिद्धान्त में मजदूरों की माँग और पूर्ति का ध्यान रक्खा गया है परन्तु फिर भी इसमें कमी है। मजदूरी का कोप कभी नहीं होता है—और न इसकी रकम ही परिमित होती है। उसमें माँग के अनुसार कमी-वैशी हुआ ही करता है। दूसरे मजदूरों की कार्य कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि होने से जो बढ़ती होती है उसे भी स्थान नहीं दिया गया है।

विहारी—तभी तो इस सिद्धान्त का तीव्र विरोध हुआ है। इसके बाद तीसरा सिद्धान्त है 'सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त'—इससे यह प्रयोजन है कि व्यवस्थापक सदा इस बात की टोह में रहता है कि उत्पात्ति के जिस किसी साधन की सीमान्त उपयोगिता उसे किसी दूसरे साधन से अधिक से अधिक जान पड़े उसे वह कम वाले साधन के स्थान पर उपयोग करने का प्रयत्न करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिक से अधिक मजदूरी जो व्यवस्थापक देगा वह उसकी सीमान्त उत्पादकता

होगी। इससे अधिक वह न दे सकेगा। परन्तु यदि मजदूर की उत्पादकता चढ़ जाय तो व्यवस्थापक उसे अधिक मजदूरी देने में हिचकेंगा नहीं; क्योंकि इससे उसका लाभ अधिक ही रहेगा।

मोहन—पर इस सिद्धान्त में कमी यह है कि इसमें केवल मजदूरों की माँग पर ही विचार किया गया है, उनकी पूर्ति की ओर बिलकुल ध्यान न दया गया। यदि यह मान लिया जाय कि व्यवस्थापक किसी मजदूर को सीमान्त उत्पादकता ३०) रुपये के बराबर समझता है तो वह उसे ३०) ४० के स्थान पर २०) ४० या २५) ४० भी दे सकता है। पर मजदूर को इसका क्या ज्ञान कि उसकी उत्पादकता क्या है ?

विहारी—मजदूर इसे जानकर भी क्या कर सकते हैं ! फिर व्यवस्थापक को भी आजकल बड़े-बड़े कारखानों में यह पता लगाना कि प्रत्येक मजदूर की सीमान्त उत्पादकता क्या है, सरल काम नहीं है। इसके बाद चीथा सिद्धान्त है—कार्ल मार्क्स का। मार्क्स के विचार से किसी वस्तु के उत्पादन में श्रम का एक बहुत बड़ा स्थान है। परन्तु श्रमी के पास कार्य-कुशलता के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है, कार्य के लिए नियत होकर उसे पूँजीपति के पास आना पड़ता है। पूँजीपति इस श्रम का माहक होता है; परन्तु श्रम का पूरा मूल्य कभी नहीं देता है। मार्क्स का कहना है कि वस्तु के निर्माण में सबसे अधिक श्रेय मजदूर को ही है, इससे वितरण के समय उसी को अधिक श्रेय मिलना चाहिये। पर इस सिद्धान्त की अर्थशास्त्रियों ने बड़ी कड़ी आलोचना की है।

मोहन—परन्तु फिर भी इसका प्रभाव तारे छतार पर बहुत ही व्यापक रूप में पड़ा है।

विहारी—हाँ, यह बात तो है। पर इस पर आगे विचार किया जायगा। पाँचवाँ सिद्धान्त है 'माग और पूर्ति का सिद्धान्त'। इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरों का निर्धारण मजदूरों और पूँजीपति के आपस के भाव-भाव से होता है। पूँजीपति यह जानता है कि एक मजदूर की 'सीमान्त उत्पादकता' कितनी है, अतः वह श्रम का मूल्य उससे कभी भी अधिक न लगाएगा। दूसरी ओर मजदूरों के रहन-सहन का भी एक दर्जा

होता है—यह दर्जा मजदूर की आवश्यकताओं के अनुसार होता है। वह इन आवश्यकताओं के मूल्य से कम कभी भी मजदूरी स्वीकार न करेगा। इस प्रकार से दो सीमाएँ बन जाती हैं। एक मजदूरों के रहने सहने की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की, कम से कम मजदूरी की सीमा तथा दूसरी पूँजीपति द्वारा निश्चित सामान्त उत्पादकता की अधिक से अधिक मजदूरी की सीमा। मजदूरी इन्हीं दो सीमाओं के अन्दर रहती है। मान लो, एक मजदूर यह समझता है कि उसको अपना रहने सहने बनाये रखने के लिए चार आने प्रति दिन आवश्यक होंगे, तो चार आना उसकी मजदूरी की न्यूनतम सीमा होगी। यदि उसके काम का मूल्य १० हो तो उसकी मजदूरी की अधिकतम सीमा १० होगी। परन्तु काम करानेवाले उसे १० ही देना चाहेंगे।

वर्तमान समय में पूँजीवादी राष्ट्रों में यही सिद्धान्त लागू है। इसमें दोनों ही बातें—माँग तथा पूर्ति—का विचार किया गया है। इसके अनुसार यदि मजदूरों की माँग बढ़ जाय तो कुछ काल के लिए उनके वेतन में वृद्धि हो जायगी। और उस समय अन्य व्यवसायों में कम पानेवाले मजदूर भी इस ओर आकृष्ट होंगे, जिससे निश्चित माँग की पूर्ति हो जाने पर मजदूरी फिर उसी स्थल पर आ जायगी। दूसरी बात यह है कि श्रम उपयोग न होने समय परापर नष्ट होता रहता है। अतः मजदूर कार्य के लिए सदैव बहुत उत्सुक रहता है। इस कारण भी उसकी मजदूरी में कमी होती है।

मोहन ने देखा, मकान तो आ गया। तब उसने इक्केवाले से पूछा—मजदूरी तो तुमको पाँच आने रोज मिलती है, पर तुम महाजन का इक्का भाड़ा के रूप में कितना पैदा करने देते हो ?

इक्कावाला—दो रुपये से कम वह कभी नहीं लेता।

निहारी—तब तो तुमको आठ दस आने रोज मिल सकता है। तुम उससे बोर देकर क्या कह नहीं सकते कि आठ आने से कम में मेरी गुजर नहीं होगी ?

इक्केवाला—तब वह हमें निकाल बाहर करेगा और दूसरा आदमी रख लेगा।

विहारी—तुमको आपस में मिलकर ऐसा सगठन करना चाहिए कि कोई भी इक्केवाला किसी महाजन के यहाँ आठ आने रोज से कम पर यह काम करना स्वीकार ही न करे।

इक्केवाला—सरकार, हम लोग इन बातों को न तो समझते हैं, न हममें इतना दम है।

विहारी—तब बिना सगठन किये तुम्हारी हालत में सुधार होना असम्भव है।



उंसठवाँ अध्याय

न्यूनतम मज़दूरी



मोहन आज अपने चाचा के साथ शिवकोटी के मेले में गया हुआ था। वहाँ उसने देखा कि इस मेले में अधिकतर ग्रामीण पुरुष और स्त्रियाँ आयी हुई हैं। विदारी की दृष्टि भी अधिकांश रूप में निम्नश्रेणी के दीनहीन पुरुषों की हालत देखने की ओर थी। दोपहर के तीन बज के बाद ये लोग इक्के पर गये थे और लौटते लौटते सध्याकाल हो गया था। लौटते समय मोहन से उसके चाचा ने पूछा—उस मंदिर में जहाँ भगवान शंकर की अगणित मूर्तियाँ हैं, जा आदमी तुमसे बातें कर रहा था, वह कौन था ?

मोहन ने उत्तर दिया—वह अपने गाँव का मगल लोभ था। कानपुर के एक मिल में नौकर है। यहाँ उसकी ससुराल है, मीरपुर में एक इक्के-वाले के यहाँ। अपनी स्त्री को लेने के लिए आया हुआ है। अब वहाँ रक्सेगा। कहता था—मालिक, अब के महीने से बारह रुपये मिलने लगेंगे। आश्चर्य के साथ मैंने पूछा—इतने में गुजर हो जायगी ?

वह बोला—क्यों नहीं हो जायगी ? गुजर तो मालिक करने से होती है। जो लोग सिर्फ दस रुपये पाते हैं, उनकी भी तो गुजर-बसर आखिर किसी न किसी तरह होती ही है। अच्छा चाचा, आखिर जब ये मजदूर कारखाने में काम करना सीख जाते हैं और एक तरह से कारखाने के अंग बन जाते हैं, तब भी मिल मालिक इनको उचित वेतन क्यों नहीं देते ?

इका अपनी गति से चला जा रहा था। दायें-बायें इकों पर सवार बच्चे ताड़ के पत्तों के बने बाजे बजाते और रस्स के रङ्गीन गुन्बारे उड़ाते हुए कमी-

कभी आगे निकल जाते थे। जो इन्के पीछे से आते जान पड़ते, उनमें भी बाजों से बड़ा कोलाहल मचता था।

बिहारी ने उत्तर दिया—मज़दूरी देने का सिद्धान्त मैं पहिले ही बता चुका हूँ। यह तुम जानते हो ही कि मज़दूरी प्रायः दो सीमाओं के अन्दर रहती है। न्यूनतम सीमा मज़दूर के रहन-सहन द्वारा निश्चित की जाती है और अधिकतम सीमा उसके सीमांत उत्पादन के बराबर होती है। उत्पादक लोग साधारणतः मज़दूरी न्यूनतम सीमा के आस पास ही किसी दर पर देते हैं। यदि मज़दूर लोग सङ्गठित हो जायँ और मज़दूर सभा स्थापित कर लें तो उनकी मज़दूरी अधिकतम सीमा तक बढ़ सकती है। परन्तु अभी तो मज़दूरों में सङ्गठन नहीं हो पाया है। दूसरा कारण यह है कि जन संख्या वृद्धि तथा दुर्भिक्ष के कारण कृषि-जीवी लोग बेकार होकर शहरों की ओर भागते हैं। इस प्रकार जब मज़दूरों की संख्या घटने लगती है, तब मज़दूरी की दर और भी कम होने लगती है। इससे मज़दूरों के रहन-सहन का दर्जा गिर जाता है और उनकी कार्य कुशलता घट जाती है। मज़दूरों की कार्य-कुशलता घट जाने का प्रभाव पुनः मज़दूरों की संख्या वृद्धि पर पड़ता है। और इस प्रकार मज़दूरी और भी अधिक न्यूनतम हो जाती है। अन्य देशों में मज़दूरी की दर जो अधिकतम सीमा के आसपास होती है, उसका प्रधान कारण उनका सङ्गठन और कार्य-कुशलता है। हमारे देश में मज़दूरों की दर जो बहुत कम है, उसका एकमात्र कारण यह है कि देश में उद्योग-धन्धों की अत्यधिक कमी है और कृषि-जीवी समुदाय जब अत्यधिक श्रृणु मस्त, दीन-हीन तथा रस्त हो जाता है, तब वह मिलों में नौकरी करने की ओर झुक पड़ता है।

मोहन—क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मज़दूरी की ऐसी न्यूनतम दर सरकार निर्धारित कर दिया करे, जिससे मज़दूरों के परिवार को सब आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त हो सकें और मिल मालिक उनसे कम मज़दूरी दे ही न सकें ?

बिहारी—हो क्यों नहीं सकता ! अन्य सरकारें ऐसी स्थिति में प्रायः न्यूनतम मज़दूरी की दर निर्धारित कर देती हैं। इसके सिवा मज़दूर-समाजों के आन्दोलन का भी प्रभाव पड़ता है। इइतानों होती हैं और फलत मज़दूरी

की दर बढ़ती, काम करने के घटे कम किये जाते तथा मजदूरों को अन्य प्रकार की सुविधाएँ मिलने में सफलता भी मिलती है।

मोहन—परन्तु हमारे देश में तो ऐसी सभाएँ बहुत ही कम देखने में आती हैं।

विहारी—नहीं, यह बात नहीं है। हमारे देश में कभी इस बात की है कि मजदूर-सभाओं को मालिक लोग साधारणतया मानते नहीं हैं—उनका प्रतिनिधि होना स्वीकार नहीं करते। जातीय पंचायतें तो हमारे देश में बहुत काल से चली आती हैं, परन्तु थोड़े थोड़े कारखानों में मजदूरों का सङ्गठन सबसे पहले पिल्लुले महासुद्ध के समय में ही हुआ था। उस समय सब चीजों का मूल्य अचानक बढ़ गया था। मजदूरों इतनी नहीं बढ़ी थी। अतः मजदूरों को विवश होकर अपने आपको सङ्गठित करना पड़ा। इन सङ्गठनों में उनको सफलता मिली, क्योंकि ऐसे समय पर मालिक लोग अपना व्यवसाय तो बन्द कर नहीं सकते थे, साथ ही मजदूरों की माँगें भी वेजा नहीं थीं।

मोहन—मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मजदूरों का कृषि के व्यवसाय के साथ सम्बन्ध होने के कारण ही कदाचित् इन सभाओं के प्रभाव का विस्तार नहीं हो रहा है। मजदूर अशिक्षित होते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें केवल कुछ दिन काम करके यहाँ से चला जाना है।

विहारी—हाँ, यह भी एक कारण है।

मोहन—अच्छा तो न्यूनतम वेतन निर्धारित कराते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है ?

विहारी—न्यूनतम वेतन निर्धारण करने के लिए यह आवश्यक है कि मजदूरों और उनके परिवार के मनुष्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाय। हमको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मजदूरों को अपना ही नहीं, किन्तु अपने परिवार का भी पेट पालना आवश्यक है। इस परिवार में साधारणतया एक स्त्री और दो बच्चे शामिल होते हैं। साथ ही यह भी मान लेना चाहिये कि घर का कार्य विशेष होने के कारण मजदूर की स्त्री अन्य कार्य नहीं कर सकती। साथ ही बच्चों का स्कूल में पढ़ना आवश्यक है, वे भी काम में नहीं लगाये जा सकते।

मोहन—तो क्या यह उचित नहीं है कि मजदूरों के रहने का भी प्रबन्ध किया जाय ? शहरों में तो बहुत ही अधिक किराया देना पड़ता है । मालिकों को ही उनके लिए मकान बनवाने चाहिये ।

विहारी—यह हमारे देश के लिए तो और भी बुरी है । यहाँ के मजदूरों की बस्तियों की दशा तो और भी शोचनीय है । भारत में न्यूनतम वेतन निश्चित करना अत्यन्त आवश्यक है । कानपुर-मजदूर-जाचकमेटी ने तो इस विषय पर बहुत ही अधिक जोर दिया था, और १५) ६० मासिक न्यूनतम वेतन भी निर्धारित किया था । इंग्लैंड में हिटले कमीशन ने भी इसी प्रकार न्यूनतम वेतन निश्चित करने की सिफारिश की थी । न्यूनतम वेतन निश्चित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए की मजदूरों के अन्य आवश्यक गृहों की अरहेलना न होने पाये ।

मोहन—इस प्रकार क्या एक ही वेतन सब कारखानों तथा शहरों के लिए निर्धारित होता होगा ?

विहारी—नहीं, ऐसा सम्भव नहीं हो सकता । देश के विभिन्न हिस्सों में—जैसे बम्बई और कागुआ—रहन सहन का दर्जा भिन्न होता है । अतएव विभिन्न हिस्सों के मजदूरों के वेतन ही निश्चित करना उचित होगा । इसके अनिश्चित यह आवश्यक नहीं है कि अनेक प्रकार के कारखानों के लिए भी एक ही प्रकार का वेतन निर्धारित किया जाय । सामयिक परिवर्तन, उत्पादन एवं उसकी स्थिति के अनुसार भी वेतन निर्धारित किया जाना चाहिये ।

मोहन—पर अगर इस प्रकार निर्धारित वेतन कोई कारखाना न दे सके तो ?

विहारी—तो उसके लिए आवश्यक यह है कि कारखाना बन्द कर दिया जाय, क्योंकि वह कारखाना इस योग्य नहीं है कि अन्य कारखानों के मुकाबले में योग्यता के साथ काम कर सके । अगर ऐसा नहीं होता, तो उसके लिए यह आवश्यक हो जायगा कि वह अपने अन्य गृहों को किसी प्रकार बन्द करे और अग्नान्य साधनों को मुफ्त दे । क्योंकि

न्यूनतम वेतन निर्धारित करते समय न केवल मजदूरों की आवश्यकताओं की ओर ही ध्यान दिया जायगा, किन्तु यह भी देखा जायगा कि श्रमिक कारगाना या उद्योग वहाँ तक अधिष्ठ वेतन दे सक्ता है जिससे उसको किसी प्रकार क्षति न उठानी पड़े ।

मोहन—परन्तु घरेलू काम करनेवाले मजदूरों के साथ यह कैसे हो सकता है ? उनकी दशा भी तो शोचनीय है ।

विहारी—उनकी दशा में सुधार करना बहुत कुछ समाज पर निर्भर है । अगर समाज चाहे तो बहुत कुछ सुधार कर सकता है, क्योंकि इस तरह काम करनेवालों की दशा किसी के घर में घुसकर सरकार देखने तो आयेगी नहीं, जैसा कि कारगानों में होता है । अतः अगर साधारण जनता उनका सुधार करना चाहे, तो वह अपने अपने नौकरों का सुधार करके सारे देश की ऐसी हीन जनता का उद्धार कर सकती है ।

मोहन—अच्छा, सरकारी नौकरों के विषय में क्या ऐसा नियम लागू हो सकता है ?

विहारी—क्यों नहीं ? छोटी छोटी तनकूगह पानेवाले कर्मचारियों के लिये भी ये नियम लागू होने चाहिये । क्योंकि एक और तो तुम देखते हो, बाइसराय को लाखों रुपया सालाना मिलता है । दूसरी ओर हमारे यहाँ १००) वापिक वेतन से भी कम पानेवाले आदमी पाये जाते हैं, जो बहुत ही कठिनाता से अपने कुटुम्ब का पालन पोषण कर पाते हैं । ऐसी असमानता निस्सन्देह चिन्ताजनक है ।

मजदूरी का आदर्श यह होना चाहिये कि एक निश्चित समय के लिये प्रत्येक व्यक्ति की आय में बहुत अधिक अंतर न हो । उन मजदूरों को, जो अपनी मजदूरी का विशेष भाग मदिरा पान मध्यय करते हैं मजदूरी नफ़द न देकर साध्य पदार्थों में देनी चाहिये । काम करने के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलना चाहिये और कम से कम इतना वेतन दिया जाना चाहिये, जिससे उसका और उसके आश्रितों का निर्वाह मली प्रकार हो सके । समाज को जितने प्रकार के धर्मों की आवश्यकता है उनमें श्रमिकों के धर्म बना दिये जानने चाहिये और उनकी न्यूनतम-मजदूरी भी

स्थिर कर देनी चाहिये। सदा इस बात का प्रयत्न होना चाहिये कि मजदूरी की दर अपिकृतम सीमा के आरा पाए हो।

— यह वार्तालाप मोहन के घर आते आते यहाँ समाप्त हो गया था। जब ये लोग उतरने लगे, ता इन्केवाले ने कहा—मालिक, मगल मेरा ही दामाद है। आप की कृपा ही जायगी, तो उसकी भी तन-सुनाद बढ नरुती है। ये सर राते आप उरको भी समझा दीजिये। मैं कल दिन में उसे लेकर हाजिर होऊँगा।

मोहन धोल उठा—अच्छा तो चाचा, कल हम लोग उससे हडताल के रिपय मे सर भीतरी रातें पूछेंगे। (इन्केवान से) अच्छा, कल तुम उसे ले आना।



साठवाँ अध्याय

हड़ताल और मजदूर-सभा



दूसरे दिन वह इक्केवाला मगल को साथ लेकर विहारी के यहाँ आ पहुँचा। मोहन उस समय बैठक में था। दोनों को देखते ही बोला—आ गये ! चलो, यह बहुत अच्छा हुआ। मैं भी अभी स्कूल से आ रहा हूँ। चाचा भी आते ही होंगे। इक्केवान से कहा—तुमको तो फुरसत होगी नहीं। ये भी थोड़ी देर बातें करके चले आयेंगे। किसी तरह की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

तब “बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यही मैं चाहता था” कहता हुआ इक्केवान उठकर चला गया।

फिर मगल से कहा—यहीं बेंच पर बैठो। पानी बरसनेवाला है। यह अच्छा हुआ कि कुछ पहले आ गये।

इधर ये बातें हो रहीं थीं कि विहारी भी आ गये। नौकर ने साइकिल नीतर रख ली। थोड़ी ही देर में अन्दर बल-वान करने के अनन्तर दोनों बैठक में आकर बैठ गये।

मोहन ने पूछा—तुम्हारे सामने कभी कोई हड़ताल मिल में हुई है मगल ?

मगल ने जवाब दिया—ऐसा कोई वर्ष नहीं जाता, जब किसी न किसी मिल में हड़ताल न हो। कभी कभी तो एक मिल की हड़ताल का प्रभाव दूसरे मिलों पर भी इतनी जल्दी और इतना गहरा पड़ता है कि वहाँ भी पात-की-भात में हड़ताल हो जाती है।

मोहन ने पूछा—कुछ समझ में आया कि ये हड़ताल क्यों होती है ?

मंगल ने उत्तर दिया—दो ही बातें मेरी समझ में ऐसी हैं, जिनके कारण हड़ताल हाती है। एक तो जैसा कठोर काम लिया जाता है, वैसी अच्छी मज़दूरी नहीं मिलती। दूसरे दग लोग के साथ सख्ती भी ज्यादा होती है।

मोहन—सख्ती किस तरह की होती है ?

मंगल—आने में देर हो जाने पर आधा दिन कट जाता है ! पैक्टरी के भीतर जिस वक्त हम काम करते हैं, उस वक्त किसी से मिलने के लिए बाहर नहीं आ सकते। छुट्टी के घंटे में ही मिलना होता है। बीमार हो जाने पर अगर काम पर नहीं जा सकते, तो डाक्टर या वैद्य का सर्टिफिकेट दाखिल करना पड़ता है, नहीं तो फाइन हो जाता है।

अन्य बिहारी ने पूछा—अच्छा, तुम लोगों की जो एक मज़दूर सभा है, वह क्या काम करती है ?

मंगल—वह न हो तो कौरे हड़ताल कभी पूरी न उतरे। उनके नेता रूख पड़े लिखे और कायदा कानून से वाक़िफ़ होते हैं। वे हड़ताल कराना ही नहीं जानते, उसे अन्त तक पूरा पूरा निभाकर अन्त में मिल-मालिकों से मज़दूरों के हक़ में समझौता करा देना भी जानते हैं।

बिहारी—परन्तु मज़दूर-सभा का एक मात्र उद्देश्य हड़ताल कराना नहीं, परन्तु मज़दूरों को हर तरह की सुविधाएँ देना है। बीमार पड़ने पर उनकी चिकित्सा का प्रबन्ध करना, शिक्षा के लिए पुस्तकालय, वाचनालय और विद्यालय खोलना भी उनका कर्तव्य होता है। मिल के मज़दूर उस सभा के सदस्य होते हैं और नियमित चन्दा देते हैं। चन्दे से सभा का इर्ष चलता और मज़दूरों को आवश्यकतानुसार सहायता दी जाती है। मज़दूर सभाओं का मुख्य उद्देश्य मज़दूरों की दर्रा में सुधार कराना है। मज़दूर सभाओं के स्थापित हो जाने से मज़दूरों को सामूहिक रूप से अपनी मज़दूरी बढ़ाने या अन्य सुविधाएँ प्राप्त करने का अवसर रहता है। ये सभाएँ मालिकों के सामने मज़दूरों की शिकायतें रखती तथा उन शिकायतों

को दूर कराने का प्रयत्न कराती हैं। यदि ये शिनायतें दूर नहीं हाती और मालिक लोग मजदूर सभाओं द्वारा पेश की गई शिकायतों को नहीं सुनते, तो उसका परिणाम हड़ताल ही होता है। समाएँ मजदूरों ने हिताहित की उत्तर दाया तथा उनकी प्रतिनिधि होती हैं। उनको मजदूरों की ओर से बोलने तथा लड़ने का हक रहता है।

मोहन—अच्छा चाचा, मजदूर सभाओं के मुख्य उद्देश्य क्या कह जा सकते हैं ?

✓ विहारी—(१) मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि कराना—क्योंकि मजदूर अपनेले पूँजीपात से अपनी उचित मजदूरी नहीं पा सकता। इसी कारण उसको ऐसी सभाओं की शरण लेनी पन्ती है। समाएँ मजदूरों के रहन सहन में भी वृद्धि करा सकती हैं—और उनके रहन सहन को दूनें के अनुसार न्यूनतम वेतन भी दिलाती हैं।

✓ (२) मजदूर सभाएँ मजदूरों के काम करने के घण्टों पर नियंत्रण रखती हैं—घण्टों के घटाने की कायश करती रहती हैं।

✓ (३) मजदूर सभाएँ मजदूरों को अपने सुविधाएँ भी दिलाती हैं—जैसे कारखाने के अंदर हवा आदि का प्रबन्ध, पानी का प्रबन्ध, शिक्षा का प्रबन्ध।

मजदूर सभाओं के स्थापित हो जाने से मजदूरों में आतृभाव पैदा हो जाता और उनका सावजनिक जीवन बिकसित होता है। इससे मजदूरों की कार्य-क्षमता बढ़ सकती है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित हो जाने पर उनका रहन सहन का दर्जा भी बढ़ जाता है।

मोहन—अच्छा चाचा, हड़ताल का चलाने में मजदूर सभा क्या करती है ?

विहारी—मैं चाहता हूँ कि इस बात को तुम बतलाओ मंगल।

मंगल—जब हड़ताल होने की हाती है, तो पहले दिन कुछ लोग आपस में काना फूसी करते हैं। दो-एक दिन में समा होता है और वहाँ तकको यह समझाया जाता है कि यह हड़ताल इसलिये का जाती है। इसके बाद दूसरे दिन लोग काम पर नहीं जाते। जो जाना भी

चाहते हैं, विप्रेटिंग करके उनको जाने से मना किया जाता है। और इस तरह इडताल पूरे मिल भर में हो जाती है।

बिहारी—यह आवश्यक नहीं है कि इडताल होने में हमेशा अनेक दिन ही लाने हों। बात यह है कि शिकायतें कुछ गिने-चुने व्यक्तियों को तो रहती नहीं। वे प्रायः सामूहिक होती हैं। यदि कभी व्यक्तिगत भी हुईं, तो यह समझ लिया जाता है कि यह जो कुछ भी हो रहा है, वह मिलमालिकों की बढोर और अमानुषिक नीति के कारण हो रहा है। अतएव यह मानी हुई बात है कि आज जो व्यवहार एक रामाधीन ने साथे हुआ, वही कल सैकड़ों रामाधीनों के साथ होगा। इसलिये उतेजना फैलते देर नहीं लगती और तब एक-आध दिन में ही इडताल हो जाती है।

मोहन—लेकिन विप्रेटिंग करने में तो कभी-कभी कठिनाई पड़ती होगी।

बिहारी—कठिनाई होती जरूर है किन्तु और उपाय क्या है? सभी मनुष्य एक से नहीं होते। कुछ व्यक्ति इतना बहुत दुख होते हैं। चाहे जितने अत्याचार उन पर होते रहें, वे कभी चूँ नहीं करते, और उन्हें बराबर सहन करते रहते हैं। उनमें जीवन नहीं रहता। वे पस्त दिम्मत, उस्ताद-हीन और निष्प्राण होते हैं। इडताल जैसी जिम्मेदारी के काम में इस तरह के लोग ही अधिकार रूप से बाधक होते हैं; क्योंकि उनका यह विश्वास होता है कि हमारे भाग्य में यही बदा है। इसलिये हमें यह दुख भोगना ही पड़ेगा। अगर हमारा भाग्य—हमारे ग़द नत्तय योग—प्रतिकूल न होते, तो हमारी यह दुर्गति ही क्यों होती। ऐसी दशा में मजदूर-दल के नेता ऐसे मजदूरों को समझाते हैं कि अगर दूसरों की तकलीफ को हम अपनी तकलीफ मानकर, संगठित रूप से, नहीं चलते तो हमारे हक कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। उन्हें यह बतलाने की भी आवश्यकता होती है कि अपने अधिकारों के लिये लड़ना हमारा कर्तव्य है। यह सोचना सरासर ग़लत है कि हमारे भाग्य में यही बदा है। मेहनत हम करते हैं, एँटी-चोटी का

पसीना एक हम करते हैं, हमारे ही परिश्रम से लाभ उठाकर फौटियाँ उनकी और मोटरकारें आती हैं। ऐसी दशा में हमारी सुविधाओं की ओर ध्यान देना मिल मालिकों का कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं जानता, वह जानदार प्राणी नहीं है। जब तक हमारे शरीर में ताकत रगों में रूढ़ और दिल में धम्पन मौजूद है, तब तक चिदमी के लिए, न्याय के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें लड़ने को सदा तैयार रहना पड़ेगा।

मोहन—लेकिन जो लोग बहुत गरीब हैं और दस दिन आगे के लिए भी चिन्ने पास रखने को नहीं है काम छोड़ देने पर उनकी गुजर कैसे होती होगी ?

मगल—उनके लिए मजदूर दल के नेता और मजदूर सभा के अधिकारी लोग रखने का प्रयत्न करते हैं। इस काम के लिये मजदूर सभा से पूरी सहायता मिलती है।

विहारी—और इस तरह के दान में कभी कभी तो वे लोग भी भाग लेते हैं, जो उर्दी मिलात्रे शेखर होल्डर होते हैं जिनमें हृत्ताल हुआ करती है। बात यह है कि मनुष्य का हृदय समवेदनाशील होता है। पूँजीपतियों के वर्ग में ऐसे लोग भी तो हैं ही, चाहे वे थोड़ी सत्ता में ही क्यों न हों, जो सत्य और धर्म की ओर दृष्टि रखकर चलते हैं—और जिन पर धर्म का काम नरदी प्रभाव डालता है।

मोहन—जब हृत्ताल सफलता पूर्वक चलती है तब मिल मालिकों से समझौता करने के लिए शर्तें कौन पेश करता है ?

मगल—मजदूर सभा के नेता।

मोहन—अच्छा उस दिन आपने बतलाया था कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित हो जाने से यह समस्या बहुत अर्थों में हल हो जाती है।

विहारी—कि तु इस कार्य को वही सरकार मुचाव रूप से कर सकती है, जो उत्तरदायिग्य होती है।

मोहन—अच्छा मगल, क्या तुमने भी कभी हृत्ताल में मजदूर सभा की सहायता पहुँचाई है ?

मगल—मैने पिन्नेटिंग की है और डडे खाये हैं । मेरे मस्तक पर यह जो दाग देस पडता है पुलिस के डडे का ही है ।

पिहारी—मुझे यह जानकर नही प्रसन्नता हुई । अगर तुम्हारे काम का यही ढग रहा, तो तुम बहुत उन्नति करोगे ।



इकसठवाँ अध्याय

लाभ

बनी देर से मोहन अपने चाचा का प्रतीक्षा कर रहा था। चाचा ने कहा—तुम्हें भूख लगी होगी, खाना खा क्यों नहीं लेता? उनकी प्रतीक्षा में अगर बैठा रहेगा, तो भूख मारी जायगी और फिर तेरा सिर दर्द करने लगेगा। मैं जानती हूँ कि जब कभी वे किसी काम से अटक जाते हैं, तो उनको खाने में बड़ी देर हो जाती है। पहले मैं भी उनकी प्रतीक्षा में घंटों बैठी रहती थी। पर इधर कई वर्षों से मेरी इच्छा पर उन्हीं का अनुशासन चलता है। उनका यह दृढ़ आदेश है कि खाने के लिए अगर कोई मेरी प्रतीक्षा में बैठेगा तो वह मेरी आत्मा को कष्ट पहुँचाएगा।

मोहन ने कहा—चाँच धजे उनके खाने का समय है। इस समय छे दी तो बना है। और आधा घण्टा देर लेते हैं।

मिल्लू और मुनियाँ दौड़ते हुए आ पहुँचे। दोनों हाथ मोहन के कन्धों पर रखकर मुनियाँ बोली—ददा, बाबू को कहाँ छोड़ आये? बताओ बनाओ।

मिल्लू को बाहर से कुछ आदट मिला, इसलिए वह दौड़कर बाहर जा पहुँचा। उसे दौड़ता हुआ देखकर मुनियाँ भी समझ गयी कि बाबू आ गये। अतएव वह भी दरवाजे की ओर दौड़ गयी।

तदनन्तर बिहारीबाबू ज्यो ही अन्दर आये, ज्यों ही मोहन ने कहा—चाचा जी, आज आपने बहुत देर कर दी, कहाँ चले गये थे? मैं तो बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

बिहारी—आज मैं स्थानीय काटन मिल के कार्यालय में चला गया था।

वहाँ आज वार्षिक अधिवेशन था। दुष्टों ने बड़ा अन्धेर मचा रक्खा है। इतना लाभ होते हुए भी हिस्सेदारों को केवल २३ प्रति सैकड़ा दिया ?

तदनन्तर खाना खाने के बाद दोनों छत पर बैठकर वार्तालाप करने लगे।

मोहन—तो आप हिस्सों को बेच क्यों नहीं देते ? जो मिले उसे बैंक में जमा करो या किसी अन्य रोजगार में लगा दो। आखिर मिल में कुल लाभ कितना हुआ होगा ?

बिहारी—लगभग एक लाख के हुआ होगा।

मोहन ने पूछा—यह लाभ अथवा इसमें कोई अन्य आमदनी भी शामिल है ?

बिहारी—अर्थशास्त्र की दृष्टि से लाभ के दो भेद होते हैं—वास्तविक लाभ और कुल लाभ। कुल लाभ में वहुधा वास्तविक लाभ के अतिरिक्त कुछ अन्य आमदनी भी सम्मिलित रहती हैं। जैसे—साहसी की निजी पूँजी का सूद, उसकी अपनी जमीन का किराया तथा उसकी विशेष सुविधाओं से होनेवाला लाभ। साधारण भाषा में लाभ और कुललाभ में अन्तर नहीं जान पड़ता और लोग कुललाभ को ही लाभ कहते हैं। यह लाभ जो मैंने अभी यतलाया, अथवा है, कुल नहीं।

मोहन—साहसी की विशेष सुविधाओं में कौन सा लाभ हो सकता है ?

बिहारी—इन सुविधाओं का बहुत असर पड़ता है। मान लो, एक ऐसा व्यवस्थापक है, जो अपने कार्य में विशेष कुशल नहीं है। वह अपना चीनी का कारखाना खोलने का स्थान चुनने में भूल कर सकता है। वह गोरखपुर, बस्ती आदि के स्थान पर बाँदा या हगौरपुर के जिलों में कारखाना खोल सकता है। इससे उसे प्रतिवर्ष ईस मँगाने के लिए रेल-किराये में अधिक व्यय करना पड़ेगा। सम्भव है कि इन जिलों के अधिक घने न पसे हुए होने के कारण उसे मजदूरों को भी अधिक मजदूरी देना पड़े। बिजली न होने के कारण संचालनशक्ति के लिए उसे भाप के एंजिन का प्रयोग करना होगा। इससे व्यय और भी अधिक हो जायगा। सम्भव है, इतना प्रचंड बढ़ जाने से उसे अधिक योग्य व्यवस्थापकी की स्वर्दा के कारण बाजार से दूर जाना पड़े। इससे इस मिल के चलाने का

साहस करने के परिणाम स्वरूप एक भारी क्षति उठानी पड़ेगी। इसके विपरीत दूसरा साहसी व्यक्ति यदि ऐसे स्थान पर मिल बनाता है जहाँ उपरोक्त श्रमविधाएँ नहीं हैं तो उसको आशातीत लाभ मिल जाने की आशा हो सकती है।

मोहन—मगर ऐसा तो बहुत कम होता होगा।

बिहारी—नहीं, यह कोई कल्पना की बात नहीं है। सार्वजनिक जीवन में निरन्तर ऐसी घटनाएँ हुआ करती हैं। किसी भी बाजार में देखो कितने नये दुकानदार अपने कायम सफल होते हैं और कितनों को अपना स्टॉक स्वल्प मूल्य में ही बेचकर प्रिदा होना पड़ता है।

मोहन—मगर फिर भी हम यह तो देखते ही हैं कि कहीं कम और कहीं अधिक लाभ होता है।

बिहारी—लाभ के विभिन्न मात्रा के होने में और भी अनेक कारण हैं। जैसे—यदि किसी क्षेत्र में एक ही व्यवसायी का एकाधिपत्य प्राप्त है, तो उसका लाभ विशेष होगा। इस अवस्था में लाभ अधिक हो सकता है। आपस में प्रतिस्पर्धा होने से लाभ की दर गिरने लगती है। यह प्रतिस्पर्धा जितनी ही अधिक होगी—लाभ उतना ही कम होगा। यदि किसी व्यवसाय में लाभ अधिक होने लगता है, तो अन्य उद्योगों के व्यवसायी अपने कम लाभ से सन्तुष्ट न रहकर उधर ही भुजने लगते हैं। वे बहुधा अत्रिफ पूँजी लाकर बड़े बड़े कारखानों का निर्माण करते हैं। अधिक कार्य कुशल होने के कारण उन्हें लाभ भी अधिक होने लगता है। वे कम दाम पर अपनी वस्तु बेचकर अयोग्य व्यवसायियों को क्षेत्र से बाहर कर देते हैं। साथ ही इस काय कुशलता के कारण वे पहले से ही अपना काय क्षेत्र ऐसे स्थान पर बनाते हैं, जहाँ आवश्यक सुविधाएँ सरलता में प्राप्त होती हैं, भूमि अच्छी होती है, कच्चा माल कम दामों पर मिलता है और पूँजा जहाँ कम सूद पर मिल सकती है, रेल तथा सड़कों की जहाँ सुविधा होती है।

मोहन—इससे सिवा यह भी आवश्यक होता होगा कि वहाँ जन संख्या

यष्ट हो, ताकि मनदूर सरलता से ओर धरते मिल सकें, साथ ही वह वस्तु की मिक्री के लिए केन्द्र भी हो।

विहारी—हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है।

इसी प्रकार व्यवस्थापक को प्रारंभ करने की योग्यता का भी लाभ के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। शिक्षा के विकास से ऐसे व्यवस्थापकों की संख्या और योग्यता दोनों बढ़ रही हैं। इसमें लाभ की दर स्वभावतः गिर रही है। परन्तु इससे देश की औद्योगिक उन्नति बढ़ती तथा पूँजी की वृद्धि हाती है।

इसके बाद यदि किसी देश में शिक्षा का अभाव के कारण मनदूर सभाओं का विकास नहीं हुआ है तो वहाँ मनदूरी कम होती है। ऐसी अवस्था में लाभ अधिक होता है।

परन्तु यहाँ पर यह बात ध्यान में रखने की है कि उत्पादन व्यय की अन्य मदों में जितना ही अधिक गन्व होगा, उतना ही लाभ कम होगा। इसके अतिरिक्त कुछ लोग यह समझने लगते हैं कि वस्तु के दाम बढ़ने से लाभ बढ़ जाता है—यह उनकी सरासर मूल है। दाम बढ़ाने से लाभ बढ़ता नहीं है, क्योंकि जब दाम बढ़ जाते हैं तो वस्तु की माग भी तो कम हो जाती है। वस्तु की माग प्रायः दाम के कम होने से ही बढ़ती है। क्योंकि दाम बढ़ जाने से क्रिया वस्तु के बदल अन्य वस्तुओं के उपयोग में लाई जाने लगती हैं। उदाहरणार्थ—लड़ाई शुरू हुई, विदेशी औपाधियों के दाम बढ़ गये। लोगों ने सूत्र लाभ उठाने की बात सोची थी। परन्तु इसका विपरीत परिणाम यह हुआ कि लोगो ने डाक्टरों के यहाँ जाना ही बन्द कर दिया और वे वैद्या तथा दकानों की दवा लेने लगे।

इसी प्रकार लाभ का समय से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। तैयार की गई वस्तुओं जितनी शीघ्र बिकेगी उतना ही अधिक लाभ होगा।

मोहन—तो क्या इन बातों का ध्यान रखते हुए भारत में ऐसे व्यवसाय नहीं चालू किये जा सकते जिनमें सूत्र लाभ हो? नित्य हम देखते हैं कि छोटी छोटी तमाम चीजें ऐसी हैं जो अन्य देशों से आती हैं।

विहारी—क्यों न हों? ऐसे अनेक व्यवसाय हैं जिनमें लाभ हो सकता है। परन्तु हमारे यहाँ की मुख्य समस्या साहसियों का अभाव है।

भारतीयों को जब तक सोलह आने लाभ की आशा नहीं हो जाती, तब तक व रुपया लगाते ही नहीं। व रुपया या तो गाड़ रखते हैं अथवा जेवर आदि में इन्वें कर डालत हैं। उदाहरण के लिए कृषि को ही ले लो। हमारे देश में वैज्ञानिक खादों तथा औजारों की कमी है। अगर रुपया लगाकर वे, असुविधाएँ दूर कर दी जायँ, तो सैकड़ों नहीं हजारों का लाभ हो सकता है, परन्तु कोई ऐसा करना ही नहीं चाहता।

इसी प्रकार दूसरी असुविधा बीज की है। अगर बीज का सुचारु रूप से प्रबन्ध किया जाय तो सक्का मनों की उत्पात्त बढ़ाई जा सकती है। बहुत सी कृषि योग्य भूमि अब भी यहाँ ऐसी पड़ी है जिसका पूँजी लगाने के लिये साहसियों के अभाव के कारण, समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। अगर इस ओर पूँजीपात तथा साहसी लाग ध्यान दें तो विशेष लाभ की आशा है।

यहाँ प्रश्न यह उठता है घरेलू उद्योगधन्धों की उन्नति कैसे हो ? सरकार का इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं है। घरेलू उद्योगधन्धे उन्नत करने से भारत को आर्थिक समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है और देहातों तथा शहरा दोनों को बहुत कुछ दारद्रता दूर की जा सकती है।

मोहन—यही स्थिति है अन्य राजगारों की। जैसे खिलीने तथा प्रति आदन के उपयोग में आनेवाली अन्य वस्तुएँ—जैसे शीशे का सामान, दवाइयाँ, स्टेसनरी, साइकिलें और कपड़ा। इनमें भी तो लाखों रुपया प्रति वर्ष विदेश भेजा जाता है।

विद्वारी—हाँ, यदि यही धन्ध भारत में शुरू कर दिये जायँ तो यह रुपया भारत से बाहर जाने से रोका जा सकता है। इससे कबल लाभ ही न होगा, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत कुछ सुधर सक्ती। इस काव्य में सरकार को सहयोग देना चाहिये। बिना सरकारी सहयोग के देशी व्यवसाय पनप न सकेंगे।

मोहन ने तब मुसकराते हुए कहा—और सब तो आपने बतला दिया, परन्तु मुख्य बात रह ही गया कि लाभ का सिद्धान्त क्या है ?

विद्वारी—लाभ सदा जोखिम पर निर्भर होता है। जिस उद्योग में जोखिम कम होती है, उसमें लाभ भी कम होता है। इसके विपरीत।

जिसमें जोखिम ज्यादा होती है, उसमें लाभ भी ज्यादा होता है। जोखिम अधिक होनेवाले कामों में जब कभी कोई दुर्घटना हो जाती है, तो लापों की हानि कुछ ही घटों के अन्दर बात की बात में हो जाती है। इसीलिए ऐसे व्यापारों में लाभ की मात्रा जोखिम सँदने की शक्ति जोड़कर लगायी जाती है।

मोहन—पर विभिन्न व्यवसायों में होनेवाले लाभों में प्रायः जो अधिक अन्तर देख पड़ता है उसका कारण क्या है ?

विहारी—चाहे जो व्यवसाय हो, प्रति वर्ष लाभ एक या नहीं होता। कभी कम और कभी ज्यादा, यही क्रम रहता है। उसमें कभी कभी हानि भी हो ही जाती है, जैसा कि मने अभी बतलाया। अतएव एक निश्चित अवधि के अन्दर होनेवाले लाभ और हानि का औसत निकाल लिया जाता है। उस औसत से जो लाभ निकलता है वही उस व्यवसाय पर होनेवाले लाभ की साधारण दर मानी जाती है। रह गयी व्यवसायों में होनेवाले लाभों के विरोध अन्तर की बात। जो जोखिम पर विचार करके देखा जाय, वा अन्त में सारे व्यवसायों का औसत-लाभ प्रायः समान ही होगा। जिसमें जिस अनुपात से जोखिम अधिक होगी, उसमें उसी अनुपात से लाभ भी अधिक होगा। इस प्रकार दस-बारह वर्षों के औसत लगाने से असली लाभ की दर प्रायः प्रत्येक व्यवसाय में एक-सी रहती है।

यह चार्तालाप अभी चल ही रहा था कि किसी ने दरवाजा खटल टाया। मोहन तुरन्त उठकर बाहर चला गया। परन्तु फिर तुरन्त ही लौट कर बोला—ज्ञानचन्द्र बाबू आये हैं।

तब विहारी बाबू बाहरी बैठक में आ गये और ज्ञानचन्द्र को देखते ही बोले—कहिये, आज की सभा के सम्बन्ध में आपका क्या वक्तव्य है ?

ज्ञानचन्द्र—वक्तव्य की न पूछो। तुम्हें तो पता चला है कि लाभ जितना अधिक हुआ है, उतना बतलाया नहीं गया। सारा हिसाब जाली है।

विहारी—किसने तुमसे कहा है ?

ज्ञानचन्द्र—बहुत त्रास आदमी ने। नाम जानकर क्या कीजिएगा ? आपस का आदमी है।

विहारी—तब क्या राय है ?

शानचन्द—इस साल तो जो हुआ सो हुआ । अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते । पर अगले वष हम लोगों का इसी काम के लिए कुछ आदा लन करना पड़ेगा । हिस्सेदारों की सभा में अपना बहुमत करके डायरेक्टरी और आर्टीटर को बदल देंगे । जैसे भी होगा, घपलेशाजी हम एक नहीं चलने देंगे । जब तक धोखेवाला और जालसाजी में कुछ लोगों को हम तेल की हवा न खिला दें, तब तक हमें सतोष न होगा । एक चिट्ठी तो हम आज ही एक दैनिक पत्र में दे आये हैं, कल सबेरे पढियेगा ।

विहारी—आपने इस समय मेरे हृदय की स्थिति के अनुसारही बातें की हैं । इसके लिए धन्यवाद । इसके सिवा मैं सब तरह से आपके साथ हूँ । वैसे जैसा आप कहेंगे उसीतर करूँगा ।



वासठवाँ अध्याय

अत्यधिक लाभ

बिहारी बाजार जा रहा था । अतएव उमने मोहन से कहा— अपनी चाची से पूछ लो, कोई चीज मँगानी तो नहीं है ।

मोहन ने जब भीतर जाकर चाची से पूछा— बाजार से कुछ लाना तो नहीं है, तो चाची बोली— नग्नवाली रहती थी— एटेबेरिन की गोलियाँ चुक गयी हैं । कभी कोई जाय तो मँगा लेना । सो उनके लिए पन्द्रह गोलियाँ लेते आना ।

इतना कहकर वे उठी और भट ने पाँच रुपये का एक नोट लाकर उन्होंने मोहन को दे दिया । नोट लेकर जब मोहन बिहारी के साथ चलने लगा, तो नग्नवाली के लिए एटेबेरिन की गोलियाँ लाने की बात के सिलसिले में उसने कहा— क्यों चाचा, अगर इस समय भी आयात-निर्यात के साधन अनायास पूर्ववत् सुलभ हो जायँ, तो एटेबेरिन की गोलियाँ बनानेवाली कम्पनी को काफ़ी लाभ होगा—लेकिन काफ़ी ही क्यों, मैं तो कहना चाहता हूँ कि अत्यधिक लाभ होगा ।

बिहारी ने मुसदुराते हुए पूछा—लेकिन पहले यह तो बताओ कि अत्यधिक लाभ अर्थशास्त्र की दृष्टि से कहते किसे है ?

मोहन—मैं तो यही समझता हूँ कि साधारण लाभ की अपेक्षा जब अधिक लाभ होता है, तब उसे अत्यधिक लाभ कहते हैं ।

बिहारी—कहना तुम्हारा साधारणतया सही है, किन्तु अर्थशास्त्र में जिसे अत्यधिक लाभ माना गया है, उसकी यह परिभाषा अधूरी कह- लायेगी ।

मोहन ने आश्चर्य से कहा—अच्छा !

विहारी—मूम, थम, पूँजी और प्रकव, उत्पत्ति ने इन सभी साधनों का व्यव निभालने के बाद जो उचता है, वह लाभ होता है, वह तो तुमको मालूम ही है। दुर्मिक्ष, बाढ, भूकम्प, युद्ध अथवा अन्य किसी विशेष स्थिति में वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के कारण या विशेष लाभ होता है उसे अत्यधिक लाभ कहते हैं। यह अत्यधिक लाभ चाड़े ही वर्षों तक हो सकता है। यदि उसका समय उठ जाता है, तो अन्य क्षेत्रों के व्यापारी भी उठी और टूट पत्ते हैं। तब प्रतिस्पर्धा में वस्तुया का मूल्य गिर जाता है और लाभ साधारण रह जाता है।

इस अत्यधिक लाभ के वपय में सरकार का यह कहना हाना है कि उत्पादकों का इस अत्यधिक लाभ में कोई हिस्सा नहीं है। उन्होंने उत्पत्ति माल में इसकी आशा नहीं की थी, न वह उनके परिश्रम का फल है और न वे इसके अविहारी ही हो सकते हैं।

मोहन—कहना तो उसका उचित ही है। पूरा न सही, तो उसका एक हिस्सा ही सही पर मिलना उसे जरूर चाहिए।

विहारी—पर तुमने यह भी सोचा कि जब सकट माल में उत्पादकों को हानि होती है, तो उसकी पूर्ति भी क्या सरकार करती है? लाभ ही में वह अपना हिस्सा लगाना जानती है, और हानि के समय जुप रहती है, क्या उसके लिए यह उचित है ?

मोहन—हाँ, यह बात आपने खूब सोची। अच्छा तो इसके लिए फिर अर्थशास्त्र क्या व्यवस्था देता है ?

विहारी—बढ़ा पुराना उपाय, जिसकी वर्त्ता में पहले भी कर चुका हूँ। अर्थात् अत्यधिक लाभ की रकम को एक विशेष मीप में सुरक्षित रखकर उस समय उसका उपयोग करना, जब व्यापारिक मदी उपस्थित हाने पर यथायक वस्तुओं का मूल्य घट जाता है।

मोहन—हाँ, यही ठीक है। किन्तु प्राचीनकाल में इसने लिए क्या विधान था, चाचा ?

विहारी—उस समय अत्यधिक लाभ पर नियंत्रण रखना अत्यन्त आवश्यक

माना जाता था। आचार्य कौटिल्य ने अररमित तथा श्रमपादित लाभ उठाने वालों को डाकू तथा चोर माना था। उनके अनुधार लाभ लागत का केवल पाँच प्रतिशत हाना चाहिये। कुछ दशाश्रा म दस प्रतिशत तक हो सकता है।

मोहन—परन्तु आजकल तो ऐसा कोई नियंत्रण है नहीं।

निहारी—नहीं है। इसीलिए तो व्यवसायी लोग सारे लाभ को हड़प लेते हैं। वे मजदूरों को इसीलिए गुनासब वेतन नहीं देते। लाभ बढाने के लिए मजदूरों को कम से कम मजदूरी देकर अधिक से अधिक काम लेते हैं। अतएव अत्र यह नियंत्रण का प्रश्न अताराष्ट्रीय हो गया है। सरनार भा इसम हाथ बढाने लगी है। मिथित पूँजीवाली कम्पनियों का मुनाफा जब एक निश्चित परिमाण से अधिक हो जाता है तो सरकार अतिरिक्त कर के रूप में हिस्सा बँटाने लग जाता है। बहुधा बड़े-बड़े व्यवसायों को तो वह अपने अधिकार में ही कर लेता है। भारत में नहर के व्यवसाय में सरकार का पहले से ही हाथ है। धन से अच्छा उदाहरण तो तुम आजकल ही देख रहे हो। जन से महायुद्ध आरम्भ हुआ है—व्यवसायियों ने अनुचित लाभ उठाना शुरू कर दिया, परन्तु सरकार ने हस्तक्षेप किया और एक हड़ बना दी। किसके आगे लाभ लेने वालों पर वह सरकारी कार्यवाही कर सकती है।

मोहन—लाभ की सीमा को निर्धारित करते समय सरकार किन बातों को ध्यान में रखती है? सम्भव है कि यह बड़े-बड़े मालिकों तथा व्यवसायियों की बातों का ही ध्यान रखती हो।

निहारी—नहीं, ऐसा नहीं होता। वह काम करनेवाले छोटे-छोटे मजदूरों तथा आम जनता का भी ध्यान रखती है। आचार्य कौटिल्य के अनुसार यागर व्यवसाय का उद्देश्य धन सम्पत्त एकत्रित करना नहीं है। यह तो सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। महा भारत में भी लक्षा है कि लाखों का धन संप्रदाय दूसरों का अपकार किये नहीं होता। आजकल भी हम इसी प्रकार का आन्दोलन देख रहे हैं। समाजवाद उसी का एक उदाहरण है। समाजवाद की कल्पना अब हमारे देश में भी आने में लगी है। इसका उद्देश्य लाभ बन्द कर देने का है।

रुस में भी, जहाँ समाजवाद का सबसे अधिक विकास हुआ है, भूमि और सम्पत्ति की मालिक सरकार है। किसी किसी का मत है कि सरकार को कर के रूप में मुनाफे का अधिकांश भाग ले लेना चाहिये, जिससे व्यवसायी को छ प्रतिशत से अधिक लाभ न हो। सरकार अपने बसूल किये हुए कर को जनता के उपयोगी कार्यों में व्यय कर सकती है। इससे व्यवसाय का विकास भी न रुक सकेगा और लाभ का अधिकांश जनता को भी मिल सकेगा।

कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि कारखाने के मालिक मजदूरों से इस प्रकार का समझौता कर लेते हैं कि अमुक सीमा से ऊपर जो कुछ लाभ होगा, उसका एक निश्चित भाग मजदूरों को भी दिया जायगा। इससे मजदूर अपना कार्य खूब मन लगाकर करते हैं। इससे लाभ भी बढ़ता है। मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ती है तथा साथ ही उनकी काय्यक्षमता भी।

इस तरह वार्तालाप करते हुए दोनों उसी दूकान पर जा पहुँचे, जहाँ पहले उन्होंने एटेवेरिन की गोलियाँ ली थीं।

अदर जाते ही बिहारी ने पूछा—एटेवेरिन की गोलियाँ किस भाव देते हैं ?

दूकानदार—भाव तो साठे पाँच रुपये का है, किन्तु आप साठे पाँच आने कम दे दीजिये। हमारी कम्पनी ने यह तै किया है कि अपने स्थायी ग्राहकों से हम एक आना रुपया कम लेंगे।

मोहन बिहारी की ओर देखकर बोला—मैं आपकी कम्पनी की दूर दशिता की प्रशंसा करता हूँ।



तिरसठवाँ अध्याय

आर्थिक असमानता



पात काल दातून करते हुए विहारी बाबू ज्योही बैठक में आये, त्योही उन्होंने देखा—एक पुस्तक विक्रेता महाशय एक मजदूर के गिर पर पुस्तकों से भरा बक्सा रखाये लड़े हुए हैं और उनमें मोहन पूछ रहा है—समाजवाद की भी पुस्तकें रखते हो कि नहीं ?

पुस्तक विक्रेता ने कहा, अभी दिखलाता हूँ और बग उतारकर उसने आठ-दस पुस्तकें मोहन के सामने रख दी। मोहन ने सबको सरसरी दृष्टि से देखा और कह दिया—ये सब तो पुरानी पुस्तकें हैं। मैं इन्हें पढ़ चुका हूँ। और कोई नयी पुस्तक हो तो दिखलाओ।

पुस्तक विक्रेता ने कहा—दो एक पुस्तकें इस विषय पर और हैं, उन्हें मैं इष्टने हाथ आपके पास भेज दूंगा।

मोहन बोला—अच्छी बात है।

पुस्तक विक्रेता चला गया। संध्या समय वही आदमी, जो सवेरे पुस्तक से भरा बक्सा लादे हुए था, तीन पुस्तकें हाथ में लिये हुए मोहन के सामने था। मोहन ने इन तीनों पुस्तकों को देखकर एक पसन्द की और चाचा से कहा—देखिये, यह पुस्तक मुझे अच्छी जान पड़ती है।

पुस्तक देखकर विहारी ने कहा—हाँ, अच्छी है। किन्तु उसी समय बिल्लू और मुनिरा भी आ पहुँचे और बोले—बाबू, हम भी किताब ला दो, हम भी पढ़ेंगे।

विहारी ने कहा—यह पुस्तक रख जाओ और अपने मालिक से कहना,

उछ पुस्तकें खोने के पढने लायक लेकर आवें, तब एक राध दाम दिया जायगा। इस पर वह आदमी चलने लगा। मोहन ने देखा, वह चलने तो लगा, परन्तु उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तब उसने पूछ लिया—क्या समझे ?

उसने जवाब दिया—बचो के पढने लायक पुस्तको के साथ मैया को भेज देना है।

मोहन ने कहा—हाँ, बच जाओ।

ज्योंही यह आदमी श्रौंखों से ओभल हुआ, त्योंही मोहन ने कहा—मैं तो इसे मामूली मजदूर समझता था चाचा। पर इसने तो अपने मालिक के लिए मैया शब्द का प्रयोग किया है। पर दोनों के रहन सहन में कितना अन्तर है !

बिहारी ने उत्तर दिया—सगा भाई न होगा। किन्तु इससे क्या. अम मानता तो आज की एर समस्या है।

मोहन—किन्तु चाचा समानवादो लोग तो कहते हैं कि यह स्वाभाविक नहीं है। इसे स्वाया मनुष्य ने पैदा किया है। किन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि ज़मींदार और किसान, मालिक और नौकर, पूँजापति और मजदूर तथा गरीब और अमीर में आज जो असमान रूा हम देखते हैं, वह मनुष्य का पैदा किया हुआ किस प्रकार है। किसी बकील ने दो लडके हैं। वह दोनो को उच्च शिक्षा देने की चेष्टा करता है। एक मैट्रिक में तीन वर्ष लगातार फेल होने के कारण पढाई छोड़ बैठता और घर पर बेकारी का जीवन व्यतीत करने लगता है। दूसरा सात वर्ष में बैरिस्टर होकर हाईकोर्ट जाने लगता है।

बिहारी—किन्तु यहाँ तुमने जो उदाहरण लिया है, उसमें प्रतिभा और योग्यता में प्रकृत भेद है। परन्तु मैं तो इसने बिलकुल विपरीत स्थिति देखता हूँ। मान लो, किसी कालेज में एर अध्यापन का स्थान रिक्त हुआ है। उसका नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया जाता है। तीसो उम्मीदवार प्रार्थना पत्र भेजते हैं, जिनमें एक से एक अच्छे और योग्य व्यक्ति हैं। किन्तु नियुक्त होती है एक ऐसे व्यक्ति को, जो छोड़ दिये गये उम्मेद-

वारों की अपेक्षा योग्यता में कहीं अधिक निम्न कोटि का होता है। मालिक और नौकर, पूँजीपति और मजदूरों में भी मुझे ऐसे ही अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रायः मैंने देखा है कि जो लाखों की सम्पत्ति का स्वामी बना बैठा है, वह योग्यता में इतनी हीन भवती है कि उसे बीस रुपये महीने की नौकरी भी मुश्किल से मिलेगी। किन्तु अबसर आने पर वही आदमी, अपने उस मुनीम को, जो चालीस रुपये मासिक वेतन का व्यक्ति है, "नालायक" शब्द कह बैठता है। सैकड़ों व्यक्ति हम समाज में ऐसे नित्य मिलते हैं, जिनके काम करने का दैनिक औसत समय तीन घंटा भी नहीं है किन्तु आराम के घारे साधन उनके पास हैं और निरन्तर वे उसका भोग करते हैं। इससे विपरीत उन्हीं के कारखाने में जोसे ऐसे लोग काम करते हैं जिनके कार्य करने की सीमा दस घंटे प्रतिदिन है। किन्तु बहुत कम वेतन पाने के कारण न तो उनके परिवार भर को खाने का पूरा मुँहोता हो पाता है, न पहनने का। किसानों और जमींदारों के बीच भी ऐसा ही अन्तर पाया जाता है।

मोहन—अच्छा जाना, तो आपने इस सम्बन्ध में क्या साचा है ?

बिहारी—इस समय में अपनी बात न कहकर अर्थशास्त्र की रात कहना चाहता हूँ। थोड़ी बहुत असमानता तो प्रकृत है और सर्वत्र है। उसे कोई दूर नहीं कर सकता।

मोहन—कहा जाता है कि रूप में इस समय असमानता नहीं है। वहाँ तो साम्यवाद का प्रचार हो गया है।

बिहारी—गुलत बात है। आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक पद मर्यादा में मनुष्य कभी समान हो नहीं सकता। इस अन्तर को तो रराना ही पड़ेगा। यह कभी मिट नहीं सकता।

मोहन ने आश्चर्य से कहा—आप कह क्या रहे हैं चाचा ! क्या आपका भी यही विश्वास है ? मैं तो समझता था कि .. ।

मोहन अपने वाक्य को पूरा भी नहीं कर पाया था कि बिहारी ने कह दिया—पहले समझ लो कि मैं कह क्या रहा हूँ। हाँ, तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि कुल असमानता तो स्वाभाविक है।

मोहन—कारण ?

विहारी—क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति ममान, गुण, अवस्था, प्रकृति और स्थिति में नहीं होती। योग्यता भी सब की समान नहीं हुआ करती। यहाँ तब कि रुचि और प्रकृति में भी प्रायः महान अन्तर देखा जाता है। अतएव यह समानता, जो योग्यता के भेद के कारण होती है, स्कारजन्य है और अमित है।

मोहन—अच्छा, इससे बाद ?

विहारी—असमानता का दूसरा कारण है पूँजीवाद। पहले उत्पत्ति बहुत सीमित और निम्न क्षेत्रों में होती थी। जब तक सभ्यता के विकास में वर्तमान युग नहीं आया था, जिसे पूँजीवाद या बलपुर्जों का युग कहते हैं, तब तक असमानता का प्रश्न उपस्थित ही नहीं हुआ था। लोग अधिकतर अपनी पूँजी और धन लगाकर अपने उद्योग करते थे, इस कार्य में उन्हें अपने ही बर्धा से सहायता मिल जाती थी। वे अपनी वस्तु ले जाकर स्वयं ही बाजार में बेच आते थे। जो कुछ हानि-लाभ होता था उसी पर सन्तोष करते थे। इस प्रकार के व्यवसायी कहीं कहीं वर्तमानकाल में भी हैं। ऐसा जान पड़ता है कि कृषि के व्यवसाय में भी यही अवस्था अवश्य रही होगी।

अँगरेजों के भारतवर्ष में आने पर जहाँ एक ओर शान्ति की स्थापना हुई, वहाँ साथ-ही साथ घरेलू उद्योग धन्धों का भी नाश हो चला। इन धन्धों के काम से छूटे हुए लोग भी खेती करने लगे। जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण भूमि की माँग और भी उड़ गई। खेतों के लिए पारस्परिक स्पर्धा बढने लगी। जहाँ पहले जमीन्दार कृषकों को अपने गाँव में बसने के लिए आमन्त्रित किया करते थे, वहाँ अब वे उनकी पारस्परिक स्पर्धा का लाभ उठाकर मनमाना नजराना ऐँटने और लगान बढाने लगे। इस प्रकार उत्पत्ति के क्षेत्र में परिस्परिक यह हो गया है कि पहले, पूँजी, उद्योग-साधारण के अधिकार के अन्तर्गत थी, अब वह समाज के वर्ग विरोध के हाथों जा पहुँची है। घरेलू उद्योग धन्धों का नाश हो गया है और बल कारवाने बढ गये हैं। उत्पत्ति बहुत बड़ी मात्रा में होती है, जिसमें लाभ

अधिक होता है और मजदूरी कम देनी पड़ती है। इस विषय में सबसे अधिक चिन्त्य और विचारणीय विषय यह है कि इस असमानता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। ज़रतक इस वृद्धि का कम भग नहीं होना, तब तक यह बढ़ती ही जायगी। और इस असमानता की वृद्धि अगर तुरन्त रोकी न गयी, तो आश्चर्य नहीं कि यह एक युग के लिए स्थायी हो जाय।

मोहन—चाचाजी, इसने मूल में आपको धीन सा मुख्य कारण देखा पत्ता है ?

विहारी—(१) दाय सम्बन्धी विधान—जिसके अनुसार अमीर आदमी का पुत्र भी उत्तराधिकार में सारी सम्पत्ति का स्वामी होकर अमीर ही बना रहता है, चाहे वह पैसा ही शोभ्य और निष्काम क्यों न हो। (२) सामाजिक स्केडियाँ और कुप्रथाएँ—जिसके अनुसार अनमेल विवाह होने हैं और सामाजिक समूहों का स्वरूप दिन पर दिन विकृत होता जा रहा है। और इसी का यह दुष्परिणाम हम आज नित्य देखने हैं कि मजदूरों और किसानों का जीवन आज मनुष्यता से इस तरह गिर गया है कि जानकर तो उनकी अपेक्षा फिर भी अधिक मुग्धी हैं। देश की भी सम्पत्ति, शक्ति और सामयिक जायति का सबसे अधिक नाश उसा समय होता है, जब अत्यधिक असमानता स्थायी हो जाती है। आज जो लडाइयाँ हमारे यह और समाजगत जीवन में देख पत्ती हैं, असमानता ही के कारण। आज जो आत्मघात, वैर विरोध, लूट, डाका, हत्याकाण्ड, और नरसंहार का सभार-व्यापी महानाशकारी दृश्य हमको देखा पड़ता है, उसका मुख्य कारण यह असमानता की वृद्धि ही है।

यह घातानाश उस समय यहीं स्थगित होगया।

सायकाल यही पुस्तक विक्रेता जय बच्चा के लिए पुस्तकें लेकर पुनः उपस्थित हुआ, बिल्लू और मुनियाँ रग निरगो पुस्तकें लेकर उछलने-बूढ़ने लगे, तो विहारी ने कहा—मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जिसके सिर पर तुम यह दो मन का शोभ लादकर मीलों घूमते हो, यह तुम्हारा भाई है।

पुस्तक विक्रेता बोला—सगा भाई नहीं है। भमेरा भाई है। देहात से अभी

बुलाया है। वहाँ पर बेकार पड़ा हुआ था। अब यहाँ इधकी इसी काम में डालना है। उस समय मुझे कोई कुली मिल नहीं सका था। मैंने मना भी किया, किन्तु उसने नहीं माना। अभी कल ही तो आया है। कपड़े भी अभी सिलकर नहीं मिले हैं।



चौसठवाँ अध्याय

असमानता को दूर करने के उपाय



मोहन रक्षा-बन्धन के अवसर पर देहात गया हुआ था। अभी कल ही लौटा है। इस बार उसने देहात जाकर अपनी दृष्टि को एक विशेष विषय के अध्ययन में लगा रक्खा था। प्रत्येक पुरुष को उसने जब देखा, तब उसके रहन सहन, आर्थिक स्थिति, पेशा और उसके सम्बन्ध में उसका अपना प्रयत्न भी जानने की ओर उसका विशेष ध्यान रहता था। एक दिन के लिए वह अपने राजा मामा के यहाँ भी गया था। वहाँ उसने देखा कि असली अर्थ में ज़मींदार कहे जाने योग्य व्यक्ति उस गाँव में केवल एक-आध हैं। शेष सभी गाँव में थोड़ी-थोड़ी ज़मीन के हिस्सेदार हैं। वे सब सबेरे से लेकर शाम तक लगातार खेती के काम में लगे रहते हैं। उनके अतिरिक्त साधारण स्थितिवाले जो किसान हैं, उनमें से अधिक मौरूलीदार हैं। इन्हीं लोगों के पास वह ज़मीन भी रहती है, जो मौरूली नहीं होती। इन छोटे-छोटे ज़मींदारों और मौरूसी-दारों की स्थिति में विशेष अन्तर नहीं है। इन लोगों के घरों में इतना सुर्भीता है कि वे अपने बच्चों को थोड़ा-बहुत पढा सके। इनके यहाँ गायें, भैंसे हैं और लगातार नहीं, तो बर्य के कुछ महीनों में दूध अवश्य होता है। इस तरह इन परिवारों के लिए मोहन ने तै किया कि ये सब मध्यम श्रेणी के लोग हैं।

मोहन ने गाँव में एक बगं और देखा। उसमें अधिकतर तो निम्न जाति के लोग हैं, कुछ थोड़े उच्च जाति के भी हैं। उनका रहन सहन बहुत ही गिरा हुआ है। गमों और घर्षा ऋतु में वे फटी चियड़े-सी, मैली धोती के

तिवा बदन पर कोई कपड़ा नहीं रखते। जाड़ों में आधी बाँह का पुराना सलूका या किसी का उतरन उनके बदन पर रहता है। उनके भोजन का कुछ ठीक नहीं है। जिन लोगों के यहाँ वे काम करते हैं, उन्हीं के यहाँ जो कुछ उन्हें खाने को मिल गया, वही उनका भोजन होता है। अगर मालिक के यहाँ कल की कुछ खाद्य सामग्री बच रहा है, तो वह बाकी खाना ही उनका उस दिन का भोजन होगा, जो दस ग्यारह बजे भी नहा, दो बजे से पहले उन्हें नहीं मिलेगा। अगर किसी ने बासी तिवासी खट्टा भट्टा गिलासभर या तोला भर गुड दे दिया, तब तो यह उसकी बहुत बड़ी सहृदयता होगी। शाम के भोजन का कुछ ठिकाना नहीं है। क्योंकि इस श्रेणी के अधिकांश लोग सायंकाल के बाद का समय अपने अपने भोपड़ों में ही व्यतीत करते हैं। विवाह इन लोगों के प्रायः कम होते हैं। अगर होते भी हैं, तो वह छी भी कहीं न-कहीं मजदूरी करती रहती है। दिन भर के सारे परिश्रम के बाद उसने जो कुछ भी बना दिया, वही बहुत होता है। बेभर की रोटी और अरहर की दाल अगर बन गयी, तो बहुत बड़ी बात हुई। नहीं तो रोटी के साथ नमक के टोरे ही प्रायः मिलते हैं। मोहन ने अनुभव किया कि देहात का यही वर्ग सबसे अधिक शोषित है। जमीदार और मीरुसीदार किसान तो भाड़े से ही रहते हैं। गावों की अधिकांश जनता प्रायः इसी वर्ग की है। हल येही जोतते हैं और खेती सम्बन्धी सारा काम येही करते हैं।

मोहन ने अनुभव किया कि इस प्रकार देहात में जमीदार बहुत थोड़े हैं, अधिकांश जनता उस श्रेणी की है जिसे हम मजदूर कहते हैं। उधर शहरों में योडे से नौकरी पेशा वाले लोगों को छोड़ दिया जाय, तो शेष शारी जनता मजदूर है।

तब शहर आने पर मोहन ने बिहारी से कहा—चाचा, देहात और शहर दोनों की दशा देखकर मैं अक्सर यही सोचता रह जाता हूँ कि देश की अधिकांश जनता जब अन्यभिन्न शरीर है तब अतिशय उच्च वर्ग का अमित वैभव और विलास स्थिर और स्थायी कैसे हो रहा है। क्या इससे निराकरण का कोई उपाय नहीं है ?

इस पर बिहारी ने कहा—उपाय क्यों नहीं है ? स्वेच्छापूर्वक दात प्रेम

से यह असमानता दूर हो सकती है। दानों में सब से अधिक महत्त्व का दान अन्न, वस्त्र का संग्रहण जाता है। अगर गरीब जनता के लिए अन्न वस्त्र का सुप्रबन्ध हो जाय, तो प्रारम्भिक शिक्षापर्व तो तुरन्त दूर हो सकती है।

मोहन—दानशीलता की हमारे देश में कमी नहीं है। पुरातन उदाहरण न भी लें, तो सर गंगाराम जैसे लोकसेवक लोग आज भी हमारे यहाँ उत्पन्न होते हैं।

विहारी—किन्तु सारे देश के लिए तो ऐसे दानवीर बहुत बड़ी संख्या में चाहिए। हमारे यहाँ दान धर्म जो गोड़ा-बहुत होता भी है, वह अधिकांश के कारण अनुचित और अधार्मिक दङ्ग से होता है। सुपात्र और कुपात्र का ध्यान ही नहीं रखा जाता। पंडे और महत, जिनके पास मूलतः काफी सम्पत्ति रहती है, प्रतिवर्ष सड़कों कपड़ों का दान पाते हैं। देश की धार्मिक प्रवृत्तियों को यह कितनी बड़ी अधार्मिकता है कि दान उसे दिया जाय, जो उसका पात्र नहीं है। देश की दानशील शक्तियों का यह कितना बड़ा क्षय है कि प्रतिवर्ष ऐसे लाखों रुपये दुर्व्यसनों तथा हस्त-रामा की वृद्धि में गँट होते हैं। जीवन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है अन्न वस्त्र की, पहले उसका दान दरिद्र जनता के लिए होना चाहिए। उसके बाद उसकी नव सन्तति के लिए सबसे आवश्यक-वस्तु है शिक्षा जिसका दान हमारे यहाँ नहीं के बराबर होना है। कुछ ठिकाना है, कितनी बड़ी संख्या में हमारी जनसन्तति, अर्थात् भाव के कारण, प्रति वर्ष शिक्षा कम से वंचित हो जाती है। शिक्षा-संस्थाओं की वृद्धि इस कमी को बहुत अंशों में दूर कर सकती है।

मोहन—अच्छा, उसके बाद ?

विहारी—उसके बाद लोकोपकार के लिए वाचनालय, चिकित्सालय, पार्क, धर्मशाला तथा सड़क तथा कुओं के निर्माण की आवश्यकता है। यदि देश की इस महत्त्व आवश्यकता की ओर ध्यान दिया जाय, और इतना उद्देश्य तथा क्रम से दान किया जाय, तो यह असमानता दूर होने में देर न लगे। हमारे यहाँ तो पुरातन काल में ऐसे ऐसे सम्राट्-हुए जो प्रति पंचवें वर्ष अपना समस्त राज-कोष, अपनी सारी सम्पत्ति प्रजा के पीड़ितवर्ग के कष्ट-निवारण में दान कर देते थे।

मोहन— अब स्वेच्छापूर्वक इस शैली के अनुसार दान करनेवाले लोग हैं कहाँ ? इस आदर्श के अनुसार दया धर्म का तो सर्वथा लोप हो गया है । कभी-कभी तो मेरे मन में आता है कि सरकार इस तरह का दान धनिक वग से जरूर वसूल करे और लोकपोषण के इन कार्यों में लगा दे, तो भी यह आर्थिक असमानता दूर हो सकती है ।

विहारी— हाँ, सरकार ऐसा कर सकती है कि अमीरों पर धन-वृद्धि सन्धी अतिरिक्त कर लगाया जाय और उसका उपयोग फिर सार्वजनिक हित के कार्यों में किया जाय । वह मृत्यु कर लगाकर तथा दाय विभाग सम्बन्धी वर्तमान विधान को उलटकर जन्तु शुद्ध सम्पत्ति को प्रजा जन के हितार्थ लगा सकती है । किन्तु हमारे देश की शासन जिस क्रम से चल रहा है, उससे यह सम्भव नहीं है । कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने इधर कुछ ज़िलों से देहातो में जाहास्विय टल खोजे हैं, वे सुप्रबन्ध और उपयुक्त सहायता के अभाव में बहुत बुरी स्थिति में हैं । अक्सर देखा जाता है कि वे अधिकारियों के अशुभ व्यक्तिगत उपयोग की वस्तु बन रहे हैं । प्रजाजन के प्रति सरकार की हार्दिक सहायता के बिना स्थानिक स्वराज्य की ये सस्थाएँ भी व्यर्थ हो रही हैं ।

मोहन— तब फिर उपाय ही क्या है ?

विहारी— उपाय क्यों नहीं है ? सर्व से बड़ा उपाय यह है कि अमीरों, महाजनों, पूँजीपतियों तथा जमींदारों की जो असाधारण सम्पत्ति है, सरकार उसे एक साथ जप्त करले और उसे राष्ट्रीय सम्पत्ति बना ले और फिर मजदूर सरकार कायम कर दे । इस प्रकार देश भर में केवल एक वग रह जायगा और वह होगा मजदूर ।

मोहन— एक दूसरा वर्ग भी तो होगा सरकार का ।

विहारी— यह सरकार भी तो मजदूर जनता के आगे जिम्मेदार होगी । इस तरह शारीक अमीर का भेद ही मिट जायगा ।

मोहन— और जिन लोगों के पास व्यक्तिगत सम्पत्ति है और वे उसे अपनी छतान के लिए छोड़ जाना चाहते हैं, उनसे लिये क्या विधान होगा ?

विहारी— व्यक्तिगत सम्पत्ति तब रह ही न जायगी । दाय विभाग का

यह विधान ही न रहेगा जो आजकल है, तब पिता पितामह की सम्पत्ति की अधिकारिणी उसकी सन्तति भी न हो सकेगी ।

मोहन—यह उपाय तो मुझे सबसे अच्छा मालूम पड़ता है, चाचा ।

बिहारी—इसे समाजवाद कहते हैं । रूस देश ने इसे चरितार्थ कर दिखाया है यद्यपि अभी यह पूर्णरूप से सफल नहीं हुआ और अभी तक सवार इसे एक प्रयोग के रूप में ही स्वीकार कर रहा है ।

मोहन—इसका कारण, चाचा ?

बिहारी—बात यह है कि इसमें व्यक्ति स्वातन्त्र्य का अपहरण हो गया है । उसका उपभोग बहुत सीमित कर दिया गया है । जीवन के विकास में यह सहायक नहीं, एक प्रकार की बाधा है ।

मोहन—मे सगभ्ता नहीं, जरा इसकी उदाहरण देकर समझाइये ।

बिहारी—मानलो, कोई व्यक्ति अपने किसी सिद्धान्त विशेष का प्रचार करना चाहता है । ऐसी दशा में अगर सरकार से उसका मत नहीं मिलता, तो वह ऐसा कर नहीं सकता । राष्ट्रीय भण्डार में जो वस्तुएँ खाय अथवा व्यवहारसम्बन्धी उपरिगत हैं, अथवा सरकार जिनको उपस्थित करने में सहमत है, आवश्यकता पड़ने पर किसी व्यक्ति को वेही वस्तुएँ, जो भी एव सीमित मात्रा में मिल सकती हैं । न अन्य वस्तुएँ ही उसे दी जा सकती हैं, न उन वस्तुओं को उस मात्रा में दिया जा सकता है, जिसकी आवश्यकता उस व्यक्ति विशेष को अनिवार्य है । अभी कुछ वर्षों की बात है, महर्षि टात्स्ताय तक का साहित्य जनता के लिए वहाँ वर्जित था । अभी गत वर्ष एक बौद्धमिच्छु रूस गये थे । कहा जाता है कि उन पर यह संदेह किया गया कि वे किसी धर्म का प्रचार करने के लिये वहाँ आये हैं । और इसका फल यह हुआ कि उनको वापस आना पड़ा । कहने का तात्पर्य यह कि इस व्यवस्था के अनुसार न केवल उपभोग में बरन् आनार्जन के क्षेत्र में भी व्यक्ति स्वातन्त्र्य का कोई महत्व नहीं रह गया है । और इसलिए कुछ तत्वदर्शियों का मत है कि यह पग विकास की ओर नहीं, हास की ओर है—प्रगति नहीं, यह तो दुर्गति है ।

मोहन—तो आप यही कहना चाहते हैं कि यह आर्थिक असमानता किसी प्रकार दूर हो नहीं सकती ?

विहारी—नहीं, वही एक उपाय है, जिसका उल्लेख मैंने पहले किया है। यदि हम लोगों में सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग की प्रवृत्ति हो, यदि हम एक रोजी को अपने सारे परिवार में पाँट चूँटकर खाने का भाव रखें, यदि अधमर्थ पीडित अथवा असहाय वर्ग की दशा सुधारने के लिए हमारे हृदय में दया, वाणी में स्नेह और हाथ में दान की मैली हो, तो यह असमानता एक क्षण के लिए टिक नहीं सकती। यदि व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए हम सर्वजनिक हितों की हत्या करना त्याग दें, यदि न्याय के नाम पर अधिक से अधिक कष्ट और आत्म पीडन को हँसी खुशी से सहन करने को भी हम उचित समझें, यदि अपने कगल और अटूठ भाइयों को गले से लगाकर उनके साथ मनुष्यता का समवेदनापूर्ण व्यवहार करना हम सीख जायें, अगर हम अधोगर्जन में धार्मिक भावना को ही प्रधान रखें, तो हमारे देश की आर्थिक असमानता बहुत जल्दी दूर हो सकती है।

तब मोहन ने कहा—चाचा जी, उस दिन मैं एक कमरे में बैठा हुआ था। मैंने देखा कि बर्षा से भीगा हुआ एक मजदूर किसान जाड़ा खा गया है और थर थर काँप रहा है। मुझसे उसकी यह दशा देखी नहीं गयी और अपना पुराना कम्बल मैंने उसी समय उसे दे दिया। मुझसे किसी असहाय दुखी जन का दुःख देखा नहीं जाता।

मोहन—उस समय इतना ही कह पाया था कि उसकी आँखें भर आयीं।

विहारी तुमसे दया धर्म की ज्योति जग रही है। मैं चाहता हूँ कि आज हमारे देश का प्रत्येक शिक्षित नवयुवक तुम्हारा ही जैसा जिज्ञासु और धर्म-परायण हो। मेरे जीवन का यही एक स्वप्न है। यदि यह कमी आशिक रूप से भी पूर्ण हुआ, तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूँगा।



पैंसठवाँ अध्याय

वितरण का आदर्श

जन्माष्टमी का दिवस आ रहा है । इस अवसर पर मथुरा जाने के लिए राजाराम इधर कई वर्ष से उत्सुक रहे हैं । हर बार कोई न कोई विघ्न उपस्थित हो जाता और तैयार रहने पर भी घर से निकलना न होता था । परन्तु इस बार वे दो दिन पहले से ही घर से निकलकर प्रयाग आ गये । सोचा, बिहारीशानू को भी साथ लेंगे । बिल्लू और मुनियाँ उछल पड़े । बोले, मामा आये, मामा आये—तरद तरद की चीजें लाये ।

मोहन बोला—मैं रोज सोच लेता था कि राजा मामा बहुत दिनों से नहीं आये ।

बिहारी ने कहा—आ गये । यह बहुत अच्छा हुआ ।

शाम को राजाराम, मोहन और बिहारी घूमने निकले और बाध रोड पर बेर तक टहलते रहे । रास्ते में कई भँगते मिले । उनमें दो आदमी थे, एक कुचड़ी औरत और एक लडका । सामने पड़ते ही सबके सब पैसे के लिए गिड़गिटाने लगे । मोहन ने तुरन्त एक आना पैसा देकर कहा—सब लोग बाँट लेना ।

तब वे भँगते सामने से हट गये । घूमते-घूमते ये लोग इधर-उधर की बातें करते जा रहे थे । मोहन ने इसी अवसर पर कह दिया—लेकिन चाचा, ये भँगते भी क्या अनुचित वितरण के शिकार हैं ?

राजाराम बोले—मेरी राय में तो इनसे वितरण का कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। समाज का कौन-सा लाभ ये करते हैं, इनके द्वारा धनोत्पत्ति में कौन-सी सहायता मिलती है ?

यह बात विहारी को ज़रा खटक गयी। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। वे कुछ क्षणों तक मौन ही बने रहे।

मोहन अपने चाचा की भाव भंगिमा ताड़ता रहा। किन्तु यह स्थिति बहुत थोड़ी ही देर कायम रही। क्योंकि विहारी से बोले बिना नहीं रहा गया। उसने कहा—हाँ, इनको तो बाहर देकर मार डालना चाहिये ! समार में रहने और ज़िन्दगी लाभ करने का इन्हें अधिकार ही क्या है !

राजाराम विहारी के मन का भाव ताड़ गये। अतएव मुसकराते हुए बोले—मैं क्या जानूँ, क्या करना चाहिये, क्या नहीं। अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण-मान मैंने आपके सामने रक्खा है। उसके अनुसार उन लोगों पर विचार नहीं किया जाता, जिनका सम्बन्ध उत्पत्ति से नहीं है।

फिर थोड़ी देर चुप रहने के अनन्तर विहारी बोले—अच्छा इन्हीं से पूँछ लो, किसने इनकी यह दशा की है। मोहन, ज़रा बुलाना तो इन मँगतों को।

मोहन ने आगे बढ़ कर उन मँगतों को बुलाया। उन लोगों में से एक आदमी बोला—कुछ काम है का बाबू ?

मोहन ने कहा—हाँ, काम ही तो है। तुमको और पैसे दिलवायेंगे।

तब वे लोग प्रसन्नतापूर्वक मोहन के साथ चल दिये।

किनारे सड़क पर पत्थर की बेंचें पड़ी हुई थीं। उन्हीं पर राजाराम और विहारी बैठ गये थे। मँगते भी पहुँच गये। विहारी ने पूछा—तुम लोग कितने दिन से भीख माँगते हो ?

एक मँगता—इंजूर पाँच बरिस हुआ गया।

विहारी—क्यों यह पेशा इम्तिyार किया ?

वही मँगता—जिमीदार लगान बढ़ा दिहिन, सेतन माँ पैदावारी कुछु भई नाहीं। जब भूखेन मरी लागिन, और नुछु नहीं खूभ पड़ा, त भोपद मागन गुरू कै दिहिन !

तब दूसरे आदमी से विहारी ने पूछा—श्रीर तुम ?

वह आदमी—हमारे ऊपर सरकार महाजन क रुपया बहुत दुई गवा रहा । कीनीतना ते जब उद्धार न हुइ सकेन, बेलउ दगार बिकाइ गये, तब श्रीर का करतिन । कौनौ तना ते पेट त पालइ क चहौ ।

विहारी ने तब जेब से एक आना पैसा तुरन्त निकाल कर उन्हें दे दिया और कहा—जाओ, बस इसीलिए धुलाया या ।

जब वे लोग चले गये, तब विहारी ने गरजते हुए कहा—बोलो, मैं तुम्हीं से पूछता हूँ कि क्या यह जमींदारों तथा महाजनों की शोषण नीति का फल नहीं है ? एक इन्हीं लोगों का प्रश्न नही है । सारे देश की यह दशा इसी शोषण नीति ने कर रखी है । अगर वितरण की नीति में दोष न होता, तो क्या इसकी सम्भावना थी ?

तब राजाराम खोल उठा—यह मैं मानता हूँ । पर साधू सतों को पैसा देना परमार्थवाद का आदर्श है । अर्थशास्त्र से इसका कोई सम्बन्ध मेरी समझ में नहीं है ।

विहारी—तब मैं कहूँगा कि जो वितरण बन्दर-वाँट की नीति के अनुसार होता है, वह हिंसा पूर्ण है । श्रीर मैं तो यह भी मानता हूँ कि परमार्थ से ही स्वार्थ का अनुभव करना—परोपकार में ही आनन्द की सत्ता मानना—वितरण का आदर्श है । मेरी दृष्टि में तो जो महात्मा लोग जगत के कल्याण के लिए निरन्तर मानसिक और शारीरिक परिश्रम करते और स्वयं बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते हैं, वे बन्दनीय हैं । मुझे तो उस वर्ग से सदा पूछा रही है, और रहेगी, जो अपने भाई, कुटुम्बी, साथी, पड़ोसी, जातीय और तदन्तर मनुष्य मान के स्वाधां की किंचित् परया न करके अपना ही पेट भरना जानता है, अपना ही आराम देखता और अपने ही बिलास, ऐश्वर्य और यश वृद्धि की चिन्ता में निरन्तर लीन रहकर दूसरों की अस्तिधियाँ, तकलाफों और कठिनाइयों की न परवा करता है—न उनके निवारण और सुधार में योग देता है । उसकी सम्पत्ति व्यर्थ है, उसका जन्म व्यर्थ हुआ है और उसके जीवन को धिक्कार है । मैं जब किसी गरीब विद्यार्थी, बेकार युवक और दुःखी सद्यहस्थ को देखता हूँ, और चाहने पर भी उसकी कुछ सेवा नहीं कर पाता,

तब उस रात को मेरी नींद उचट जाती है। मैं सोचता रह जाता हूँ कि अगर मैं इस व्यक्ति की कुछ सहायता नहीं कर सकता, तो मैं जीवित क्यों हूँ ? वितरण के सम्बन्ध में भी मेरा यही विश्वास है कि जो वितरण हमारी आर्थिक असमानता को बढ़ाने में सहायक है, वह वास्तव में गलत है। उसका आधार न्याय-संगत नहीं हो सकता, चरु उसमें बढ़ी कमी है।

राजाराम—आप अपनी बात जाने दीजिए। जो लोग खेती करते, या कल कारखाने कायम करते और उसमें अपनी सारी शक्तियाँ लगा देते हैं, वे परमार्यवाद के अनुसार अगर व्यवहार करने लगें, तो उनकी सारी योजना ही असफल हो जाय ! क्या कभी इस दिशा की ओर भी आपका ध्यान गया है ?

बिहारी—इस दिशा की ओर मेरा ध्यान सदा से रहा है। मैं ऐसे उत्पादकों को भी जानता हूँ, जिन्होंने अपने खेतों और कल कारखानों में वितरण के उच्च आदर्श का पूर्ण रूप से पालन किया है।

राजाराम—कोई उदाहरण दीजिए।

बिहारी—अभी दस वर्ष पहले की बात है, एक छोटी सी रियासत का अधिकारी दा भाई थे। उन दिनों छोटा भाई विश्व विद्यालय में पढ़ता था। जब वह शिक्षा पूरी करके रियासत के काम में पड़ा, तो उसने देखा, बड़े भाई साहब किसानों के अधिकारों में व्यर्थ का हस्तक्षेप कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े भाई साहब से कहा, कि भैया आप अगर इसी तरह किसानों को सताएँगे, तो मुझ अलग होना पड़ेगा।

इस पर बड़े भाई रत्नवंतसिंह ने कहा—यशवंत, तुम इस सुधार नीति के कारण विस्तृत इसी हालत को प्राप्त ही जाओगे, जिस दशा में ये लोग हैं।

यशवंत बोला—मुझे झुंशी होगी। आप बटवारा कर दीजिए।

और बटवारा हो गया।

राजाराम ने मुसफ़रते हुए पूछा—उसके बाद उन जमींदार महाशय की क्या गति हुई ?

बिहारी ने आश्चर्य के साथ कहा—कोई दुर्गति नहीं हुई राजाराम। उसने

वे बीजा लगान, जो बलवन्त ने बढ़ा रक्ते थे, एकदम से कम कर दिये । जो लोग बकाया लगान के कारण बीस-बीस वर्ष से महाजनों के कर्ज़दार थे, उन सभी किसानों का लगान दो-दो साल के लिए उन्होंने माफ़ कर दिया । उसके बाद उन्होंने उनके खेतों की चकवन्दी कर दी । अनाज का बीज बढ़िया से बढ़िया उन्होंने मँगवाया और किसानों को दिया । जुताने, सिंचाई कराने और कटाने का काम उन्होंने नयी मेशीनों के द्वारा आधुनिक रीति से कराया । इस नीति से पाँच वर्ष के आयोजन में उन्होंने अपनी रियासत के सारे किसानों को सुशुभहाल कर दिया । वे सब लोग आज उन्हें अपना राजा मानते हैं । उनके गाँवों में जाकर देखो, तो तुम्हारी तयियत स्रुश हो जाय । पक्की सड़कों पर ऐसी सजाई है, मकानों की ऐसी सुन्दर बनावट है, शिक्षा-संस्थाएँ, चिकित्सालय तथा सहयोग समितियों का ऐसा सुन्दर आयोजन है कि आपको यहाँ दूसरा संसार नज़र आयेगा ।

इसी समय राजाराम ने पूछा—और कुरर यशवन्तसिंह के कोप का क्या हाल है ?

बिहारी—मान लो, कोप में उतना नज़द क्या नहीं है, जितना बलवन्त भाई के यहाँ । किन्तु इससे क्या ? वितरण के आदर्श के अनुसार काम करने पर सकलता तो उन्हें मिली है । यह ठीक है कि आजकल ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने में आते हैं ।

आजकल तो सुनता हूँ, सेठजी हड़ताल के समय मिल बन्द कर देते हैं और कहते हैं—“मेरा क्या विगड़ेगा, जिन्दगी भर आराम से बट जायगी, इतना पैदा कर लिया है । पर देखना है, साम्यवादी नेताओं के बहकाने में आकर ये हड़ताल करनेवाले मज़दूर कितने दिन तक टहरते हैं !” मैं तो कहता हूँ कि जो लोग अपने स्वार्थों—की रक्षा करने के लिए पसीना बहाने और मृत सुखाने वाले किसानों और मज़दूरों की जीविका अपहरण करने में किसी तरह की विजय अपना आत्म-वृत्ति का अनुभव करते हैं, वे मनुष्य नहीं रह गये । वे पशु हो गये हैं । और आज का पूँजीवाद, अगर वितरण के आदर्श की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, अगर वह असमर्थ और असहायों को सहारा, मूर्ख-भटके व्यक्तियों को रोटी और बेकारों को जीविका देने

में समर्थ नहीं है, तो उसका पोषक वह पूँजीपति वर्ग मनुष्यता से गिर गया है, धर्म-कर्म से गिर गया है और अब वही स्थिति उसके सामने आने को चाक्री रह गयी है, जब वह यह अनुभव करेगा कि यह कुल्हाड़ी तो मेरे ही पैरों में लगी है !

मोहन ने कहा—निस्सन्देह चाचा, यही बात है ।

राजाराम ने कहा—अच्छा बहुत हो गया । अब चलो लौट चलें ।

तब सब लोग लौट पड़े ।

थोड़ी देर मौन रहने के बाद रिहारी ने पूछा—तुम्हारे गाँव के उन रीशन महाशय का क्या हाल है, जो बहुत छोटे पैमाने पर करघा चलाते थे और कपड़े की बुनवाई का काम करते थे ?

राजाराम चुपचाप, बिना किसी प्रकार का भाव-परिवर्तन प्रकट किये हुए बोले—अब तो मैं भी उनसे इस ध-धे में शामिल हो गया हूँ ।

आश्चर्य से रिहारा ने कह दिया—अच्छा !

और ठीक उसी समय राजाराम बोल उठे—गत वर्ष नब्बे रुपये का लाभ हुआ था, जिसमें हम लोगों ने केवल बीस रुपये ले लिये, बाकी ७०) सत कर्मचारियों में बांट दिये ।

तब तो हँसते हुए रिहारी ने कहा—तुम बड़े बने हुए हो ! मुझको बेकार क्यों इतना तग किया ?



पारिभाषिक शब्दों की सूची

हिन्दी से अंग्रेज़ी

| | | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| अत्यधिक लाभ | Abnormal Profits | उत्पत्ति | Production |
| अतिदीर्घकालीन बाजार | Very Long Period Market | उत्पादन व्यय | Expenses of Production |
| अभौतिक अर्थ | Non Material Wealth | उपभोक्ता की बचत | Consumer's Surplus |
| अर्थशास्त्र | Economics | उपभोग | Consumption |
| अल्पकालीन बाजार | Short Period Market | उपयोगिता-ह्रास नियम | Law of Diminishing Utility |
| अस्थायी व्यय | Prime Cost | एकाधिकार कर | Monopoly Tax |
| असमानता | Inequality | कृमागत-उत्पत्ति-समता नियम | Law of Constant Returns |
| आर्थिक लगान | Economic Rent | — वृद्धि नियम | Law of Increasing Returns |
| आन्तरिक | Internal | | |
| आराम की वस्तुएँ | Comforts | | |
| आवश्यकता | Wants | | |
| आविष्कार | Invention | | |
| इच्छाएँ | Desires | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| क्रमगतहास नियम | Law of Diminishing Returns | पूँजी, चल— | Circulating Capital |
| | | पूँजी, अचल | Fixed Capital |
| कृत्रिम आवश्यकताएँ | Conventional Necessaries | पूँजीवाद | Capitalism |
| कीमत | Price | पूर्ति का नियम | Law of Supply |
| खेतों की चक बन्दी | Consolidation of holdings | विपूलस्रचा | Extravagance |
| घिसावट | Wear and Tear | रक्षत | Savings |
| जनसंख्या | Population | बरबादी | Waste |
| जीवन - रक्षक पदार्थ | Necessaries for existence | बाजार | Market |
| दीर्घकालीन बाजार | Long Period Market | बाह्य | External |
| धन | Wealth | भौतिक | Material |
| निष्पत्तादायक पदार्थ | Necessaries for efficiency | भूमि | Land |
| निषेध | Prohibition | मजदूर सभा | Labour Union |
| नीतिशास्त्र | Ethics | मजदूरी | Wages |
| प्रबन्ध | Management | माँग | Demand |
| प्रतिस्पर्धा | Competition | माँग की लोच | Elasticity of Demand |
| प्रतिस्थापन सिद्धान्त | Principle of Substitution | माँग और पूर्ति का नियम | Law of Demand and Supply |
| पूँजी | Capital | मादक वस्तुएँ | Intoxicants |
| पूँजीपति | Capitalist | मिश्रित पूँजी की कम्पनियाँ | Joint Stock Companies |
| | | मुनाफा | Profits |
| | | मूल्य हास | Depreciation |

| | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| यातायात | Communication | विज्ञापन | Advertisement |
| रहनसहन का दर्जा | Standard of Living | श्रम | Labour |
| घपया पैसा | Money | श्रम विभाग | Division of Labour |
| रूत-रेखा | Outlines | श्रम की कुशलता | Efficiency of Labour |
| राजस्व | Public Finance | सट्टेबाजी | Speculation |
| राष्ट्रीय सम्पत्ति | National Wealth | स्थायी व्यय | Supplementary Costs |
| लगान | Rent | सम सीमान्त उपयोगिता | Equi-Marginal Utility |
| लागत द्रव्य | Cost of Production | समाज शास्त्र | Sociology |
| लाभ | Profit | सम्पत्ति | Wealth |
| व्यवस्था | Organisation | सूद | Interest |
| वस्तु परिवर्तन | Barter | स रक्षण | Protection |
| व्यावसायिक चक्र | Business Cycles | संरक्षक नीति | Protectionist Policy |
| व्यापार | Trade | साझेदारी | Partnership |
| वितरण | Distribution | साधारण लाभ | Normal Profit |
| विनियम | Exchange | साम्यवाद | Socialism |
| विनियम साध्य | Transferable | साहस | Risk |
| विलासिता के पदार्थ | Luxuries | सीमान्त उपयोगिता | Marginal Utility |



अंग्रेज़ी से हिन्दी

| | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Abnormal Profit | अत्यधिक लाभ | Demand | माँग |
| Advertisement | विज्ञापन | Depreciation | मूल्य-हास |
| Barter | वस्तु-परिवर्तन | Desire | इच्छा |
| Business Cycles | व्यावसायिक चक्र | Distribution | वितरण |
| Capital | पूँजी | Division of Labour | श्रम विभाग |
| Capitalist | पूँजीपति | Economic Rent | आर्थिक लगान |
| Circulating Capital | चल पूँजी | Economics | अर्थशास्त्र |
| Comforts | आराम की वस्तुएँ | Efficiency of Labour | श्रम की कुशलता |
| Competition | प्रतिस्पर्धा | Elasticity of Demand | माँग की लोच |
| Consolidation of Holdings | खेतों की चक्कबन्दी | Equi-marginal Utility | सम सीमान्त-उपयोगिता |
| Consumer's Surplus | उपभोक्ता की वचत | Ethics | नीतिशास्त्र |
| Consumption | उपयोग | Exchange | विनिमय |
| Conventional Necessaries | दृष्टिमान आवश्यकताएँ | Expenses of Production | उत्पादन व्यय |
| | | External | बाह्य |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Extravagan- ce | फिज़लज़वां | Long Period Market | दीर्घकालीन बाज़ार |
| Fixed Capital | अचल पूंजी | Luxuries | विलासिता के पदार्थ |
| Inequality | असमानता | Management | प्रबन्ध |
| Interest | सुद | Marginal | सीमान्त उप- |
| Internal | आन्तरिक | Utility | योगिता |
| Intoxicants | मादक वस्तुएँ | Market | बाज़ार |
| Invention | आविष्कार | Material | भौतिक |
| Joint Stock Companies | मिश्रित पूंजी की कम्पनियाँ | Means of Communi- cation | यातायात के साधन |
| Labour | श्रम | Money | रुपया-पैसा |
| Labour Union | मज़दूर सभा | Monopoly | एकाधिकार |
| Land | भूमि | National Wealth | राष्ट्रीय सम्पत्ति |
| Law of Constant Returns | क्रमगत-उत्पत्ति समता नियम | Necessaries for Effi- ciency | निपुणतादायक पदार्थ |
| Law of Demand and Supply | माँग और पूर्ति का नियम | Necessities for Exis- tence | जीवन . रक्षक पदार्थ |
| Law of Diminishing Returns | क्रमगत-उत्पत्ति हास नियम | Non-material | अभौतिक |
| Law of Diminishing Utility | उपयोगिता - हास नियम | Normal Profit | साधारण लाभ |
| Law of Supply | पूर्ति का नियम | Organisa- tion | व्यवस्था |
| | | Outlines | रूप-रेखा |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Partnership | साझेदारी | Socialism | साम्यवाद |
| Population | जन संख्या | Sociology | समानशास्त्र |
| Price | कीमत | Speculation | राट्टेबाज़ी |
| Prime Costs | अस्थायी व्यय | Standard of Living | रहनसहन का दर्जा |
| Principle of Substitution | प्रतिस्थापन सिद्धान्त | Supplementary Costs | स्थायी व्यय |
| Production | उत्पत्ति | Tax | कर |
| Profit | लाभ | Trade | व्यापार |
| Prohibition | निषेध | Transferable | विनिमय साध्य |
| Protection | संरक्षण | Very Long Period | अति दीर्घकालीन बाज़ार |
| Protectionist Policy | संरक्षण नीति | Market | |
| Public Finance | राजस्व | Wages | मज़दूरी |
| Rent | लगान | Want | आवश्यकता |
| Risk | साहस | Waste | बरबादी |
| Savings | वचत | Wealth | सम्पत्ति या धन |
| Short Period Market | अल्पकालीन बाज़ार | Wear and Tear | घिसावट |



शब्दानुक्रमणिका

| | | | (पृष्ठ-संख्या) |
|----------------------------------|-----|-----|------------------|
| अत्यधिक लगान | ... | ... | ४०१-४०२ |
| अत्यधिक लाभ | ... | ... | ४५७-४६० |
| अतिदीर्घकालीन बाजार | ... | ... | ३०२ |
| —में क्रीमत | ... | ... | ३१९-३२५ |
| अर्थ की परिभाषा | ... | ... | ११-१६ |
| अर्थशास्त्र और इतिहास का सम्बन्ध | ... | .. | ४४-४५ |
| —नीतिशास्त्र का सम्बन्ध | ... | ... | ४१-४२ |
| —भूगोल का सम्बन्ध | ... | ... | ४५ |
| —राजनीति का सम्बन्ध | ... | ... | ४२-४३ |
| —समाजशास्त्र का सम्बन्ध | ... | ... | ४६ |
| —का महत्व | ... | ... | ३६-३७ |
| —का क्षेत्र | ... | ... | = |
| —के विभाग | ... | ... | ९-१० |
| —की परिभाषा | ... | ... | ७ |
| —की प्राचीनता | ... | ... | ३१-३२ |
| अधिकार-परिवर्तन | ... | ... | १४१ |
| अल्पकालीन बाजार | ... | ... | ३०१ |
| —में क्रीमत | ... | .. | ३०३-३०९ |
| असमानता के दूर करने के उपाय | ... | ... | ४६१-४७१ |
| अस्थायी व्यय | ... | ... | ३०७ |

| | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----------|
| अधिक असमानता | ... | ... | ४६१-४६६ |
| —के दूर करने के उपाय | ... | ... | ४६७-४७१ |
| आर्थिक लगान | ... | ... | ३८९-३९७ |
| आदर्श, उत्पत्ति का | ... | ... | २६७ २७५ |
| —उपभोग का | ... | ... | १३१-१३७ |
| —क्रय-विक्रय का | ... | ... | ३७३ ३८१ |
| —वितरण का | ... | ... | ४७३-४७८ |
| आवश्यकताओं का नियंत्रण | ... | ... | ५३, ५६-५९ |
| —की विशेषताएँ | ... | ... | ४९ ५३ |
| आविष्कारों का कीमत पर प्रभाव | ... | ... | ३२४-३२५ |
| आराम का वस्तुएँ | ... | ... | ८७ |
| इच्छाएँ | ... | ... | ४८ ५३ |
| इच्छाओं की अपरिमितता | ... | ... | ४९-५० |
| इतिहास और अर्थशास्त्र का सम्बन्ध | .. | - | ४४ ४५ |
| उत्पत्ति का आदर्श | .. | ... | २६७ २७५ |
| —के साधन | .. | ... | १४५-१५० |
| —के नियम | .. | ... | २३०-२३७ |
| —के भेद | ... | ... | १३८ १४४ |
| —की परिभाषा | .. | ... | २३-२४ |
| उत्पादन व्यय | ... | ... | ३१४-३१७ |
| उपभोग की परिभाषा | ... | ... | २०-२२ |
| —का आदर्श | .. | ... | १३२ १३७ |
| —और सन्तोष | .. | ... | ५४-५९ |
| उत्पत्ति की वचन | ... | ... | ८० ८४ |
| उपयोगिता नियम, समसीमान्त | ... | ... | ६६-६७ |
| उपयोगिता हास नियम, सीमान्त | ... | ... | ६०-६५ |
| एकतन्त्रवाद | ... | ... | २४६ |
| एकाधिकार में प्रतिस्पर्धा | ... | ... | ३५४-३५९ |

| | | | |
|----------------------------------|-----|-----|---------|
| एकाधिकार में कीमत | ... | ... | ३४३-३५३ |
| किठान और ज़मींदार, | ... | ... | ४०५-४११ |
| क्रीमत-नियंत्रण, सरकार द्वारा | ... | ... | ३३८-३४० |
| —एकाधिकार में | ... | ... | ३५२-३६३ |
| कीमत पर प्रभाव, आविष्कारों का | ... | ... | ३२४-३२५ |
| —जनसंख्या का | ... | ... | ३२२-३२३ |
| क्रीमत, एकाधिकार में | ... | ... | ३४३-३५३ |
| —वस्तुओं की अल्पकालीन बाज़ार में | .. | ... | ३०३-३०९ |
| —अतिदीर्घ कालीन बाज़ार में | ... | --- | ३१९-३२५ |
| —दीर्घकालीन बाज़ार में | ... | ... | ३१०-३१८ |
| कृत्रिम आवश्यकताएँ | ... | ... | ८७-८८ |
| कृमागत-उत्पत्ति वृद्धि-नियम | ... | ... | २३१-२३६ |
| —समता नियम | ... | ... | २३१-२३६ |
| —ह्रास नियम | ... | .. | २३१-२३६ |
| कृषिविक्रय | ... | ... | २८५-२९३ |
| —का आदर्श | ... | ... | ३७३-३७९ |
| कृषि-प्रदर्शनी | ... | ... | १ |
| कौटिल्य का अर्थशास्त्र | ... | ... | ३१ |
| चक्रवन्दी, खेतों की | ... | ... | १६०-१६४ |
| चाणक्य | ... | ... | ३१ |
| ज़मींदार और किठान | ... | ... | ४०५-४११ |
| जमींदारी | ... | ... | ३९८-४०४ |
| जनसंख्या का क्रीमत पर प्रभाव | ... | ... | ३२९-३२३ |
| जनसंख्या-वृद्धि | ... | .. | १७१-१८० |
| —रोकने के तरीक़े | ... | ... | १७९-१८० |
| जलवायु का प्रभाव | ... | ... | १५२-१५४ |
| जीवन-रक्षक-पदार्थ | ... | ... | ८६ |
| जुआ | ... | ... | ३६७-३६८ |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| थोक बिक्री | ३२६ ३३२ |
| दानधर्म | १२६ १३३ |
| दीर्घकालीन बाजार | ३०२ |
| —में क्रीमता | ३१० ३१८ |
| दुकानदारों | ३६० ३६५ |
| धन की परिमाणा | ११ १६ |
| धनोपत्ति के क्रम | २३८ २४६ |
| धर्म का अर्थ से सम्बन्ध | ३९ ४१ |
| यूनतम मचदूरी | ४३८ ४४३ |
| निपुणतादायक पदाय | ८६ ८७ |
| निषेध मादक वस्तुओं का | १०३ १०७ |
| नीतिशास्त्र और अथशास्त्र का सम्बन्ध | ४१ ४२ |
| पदाथ आराम के | ८७ |
| —कृत्रिम आवश्यकताओं के | ८७ ८८ |
| —निपुणतादायक | ८६ ८७ |
| —जीवन-रक्षक | ८६ |
| —विलासिता के | ८७-८८ |
| पूँजी | १४६ १९८ २०५ |
| —अचल | २०० २०१ |
| —चल | २०० |
| —का संचय | १२४ |
| पूँजीवाद | २४४ २४५ |
| पूँजी की वृद्धि | २०६ २१३ |
| पूर्ति का नियम | २८९ |
| प्रबंधक | १४७, २१४ २२१ |
| प्रबंधक के गुण | ११६ ११७ |
| प्रतिस्थापन सिद्धान्त | २१९ २२१ |
| भिजूलप्रची | ९६ १०२ |

| | | | |
|-----------------------------------|-----|-----|--------------|
| फुटकर बिक्री | ... | ... | ३२६-३३२ |
| बचत | ... | ... | ११९-१२५ |
| —उपभोक्ता की | ... | ... | ८०-८४ |
| बरवादी | ... | ... | ११४-११८ |
| बाजार | ... | ... | २९४-३०२ |
| —अल्पकालीन | ... | ... | ३०१ |
| —दीर्घकालीन | ... | ... | ३०२ |
| —अतिदीर्घकालीन | ... | ... | ३०२ |
| —जो क्रीमत, अल्पकाल में | ... | ... | ३०३-३०९ |
| —अति दीर्घकाल में | ... | ... | ३१९-३२५ |
| —दीर्घकाल में | ... | ... | ३१०-३१८ |
| भूगोल और अर्थशास्त्र का सम्बन्ध | ... | ... | ४५ |
| भूमि | ... | ... | १४६, १५१-१५९ |
| मजदूर सभा | ... | ... | ४४४-४४९ |
| मजदूरी | ... | ... | ४३०-४४७ |
| —न्यूनतम | ... | ... | ४३८-४४३ |
| महाजन और ज़मींदार | ... | ... | ४२४-४२९ |
| मांग और पूर्ति का नियम | ... | ... | २९१-२९३ |
| माग का नियम | ... | ... | ७२-७९ |
| —की लोच | ... | ... | ९०-९५ |
| माष-मेला | ... | ... | १-६ |
| मादक वस्तुओं का निषेध | ... | ... | १०३-१०७ |
| मालयस | .. | ... | १७२ |
| मूल्यह्रास का दिखान | ... | ... | ३१५-३२६ |
| मिश्रित पूँजी की कम्पनियाँ | ... | ... | २५०-२५६ |
| यातायात के साधन | ... | ... | २१८-२१९ |
| राजनीति और अर्थशास्त्र का सम्बन्ध | ... | ... | ४२-४३ |
| राजस्व की परिभाषा | ... | ... | ९८ |

| | | | |
|------------------------------|-----|-----|--------------|
| राष्ट्रीय संपत्ति | ... | ... | १६-१७ |
| रिक्वाइर्मेंटें | ... | ... | ३९४ |
| रूप परिवर्तन | ... | ... | १३९-१४० |
| रूस में पदार्थों की उत्पत्ति | ... | ... | २६७ |
| लगान अत्यधिक | .. | ... | ४०१-४०२ |
| —आर्थिक | ... | ... | ३८९-३९७ |
| लागत-द्वर्च | ... | ... | ३१४-३१७ |
| लाभ | ... | ... | ४५०-४५६ |
| —अत्यधिक | ... | ... | ४५७-४६० |
| व्यवस्था | ... | ... | १४८, २४७-२५६ |
| वस्तु-परिवर्तन | ... | ... | २७६ २८४ |
| व्यावसायिक चक्र | ... | ... | ३४१ |
| व्यापार संरक्षण नीति | ... | ... | २६१-२६३ |
| बाल विवाह | ... | ... | १७१-१७७ |
| विलासिता के पदार्थ | ... | ... | ८७-८८ |
| त्रिकी, थोक कुटकर | ... | ... | ३२६ ३३२ |
| वितरण का आदर्श | ... | ... | ४७३-४७६८ |
| —की समस्या | ... | ... | ३८१-३८८ |
| —की परिभाषा | ... | ... | २६-२७ |
| विनिमय की परिभाषा | ... | ... | २५ |
| विज्ञापन | ... | ... | १४१, २१८ |
| ध्रम | ... | ... | १४६, १६४ १७० |
| —की कुशलता | .. | ... | १८१-१८८ |
| —विभाग | ... | ... | १८९-१९७ |
| सट्टेबाजी | ... | ... | ३६९-३७८ |
| स्थायी व्यय | ... | ... | ३०७ |
| स्थान परिवर्तन | ... | ... | १४० १४१ |
| सम सीमात उपयोगिता नियम | ... | ... | ६६-७१ |

| | | |
|---------------------------------------|-----|---------|
| उत्पत्ति की परिभाषा | ... | १६-१८ |
| —राष्ट्रीय | ... | १६-१७ |
| समय परिवर्तन | . | १४१ १४२ |
| समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का सम्बन्ध | ... | ४६ |
| सरकार का हस्तक्षेप, | . | १०३-१०७ |
| —उपभोग में | .. | १०८ ११३ |
| —के अर्थ सम्बन्धी कार्य | ... | ३४ |
| —द्वारा क्रीमियों का नियन्त्रण | .. | ३३८ ३४० |
| —और उत्पत्ति | .. | २२७ २६७ |
| साधारण लाभ | ... | ४५० ४५६ |
| साम्बन्धकारी | ... | २४९ |
| साम्यवाद | . | २४६ |
| साहस | ... | १४८ |
| सीमांत उपयोगिता हास नियम | ... | ६०-६५ |
| सुख सतोष, भविष्य का | ... | १८८ |
| सूद का सिद्धांत | ... | ४१२ ४१८ |
| संगठन | ... | १४८ |
| हित-विरोध दूर करने के उपाय | ... | २४२ २४६ |
| इच्छताल | ... | ४४४-४४९ |
| हस्तक्षेप, सरकार द्वारा उपभोग में | ... | १०३ ११३ |



भारतवर्षीय हिन्दी-अर्थशास्त्र-परिषद्

(सन् १९२३ ई० में स्थापित)

सभापति—

श्रीयुत पंडित दयाशंकर दुबे, एम० ए०, एल एल० बी० अर्थशास्त्र
अध्यापक, प्रयाग विश्व-विद्यालय, प्रयाग ।

मंत्री—

(१) श्रीयुत जयदेवप्रसादजी गुप्त, एम० ए०, बी० कॉम०, एस० एम०
कालेज, चदौरी ।

(२) पंडित भगवतीप्रसाद जी याजपेयी, दारागज, प्रयाग ।

इस परिषद् का उद्देश्य है जनता में हिन्दी द्वारा अर्थशास्त्र का ज्ञान फैलाना और उसका साहित्य बढ़ाना । कोई भी सज्जन अर्थशास्त्र पर एक पुस्तक लिखकर इस परिषद् का सदस्य हो सकता है । प्रत्येक सदस्य को परिषद् द्वारा प्रकाशित वा सहायिक पुस्तकें पौने मूल्य पर दी जाती हैं ।

परिषद् की सहायन समिति द्वारा सम्पादित होकर निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं—

- | | |
|--|-----|
| (१) भारतीय अर्थशास्त्र (भारतीय ग्रंथमाला, वृन्दावन) | २॥॥ |
| (२) भारतीय राजस्य (भारतीय ग्रंथमाला, वृन्दावन) | ॥॥८ |
| (३) विदेशी विनिमय (गंगा प्रयागार, लखनऊ) | १॥॥ |
| (४) अर्थशास्त्र शब्दावली (भारतीय ग्रंथमाला वृन्दावन) | ॥॥ |
| (५) कौटिल्य के आर्थिक विचार (" ") | ॥॥८ |
| (६) अर्थ का उपभोग (साहित्य मन्दिर, दारागज, प्रयाग) | ॥॥ |
| (७) भारतीय बैंकिंग (रामदयाल अग्रवाल, प्रयाग) | १॥॥ |

- (८) हिन्दी में अर्थशास्त्र और राजनीति साहित्य (भारतीय प्रथमाला . वृन्दावन) ॥१)
- (९) धन की उत्पत्ति (लाला रामनारायन लाल, प्रयाग) ११)
- (१०) अर्थशास्त्र की रूप रेखा (साहित्य निकेतन, दारामज, प्रयाग) ६)
- (११) सरल अर्थशास्त्र (लाला रामनारायन लाल प्रयाग) ३)
- (१२) ग्राम्य अर्थशास्त्र " " ११)
- (१३) भारत का आर्थिक भूगोल " " ११)
- (१४) ग्राम मुधार (कृषि कार्यालय, जौनपुर) १)

इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित पुस्तकों के लिखने का प्रयत्न हो रहा है।

- (१५) मूल्य विज्ञान ।
- (१६) अर्थशास्त्र ।
- (१७) समाजवाद ।

हिन्दी में अर्थशास्त्र सम्बन्धी साहित्य की कितनी कमी है, यह किसी साहित्य प्रेमी सज्जन से छिपा नहीं है। देश के उत्थान के लिए इस साहित्य की शीघ्र वृद्धि होना अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक देश प्रेमी तथा हिन्दी प्रेमी सज्जन से हमारी प्रार्थना है कि यह अर्थशास्त्र की पुस्तकों के प्रचार करने में हम लोगों को सहायता देने की कृपा करें। जिन महाशयों ने इस विषय पर कोई लेख या पुस्तक लिखी हो, वे उसे सभापति के पास भेजने की कृपा करें। लेख या पुस्तक परिपक्व होना स्वीकृत होने पर सम्पादन समिति द्वारा बिना मूल्य सम्पादित की जाती है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण परिपक्व अभी तक कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं कर पाई है, परन्तु वह प्रत्येक लेख या पुस्तक को सुयोग्य प्रकाशक द्वारा प्रकाशित कराने का पूर्ण प्रयत्न करती है। जो सज्जन अर्थशास्त्र सम्बन्धी किसी भी विषय पर लेख या पुस्तक लिखने में किसी प्रकार की सहायता चाहते हों, वे नीचे लिखे पते से पत्र-व्यवहार करें।

श्री दुवेनिवास,
दारामज, प्रयाग }

दयाशंकर दुवे, एम्० ए०

अर्थशास्त्र की पुस्तकें

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| <p>भारत में कृषि-सुधार</p> | <p>लेखक— पं० दयाशङ्कर दुबे</p> | <p>विदेशी विनिमय</p> |
| <p>(दूसरा संस्करण)</p> | <p>•••••</p> | <p>(दूसरा संस्करण)</p> |
| <p>भारत में किसानों की आर्थिक दशा को शीघ्र सुधारने की एक व्यावहारिक योजना ।</p> | | <p>विदेशी लेन देन, टकसाली दर, स्वर्ण आयात-निर्यात दरें, विनिमय की दर के घट-बढ़ इत्यादि विषयों को सर्व प्रथम हिन्दी में समझानेवाली पुस्तक ।</p> |
| <p>पृष्ठ-संख्या २३४, मूल्य १।।)</p> | | <p>पृष्ठ संख्या १२६, मूल्य १।।)</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>ग्राम्य अर्थशास्त्र</p> | <p>लेखक— पंडित दयाशङ्कर दुबे श्रीयुत शङ्करसहाय सचसेना</p> | <p>भारत का आर्थिक भूगोल</p> |
| <p>युक्तप्रान्त के हाईस्कूल और इन्टरमीडिएट बोर्ड की हाईस्कूल-परीक्षा के ग्राम्य अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत ।</p> | <p>•••••</p> | <p>युक्तप्रान्त के हाईस्कूल और इन्टरमीडिएट-बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा के आर्थिक भूगोल के पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित ।</p> |
| <p>पृष्ठ-संख्या ३२४, मूल्य १।)</p> | | <p>पृष्ठ-संख्या १८२, मूल्य १।)</p> |

अर्थशास्त्र और राजनीति की पुरतके

लेखक
प० दयाशङ्कर दुवे
श्री भगवानदास केला

धन की उत्पत्ति

सरल अर्थशास्त्र

यह अपने विषय की पहली पुस्तक है। इसमें भारत की गरीबी दूर करने के तरीके भी दिये गये हैं।

पृष्ठ संख्या २०६, मूल्य १।)

युक्तप्रान की इन्टरमीडिएट-परीक्षा के अर्थशास्त्र विषय के पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित।

पृष्ठ संख्या ६०४, मूल्य ३।

निर्वाचन-पद्धति

(तीसरा छद्करण)

इसमें मताधिकार का महत्व, मतगणना प्रणाली, निर्वाचकों के कर्तव्य, उम्मेदवार का उत्तर दायित्व इत्यादि विषयों पर विचार किया गया है।

पृष्ठ संख्या १२४, मूल्य १।)

ब्रिटिश साम्राज्य-शासन

इंग्लैंड तथा उसके साम्राज्य के स्वतन्त्र तथा परतन्त्र उप-निवेशों और अन्य भागों की शासन-पद्धति का सरल भाषा में वर्णन।

मूल्य ॥८)

अर्थशास्त्र और राजनीति की पुस्तकें

हिंदी में अर्थशास्त्र और राजनीति-साहित्य

लेखक

श्री दयाशंकर दुवे
श्री भगवानदास केला

इसमें अर्थशास्त्र और राजनीति में गत वर्ष तक जो पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित हुई हैं उनका सक्षेप में परिचय दिया गया है और अभाव भी दर्शाया गया है।

मूल्य ॥॥)

संपत्ति का उपभोग

लेखक

पंडित दयाशंकर दुवे

श्री मुरलीधर जोशी

इसमें उपभोग के विषय पर

भारतीय दृष्टि कोण से विचार किया गया है। हिंदी में अपने विषय की पहली पुस्तक है।

मूल्य १।)

अर्थशास्त्र शब्दावली

लेखक

पंडित दयाशंकर दुवे

श्री गदाधरप्रसाद अम्बष्ट

श्री भगवानदास केला

हिंदी में अर्थशास्त्र के विषय पर लेख और पुस्तक लिखनेवालों के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। इसमें अंग्रेजी परिभाषिक शब्दों के हिंदी पर्यायवाची शब्द दिये गये हैं।

पृष्ठ सरया १४८, मूल्य ॥॥)

श्री दुबेजी की अंग्रेजी पुस्तके

The Way to Agricultural

Progress

By

Pt Daya Shankar Dubey

It gives a practical Scheme for the rapid improvement of the economic condition of the people of India

Price Re 1/ only

Simple Diagrams

By

Pt Daya Shankar Dubey

AND

Mr Shankar Lal Agrawala

Indispensable to the B A. Students of Allahabad University Useful for Students of Intermediate Board also

Price Re 1/ only

Elementary Statistics

By

PANDIT DAYA SHANKAR DUBEY

AND

MR SHANKAR LAL AGRAWALA

Prescribed as a text book in the Universities of Allahabad Agra Lucknow and the Punjab The only book written by Indian Authors on the Subject

Price Rs 6/- only

धर्मग्रन्थावली, दारागंज की पुस्तकें

भक्तचरित्रमाला

- भक्त मीरा 1)
 ,, भुव 1)
 ,, प्रह्लाद 1)
 ,, सूरदास 1)

संपादक—
पं० दयाशङ्कर दुवे

शिव महिम्न स्तोत्र
 गद्य और पद्य अनुवाद
 सहित मूल्य ३)

अवतारमाला

- भगवान रामचन्द्र 1)
 भगवान कृष्ण 1)
 भगवान बुद्ध 1)

हिन्दूतीर्थ-माला

- भारत के तीर्थ—(पूर्वार्ध) इसमें सप्तपुरी, चारों धाम और उत्तराखण्ड का वर्णन है २11)
 भारत के तीर्थ—(प्रथम खण्ड) इसमें प्रयाग, चित्रकूट, अयोध्या, काशी, वैद्यनाथधाम और गया का वर्णन है। मूल्य सजिल्द १1)
 द्वादश ज्योतिर्लिंग—इसमें बारहों ज्योतिर्लिंगों का सचित्र वर्णन है। मूल्य सजिल्द २)
 सप्तपुरी—इसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका का सचित्र वर्णन है। मूल्य सजिल्द १11)
 चारधाम—जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारका और बद्रीनाथ का सचित्र वर्णन। मूल्य सजिल्द १)

हिन्दूतीर्थ-माला

- निम्नलिखित प्रत्येक तीर्थस्थान का वर्णन सरल भाषा में किया गया है। प्रत्येक पुस्तक सचित्र भी है।
 प्रयाग 1) पृष्णेश्वर २)
 चित्रकूट ३) नासिक-न्यबकेश्वर २)
 अयोध्या २) भीमाशंकर-पूना २)
 काशी 1) द्वारिकापुरी 1)
 गया ३) सोमनाथ २)
 वैद्यनाथधाम ३) उज्जैन २)
 जगन्नाथधाम 1) ओकारेश्वर २)
 रामेश्वर 1) मथुरा वृन्दावन 1)
 कांची चिदा-
 चरम २) हरिद्वार ३)
 मलिकार्जुन २) केदारनाथ २)
 नागनाथ-वैज-
 नाथ २) बद्रीनाथ २)

बालकोपयोगी पुस्तकें

सपादक
पं० दयाशङ्कर दुबे

| | | | |
|----------------------|----|--------------------|----|
| बालबोध प्राइमर भाग १ | ७ | नवीन प्राइमर भाग १ | ७॥ |
| बालबोध प्राइमर भाग २ | ७ | नवीन प्राइमर भाग २ | ७॥ |
| बालबोध रीडर भाग १ | ३॥ | नर्मदा रीडर भाग १ | ९ |
| बालबोध रीडर भाग २ | १॥ | नर्मदा रीडर भाग २ | ३॥ |
| बालबोध रीडर भाग ३ | १७ | नर्मदा रीडर भाग ३ | १ |
| बालबोध रीडर भाग ४ | १७ | नर्मदा रीडर भाग ४ | १७ |

ये पुस्तकें प्रारम्भिक पाठशालाओं के दर्जा ३, ४ से दर्जा ४ तक के लिए हैं।

सपादक
पं० दयाशङ्कर दुबे
पं० गंगानारायण द्विवेदी

| | | |
|---|--|--|
| दर्जा ३ से दर्जा ७ तक के लिए साहित्यिक रीडरें | | दर्जा ३ से दर्जा ७ तक के लिये साहित्यिक रीडरें |
|---|--|--|

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------|----------|
| साहित्य-प्रवेश | मूल्य १७ | साहित्य-शिक्षा | मूल्य १७ |
| साहित्य-सोपान भाग १ | , १३ | साहित्य-मणि माला भाग १ | , १३ |
| साहित्य-सोपान भाग २ | , ११ | साहित्य-मणि माला भाग २ | , ११ |
| साहित्य-सोपान भाग ३ | , ११ | साहित्य-मणि माला भाग ३ | , ११ |

सपादक
पं० दयाशङ्कर दुबे
श्रीयुत श्रीचंद्र अग्रवाल

सपादक
प्रोफ़ेसर दयाशङ्कर दुबे
पं० भगवतीप्रसाद वाजपेयी

नेग्रलनल प्रेस अकगणित
दर्जा १ और २ के लिए मूल्य १७

प्रौढ-शिक्षा की पहली पोथी मूल्य १७

भारतीय ग्रन्थमाला, वृन्दावन की पुस्तकें

(इस ग्रन्थमाला की स्थापना सन् १९१५ ई० में हुई। इसकी कई पुस्तकें राष्ट्रीय एवं सरकारी शिक्षा सस्थाओं में स्वीकृत और प्रचलित हैं, तथा कुछ पर शिक्षा विभागों तथा साहित्य सस्थाओं द्वारा पुरस्कार भी मिल चुका है।)

इस ग्रन्थमाला के प्रकाशक तथा अधिकांश पुस्तकों के लेखक हैं,

श्री भगवानदास जी केला

१—भारतीय शासन (Indian Administration)—‘राजनैतिक ज्ञान के लिए आइने का काम देनेवाली’ तथा ‘विद्यार्थियों, पत्र संपादकों और पाठकों के बड़े काम की।’ सन् १९३५ ई० के निदान के अनुसार सशोधित और परिवर्द्धित। आलोचना सहित। सद्यः शासन का विवेचन। देशी राज्यों पर विशेष प्रकाश। आठवां संस्करण। मूल्य १।)

२—भारतीय विद्यार्थी विनोद—भाषा, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, गणित, अर्थशास्त्र आदि दस पाठ्य विषयों की आलोचना। मातृभूमि, जीवन का लक्ष्य, आदि ग्यारह विषयों का विवेचन। “नये दङ्ग की रचना।” तीसरा संस्करण। मूल्य ॥=)

३—हमारी राष्ट्रीय समस्याएँ—राष्ट्र निर्माण के साधन, राष्ट्र बल, राष्ट्र भाषा, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय पताका, साम्प्रदायिकता और स्वाधीनता आदि विषयों पर गम्भीर विचार किया गया है। तीसरा संस्करण मूल्य ॥।)

४—हिन्दी में अर्थशास्त्र और राजनीति-साहित्य—अर्थशास्त्र की १४४ और राजनीति की २११ पुस्तकों का परिचय। लेखकों और पुस्तकालयों के लिए पथ प्रदर्शक। ले०—प्रोफेसर दयाशङ्कर दुबे एम ए और भी० केला जी। मूल्य ॥।)

५—भारतीय सहकारिता आन्दोलन—ग्राम सुधार और ग्राम सगठन की क्रियात्मक बातें। प्रन्तीय सरकारी विभाग द्वारा प्रशसित और प्रोत्साहित। ले०—प्रोफेसर शंकरसहाय जी सकसेना एम ए। मूल्य २)

६—भारतीय जागृति—(Indian Awakening)—गत सौ वर्षों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक आदि के इतिहास का सुन्दर विवेचन। तीसरा संस्करण। मूल्य १।)

७—विश्व वेदना—इसमें मजदूर, किसान, लेखक, बच्चे, विधवाएँ, वेश्याएँ, कैदी और अनाथ आदि अपनी अपनी वेदना बता रहे हैं, उनकी व्यथा सुनि, और उसका निवारण कीजिये। मूल्य ॥=)

८—भारतीय चिन्तन—प्रेम का शासन, साम्राज्यों का जीवन-मरण, प्यारी माँ, राजनैतिक मूल भुलैया, तीर्थों में आत्मिक पतन, राष्ट्र की बेदी पर, आदि । मूल्य ॥२०)

९—भारतीय राजस्व (Indian Finance)—सरकारी आय-व्यय की स्पष्ट और सरी आलोचना । दूसरा संस्करण । मूल्य ॥२०)

१०—निर्वाचन पद्धति—मताधिकार का महत्व, मत-गणना-प्रणाली, निर्वाचकों के कर्तव्य, उम्मेदवार का उत्तरदायित्व, आदि । ले०—प्रोफेसर डुवे और श्री० केल्लाजी । तीसरा संस्करण । मूल्य ॥२०)

११—नागरिक कर्तव्यनियम—निर्वाचन, मताधिकार, ग्राम-सुधार, कर्तव्य-पालन, अस्पृश्यता-निवारण और साक्षरता-प्रचार आदि विषय । ले०—श्री० सत्येन्द्र, एम० ए० । मूल्य ॥२०)

१२—राजनीति शब्दावली (Political Terms)—अंग्रेजी-हिन्दी के पर्यायवाची शब्दों का अत्युपयोगी संग्रह । राजनीति-साहित्य के पाठकों एवं लेखकों के बड़े काम की । ले०—श्री० गदाधरप्रसाद अम्बष्ट और केल्लाजी । दूसरा संस्करण । मूल्य ॥३०)

१३—नागरिक शिक्षा—सरकार के कार्यों अर्थात् सेना, पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, उद्योग-धन्धे, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का सरल भाषा में विचार । दूसरा संस्करण । मूल्य ॥२०)

१४—ब्रिटिश साम्राज्य-शासन—इंग्लैण्ड तथा उसके साम्राज्य के स्वतन्त्र तथा परतन्त्र उपनिवेशों एवं अन्य भागों की शासन-पद्धति का सरल सुसोपन वर्णन । ले०—प्रोफेसर डुवे और श्री० केल्लाजी । मूल्य ॥२०)

१५—श्रद्धाञ्जलि—“यह श्रद्धा के पथ में पू्व और पश्चिम, नवीन और प्राचीन, स्त्री और पुरुष सबकी अर्चना कर रही है । वीर-युद्ध में प्रेरणा, उत्साह और प्राण की भाग की गयी है ।” इसमें २९ महापुरुषों के दर्शन हैं । मूल्य ॥२०)

१६—भारतीय नागरिक—किसानों, मजदूरों, लेखकों और महिलाओं आदि की उन्नति के उपाय । मूल्य ॥३०)

१७—भक्त्य विभूतियाँ—महाराणा प्रताप, शिवाजी, झुंझराज, गुरु गोविन्दसिंह, लक्ष्मीबाई, महाराणा सागा, पद्मा भाय, दुर्गादास तथा जयमल पत्ता के मनोहर शिक्षाप्रद वृत्तान्त । ले०—प्रोफेसर शङ्करदास सकसेना एम. ए. । मूल्य ॥२०)

१८—अर्थशास्त्र-शब्दावली—(Economic Terms)—अर्थ-शास्त्र के लेखकों और विद्यार्थियों के लिए बड़े परिश्रम से तैयार किया

हुआ आर्थिक शब्दों का अङ्गरेजी हिन्दी सङ्कलन । लेखक—सर्वश्री दुबे, अमरट और केलानी । मूल्य ॥१)

१९—नीटिल्य क आर्थिक विचार—सुप्रसिद्ध प्राचीन आचार्य नीटिल्य (चाणक्य) के आर्थिक विचारों का आधुनिक पद्धति से विवेचन । ले०—श्री जगनलाल गुप्त और श्री० केलानी । मूल्य ॥१८)

२०—अपराध चिकित्सा (जेल, कालापानी और फासी !)—“प्रत्येक सचेत हिन्दी प्रमी को जिसके हृदय में अपने राष्ट्र तथा मानव समाज के भविष्य के निर्माण में क्रियात्मक तथा विचारपूर्ण भाग लेने की आकांक्षा हो, इस पुस्तक का अवश्य ध्यानपूर्वक पढना चाहिये ।” मूल्य १॥)

२१—पृथ की राष्ट्रीय जागृति—टर्की, मिथ, अरब, फारिस, और अफगानिस्तान की जागृति की शिक्षाप्रद कथा । लेखक—श्री० प्रोफेसर शङ्करसहाय सक्सेना एम ए । मूल्य १॥)

२२—भारतीय अर्थशास्त्र—(Indian Economics)—धन की उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय, व्यापार और वितरण का भारतीय दृष्टि से सम्यग् विवेचन । दूसरा संस्करण । मूल्य १॥)

२३—गॉय की बात—अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी । मूल्य १)

श्री भगवानदास जी केलानी का अन्य पुस्तकें

- सरल भारतीय शासन (दूसरा संस्करण)—मूल्य ॥)
- नागरिक शास्त्र (Citizenship)—मूल्य १॥)
- भारतीय राजशासन (मध्यप्रान्त के लिए)—मूल्य ॥१)
- नागरिक ज्ञान (मध्यप्रान्त के लिए)—मूल्य १)
- एलीनएटरी सिविकस (संयुक्त प्रान्त के हाई स्कूलों के लिए)—दूसरा संस्करण । मूल्य ॥१)
- सरल नागरिक ज्ञान (दो भाग)—मूल्य १) और १)
- राजस्व—सरकारी आय व्यय का सिद्धान्त । मूल्य १)

साहित्य-निकेतन, दारागंज, प्रयाग की पुस्तकें

लेखक—

आरती के
दीप

श्री मोहनलाल महतो

विचार-धारा

बिहार रत्न डाक्टर राजेंद्रप्रसाद
प० रामावतार शर्मा, सत नशालसिंह
डाक्टर जायसवाल, डाक्टर गगानाथ
भा, शरत् बाबू और श्री राहुलसाहू
त्यायन के सम्मरण ।

पृष्ठ संख्या १८२, मूल्य १।)

इसम राजनीति और समाज नीति
पर लेखक ने अपने गभीर विचार
प्रकट किये हैं । इसम जनताधारण की
भावनाओं और समस्याओं पर प्रकाश
डाला गया है ।

मूल्य १।)

गृहस्थ-जीवन

(द्वितीय संस्करण)

लेखक

श्री केशवकुमार ठाकुर

यह अपने ढङ्ग की एक अनूठी
पुस्तक है । गृहस्थ-जीवन को सफल
बनाने के लिए जिन बातों की आवश्यक
बता होती है वे सब इस पुस्तक में लिखी
गई हैं । पृष्ठ संख्या १९७, मूल्य १।)

घरेलू शिक्षा तथा पाकशास्त्र

(द्वितीय संस्करण)

लेखिका

श्रीमती ज्योतिर्मयी ठाकुर

घर गृहस्थों में स्त्री पुरुषों के रोज ही
काम आनेवाली जरूरी बातों पर उत्तम
पुस्तक । इसमें स्वादिष्ट और उत्तमभोजन
बनानेके तरीके भी दिये गये हैं । घरेलू
दवाइयोंकेनुसखे भी इसमें दिये गए हैं ।

पृष्ठ संख्या ५२, मूल्य १।)

स्वास्थ्य और योगासन

(पंचम संस्करण)

लेखक

पंडित विद्याभास्कर सुकुल

साहित्यालंकार

प्रत्येक व्यक्ति को अपना शारीरिक तथा
आध्यात्मिक जीवन सुखमय बनाने के लिए
यह पुस्तक हर समय अपने पास आवश्यक
रखना चाहिए । मूल्य केवल १।)

बुनाई विज्ञान

लेखक

श्री विश्वेश्वरदयाल पाठक

इस विषय की हिन्दी में यह पहली
पुस्तक है । पुस्तक अनुभव के आधार
पर लिखी गई है । इसे पढ़कर
बुनाई का काम आसानी से सीखा जा
सकता है । मूल्य १।।।)

साहित्य निकेतन, दारागंज (प्रयाग) की पुस्तकें

महाभारत की प्राचीन

पद्यमय कथाएँ

पाँच भागों में

लेखक

साहित्य-भूषण प० शिवराम शर्मा

'रमेश' विशारद

लाक्षाग्रह दहन ॥)

लक्ष्यवेध ॥)

राज्यापहरण ॥)

दृष्ट्या वृन्दन ॥)

निर्वासन ॥)

कथाएँ अत्यन्त सरल, प्रभावशाली छन्दों में दी गई हैं। हिन्दी सधर के मुकवि और मुखेलकों ने इन कथाओं की बहुत प्रशंसा की है।

ग्राम समस्याएँ

लेखक

श्रीरामचल पांडेय बी. ए., सी.टी.

इसमें ग्रामों की समस्याओं पर गभारता पूर्वक विचार किया गया है।

मूल्य १०)

बालकोपयोगी पुस्तकें

लेखक

पण्डित विद्याभास्कर शुक्ल

महाभारत की कहानियाँ १०)

भारत के वीर बालक १०)

भारत की वीर बालाएँ प्रथम भाग १०)

भारत की वीर बालाएँ दूसरा भाग १०)

खून का तालाब, ऐतिहासिक कहानी

निर्मा १०)

नल-दमयन्ती (लेखक—

श्रीलक्ष्मीनिधि चतुर्वेदी विशारद) १०)

सोमित्र (लेखक—श्री

गिरिनाथद्वार द्विवेदी, साहित्यरत्न) १०)

रामू श्यामू (लेखक—

श्री व्यथित हृदय) १०)

श्रीगुरुचरणदास अग्रवाल लिखित

अनोखे चुटकुले मूल्य १०)

रंगीले चुटकुले मूल्य १०)

उपन्यास

मधुवन—श्रीमती ज्योतिर्मयी

ठाकुर १॥)

विनाश की ओर—श्रीपुत विश्व

नाथराय, एम० ए० १॥)

वे चारों—प० पुरुषोत्तमदास गौड़ ॥१)